उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

की

अनुक्रमणिका

खण्ड ११५

सोमवार, १५ दिसम्बर, १९५२ बुधवार, १७ दिसम्बर, १९५२ तक

मुद्रक
अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश,
इलाहाबाद
१९५२

मूल्य; बिना महसूल ४ आने, महसूल सहित ५ आने।
वार्षिक चन्दा बिना महसूल १० रुपये, महसूल सहित १२ रुपये।

विषय-सूची

खण्ड ११५

सोमवार, १५ दिसम्बर, १९५२

शासन

राज्यपाल

श्री कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी।

मन्त्रि-परिषद्

श्री गोविन्दवल्लभ पन्त, बी० ए०, एल-एल० बी०, एम० एल० ए०, मुख्य मंत्री तथा सामान्य प्रशासन सहकारिता और नियोजन मंत्री।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम, बी० ए०, एल-एल० बी०, एम० एल० ए०, वित्त तथा विद्युत् मंत्री।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द, बी० एस-सी०, एम० एल० ए०, गृह तथा श्रम मंत्री।

श्री हुकुम सिंह, बी० ए०, एल-एल० बी०, एम० एल० ए०, उद्योग तथा पुनर्वासन मन्त्री।

श्री गिरधारीलाल, एम० ए०, एम० एल० ए०, निर्माण मन्त्री।

श्री चन्द्रभानु गुप्त, एम० ए०, एल-एल० बी०, एम० एल० ए०, स्वास्थ्य तथा अन्न मंत्री।

श्री सैयद अली जहीर, बार-ऐट-ला, एम० एल० ए०, न्याय तथा मादक-कर मंत्री।

श्री चरण सिंह, एम० ए०, बी० एस-सी०, एल-एल० बी०, एम० एल० ए०, माल तथा कृषि मंत्री।

श्री हरगोविन्द सिंह, बी० एस-सी०, एल-एल० बी०, एम० एल० ए०, शिक्षा तथा हरिजन सहायक मंत्री।

श्री मोहनलाल गौतम, बी० ए० (आनर्स), एम० एल० ए०, स्वशासन मन्त्री।

श्री कमलापति त्रिपाठी, एम० एल० ए०, सूचना तथा सिंचाई मन्त्री।

श्री विचित्रनारायण शर्मा, एम० एल० ए०, परिवहन मन्त्री।

उपमंत्री

श्री मंगलाप्रसाद, बी० ए०, एल-एल० बी०, एम० एल० ए०, सहकारिता उपमंत्री।

श्री जगमोहन सिंह नेगी, बी० ए०, एल-एल० बी०, एम० एल० ए०, वन उपमंत्री।

श्री फूलसिंह, बी० ए०, एल-एल० बी०, एम० एल० ए०, नियोजन उपमंत्री।

श्री जगनप्रसाद रावत, बी० एस-सी०, एल-एल० बी०, एम० एल० ए०, कृषि उपमंत्री।

श्री मुजफ्फर हसन, एम० एल० ए०, गृह उपमंत्री।

श्री राममूर्ति, एम० ए०, एल-एल० बी०, एम० एल० ए०, सिंचाई उपमंत्री।

श्री चतुर्भुज शर्मा, बी० ए०, एल-एल० बी०, एम० एल० ए०, निर्माण उपमंत्री।

सभा-सचिव

मुख्य मंत्री के सभा सचिव

श्री कृपाशंकर, एम० एल० ए०।

अन्न मंत्री के सभा सचिव

१--श्री बलदेव सिंह आर्य, एम० एल० ए०।

२--श्री बनारसीदास, एम० एल० ए०।

उद्योग मन्त्री के सभा सचिव

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी, एम० ए०, एम० एल० ए०।

माल मन्त्री के सभा सचिव

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य, बी० ए०, एम० एल० ए०।

शिक्षा मन्त्री के सभा सचिव

डाक्टर सीताराम, एम० एस-सी० (विस) पी० एच० डी०, एम० एल० ए०।

सदस्यों की वर्णात्मक सूची तथा उनके निर्वाचन-क्षेत्र

सदस्य का नाम		निर्वाचन क्षेत्र
१—अंसमान सिंह, श्री	...	बस्ती (पूर्व)
२—अक्षयवर सिंह, श्री	...	गोरखपुर (दक्षिण-पूर्व)
३—अजीज इमाम, श्री	...	मिर्जापुर (दक्षिण)
४—अतहर हुसेन ख्वाजा, श्री	...	रुड़की (दक्षिण)
५—अनन्तस्वरूप सिंह, श्री	...	फतेहपुर (दक्षिण)-खागा (दक्षिण)
६—अब्दुल मुईज खां, श्री	..	खलीलाबाद (मध्य)
७—अब्दुल रऊफ खां, श्री	...	फतेहपुर (पूर्व)-खागा (उत्तर)
८—अमरेशचन्द्र पाण्डेय, श्री	...	मिर्जापुर (उत्तर)
९—अमृतनाथ मिश्र, श्री	...	उतरौला (दक्षिण)
१०—अली जहीर, श्री सैयद	...	लखनऊ नगर (मध्य)
११—अवधशरण वर्मा, श्री	...	फतेहपुर (उत्तर)
१२—अवधेशचन्द्र सिंह, श्री	..	छिबरामऊ (पूर्व)-फर्रुखाबाद (पूर्व)
१३—अवधेश प्रताप सिंह, श्री	...	बीकापुर (पूर्व)
१४—अशरफ अली खां, श्री	...	सादाबाद (पूर्व)
१५—आत्माराम गोविंद खेर, श्री	..	झांसी (पूर्व)
१६—आर्थर ग्राईस, श्री	...	नाम-निर्देशित आंग्ल भारतीय
१७—आशालता व्यास, श्रीमती	...	फूलपुर (दक्षिण)
१८—इर्तिजा हुसैन, श्री	...	बुलन्दशहर (उत्तर-पश्चिम)
१९—इसराउल हक, श्री	...	फिरोजाबाद-फतेहाबाद
२०—इस्तफा हुसैन, श्री	...	गोरखपुर (मध्य)
२१—उमाशंकर, श्री	...	सगरी (पश्चिम)
२२—उमाशंकर तिवारी, श्री	...	चंदौली (दक्षिण-पश्चिम)-रामनगर
२३—उमाशंकर मिश्र, श्री	...	नवाबगंज (दक्षिण)-हैदरगढ़-राम-सनेही घाट।
२४—उम्मेद सिंह, श्री	...	उतरौला (उत्तर-पूर्व)
२५—उल्फत सिंह चौहान निर्भय, श्री	...	ऐतमादपुर-आगरा (पूर्व)
२६—ऐजाज रसूल, श्री	...	शाहाबाद (पश्चिम)
२७—ओंकार सिंह, श्री	...	दातागंज (उत्तर)-बदायूं
२८—कन्हैयालाल बाल्मीकि, श्री	...	शाहाबाद (पूर्व)-हरदोई (उत्तर-पश्चिम)
२९—कमलापति त्रिपाठी, श्री	...	चकिया-चन्दौली (दक्षिण-पूर्व)
३०—कमला सिंह, श्री	...	सैदपुर
३१—कमाल अहमद रिजवी, श्री	...	मोहमदी (पूर्व)
३२—करण सिंह यादव, श्री	...	गुन्नौर (उत्तर)
३३—करन सिंह, श्री	...	निघासन-लखीमपुर (उत्तर)
३४—कल्याण राय, श्री	...	हजूर मिलक (उत्तर)
३५—कामता प्रसाद विद्यार्थी, श्री	...	चंदौली (उत्तर)
३६—कालिका सिंह, श्री	...	लालगंज (दक्षिण)
३७—कालीचरण टण्डन, श्री	...	कन्नौज (उत्तर)
३८—काशी प्रसाद पाण्डेय, श्री	...	कादीपुर
३९—किन्दरलाल, श्री	...	हरदोई (पूर्व)
४०—किशन स्वरूप भटनागर, श्री	...	खुर्जा
४१—कुंवर कृष्ण वर्मा, श्री	...	सुल्तानपुर (पश्चिम)
४२—कृपाशंकर, श्री	...	हरैया (पूर्व)-बस्ती (पश्चिम)

४३--कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री	..	सीतापुर (दक्षिण-पूर्व)
४४--कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री	...	ललितपुर (दक्षिण)
४५--कृष्ण शरण आर्य, श्री	...	मिलक (दक्षिण)-शाहाबाद
४६--केदारनाथ, श्री	..	मुरादाबाद (दक्षिण)
४७--केवल सिंह, श्री	..	सिकन्दराबाद (पूर्व)
४८--केशभान राय, श्री	..	बांसगांव (मध्य)
४९--केशव गुप्त, श्री	..	कैराना (उत्तर)
५०--केशव पाण्डेय, श्री	...	गोरखपुर (उत्तर-पूर्व)
५१--केशवराम, श्री	...	सहसवान (पूर्व)
५२--कैलाशप्रकाश, श्री	...	मेरठ नगरपालिका
५३--खयालीराम, श्री	...	अमरोहा (पूर्व)
५४--खुशीराम, श्री	...	पिथौरागढ़-चम्पावत
५५--खूब सिंह, श्री	...	धामपुर (उत्तर-पूर्व)-नगीना (पूर्व)
५६--गंगाधर, श्री	..	चमोली (पश्चिम)-पौड़ी (उत्तर)
५७--गंगाधर जाटव, श्री	..	फीरोजाबाद-फतेहाबाद
५८--गंगाधर शर्मा, श्री	...	मिश्रिख
५९--गंगाप्रसाद, श्री	...	तरबगंज (दक्षिण-पूर्व)-गोंडा (दक्षिण)
६०--गंगाप्रसाद सिंह, श्री	..	रसरा (पश्चिम)
६१--गजेन्द्र सिंह, श्री	...	बिधूना (पूर्व)
६२--गज्जूराम, श्री	...	मऊ-मोंठ (दक्षिण)-झांसी (पश्चिम)-ललितपुर (उत्तर)।
६३--गणेशचन्द्र काछी, श्री	..	मैनपुरी (उत्तर)-भोगांव (उत्तर)
६४--गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री	...	इलाहाबाद नगर (पूर्व)
६५--गणेशप्रसाद पाण्डेय, श्री	...	बांसगांव (दक्षिण-पश्चिम)
६६--गिरजा रमण शुक्ल, श्री	...	पट्टी (दक्षिण)
६७--गिरधारी लाल, श्री	...	धामपुर (उत्तर-पूर्व)-नगीना (पूर्व)
६८--गुप्तार सिंह, श्री	...	डलमऊ (दक्षिण-पश्चिम)
६९--गुरु प्रसाद पाण्डेय, श्री	...	खजुहा (पश्चिम)
७०--गुरुप्रसाद सिंह, श्री	...	मुसाफिरखाना (दक्षिण)-अमेठी (पश्चिम)
७१--गुलजार, श्री	..	मुसाफिरखाना (उत्तर)-सुल्तानपुर (उत्तर)
७२--गेंदा सिंह, श्री	...	पडरौना (पूर्व)
७३--गोपीनाथ दीक्षित, श्री	...	इटावा (दक्षिण)
७४--गोवर्धन तिवारी, श्री	...	अल्मोड़ा (दक्षिण)
७५--गोविन्द वल्लभ पन्त, श्री	...	बरेली नगरपालिका
७६--गौरीराम, श्री	...	फरेंदा (मध्य)
७७--घनश्यामदास, श्री	..	नवाबगंज (दक्षिण)-हैदरगढ़-रामसनेही-घाट
७८--घासीराम जाटव, श्री	...	बिधूना (पश्चिम)-भरथना (उत्तर)-इटावा (उत्तर)
७९--चतुर्भुज शर्मा, श्री	..	उरई-जालौन (दक्षिण)
८०--चन्द्रपाल वाजपेयी, श्री	...	डलमऊ (पूर्व)
८१--चन्द्रभानु गुप्त, श्री	...	लखनऊ नगर (पूर्व)
८२--चन्द्रभानु शरण सिंह, श्री	...	तरबगंज (दक्षिण-पूर्व)-गोंडा (दक्षिण)
८३--चन्द्रवती, श्रीमती	...	बिजनौर (मध्य)
८४--चन्द्रसिंह रावत, श्री	..	पौड़ी (दक्षिण)-चमोली (पूर्व)
८५--चन्द्रहास, श्री	...	हरदोई (पूर्व)

१३०—दीनदयालु शर्मा, श्री ... अनूपशहर (उत्तर)
१३१—दीनदयालु शास्त्री, श्री ... रुड़की (पूर्व)
१३२—दीपनारायण वर्मा, श्री ... जौनपुर (पश्चिम)
१३३—देवकी नन्दन विभव, श्री .. आगरा
१३४—देवदत्त मिश्र, श्री ... पुरवा (दक्षिण)
१३५—देवदत्त शर्मा, श्री ... बुलन्दशहर (दक्षिण)—अनूपशहर (दक्षिण)
१३६—देवनन्दन शुक्ल, श्री ... सलीमपुर (पश्चिम)
१३७—देवमूर्ति राम, श्री ... बनारस (पश्चिम)
१३८—देवराम, श्री ... सैदपुर
१३९—देवेन्द्रप्रताप नारायन सिंह, श्री ... गोरखपुर (पश्चिम)
१४०—द्वारका प्रसाद मित्तल, श्री ... मुजफ्फरनगर (मध्य)
१४१—द्वारका प्रसाद मौर्य्य, श्री .. मड़ियाहूं (उत्तर)
१४२—द्वारिका प्रसाद पाण्डेय, श्री ... फरेंदा (दक्षिण)
१४३—धनुषधारी पाण्डेय, श्री .. खलीलाबाद (दक्षिण)
१४४—धर्म सिंह, श्री ... बुलन्दशहर (दक्षिण)—अनूपशहर (दक्षिण)
१४५—धर्मदत्त वैद्य, श्री ... बहेड़ी (दक्षिण—पश्चिम)—बरेली (पश्चिम)
१४६—नत्थू सिंह, श्री .. आम्रों (पूर्व)—फरीदपुर
१४७—नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री ... हाथरस
१४८—नरदेव शास्त्री, श्री ... पश्चिमीय दून—दक्षिण—पूर्वीय दून
१४९—नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री ... पिथौरागढ़—चम्पावत
१५०—नरोत्तम सिंह, श्री ... दातागंज (दक्षिण)—बदायूं (दक्षिण—पूर्व)
१५१—नवल किशोर, श्री ... आंवला (पश्चिम)
१५२—नागेश्वर द्विवेदी, श्री ... मछलीशहर (उत्तर)
१५३—नाजिम अली, श्री ... मुसाफिरखाना (उत्तर)—सुलतानपुर (उत्तर)।
१५४—नारायणदत्त तिवारी, श्री .. नैनीताल (उत्तर)
१५५—नारायण दास, श्री ... फैजाबाद (पूर्व)
१५६—नारायणदीन, श्री ... पवायां—शाहजहांपुर (पूर्व)
१५७—निरंजन सिंह, श्री ... पीलीभीत (पूर्व)—बीसलपुर (पश्चिम)
१५८—निहालुद्दीन, श्री ... बदायूं (उत्तर)
१५९—नेकराम शर्मा, श्री ... सिकन्दराराव (दक्षिण)
१६०—नेत्रपाल सिंह, श्री ... सिकन्दराराव (उत्तर)—कोइल (दक्षिण—पूर्व)।
१६१—नौरंगलाल, श्री ... नवाबगंज
१६२—पद्मनाथ सिंह, श्री ... मुहम्मदाबाद—गोहना (दक्षिण)
१६३—परमानन्द सिन्हा, श्री ... सोरांव (दक्षिण)
१६४—परमेश्वरी राम, श्री ... केराकत—जौनपुर (दक्षिण)
१६५—परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री ... महाराजगंज (उत्तर)
१६६—पहलवान सिंह चौधरी, श्री ... बांदा
१६७—पातीराम, श्री ... छिबरामऊ (पूर्व)—फर्रुखाबाद (पूर्व)
१६८—पुत्तूलाल, श्री .. एतमादपुर-आगरा (पूर्व)
१६९—पुद्दनराम, श्री ... बांसी (उत्तर)
१७०—पुलिनविहारी बनर्जी, श्री ... लखनऊ नगर (पश्चिम)
१७१—प्रकाशवती सूद, श्रीमती ... हापुड़ (उत्तर)
१७२—प्रतिपाल सिंह, श्री ... शाहजहांपुर (पश्चिम)—जलालाबाद (पूर्व)
१७३—प्रभाकर शुक्ल, श्री ... हरैया (उत्तर—पश्चिम)

१७४--प्रभुदयाल, श्री ... बस्ती (पश्चिम)
१७५--प्रेमकिशन खन्ना, श्री ... पवायां-शाहजहांपुर (पूर्व)
१७६--फजलुल हक, श्री ... रामपुर नगर
१७७--फतेह सिंह, श्री ... जलेसर-एटा (उत्तर)
१७८--फतेह सिंह राणा, श्री ... सरधना (पश्चिम)
१७९--फूल सिंह, श्री ... देवबन्द
१८०--बद्रीनारायण मिश्र, श्री ... सलीमपुर (दक्षिण)
१८१--बनारसी दास, श्री .. बुलन्दशहर (मध्य)
१८२--बलदेव सिंह, श्री ... बनारस (मध्य)
१८३--बलदेव सिंह आर्य, श्री ... पौड़ी (दक्षिण)-चमोली (पूर्व)
१८४--बलबीर सिंह, श्री ... गाजियाबाद (दक्षिण)
१८५--बलभद्र प्रसाद शुक्ल, श्री ... उतरौला (उत्तर)
१८६--बलवन्त सिंह, श्री ... मुजफ्फरनगर (पूर्व)-जानसठ (उत्तर)
१८७--बशीर अहमद हकीम, श्री ... सीतापुर (पूर्व)
१८८--बसन्तलाल, श्री ... कालपी-जालौन (उत्तर)
१८९--बसन्तलाल शर्मा, श्री ... नानपारा (उत्तर)
१९०--बाबूनन्दन, श्री ... शाहगंज (पूर्व)
१९१--बाबूराम गुप्त, श्री ... कासगंज (पश्चिम)
१९२--बाबूलाल कुसुमेश, श्री ... रामसनेहीघाट
१९३--बाबूलाल मीतल, श्री ... आगरा नगर (उत्तर)
१९४--बालेन्दुशाह, महाराजकुमार ... टेहरी (दक्षिण)-प्रतापनगर
१९५--बिशम्भर सिंह, श्री ... सरधना (पूर्व)
१९६--बेचनराम, श्री ... ज्ञानपुर (उत्तर-पश्चिम)
१९७--बेचनराम गुप्त, श्री ... ज्ञानपुर (पूर्व)
१९८--बेनीसिंह, श्री ... कानपुर तहसील
१९९--बैजनाथ प्रसाद सिंह, श्री ... बांसडीह (मध्य)
२००--बैजूराम, श्री ... सिधोली (पश्चिम)
२०१--ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री ... कानपुर नगर (दक्षिण)
२०२--भगवतीदीन तिवारी, श्री ... जौनपुर (उत्तर)-शाहगंज (पश्चिम)
२०३--भगवतीप्रसाद दुबे, श्री ... बांसगांव (पूर्व)-गोरखपुर (दक्षिण)
२०४--भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री ... प्रतापगढ़ (पूर्व)
२०५--भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री ... फतेहपुर (दक्षिण)
२०६--भगवानदीन मिश्र, श्री ... केसरगंज (उत्तर)
२०७--भगवानदीन वाल्मीकि, श्री ... फतहपुर (दक्षिण)-खागा (दक्षिण)
२०८--भगवान सहाय, श्री ... तिलहर (दक्षिण)
२०९--भीमसेन, श्री ... खुर्जा
२१०--भुवरजी, श्री ... फूलपुर (पूर्व)-हंडिया (उत्तर-पश्चिम)
२११--भूपाल सिंह खाती, श्री ... अल्मोड़ा (उत्तर)
२१२--भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री .. बांसगांव (दक्षिण-पूर्व)
२१३--भोला सिंह यादव, श्री .. गाजीपुर (दक्षिण-पश्चिम)
२१४--मकसूद आलम खां, श्री ... पीलीभीत (पश्चिम)
२१५--मंगलाप्रसाद, श्री ... मेजा-करछना (दक्षिण)
२१६--मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री ... फर्रुखाबाद (पश्चिम)-छिबरामऊ
२१७--मथुराप्रसाद पाण्डेय, श्री ... बांसी (उत्तर)
२१८--मदनगोपाल वैद्य, श्री ... फैजाबाद (पूर्व)
२१९--मदनमोहन उपाध्याय, श्री ... रानीखेत (उत्तर)

२२०—मन्नीलाल गुरुदेव, श्री	...	महोवा–कुलपहाड़–चरखारी
२२१—मलखान सिंह, श्री	..	कोइल (मध्य)
२२२—महमूद अली खां, श्री	...	सुमर–टांडा–बिलासपुर
२२३—महमूद अली खां, श्री	...	सहारनपुर (उत्तर–पश्चिम)–नकुड़ (उत्तर)
२२४—महाजन, श्री सी० बी०	...	आगरा नगर (पश्चिम)
२२५—महादेव प्रसाद, श्री	...	गोरखपुर (उत्तर–पूर्व)
२२६—महाराज सिंह, श्री	...	शिकोहाबाद (पश्चिम)
२२७—महावीर प्रसाद शुक्ल, श्री	...	हंडिया (दक्षिण)
२२८—महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री	...	मोहनलाल गंज
२२९—महीलाल, श्री	...	बिलारी
२३०—मान्धाता सिंह, श्री	...	रसरा (पूर्व)–बलिया (दक्षिण-पश्चिम)
२३१—मिजाजी लाल, श्री	...	करहल (पूर्व)–भोगांव (दक्षिण)
२३२—मिहरबान सिंह, श्री	...	विधूना (पश्चिम)–भरथना (उत्तर)–इटावा (उत्तर)
२३३—मुजफ्फर हसन, श्री	...	चायल (उत्तर)
२३४—मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री	...	पूरनपुर–बीसलपुर (पूर्व)
२३५—मुन्नूलाल, श्री	...	बिसवां–सिधौली (पूर्व)
२३६—मुरलीधर कुरील, श्री	...	बिल्हौर–अकबरपुर
२३७—मुश्ताक अली खां, श्री	...	सहसवान (पश्चिम)
२३८—मुहम्मद अदील अब्बासी, श्री	...	डुमरियागंज (दक्षिण)
२३९—मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री	...	बिजनौर (उत्तर)–नजीबाबाद (पश्चिम)
२४०—मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री	..	बनारस नगर (उत्तर)
२४१—मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज	...	नगीना (दक्षिण-पश्चिम)-धामपुर (उत्तर-पूर्व)
२४२—मुहम्मद तक़ी हादी, श्री	...	अमरोहा (पश्चिम)
२४३—मुहम्मद नबी, श्री	...	बुढ़ाना (पूर्व)–जानसठ (दक्षिण)
२४४—मुहम्मद नसीर, श्री	...	टांडा
२४५—मुहम्मद फारूक चिश्ती, श्री	...	देवरिया (उत्तर–पूर्व)
२४६—मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री	...	सहारनपुर नगर
२४७—मुहम्मद रऊफ जाफ़री, श्री	...	मछलीशहर (दक्षिण)
२४८—मुहम्मद शाहिद फाखरी, श्री	...	उतरौला (मध्य)
२४९—मुहम्मद सआदत अली खां, राजा		नानपारा (दक्षिण)
२५०—मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री	...	डुमरियागंज (उत्तर–पूर्व)–बांसी (पश्चिम)
२५१—मोहनलाल, श्री	...	सफीपुर-उन्नाव (उत्तर)
२५२—मोहनलाल गौतम, श्री	...	खैर-कोइल (उत्तर–पश्चिम)
२५३—मोहन सिंह, श्री	...	बुलन्दशहर (उत्तर–पूर्व)
२५४—मोहन सिंह शाक्य, श्री	...	अलीगंज (दक्षिण)
२५५—यमुनाप्रसाद, श्री	...	बहराइच (पश्चिम)
२५६—यमुना सिंह, श्री	...	गाजीपुर (मध्य)–मुहम्मदाबाद (उत्तर–पश्चिम)
२५७—यशोदा देवी, श्रीमती	...	बांसगांव (दक्षिण-पश्चिम)
२५८—रघुनाथप्रसाद, श्री	...	मेजा–करछना (दक्षिण)
२५९—रघुराज सिंह, श्री	...	तरबगंज (पश्चिम)
२६०—रघुवीर सिंह, श्री	...	बागपत (दक्षिण)
२६१—रणञ्जय सिंह, श्री	...	अमेठी (मध्य)
२६२—रतनलाल जैन, श्री	...	नजीबाबाद (उत्तर)–नगीना (उत्तर)
२६३—रमानाथ खैरा, श्री	...	महरौनी

२६४—रमेशचन्द्र शर्मा, श्री	... मड़ियाहू (दक्षिण)
२६५—रमेश वर्मा, श्री	.. किराउली
२६६—राघवेन्द्र प्रताप सिंह, राजा	.. उतरौला (दक्षिण-पश्चिम)
२६७—राजकिशोर राव, श्री	... बहराइच (पूर्व)
२६८—राजकुमार शर्मा, श्री	... चुनार (उत्तर)
२६९—राजदेव उपाध्याय, श्री	... हाटा (उत्तर)
२७०—राजनारायण, श्री	.. बनारस (दक्षिण)
२७१—राजनारायण सिंह, श्री	... चुनार (दक्षिण)
२७२—राजवंशी, श्री	... पडरौना (दक्षिण-पश्चिम)—देवरिया (दक्षिण-पूर्व)
२७३—राजाराम, श्री	... अनरौली (दक्षिण)—कोइल (पूर्व)
२७४—राजाराम किसान, श्री	... प्रतापगढ़ (पश्चिम)—कुण्डा (उत्तर)
२७५—राजाराम मिश्र, श्री	... फैजाबाद (पश्चिम)
२७६—राजाराम शर्मा, श्री	... खलीलाबाद (उत्तर)
२७७—राजेन्द्रदत्त, श्री	.. मुजफ्फरनगर (पश्चिम)
२७८—राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री	... बिलग्राम (पूर्व)
२७९—राधामोहन सिंह, श्री	... बलिया (पूर्व)
२८०—रामअधार तिवारी, श्री	.. प्रतापगढ़ (उत्तर-पश्चिम)—पट्टी (उत्तर-पश्चिम)
२८१—रामअधीन सिंह यादव, श्री	.. पुरवा (मध्य)
२८२—रामअनन्त पाण्डेय, श्री	... बलिया (मध्य)
२८३—रामअवध सिंह, श्री	... फरेंदा (उत्तर)
२८४—रामकिंकर, श्री	... प्रतापगढ़ (उत्तर-पश्चिम)—पट्टी (उत्तर-पश्चिम)
२८५—रामकुमार शास्त्री, श्री	.. बांसी (दक्षिण)
२८६—रामकृष्ण जैसवार, श्री	.. मिर्जापुर (दक्षिण)
२८७—रामगुलाम सिंह, श्री	... जलालाबाद (पश्चिम)
२८८—रामचन्द्र विकल, श्री	... सिकन्दराबाद (पश्चिम)
२८९—रामचरनलाल गंगवार, श्री	... बरेली (पश्चिम)
२९०—रामजीलाल सहायक, श्री	... मवाना
२९१—रामजीसहाय, श्री	... देवरिया (दक्षिण-पश्चिम)—हाटा (दक्षिण-पश्चिम)
२९२—रामदास आर्य, श्री	.. बुढ़ाना (पूर्व)—जानसठ (दक्षिण)
२९३—रामदास रविदास, श्री	... अकबरपुर (पश्चिम)
२९४—रामदुलारे मिश्र, श्री	... अकबरपुर (दक्षिण)
२९५—रामनरेश शुक्ल, श्री	.. कुण्डा (दक्षिण)
२९६—रामनाथ तिवारी, श्री	... देवरिया (दक्षिण)
२९७—रामनारायण त्रिपाठी, श्री	... अकबरपुर (पूर्व)
२९८—रामप्रसाद, श्री	.. रायबरेली—डलमऊ (उत्तर)
२९९—रामप्रसाद देशमुख, श्री	.. खैर-कोइल (उत्तर-पश्चिम)
३००—रामप्रसाद नौटियाल, श्री	.. लैन्सडाउन (पूर्व)
३०१—रामप्रसाद सिंह, श्री	... महाराजगंज (दक्षिण)
३०२—रामबली मिश्र, श्री	... सुल्तानपुर (पूर्व)—अमेठी (पूर्व)
३०३—रामभजन, श्री	... मोहम्मदी (पश्चिम)
३०४—राममूर्ति, श्री	... बहेड़ी (उत्तर-पूर्व)
३०५—रामरतन प्रसाद, श्री	... रसरा (पूर्व)-बलिया (दक्षिण-पश्चिम)

३०६—रामराज शुक्ल, श्री	...	पट्टी (पूर्व)
३०७—रामलखन, श्री	..	चकिया-चन्दौली (दक्षिण-पूर्व)
३०८—रामलखन मिश्र, श्री	...	डुमरियागंज (उत्तर-पश्चिम)
३०९—रामलाल, श्री	..	बस्ती (पश्चिम)
३१०—रामवचन यादव, श्री	..	फूलपुर (दक्षिण)
३११—रामशंकर द्विवेदी, श्री	..	रायबरेली-डलमऊ (उत्तर)
३१२—रामशंकर रविवासी, श्री	..	लखनऊ (मध्य)
३१३—रामसनेही भारतीय, श्री	...	बबेरी (पश्चिम)
३१४—रामसहाय शर्मा, श्री	...	गरोधा-मोठ (उत्तर)
३१५—रामसुन्दर पाण्डेय, श्री	..	घोसी (पूर्व)
३१६—रामसुन्दरराम, श्री	..	खलीलाबाद (दक्षिण)
३१७—रामसुभग वर्मा, श्री	...	पडरौना (पश्चिम)
३१८—रामसुमेर, श्री	...	टांडा
३१९—रामस्वरूप, श्री	..	दूधी-राबर्ट्सगंज
३२०—रामस्वरूप गुप्त, श्री	...	भोगनीपुर (पश्चिम)-डेरापुर (दक्षिण)
३२१—रामस्वरूप भारतीय, श्री	..	कुण्डा (दक्षिण)
३२२—रामस्वरूप मिश्र "विशारद", श्री	..	महाराजगंज (पश्चिम)
३२३—रामहरख यादव, श्री	...	बीकापुर (पश्चिम)
३२४—रामहेत सिंह, श्री	..	छत्ता
३२५—रामेश्वरप्रसाद, श्री	...	महाराजगंज (पश्चिम)
३२६—लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री	..	नैनीताल (दक्षिण)
३२७—लक्ष्मणराव कदम, श्री	..	मऊ-मोठ (दक्षिण)-झांसी (पश्चिम)-ललितपुर (उत्तर)
३२८—लक्ष्मीदेवी, श्रीमती	..	संडीला-बिलग्राम (दक्षिण-पूर्व)
३२९—लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री	...	माट-सादाबाद (पश्चिम)
३३०—लक्ष्मीशंकर यादव, श्री	...	शाहगंज (पूर्व)
३३१—लताफत हुसैन, श्री	...	हसनपुर (उत्तर)
३३२—लालबहादुर सिंह, श्री	...	केराकत-जौनपुर (दक्षिण)
३३३—लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री	...	बनारस (उत्तर)
३३४—लीलाधर अष्ठाना, श्री	...	उन्नाव (दक्षिण)
३३५—लुत्फअली खां, श्री	..	हापुड़ (दक्षिण)
३३६—लेखराज सिंह, श्री	..	सम्भल (पूर्व)
३३७—वंशनारायण सिंह, श्री	..	ज्ञानपुर (उत्तर-पश्चिम)
३३८—वंशीदास धनगर, श्री	...	करहल (पश्चिम)-शिकोहाबाद (पूर्व)
३३९—वंशीधर मिश्र, श्री	...	लखीमपुर (दक्षिण)
३४०—वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री	..	गाजीपुर (दक्षिण-पूर्व)
३४१—वसी नकवी, श्री	...	महाराजगंज (पूर्व)-सलोन (उत्तर)
३४२—वासुदेव प्रसाद मिश्र, श्री	...	कानपुर नगर (मध्य-पश्चिम)
३४३—विचित्रनारायण शर्मा, श्री	...	गाजियाबाद (उत्तर-पूर्व)
३४४—विजयशंकर प्रसाद, श्री	...	मुहम्मदाबाद (दक्षिण)
३४५—विद्यावती राठौर, श्रीमती	..	एटा (पूर्व)-अलीगढ़ (पश्चिम)-कासगंज (दक्षिण)
३४६—विश्वनाथ सिंह गौतम, श्री	..	गाजीपुर (पश्चिम)
३४७—विश्वम्भरनाथ पाण्डेय, श्री	..	इलाहाबाद नगर (मध्य)
३४८—विष्णु दयाल वर्मा, श्री	...	जसराना

३४६—विष्णुशरण दुब्लिश, श्री ... मवाना
३५०—वीरसेन, श्री ... हापुड़ (दक्षिण)
३५१—वीरेन्द्रनाथ मिश्र, श्री ... बिलग्राम (पश्चिम)
३५२—वीरेन्द्रपति यादव, श्री ... मैनपुरी (दक्षिण)
३५३—वीरेन्द्र वर्मा, श्री ... कैराना (दक्षिण)
३५४—वीरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री ... नानपारा (पूर्व)
३५५—वीरेन्द्रशाह, राजा ... कालपी–जालोन (उत्तर)
३५६—व्रजभूषण मिश्र, श्री ... दूधी–राबर्टसगंज
३५७—व्रजरानी मिश्र, श्रीमती ... बिल्हौर–अकबरपुर
३५८—व्रजवासीलाल, श्री ... बीकापुर (मध्य)
३५९—व्रजविहारी मिश्र, श्री ... फूलपुर (उत्तर)
३६०—व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री ... घाटमपुर–भोगनीपुर (पूर्व)
३६१—शंकरलाल, श्री ... कादीपुर (मध्य)
३६२—शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री ... बाह
३६३—शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री . चकराता–पश्चिमी दून (उत्तर)
३६४—शिवकुमार पाण्डेय, श्री ... सिराथू–मन्झनपुर
३६५—शिवकुमार मिश्र, श्री ... तिलहर (उत्तर)
३६६—शिवकुमार शर्मा, श्री ... बिजनौर (दक्षिण)–धामपुर (दक्षिण-पश्चिम)
३६७—शिवदान सिंह, श्री ... इगलास
३६८—शिवनाथ काटजू, श्री ... फूलपुर (मध्य)
३६९—शिवनारायण, श्री ... हरैया (पूर्व)–बस्ती (पश्चिम)
३७०—शिवपूजन राय, श्री ... मुहम्मदाबाद (उत्तर–पूर्व)
३७१—शिवप्रसाद, श्री ... हाटा (मध्य)
३७२—शिवमंगल सिंह, श्री ... बांसडीह (पश्चिम)
३७३—शिवमंगल सिंह कपूर, श्री ... डुमरियागंज (पश्चिम)
३७४—शिवराजबली सिंह, श्री .. खजुहा (पूर्व)–फतेहपुर (दक्षिण–पश्चिम)
३७५—शिवराज सिंह यादव, श्री ... बिसौली–गुन्नौर (पूर्व)
३७६—शिवराम पाण्डेय, श्री ... डोरीपुर (उत्तर)
३७७—शिवराम राय, श्री ... सदर (आजमगढ़) उत्तर
३७८—शिवबक्ष सिंह राठौर, श्री ... करहल (पूर्व)–भोगांव (दक्षिण)
३७९—शिववचन राव, श्री ... सलीमपुर (उत्तर)
३८०—शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री . बहराइच (पूर्व)
३८१—शिवस्वरूप सिंह, श्री ... ठाकुरद्वारा
३८२—शुकदेवप्रसाद, श्री ... महाराजगंज (दक्षिण)
३८३—शुगनचन्द, श्री ... रुड़की (पश्चिम)–सहारनपुर (उत्तर)
३८४—श्याममनोहर मिश्र, श्री ... मलिहाबाद–बाराबंकी (उत्तर–पश्चिम)
३८५—श्यामलाल, श्री ... उतरौला (उत्तर)
३८६—श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री ... नरैनी
३८७—श्रीचन्द, श्री ... बुढ़ाना (पश्चिम)
३८८—श्रीनाथ भार्गव, श्री ... मथुरा (उत्तर)
३८९—श्रीनाथराम, श्री ... मुहम्मदाबाद (उत्तर)–घोसी (दक्षिण)
३९०—श्रीनिवास, श्री ... उतरौली (उत्तर)
३९१—श्रीपति सहाय, श्री ... राठ
३९२—सईद जहां मखफी शेरवानी, श्रीमती .. कासगंज (पूर्व)–अलीगंज (उत्तर)
३९३—संग्राम सिंह, श्री ... सोरों (उत्तर)–फूलपुर (पश्चिम)

३९४—सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी, श्री ... सलीमपुर (पूर्व)
३९५—सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती ... गोंडा (पूर्व)
३९६—सत्यनारायण दत्त, श्री ... औरय्या—भरथना (दक्षिण)
३९७—सत्यसिंह राणा, श्री ... देवप्रयाग
३९८—सत्यानन्द श्री ... सगरी (पूर्व)
३९९—सफिया अब्दुल वाजिद, श्रीमती ... बरेली (पूर्व)
४००—सम्पूर्णानन्द, डाक्टर ... बनारस नगर (दक्षिण)
४०१—सावित्री देवी, श्रीमती ... मुसाफिरखाना (मध्य)
४०२—सियाराम गंगवार, श्री ... फर्रुखाबाद (मध्य)—कायमगंज (पूर्व)
४०३—सियाराम चौधरी, श्री ... कैसरगंज (मध्य)
४०४—सीताराम, डाक्टर ... देवरिया (दक्षिण-पश्चिम)—हाटा (दक्षिण-पश्चिम)
४०५—सीताराम शुक्ल, श्री ... हरैया (दक्षिण—पश्चिम)
४०६—सुखीराम भारतीय, श्री ... सिराथू—मंझनपुर
४०७—सुन्दरलाल, श्री ... आंवला (पूर्व)—फरीदपुर
४०८—सुरजूराम श्री ... सदर (आजमगढ़) (उत्तर)
४०९—सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री ... हमीरपुर—मौदहा (उत्तर)
४१०—सुरेशप्रकाश सिंह, श्री ... बिसवां—सिधौली (पूर्व)
४११—सुल्तान आलम खां, श्री ... कायमगंज (पश्चिम)
४१२—सूर्य्य प्रसाद अवस्थी, श्री ... कानपुर नगर (उत्तर)
४१३—सूर्य्यबली पाण्डेय, श्री .. हाटा (मध्य)
४१४—सेवाराम, श्री ... पुरवा (उत्तर)—हसनगंज
४१५—हबीबुर्रहमान अन्सारी, श्री ... सफीपुर—उन्नाव (उत्तर)
४१६—हबीबुर्रहमान आजमी, श्री ... मुहम्मदाबाद (उत्तर)—घोसी (दक्षिण)
४१७—हबीबुर्रहमान खां हकीम श्री ... शाहजहांपुर (मध्य)
४१८—हमीद खां, श्री ... कानपुर नगर (मध्य—पूर्व)
४१९—हरखयाल सिंह, श्री ... बागपत (पूर्व)
४२०—हरगोविन्द पन्त, श्री ... रानीखेत (दक्षिण)
४२१—हरगोविन्द सिंह, श्री ... जौनपुर (पूर्व)
४२२—हरदयाल सिंह पिपल, श्री ... हाथरस
४२३—हरदेव सिंह, श्री ... देवबन्द
४२४—हरसहाय गुप्त, श्री ... बिलारी
४२५—हरिप्रसाद, श्री ... बिसलपुर (मध्य)
४२६—हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री ... सीतापुर (उत्तर—पश्चिम)
४२७—हरिश्चन्द्र बाजपेयी, श्री ... लखनऊ (मध्य)
४२८—हरिसिंह, श्री ... हापुड़ (उत्तर)
४२९—हेमवतीनन्दन बहुगुना, श्री ... करछना (उत्तर)—चायल (दक्षिण)
४३०—होतीलाल दास, श्री ... एटा (दक्षिण)
४३१—[रिक्त] ... कैसरगंज (दक्षिण)

उत्तर प्रदेश विधान सभा
के
पदाधिकारी

श्री अध्यक्ष
श्री आत्माराम गोविन्द खेर, बी० ए०, एल-एल० बी०।

श्री उपाध्यक्ष
श्री हरगोविन्द पन्त, बी० ए०, एल-एल० बी०।

सचिव
श्री कैलासचन्द्र भटनागर, एम० ए०।

सहायक सचिव
श्री कृष्णबहादुर सक्सेना, बी० ए०।

विशेषाधिकारी
श्री राधेरमण सक्सेना, एम० ए०, एल-एल० बी०, डी० एल० ए०-सी०

अर्धाक्षक
श्री रामप्रकाश, बी० काम०, एल-एल० बी०।

श्री देवकी नन्दन मित्थल, एम० ए०, एल-एल० बी०

श्री भोलादत्त उपाध्याय।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, १५ दिसम्बर, १९५२

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३२८)

अक्षयवर सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतहर हुसैन ख्वाजा, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अमरेशचन्द्र पाण्डेय, श्री
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेद सिंह, श्री
उल्फत सिह चौहान निर्भय, श्री
कन्हैयालाल बाल्मीकि, श्री
कमला सिह, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
करन सिंह, श्री
कल्याण राय, श्री
कामता प्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
किन्दरलाल, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केवल सिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशव पाण्डेय, श्री
केशव राम, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गुप्तार सिह, श्री
गुरु प्रसाद पांडेय, श्री
गुरुप्रसाद सिह, श्री
गुलजार, श्री
गेंदा सिंह, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गोविन्द वल्लभ पन्त, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्याम दास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रपाल वाजपेयी, श्री
चन्द्र भानु शरण सिंह, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्र सिह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चरण सिह, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशसरन रस्तोगी, श्री
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथबख्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगपति सिंह, श्री

जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
जुगलकिशोर, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
ज्वालाप्रसाद सिन्हा, श्री
टीकाराम, श्री
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तुलसीराम, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजा सिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाताराम, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र प्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारका प्रसाद मित्तल, श्री
द्वारका प्रसाद मौर्य्य, श्री
द्वारिका प्रसाद पाण्डेय, श्री
धनुषधारी पाण्डेय, श्री
धर्म सिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थू सिंह, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाज़िम अली, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नारायणदीन, श्री

निरंजन सिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवान सिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनबिहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभुदयाल, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फ़तेह सिंह राणा, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बलदेव सिंह, श्री
बलदेव सिंह, आर्य, श्री
बलवीर सिंह, श्री
बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्त सिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बाबूलाल मीतल, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बिशम्भर सिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनी सिंह, श्री
बैजनाथ प्रसाद सिंह, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवती प्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
सिंह, खाती, श्री
सिंह यादव, श्री
मक़सूद आलम खां, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री

मथुरा प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महादेवप्रसाद, श्री
महाराज सिंह, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक़ अली खां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ़, श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद शाहिद फ़ाखरी, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहन सिंह, श्री
यमुना सिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथ प्रसाद, श्री
रघुराज सिंह, श्री
रघुवीर सिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रदत्त, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअधीन सिंह यादव, श्री
रामअवध सिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसाद सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पाण्डेय, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लताफत हुसेन, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फ अली खां, श्री

लेखराज सिंह, श्री
बंशनारायण सिंह, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बशिष्ट नारायण शर्मा, श्री
वसी नक़वी, श्री
वासुदेवप्रसाद मिश्र, श्री
विजय शंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्रविक्रम सिंह, श्री
वीरेन्द्र शाह, राजा
ब्रजभूषण मिश्र, श्री
ब्रजरानी मिश्र, श्रीमती
ब्रजवासीलाल, श्री
ब्रजविहारी मिश्र, श्री
ब्रजबिहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदान सिंह, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराज सिंह यादव, श्री
शिवराम पाण्डेय, श्री
शिवरामराय, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवशरण लाल श्रीवास्तव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुकदेवप्रसाद, श्री
शुगनचन्द्र, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथ राम, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सईदजहां मख़फ़ी शेरवानी, श्रीमती
संग्राम सिंह, श्री
सज्जन देवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायण दत्त, श्री
सत्य सिंह राणा, श्री
सत्यानन्द, श्री
सफिया अब्दुल वाजिद, श्रीमती
सावित्री देवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सीताराम, डाक्टर
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरलाल, श्री
सुरजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आजमी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरखयाल सिंह, श्री
हरगोविन्द सिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरि सिंह, श्री

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

लगान वसूली की तिथि

*१——श्री नागेश्वर द्विवेदी (जिला जौनपुर)——क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि इस वर्ष के लगान की वसूली कब से होने जा रही है ?

माल मंत्री के सभा सचिव (श्री द्वारका प्रसाद मौर्य)——प्रदेश भर के लिये वसूली की कोई एक तिथि नियत नहीं है। जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम के अन्तर्गत बनाई गई नियमावली के परिशिष्ट १ में प्रत्येक जिले की मालगुजारी वाजिब होने की तिथि नियत है और उन्हें निम्न तिथियों के अनुसार जिलों में वसूली होनी चाहिये। इस साल चूंकि पहला मौसम था और कर्मचारियों की नियुक्ति समय से नहीं हो सकी, अतः प्रदेश में मालगुजारी की वसूली का काम आम तौर पर १५ नवम्बर के बाद से ही चालू हो सका।

श्री नागेश्वर द्विवेदी——क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सारे प्रान्त में जमाबन्दी की तयारी का कार्य समाप्त हो गया है ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य——जी हां, जहां तक काश्तकारों की जमाबन्दी है वह पूरी बन चुकी है, मध्यवर्तियों की जमाबन्दी बन रही है।

श्री नागेश्वर द्विवेदी——क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सारे प्रान्त में वसूली की अन्य व्यवस्थाएं पूरी हो चुकी हैं ?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य——जी हां।

श्री नागेश्वर द्विवेदी——क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि माल-गुजारी के साथ साथ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के कर की भी वसूली होगी ?

माल मंत्री (श्री चरणसिंह)——जो लोग जितना अब तक अबवाब देते रहे हैं वे उतना देते रहेंगे।

श्री रमेशचन्द्र शर्मा (जिला जौनपुर)——क्या माननीय मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि कुछ जिलों में प्रधानों से भी लगान वसूली का काम लिया जा रहा है ?

श्री चरणसिंह——कोई २८२ गालिबन ग्राम पंचायतों की तादाद है जिनके जरिये मालगुजारी वसूल करने का इन्तजाम हो रहा है।

श्री रमेशचन्द्र शर्मा——क्या माननीय मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जौनपुर जिले में भी किसी ग्राम सभा से यह कार्य लिया जायगा ?

श्री चरणसिंह——इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

तारांकित प्रश्न

राज्य के मेकेनाइज्ड स्टेट फार्म्स

१——श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)——क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि इस प्रदेश में कितने मेकेनाइज्ड स्टेट फार्म्स (Mechanised State Farms) हैं और प्रदेश के किस किस जिले में स्थित हैं ?

कृषि उपमंत्री (श्री जगन प्रसाद रावत)—११ हैं । आवश्यक सूचना संलग्न सूची में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ७५ पर)

श्री नेकराम शर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने का कष्ट करेंगे कि यह स्टेट फार्म्स कब से चल रहे हैं?

श्री जगन प्रसाद रावत—ये स्टेट फार्म्स भिन्न भिन्न समय से चल रहे हैं। अगर किसी विशेष फार्म की बाबत आप जानना चाहें तो सूचना इकट्ठी की जा सकती है।

श्री नेकराम शर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने का कष्ट करेंगे कि यह बात सही है कि जितने स्टेट मेकनाइज्ड फार्म चल रहे हैं वे काफी घाटे पर चल रहे हैं?

श्री जगन प्रसाद रावत—यह बात सही नहीं है।

श्री बलवन्त सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इन मेकेनाइज्ड फार्म्स पर इम्प्लीमेंट्स का भी तजुर्बा होता है?

श्री जगन प्रसाद रावत—इन मेकेनाइज्ड फार्म्स पर इम्प्लीमेंट्स का भी तजुर्बा होता है।

श्री नेकराम शर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने का कष्ट करेंगे कि इन फार्म्स पर अब तक कितना खर्च हो चुका है?

श्री जगन प्रसाद रावत—अब तक कुल खर्चा जानने के लिये तो नोटिस की जरूरत पड़ेगी क्योंकि कोई फार्म बीस वर्ष से चल रहा है, कोई १५ वर्ष से चल रहा है। सब ब्योरा इकट्ठा करने के लिये कुछ समय की जरूरत होगी।

श्री बलवन्त सिंह—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जो ट्रैक्टर वहां पर इस्तेमाल होते हैं उनके अनुभव के आधार पर वे वहां पर मिडिल साइज के किसानों के लिये कौन से ट्रैक्टर उपयुक्त समझे गये हैं?

श्री जगन प्रसाद रावत—वहां पर जो ट्रैक्टर्स इस्तेमाल होते हैं वे काफी क्षेत्रफल के लिये होते हैं। किसानों के लिये जिनके पास थोड़ी थोड़ी जमीन होती है दूसरे ट्रैक्टरों की जरूरत होती है। इसके लिये कि कौन से ट्रैक्टर की जरूरत पड़ेगी यह तो एक लम्बा सवाल है और इसके लिये नोटिस की जरूरत पड़ेगी।

रोडवेज को स्वतंत्र संस्था बनाने की योजना तथा क्षेत्रीय यातायात परामर्शदात्री समितियों की स्थापना

*२—श्री रमेश वर्मा (जिला आगरा)—क्या परिवहन मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेशीय रोडवेज विभाग को एक स्वतंत्र संस्था (Autonomous Body) बनाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है?

परिवहन मंत्री (श्री विचित्र नारायण शर्मा)—जी नहीं, ऐसी किसी योजना पर विचार नहीं हो रहा है।

*३—श्री रमेश वर्मा—क्या परिवहन मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि रोडवेज विभाग के किन क्षेत्रों में क्षेत्रीय यातायात परामर्शदात्री समितियां (Regional Transport Advisory Committees) स्थापित हो चुकी हैं?

श्री विचित्र नारायण शर्मा---सभी रीजनों में कमेटियां कायम कर दी गई हैं।

श्री रमेश वर्मा---इन क्षेत्रीय कमेटियों की स्थापना कब से हुई है ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा---इस सिलसिले में १४ नवम्बर को नोटीफिकेशन हुआ और १५ दिसम्बर, १९५२ ई० से कमेटियां कार्य करेंगी।

श्री रमेश वर्मा---कमेटियों का चुनाव सरकार ने किन्हीं नियमों के आधार पर किया है, यदि हां, तो वे आधार क्या हैं ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा--नियम कोई खास नहीं है, कोशिश यह की गई है कि सब किस्म की ओपीनियन इसमें रिप्रेजेंट हो सके।

श्री मदन मोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि अपोजीशन पार्टी के भी कोई मेम्बरान इन कमेटियों में रखे गये हैं ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा--कोशिश काफी की गई कि हर एक रीजन में कम से कम एक आदमी अपोजीशन पार्टी का लिया जाय और वह रखा गया है।

श्री हरि सिंह (जिला मेरठ)--क्या माननीय मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि रीजनल ट्रान्सपोर्ट कमेटी में कितने सदस्य होते हैं ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा--आम तौर से १० होते हैं।

श्री हरि सिंह---क्या इन मेम्बरों में कोई परिगणित जाति के सदस्य भी हैं ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा---मुझे इल्म नहीं कि उनमें कोई आदमी परिगणित जाति के हैं लेकिन इस दृष्टि से नियुक्ति करते वक्त कोई ख्याल नहीं रखा गया है।

*४-५---श्री ताराचन्द माहेश्वरी (जिला सीतापुर) (अनुपस्थित)--[देखिये आगे पृष्ठ १०-११ पर।]

*६-८---श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--[८ जनवरी, १९५३ के लिए संख्या १-३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

जूट की उत्पत्ति तथा खपत

*९--श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)---क्या कृषि मंत्री कृपा करके बतलायेंगे कि उत्तर प्रदेश में जूट उत्पन्न करने के लिए कितने और कहां कहां केन्द्र हैं और इस वर्ष कितनी उत्पत्ति होने की आशा है ?

श्री जगन प्रसाद रावत--उत्तर प्रदेश में जूट उत्पादन करने के ७० केन्द्र हैं जिनके नाम संलग्न सूची संख्या १ में दिये हैं। इस वर्ष लगभग ८ लाख मन जूट रेशा उत्पन्न होने की सम्भावना है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ७६ पर)

श्री गेंदा सिंह--क्या माननीय कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यह जूट केन्द्र किस उद्देश्य से खोले गये हैं ?

श्री जगन प्रसाद रावत--यह जूट केन्द्र इस उद्देश्य से खोले गये हैं कि जूट की पैदावार को बढ़ाया जाय।

श्री गेंदा सिंह--यह जूट कहां की बाजारों में बिकता है?

श्री जगन प्रसाद रावत--यह कुछ तो जो यू० पी० में जूट मिलें हैं उनमें जाता है और कलकत्ता की जूट मिलों के लिये, कलकत्ता के व्यापारी यहां से जूट खरीद ले जाते हैं।

श्री गेंदा सिंह--क्या माननीय कृषि मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि कितना यहां के प्रदेश की मिलों में जाता है और कितना बाहर जाता है?

श्री जगनप्रसाद रावत--करीब करीब आधे से ज्यादा की खपत यहां हो जाती है और बाकी कलकत्ता जाता है।

*१०--श्री गेंदा सिंह--पिछले तीन वर्षों से किन किन केन्द्रों पर कितनी कीमत का जूट उत्पन्न हुआ और इस वर्ष कितनी कीमत का उत्पन्न होने की संभावना की गयी है?

श्री जगन प्रसाद रावत--हल्केवाराना उत्पत्ति तथा कीमत विवरण पत्र संख्या में दी गई है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ७९ पर)

*११--श्री गेंदा सिंह--पिछले वर्षों में जूट की कीमत की क्या दर थी और इस वर्ष में क्या है?

श्री जगन प्रसाद रावत--सन् १९०८ से १९५१ तथा इस वर्ष की जूट की दरें संलग्न विवरण पत्र ३ में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ८० पर)

माधोगढ़ क्षेत्र (जालौन) में अति वृष्टि से उत्पन्न क्षति की पूर्ति

*१२--राजा वीरेन्द्र शाह (जिला जालौन)--क्या सरकार को यह मालूम है कि जिला जालौन की तहसील जालौन के माधोगढ़ क्षेत्र में पिछले वर्षा काल में कई दिन लगातार भीषण वर्षा होने के कारण आस पास के लगभग ५० ग्रामों में पानी भर गया, खरीफ की फसल नष्ट हो गयी और मकान गिर गये?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--जी हां, परन्तु अति वर्षा के कारण हानि केवल ४२ गांवों को ही हुई।

*१३--राजा वीरेन्द्रशाह--यदि हां, तो क्या सरकार इन दुखी लोगों की सहायता करने के लिये उन की खरीफ की मालगुजारी माफ करेगी, और उनको मकान फिर से बनाये जाने के लिये सीमेंट और टीन तथा फसल बोने के लिये बीज और मवेशियों के लिये चारे का प्रबन्ध शीघ्र करेगी?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--उक्त ग्रामों के पीड़ित लोगों के लिये निम्नलिखित सहायता दी गई या दी जा रही है--

१--मालगुजारी को स्थगित करने की कार्यवाही ४० गांवों में हो रही है और नक्शे तैयार किये जा रहे हैं।

२—मकान बनाने के लिये ११३१ बोरी सीमेंट बांटी गई है, और लोहे तथा टीन की चादरें बांटी जा रही है।

३—१४,७५० मन बीज तथा रु० २५,०००, नकद तकावी दी गई।

४—१,००० रु० अनुदान के रूप में बांटा गया।

५—मवेशियों के चारे के लिये आस पास के ग्रामों से प्रबन्ध किया गया।

राजा वीरेन्द्रशाह—क्या सरकार कृपा कर के बतायेगी कि इस सहायता को पाने के बाद वहा के लोगो ने फिर प्रार्थना की है कि यह सहायता काफी नहीं है इसलिये और सहायता बढ़ायी जाय?

श्री चरणसिंह—गवर्नमेंट के पास ऐसी कोई खबर नहीं आयी है।

राजा वीरेन्द्रशाह—क्या सरकार इस बात की जांच करायेगी कि इस क्षेत्र में जो सहायता सरकार ने दी है वह नुकसान को देखते हुये काफी है या वहां के लोगो की दरख्वास्त और अधिक सहायता के लिये जिला मेजिस्ट्रेट के पास है?

श्री चरणसिंह—सरकार ऐसी तहकीकात कराना गैरमुनासिब समझती है।

राजा वीरेन्द्रशाह—क्या सरकार को यह भी मालूम है कि इस क्षेत्र मे १९४९–५० मे भी इस तरह की वर्षा के कारण नुकसान हुआ था और उस समय जो सहायता सरकार ने दी थी वह इसमे कही अधिक थी?

श्री चरणसिंह—सन् १९४९–५० के मुताल्लिक इस तफसील से कोई इल्म नहीं है।

१४—श्री नेकराम शर्मा—[१२ जनवरी, १९५३ के लिये स्थगित किया गया।]

दसगुना लगान अदा कर चुकने वालों से पूरे लगान की वसूली

१५—श्री नेकराम शर्मा—क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि भूमिधरी के संबंध मे जिन काश्तकारो से १० गुना वसूल कर लिया गया है उनसे भी पूरा लगान वसूल किया जा रहा है? यदि हां, तो क्यो?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—जी नहीं।

श्री नेकराम शर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि यह सही है कि कुछ लोकल बाडीज एरिया मे किसानों से दसगुना वसूल कर लिया गया है?

श्री चरण सिंह—जी हा, यह सही है।

श्री नेकराम शर्मा—तो क्या उस एरिया मे अब भी सरकार उनसे पूरा लगान वसूल कर रही है?

श्री चरण सिंह—बहुत थोड़े ऐसे लोकल बाडीज के लोग थे जिन्होने दसगुना जमा किया लेकिन वह गलती से जमा किया। वे लोग अपना रुपया वापस पाने के हकदार है और उनकी लगान देने की जिम्मेदारी वही है जो लगान वे पहले से देते आते थे क्योंकि उनकी लिमिट्स के अन्दर जमींदारी एबालिशन ऐक्ट लागू नही हुआ है।

श्री नेकराम शर्मा—क्या माननीय मंत्री जी यह जो नगर क्षेत्र जमींदारी विनाशक विधेयक आ रहा है उसके आने तक उसको स्थगित करने पर विचार कर रहे हैं?

श्री चरण सिंह---जी नहीं। क्योंकि यह जो दूसरा विधेयक आ रहा है उसके अधीन किसी को भूमिधर वगैरह बनने का अधिकार नहीं होगा।

श्री बलवन्त सिंह---क्या सरकार को यह मालूम है कि बहुत से ऐसे किसान हैं जिन्होंने दसगुना भी दे दिया है मगर उनको सनदें नहीं मिलीं और उनसे लगान भी पूरा वसूल किया जा रहा है?

श्री चरण सिंह---ऐसे कुछ किसान हैं लेकिन उनकी तादाद बहुत कम है और उनके हक के मुताल्लिक कोई झगड़ा होगा इसलिये उनको सनदें नहीं मिलीं और पहला लगान देने की जिम्मेदारी उनकी क़ायम है।

श्री बलवन्त सिंह---क्या सरकार हर जिले मे इस प्रकार के आर्डर्स जारी करेगी कि जिन किसानों ने दसगुना दे दिया है या तो उनको सनदे मिल जायं या उनका रुपया वापस कर दिया जाय और इसके लिये कोई समय निश्चित कर देगी?

श्री चरण सिंह---जिन लोगों को ऐसी सनद पाने का अधिकार नहीं था और उनको सनदें नहीं मिली हे वे कानूनन अपना रुपया वापस ले सकते है।

राजा वीरेन्द्रशाह---क्या सरकार इस बात को उचित समझती है कि काश्तकारों का रुपया जो भूमिधरी मे जमा है उनको सनदे न देकर जो रुपया उनको वापस किया जा रहा है तो क्या सरकार उनको सूद देगी?

श्री चरण सिंह---मैने यह अर्ज किया कि जिन लोगों को अधिकार नहीं हे और सनद नहीं मिली हे वह खुद अपना रुपया पाने के मुस्तहक है।

कानपुर क्षेत्र में राजनीतिक पीड़ितों को पब्लिक कैरियर के परमिट

*१६---श्री गजेन्द्र सिंह (जिला इटावा)---क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि २० जून, सन् १९४९ से अब तक कितने राजनैतिक पीड़ितों ने पब्लिक कैरियर के परमिट हासिल करने के लिये कानपुर रीजन में दरख्वास्तें दीं? कितनों को परमिट दिये गये? कितनों को नही?

श्री विचित्र नारायण शर्मा---इस प्रश्न के संबंध मे आवश्यक सूचना इकट्ठा करने में जितनी मेहनत और समय का व्यय होगा उतने लाभ होने की संभावना नहीं है। सन् १९५० ई० में जबसे हाई कोर्ट ने फैसला कर दिया है कि आर० टी० ए० व एस० टी० ए० सेमी ज्यूडिशियल बाडीज (semi-Judicial Bodies) है सरकार परमिट के मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करती है। परमिट देना या न देना आर० टी० ए० या एस० टी० ए० के अधीन है और वे उसका फैसला करती है। राजनैतिक पीड़ित होने का कोई ख्याल नहीं रखा जाता है।

सिधौली (जिला सीतापुर) में बस स्टेशन की आवश्यकता

*४---श्री ताराचन्द माहेश्वरी (अनुपस्थित)---क्या यह सत्य है कि सिधौली, जिला सीतापुर में बस स्टेशन बनाने के निमित्त जगह प्राप्त कर ली गयी है? यदि हां तो बस स्टेशन कब तक बन जाने की आशा है?

श्री विचित्र नारायण शर्मा---जी नहीं।

५--श्री ताराचन्द माहेश्वरी (अनुपस्थित)--क्या बस स्टेशनों के बनाने के लिये टेंडर आमंत्रित किये जाते हैं ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा--जी हां।

अतारांकित प्रश्न

१-२--श्री नेकराम शर्मा--[१२ जनवरी, १९५३ के लिये स्थगित किये गये।]

राज्य में उत्पन्न जूट का मूल्य

३--श्री राजवंशी (जिला देवरिया)--क्या कृषि मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश का जूट बाजार में जंगली नाम से पुकारा जाता है और इस वजह से दूसरे स्थान के जूटों के मुकाबिले में कीमत में भारी कमी हो जाती है ?

श्री चरण सिंह--सन् १९४८ तक उत्तर प्रदेश का जूट जंगली जूट के नाम से पुकारा जाता था। परन्तु १९५२ से, जब से कि जूट विकास योजना प्रारम्भ हुई है, जंगली शब्द का प्रयोग बहुत कम हो गया है। इस प्रदेश के जूट के लिये जंगली शब्द के प्रयोग से इसकी कीमत में कोई खास कमी नहीं होती है।

४--श्री राजवंशी--सरकार ने जूट उत्पादन को बढ़ाने और उचित कीमत दिलाने के लिये अब तक क्या किया है और आगे क्या करने का इरादा रखती है ?

श्री चरण सिंह--जूट योजना जो कि सन् १९४८ में ६ जिलों में प्रारम्भ की गयी थी इस समय १९ जिलों में कार्यान्वित की जा रही है। इसके अन्तर्गत जूट का रकबा ५,००० एकड़ से १,२५,००० एकड़ हो गया है। इस योजना के अन्तर्गत किसानों को बीज तथा खाद रियायती दरों पर दी जाती है।

सरकार ने इस बात का ध्यान रखते हुये कि किसानों को सही कीमत मिले, प्रान्तीय मिलों की सहमति से दर निर्धारित कर दिये थे और भाव लगभग इन्हीं दरों के अनुसार रहा।

अगले सप्ताह का कार्यक्रम

श्री अध्यक्ष--अब में माननीय नेता सदन से प्रार्थना करूंगा कि वह सदन को बतलाये कि अगले हफ्ते का क्या कार्यक्रम होगा।

गृह मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)--श्रीमन्, इस अगले हफ्ते के लिये तो जो कार्य क्रम एजेंडे में लिखा हुआ है वही इतना काफी है कि इसके सिवाय किसी और कार्यक्रम के लिये शायद जगह ही नहीं होगी।

पुलिस (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५२

श्री अध्यक्ष--मैं घोषणा करता हूं कि पुलिस (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक १९५२ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी २९ अगस्त, १९५२ की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद ने अपनी २२ सितम्बर, १९५२ की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति की अनुमति १४ नवम्बर, १९५२ को प्राप्त हो गई और वह सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश का ३२ वां अधिनियम बन गया।

इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कोर्ट के एक रिक्त स्थान की पूर्ति के लिये एक सदस्य के निर्वाचन का प्रस्ताव

शिक्षा मंत्री के सभा सचिव (डाक्टर सीताराम)——अध्यक्ष महोदय, मै आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन, जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष निश्चित करें, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कोर्ट में श्री जहीरुल हसनैन लारी के विधान सभा के सदस्य न रहने के कारण रिक्त स्थान की पूर्ति के लिये एक सदस्य निर्वाचित करे।

श्री अध्यक्ष——प्रश्न यह है कि यह सदन, जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष निश्चित करें, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कोर्ट मे श्री जहीरुल हसनैन लारी के विधान सभा के सदस्य न रहने के कारण रिक्त स्थान की पूर्ति के लिये एक सदस्य निर्वाचित करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष——इसके अनुसार मै यह कार्यक्रम निश्चित करता हूं कि नाम निर्देशन-पत्र प्राप्त करने की तिथि तथा समय १८ दिसम्बर, १९५२ को एक बजे तक, नाम निर्देशन-पत्रों की सूक्ष्म परीक्षा १८ दिसम्बर, १९५२ को २ बजे तक तथा नाम वापस लेने की तिथि व समय १९ दिसम्बर, १९५२ को २ बजे दिन तक। निर्वाचन यदि आवश्यक हुआ तो उसकी तिथि तथा समय बाद में सूचित किया जायगा।

*उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (संशोधन) विधेयक, १९५२

**खंड ५ (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष——अब उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (संशोधन) विधेयक, १९५२ ई० पर, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद द्वारा पारित हुआ है, विचार जारी रहेगा।

राजा वीरेन्द्र शाह (जिला जालौन)——माननीय अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन भवन के सामने पेश है.........

स्वशासन मंत्री (श्री मोहनलाल गौतम)——यदि आप उचित समझे कि इस संबंध में जो और संशोधन हैं स्त्रियों के रिजर्वेशन के सिलसिले में वे अगर इकट्ठे ले लिये जायं और उन पर एक साथ बहस हो जाय तो अच्छा होगा, वोटिंग उन पर अलग-अलग हो जायगी।

श्री अध्यक्ष——वह तो मैंने ले लिये हैं। श्रीमती सज्जन देवी से भी कह दिया था और उन्होंने अपनी राय भी दे दी थी।

श्री मोहनलाल गौतम——इसी तरह से श्री शिवकुमार शर्मा का संशोधन २८ नम्बर पर है।

श्री अध्यक्ष——और कौन-कौन हैं ?

श्री मोहनलाल गौतम——सिर्फ श्री शिवकुमार शर्मा ही का है।

श्री अध्यक्ष——तो मैं माननीय वीरेन्द्र शाह जी के बाद श्री शिवकुमार शर्मा को बुला लूंगा। अगर वह पेश करना चाहेंगे तो पेश कर देंगे।

राजा वीरेन्द्र शाह——श्रीमान् इस संशोधन के संबंध में मुझे यह कहना है कि जब सरकार शेड्यूल्ड कास्ट के लिये रिजर्वेशन रखना जरूरी समझती है तो मैं यह समझता हूं कि यह उचित है कि औरतों के लिये भी रिजर्वेशन होना चाहिये। क्योंकि अभी हमारे

---

* २ दिसम्बर, १९५२ की कार्यवाही मे छपा है

* ११ दिसम्बर, १९५२ की कार्यवाही मे छपा है ।

भारतवर्ष मे, मुझे बहुत अदब से यह कहना ह, कि औरते इतनी शिक्षित नही है कि वह जनरल इलेक्शन से आ सकें, इसलिये उनका रिजर्वेशन होना सरकार को उचित समझना चाहिये और इसको भी देखते हुये कि सेंटर और यहां की सरकार औरतो की उन्नति करना चाहती है और हिन्दू कोड बिल और इस तरह के दूसरे बिल लाने को तयार है तो हम यह नही समझते कि म्युनिसिपिल बोर्ड मे क्यो सरकार रिजर्वेशन से हटती है, यह मेरी समझ मे नही आता। म तो मंत्री जी से कहूंगा कि जहा वह इतने उदार ह, वह इस बात को समझते है कि शेड्यूल कास्ट के लिये दस साल के लिये रिजर्वेशन कान्स्टीट्यूशन मे रखा है, इसी तरह से अगर स्टेट ऐक्ट्स मे जहां-जहां जरूरी समझा जाय और औरतो को भी आगे बढाने के लिये उनको रिजर्वेशन दिया जाय तो बहुत बेहतर होगा। इन शब्दो के साथ मै इस संशोधन का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि मंत्री जी इस संशोधन को स्वीकार करेगे।

श्री शिवकुमार शर्मा (जिला बिजनौर)--माननीय अध्यक्ष महोदय, म अपने प्रस्ताव को पेश नही करना चाहता।

श्री मदन मोहन उपाध्याय (जिला अल्मोडा)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा दुख है कि आज इस सदन से मेरे इस संशोधन पर बोलने वाले बहुत कम लोग निकले। म यह आशा करता था कि हमारी महिलाओ के काज को हमारे और भी माननीय सदस्य इस सदन के सामने रक्खेगे। लेकिन कोई ज्यादा बोलने वाले लोग नही निकले इसलिये मुझे ही बहुत जोरदार शब्दो मे इस संशोधन पर कुछ कहना ह।

श्री मोहनलाल गौतम--आन ए प्वाइंट आफ आर्डर (विधान का प्रश्न ह) राइट आफ रिप्लाई मे कोई नई बात कहना ठीक नही है जबकि कोई बात नही कही गई।

अध्यक्ष--यह तो आप सुन लीजिये कि आगे क्या आता ह।

श्री मदन मोहन उपाध्याय--माननीय वीरेन्द्र शाह जी ने इसीलिये हक देने के बारे मे कहा, उसी को म फिर जोरदार शब्दो मे कहना चाहता हू। हमारे विधान मे उस दिन जो बहस चली थी तो माननीय मत्री जी ने कहा था कि इसमे एक वैधानिक अड़चन भी है जिसकी वजह से महिलाओ को हम कुछ सीट्स म्युनिसिपलिटीज मे नही दे सकते ह। सविधान मे सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी महिलाओ को पुरुषो के साथ अधिकार मिला है। हमारे संविधान का मंशा यह था और होगा कि जहां पर जिस काम के लिये कोई महिला उपयोगी हो सकती है वहां उनको सब से ज्यादा प्रतिनिधित्व दिया जाय। अगर यह मन्शा नही होता तो जसा कि हमारे यहा लखनऊ मे क्वीन्स मेरी होस्पिटल है वहां पर बराबर का भाग दिया जाता। वहां पर ऐसा होना चाहिये था कि आधे मर्द हो और आधी महिला हो। लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है कि सविधान का मन्शा सिर्फ यह था कि जिस काम के लिये जो उपयुक्त होगा उसको वही काम दिया जायगा। यह उद्देश्य सविधान का है। मै यह समझता हूं कि म्युनिसिपैलिटीज के काम मे जितनी सहायता हमारी महिलाये कर सकती है उतनी मर्द नही कर सकते ह। तो म यह चाहता था कि जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा कि जब चुनाव का मौका आ जाता है तो आप खड़े हो जाते है। मै तो यह समझता था कि जिस पद पर माननीय मंत्री जी विराजमान ह उस पर अगर आज कोई महिला होती तो शायद हमारे प्रान्त की म्युनिसिपेलिटीज का प्रबन्ध कहीं ज्यादा अच्छा होता। मै यह समझता हूं कि अनुभव के तौर पर श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित ने हमारे प्रान्त मे एक प्रिसिडेंट कायम किया था और बहुत अच्छी तरह से इस विभाग को चलाया था। लेकिन आज यह बात नही है कि हमारे इस सदन मे कोई महिला सदस्य नही हो जो इस भार को उठा न सके। लेकिन जब चुनाव लड़ा जाता है तो उस समय हमारी महिलाओं को कहा जाता है कि आप ही सब कुछ है और आप के बल पर ही देश आगे बढ़ सकता है लेकिन

[श्री मदन मोहन उपाध्याय]

उसके बाद उनको भुला दिया जाता है। मैं तो यह चाहता हूं कि प्रान्त में कुछ आइडियल म्युनिसिपैलिटी को छांटा जाय कि जहां पर महिला ही महिला सदस्य हों और एक ऐसी हो जहां पर पुरुष ही पुरुष हों और एक ऐसी छांटी जायं जहां पर आधे पुरुष हों और आधी महिला हों फिर आप देखें कि सब से अच्छा प्रबन्ध किस म्युनिसिपैलिटी का होता है। म्युनिसिपैलिटीज के अन्दर जो हमारे पुरुष होते हैं उनको तो भांति-भांति के काम लगे रहते हैं। किसी को अपने बिजनेस का काम होता है और किसी को दूसरा काम लगा रहता है और वह इस काम को पार्ट टाइम काम समझते हैं। हमारी महिलाओं के सामने यह बात नहीं रहती है। उनको तो म्युनिसिपैलिटीज का काम छोड़कर दूसरा काम नहीं रहेगा। जैसे शिक्षा का काम है, सफाई का काम है और जितना सोशल सर्विस का काम है या कहीं पर चन्दा इकट्ठा करना होता है तो उसको महिलायें बहुत अच्छी तरह से कर सकती हैं क्योंकि उनको कोई बिजनेस या नौकरी का काम नहीं रहता है। अगर प्रान्त के अन्दर किसी चीज की मांग होती है तो उसके लिये महिलाओं को आगे किया जाता है और उनको कोई इन्कार नहीं करता है। इसलिये मैं यह समझता हूं कि म्युनिसिपैलिटी के अन्दर महिलाओं के होने की बहुत आवश्यकता है। यह कहना कि महिलाओं को पूरा अधिकार है और वह किसी भी चुनाव के लिये खड़ी हो सकती है इसमें कोई सचाई नहीं मालूम होती है। जब हमारे प्रान्त मे चुनाव हुआ तो सबको खड़ा होने का अधिकार था लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि ४३१ मेम्बरों में सिर्फ यहां पर ११ महिलायें ही आई हैं। श्रीमन्, अगर इन ४३१ मेम्बरों में से ११ महिलाओं को निकाल दिया जाय तो फिर हम लोग ४२० ही यहां पर रह जाते हैं। इसी प्रकार से हमारे हरिजन भाई हैं जब तक उनका प्रान्त की असेम्बली में इतना प्रतिनिधित्व नहीं था तो बहुत कम लोग आते थे। जब उनको रिजर्वेशन आफ सीट्स मिला तभी आज यहां ८७ हरिजन भाई इस सदन में हैं। इसी तरह से म्युनिसिपैलिटी में भी हम कुछ कोटा स्त्रियों के लिये मुकर्रर कर दे तो शहरों में पढ़ी-लिखी महिलायें मिलना कठिन नहीं हैं और अब ज्यादा दिन तक उन से यह उम्मीद करना कि वह चुपचाप बैठी रहेंगी, गलत साबित होगा। अमरीका मे १२ साल तक के बच्चों की शिक्षा केवल औरतों के ही हाथ में है और वहां की काउन्टी काउन्सिलस में ज्यादातर औरतें ही हैं। तो फिर क्या कारण है कि हमारे प्रान्त में जहां औरतें काफी तादाद में हैं वहां उनको कोई स्पेशल रिजर्वेशन नहीं दिया जाता है? इसकी कोई खास वजह नहीं मालूम होती है। अध्यक्ष महोदय, आदमी कुछ नेचर से ही गिडी होता है, कोट कहीं पड़ा,है कपड़े कहीं पड़े हैं, धोती कही है, जूते कहीं पड़े हैं, माननीय मंत्री महोदय को भी तजुर्बा होगा कि वह औरतें ही है जो सब चीजें घर में ठीक ठाक करती हैं। वह बाई नेचर बहुत एकनामिक होती हैं और इंतजाम करने वाली होती है। हम लोग चाहे सौदा महंगा लावें लेकिन वह सस्ता देख कर लाती है और म्युनिसिपैलिटी में इन्हीं क्वालिफि-केशन्स की जरूरत है। अगर हम सचमुच चाहते हैं कि औरतें भी तरक्की करें और हमारी म्युनिसिपैलिटीज भी तरक्की करें और महिलाओं और बच्चों की भलाई हो, वह तन्दुरुस्त रहें तो हमें अपनी महिलाओं को म्युनिसिपैलिटी में स्पेशल प्रतिनिधित्व देना चाहिये और कोई तरीका उनको म्युनिसिपैलिटीज में लाने का नहीं है। मै तो और कुछ बातें भी कहता लेकिन उधर से किसी ने इस बारे में कुछ कहा ही नहीं, न विरोध किया और न माननीय मंत्री जी ही कुछ बतलाते हैं उनका चुप रहना भी कुछ तकलीफदेह सा हो रहा है लेकिन चूंकि विरोध नहीं हुआ है इसलिये मुझे आशा है कि माननीय मंत्री महोदय मेरे इस संशोधन को मान लेंगे और हमारी महिलाओं को म्युनिसिपैलिटीज में स्पेशल प्रतिनिधित्व देंगे।

श्री मोहनलाल गौतम—अध्यक्ष महोदय, इस संशोधन को पेश करने वाले को बड़ी हैरत हुई कि किसी ने इस का समर्थन या विरोध नहीं किया या कोई बोला ही नहीं। मेरे ख्याल में इस का उत्तर वह स्वयं अपने भाषण में दे चुके हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि बड़े हैन्डपेक्ड हैं स्त्रियों के बड़े असर में रहते हैं और यह भी पता नहीं कि सुबह को रात को हर

वक्त उनसे कहा जाता हो कि इस प्रकार से स्त्रियों के लिये हाउस मे व्याख्यान देना और यह भी नहीं मालूम कि वह महिला गेलरी मे बैठ गई होगी और मुमकिन है कि वह प्लेइंग टु दि गैलरी कर रहे हो। तो अगर उनकी जैसी पोजीशन मे दूसरे मेम्बर न हो और वह इस प्रकार न बोले . . . . . . ।

अध्यक्ष--म समझता हूं कि माननीय उपाध्याय जी इसको आफ़स तो नही लेगे।

श्री मदनमोहन उपाध्याय--बिलकुल नही।

श्री मोहनलाल गौतम--मने तो उन्हीके अल्फाज को पेराफ़ेज किया ह, कोई नई बात नही कही है।

प्रश्न यह है कि स्त्रियो के लिये कुछ रिजर्वेशन हो। जसा कि मने किसी और अवसर पर निवेदन किया था कि हमारा जो विधान बना है उस की स्प्रिट के यह विरुद्ध होगा किसी को भी सिवा शिड्यूल्डकास्ट्स के, उन को भी दस साल तक, कोई रिजर्वेशन दिया जाय। उनको भी दस साल के बाद न रहे यह सविधान कहता है। एडल्ट फ्रेन्चाइज के बाद सब को अपनी काबिलियत पर ही भरोसा कर के इस मैदान मे आना चाहिये।

जब तक वोटिंग पावर थोड़े लोगों के हाथो मे थी तब तक यह सवाल हुआ करता था लेकिन आज इस तरह का प्रश्न जितना कम उठाया जाय उतनी ही डैमोक्रेसी अच्छी चलेगी, ऐसा इस विधान की रूह को म देखता हूं। इसलिये जब-जब रिजर्वेशन की बात उठाई जाती है उसमे दिक्कते आ जाती है। शायद यह भी कहा जाय कि रिजर्वेशन स्त्रियों का उतना हो जितनी कि उनकी संख्या है और कई जगह हो सकता है कि ५० फ़ीसदी से उनकी संख्या अधिक हो। इस तरह की कई चीजे इस सिलसिले मे कही जा रही है। यह तो बहस है नहीं कि स्त्रियां बहुत अच्छा काम करती ह। यह भी ठीक है कि घर मे जाकर जब हम कोट इधर फेक देते है और टोपी उधर फेक देते है तो वे हमारे सामान को ठीक करती है और यह भी हो सकता है कि जब हमारा स्वभाव जरा तितरबितर होने लगता है या इधर-उधर होने लगता हो तो उसे भी वे ठीक करदे। ये सब चीजे हो सकती ह और इनमे किसी मतभेद की गुंजाइश नहीं है। बहुत से कामो को स्त्रियां पुरुष के बनिस्बत अच्छे तरह से कर सकती ह और यह भी ठीक है कि कुछ काम पुरुष भी अच्छे तरीके से कर सकते है बनिस्बत स्त्रियों के क्योकि म फौज मे शायद अभी तैयार नहीं हूं स्त्रियों के भेजे जाने के लिये। यदि ये चीजे होती ह तो यह भी हो सकता है कि कुछ सीटे पुरुषों के लिये रिजर्व करदी जावे। क्यों नही यह रखा जाय कि म्युनीसिपैलिटीज मे केवल स्त्रियां ही स्त्रियां जा सके और सिर्फ रिप्रेजटेशन के लिये २-४ सीटे पुरुषों के लिये रिजर्व करदी जावे?

श्री मदन मोहन उपाध्याय--आप कहां जाने देते ह, उन्हे ?

श्री मोहनलाल गौतम--यह ठीक है, मे नहीं जाने देता। तो म तो कुछ इकट्ठा करके, आप देखते ह कि, कुछ चुनवा भी लाया हूं लेकिन मेरे कहने वाले दोस्त बतावे कि उन्होने कितनी स्त्रियां खड़ी की थीं और कितनी को चुनवाकर लाये। आपने किसी सेफ़ सीट से किसी स्त्री को खड़ा नहीं किया। जहां से ये १८,-१९ सदस्य खड़े हुये यदि वहां से कोई स्त्री खड़ी की जाती तो मेरा विश्वास है कि वह जरूर चुनकर आ जाती। लेकिन जहां कमजोर सीटे थी उनको केवल वहीं खड़ा किया गया। इसका नतीजा यह हुआ कि उनकी पार्टी से एक भी स्त्री चुनकर नहीं आई और फिर उसका दोष हमारे ऊपर देते है। यदि आज के विधान मे आप स्त्रियों को रिजर्वेशन देगे तो रिजर्वेशन का कहां अन्त होगा, इसका पता नहीं। इस तरह के भी अमेंडमेंट आये कि एजूकेशन, इंडस्ट्री, लेबर और दूसरे के लिये रिजर्वेशन रखा जाय। फिर और इंटरेस्ट्स भी कहने

[श्री मोहनलाल गौतम]

लगे कि हमारे लिये भी रिजरवेशन हो। तो सबसे सरल और सीधा रास्ता यही है कि स्त्रियों का मामला पोलीटीकल पार्टीज के ऊपर ही छोड़ दिया जाय। जीतती या हारती तो पार्टी है न कि स्त्री या पुरुष। जहां जिस पार्टी का जोर होता है वहां वह चाहे स्त्री खड़ा करे या पुरुष वह जीतेगा। असल बात यह है कि हम कितनी स्त्रियां खड़ी करते हैं। यदि काफी संख्या में स्त्रियां खड़ी की जावें तो मेरा विश्वास है कि वे काफी संख्या में आजावें। केवल पैट्रोनाइज करने के लिये यह बात दिखाना उचित नहीं है। उनका बराबर का हक़ बना रहता है जहां स्त्रियों में जितनी काबिलियत होगी वहां उतनी स्त्रियां आ जायेंगी किसी शहर में ज्यादा स्त्रियां भी आ सकती हैं। रिजर्वेशन से यह हो जायगा कि "दस फार ऐण्ड नो फर्दर" यानी अगर ३ सीट रिजर्व की गई हैं तो ३ से ज्यादा नहीं ली जायेंगी। और बाकी सीट्स के लिये पुरुष ही खड़े किये जायेंगे। जब कि आजकल स्त्रियां अपने अधिकारों को पाने के लिये आन्दोलन कर रही हैं तब यह बहुत दिनों तक नहीं हो सकता कि पोलीटिकल पार्टीज स्त्रियों के अधिकारों की उपेक्षा कर सकें। इसलिये बिना रिजर्वेशन के ही स्त्रियों की अधिक उन्नति हो सकती है और वे अधिक अधिकार प्राप्त कर सकतीं हैं। जितना हम रिजर्वेशन से देने वाले हैं उससे कहीं अधिक वे जनरल इलेक्शन्स से प्राप्त कर सकती हैं। इसलिये रिजर्वेशन का तरीका गलत तरीका है। यह तरीका अगर रखा जायगा तो स्त्रियों को इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है और न इससे समाज को ही फायदा होगा। इसलिये यह संशोधन न स्त्रियों के लिये उपयोगी है न समाज के लिये और न कांस्टीट्यूशन की स्पिरिट के अनुसार है। अतः मैं इसका विरोध करता हूं और आशा है सदन इसको नामंजूर कर देगा।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ५ में प्रस्तावित नयी धारा 9-A की उपधारा (1) की पंक्ति १ में शब्द "for" के बाद व शब्द "Scheduled castes" के पहले शब्द "women and" बढ़ा दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ--

पक्ष में--२०
विपक्ष में--११९

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्न संशोधन प्रस्तुत करना चाहता हूं--

खंड ५ में प्रस्तावित नयी धारा 9-A की उपधारा (2) की दूसरी पंक्ति में शब्द "bear as nearly as may be the same" के स्थान पर शब्द "be in direct" रख दिये जाय।

श्रीमन् 9-A की उपधारा (2) में इस प्रकार से लिखा गया है:

"The number of seats reserved under sub-section (1) shall bear as nearly as may be same proportion to the total number of seats on the board as the population of the Scheduled Castes in the municipality bears to its total population as determined at the last census held under the provisions of the Indian Census Act, 1950."

तो यहां पर ९--ए० की उपधारा ए० के अनुसार हर बोर्ड में शेड्यूल्ड कास्ट्स की सीट्स रिजर्व करने के लिये भी इसमें स्थान रखा गया है। लेकिन "shall bear as nearly as may be" से आज तक इस तरह की परिभाषा कहीं वैज्ञानिक परिभाषा नहीं मानी गयी है। "shall bear as nearly as may be" से स्पष्ट नहीं होता कि यह जो फ्रैक्शन है, आबादी का १।४, १।३, २।३ या ३।४ तो क्या उसे एक भी स्थान बोर्ड में दिया जायगा? "shall bear as nearly as may be" से स्पष्ट नहीं होता है। मान लीजिये कि किसी

म्युनिसिपैलिटी के अन्दर पूरी जनसंख्या के अनुपात से देखते हुये आनुपातिक आधार पर वहां के हरिजन वर्ग की जो जनसंख्या होती है वह १/३ होती है। तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि "shall bear as nearly as may be" में उस १/३ में कितने हिस्से के मेम्बरों को प्रतिनिधित्व मिलेगा। आया उसको ज्यादा सीट्स मिलेंगी या ....

श्री अध्यक्ष--माननीय गेंदा सिंह जी का दूसरा संशोधन भी आप इसमें शामिल कर लें।

श्री नारायण दत्त तिवारी--इसमें "bears" के स्थान पर "bore" करना है।

श्री अध्यक्ष--इसके लिये मैं आपको आगे मौका नहीं दूंगा।

श्री नारायण दत्त तिवारी--इसमें तो सिर्फ टेंस का मामला है। इसमें प्रेजेंट टेंस है लेकिन संशोधन में पास्ट टेंस "bore" रखने का सुझाव है। इसमें खाली शाब्दिक संशोधन है कि, अगर " bears " के स्थान पर " bore " रख दिया जाय तो अच्छा रहेगा। तो मैं इस संशोधन को भी पेश कर देता हूं कि खंड ५ में प्रस्तावित नयी धारा 9—A की उपधारा (२) की पंक्ति ५ में शब्द " bears " के स्थान पर शब्द " bore " रख दिया जाय।

"bear as nearly as may be the same" अगर आप पुराना म्युनिसिपैलिटी ऐक्ट देखें तो उसमें कहीं भी नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान पुराना जो मूल अधिनियम है उसकी धारा ११ जिसको आगे चलकर आप डिलीट करना चाहते हैं उसकी उपधारा (२) की तरफ दिलाना चाहता हूं।

उपधारा (२) इस प्रकार है--

" For the purpose of allotment of elective seats on a board the population of the municipality shall be deemed to comprise of three classes, namely General, Muslim and Scheduled Castes. The elective seats shall be allotted to each class in direct proportion to its population in the municipality according to the last Government census held before the general election ; "

तो यहां "इन डाइरेक्ट प्रोपोर्शन" इस्तेमाल किया गया है और मैंने इतने ऐक्ट्स देखे कहीं पर भी मैंने इस प्रकार के 'इन डेफिनिट' और 'वेग' शब्द 'ऐज़ नियर ऐज़ मे बि' इस्तेमाल होते नहीं देखा। और मैं समझता हूं कि अगर कहीं हमने ऐसे इंडेफिनिट और वेग शब्द रखे तो जब वार्ड्स में सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा और हरिजनों के लिये सीट्स सुरक्षित रखी जायेंगी तो उस वक्त यह पूर्ण सम्भावना है कि किसी न किसी बोर्ड के अन्दर हरिजन जनसंख्या यदि आपत्ति करे तो शब्द 'ऐज़ नियर ऐज़ मे बि' के हिसाब से एक सदस्य मिलना चाहिये और कोई कहेगा ऐसा न हो और इंटरप्रिटेशन की दिक्कत स्टेट गवर्नमेंट के पास रोज़ाना आयेगी। इसलिये मैं कहता हूं कि इंडेफिनिट और वेग रखने के बजाय शब्दों को साफ कर दें तो ज्यादा अच्छा होगा। सीधे अनुपात में बहुत ज्यादा सहूलियत होगी। किसी बोर्ड की जनसंख्या २० हजार है और उसमें शिड्यूल्ड कास्ट्स की पापुलेशन ४ हजार है तो उसका अर्थ यह है कि २० हजार बटा ४ हजार अर्थात् एक बटा पांच सीटें हरिजनों के लिये सुरक्षित रह जायेंगी। हां, ऐसा जरूर है जैसा आगे चल कर हमारा संशोधन है कि अगर फ्रैक्शन आधे से कम है तो वह न माना जायगा और फ्रैक्शन आधे से ज्यादा है तो वह एक माना जाय। इस प्रकार इन डाइरेक्ट रखने से स्थिति और स्पष्ट हो जायगी और आगे चल कर म्युनिसिपैलिटीज़ के चुनाव में हमारी सरकार को म्युनिसिपैलिटियों को और चुनाव प्राधिकारी को परेशानियां पड़ सकती हैं, वह दूर हो

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

जायेंगी। मुझे आशा है कि इस सिद्धान्त की बात को देखते हुये माननीय मंत्री जी इस संशोधन को स्वीकार कर लेंगे और 'ऐज़ नियर ऐज़ मे बि' के वर्ड को ज्यादा स्पष्ट कर देंगे।

श्री मोहनलाल गौतम--माननीय अध्यक्ष महोदय, जो यह भाषा रखी गई है वह बहुत नापतोल कर रखी गई है और जब इस भाषा को बदलने की बात कही जाती है और यह कहा जाता है कि 'इन डाइरेक्ट प्रोपोर्शन' रख दिया जाय तो उससे बहुत अन्तर तो नहीं होगा लेकिन एक बात जरूर हो जाती है कि उसमें लोच नहीं रहती। मुझसे पूछा गया है कि वन थर्ड का क्या होगा। मैं निवेदन करूं कि जो भाषा इस वक्त है 'ऐज़ नियर ऐज़ पासिबिल' से एक बात बहुत साफ है कि एक पूरी सीट मिल सकती है मगर हिसाब से तो वह कम नहीं होगी। अब सिर्फ सवाल रह जाता है कि फ्रैक्शन का क्या होगा। इसके हर्गिज यह माने नहीं हैं कि शिडिचूल कास्ट की अगर पांच सीट्स हैं उससे घट कर चार सीट हो जायेंगे ऐसा तो नहीं है। सवाल सिर्फ फ्रैक्शन का रह जाता है और उसमें आम तौर से जो माने हुआ करते हैं वह यह हैं कि आधे से जो ज्यादा होते हैं उसको एक सीट मिलती है और आधे से कम को नहीं मिलती। लेकिन जो भाषा है उसके यह भी माने हो सकते हैं कि ३० परसेंट, ३५ परसेंट और ४० परसेंट पर भी एक सीट मिल जाती है, और पिछली असेम्बली के एलेक्शन में भी ऐसा हुआ है। इसलिये यह भाषा ज्यादा लोचदार है और उसका इंतिजाम हो जाता है। लेकिन इस भाषा के रखने से जरा ज्यादा कड़ाई हो जाती है। इतना मैं साफ कह देना चाहता हूं कि अगर किसी के दिमाग में यह हो कि जो संशोधन पेश किया गया है उससे शिड्यूल्ड कास्ट्स का कोई फायदा होगा और जो भाषा है उसमें नुकसान होगा ऐसी बात नहीं है। इस ग़लतफहमी को मैं दूर करना चाहता हूं अगर किसी साहब के दिमाग में इस तरह की गलतफहमी हो तो उसे दूर कर लें। जो भाषा इस समय अमेंडिंग बिल में है उसमें शेडचूल कास्ट्स की किसी तरह से हकतलफी होगी और अगर संशोधन मंजूर कर लिया जायगा तो उनकी कुछ सुरक्षा होगी यह बात गलत है। इसलिये यह ड्राफ्ट ज्यादा अच्छा है और मैं प्रार्थना करूंगा कि तिवारी जी अपने संशोधन को वापस कर लें।

जहां तक "hears" और "bore" का सवाल है मैंने आज फिर जाकर सलाह मशविरा किया और मुझे यह बताया गया कि कानून बनाते वक्त प्रेज़ेंट टेंस ही इस्तेमाल होता है। अगर आप यह कहें कि डिटर्मिंड क्यों है डिटर्मेन क्यों नहीं है, तो पिछले सेंसस में जितनी आबादी निकली थी उसके लिए तो डिटर्मिंड ही होगा। लेकिन इसमें "bore" करने से आप कानून में एक नयी चीज करेंगे जो अब तक आमतौर से कानून बनाते वक्त नहीं होती। प्रेज़ेंट इनक्लूड्स पास्ट एंड फ्युचर। इसलिए बिअर्स ज्यादा अच्छा ड्राफ्ट है। इस पर वह ज़िद न करें। बाकी जहां तक वह सवाल किया गया था उसके लिये मैं आपको कांस्टीटच्यूशन के अनुच्छेद ३३२ की तीसरी उपधारा का हवाला देना चाहता हूं:

'The number of seats reserved for the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes in the Legislative Assembly of any State under clause (I) shall bear, as nearly as may be, the same proportion to the total number of seats in the Assembly as the population of the Scheduled Castes in the State or of the Scheduled Tribes in the State or part of the State, as the case may be, in respect of which seats are so reserved, bears to the total population of the State.'

[३३२ (३) खंड (१) के अधीन किसी राज्य की विधान सभा में अनुसूचित जातियों या अनुसूचित आदमजातियों के लिए रक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात उस सभा

में के स्थानों की समस्त संख्या से यथाशक्य वही होगा जो यथास्थिति उस राज्य में की या उस राज्य के भाग में की, अनुसूचित आदिम जातियों की, जिनके सम्बन्ध में स्थान इस प्रकार रक्षित हैं, जनसंख्या का अनुपात उस राज्य की समस्त जनसंख्या से है।]

तो यह चीज़ ऐसी नहीं है जो कि कोई नयी चीज हो। मैंने तो कांस्टीटचूशन से इस भाषा को लिया है और यह ज्यादा अच्छी है।

इन शब्दों के साथ मैं इसका विरोध करता हूं और मैं निवेदन करूंगा कि इसको पेश करने वाले माननीय सदस्य अगर इसको वापस ले लें तो ज्यादा अच्छा है।

श्री नारायण दत्त तिवारी--श्रीमन्, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने मेरे संशोधन के विरोध में यह स्पष्ट किया कि "shall bearas nearly as may be" में किसी प्रकार से कोई गड़बड़ होने की सम्भावना नहीं है, चूंकि यह स्पष्ट हो जाता है कि जितना प्रोपोर्शन मेम्बरों की संख्या का शेडचूल्ड कास्ट्स का होता है उतनी सीट्स मिलती ही हैं। फ्रैक्शन का सवाल आता है। लेकिन फ्रैक्शन के सवाल में भी अगर आप पिछले जमाने में देखें तो तीस फीसदी को भी सीटें मिली हैं। मेरा यही कहना है कि पिछले जमाने में जो हुआ है, या जिस बात की संभावना माननीय मंत्री जी अपने भाषण में बतलाते हैं अगर कानून में स्पष्ट कर दिया जाय तो कैसा हो। मैं तो माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं क्योंकि उन्होंने बतलाया कि जैसा कि पुराने ऐक्ट से यह जिस प्रकार लिया गया ड्राफ्ट ९ (ए) की उपधारा २ है, इससे कोई नुकसान नहीं होता है मैं उनसे जानना चाहता हूं कि मेरे संशोधन के स्वीकार होने से सरकार का या शेडचूल्ड कास्ट्स का क्या नुकसान होता है। मेरा संशोधन तो माननीय मंत्री जी के ड्राफ्ट को परिष्कृत करता है और जो माननीय मंत्री जी की यह भावना है कि तीस फीसदी के लोगों को भी किसी बोर्ड में हिस्सा मिल सके उसको और भी स्पष्ट करता है। अगर मेरा संशोधन मान लेते हैं तो स्पष्टतया और भी आ जाती है। उन्होंने कांस्टीटचूशन का हवाला दिया कि कांस्टीटचूशन में असेम्बली सीट्स के लिए शेड्चुल्ड कास्ट्स के मेम्बर्स के लिए 'शैल बिअर ऐज निअरली ऐज मे बी' है। कांस्टीटचूशन में इन शब्दों का जरूर इस्तेमाल हुआ है लेकिन वह असेम्बली और पालिया-मेंट के एलेक्शन के लिये हुआ है जहां पर कि एक कांस्टीटचूएंसी ७ लाख तक भी जा सकती है और जहां पर कि एक कांस्टीटचुएंसी एक लाख, सवा लाख तक असेम्बली की परिभाषा के पापुलेशन के गिनने के माने में सवा लाख तक भी गयी है और जैसा कि स्वयं माननीय मंत्री जी ने कहा कि हर म्युनिसिपिल बोर्ड ने, अभी पिछले दिनों में मंजूर भी कर चुके हैं कि ५० सदस्यों से ज्यादा म्युनिसिपिल बोर्ड में नहीं होंगे और कम से कम १५ की गुंजायश रखी गयी है और यह भी माननीय मंत्री जी ने बतलाया था कि प्रदेश में तीन चार ही म्युनिसिपल बोर्ड ऐसे होंगे जहां पर सदस्य ३० और ४० के बीच में हों और बाकी ३०-४० से कम ही होने की सम्भावना है तो ऐसी हालत में 'डायरेक्ट' जैसे शब्दों का इस्तेमाल होना बहुत ही आवश्यक है, और माननीय मंत्री जी कहते हैं कि कोई झगड़ा नहीं होगा। उन्होंने विश्वास दिलाया है कि शेडचूल्ड कास्ट को भी नुकसान नहीं होगा। तो यह उनके विश्वास दिलाने की बात नहीं है, क्योंकि उस वक्त मामला उनके हाथ में नहीं बल्कि डायरेक्टर आफ एलेक्शन के हाथ में होगा या रिटर्निंग आफिसर ऐक्ट का इंटरप्रेट करेंगे। वह माननीय मंत्री से या माननीय सदस्यों से पूछने नहीं आयेंगे। वह तो म्युनिसिपल ऐक्ट में जो विधान होगा उसको इंटरप्रेट करेंगे और उसके अनुसार जो नियम बनेंगे तो उसको इंटरप्रेट करेंगे। तो 'ऐज़ नीयरली ऐज मे बी' का अधिकार उनको नहीं होगा। रिटर्निंग आफिसर या अधिकारियों को होगा जो उसको निश्चित करेंगे। यह हो सकता है कि माननीय मंत्री जी की भावना के विपरीत कोई स्थानीय अधिकारी उसके अर्थ का अनर्थ कर दे और उस अर्थ को न

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

मानं जिसको माननीय मंत्री जी हमारे सामने रख रहे हैं। इसलिये मैं चाहता हूं कि जिस अर्थ को माननीय मंत्री जी हमारे सामने रख रहे हैं उसी अर्थ को स्थानीय अधिकारी भी प्रयोग कर सके, इस चीज को इम्प्रूव करने के लिये यह आवश्यक है कि मेरा संशोधन स्वीकृत हो जाय और माननीय मंत्री जी से मैं यह जानना चाहूंगा कि अगर उनके ड्राफ्ट में कोई नुक्सान नहीं है तो मेरे ड्राफ्ट के अभिप्राय में क्या नुकसान है और उसको स्वीकार करने से ड्राफ्ट किस तरह बदल जाता है और उसका अर्थ परिष्कृत नहीं होता।

जहां तक दूसरे संशोधन का सम्बन्ध है अगर 'प्रेजेंट' में 'प्रेजेंट' पास्ट, फ्यूचर, सभी आ जाते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, जैसे चाहें वह रखें, लेकिन जहां तक पहले संशोधन का ताल्लुक है, जो मैंने पहले रखा, उस पर मैं अवश्य जोर देना चाहता हूं और माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह अवश्य स्वीकार करें।

श्री मोहनलाल गौतम---माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे कुछ इसमें बहुत निवेदन नहीं करना है। मैं पहले ही अर्ज कर चुका, कि यह ड्राफ्ट बेहतर है जो अमेंडिंग बिल का है और जो संशोधन है वह अच्छा नहीं है। बड़ी कान्स्टीटच्यूएंसी सात, सवा सात लाख की है और छोटी कम की, तो उसमें मुझे कोई फर्क नहीं मालूम होता। जिसको मेरा इंटर प्रिटेशन बताया गया वह मैंने नहीं किया, बल्कि मैंने तो रिपोर्ट दी कि पिछले एलेक्शंस में ऐसा हुआ था और यह भी मैं पहले निवेदन कर चुका हूं कि मेरी राय यह है कि डायरेक्टर आफ एलेक्शंस वही हो जो कि पहले चीफ एलेक्टोरल आफिसर थे। तो जिन आथरिटीज ने अब तक ऐसा किया है मैंने सिर्फ उसको रिपोर्ट की थी वह इंटर प्रेटेशन नहीं था और उससे यह साबित होता है कि जो अब इंटरप्रेटेशन अमल में आता रहा है उसी के अनुसार आगे भी होगा। वही अर्थारिटी उसको वर्क आउट करेगी। इसीलिये न मेरा इंटर प्रिटेशन का सवाल है न बहस करने का।

इन शब्दों के साथ मैं समझता हूं कि यह संशोधन अगर मंजूर किया जायगा तो कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होगा बल्कि ड्राफ्ट उससे घटिया हो जायगा। इसलिये मैं उसका विरोध करता हूं।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ५ में प्रस्तावित नयी धारा 9--A की उपधारा (2) की दूसरी पंक्ति में शब्द "bear as nearly as may be the same" के स्थान पर शब्द "be in disrect" रख दिये जायं और पंक्ति ५ में शब्द "bears" के स्थान पर शब्द 'bore" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---माननीय श्री कमला सिंह, आप अपने दोनों संशोधन एक साथ प्रस्तुत कर दीजिए क्योंकि पहले में आप प्राविजो बढ़ा रहे हैं और दूसरे में एक नयी उपधारा जोड़ रहे हैं। इसलिये आप दोनों को एक साथ प्रस्तुत कर दीजिए। मैं इन पर वोट अलग-अलग लूंगा।

श्री कमला सिंह (जिला गाजीपुर)--अध्यक्ष महोदय, मै प्रस्ताव करता हूं कि खंड ५ द्वारा प्रस्तुत नयी धारा 9--A की उपधारा (२) के अन्त मे निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक वाक्य बढ़ा दिया जाय--

"Provided that in calculating the number of such seats fractions not less than half shall count as one and fractions less than half shall be disregarded"

मै यह भी प्रस्ताव करता हूं कि खंड ५ द्वारा प्रस्तुत नयी धारा 9--A मे नयी उपधारा (३) इस प्रकार जोड़ दी जाये--

(3) "The determination of seats reserved under sub-sections (1) and (2) for allotment to a ward shall bear the same proportion as the total Scheduled Castes' population of that ward bears to its total population"

जहां तक नं० २७ के सशोधन का ताल्लुक है हमारे माननीय मत्री जी ने इस बात को स्वीकार किया है कि जहां कही भी जब बटवारे का प्रश्न उठेगा और उसमें कोई भी फ्रैक्शन ५० परसेंट और उससे ऊपर का आयेगा तब एक माना जायगा? लेकिन उससे नीचे के जो होगे वह रिजेक्ट कर दिये जायेगे। ऐसी हालत में यह जरूरी होता है क्योंकि जहां पर कैलकुलेशन का क्वेश्चन आयेगा। कैलकुलेशन मे अधिकतर ऐसे फ्रैक्शन आते है जहां ५० परसेंट से अधिक का प्रश्न आता है। तो ऐसी हालत मे चूंकि मंत्री जी ने अभी अपने भाषण मे यह कहा है कि उन्हे एक मानना चाहिए चकि कोई डाइरेक्शन इस विधेयक मे नही है और न कोई नियम ही बनाया गया है इसलिये यह जरूरी है कि इतना एक प्राविजन जोड़ दिया जाय इसके अन्दर जिससे हर एक आदमी जो फ्रैक्शन निश्चित करता है वह बाउंड हो जाय कि ५० या ५० परसेंट के ऊपर कोई भी फ्रैक्शन आये तो वह एक माना जाय। इन बातो के साथ मै अपने सशोधन नं० २७ का समर्थन करता हूं।

अब जहां तक इस संशोधन नं० २९ का प्रश्न है इसमे एक परेशानी अवश्य होती है कि टोटल पापुलेशन जो किसी म्युनिसिपैलिटी की है अगर उसके मुताबिक ५० सीट मे से १० सीट शिडचूल कास्ट को दी गई तो ऐसी हालत मे यह हमारे लिए विचारने की चीज होती है कि हमें एक किसी वार्ड के जितने शिडचूल कास्ट के लोग हैं उनको एक ही वार्ड मे स्थान देना चाहिए या भिन्न-भिन्न वार्डों मे स्थान देना चाहिए। जितनी यह धारायें दी गई है उनके अन्दर कोई भी ऐसी चीज नही है जिससे यह मालूम हो सके कि इन लोगो के लिए डिफरेंट वार्ड मे रखना जरूरी है। जो यह नया संशोधन मै पेश कर रहा हूं इसके जरिये यह निश्चित हो जाता है कि एक वार्ड मे अगर आप ५० मे १० शिडचूल कास्ट के लिए रिजर्वेशन रखते है तो दसो को एक वार्ड मे नही रख सकते। बल्कि यह जरूरी है कि जिस वार्ड में मेजारिटी शिडचूल कास्ट की हो उनका प्रतिनिधित्व वही हो। साथ ही साथ यह जो नारायण दत्त जी का संशोधन नं० ५१ है उसमे भी यह तरीका है--

"Provided that the division into wards shall be made after consultation with the Board concerned which will be on the basis of its populations so as to secure as far as possible an equal number of electors in them"

इस तरीके पर हम चाहते है कि शेडचूल्ड कास्ट के जो मेम्बर हो उनका ईक्वल डिस्ट्रिब्यूशन हर वार्ड मे हो और इस चीज के लिये यह जरूरी है कि जो संशोधन मैने रखा है उसको माना जाय।

श्री मोहनलाल गौतम--माननीय अध्यक्ष महोदय, दो संशोधन इस समय सदन के सामने पेश किये गये है। एक यह है कि आधे से ज्यादा हो तो उसको

[श्री मोहनलाल गौतम]

एक मान लिया जाय और आधे से कम हो तो उसको डिसरिगार्ड कर दिया जाय यानी उसको न माना जाय। इसमे जसा मने निवेदन किया, इस सशोधन के प्रस्तावक महोदय ने मेरी बात पूरी नहीं सुनी थी, मैंने यह भी कहा था कि कही-कही ३० फीसदी, ३५ फीसदी और ४० फीसदी को पूरी सीट मिल जाती ह। उनके इस संशोधन के बाद इसका मतलब यह होगा कि ४९ फीसदी को भी एक सीट न मिल सके, शैल बी डिसरिगार्डेड। इसलिये उसमें रुकावट आ जाती है और जैसा मने निवेदन किया कि जो लोच पहले ड्रैफ्ट मे ह वह नही रहती। यह बात तो ठीक है कि आधे से अधिक हो तो उसको एक माना जाता है और यह सब जगह मानी हुई बात है और मानी जानी चाहिये लेकिन जो दूसरी मेरी आपत्ति है वह उसमें पूरी नही होती। इसमें दिक्कत आ जाती है, इसलिये सरकार इसको मानने में असमर्थ है। जहा तक सिद्धान्त का सम्बन्ध है कोई इसमें विरोध नही है कि आधे से ज्यादा है तो एक माना जाय और आधे से कम है तो न माना जाय और इसके मानने मे मुझे कोई दिक्कत नही है लेकिन जैसा कि मैंने निवेदन किया कि अगर कही इस तरह की परिस्थिति आये कि ४९ फीसदी को हम एक देना चाहते है ताकि शेडयूल कास्ट वाले यह न कहें कि हमारी एक सीट नही मानी गयी और अगर ५१ होते तो एक सीट मिल जाती, तो हमारे ड्राफ्ट में यह लोच है कि उनको एक सीट मिल सकती है। अगर कमला सिह जी की बात मान ली जायगी तो उसमे ४९ फीसदी को यू शैल नाट गिव, इट शेल बी डिसरिगार्डेड, आप उसको दे नही सकते। जहां तक वार्ड के बारे में कहा गया कि वार्ड के अन्दर उतना ही शेडयूल कास्ट का रिप्रेजेंटेशन हो, जितनी उनकी पपुलेशन है उसमे दिक्कत पड़ेगी, इतना तो हमने साफ कर दिया कि दो चीजे ह एक यह कि हर नगर में शेडयूल कास्ट की उतनी सीट होगी जितनी कि उनकी आबादी है और उसके अनुसार 'ऐज नियरली ऐज' पासिबिल होगी। दूसरी बात हमने यह कही कि हर वार्ड मे उतनी सीट होगी जितनी कि उनकी पपुलेशन है। यह नहीं हो सकता कि एक वार्ड की पापुलेशन वन सिक्स्थ है और उनको सीट दे दी जाय वन फोर्थ। हर एक वार्ड मे उतनी ही जगहे होंगी जितना कि उनकी आबादी का प्रोपोर्शन है। जो प्रोपोर्शन एक वार्ड का टोटल पापुलेशन आफ दि सिटी से है और वही प्रोपोर्शन रहना चाहिये उसकी सीट्स से जो कि टोटल प्रोपोर्शन आफ सीट्स इन दि म्युनिसिपैलिटीज ऐड दि सीट्स एलाटेड टू दट वार्ड से है। यह दो चीजें साफ ह। इन दो चीजो के बाद अगर तीसरी चीज आप यह और करते है कि वार्ड में उतनी जगहें दे दी जायं जितनी कि शेडयूल्ड कास्ट की वार्ड मे आबादी है तो इसको वर्क आउट करना मुश्किल हो सकता है। इसलिये मं नहीं समझता कि यह अमल मे आ सकता है जो २९वा सशोधन है।

जहां तक २७वे संशोधन का सम्बन्ध है उसमे सिद्धान्त के प्रति कोई आपत्ति न होते हुये यह मालूम होता है कि कही-कही अगर यह जरूरत पडी कि ४९ फीसदी या ४० फीसदी शैडयूल्ड कास्ट को एक सीट देना चाहिये तो हम बिल के अनुसार दे सकते हं लेकिन माननीय कमला सिह जी के संशोधन को मजूर करने के बाद वह हम नहीं दे सकेंगे क्योंकि हमारे हाथ बंध जायेंगे। इसलिये उसमे कुछ लोच कम हो जाता है गोकि उसके सिद्धान्त से मुझे कोई आपत्ति नहीं है। इसलिये म दोनो को मानने में मजबूरी जाहिर करता हूं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, अगर आपकी आज्ञा हो तो माननीय कमला सिंह जी ने जो सशोधन पेश नही किया मैं उसे पेश कर दूं।

श्री अध्यक्ष—अब उसका समय निकल गया। मैंने पहले ही पढ़ लिया था।

श्री नारायणदत्त तिवारी--मैंने उनकी अनुमति ले ली है।

श्री अध्यक्ष--लेकिन आपने दोनों के लिये कोई प्रस्ताव नही दिया। अब मैं उसकी इजाजत नही दे सकता।

श्री नारायणदत्त तिवारी--मैं आप की आज्ञा से माननीय कमला सिंह द्वारा प्रस्तुत संशोधनों के समर्थन के लिये खड़ा हुआ हूं। माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में यह बतलाया कि वे पुरानी वाली धारा ९ (ए) में जो दो उपधारायें हैं उसके अन्त मे सशोधन को जोड़ना इसलिये मंजूर नही करते क्योंकि वह व्यवहारिक नही है, बड़ी दिक्कतें आ जायेंगी। एक ओर वे मानते हैं कि शहर में हरिजनों की आबादी के अनुपात से ही उनकी मेम्बरी के लिये उनकी सीट्स रिजर्व की जायेंगी लेकिन वह वार्ड में इस सिद्धांत को नहीं मानना चाहते कि वार्ड में भी हरिजनो को उतनी ही सीटें दी जायंगी, उनके लिये रिजर्व की जायेंगी जितनी कि वार्ड मे पूरी जन संख्या के अनुपात से वहां की हरिजन जन संख्या है। माननीय मंत्री जी ने अभी-अभी विधान पढ़ा और उसमे एक तारतम्य बतलाया। उन्होंने यह कहा कि विधान में यह है कि असेम्बली और पार्लियामेंट के लिये भी वही अनुपात होगा जो आबादी का है और वही हम ने सिटीज में रखा है। तो श्री कमला सिंह जी ने यही संशोधन किया है कि 'एज नीयरली' एज मेबी इन वार्ड' रख दिया जाय और यह व्यवहारिक है असेम्बली और पार्लियामेंट के लिये 'एज नियरली एज मे बी' व्यवहारिक है, शहर के लिये भी 'एज नीयर ली एज मे बी' व्यवहारिक है तो वार्ड के लिये भी हो सकता है, इस में कौन दिक्कत है। स्वयं माननीय मंत्री जी का यह विचार था और जहां तक मैं समझता हूं कि कम से कम पांच वार्ड या सात वार्ड से ज्यादा तो वे क्या शहरों मे रखेंगे।

श्री मोहनलाल गौतम--हो सकते हैं ज्यादा।

श्री नारायणदत्त तिवारी--मान लिया इससे ज्यादा भी रखेंगे तो ऐसे शहरो में रखेंगे जिनकी आबादी तीन चार लाख से ऊपर है, यह तो नहीं कि आप हर बोर्ड मे चार वार्ड से ज्यादा रखेंगे। अगर हर शहर मे पांच वार्ड होंगे तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि फिर उनको क्या दिक्कत होगी कि अगर वे वार्ड के अन्दर हरिजन जन संख्या के अनुपात से सीटें रिजर्व करें। मान लीजिये किसी वार्ड की जन संख्या चार हजार है और उस चार हजार में से तीन हजार आबादी हरिजनों की हो तो आप क्या करेंगे। बहुत से ऐसे मुहल्ले हैं, लेबर के मुहल्ले हैं वालमीकि भाइयों के मुहल्ले हैं, शहर हलद्वानी के एक मुहल्ले में जहां हरिजनों की आबादी ज्यादा है, मान लीजिये किसी वार्ड की आबादी चार हजार हो और तीन हजार उसमे हरिजन हों और आप की चार सीटें वहां पर हैं तो माननीय मंत्री जी का जवाब क्या होगा, मैं स्पष्ट सवाल पूछना चाहता हूं और वह जवाब दे कि क्या आप तीन सीटें हरिजनों को रिजर्व नहीं करेंगे। यह आप का मंशा है कि सारे बोर्ड मे हम हरिजनों की आबादी के अनुपात से सीटें रिजर्व करें लेकिन वार्ड में आबादी के अनुपात से न करें। वहां पर दो सीटें जनरल करदें और दो हरिजनों की कर दें, मैं समझता हूं आप का ऐसा इरादा नहीं है और अगर ऐसा नही है तो हमें स्पष्टतया कानून के अन्दर यह साफ करना चाहिये ताकि वहां पर भी कोई गड़बड़ी न पड़े क्योंकि कल एलेक्शन पेटीशन्स होंगे और बहुत जगह नामिनेशन्स खारिज होंगे, बड़े झगड़े होंगे, वह कहेंगे कि साहब आबादी के अनुपात से नहीं हुआ। जिस चीज का जिक्र ही नही है वह चीज उनकी गुडविल के ऊपर होगी कि वार्ड में किस प्रकार मेम्बरशिप जेनरल और शेड्यूल्ड कास्ट के लिये रखी जाय। श्रीमन् माननीय मंत्री जी को कोई आपत्ति इस बारे में नहीं होनी चाहिये कि जिस 'एज नीयरली एज मे बी' के सिद्धांत को उन्होंने असेम्बली और शहर के बोर्ड के रिजर्वेशन के लिये स्वीकार किया उसे वार्ड के लिये क्यों न स्वीकार करें।

दूसरा प्रश्न उन्होंने यह उठाया और उन्होंने कहा कि माननीय कमला सिंह का जो पहला वाला २७ वां संशोधन है :

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

"Provided that in calculating the number of such seats fractions not less than half shall count as one and fractions less than half shall be disregarded

उन्होने कहा अगर हम मान लेते है तो फिर कैसे होगा। हमारा तो यह इरादा है, हमने तो पहले भी ऐसा कहा है तो मै आपकी आज्ञा से यह जानना चाहता हू कि क्या आपने कहा कि हमने पहले भी यह कहा है।

श्री मोहनलाल गौतम—हम ने सवाल नही उठाया क्योंकि इस गवर्नमेंट ने एलेक्शन नही कराये। जिस अथारिटी ने कराया, उसने ऐसा किया, ऐसा मैंने कहा।

श्री नारायणदत्त तिवारी—जिस अथारिटी ने एलेक्शन कराये उसने पहले भी ३० फीसदी शेड्यूल्ड कास्ट्स को प्रतिनिधित्व दिया।

तो इस ऐक्ट में, श्रीमन् जो धारा है मै आपकी आज्ञा से उसे पढना चाहता हू ताकि माननीय मंत्री जी को मालूम हो जाय कि ऐक्ट मे यह बात रहते हुये भी जो ३० पर्सेंट की बात माननीय कमला सिंह जी चाहते हैं वह पूरी हो सकती है। मै आपकी आज्ञा से मूल ऐक्ट ११ की उपधारा (२) को पढना चाहता हू।

श्री मोहनलाल गौतम—यह तो अभी पढी जा चुकी है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—अभी तो तीन बार और पढूंगा अगर जरूरत पडी रेफ्रेन्स के लिये, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से। तो वह इस प्रकार है—

"The elective seats shall be allotted to each class in direct proportion to its population in the Municipality according to the last Government's census held before the general elections,

Provided that in calculating the number of such seats fractions not less than half shall count as one and fractions less than half shall be disregarded"

तो लोकल अथारिटी ने कोई दूसरा ऐक्ट तो नही बनाया। इसी ऐक्ट के अनुसार एलेक्शन कराया और इस धारा के रहते हुये भी ३० फीसदी का उन्होंने हक दिया। तो यह हो सकता है रूल्स का इंटरप्रेटेशन हो। लेकिन पहले ऐक्ट मे इसी धारा के रहते हुये भी उनको मौका दिया। इसलिये मैं समझता हू, श्रीमन्, कि माननीय मंत्री जी की कोई दलील स्पष्ट नही हुई और मै चाहूंगा कि वह हमको और कोई कारण बतायें जिसके कारण वह समझते है कि स्पष्टता नही आनी चाहिये। और कम से कम मै अपने पुराने प्रश्न को फिर पूछना चाहूंगा कि अगर किसी वार्ड की आबादी ४ हजार है जिसमे ३ हजार हरिजन हैं और वहा ४ सीटे है। तो उन चार सीटो में से तीन सीटें आप हरिजनो को देंगे या नही?

श्री कमला सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक मेरे संशोधन नम्बर २७ का प्रश्न है माननीय मंत्री जी ने अभी यह बतलाया है कि जहां पर ४९ या ४८ फीसदी है वहां पर भी यह रेजेक्ट कर दिया जायगा। लेकिन मै माननीय मंत्री जी को आपके द्वारा यह बतलाना चाहता हूं कि इसमें फ्रैक्शन के बारे मे यह है—

"Fractions not less than half shall count as one and fractions less than half shall be disregarded"

तो फ्रैक्शन मान लिया जाय कि ४८ है तो वह भी तो हाफ ही के बराबर है। तो ऐसी परिस्थिति मे जब फ्रैक्शन हाफ का करते है चाहे वह थोडा

करीब है चाहे ज्यादा करीब है लेकिन अगर १/३ से ऊपर है और हाफ के करीब आता है तो उसे तो फ्रैक्शन एक माना जाय। और इसी तरीके पर माननीय मंत्री जी ने जो बतलाया कि जहां पर ४८ परसेंट या ४३ परसेंट है वहां भी यह चीज़ एक ही मानी जायगी क्योंकि वहां भी फ्रैक्शन का सवाल है जो करीब-करीब हाफ के आता है। इसलिये जहां तक फ्रैक्शन का ताल्लुक है हाफ के करीब वह एक माना जाना चाहिये। और जैसा कि माननीय मंत्री जी के कहने से भी मालूम होता है यह डाइरेक्टरी चीज़ नही है या किसी को आप मजबूर नहीं कर सकते कि वह मान ही ले इसलिये आपके विधेयक के अन्दर ऐसी चीज़ होनी चाहिये कि जो आबलीगेटरी हो। इसलिये ऐसे प्राविज़न का आना बहुत जरूरी है।

जहां तक २९ नम्बर के संशोधन का ताल्लुक है, माननीय नारायणदत्त जी काफी इस पर बतला चुके हैं। इसलिये इन बातो को कहते हुये मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी इसको मान लेंगे।

श्री मोहनलाल गौतम—माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नारायण दत्त जी ने शायद मेरी बात पूरी नही सुनी। मैंने म्युनिसिपैलिटीज़ ऐक्ट कोट नही किया था, मैंने म्युनिसिपैलिटीज़ के एलेक्शन का हवाला नहीं दिया था और जो फिर यहा पर दोबारा कोट किया गया वह गलत कोट किया गया। मैंने निवेदन यह किया था कि मैंने कान्स्टीट्यूशन की धारा कोट की थी और यह बताया था कि कांस्टीट्यूशन आफ इंडिया मे यह है "एज़ नियरली एज़ पसिबिल" और जनरल एलेक्शन्स का मने हवाला दिया था। वह जनरल एलेक्शन्स असेम्बली और पार्लियामेंट के थे। मने लोकल बाडीज़ के इलेक्शन्स का हवाला नही दिया था। इसलिये इस तरह की जो आपत्तिया उन्होने उठाई हैं और कई आपत्तिया उन्होने यह उठाई हे कि गुडविल पर होगा तो उन सबका तो उत्तर दिया जा चुका है कि जिस अथारिटी ने जो पिछले पार्लियामेंट और असेम्बलीज के इलेक्शन्स कराये थे, मेरा इरादा है कि वह अथारिटी अब भी लोकल बाडीज़ का इलैक्शन कराये और जो भाषा कांस्टीट्यूशन मे है वही हमने रखी है इस अमेंडिग बिल में। इसलिये कोई गुंजाइश नही मालूम होती है गुडविल की बल्कि जो अथारिटी जिस ला को इंटरप्रीट करती रही है वही अथारिटी जब उसी तरह का ला होगा तो उसी तरह से इन्टरप्रीट करेगी। सिर्फ सवाल एक अर्थमेटिक का कर दिया गया है। अगर मेरे पुराने साथी श्री मलखान सिह जी मेरी मदद करते तो बात शायद साफ हो जाती और वह यह है कि एक बात साफ कर दी गई है कि म्युनिसपैलिटीज़ मे जितनी सीट्स होगी उसमें शिड्यूल कास्ट्स के लिये उतनी सीट्स रिजर्व कर दी जायंगी जितनी आबादी है "As nearly as possible" आप चाहते है कि वार्डवाइज यह चीज़ कर दी जाय। अगर हर वार्ड मे उसी तरह से उसी आबादी के हिसाब से सीट्स मुकर्रर कर दी जायं जिस तरह से कि आबादी वार्डवाइज़ है तब टोटल पौपूलेशन मे उतनी सीट्स न रहे जितनी कि टोटल पौपूलेशन एक शहर की हो क्योंकि यदि श्री कमला सिह का २७ वां संशोधन मान लिया जाय तो शायद उनको भी बदलने की आवश्यकता हुई।

Provided that is calculating the number of such seats fractions not less than half shall count as one and fractions less than half shall be disregarded"

फिर कहा है कि हाफ के करीब हो तो एक सीट दे दी जाय तो भाई साहब दोनो चीज़ एक साथ नही चल सकती है। श्री कमला सिह जी ने जो अपना भाषण दिया है उसमें कहा है कि हाफ के करीब हो तो एक मान लिया जाय यानी ४८ प्रतिशत को क्यों मान लिया जाय। इसमे अगर यह बात मान ली जाय जो उन्होने कही है तो जो उनका संशोधन है उसके खिलाफ यह जाती है। अगर उनका संशोधन मान लिया जाता है तो ४९.९ प्रतिशत तक को सीट नही दी जा सकती

"Fractions not less than half shall count as one and fractions not less than half shall count as one and fraction less than half shall be disregarded and it is less than half so a seat cannot be given

[श्री मोहनलाल गौतम]

मै यही मतलब समझता हूं इसलिये वार्डवाइज करने मे दिक्कत पड़ेगी। यदि ऐसा करते है तो शायद पूरे शहर मे वह पौपुलेशन कायम न रहे जो शहर की आबादी के हिसाब मे होनी चाहिये।

श्री नारायणदत्त जी तिवारी ने बार-बार जोर दिया है और इस सवाल को रखा है लेकिन यह एक मामूली सा सवाल है। उन्होंने एक सवाल किया है कि चार हजार की आबादी में से तीन हजार हरिजनों की आबादी है तो उनको तीन सीट्स मिलेगी। यह भी हो सकता है कि चौथी सीट्स भी उनको मिल जाय क्योंकि यदि दो दो वार्डस में ३०-३० प्रतिशत है और एक जगह १० प्रतिशत है और एक जगह १० प्रतिशत है तो तीनों की ७० प्रतिशत हो जाती है तो एक और सीट्स उनको मिलेगी।

इसलिये वार्ड मे बराबर की हैसियत से करना और लेस देन हाफ को डिसरिगार्ड करना इससे यह हो सकता है कि अगर ५ वार्ड है तो यह नामुमकिन नहीं है अगर इस तरह मे बटवारा हो और ५ वां वार्ड्स में लेस देन हाफ ४९ परसेंट हो तो उन पांचों को एक भी सीट न मिले अगर श्री कमला सिंह जी के दोनों प्रस्ताव मान लिये जाते हैं। यह एक हाई-पाथिटिकल केस है लेकिन ऐसा होना नामुमकिन नहीं है। इस तरह से अगर पांचों वार्ड्स मे लेस देन हाफ में ४९ परसेंट पापुलेशन रह गई तो इट शेल बी डिसरिगार्डेड और उनको एक भी सीट नहीं जायगी। लेकिन जैसा हमने रक्खा है उसके हिसाब से पांचो में ४९ परसेंट है यानी ढाई के करीब होते हुये भी कम से कम दो सीट्स जरूर मिल जायेंगी, हो सकता है कि तीन भी मिल जायं। यानी दो या तीन सीट्स शेड्यूल्ड कास्ट्स को मिल जायेगी। लिहाजा यह चीज वार्ड वाइज करना कहां तक मुनासिब है। यह मिसाल दी गई कि ४ हजार की आबादी है तो यह तो मोटी सी बात है कि उनमे ३ हजार शेड्यूल्ड कास्ट के है तो उनको तीन सीट्स तो मिलेंगी ही। यह तो बहुत मामूली बात है। यह भी हो सकता है कि चारों मिल जायं। इस तरह से आपने सारे शहर की आबादी के लिहाज से उनकी सीट्स रिजर्व कर दी, हरवार्ड में तीन सीट्स रिजर्व होंगी लेकिन जहां तक वार्ड की पापुलेशन का प्रोपोर्शन टु दी है टोटल पापुलेशन आफ दी सिटी, इन दोनो चीजो का रखना मेरी समझ मे नहीं आता कैसे मुमकिन है। अगर दोनों संशोधन मान लिये जायं तो शेड्यूल्ड कास्ट को नुकसान हो सकता है, यह भी हो सकता है कि जहां वेल बैलेंस्ड आबादी हो, जहां शेड्यूल्ड कास्ट ५० परसेंट हो वहां उनको सीट्स ४० परसेंट ही मिलें। इसलिये वार्ड वाइज रिजर्वेशन रखना मैं फिजूल समझता हूं। यह चीज गलत है। यह कहा गया कि स्टेट मे कैसे हक दिया गया। मैं कहता हूं कि स्टेट मे ऐसा नही हुआ। स्टेट मे हर कांस्टीट्यूएंसी मे वह प्रोपोर्शन सीट्स का नहीं मिला है जो कि उनकी आबादी थी उनको कुल ८२, ८३ सीट्स मिलीं। बहुत सी कांस्टीट्यूएंसी ऐसी भी रहीं जहा उनको कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला। हालांकि वहां उनकी आबादी थी। और हिसाब लगाया जाय तो पता चलेगा कि जहां आबादी ज्यादा थी वहां जो रिप्रेजेंटेशन मिला लेकिन जहां कम थी वहां कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला। इसलिये दोनों चीजों का मिलाना कंफ्यूजन पैदा करेगा। इतनी ही काफी है कि शेड्यूल्ड कास्ट की सीट्स उनकी पापुलेशन के प्रोपोर्शन से रिजर्व हो जायं। इस अमेंडिंग बिल के पास होने मे उनको उतनी सीट्स मिल जायंगी जितनी कि उनकी पापुलेशन डिमांड करती है। इसलिये इन दोनों अमेंडमेंट का मंजूर करना फायदेमन्द नहीं होगा नुकसान होगा। मुझे अफसोस है कि मै इन दोनों को मंजूर नहीं कर सकता।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ५ द्वारा प्रस्तुत नयी धारा 9-A की उपधारा (२) के अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक वाक्य बढ़ा दिया जाय:

"Provided that in calculating the number of such seats fractions not less than half shall count as one and fraction less than half shall be disregarded."

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ५ द्वारा प्रस्तुत नयीधारा 9—A मे नयी उपधारा (३) इस प्रकार जोड़ दी जाय :--

(3) The determination of seats reserved under sub sections (1) and (2) for allotment to a ward shall be in the same proportion as the tot l Scheduled Castes' population of that ward bears to its total population

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

यू० पी० २, १९१६ नई धारा १ ए का बढ़ जाना।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ५ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ६

६--मूल अधिनियम की धारा १० के वर्तमान प्रतिबन्धात्मक वाक्य के स्थान निम्नलिखित रक्खा जाय--

Provided that the provisions of this section shall not be appl to a municipality which was already constituted under this Act o day immediately preceding the commencement of the U P Muni ip (Amendment) Act, 1948 unless the municipality is one which the State Government are satisfied is subject to substantial seasonal variation of night population

श्री मदनमोहन उपाध्याय--अध्यक्ष महोदय, मैं यह संशोधन रखना चाहता हूं कि खंड ६ मे प्रस्तावित प्रतिबन्धात्मक वाक्य की चौथी पंक्ति मे अंक '१९४८' के स्थान पर अंक "१९५२" रख दिया जाय।

माननीय मंत्री जी ने इस सदन में जो भाषण शुरू में दिया था उसमें उन्होने यह कहा था कि हम नामिनेशन की प्रथा का म्युनिसिपिल बोर्ड से बिल्कुल हटा रहे है लेकिन हम यह चाहते थे कि, जो सीजनल म्युनिसिपैलिटी के रिप्रिजण्टेशन की बात कही कि नामिनेशन का जरिया जो है वह हटा दिया जायगा, परन्तु सन् १९४८ और १९५२ के बीच जो ऐसी बहुत सी म्यूनिसिपलिटी बनी है इस प्राविजन के मुताबिक इस बीच मे म्यूनिसिपैलिटी बनी है वह कायम है। हम चाहते हैं कि जब आप नामिनेशन की प्रथा को बिल्कुल हटा रहे हैं तो यह सौतेला व्यवहार इन म्यूनिसिपैलिटी के साथ क्यो किया जाय। इसलिये जो ४८ और ५२ के बीच म्यूनिसिपेलिटी बनी है उनमें भी नामिनेशन प्रथा न हो वहा भी यह हटा दी जाय। इतना हमारा मकसद है और मै आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी इसको स्वीकार करेंगे।

श्री मोहनलाल गौतम--जो यह प्राविजो है इसका मतलब भी वही है जो कि माननीय उपाध्याय जी ने बतलाया है। जैसा मैंने कहा था कि हमारा इरादा कोई अगर इतने अरसे के बाद बनी हो तो नामिनेशन करने का वहा पर नही है लेकिन अगर वह यह चाहते है और जिद करते हैं और इस बात को दूर करने के लिये कि अपोजिशन की कोई बात मानी नही जा रही है मैं इसको स्वीकार कर लेता हूं।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ६ में प्रस्तावित प्रतिबन्धात्मक वाक्य की चौथी पंक्ति में अंक "१९४८" के स्थान पर अंक "१९५२" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ६ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ७

ऐक्ट ७—मूल अधिनियम की धारा १० के बाद निम्नलिखित नई धारा 10-A के रूप में
: में रक्खी जाय :—

ाया "10-A. (1) Except as provided in section 31, 31-A or 17-A every board shall continue for 4 years from the date of notification issued in pursuance of section 13-G that the board has been constituted;

"Provided that the State Government may, by notification in the official *Gazette* extend from time to time the term of all or any board, so however, that the total extension does not in the aggregate exceed two years."

(2) The term of a board shall begin from the date of notification issued in pursuance of section 13-G that the board has been constituted.

श्री नारायणदत्त तिवारी—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्न संशोधन प्रस्तुत करना चाहता हूं कि खंड ७ में प्रस्तावित नयी धारा 10-A की उपधारा (1) के प्रतिबन्ध की तीसरी पंक्ति में शब्द "board" के स्थान पर शब्द "of the board" रख दिये जायं।

श्रीमन्, यह बिल्कुल शाब्दिक सा संशोधन है लेकिन फिर भी आवश्यक है कि इसको ठीक कर दिया जाय क्योंकि वैसे यह लगता है कि—

"Provided that the State Government may, by notification in the official *Gazette*, extend from time to time the term of all or any board, so however, that the total extension does not in the aggregate exceed two years."

वैसे जनरल क्लाजेज ऐक्ट में बोर्ड इनक्लूड कर सकते हैं लेकिन अगर ऐसा कर दिया जायगा तो यह जरा ग्रामेटिकली अच्छा लगेगा। सिन्गुलर प्लूरल की बात अलग है लेकिन यह साफ होना चाहिये। इसलिये मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी को इसे स्वीकार करने में आपत्ति न होना चाहिये।

श्री मोहनलाल गौतम—माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नारायणदत्त जी ने अपना संशोधन पेश करते वक्त ही अपना स्वयं जवाब दे दिया कि बोर्ड इन्क्लुड्स बोर्ड्स या सिन्गुलर इन्क्लुड्स. प्लुरल इसलिये कोई और बात कहने की आवश्यकता नहीं है। मेरे ख्याल में जो ड्राफ्ट है वह ठीक है और उसको इम्प्रूव करके बिगाड़ा न जाय। मुझे अफसोस है कि मैं इसको स्वीकार नहीं कर सकता।

श्री नारायणदत्त तिवारी—जो मैंने कहा था वही जवाब मंत्री जी ने ढूंढ़ लिया, वह तो ऐसा कहेंगे ही कि प्लुरल, इन्क्लूड्स सिन्गुलर, क्या ऐसा मंत्री जी का विश्वास नहीं है। "a board या any board" होता तब तो समझ में आ सकता था लेकिन जब all लिखा है तो प्लूरल होना चाहिए। हां, माननीय मंत्री जी जनरल क्लाजेज ऐक्ट को एप्लाई कर सकते हैं लेकिन अगर इसको यहीं साफ कर दें तो अच्छा है।

श्री अध्यक्ष—आप ग्रामर के जोर पर बात करें तो अच्छा होगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी——मैं ग्रामर के जोर पर ही कह रहा हूं, जनरल क्लाजेज ऐक्ट तो बाद के लिए एप्लाई करता है। इसको श्रीमन् आप भी ठीक कर सकते हैं।

श्री मोहनलाल गौतम——ग्रामर को ठीक करने का तो अधिकार आप को है, आप चाहें तो इसको ठीक कर सकते हैं, अगर इससे वह आप मुनासिब समझें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है आप ठीक कर दें।

श्री अध्यक्ष——"any of the boards" जो है वह "all or any board", से अच्छा मालूम होता है।

प्रश्न यह है कि खंड ७ में प्रस्तावित नयी धारा 10-A की उपधारा (1) के प्रतिबन्ध की तीसरी पंक्ति में शब्द "board" के स्थान पर शब्द "of the board" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)——अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन उपस्थित करना चाहता हूं :—

खंड ७ में प्रस्तावित नयी धारा 10-A की उपधारा (1) की पंक्तियां जो शब्द "Provided that the State Government" से आरम्भ होकर शब्द "in the aggregate exceed two years" से समाप्त होती है निकाल दी जायं।

धारा ७ में नयी धारा 10-A इस प्रकार है——

"10-A. (1) Except as provided in section 31, 31-A or 17-A every board shall continue for 4 years from the date of notification issued in pursuance of section 13-G that the board has been constituted:

Provided that the State Government may, by notification in the official *Gazette*, extend from time to time the term of all or any board, so however, that the total extension does not in the aggregate exceed two years."

अध्यक्ष महोदय, मेरे संशोधन का यह मतलब हुआ म्युनिसिपैलिटीज के चुनाव के लिये माननीय मंत्री जी ने जो इस संशोधन विधेयक में यह रखा है कि वे दो साल तक एक्सटेंशन दे सकते हैं और मैं यह चाहता हूं कि जब कभी इलेक्शन ड्यू (वाजिब) हो तभी इलेक्शन करा दिया जाय। उस अवधि में ऐक्सटेंशन एक दिन का भी न दिया जाय। माननीय मंत्री जी स्वयं इस बात को मानते हैं कि समय बढ़ाना, जो कि कभी-कभी ८ और १० साल तक भी बढ़ाया गया है, जनहित में नहीं है। सरकार द्वारा यह संशोधन बिल लाना ही इस बात का सबूत है। इसमें ऐसी भी धारायें हैं जिनसे हम प्रेसीडेंट या किसी मेम्बर को ससपेंड कर सकते हैं। सरकार के सामने बहुत सी वैधानिक दिक्कतें थीं और इस मूल ऐक्ट को बदलना था और इसीलिये ४-५ साल की देर म्यूनिसिपिल चुनावों में हो गई। इसका नतीजा यह हुआ कि इस बीच में सरकार के सामने बड़ी-बड़ी कठिनाइयां आईं। बोर्डों को एक्सटेंशन दिया गया जिससे उन्होंने यह समझा कि जल्दी इलेक्शन होने वाला नहीं है। और वे धांधली करते रहे हैं। माननीय मंत्री जी को स्वयं अपने थोड़े से मंत्रित्वकाल में भी कुल मिला कर ६-७ बोर्ड म्युनिसिपैलिटीज को सुपरसीड करने पड़े हैं। उन्हें यह मालूम हुआ कि धांधलियां हो रही हैं और इस वजह से सुपरसीड करना पड़ा। इसी भावना से प्रेरित होकर उन्होंने यह कर दिया है कि २ साल से ज्यादा किसी म्यूनिसिपिल बोर्ड का टाइम एक्सटेंड नहीं होगा। मेरा संशोधन यह है कि जो २ साल की क़ैद जिस भावना से प्रेरित होकर रखी गयी है उसी भावना से दो साल भी न रखा जाय और

[श्री रामनारायण त्रिपाठी]

इलेक्शन्स जिस वक्त ड्यू (वाजिब) हों उसी वक्त करा दिये जायं। मैं समझता हूं सरकार को मेरे संशोधन को मान लेने में कोई दिक्कत नहीं हो सकती। ४ साल की मियाद किसी भी आदमी की योग्यता को परखने के लिये काफी है इसलिये जहां हमने सिद्धान्ततः इस बात का विरोध किया है कि गवर्नमेंट को किसी भी हालत में यह ताकत नहीं होनी चाहिये कि वह जनता के चुने हुए किसी भी आदमी को हटा सके उस समय जब तक जनता स्वयं अपने मत से उसको न हटा दे। अगर सरकार ऐसा अमेंडिंग बिल पेश करती है कि २ साल का टाइम इसके लिये रखा जाय तो उन दो सालों में गड़बड़ी होती है उसकी जिम्मेदारी सरकार के ऊपर आ जाती है। इसलिये मेरा निवेदन है कि यह प्राविजो हटा दिया जाय और सिर्फ ४ साल का ही समय रखा जाय। अगर यह रहेगा तो लोगों को यह डर रहेगा कि हमें इलेक्शन फेस (चुनाव का मुकाबला) करना है, इससे गड़बड़ी भी न हो सकेगी नहीं तो लोग यह समझते रहेंगे कि माननीय मंत्री के पास जाकर चुनाव को रुकवा सकते है, और दो साल के लिये तो टाल ही सकते हैं और हो सकता है इन दो सालों में जनता को बड़ी भारी हानि उठानी पड़े।

अध्यक्ष महोदय, यह मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूं। अमेरिका में सिनेट और प्रेसीडेंट के चुनाव होते हैं और जब वे चुनाव ड्यू (वाजिब) होते हैं तभी होते हैं। आपको याद होगा कि दूसरी बड़ी लड़ाई में जब कि सारी दुनिया तो दूसरे भीषण महायुद्ध में फंसी हुई थी उस समय अमरीका में चुनाव हो रहा था और उसी समय जब कि अमरीका एक बड़े सेनानी की हैसियत से जर्मनी और जापान का मुकाबला कर रहा था। सिद्धान्ततः इस बात को मान लेने से गवर्नमेंट की ओर से एक्सटेंशन नहीं दिया जायगा तो माननीय मंत्री के ऊपर भी जो लोग असर डालते हैं और उनको परेशान करते हैं, वह भी न होगा उससे मंत्री जी की मुसीबत टल जायगी और सारा सेटअप ही बदल जायगा और जनता को मौका मिलेगा कि अपना मन पसन्द प्रतिनिधि म्युनिसिपिल बोर्ड में भेजे। इन शब्दों के साथ मैं संशोधन उपस्थित करता हूं और आशा है माननीय स्वशासन मंत्री इसको स्वीकार कर लेंगे।

श्री मोहनलाल गौतम—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन इस समय सदन के सामने है उसमें यह कहा गया है कि जो भी अवधि हो, जो भी म्युनिसिपैलिटी की लाइफ हो उसमें एक भी दिन का इजाफा न किया जाय। मिसाल दी गयी है अमरीका और वर्ल्ड वार की और कहा गया कि अमरीका में कोई बात भी क्यों न हो वक्त पर चुनाव कर ही दिये जाते हैं। आपकी मार्फत अध्यक्ष महोदय मैं इतना सदन से निवेदन कर दूं कि अमरीका की हर एक चीज को हम अपने रिसोर्सेज के अनुसार ही अपना सकते हैं, इस पर हमें विचार करने की आवश्यकता है। हमारे सामने तो कई दिक्कतें आ जाती हैं जिनको हम पार नहीं कर सकते हैं। आज अगर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के जनरल इलेक्शन कराये जायं और यह मान लिया जाय कि उसमें १ करोड़ रुपया खर्च होगा और उस समय पूर्वी जिलों में मान लिया अकाल पड़ा हुआ है तो इसी शहर के रहने वाले जिनका डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से और उसके इलेक्शन्स से कोई ताल्लुक नहीं और न उनका सम्बन्ध उस अकाल से ही है लेकिन जो समझदार लोग हैं वे अवश्य ही यह कहेंगे कि जनाब क्या आपकी अक्ल मारी गयी है जो जनरल इलेक्शन में १ करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं जब कि अकाल से लोग भूखों मर रहे हैं और वैसा ही सदन में भी कहा जा सकता है कि इन इलेक्शन को रोक दीजिये और यह रुपया अकाल वालों के लिये दे दीजिये। इसी लेजिस्लेचर के दूसरे हिस्से के लोगों ने यह आवाज उठायी कि एलेक्शनबाजी में आप जल्दी करना चाहते हैं, यह यह जरूरी है, यह यह बात है। तो मौका आ सकता है जब हम सब लोग जितने विरोधी दल के लोग भी शामिल है, यह महसूस करें कि एलेक्शन एक छोटी चीज है, एलेक्शन क।

मुल्तवी किया जाय और उससे ज्यादा जरूरी जो है उसको सामने रख कर उसे काम में लावें। एपिडेमिक हो सकती है या जेनरल एलेक्शन पार्लियामेंट और प्रान्तीय असेम्बली साथ होने पर टक्कर हो सकती है तो विरोधी दल के लोग चाहेंगे और इस सदन में बहुमत दल के जो लोग हैं वे भी चाहेंगे और जो दल इस सदन के बाहर हैं वे भी चाहेंगे कि म्यूनिसिपैलिटियों का चुनाव और जनरल एलेक्शन एक साथ न हो। हो सकता है कि मांग यह हो अलग-अलग कराये जायं। शहरों में कुछ ऐसी बीमारी हो, दो चार शहरों में ही एपिडेमिक फैला हो, जिससे शहर के रहने वाले शहर छोड़ कर भाग गये हों। शहर के माने कानपुर और लखनऊ जैसे शहर से ही नहीं है। दस-दस हजार की आबादी वाली म्युनिसिपैलिटियां भी शहर के अन्दर आती हैं। तो जब कि किसी शहर में प्लेग फैला हो और वहां के लोग भाग कर अपने रिश्तेदारों के यहां चले गये हों और फिर आप कहते हैं कि एलेक्शन कराया जाय। तो कम से कम मेरा अन्दाजा यह है कि उस शहर के लोग तो यह जरूर कहेंगे कि उनके साथ न्याय नहीं हो रहा है। तो एपिडेमिक हो सकता है, जनरल एलेक्शन हो सकता है, और भी दुनिया भर की नागहानी की चीजें हो सकती हैं। या और भी कोई जरूरत की अवस्था में कोई म्युनिसिपैलिटी अपने यहां एलेक्शन नहीं करा सकती है। यह सम्भव नहीं मालूम होता है, इसमें दिक्कतें मालूम होती हैं।

अमेरिका के पास जितने साधन हैं, जिस तरह से उनके पास एक दूसरे के पास पहुंचने के लिये साधन हैं वोट डालना कितना सुगम होता है उससे यह एलेक्शन मामूली तौर पर हो सकता है। लेकिन हमारे यहां एक एलेक्शन करने में इतनी ताकत खर्च होती है, इतना रुपया खर्च होता है, इतने कार्यकर्त्ता लग जाते हैं और इतने आफिसर्स लग जाते हैं कि कई बार कोई और जरूरी चीजें आ सकती हैं। जिनको हम प्रीफरेन्स दें और जिसका पहले करना मुनासिब समझें। और साल ६ महीना एलेक्शन को रोक दें। अभी तक म्युनिसिपैलिटियों की लाइफ एक्सटेंड करने के लिये कोई रुकावट नहीं है। गवर्नमेंट जब तक चाहे उसे एक्सटेंड करती रहे लेकिन मैंने स्वयं दो वर्ष रखा है।

जो अमेंडमेंट यहां रखा गया है उसमें कुछ लोगों ने लाइफ को बढ़ाने की बात चाही, कुछ लोगों ने कहा कि यह बात जरूरी हो सकती है, कुछ लोगों ने कहा कि ४ साल कम है, ५ साल क्यों न कर दिया जाय। फिर कुछ लोग यह कहते हैं कि बोर्ड की लाइफ जिस तारीख को खत्म हो उस तारीख के भीतर ही एलेक्शन करा लिया जाय, कुछ लोग कहते हैं कि एक साल मियाद बढ़े, दो साल न रहे। हो सकता है कि जो लोग यह समझते हैं कि दो साल मियाद बढ़ायी जाय वे मेरी दलीलों को मानते हों जो मैंने दी। चार साल के समाप्त होने पर फौरन एलेक्शन हो जाय और कोई मियाद बढ़े वे सब लोग इस दलील को मानते हैं कि हां, बोर्ड की मियाद बढ़ाना जरूरी हो सकता है, दिक्कतें आ सकती हैं, मुश्किलें आ सकती हैं। एक साल बढ़ा दें तो सिद्धान्त की कोई बात नहीं रहती। मैं समझता हूं कि दो साल मियाद बढ़ायी जाय तो उसका मतलब यह नहीं है कि यह हमेशा के लिये ही हो जाना चाहिये। मेरा मतलब यह है कि चार साल की लाइफ के अन्दर एलेक्शन हो जाना चाहिये जब तक कि कोई विशेष कारण न हो एलेक्शन मुल्तवी न हो। चार साल का अन्त होने के पहले ही नया बोर्ड चुना जाय और जब पुराने बोर्ड की लाइफ खत्म हो तो नया बोर्ड तुरत चार्ज ले लें। लेकिन अगर जरूरत महसूस हो तो लाइफ बढ़ायी जाय उसके लिये यह विधान रखा गया है। इसमें दो साल के लिये बढ़ाने की बात नहीं है। ६ महीने के लिये बढ़ सकता है, तीन महीने के लिये बढ़ सकता है साल भर के लिये बढ़ सकता है लेकिन कुल जोड़ जितना कि म्युनिसिपैलिटी को एक्सटेंशन मिले वह दो साल से अधिक न हो, भले ही उसको चार, पांच बार एक्सटेंशन मिला हो।

[श्री मोहनलाल गौतम]

तो जरूरी नहीं है कि दो साल के लिये ही बढ़ा दिया जाय, तीन महीने के लिये भी बढ़ सकता है, ६ महीने के लिये भी बढ़ सकता है और साल भर के लिये भी बढ़ सकता है लेकिन कुल मिलाकर दो साल से ज्यादा नहीं बढ़ सकता यह इसमे रखा गया है। मेरा ख्याल है यह बहुत सोच विचार करके रखा गया है और इसमे पहले तो यह कोशिश करना कि पीरियड बिलकुल बढ़ाया न जाय और फिर यहां तक मान लेना कि एक साल के लिये बढ़ाया जा सकता है कुछ उचित नहीं है। फिर यह भी कहा जा सकता है कि मंत्री जी पर प्रेशर पड़ेगा। मंत्री के लिये कुछ न कुछ कहना और हर एक स्पीच में दो एक हमले मंत्री की नियत पर किये बिना तो कुछ मजा आता नहीं इसलिये मैंने तो अब उसके बारे मे बोलना छोड़ दिया है। लेकिन प्रेशर जायज भी हो सकते है वर्ल्ड फोर्सेज और लोकल फोर्सेज दोनों के प्रेशर्स ऐसे हेल्दी भी हो सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का एलेक्शन कराया जा रहा है और उसमे १ करोड़ रुपया खर्च होने वाला है और इतने मे फैमिन आया तो यह कहा जायगा कि एक करोड़ को फैमिन पर खर्च कर दो और वह प्रेशर हेल्दी प्रेशर होगा और ऐसे हेल्दी प्रेशर को चाहे वह अपनी पार्टी की तरफ से हो या विरोधी पार्टी की तरफ से हो मानना चाहिये। इन शब्दों के साथ मै यह दिक्कत महसूस करता हूं कि अगर इसको माना जायगा तो दिक्कतें बढ़ जायेगी और बजाय फायदे के नुकसान होगा। मुझे आशा है कि इसके मूवर साहब इसको वापस कर लेंगे।

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से माननीय राम नारायण त्रिपाठी द्वारा प्रस्तुत संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, माननीय मंत्री जी को यह शिकायत रही है कि हम तो हमेशा मंत्रित्व या उनकी नीति के खिलाफ कुछ मुखालिफत करते ही रहते हैं।

श्री मोहनलाल गौतम—मैने तो मुखालिफत की बात नहीं कही। खिलाफत तो मर गई, मैंने यह कहा था

श्री नारायणदत्त तिवारी—मै भी तो यही कहता हूं कि खिलाफत तो मर गई लेकिन मुखालिफत तो आपके सामने जिन्दा है। तो श्रीमन्, मै तो माननीय मंत्री जी की थोड़ी बहुत तारीफ करता हूं और वह इसलिये कि उन्होंने पहले प्राविजन को कुछ हल्का कर दिया। पुराने ऐक्ट में जैसा था अगर वह देखा जाय तो उसमें था कि सरकार जितना चाहती उतना बढ़ाती जाती। केवल एक साल को बढ़ाने की बात थी। जितने मरतबे चाहे बढाती चली जाय। दफा २९ इस प्रकार है :—

"That the state Government may, by notification in the official Gazette :

(*a*) (i) extend from time to time the term of all boards generally and postpone the general elections in the State for a period not exceeding one year at a time,"

इसके मुकाबिले में अब जो प्राविजन माननीय मंत्री जी ने रखा है वह ज्यादा अच्छा है और मै इस माने मे उनकी तारीफ करता हूं। लेकिन फिर आपने, माननीय मंत्री जी ने, विधान की परम्पराओं का पालन नहीं किया। मै अर्ज यह करना चाहता हूं कि आपने कहा कि ऐसी इमर्जेसीज पड़ जायेंगी एलेक्शन्स के वक्त और उसके लिये यह चीज रखना जरूरी था। लेकिन मै यह पूछना चाहता हूं कि इमरजेंसी का नाम कहीं आपके इस संशोधन में है। जो संशोधन के शब्द है वह मै आपकी आज्ञा से पढ़ना चाहता हूं :

"Provided that the State Government may, by notification in the official *Gazette*, extend from time to time the term of all or any board, so however, that the total extension does not in the aggregate exceed two years."

यह तो सब [illegible] हालत [illegible] है इमर्जेंसी हो या न हो। अगर इस प्रतिबन्धात्मक वाक्य के बाद भी ऐसा हो कि जब इमरजेन्सी जायेगी या अनफोरसीन सरकमस्टान्सेज आ [illegible] तो [illegible] बढ़ाया जायेगा तब तो मैं त्रिपाठी जी से निवेदन करता कि [illegible] बिल्कुल स्पष्ट है और उसको चलेंज नहीं करना चाहिये। लेकिन इसमें [illegible] अनफोरसीन सरकमस्टान्सेज की बात है ही नहीं। यह आपके बिल्कुल [illegible] आप चाहें तो बढ़ा दें। सिर्फ आपने दो साल का एक प्रतिबन्ध रखा है। मैं विधान की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूँ जिसको आपने कोट किया। अनुच्छेद १७२ (१) में लिखा हुआ है

Every Legislative Assembly of every State, unless sooner dissolved, shall continue for five years from the date appointed for its first meeting and no longer and the expiration of the said period of five years shall operate as a dissolution of the Assembly:

Provided that the said period may, while a Proclamation of Emergency is in operation, be extended by Parliament by law for a period not exceeding one year at a time and not extending in any case beyond a period of six months after the Proclamation has ceased to operate.

[प्रत्येक राज्य की प्रत्येक विधान सभा, यदि पहले ही विघटित न कर दी जाये तो अपने प्रथम अधिवेशन के लिये नियुक्त तारीख से पांच वर्ष तक चालू रहेगी और इससे अधिक नहीं और पांच वर्ष की उक्त कालावधि की समाप्ति का परिणाम विधान सभा का विघटन होगा

परन्तु उक्त कालावधि को, जब तक आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है, संसद् विधि द्वारा, किसी कालावधि के लिये बढ़ा सकेगी, जो एक बार एक वर्ष से अधिक न होगी तथा किसी अवस्था में भी उद्घोषणा के प्रवर्तन का अन्त हो जाने के पश्चात् ६ मास की कालावधि से अधिक विस्तृत न होगी।]

तो पार्लियामेंट और असेम्बलीज के लिये [illegible] से दिया हुआ है कि किसी हालत में भी अगर प्रेसीडेंट [illegible] पांच साल से ज्यादा असेम्बली का टर्म नहीं माना जायगा। और अगर [illegible] इमरजेंसी हो तो पार्लियामेंट के कानून के जरिये टर्म बढ़ा और [illegible] प्रोक्लेमेशन के खत्म होने के ६ महीने के बाद समाप्त हो जायगा। [illegible] फिर भी ६ महीने के अन्दर चुनाव हो जायगा। तो विधान [illegible] इसमें [illegible] लिखा है कि कानून द्वारा असेम्बली म्युनिसिपैलिटी के टर्म [illegible]। अगर ऐसा होता, कि जब नेशनल इमर्जेंसी हो तो प्रेसीडेंट प्रोक्लेमेशन करें और [illegible] कानून के जरिये से म्युनिसिपैलिटी की अवधि बढ़ाती तो भी हम यह सोचते कि यह संशोधन न रखें। लेकिन जब आप विधान की परम्परा से बाहर जायेंगे तब हमें विचारना पड़ता है कि जो बात आपने रखी है उसको हम स्वीकार करें या न करें। इसलिये मैं [illegible] जी से यह अनुरोध करता हूँ कि वह हमारे संशोधन को स्वीकार करें या अपनी ओर से संशोधन लायें जो भारत के विधान के अनुच्छेद १७२ (१) में है उसका अनुसरण करें।

एक बात मैं और निवेदन कर दूँ। [illegible] कोर्ट [illegible] में जिस समय प्रेसीडेंट की शिक्षा संबंधी योग्यता निर्धारित करने का प्रश्न आया तो वहां पर इसी दलील को मान करके कि चूंकि विधान के अन्दर पार्लियामेंट और असेम्बली के सदस्यों के लिये कोई शिक्षा संबंधी योग्यता नहीं रखी गयी है इसलिये म्युनिसिपैलिटी के प्रेसीडेंट की शिक्षा संबंधी योग्यता को डिलीट कर दिया जाय।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

अगर माननीय मंत्री जी ने काउंसिल मे इस प्रेसीडेंटी शिक्षात्मक योग्यता संबंधी प्रस्ताव को वापस ले लिया था विधान की परम्परा को देखकर तो आज भी उसी परम्परा के अनुसार यह दो साल की जो धारा रखी गयी है उसको भी या तो संशोधित करें या बिलकुल निकाल दें।

श्री मलखान सिंह (जिला अलीगढ़)--माननीय अध्यक्ष महोदय जी, जो संशोधन श्री रामनारायण त्रिपाठी जी ने रखा है उसका समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। मंत्री जी महोदय ने जो जवाब दिया है उसमें कहीं गई एक भी बात से संतोष नहीं हुआ। कानून के अन्दर जब हम कानून बनाने बैठे हैं तो उसमें हम इतनी लचक क्यों रखें कि जो मेम्बर चुने जायं उनको ऐसी भावना रखने का ख्याल भी पैदा हो जाय कि उनकी मियाद गवर्नमेंट अपनी तरफ से अपने डिस्क्रीशन पर दो साल बढ़ा सकती है।

मैं समझता हूं कि यह कमजोरी है कानून की। कानून सख्त होना चाहिये और कानून में कोई ऐसी गुंजाइश नहीं होनी चाहिये कि किसी भी गवर्नमेंट को यह कहने का मौका हो कि कोई अकाल पड़ जाय पूर्वी जिलों में जिसके लिये सरकार को करोड़ों रुपया खर्च करना पड़े। अगर कोई ऐसी इमर्जेंसी आ जाय तो आपके हाथ बंधे नहीं हैं उसके लिये आप कानून बना सकते हैं और गवर्नमेंट के जरिये आर्डिनेंस भी निकाल सकते हैं। लेकिन कोई मौका तो आने दीजिये। लेकिन आप तो पहले से ही यह बनाये दे रहे हैं। जैसा कि नारायणदत्त जी तिवारी ने कहा अगर ऐसा ही है तो इमर्जेंसी टाइम के लिये ऐसी प्रोविजो आप रख सकते थे लेकिन वह भी आप ने नहीं रखा। आपने तो पहले से ही अपने डिस्क्रिशन पर रखा है, आप क्यों ऐसी लचक कानून में रखते हैं। इसके अलावा आपने दो साल का ऐग्रीमेंट रखा है। ३ महीने अब बढ़ा दिया और फिर एक साल छोड़ करके ४ मास फिर बढ़ा दिया। यह क्या मजाक सा कर रखा है। एक बार होना चाहिये। अगर आपको मौका मिला है, अगर कोई इमर्जेंसी है तो तीन महीने के लिये बढ़ा दिया फिर बन्द कर दीजिये लेकिन आप यह करते हैं कि तीन महीने बढ़ा दिया और फिर ३ महीने के लिये बढ़ा दिया और ऐग्रीगेट ले जा करके दो साल कर दिया। मैं समझता हूं कि यह एक बड़ी लम्बी कहानी हो जायगी। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से यह प्रार्थना करूंगा कि कानून जहां बनाने जा रहे हैं उसमें इस तरह की लचक और गुंजायश न रखें कि जिस से लोगों को यह जरा सी भी भावना हो कि हमारा चुनाव का जो वक्त है जरा सा भी बढ़ेगा।

यदि कोई इमर्जेंसी भी आती है तो मैं फिर दोबारा दोहराता हूं कि हमारे हाथ कोई जेब में नहीं रहेंगे। आप कानून बना सकते हैं और कानून के जरिये से टाइम को बढ़ा सकते हैं। लेकिन आप गुंजायश रखें और सब कुछ अपने हाथ में रखें और उसे भी कानून में नहीं, तो मैं उसे मुनासिब नहीं समझता और मैं यह समझता हूं कि यह प्रस्ताव बहुत सही है और स्वीकार कर लेना चाहिये।

श्री जगन्नाथमल्ल (जिला देवरिया)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं श्री रामनारायण जी के संशोधन का समर्थन करने खड़ा हुआ हूं। अभी माननीय मंत्री जी ने इस संशोधन का विरोध करते हुये अपने भाषण में यह दलील दी कि हो सकता है कि अकाल पड़ जाय और उस समय हमें यह एलेक्शन बन्द करना पड़े। ठीक है, जहां तक मंत्री जी का ताल्लुक है मैं समझता हूं कि कुछ मानों में उनकी दलील ठीक है और इसलिये ठीक है कि अकाल की बात सोचना इस हुकूमत में जायज है। क्योंकि जबतक यह हुकूमत रहेगी अकाल की संभावना हमेशा है और यही चीजें सोच कर माननीय मंत्री जी ने जो दलील दी कि हां अकाल आयेगा और वह भी ऐसा वैसा नहीं आयेगा, वह ऐसा कि जो मुतवातिर दो दो साल तक प्रदेश में रहेगा और दो दो साल तक चुनाव को रोकना पड़ेगा। इस किस्म की बा सोचते हैं इस हुकूमत के मंत्री महोदय! उनका सोचना जायज है। फिर भी मैं ते

आपसे दूसरी चीज अर्ज करूं, जो कि मुझे दुख है, उस रोज मुख्य मंत्री जी ने यह कहा था, एक दलील दी थी कि "गोबध बन्द करो, ऐसा लिखना ही बहुत खराब मालूम होता है ।" इसी तरह से अगर यह कहा जाय कि अकाल पड़ेगा, और वह भी एक मंत्री के मुख से वह उससे भी ज्यादा खराब मालूम होता है। तो नाजायज बात नहीं होगी। म तो मंत्री जी से कहूंगा कि इस किस्म की दलीलें ठीक दलीलें नहीं हैं।

मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं।

एक मनुष्य जा रहा था। उसके सिर पर दरख्त जम गया था, लोगों ने कहा कि उसे देखो उसके सिर पर दरख्त जमा है और वह वैसे ही बिना लज्जा के चला जा रहा है। उसने कहा कि चलो दरख्त जम जाने से इतना तो हुआ कि साया तो हो गई। तो इस तरह की, इस किस्म की दलीलें माननीय मंत्री जी न दें इसको मानने के लिये और अपने हाथ में इतना अधिक अधिकार न रख ले कि जब चाहा तब चुनाव टाल दिया। कभी हो सकता है कि पहले यह चुनाव आये उस समय बोर्ड के सदस्यो द्वारा कौंसिल का चुनाव भी हो सकता है तो उसको आप टालते जायं। मैं इन शब्दो के साथ मे श्री रामनारायण जी के संशोधन का समर्थन करता हूं।

(इस समय १ बजकर १६ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर १८ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री बेचनराम गुप्त, की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)--अधिष्ठाता महोदय, यह अमेंडमेंट जो आया है श्री रामनारायण त्रिपाठी का म इसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। श्री मलखान सिंह जी ने कहा था कि वेस्ट आफ टाइम है और यह लचर है लेकिन मैं उनको बता देना चाहता हूं कि गवर्नमेंट के हाथ यहां बंधे जा रहे ह। जैसा आप ने कहा कि तीन-तीन महीने पर प्रतिबन्ध लगता है, गवर्नमेंट खुद अपने सामने रुकावट रख रही है। अब गवर्नमेंट अपने सामने एक पीरियड लिमिट कर रही है और उसका आप विरोध कर रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आता है कि जब हम एक लिमिट करते हैं तो आप क्यो विरोध करते हैं। जब हम पीरियड लिमिट करते हैं तो आप उसका विरोध करते हैं और अगर हम लिमिट नहीं करते हैं तो आप कहते हैं कि साहब लिमिट कर दीजिये, आप मनमानी कर रहे हैं। मैं यह बताना चाहता हूं कि हम मनमानी नहीं कर रहे हैं। जहां तक इमर्जेंसी का प्रश्न है एमर्जेंसी म्युनिसिपैलिटी मे लागू नहीं होगी। एमर्जेंसी तब लागू होगी जब कोई वाइड क्वेश्चन होगा। प्रेसीडेंट को एमर्जेंसी पावर यूज़ करने का अधिकार है, स्टेट गवर्नमेंट एमर्जेंसी पावर नहीं यूज़ करेगी। इन शब्दों के साथ मैं यह बता देना चाहता हूं कि त्रिपाठी जी ने जो दो वर्ष का विरोध किया है यह ठीक नहीं है और उनका जो अमेंडमेंट है वह बिलकुल गलत है और जो सरकारी बिल है वह बिलकुल दुरुस्त है। इसलिये मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं।

श्री मदन मोहन उपाध्याय--माननीय चेयरमैन महोदय, जो प्रस्ताव माननीय रामनारायण जी ने इस सदन के समने रखा है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में यह कहा था कि जब कोई एमर्जेंसी हो जाती है तो एलेक्शन्स का होना मुमकिन नहीं होता है और उसके लिये कुछ टाइम की जरूरत होती है। मेरा कहना यह है कि हमें जरा सरकार की इन बातो पर विश्वास कम आता है। सरकार तो हमेशा एमर्जेंसी क्रिएट करवाती रहती है, अकाल अगर बम्बई में पड़ता है तो यहां म्युनिसिपैलिटीज में अकाल की बात कर दी जाती है। आज मिसालन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चुनाव ड्यू हैं लेकिन अभी उसकी कोई बात नहीं आ रही है यद्यपि न इस प्रान्त के अन्दर अकाल है और न कोई और ऐसी चीज है। पंचायत राज हमारे प्रान्त की एक बहुत बड़ी चीज समझी जाती है और उसका चुनाव ओवर ड्यू हो गया है, लेकिन उसका एक्सटेंशन होता चला आ रहा है। जब आप की तबियत होगी तब आप उसका चुनाव करायेंगे। पहले जेनरल

[श्री मदन मोहन उपाध्याय]

एलेक्शन्स की बात कही जा रही थी और अब एमर्जेंसी की बात आ रही है और जब कभी गवर्नमेंट चाहे एमर्जेंसी डिक्लेयर कर सकती है। हम चाहते हैं कि इसका निश्चय कर दिया जाय। अगर कोई कभी लड़ाई की बात होगी तो हरएक इन्सान चाहेगा कि मिल करके अपने मुल्क की रक्षा करें। अगर शहरों में आग लग रही हो और कागजात जलाये जा रहे हों तब भी हम साथ देने के लिये तैयार हैं कि हां साहब एलेक्शन्स पोस्टपोन किये जायं। अगर कागज जल रहे होंगे तो हमारा भी नाम नहीं निकलेगा। जो कार्य गवर्नर आर्डिनेंस निकाल कर के कर सकता है उसको कानून में रख देना और फिर यह कहना कि हम बड़ी भारी बात कर रहे हैं, ठीक नहीं है। मैं .... हूं कि अगर यह इस से निकाल दिया जाय तो हर म्युनिसिपैलिटी यह समझेगी कि अगर इस पीरियड तक हमारा काम ठीक रहा तो ठीक है, और अगर काम ठीक नहीं रहा तो निकाल दिये जायेंगे। माननीय मंत्री जी ने कहा कि मुझे सलाह देने वाले और लोग होते हैं। माननीय मंत्री जी को सलाह देने के लिये जितने लोग आते हैं वे यही चाहते हैं कि एक आध साल का एक्सटेंशन हो जाय।

श्री मोहनलाल गौतम—तालुक अलग-अलग होता है।

श्री मदन मोहन उपाध्याय—इसलिये मैं चाहता था कि अगर इस पर कुछ नियम फिक्स हो जायं तो कोई गड़बड़ी म्युनिसिपैलिटीज के अन्दर नहीं हो सकती है। जिस वक्त चुनाव ड्यू होता है उस वक्त म्यूनिसिपैलिटी का चुनाव हो जाय तो हमारे प्रान्त की म्यूनिसिपैलिटीयों का ऐडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा रहेगा। कोई वजह नहीं कि सिवाय इमर्जेंसीज के ऐसी चीज की जाय, मैं समझता हूं कि कांस्टीट्यूशन में भी ऐसा नहीं है कि चुनाव पांच साल के बाद होगा ही, बाद में हो या कोई ऐसी इमर्जेन्सी हो तो चुनाव न किया जाय। अगर कोई इमर्जेन्सी होगी उस वक्त हमारे प्रेसीडेंट कोई आर्डिनेंस निकाल सकते हैं कि ऐसी चीज हो गई है इसलिये एलेक्शन नहीं होगा, इसलिये जो गवर्नर साहब कर सकते हैं उसका कानून बनाया जाय, यह ठीक नहीं है। अगर चार साल का समय है तो मेम्बर यह समझेंगे कि कम से कम ६ साल तो रहने को मिलेगा ही। मैं भी चाहता हूं कि अगर चुनाव १५ साल तक न हों तो मैं इस असेम्बली में बैठा रहूंगा, मगर हमारी पार्टी नहीं चाहती है। हम तो चाहते हैं कि बहुत जल्दी नया चुनाव हो ताकि हम इन्हें बाहर निकालें और हम खुद बैठें लेकिन हर एक आदमी चाहता है कि कन्टीन्यूएशन काफी रहे। तो मैं चाहता हूं कि इस को अगर बन्द किया जाय और नियत टाइम पर चुनाव किया जाय तो उससे हमारी म्यूनिसिपैलिटीज की ठीक व्यवस्था हो सकती है, इसलिये मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री ब्रजबिहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)—चेयरमैन महोदय, यह संशोधन जो प्रस्तुत किया गया है, मैं उसका विरोध करता हूं। माननीय त्रिपाठी जी का, जिन्होंने इस संशोधन को पेश किया है, यह कहना है कि यह २ ईयर्स (दो सालों) की अवधि बढ़ाने का जो अधिकार दिया जा रहा है, इस संशोधन के द्वारा, वह निकाल दिया जाय। वह समझते हैं कि इसका प्रयोग ठीक नहीं होगा। माननीय नारायणदत्त जी ने यह कहा कि इसका इमर्जेन्सी के केसेज में प्रयोग किया जाना उचित होगा लेकिन वैसे इसका प्रयोग नहीं होना चाहिये। माननीय नारायणदत्त जी ने संविधान की धारा १७२ का हवाला दिया और यह कहा कि पार्लियामेंट या असेम्बली के लिये जो मियाद बढ़ाने का प्रश्न आता है उसका बिल प्रस्तुत किया जाना चाहिये संविधान की धारा के अनुसार। इस तरह से अगर म्युनिसिपैलिटी की मियाद बढ़ाने का प्रश्न आता है तो इसका अधिकार स्टेट गवर्नमेंट को ही दे देना उचित नहीं होगा बल्कि जहां तक मैंने समझा उनका यह मतलब था कि इसकी मियाद बढ़ाने का जब प्रश्न आवे तो वह भी असेम्बली

में आना चाहिये, यह उनका एतराज था। माननीय भगवान सिंह जी ने कहा की ऐसा संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया है और उसमें जो अमेंडमेंट किया जा रहा है, यह एक तरह का मजाक है। माननीय उपाध्याय जी का यह कहना था कि अगर ऐसा समय आ जाय जैसा उन्होंने इसको स्वीकार किया कि लड़ाई का अवसर आये तब तो वे सहर्ष स्वीकार करेंगे कि अवधि बढ़ा दी जाय। माननीय जगन्नाथ मल्ल को बड़ा एतराज था और यह अकाल पड़ जाने की जो बात माननीय मंत्री जी के मुंह से निकल गई उस पर उनको बड़ा एतराज था और उन्होंने यह कहा कि इस हुकूमत में अकाल पड़ना अवश्यम्भावी है, यह उन्होंने इसका निष्कर्ष निकाला था। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हर एक नियम का अपवाद रखना आवश्यक होता है। क्या आप समझते हैं कि जब इसकी आवश्यकता पड़े तो मंत्री महोदय अवधि बढ़ाने के लिये कोई विधेयक यहां पर लावें। अगर ऐसा करते रहे तो जैसा यह मामूली सा विधेयक म्युनिसिपैलिटी का है जिस पर करीब करीब दस रोज से हम संशोधनों पर बहस कर रहे हैं। तो अगर अवधि बढ़ाने का विधेयक आया और हम बहस करना शुरू कर दें तो एक महीना बहस में ही खत्म हो जायगा। यह तो एक तात्कालिक प्रश्न है कि यदि कोई ऐसी परिस्थिति आ जाय तो म्युनिसिपैलिटी की अवधि को बढ़ाने का अधिकार सरकार को होना चाहिये। मेरी समझ में यह बात नहीं आती कि जब यह जनता की सरकार है जनता ने चुन कर इसे भेजा है तो फिर हर बात में शंका करते रहें जैसे कि जब यहां ब्यूरोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, विदेशी हुकूमत थी तब हम अक्सर शंका किया करते थे कि गवर्नमेंट को यह अधिकार नहीं मिलना चाहिये, मेरी समझ में यह उचित नहीं है। गवर्नमेंट को अधिकार देना चाहिये कि तात्कालिक कोई ऐसा प्रश्न आ जाय तो वह अवधि बढ़ा सके। इसमें आप देखेंगे, जैसा कि मंत्री महोदय ने बताया, कि पहले तो कोई मियाद नहीं थी, चाहे जब तक अवधि बढ़ाते चले जायें लेकिन अब उन्होंने अन्तिम अवधि नियत कर दी है कि दो वर्ष तक हम बढ़ा सकते हैं और उससे ज्यादा नहीं बढ़ायेंगे। तो बजाय इसके कि विरोधी पक्ष को इसमें प्रसन्नता होती कि जो अनलिमिटेड पावर गवर्नमेंट को थी उसको कम करके मंत्री महोदय ने केवल दो वर्ष कर दिये, वह इसका विरोध करते हैं। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के नियमों में क्या है? सन् १९३५ में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के एलेक्शन्स हुये थे। परिस्थितियों ने हमको बाध्य किया तो सन् १९४८ में कहीं जाकर, १३, १४ वर्षों के बाद डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के एलेक्शन्स हुये। उसी प्रकार म्युनिसिपल बोर्ड के एलेक्शन्स मेरे ख्याल में सन् ४५ में हुये थे और अब ५२ हो गया। तो सात वर्ष तक हम उनकी अवधि बढ़ाते चले गये। तो ऐसी परिस्थितियां आ सकती हैं। इस विधेयक में आप देखेंगे कि इसमें शब्द may आया है, shall का शब्द नहीं है जिसका अर्थ यह है कि जरूर ही अवधि बढ़ायी जाय। तो ऐसी परिस्थितियां आ सकती हैं, अकाल को आप छोड़ दीजिये यदि मंत्री जी ने अकाल शब्द का प्रयोग कर दिया और आपको बुरा लगा और हम भी उसका प्रयोग करना नहीं चाहते हैं अगर उसके प्रयोग से माननीय जगन्नाथ मल्ल जी को एतराज है। मैं उनसे सहमत हूं, ठीक है, नहीं प्रयोग होना चाहिये ताकि इस अकाल के कष्ट से हम लोग बरी रहें। लेकिन और परिस्थितियां हो सकती हैं, जैसे कि माननीय उपाध्याय जी ने बताया, लड़ाई हो सकती है, लड़ाई के वे बादल तो आज कल आकाश में मंडरा हो रहे हैं। तो मैं यह समझता हूं कि इसके लिये सरकार को अधिकार देना सर्वथा उचित है और इसका प्रयोग अति आवश्यक परिस्थितियों में होगा। इसलिये मैं समझता हूं कि माननीय त्रिपाठी जी अपने संशोधन को वापस ले लेंगे और यह सदन जैसा कि मंत्री जी ने विधेयक प्रस्तुत किया है उसे पास करेगा।

श्री कमला सिंह——महोदय, मैं श्री रामनारायण त्रिपाठी जी के संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। अभी हमारे मिश्र जी ने बहुत सी बातें बतलायीं और

[श्री कमला सिंह]

माननीय मंत्री जी ने भी बहुत सी बातें बतलायीं लेकिन अगर इस सेक्शन को पढ़ा जाय तो इसके अन्दर कोई ऐसा स्थान नहीं आता जहां पर इमरजेंन्सी शब्द हमें मिले। मैं आपकी आज्ञा से पढ़ देना चाहता हूं--

"Provided that the State Government may, by notification in the official *Gazette*, extend from time to time the term of all or any board, so however, that the total extension does not in the aggregate exceed 2 years."

इसके अन्दर कहीं भी "in case of emergency" आया होता तो मैं मान सकता था कि माननीय मंत्री जी का कहना ठीक था लेकिन यह शब्द कहीं भी इस्तेमाल नहीं हुआ है। दूसरे आप यदि देखें और इसकी डैफीनेशन्स को देखें तो कहीं भी आपको इमर्जेन्सी शब्द नहीं मिलेगा, जिससे मालूम हो कि यह किस हालत में माना जायगा या इमर्जेन्सी का प्रयोग किस समय में हमारी सरकार तथा हमारे मंत्री जी इसका प्रयोग करेंगे।

माननीय मंत्री जी के मुख से कुछ शब्द निकले हैं। जहां उन्होंने अकाल शब्द कहा है तो मुझे तो ताज्जुब होता है क्योंकि अकाल तो हमेशा देहातों मे पड़ता है और किसी म्युनिसिपैलिटी में अकाल सुनाई नहीं देता है और अब आगे पड़ने की सम्भावना हो तो मै नहीं कह सकता हूं। फिर भी मै यह कहता हूं कि हमारे मुख्य मंत्री जी का चैलेंज है कि हमारे प्रदेश में कभी भी अकाल नहीं पड़ सकता है और हमारे गुप्ता जी के रहते हुये यदि अकाल पड़े तो बड़े ही आश्चर्य की बात है और साथ ही साथ मैं यह कहूंगा कि स्वशासन मंत्री जी की समझ में कैसे आया कि अकाल पड़ेगा और इमर्जेन्सी पड़ेगी। मै समझता हूं कि शायद वह गुप्ता जी या मुख्य मंत्री जी को अयोग्य मानते होंगे लेकिन मैं कहता हूं कि इस भावना को दूर रखा जाय। अगर यह कहा होता कि म्युनिसिपैलिटी के अन्दर किसी किस्म की गड़बड़ी होती है जिससे इमर्जेन्सी लाई जाये तो शायद ठीक होता।

मैं श्री मिश्रा जी की इस बात को तो मानने के लिये तैयार हूं कि हां, लड़ाई वग़ैरा की वजह से काम में गड़बड़ी हो सकती है तो वह मानी जा सकती है। लेकिन जहां तक अकाल का सवाल है तो मै समझता हूं कि कोई भी म्युनिसिपैलिटी ऐसी नहीं है कि जहां अकाल पड़ता हो। मै चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि म्युनिसिपैलिटी के अन्दर कहीं भी अकाल पड़ नहीं सकता है। हां, बिहार क्षेत्र मे या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में यह चीज आ सकती है। यह एक ऐसा सवाल है कि दुनिया भर का सामान ढोकरके यहां आता है और फिर यहां से वितरण होता है और सप्लाई आफिस भी यहीं से वितरण करता है। ऐसी हालत में मै यह मानने के लिये तैयार नहीं होऊंगा कि किसी भी म्युनिसिपैलिटी में अकाल पड़ेगा। ऐसी हालत मे मै उम्मीद करता हूं कि इमर्जेन्सी का बहाना लिया गया है वह इस सेक्शन में कहीं नहीं है? इसलिये मालूम होता है कि पावर गेन करने का यह एक तरीका है। ऐसी हालत मे जब काम सुचारुरूप से चल रहा हो तो गवर्नमेंट को एक विशेष ताकत का दे देना ठीक नहीं होगा। लेकिन अगर इमर्जेन्सी केसेज में रखा जाता तब तो ठीक था लेकिन इमर्जेन्सी शब्द इसमें नहीं है। ऐसी हालत में मै प्रार्थना करूंगा माननीय सदस्यों से कि वह त्रिपाठी जी के संशोधन को सपोर्ट करें।

श्री ज्वाला प्रसाद सिन्हा (जिला गोंडा)--माननीय चेयरमैन महोदय, मैं आपके द्वारा सदन से यह प्रार्थना करूंगा कि श्री रामनारायण त्रिपाठी जी का संशोधन बहुत उचित है और ऐसा माना जाय कि जब कहीं गड़बड़ी होती है तो अवधि के भीतर ही

चेयरमन को अलग किया जा सकता है परन्तु अगर चेयरमैन या बोर्ड अच्छा काम कर रह है तो अवधि बढ़ने की कोई कानूनन या मौरल ग्राउंडस पर किसी तरह से आवश्यकता नहीं होती है। अगर बोर्ड अच्छा काम कर रहा है और चेयरमैन अच्छा काम कर रहा है तो दूसरे इलेक्शन मे वह आ जायगा। अगर अच्छा काम नहीं कर रहा है तो जनता को यह मौका मिलता है कि अपने चेयरमैन को, अपने मेम्बरान को अपने नये तरह से जिनमे सेवा का भाव हो उनको लेकर उन कुर्सियों पर बैठावे। इसलिये यह खास जरूरत के लिये एक साल के लिये होना तो बहुत ही काफी है उसको और बढ़ाने के मानी यह होंगे कि बोर्ड से या किसी चेयरमैन से गवर्नमेंट किसी तरह से खुश है तो उसको लीज लाइफ ज्यादा दे दे। तो मे इन शब्दों के साथ यह प्रार्थना करूंगा कि रामनारायण त्रिपाठी जी का संशोधन बहुत ही अच्छा है उसको मानना चाहिये।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)---माननीय अधिष्ठाता जी, म सदन के सामने प्रस्तुत संशोधन का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। संशोधन की ताईद मे माननीय सदस्यों ने जो अपने विचार रक्खे है उनमें ज्यादातर माननीय स्वशासन मंत्री की इस बात पर आश्चर्य तथा अफसोस ज़ाहिर किया है कि साहब माननीय स्वशासन मंत्री पहले से ही यह कैसे सोच सकते है कि अकाल जैसी कई प्रकार की रोक भी आ सकती है जिनके कारण चुनाव कराने मे कोई अकस्मात दुर्घटनायें घटित हो सकती है जिनके कारण से निश्चित समय पर चुनाव कराना कठिन हो जाय। माननीय कमला सिह जी ने अपने प्रस्ताव मे यह कहा कि हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी या माननीय गुप्ता जी के होते हुए हमारे प्रान्त मे अकाल की बात सोचना एक अनोखी बात है। बात उनकी ठीक है। कोई भी माननीय सदस्य इस सम्बन्ध मे यह बात नहीं सोच सकता परन्तु हमारा देश खेतिहर देश है और ऐसा खेतिहर देश है जहां के किसान बहुत कुछ प्रकृति के सहारे है। वर्षा समय पर होती रहे हमारी खेती-बाड़ी अच्छी होगी, वर्षा समय पर नही होती देश मे और हमारे प्रान्त के कई जिलों मे अकाल की नौबत आ जाती है। या वर्षा अधिक हो जाती है या इसी प्रकार से खेती पर दूसरे प्रकार की आपत्तियां आती है जैसा कि इस वर्ष कुछ जिलों में टिड्डी दल आया, बहुत ही अच्छा हुआ कि हमारी सरकारी मशीनरी ने उस टिड्डी दल पर काबू पा लिया और वह हमारे प्रान्त की फसल को नष्ट नही कर सका, लेकिन ऐसा भी संभव हो सकता है कि इस प्रदेश में जहां लोगों की जीविका खेती-बाड़ी पर ही निर्भर हो और खेती-बाड़ी प्रकृति के नियमों पर निर्भर हो तो अकाल की बात कह देना और उस पर इस प्रकार की आपत्ति करना कि इस प्रकार की बात सोचना यह तो हमारे प्रान्त के लिये बड़े दुर्भाग्य की बात होगी और यह तो ऐसी सरकार की बात होगी जो सरकार एक जनतंत्र की सरकार है। यह बात तो मानी हुई है कि इस वक्त कांग्रेस की सरकार है। मै यदि यह कहूं कि कल को जिसकी मुझे आशा नहीं है सोशलिस्ट पार्टी की सरकार हो सकती है तो उसके समय मे भी ये चीजे आ सकती है। तो माननीय विरोधी दल के सदस्यों के सामने भी यह चीज़ आ सकती है।

अब जहां तक अकाल का सम्बन्ध है उसका प्रश्न गुप्ता जी या मुख्य मंत्री जी से सम्बन्ध रखता है। सरकार का जो आदमी भी होगा वह इसके लिये प्रयत्नशील रहेगा कि हमारे प्रान्त की जनता दुखी न हो। अब ऐसी स्थिति मे जब कि लगातार वर्षा न हो या अधिक वर्षा हो जाय और लगातार फसल नष्ट होती चली जाय तो म पूछना चाहूंगा कि मेरे माननीय मित्र जिन्होंने अकाल शब्द पर आपत्ति की है वह क्या करेंगे जब कि ऐसा समय आयेगा जब कि लगातार हमारी कई फसलें नष्ट हो जाये। मै यह समझता हूं कि इस तरह की बाते माननीय जगन्नाथ जी ने कहीं। जैसा सभी जानते है कि मृत्यु हमारे सर पर है लेकिन देहात में जब किसी

[श्री महीलाल]

अनपढ़ स्त्री के सामने उनकी सन्तान के लिये कोई मृत्यु शब्द कह दे तो उसको बुरा मालूम हुआ करता है और वह उसको बर्दाश्त करने को तैयार नहीं होती और कहने वाली किसी पड़ोसिन के लिये वह झुंझलाकर अपशब्द कहने लगती है। इसी प्रकार का उदाहरण हमारे श्री जगन्नाथ जी ने पेश किया। हमारे माननीय मंत्री जी ने एक बात कही और एक समस्या रखी कि यदि ऐसा समय हो। उस पर इस तरह की बात कहना मैं तो समझता हूं कि माननीय सदन का समय नष्ट करना है।

जहां तक २ वर्ष का सम्बन्ध है यह तो निश्चित नहीं किया जा रहा है कि यह केवल इसी सरकार के लिये है। यह तो जो भी सरकार होगी, जो भी जनता की चुनी हुई सरकार होगी उसके ऊपर जिम्मेदारी आती है। जिस सरकार के ऊपर हम हर प्रकार के भले बुरे की जिम्मेदारी डाल रहे हैं हमें उस सरकार को शक्ति देना जरूरी है और शक्ति देना होगा तभी सरकार का काम चल सकता है। एक बात श्री नारायणदत्त जी ने इसी सम्बन्ध में कही कि यदि इस प्रकार का संकट आता है तो उस संकट के लिये इ अन्दर प्राविजन होना चाहिये था कि असेम्बली को अधिकार है कि वह इसके लिये तय करे, जैसा कि असेम्बली के लिये पालियामेंट ने व्यवस्था हमारे विधान में की है। उनकी बात सुन्दर है और यह एक जनतन्त्र राज्य के लिये ठीक है लेकिन मैं श्री नारायणदत्त जी से पूछना चाहूंगा कि यह असेम्बली जनता की चुनी हुई है और उसी असेम्बली की नुमायन्दा हमारी सरकार है तो हमारा यह बहुमत, जनता का बहुमत उसको एक शक्ति देने जा रहा है और इस प्रकार की छोटी-छोटी बातों के लिये हम असेम्बली पर ही निर्भर रखें कि उसके ऊपर असेम्बली ही निश्चय करे और उसके बाद कोई क़दम उठाया जाय तो फिर यह सरकार क्या हुई। इस बात का जैसा कि वयोवृद्ध श्री मलखान सिंह जी ने कहा कि यह मजाक है उसी तरह से जो बातें उधर से कही गई वह भी मजाक हैं। यदि हम सरकार के हाथ में शक्ति देंगे तभी हमारी सरकार का काम सुचारुरूप से चल सकता है और ठीक रह सकता है। इन शब्दों के साथ जो मूल प्रस्ताव है मैं उसका समर्थन करता हूं और उधर से जो प्रस्ताव पेश किया गया है उसका विरोध करता हूं।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)—चेयरमैन साहब, हमारे साथी रामनारायण त्रिपाठी जी ने जो संशोधन रखा है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। माननीय सदस्यों ने जो इसके विरोध में दलीलें दी हैं और माननीय स्वशासन मंत्री जी ने जो दलील दी है कि अकाल वगैरह का ऐसा वक्त आ जाता है जब कि चुनावों को टालना पड़ता है। चेयरमैन महोदय, माननीय सदस्यों का भाषण सुनने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि माननीय मंत्री जी ने जो बिल पेश किया है उसमें म्यूनिसिपैलिटी के चुनावों का जितना खर्च है वह म्युनिसिपैलिटी के जिम्मे ही रक्खा गया है। मैं इसको महसूस करता हूं कि जिस तरह से असेम्बली और पालियामेंट वग़ैरा के चुनाव में हुआ है कि उसका सारा खर्च शासन को अपने जिम्मे लेना पड़ा है वैसे ही म्युनिसिपैलिटियों के चुनाव में भी शासन पर ही खर्च की जिम्मेदारी होती तब तो कहा जा सकता है कि उस समय शासन के सामने खर्च का और अकाल रोकने का सवाल आयेगा, लेकिन जब खर्च का भार म्युनिसिपैलिटी के जिम्मे है तब तो यह तर्क बिल्कुल निरर्थक है कि अकाल को रोकने के कारण चुनाव करना वांछनीय न होगा। एक चीज जरूर समझ में आती है और वह यह है कि अगर अकाल कहीं पड़ा होगा तो शायद हमारे मंत्री लोग और कांग्रेस के कर्णधार म्यूनिसिपैलिटियों के चुनाव का दौरा न कर सकें लेकिन मैं समझता हूं कि कोई पार्टी जो शासनारूढ़ है वह अगर जनता की आवश्यकता का अहसास न करे और टालने की बात सोचे केवल इसलिये कि मंत्रीगण को चुनाव का दौरा करने का मौका न मिलेगा तो यह कोई अच्छी बात नहीं है। अगर यह खर्च सरकार के बजट से

होता तब तो यह दलील किसी हद तक ठीक कही जा सकती थी कि सरकार के सामने अकाल का सवाल है और ऐसे वक्त मे चुनाव को टाला जा सकता है, लेकिन जब म्युनिसिपल बोर्ड ही का खर्च होगा तो कोई वजह नही मालूम होती कि एलेक्शन को टाला जाय।

इसके अलावा जिस तरह से गवर्नर महोदय ने आगरा विश्वविद्यालय के सम्बन्ध मे आर्डिनेंस निकाला दिया उस तरीके पर भी ऐसी असाधारण परिस्थिति मे चुनाव पोस्टपोन किए जा सकते हैं। इसके अलावा जिन १२ जिलो मे अकाल पड़ा है उनमे से शायद ही कोई म्युनिसिपलिटी ऐसी हो कि जहा सरकार को अकाल के सम्बन्ध मे कोई व्यवस्था करनी पडी हो, जो कुछ भी किया गया है वह देहाती रकबो मे किया गया है। चेयरमैन महोदय, मै आपके द्वारा सरकार से पूछना चाहता हूं कि इन १२ जिलो में अगर कोई म्युनिसिपैलिटी ऐसी हो कि जहां उसे अकाल के सम्बन्ध मे कोई व्यवस्था करना पड़ी हो तो वह बतावें। अगर वह बता सकते है तो मै मान लू कि यह संशोधन अव्यावहारिक है। लेकिन अकाल पड़ता है देहातो में न कि शहरो मे। देहातो की जनता गरीब होती है और वह अकाल के समय साधनहीन होती है इसलिये उसी पर अकाल का ज्यादा प्रभाव पड़ता है लेकिन शहर और कस्बो की जनता को अकाल में इतनी ज्यादा परेशानी नहीं होती है।

चेयरमैन साहब, जहां तक मेरा अनुभव है, इस सरकार को संकटवाद का नारा लगाकर चाहे तो कानून बनाने का अधिकार मालूम होता है। संकट इसके सामने कब आजावेंगे, यह नही कहा जा सकता। जब चाहे तब संकटवाद का नारा देकर वह चुनाव को भी रोक सकती है। इस संशोधन का विरोध सरकारी बैंचो से इसलिये किया जा रहा है कि इससे संकटवाद का नारा लगाने की गुंजाइश नही रहती। मै निवेदन करना चाहता हूं कि म्युनिसिपैलिटियो का सारा खर्चा चुनाव का म्युनिसिपलिटियो पर ही है। सरकार के अधिकारियो को केवल देखरेख करनी है। सरकार की ओर से माननीय स्वशासन मंत्री जी ही काफी है। अकाल के जमाने मे खाद्य मंत्री और मुख्य मंत्री ही काफी दौरा कर सकते हैं। चुनाव के लिये तो स्वशासन मंत्री ही काफी है। वह अपने नीचे के अधिकारियो द्वारा इसे चला सकते है। मै समझता हूं कि मंत्री जी ऐसे कमजोर नही है कि वे चुनाव न करा सकें। मेरी राय मे यह संशोधन बहुत ही सार्थक है और सबसे बड़ी कसौटी इसकी यह है कि यह सरकार के संकटवाद के नारे को खत्म करता है। मै पुनः स्वशासन मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह इस संशोधन को स्वीकार करें।

श्री रामनारायण त्रिपाठी——अधिष्ठाता महोदय, मेरे संशोधन पर कई माननीय सदस्यो ने और माननीय मंत्री जी ने अपने विचार प्रकट किये। मैने यह संशोधन एक बुनियादी उसूल पर रक्खा है क्योंकि इस अमेंडिंग बिल के जरिये से जनता के सामने स्पष्टतः यह बात घोषित की जायगी कि ४ साल के लिये म्यूनीसिपैलिटियों का चुनाव होने जा रहा है। उसके बाद अगर माननीय मंत्री जी को या उनकी सरकार को या माननीय गवर्नर महोदय को यह अधिकार हो जाय कि वह कुछ न कुछ बहाना करके २ साल के लिये और बढ़ा दें। तो बुनियादीतौर से यह गलत बात है जो कि डैमोक्रेसी के लिये उचित नही है। जैसा मैंने पहले कहा था, अगर माननीय मंत्री जी मेरे संशोधन को मान लेंगे तो उनकी भी सारी दिक्कते दूर हो जायेंगी। चेयरमैन और मेम्बर उनके पास आते है और मंत्री जी पर असर डालते हैं कि हमारी म्युनीसिपैलिटी को २ साल के लिये और रोक दिया जाय। अगर यह धारा नही रहेगी तो इस चीज से वह बरी हो जावेंगे। मैने उनकी नीयत पर हमला नही किया। जैसा उन्होने स्वीकार किया, रोज उन पर असर डाले जाते है और हर तरह के लोग आते है और कभी-कभी, जहा तक मंत्रिमंडल के लोगों का तजुर्बा है, मुझे यह मालूम भी हुआ है कि बहुत सा गलत असर मंत्री लोगों पर पड़ जाता है और वे गलत काम कर जाते हैं, जो कि हमारे राज्य और प्रदेश के नियमो के विरुद्ध हैं।

श्री मोहनलाल गौतम——में इस लफ्ज पर आपत्ति करता हूं कि माननीय मंत्री गलत असर में आकर गलत काम कर जाते हैं।

श्री रामनारायण त्रिपाठी——श्रीमान्‌जी, मैंने किसी खास व्यक्ति का नाम नहीं लिया। सरकार पर चार्ज लगाने का मेरा काम है।

अधिष्ठाता——मैं श्री रामनारायण जी त्रिपाठी से अनुरोध करूंगा कि यदि इस प्रकार न हों तो ज्यादा अच्छा है

श्री मोहनलाल गौतम——मैं यह कहता हूं कि यह डिफ़ेमेटरी है और रूल्स के खिलाफ है। इसलिये इसे एक्सपंज किया जाय। यह मेरी प्रार्थना है। सिर्फ यह कि न किया करें तो अच्छा है, इससे मैं सन्तुष्ट नहीं हूं। यह वह नहीं कह सकते कि मैं गलत काम करता हूं।

श्री रामनारायण त्रिपाठी——मैं यह जानना चाहूंगा कि विधान की किस धारा के अनुसार माननीय मंत्री जी ने कहा कि यह डिफेमेटरी है। उनको खुला है कि यदि यह डिफेमेटरी है तो इसे प्रिविलेज कमेटी में ले आवें और वह कमेटी उसका निर्णय करेगी।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)——आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जो कुछ रामनारायण जी ने कहा उसमें क्या चीज़ डिफेमेटरी है यह मेरी समझ में नहीं आया?

श्री मोहनलाल गौतम——यह कहना कि मिनिस्टरों पर गलत असर पड़ता है और वे उस असर में आकर गलत काम करते हैं। मैं चैलेंज करता हूं कि वह एक भी बात ऐसी बता दें जिसमें मैंने ऐसी गलती की हो। इसलिये यह कहना कि गलती करते हैं, बेईमानी करते हैं, ठीक नहीं है।

श्री राजनारायण——आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक मैं सुन रहा था उससे मैं यह नहीं जानता कि माननीय रामनारायण जी ने माननीय मंत्री जी को बेईमान कहा हो। किसी भी रूल या किसी भी धारा से माननीय मंत्री जी यह नहीं दिखा सकते कि कोई यह न कहे कि माननीय मंत्री जी गलत काम करते हैं। मैं फिर यह कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने बहुत सी गलतियां की हैं और यह चीज उनको बता भी सकता हूं, उसके लिये क्वोटेशन रखने के लिये तैयार हूं। अगर आप इजाजत दें तो एक नहीं ५० बातें मैं उनको ऐसी बता सकता हूं।

अधिष्ठाता——कृपया आप बैठ जायें तो अच्छा हो।

मेरे खयाल से जो कुछ रामनारायण जी ने कहा वह डिफेमेटरी नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी मैंने माननीय रामनारायण जी से निवेदन किया है कि हाउस में वे ऐसी बातों को न कहें तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री रामनारायण त्रिपाठी——अधिष्ठाता महोदय, जो दूसरी बात माननीय मंत्री महोदय जी ने उठाई वह यह है कि समय बढ़ाने के कारणों में ऐपीडेमिक्स हो सकते हैं, अकाल पड़ सकता है। अकाल और लड़ाई के बारे में तो हमारी पार्टी के माननीय सदस्यों ने जवाब दे ही दिया है। ऐपीडेमिक की बात कह कर क्या माननीय मंत्री जी यह मेरे कहने का मतलब समझते हैं कि जिस दिन मियाद समाप्त होने वाली हो उसी दिन के शाम के पांच बजे नये बोर्ड का चुनाव समाप्त हो जाना चाहिये? माननीय मंत्री जी इस बात को अच्छी प्रकार से जानते हैं कि अगर मियाद ३१ मार्च को खत्म होने वाली है तो चुनाव जनवरी में किये जा सकते हैं और बोर्ड की मियाद खत्म होने पर, चुनाव का नतीजा निकल आने पर नये अधिकारी चार्ज ले सकते हैं।

कांग्रेस पार्टी की ओर से यह भी कहा गया कि सरकार भी तो जनता की ही है, वह बिना किसी कारण के चुनाव को दो साल के लिये नहीं टालेगी। मै पूछना चाहता हूं कि मौजूदा सरकार भी तो जनता की ही सरकार है और इससे पहिले भी जनता की सरकार थी। लेकिन उसने इन्हीं म्युनिसिपैलिटीज का चुनाव सन् ४८ से ५२ तक रोक रक्खा, होने नहीं दिया। क्या कोई लड़ाई हो रही थी। क्या कोई ऐपीडैमिक फैला हुआ था या कहीं अकाल पड़ रहा था ? फिर मैं पूछना चाहता हूं कि इन्हीं परिस्थितियों मे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चुनाव कैसे किये गये और वह लिमिटैड फ्रैंचाईज़ मे किये गये। केवल चुनाव संयुक्त निर्वाचन प्रणाली से किये गये; वह चुनाव भी तो साढे बारह फीसदी वोट से के आधार पर किया गया था। जिला बोर्डों का चुनाव कर दिया गया और म्युनिसिपैलिटीज़ का चुनाव रोक दिया गया। इसमे आपकी क्या मजबूरी थी ? अधिष्ठाता महोदय, असलियत यह थी अपनी लोकप्रियता को देखते हुये सरकार को यह विश्वास नही था कि शहरों के पढ़े-लिखे लोग उसको वोट देंगे। अब जब उसने देख लिया कि देश मे बहुत सी पार्टीज़ की वजह से, दलबंदी की वजह से ४४ फीसदी वोट मिलने पर भी वह जीत गयी है, तो अब इसको फिक्र पड़ी कि म्युनिसिपैलिटीज़ के चुनाव जल्द ही शुरू होने चाहिये। तभी सरकार कहती है कि अब सेलेक्ट कमेटी मे भी उसका जाना ठीक नहीं है। अगर सचमुच सरकार असलियत देखना चाहती थी तो उसको चुनाव ४८ मे कराने चाहिये थे। अब भी अगर सरकार समझती हो कि इस तरह से आज उसको अधिक वोट मिल सकेंगे तो यह उसकी दुराशामात्र है। और अगर सरकार यह समझती है कि जो कुछ वह कर रही है वही ठीक है तो यह सरकार के लिये घातक है और ऐसी सरकारें जनता द्वारा उखाड़ कर फेंक दी गयी हैं. यह सरकार को अच्छी तरह समझ लेना चाहिये। और अगर विधान सभा मे ३९१ सदस्यों का फख्र सरकार को रहा तथा जनता की रोटी और कपड़े का सवाल हल नही किया गया तो यह कह देने मे कि ये ३९१ सदस्य जनता के बल पर चुन कर आये हैं, सरकार आप समस्या को हल नहीं कर सकेगी। हम तो यह देखते हैं कि पंचायतों का एलेक्शन भी बढ़ाया गया है। अभी माननीय मंत्री जी ने घोषणा की कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के चुनाव भी बियोण्ड १९५३ चले जायेंगे। इसकी सन् ५३ तक गुंजाइश नही है बल्कि सन् ५३ के बाद भी चले जायेंगे; ५४, ५५ मे संभवता कही हो सकेंगे। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स मे प्रायः सरकार का बहुमत है, सरकार चाहती कि वहां बहुमत को जब तक संभव है कायम रक्खा जाय। अगर माननीय मंत्री जी सचमुच चाहते थे कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के चुनाव हों, म्युनिसिपैलिटीज़ के चुनाव हों तो जिस वक्त बजट के बाद असेम्बली का सेशन चल रहा था उसी वक्त ये बिल लाये जा सकते थे। और दूसरे बिलों को सरकार बाद मे ला सकती थी। आखिर पंचायतों का चुनाव क्यों रोका गया है ? वहां कौन सा फैमिन, एपिडेमिक पड़ा हुआ है सारे प्रदेश की जनता, देहाती जनता इस बात की प्रतीक्षा कर रही है कि पंचायतों का चुनाव कब होगा ? लेकिन माननीय मंत्री जी कोई न कोई बहाना निकाल कर कि कहीं फेमिन है, तो कहीं एपिडेमिक है, कहीं स्टेट आफ एमर्जेन्सी है, कही यह दिक्कत है तो कहीं वह दिक्कत है इस तरह से चुनाव रोकने की चेष्टा कर रहे हैं। तो सरकार की इस बहानेबाजी को रोकने के लिये ही हम यह कह रहे हैं कि ४ साल के बाद एक दिन का भी एक्सटेंशन न हो। तीन-चार महीने पहले ही सरकार चुनाव करवा लें। जब चुनाव की कार्यवाही शुरू हो और कहीं एपिडेमिक वगैरह की शिकायत हो तो १०-१५ दिन के लिये चुनाव मुल्तवी हो सकता है लेकिन फाइनल टर्म जो ४ साल का है उसके खत्म होने पर दूसरे टर्म वाले उन पदों को संभाले। माननीय मंत्री जी ने दो साल एक्सटेंशन की जो मियाद रखी है उसके लिये हमारी तरफ से उनकी काफी तारीफ की गयी कि एक चीज़ जो पहले नहीं थी कम से कम उसे तो माननीय मंत्री जी ने महसूस किया। लेकिन जो वह भावना थी वही दो साल मे रुक गयी। वे दो साल का लिमिटेशन चाहते हैं। इसलिये मै समझता हूं कि मेरा जो संशोधन है वह उचित है और मुनासिब है। इस बात को उन्होंने भी महसूस किया तभी दो साल की लिमिट रखी।

[श्री रामनारायण त्रिपाठी]

माननीय मंत्री जी ने फेमिन, एपिडेमिक और लड़ाई की बात कही। अगर माननीय मंत्री जी सचमुच अपोजीशन का कोआपरेशन चाहते हैं तो मैं चाहूंगा कि वे इन शब्दों को अपने प्रोविजन में जोड़ लें तो मैं अपना संशोधन वापस लेने के लिये तैयार हूं। अधिष्ठाता महोदय, आपकी आज्ञा से मैं उन शब्दों को पढ़ना चाहता हूं।

अधिष्ठाता--ये तो संशोधन में नहीं हैं।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--"But that will be done only in cases of state of emergency declared by the State Legislature by law"

मैं समझता हूं कि अगर माननीय मंत्री जी इन शब्दों को जोड़ लें तो मैं अपना संशोधन वापस ले लूंगा। अभी स्टेट एमर्जेन्सी, फेमिन और एपिडेमिक के सिलसिले में जो दलीलें दी गयी हैं अगर वे सचमुच चाहते हैं कि इन्हीं कारणों से चुनाव रुकेंगे तो हमारी आशंकाओं को निर्मूल सिद्ध करने के लिये इन शब्दों को जोड़ लें। मैं अपना संशोधन वापस करने के लिये तैयार हूं। मैं एक बार फिर उन शब्दों को पढ़ देता हूं :

"But that will be done only in cases of state of emergency declared by the State Legislative by law."

श्री मोहनलाल गौतम--चेयरमैन साहब, असल में जो यह विचारधारा चल रही है इसके पीछे, उसको एक माननीय सदस्य ने बहुत सफाई से कह दिया जब उन्होंने यह कहा कि हुकूमत की बात का हमें विश्वास नहीं है। यह असल चीज है जो एक माननीय सदस्य ने स्पष्ट रूप से कह दी। ठीक है, अगर नहीं है तो न रहे लेकिन हुकूमत अपनी जिम्मेदारी को छोड़ नहीं सकती। उसको अपनी जिम्मेदारी को महसूस करना है जब तक एलेक्टोरेट ने उसको हुकूमत पर बैठा दिया है और जब तक वह है तब तक महसूस करती रहेगी, दो चार लोगों को विश्वास हो या न हो। और अगर वह उसको एलेक्शन को फोरम बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं उनको मुबारिक हो, यह अधिकार है लोगों को कि इस भवन को अपने पोलिटिकल कामों के लिये इस्तेमाल करें, इसमें किसी को आपत्ति नहीं हो सकती। वह यह समझते हैं कि म्युनिसिपैलिटी के चुनाव में हम बड़े जीतने वाले हैं। अगर जनरल एलेक्शन के पहले यह बात कहते तब तो शायद लोगों को भ्रम हो जाता लेकिन अब इस फोरम को लेना कि कांग्रेस में ही म्युनिसिपैलिटियों के चुनाव में हारने वाली है और हम जीतने वाले हैं यह चीज़ अब चलने वाली नहीं है, यह सिक्का खोटा हो चुका और यह सिक्का अब चलने वाला नहीं है और अब इसमें कुछ तथ्य रहा नहीं और हारने वालों को अब दुनिया की ठेकेदारी करने का अधिकार नहीं रहा।

डिस्ट्रिक्ट बोर्डस के एलेक्शन्स के बारे में पूछा गया है। मैं साफ कह चुका हूं और कहता हूं कि डिस्ट्रिक्ट बोर्डस एक मुसीबत के जमाने से गुजर रहे हैं, एक क्राइसिस से गुजर रहे हैं, पास फाइनेंसेज की सबसे बड़ी दिक्कत है और बहुत ज्यादा तादाद में तो बोर्डस ऐसे हैं जिनके सामने जितने जरूरी काम हैं वे भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं, वे मास्टरों की तनख्वाह नहीं दे पा रहे ह, उनकी सड़कें ठीक नहीं हैं, उनके पास पूरा स्टाफ तक नहीं है। यह तमाम दिक्कतें हैं जो आज हल करनी हैं। जो सवाल आज तय करने हैं वह यह है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्डस की शक्ल क्या हों, उनकी ड्यूटीज और फंक्शन्स क्या हों, उनके क्या फायनेंशल रिसोर्सेज हों, क्या सोर्सेज उनके टैक्सेज के हों, डिस्ट्रिक्ट बोर्डस और पंचायतों के क्या रिलेशन्स हों इसलिये कि गांवों में पंचायतों को क्रियेट कर दिया गया है। पंचायतों के और बोर्डस के टैक्सेशन रिलेशन्स क्या हों, क्या वह सिंगिल हों, अलग-अलग हों या दोनों मिलकर टैक्सेज लगावें और आपस में बांट लें। इस सारे सवालों को हल करना है और अगर एलेक्शंस में एक करोड़ रुपया खर्च होता है तो वह भी उन्हींकी जेब से आता है और इस तरह से बिना मामलों को हल किये एलेक्शंस को करा देना उनकी मुसीबतों को बढ़ा देना होगा। और यह बिलकुल

गलत बात है कि कांग्रेस चूंकि मेजारिटी में है इसलिये टाइम एक्सटेंड होता चला जा रहा है। कैबिनेट की एक कमेटी बैठी हुई है और मैं इन मसलों को बगैर तय किये हुये डिस्ट्रिक्ट बोर्डस के एलेक्शंस करा देना बिलकुल गलत समझता हूं। जहां तक पंचायतों के एलेक्शंस का सवाल है पंचायत राज्य ऐक्ट में कुछ अमेंडमेंट जरूरी है, वे आयेंगी और उनके आने के बाद ही पंचायतों के एलेक्शंस होने चाहिये और इसीलिये वे रुके हुये हैं। पंचायत राज्य ऐक्ट के अमेंडमेंट तैयार हो रहे हैं और ज्योंही सदन से पास हो जायेंगे पंचायतों के एलेक्शंस कराने का इंतजाम होगा। हमारी ख्वाहिश है कि जितनी जल्दी हो सके पंचायतो के एलेक्शंस करा दिये जायं लेकिन एलेक्शंस सिर्फ एलेक्शंस कराने के लिये ही एलेक्शंस न कराये जायं बल्कि अच्छी तरह से उनको चलाने के लिये कराये जायं।

जहां तक इस अमेंडमेंट का सवाल है वह असल में अकाल अमेंडमेंट हो गया और उस पर बहस होने लगी और चैलेंज दिये जाने लगे कि साहब म्युनिसिपैलिटियों में अकाल नहीं होने लगा। अगर अकाल के माने यह हैं कि खेती नहीं हुई और अकाल हुआ तो यह वाकया है है कि म्युनिसिपैलिटियों में अकाल कैसे होगा जहां ऐग्रीकल्चर होता ही नहीं। गल्ले की कमी की वजह से और किसी वजह से अगर आदमी भूखों मरते है तो अकाल म्युनिसिपैलिटियो में में होता है और लोग मरते हैं। अभी कुछ ही दिनों पहले कलकत्ते में १० लाख आदमी मरे थे जिनको मैंने आंखों से देखा था, जिनमें अपने ऊपर से मक्खी हटाने की भी ताकत नहीं थी, जिनके ऊपर कुत्ते पेशाब करते थे और सड़कों पर मरे हुये पड़े थे। क्या वह अकाल नहीं था? अगर अकाल के माने यह है कि अन्न की कमी की वजह से परचेजिंग पावर की वजह से खाना नहीं पाते और मर जाते हैं। कलकत्ता ही नहीं अगर बंगाल के उन तमाम शहरों के जरा फिगर्स लें जिनमें ४३--४४ में लाखों आदमी म्युनिसिपिल स्ट्रीट्स में मरे पड़े थे तो आपको पता चलेगा कि वाकया क्या है। कहा गया है कि मंत्रियों को दौरा करने का मौका नहीं मिलेगा। यह सब बेकार की चीजें हैं जिनका मैं जवाब नहीं देना चाहता। और अकाल की बात यह है कि उसमें तमाम फोर्सेज को कंसेंट्रेट करना पड़ता है फिर हमें यह भी याद रखना है कि म्युनिसिपैलिटियो के चुनाव में सिर्फ एक आध म्युनिसिपैलिटियों के चुनाव ही नहीं है बल्कि इस वक्त जो चुनाव सोचे जा रहे है वह ११९ म्युनिसिपैलिटियो से तीन चार को छोड़कर बाकी ११५ म्युनिसिपैलिटियो में, ३६ और ३७ नोटीफाइड एरियाज़ है और २६४ टाउन एरियाज है तो अगर म्युनिसिपैलिटियों के चुनाव होंगे तो इतनी संख्या में होंगे।

इतनी युनिट्स हैं। इतनी युनिट्स में कितने मेम्बर होंगे और कितने उम्मीदवार होंगे, कितना बड़ा चुनाव होगा इसको जरा सोचिये। अकाल की बात जो मैंने कही थी वह जरा लम्बी बात कही थी। अगर शहर में अकाल न भी हो तो भी अकाल पर नियंत्रण करने के लिये एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी लगानी पड़ती है। अकाल के मानी यह नहीं है कि दो चार मंत्रियों ने दौरा कर दिया और सब ठीक हो गया। सारे डिप्टी कलेक्टर और जिले की मशीनरी इसके लिये लगानी पड़ेगी। तो दो-चार महीने अगर म्युनिसिपैल्टिी के चुनाव रुक जायं तो क्या मुसीबत हो जायगी?

अब एक बड़ी बुनियादी और उसूली बात कही जाती है, लेकिन मेरा मसला तो उन्होंने ही हल कर दिया जिन्होंने बुनियादी उसूल रखा था जो साहब समझते है कि इमर्जेंसी डिक्लेअर कर दी जाय। तो ठीक है। इमर्जेन्सी प्रेसीडेण्ट डिक्लेअर कर सकता है, दफा ३५२ में यह लफ्ज है:—

"If the President is satisfied that a grave emergency exists whereby the security of India or of any part of the territory thereof is threatened, whether by war or external aggression or internal disturbance, he may, by Proclamation, make a declaration to that effect"

[यदि राष्ट्रपति का समाधान हो जाये कि गम्भीर आपत्ति विद्यमान है जिससे कि युद्ध या बाह्य आक्रमण या आभ्यन्तरिक अशांति से भारत या उसके राज्य क्षेत्र के किसी भाग की सुरक्षा संकट में है, तो वह उद्घोषणा द्वारा उस आशय की घोषणा कर सकेगा।

[श्री मोहनलाल गौतम]

इमर्जेन्सी प्रेसीडेण्ट डिक्लेअर करेगा। हमारे यहां इमर्जेंसी का लफ्ज लिखने में दिक्कत पड़ सकती है। वह इमर्जेंसी नहीं होगी तो यह स्टेट डिक्लेअर करे। वह इमर्जेंसी जो डिक्लेअर कर सकता है। इस इमर्जेंसी के लिये विधान में प्राविजन रख दिया गया है। यह विजुलाइज किया गया है कि मामूली तौर पर ज्यों ही टर्म खत्म होगा चुनाव हो जायगा। लेकिन कोई भी विधान बनाने वाले लोग होंगे वह यह समझेंगे कि इस तरह से नहीं हो सकता कि कभी भी ऐसी हालत न हो जिसमें कोई इमर्जेंसी हो। मुझे यह समझाने की बड़ी कोशिश की गयी है कि उसी दिन एलेक्शन हो जायेंगे। इस तरह की बातों को मैं जानता हूं और शायद जानता हूं। उसी दिन इलेक्शन नहीं हो सकते हैं। एलेक्शन पहले हो जाते हैं। उसके मतलब यह होते हैं कि जिस दिन आउट गोइंग बोर्ड का टर्म खत्म होगा उस दिन दूसरा बोर्ड चार्ज लेगा।

इसके समझाने के लिये वक्त लेने की जरूरत नहीं थी। इस विधान में भी यह दिया गया है कि जितना टर्म है उसी में उसको खत्म हो जाना चाहिये और दूसरे नये लेजिस्लेचर का चुनाव हो जाना चाहिये। लेकिन उनको फिर भी यह खयाल था कि हालत ऐसी हो सकती हैं, ऐसी अवस्था उत्पन्न हो सकती है कि जब चुनाव करना असंभव हो। उसके लिये उन्होंने प्राविजन रखा है। वह प्राविजन १७२(१) में है।

"Provided that the said period may, while a Proclamation of Emergency is in operation, be extended by Parliament by law for a period not exceeding one year at a time and not extending in any case beyond a period of six months after the Proclamation has ceased to operate."

[परन्तु उक्त कालावधि को जब तक आयात की उद्घोषणा पवर्तन में है संसद विधि द्वारा, किसी कालावधि के लिए बढ़ा सकेगी, जो एक बार एक वर्ष से अधिक न होगी तथा किसी अवस्था में भी उद्घोषणा के पवर्तन का अन्त हो जाने के पश्चात् ६ मास की कालावधि से अधिक विस्तृत न होगी।]

इसके अगर यह मानी किसी साहब ने लगाये है कि सिर्फ डेढ़ साल का अधिकार है तो गलत हैं। ऐट ए टाइम एक साल है। और जब तक वह प्रोक्लेमेशन जारी रहे तबतक कई साल तक हो सकता है और इस प्रोक्लेमेशन के खत्म हो जाने के बाद ६ महीने के अन्दर हो जाना चाहिए। इसके मानी तीन-चार साल भी हो सकते हैं। डेढ़ साल की बात जो साहब समझते हैं वह गलत समझते हैं। जब प्रोक्लेमेशन खत्म हो जायगा उसके छः महीने के बाद तक एक्सटेंड हो सकता है। उसके आगे नहीं कर सकते। सिर्फ इसमें यह कहा गया है। इसमें जो विजुलाइज किया गया है, जब तक इमर्जेन्सी होगी तब तक दो साल से ज्यादा तक भी हो सकता हैं। और हमने जिस तरह से रखा है इस अमेंडिंग बिल में वह सिर्फ दो साल रखा है। विधान में दो साल से ज्यादा भी हो सकता हैं। अब वह लफ्ज क्यों नहीं रखे गये वह मैं आपसे कहूं कि हर गवर्नमेंट को यह जरूरत होती है और होना चाहिए जो भी डेमोक्रैटिक सेटअप में गवर्नमेंट है कि अगर वह कोई काम करे जो उसकी स्पेशल पावर्स में हो तो उसका एक्स्प्लेनेशन संतोषजनक होना चाहिए। अब कहा यह जाता है कि, बड़ा कनफ्यूजन है, बड़े कांट्रेडिक्टरी स्टेटमेंट्स हैं, कि कोई एक्सटेंशन न हो। क्योंकि हुकूमत पर विश्वास नहीं है। लेकिन यह भी कहा जाता है कि अगर जरूरी हो तो आर्डिनेंस क्यों नहीं निकाल देते। तो हमको आर्डिनेंस निकालने का अधिकार देते हैं इसको एक्सटेंड करने के लिए, ऐसी बात भी कुछ व्यक्तियों ने कही।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—इमर्जेन्सी में आर्डिनेंस की बात कही।

श्री मोहनलाल गौतम--आर्डिनेंस निकालने की बात इमर्जेंसी से अलग भी कही गयी है। इमर्जेंसी के साथ नहीं बल्कि बगैर इमर्जेंसी के भी अगर जरूरत हो तो कहा गया कि आप आर्डिनेन्स निकाल दें। इमर्जेंसी, अगर सिर्फ उन मानों में जिनमें कि प्रेसीडेंट डिक्लेयर करे वह एक है और जिसमें हम जरूरत महसूस करें वह दूसरी तरह का अधिकार हमको आर्डिनेन्स निकालने का देते हैं। तो मैं कहता हूं कि यह ला डिफेक्टिव है। आप गवर्नमेंट को फोर्स कीजिये कि वह आर्डिनेन्स निकाल कर हुकूमत करे बजाय इसके कि वह लेजिस्लेशन से कुछ अख्तियार हासिल करके अपनी डिस्क्रेशनरी पावर इस्तेमाल कर सके वह चीज ठीक नहीं मालूम होती। यह गलत तरीका है कि आर्डिनेन्स से रूल करते रहो। इसलिये मुझे यह मंजूर नहीं है कि आर्डिनेन्स निकाल कर मजबूर करे या ऐसा अधिकार हमें दिया जाय। मैं इतना ही चाहता हूं कि जितना अधिकार है उतना ही काफी है। दो साल लाइफ एक्सटेंड होगी तो दो साल एक साथ नहीं है, ऐग्रीगेट दो साल से ज्यादा नहीं होना चाहिये और वह केवल एक, या दो या तीन दफा में हो। दो साल एक दफा में नहीं होता है। इसके मुताबिक जब गवर्नमेंट को अधिकार दिये जाते हैं तो गवर्नमेंट को यह साबित करना चाहिये कि इस वजह से नहीं चुनाव हो सके, इस वजह से हम पोस्पोन करते हैं या लाइफ़ एक्सटेंड करते हैं।

इन शब्दों के साथ मुझे अफसोस है कि जो यह कहा गया वह कोई सुधार नहीं है बल्कि उससे दिक्कत पैदा होती है और वह मुझे मंजूर नहीं है।

अधिष्ठाता--प्रश्न यह है कि खंड ७ में प्रस्तावित नयी धारा 10-A की उपधारा (१) की पंक्तियां जो शब्द "Provided that the State Government" से आरम्भ होकर शब्द "in the aggregate exceed two years" से समाप्त होती हैं निकाल दी जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री रामनारायण त्रिपाठी--अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित प्रस्ताव रखता हूं--

खंड ७ में प्रस्तावित नयी धारा 10-A की उपधारा (१) के प्रतिबन्ध की अन्तिम पंक्ति में शब्द "two years" के स्थान पर शब्द "one years" रख दिये जायं।

श्री अधिष्ठाता महोदय, मेरे पहले संशोधन के वादविवाद के ऊपर जो बहस मैंने सुनी तो उसमें माननीय स्वशासन मंत्री को तो इधर कनफ्यूजन के अलावा कुछ दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन हम मजबूर हैं। कनफ्यूजन उधर है या इधर है यह तो कोई और ही फैसला करेगा, लेकिन जो संशोधन मैंने पहले उपस्थित किया था कि म्युनिसिपल बोर्डों के चुनावों की अवधि एक्सटेंड न की जाय उसमें माननीय मंत्री जी की तरफ से जो दलीलें आईं उन पर मैंने गौर किया। जो माननीय मंत्री जी ने दलीलें दीं उनमें खास तौर से यह थी कि इमर्जेंसी तो प्रेसीडेंट ही डिक्लेयर कर सकता है, अगर हम शब्द कि स्टेट बाई ला इमर्जेंसी डिक्लेयर करे...

अधिष्ठाता--माननीय रामनारायण त्रिपाठी जी से मैं अनुरोध करूंगा कि मंत्री जी ने जो दलील दी है उसका प्रत्युत्तर देने का प्रयत्न न करें, बल्कि अपने संशोधन पर बोलें जो आपके सामने है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--यह भूमिका में तो कहा ही जा सकता है। पहले तो बिल्कुल समय नहीं दिया था अब एक साल का समय है। इसलिये दोनों सम्बन्धित हैं। उस वक्त उनको काफी दिक्कतें थीं और उनकी हमारी तरफ कन्फ्यूजन

[श्री रामनारायण त्रिपाठी]

ही कन्फ्यूजन दिखाई देता था। यह बात हमारी समझ मे नही आई कि अगर स्टेट लेजिस्लेचर इमर्जेंसी डिक्लेयर करे तो वह विधान की धाराओं के किस प्रकार खिलाफ पड़ता है। जैसे असेम्बली एलेक्शंस के लिए, पार्लियामेंट एलेक्शंस के लिए प्रेसीडेंट स्टेट आफ इमर्जेंसी घोषित कर सकता है उसी तरह से स्टेट लेजिस्लेचर इमर्जेन्सी डिक्लेयर (घोषणा) कर सकता है अपने सूबे के एलेक्शंस के लिए। मेरी राय मे स्टेट लेजिस्लेचर को भी हक है कि वह इमर्जेन्सी डिक्लेयर करे। इमर्जेन्सी लड़ाई वगैरह की बात तो हुई और हम थोड़ी देर के लिए एक बात को मान लेते है कि माननीय स्वशासन मंत्री जी ने जो दलीलें दी या सरकारी दल के और लोगों ने जो दलीलें दी वह सही है। यह हो सकता है कि चार छ महीनों के लिये एपिडेमिक हो जाय या फेमिन हो जाय, ऐसी जरूरत पड़ जाय। अब हम यह देखना चाहते है कि सचमुच स्वशासन मंत्री या उनकी सरकार हठ पर हो तुली हुई है कि विरोधी दल की बात न मानी जाय या सचमुच वह सहयोग चाहते हैं। माननीय मंत्री जी के संशोधन मे और हमारे संशोधन मे फर्क इतना ही है कि वह दो साल के लिए चाहते हैं और हम एक साल का एक्सटेंशन चाहते हैं। उनकी दिक्कतों को थोड़ी देर के लिए समझते हुए और उनकी परेशानियो को हल करते हुए हम यह नहीं समझते कि दो साल ही क्यो जरूरी है। माननीय स्वशासन मंत्री जी ने खुद कहा था कि सरकार का कतई मन्शा नहीं है कि वह दो साल तक एक्सटेंशन करना चाहेगी बल्कि साफ लिखा है कि अमेंडिंग धारा में दो साल से ज्यादा ऐग्रीगेट न होगा। उसमें ६ महीने, ९ महीने, १५ महीने भी हो सकते है तो हमारी आशंका भी अपनी जगह पर है और हम नहीं चाहते कि जनता द्वारा चुनी हुई सरकार या प्रसीडेंट को उनके कार्यकाल को न हटाने का.. न रिमूव करने का, अधिकार किसी को न होना चाहिए। इसलिए हम उसका विरोध करते है। लेकिन माननीय मंत्री जी ने जो दिक्कते पेश की उसको मानते हुये हम यह उनसे निवेदन करेंगे कि कम से कम वे इतना तो मान लें। दो साल की बात आप चाहते है, एक साल आपको हम देते है। हमारी आशंका भी निर्मूल हो जायगी और कोई दिक्कत आपको पेश होगी तो वह भी दूर हो जायगी। माननीय स्वशासन मंत्री जी ने जो कहा कि ऐसी आपत्तियां आ सकती है अकाल हो सकता है तो एक साल तक अकाल भी नही रहेगा। और अध्यक्ष महोदय, जब हमारी तरफ से यह कहा गया कि म्युनिसिपैलिटीज में अकाल नहीं पड़ता, माननीय स्वशासन मंत्री ने कलकत्ते के अकाल का जिक्र किया और हम इसको तसलीम करते है कि कलकत्ते मे अकाल पड़ा लेकिन सारी दुनिया कहती है और माननीय स्वशासन मंत्री जी को यह तसलीम करना चाहिए वह मुसलिम लीग की मिनिस्ट्री का बनाया हुआ अकाल था। वह नेचुरल कैलामिटीज की वजह से नहीं था। यह उन्होंने और उनकी सरकार ने भी स्वीकार किया है। हम भी उनकी इस बात को स्वीकार करते है कि इस सूबे मे मैन-मेड फेमिन हो सकता है। लेकिन मै समझता हूं कि सरकार ऐसा फेमिन क्रियेट करना चाहे तो एक साल का लेजर उसको काफी है कि वह एक साल फेमिन बतला कर के म्युनिसिपैलिटीज के टर्म्स को एक्सटेंड करे। दूसरी बात माननीय स्वशासन मंत्री ने यह कही थी कि दिक्कत तो यह है कि ११४ म्युनिसिपैलिटियों में चुनाव करना है, ३७ नोटीफाइड एरियाज मे और २६७ टाउन एरियाज में चुनाव करना है। मै यह नहीं समझा कि इस विधेयक के पास होने के बाद ही टाउन एरियाज और नोटिफाइड एरियाज सब पर यह कैसे लागू होगा? टाउन एरियाज का बिल अलग रखा गया है और माननीय स्वशासन मंत्री उसको अभी पेश करेंगे और तभी उसका भी चुनाव करायेंगे। अगर यह हमें मालूम होता कि सिर्फ म्युनिसिपैलिटीज का ही विधेयक पास कर लिया जाय और कोई विधेयक नहीं आयेगा, नोटीफाइड एरियाज के बारे में, या टाउन एरियाज के बारे मे और वह सब पर लागू हो जायगा

ग्रौर इतना बड़ा काम हो जायगा, तो हम माननीय मंत्री जी की बात मान लेते। परन्तु माननीय मंत्री जी शायद यह समझते हैं कि चुनावों में अगर हर स्पाट पर वह मौजूद रहें और उनकी निगरानी में काम हो तो बहुत अच्छा होगा और इसीलिये उन्होंने यह कहा है कि इतनी सस्थाओं का चुनाव एक साथ कैसे होगा। वह भूल जाते हैं कि ११४ म्युनिसिपैलिटियों में ३७ नोटीफाइड एरियाज में और २६७ टाउन एरियाज में हर जगह चुनाव उनके संरक्षण में नहीं होगा बल्कि वहां के लोकल रिटर्निंग ग्राफिसर्स, सब डिवीजनल मैजिस्ट्रेट्स उसको करायेंगे। अगर इस तरह की दलीलें देकर चुनाव को मुल्तवी किया जाय तो हमारा एलेक्शन कमीशन जो कि पार्लियामेंट और असेम्बली के एलेक्शन का है इन एलेक्शन को चार साल तक मुल्तवी कर सकता है यह कह कर कि इतना बड़ा काम है, हिन्दुस्तान की १९ करोड़ जनता वोट डालने जायगी, ३२ लाख बैलेट बाक्सेज की जरूरत होगी, यह कोई दलील नहीं हो सकती। माननीय मंत्री जी शायद अपनी देख-रेख में इसीलिये चुनाव कराना चाहते हैं कि अब उनको सरकारी कर्मचारियों पर विश्वास नहीं रहा। यह बात मुझे बिल्कुल निःसार मालूम हुई। एमर्जेंसी के बारे में बतलाया गया कि इसमें दलीलें उसी किस्म की है, जो कि पहले सशोधन के सिलसिले में हैं। इसलिये मैं ज्यादा समय लेना नहीं चाहता। यह जो संशोधन है इसमें पचास-पचास का मामला है। आधी बात में उनकी मान लूं और आधी बात वे मेरी मान लें। इसलिये इस संशोधन को तो माननीय स्वशायन मंत्री जी को मान ही लेना चाहिये।

श्री मोहनलाल गौतम--माननीय चेयरमैन महोदय, पहला प्रश्न तो एक बुनियादी प्रश्न था और जब बुनियादी बात नहीं रही, फंडामेंटल्स की बात नहीं रही तो सिर्फ एक्सपीडिएंसी की बात है कि एक साल रहे या दो साल रहे और उसकी कोई गुंजायश नहीं है। मेरी किन-किन दलीलों का क्या-क्या जवाब दिया गया में उस बहस में नहीं पड़ता। मैं समझता हूं कि यह अमेंडमेंट जो है अब यह चूंकि बुनियादी नहीं है, सिर्फ एक्सपिडिएंसी का है कि दो साल मान लिये जायं लेकिन मैं इसको नहीं मान सकता हूं।

श्री राजनारायण--आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय रामनारायण जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। यह सही है कि जैसा अभी माननीय मंत्री जी ने बताया कि जब पहले ही सशोधन उनका गिर गया और जब बुनियादी चीज की पूर्ति नहीं होती तो एक या दो वर्ष का झगड़ा क्यों किया जाय। इसलिये अब माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करूंगा कि जब बुनियादी सवाल किया जाता है तो वह भी किसी अनुभव के आधार पर बुनियादें बनती हैं। बुनियाद बन जाय और उसके पीछे कोई आधार न हो, ऐसी बात दुनिया में कहीं नहीं पायी गयी, सुनने में तो माननीय मंत्री जी जैसे लोग सुनाया ही करते हैं। एक बात इस दलील में बार बार माननीय मुख्य मंत्री जी के मुखारबिन्दु से प्रकट होती रही है कि माननीय मंत्री जी विरोधी पक्ष के संशोधन को मानने के लिये तैयार हो जायं बशर्ते कि माननीय मंत्री जी के और सरकार के जो गैरजनतांत्रिक कदम हैं उनके प्रमाण में एक भी बात की नजीर रख दी जाय। श्रीमन्, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी की खिदमत में एक बार नहीं हजार बार मुक्त कंठ से यह कहने के लिये तैयार हूं कि इस सरकार की गतिविधि गैरजनतांत्रिक है। जब मैं यह कहता हूं कि इस सरकार की गतिविधि गैरजनतांत्रिक है तो यह नहीं है कि यह मेरी बौद्धिक कोई कल्पना है बल्कि तथ्य के आधार पर ये बातें मैं कहता हूं। मैं, श्रीमन्, आप के जरिये अभी-अभी जो श्री त्रिलोकी सिंह जी के केस में हाई कोर्ट ने फैसला दिया है उसको रखना चाहता हूं। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में यह कहा है कि राजनैतिक बातों से प्रभावित होकर सरकारी कर्मचारियों को

[श्री राजनारायण]
काम नहीं करना चाहि श्रीमन्, म फेसले की कुछ लाइनें आपकी इजाजत से पढना चाहता हू.--

"This conduct clearly supports the allegations that Sri Triloki Singh is being victimised because at that time he was the Leader of the Opposition. The courts of law are not meant to help the achievement of political objectives. They must be kept aloof entirely from party politics whether those of the Government in power or those of the opposition. This is a rule which should apply not only to the courts of law but also to all permanent officials of Government who in democratic Constitution have to carry out one day the policy of one particular party and the next day the policy of perhaps the opposition."

[इस आचरण से ऐसे आरोप को समर्थन मिलता ह कि श्री त्रिलोकी सिह को तंग किया जा रहा ह क्योकि वह उस समय विरोधी दल के नेता थे। न्यायालयो का ध्येय यह नही ह कि वे राजनीतिक लक्ष्यो की प्राप्ति मे सहायता करे। दलबन्दी से उनको सर्वथा विलग रहना चाहिये चाहे वे दल शासनारूढ़ सरकार के हो या विरोधी दल के हो। यह एक ऐसा नियम है जो केवल न्यायालयो पर ही नही अपितु सरकार के उन सभी स्थायी कर्मचारियो पर लागू होना चाहिए जिनको जनतंत्रात्मक सविधान के अन्तर्गत किसी समय किसी दल विशेष की नीति के अनुसार कार्य करना पडता ह तथा अगले अवसर पर सम्भवतः विरोधी दल की नीति को मानना पड़ता ह।]

श्रीमन्, म समझता हूं कि अग्रेजी भाषा माननीय मत्री जी अच्छी तरह से समझते होगे मगर इस सम्मानित सदन के जो सदस्य ह उनमे से बहुतो के लिये इसका अनुवाद भी कर देना मेरे लिये आवश्यक हो गया है। यह सम्मानित जज अपने फंसले में यह कहता हैं साफ-साफ कि श्री त्रिलोकी सिह जी के ऊपर जो मुकदमा चलाया गया वह मुकदमा राजनैतिक द्वेष-भाव से चलाया गया था। उसको राजनैतिक उद्देश्य की पूर्ति ही के लिये चलाया गया था। श्रीमन्, अगर म सब फैसला पढ दू तो इसकी एक-एक लाइन आज यह पुकार-पुकार कर चिल्ला रही है कि इस सरकार की गति-विधि गैर-जनतांत्रिक हैं। इस सरकार की गति-विधि कांग्रेस पार्टी ही को बढ़ाने क लिये हैं न कि उसके सामने और जनतांत्रिक प्रणाली को विकसित करने का उद्देश्य हैं। श्रीमन्, मैं माननीय मंत्री जी की खिदमत में फैसले की कापी अभी भेजने के लिये प्रस्तुत हू वे चाहें तो इसकी लाइनो को पढ़ ले और इसके बारे मे जो उन्हे जवाब देना हो उसको भी कहे। श्रीमन्, इस फंसले में माननीय मंत्री जी पायेंगे कि जब कि एक सप्लाई आफिसर स्पष्ट तरीके से कहता है कि मुकदमा अगर चलाया जाय तो जितने डाइरेक्टर्स हैं सबके ऊपर चलना चाहिये और जो रजिस्ट्रेशन का इन्सट्रूमेंट है उसमें तमाम डाइरेक्टरो की बराबर लाइबिलटीज़ (जिम्मेदारी) मानी गई है उस फंसले मे माननीय जज ने यह भी संकेत किया है कि सभापति हो जाने मात्र से किसी की लाइ-बिलाटी विशेष नही हो जाती। तो केवल एक सभापति के ऊपर मुकदमा चलाना या एक दो के ऊपर मुकदमा चलाना यह कौन जनतांत्रिक व्यवस्था की बात हैं। इसमे यहां तक भी संकेत किया हैं कि जब सेक्रेटैरियट में यह मामला गया और सेक्रेटेरियट मे जब मुकदमा चलाने की बात आई तो उसमे त्रिलोकी सिंह जी का नाम और वहां का जो सेल्समैन हैं उसका नाम रखा गया। श्रीमन्, तो एक बात आपके जरिये इस सदन के सम्मानित सदस्यो की खिदमत में और माननीय मंत्री जी की बार-बार इच्छा की पूर्ति के लिये मने रखी, क्या यह बात काफी नहीं है, यह समझने के लिये, यह संकेत देने के लिये, यह कन्क्ल्यूजन ड्रा करने के लिये कि इस सरकार की गति-विधि गैरजंतांत्रिक है, इससे बड़ा क्या सबूत हो सकता हैं? माननीय मंत्री जी के सामने ऐसी कौन सी बात रखी जाय जिससे माननीय मंत्री जी की जो बुद्धि है वह खुले, उनकी दृष्टि विकसित हो और वे यह समझ पायें कि इस सरकार की गति-विधि प्रजातांत्रिक हैं या गैरप्रजातांत्रिक है। मै आप ही की

इजाजत से माननीय मंत्री जी की जानकारी के लिये पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट, १९५०-५१, जो अपने साथ लाया हूं पढ़ना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी जरा अपनी जिम्मेदारियों को महसूस करें और वे समझें कि इतने बड़े बड़े फैसले सम्मानित जज के हो जाते हैं।

अधिष्ठाता--मैं यह जानना चाहता हूं कि संशोधन से इन शब्दों का क्या वास्ता है।

श्री राजनारायण--श्रीमन्, जो संशोधन समय बढ़ाने के लिये किया गया है, दो वर्ष के लिये, हमारे मित्र श्री रामनारायण जी त्रिपाठी उस अवधि को एक साल के लिये रखना चाहते हैं। तो मैं, श्रीमान्, आप के जरिये सम्मानित सदन के सदस्यों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसी सरकार को एक साल का समय देना भी बहुत ही काफी है।

श्री मोहनलाल गौतम--क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्या आप अपोज कर रहे ह ? क्योंकि आप कह रहे हें कि एक साल का समय भी देना गलत ह, तो क्या आप रामनारायण जी के संशोधन का विरोध कर रहे हैं ?

श्री रामनारायण त्रिपाठी--आपने सुना नहीं, उन्होंने कहा कि एक साल का समय काफी है।

श्री राजनारायण--श्रीमन्, यह स्पष्ट है कि हमारी भावना यह थी कि माननीय मंत्री जी के हाथ में कतई अधिकार न जायं, एक दिन का भी समय बढाने का। तो जब हमारी उस भावना की पूर्ति नहीं हुई, हमारा वह संशोधन माननीय मंत्री जी की असीम अनुकम्पा से इस सदन ने ठुकरा दिया तो हमने दो वर्ष के बजाय एक वर्ष रखा क्योंकि जितनी ही कम आर्बिट्रेशन निरंकुश शक्ति इस्तेमाल करने की पावर माननीय मंत्री जी के हाथों में जाय उतना ही अच्छा होगा। इसलिये एक वर्ष का जो संशोधन माननीय मित्र रामनारायण जी ने रखा है वह काफी है, इससे ज्यादा तो किसी हालत में सरकार के हाथ में म्युनिसिपिल बोर्ड की अवधि बढ़ाने का अधिकार सरकार के हाथ में नहीं जाना चाहिये और ऐसी सरकार के हाथ में जिसके काले कारनामो की एक लड़ी है और उस लड़ी की एक कड़ी ही मैंने अभी आपके सामने रखी है। इस गवर्नमेंट का तो यह एलान है कि एवरी थिंग इज एबव बोर्ड (प्रत्येक बातें स्पष्ट हैं)। इस सरकार की गति-विधि गैर जनतांत्रिक है। श्रीमन्, पब्लिक सर्विस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में एक बार नहीं पचासों बार कहा है, यहां पर मैं थोड़ा सा आपकी आज्ञा से पढ़ना चाहता हूं--

"शिक्षा संचालक ने गवर्नमेंट ट्रेनिंग कालेज, इलाहाबाद, मे ट्रेंड ग्रेजुएट्स १२० से ३०० रु० वेतन क्रम मे सहायक सुपरवाइजर के पद पर बुलाये। सन् ४६ में एक उम्मीदवार की नियुक्ति की। अक्टूबर सन् ५० में, अर्थात्, चार वर्ष से भी अधिक समय के पश्चात् उसका मामला उपर्युक्त ग्रेड में स्थायी नियुक्ति के लिये कमीशन के पास भेजा।" श्रीमन्, चार वर्ष के बाद मामला भेजा जाता है। मै चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी जरा इस गति-विधि को देखें और बतायें कि सरकार को किस कसौटी पर कसते हैं। रिपोर्ट में फिर कहा गया है। "सन् ४६ में जब उस व्यक्ति की नियुक्ति की गयी थी उस समय वह एल० टी० पास नहीं था और उसकी आयु निर्धारित आयु से कम थी। शिक्षा संचालक ने इस मामले को कमीशन के पास भेजने के पहले ही शासन से पूर्वोक्त पूर्व योग्यता से मुक्त करने का आदेश प्राप्त कर लिया था।"

श्री देवकी नन्दन विभव (जिला आगरा)--मैं यह समझ नहीं पा रहा हूं कि आखिर संशोधन से और जो माननीय विरोधी दल के नेता पढ़ रहे हैं उसका क्या संबंध है।

अधिष्ठाता--वह तो उन्होंने पहले ही एक्सप्लेन किया। कुछ संबंध हो जाता है।

श्री राजनारायण--श्रीमन्, फिर कमीशन ने इस अनियमितता पर बड़ी अप्रसन्नता प्रकट की कि उक्त उम्मीदवार चार वर्ष से भी अधिक समय से बिना कमीशन की अनुमति से शिक्षा विभाग में काम कर रहा है, और कहा कि ऐसी अनियमिततायें बराबर प्रकाश में आ रही हैं, केवल खेद प्रकट कर देने से कोई लाभ नहीं होता। इस नियुक्ति का कमीशन ने अनुमोदन नहीं किया और सुझाव रखा कि इस पद के लिये भर्ती सार्वजनिक प्रतियोगिता के आधार पर यथाविधि की जाय। श्रीमन्, यह उस काले कारनामे की जो लड़ी है उसकी एक कड़ी हमने रखी है। अब, श्रीमन्, आपकी आज्ञा से मैं एक और उदाहरण पेश करना चाहता हूं।

अधिष्ठाता--मैं समझता हूं कि जितना आपने पढ़ा वह काफी है।

श्री राजनारायण--मैं समझ गया, श्रीमन्। यह सही है कि किसी भी सरकार के लिये जो लज्जा और मर्यादा को समझती है और जनतंत्रात्मक प्रणाली की पद्धति को समझती है इतनी बातें काफी हैं, मगर माननीय मंत्री जी जब बार-बार बड़े गर्व के साथ इस सदन में उठ कर कहा करते हैं कि एक भी उदाहरण बतला दीजिये इसीलिये, श्रीमन्, मुझे शंका होती है कि कहीं इतने उदाहरण माननीय मंत्री जी के लिये काफी न हों। और अभी इसी पर जब मौका मिलेगा तो दूसरी बातें भी इस सदन के सामने आयेंगी जिनसे माननीय मंत्री जी की दृष्टि खुलेगी और तब शायद वह समझ पायें। तो अब मैं जानना चाहता हूं, श्रीमन्, कि ऐसी कौन सी बात को ला कर विरोधी पार्टी इस सदन में रख दे जिससे माननीय मंत्री जी यह समझ जायें कि हां, यह काम इस सरकार ने ऐसा किया जो कि गैर-जनतांत्रिक है।

पहले ही, श्रीमन्, मैंने अर्ज कर दिया था कि आडिट रिपोर्ट आई तो आडीटर ने कहा था कि सन् १९५०-५१ में १९६४५ आपत्तियां पेश हुई थीं जब कि सन् १९४२ में कुल ६ आपत्तियां पेश हुई थीं जब कि अंग्रेजी राज्य था और सन् १९५०-५१ ई० इन आपत्तियों के ऊपर १४ करोड़ रुपया इस तरीके से खर्च किया गया था जो उन्होंने नाजायज माना था यानी इसका उचित तरीके से खर्चा नहीं किया गया है। माननीय मंत्री जी क्या बात कहा करते हैं; हमारे पास तो काले कारनामों की पिटारी भरी पड़ी है।

मंत्री जी म्युनिसिपैलिटीज के चुनाव की बात करते हैं। जब सरकार ने देखा कि अगर म्युनिसिपैलिटीज के चुनाव हो जाते हैं और उसमें कांग्रेस हार जाती है तो उसका जनरल इलेक्शन्स पर बहुत बुरा असर पड़ेगा तो चुनाव न कराये। क्या यह बात सही नहीं है? श्रीमन्, मैं आपके जरिये से मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि विरोध, विरोध के लिये हो रहा है, ऐसी अगर वह एक बात भी साबित कर दें तो हम अपने को कंडेम करने के लिये तैयार हैं। फिर भी उन्होंने कभी भी यह नहीं सोचा है कि हमने अपने अनुभव के आधार पर जो नई जन-तांत्रिक शासन प्रणाली विकसित होती चली जा रही है उसको मद्देनजर रखते हुये जितने संशोधन हमने पेश किये हैं वह इसी कसौटी पर कस कर किये हैं। केवल यह कह देना कि यह विरोधी पार्टी का काम है। मैं चाहता हूं कि इस तरह की बातें सदन में न हों। इसको मना कर दिया जाय क्योंकि बहुत सा समय इस तरह से नष्ट हो जाता है। ट्रेजरी बैंचेज के लोग उठते हैं और एक नाटकीय ढंग से कह देते हैं कि यह तो विरोधी पार्टी है और उसका काम ही विरोध करना है, वह धारा को ठीक तरह से नहीं समझते तो इस तरह की बातें सदन में कहना ठीक नहीं है।

मैं, श्रीमन् आपके जरिये से मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जब से यह बिल सदन में प्रस्तुत है और माननीय मंत्री के मुखारबिन्द से सुन्दर वाणी सुनते-सुनते हमारे कर्ण परेशानी में पड़ गये हैं। मैं सोचता हूं कि ऐसे मंत्री जो इतनी मुद्दत तक जन-तांत्रिक प्रणाली के माननीय नेताओं के साथ रहे उनके साथ अपना जीवन व्यतीत किया है, ऐसे मंत्री के रहते

हुये यह बिल कैसे प्रस्तुत हुआ, यह इतना उल्टा और गलत तरीके का बिल उनके रहते हुये कैसे प्रस्तुत हो गया, मैं आश्चर्य में पड़ जाता हूं। मगर श्रीमन्, एक डाइस होता है। मैं यह समझता हूं कि अगर माननीय मंत्री जी की ऐसी विचारधारा न हो गई होती तो वह हमारा साथ ही क्यो छोड़ते और आज माननीय मंत्री जी की कुर्सी पर बैठकर माननीय मंत्री को कैसे संबोधन कराते तो इस प्रकार मेरी शका का यहां उत्तर मिल जाता है और मैं शान्त हो जाता हूं।

हमारे माननीय मंत्री जी जब अपनी सीट पर उठते हैं तो एक न एक बात की चर्चा कर दिया करते हैं जो पुरानी होती है। अभी उन्होने कहा था कि जब कांस्टीट्यूट असेम्बली बनी थी उसमें सोशलिस्ट पार्टी रहती तो यह काम कर दिया होता। मैं मंत्रो जी से कहना चाहता हूं कि वह अपनी कमजोरी, अपनी खामी और दकियानूसी नीति का समर्थन करने के लिये सोशलिस्ट पार्टी के कांस्टीटुएंट असेम्बलीवाले शानदार प्रस्ताव का विधेयन न किया करें। हमारी पार्टी ने जो निर्णय किया था वह मर्दानगी का था, बहादुरी का था।....

अधिष्ठाता---प्रस्ताव माननीय सदस्य के सामने है वह उससे बहुत दूर चले जा रहे है।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, मैं अपने संशोधन पर हूं। मैं आपके जरिये माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि मंत्री जी इस संशोधन की दूरदर्शिता को समझें जो श्री रामनारायण त्रिपाठी जी ने पेश किया है, और देखें कि उसमें क्या महत्व है, क्या गहराई है, क्या तत्व है, इस पर ध्यान दें तब वह समझेंगे कि हमने अपने मूल को छोड़ दिया है या मंत्री जी स्वयं भूल से कोसो दूर भागकर जनता को शूल पर टांगने जा रहे हैं।

श्रीमन्, मैं हैरत में पड़ गया हूं माननीय मंत्री जी की इस बात को सुन कर कि रामनारायण जी अब अपने मूल से हट गये। सब लोग जानते हैं कि हम अल्पमत में हैं हम जो कुछ भी बात रख रहे है वह बात अगर बहुमत में जो कांग्रेस पार्टी है वह स्वीकार नहीं करती तो वह पास नहीं हो पायेगी। जब यह मूल का प्रस्ताव गिरा तो हमने कहा कि अच्छा भाई यह निरकुशता का अधिकार एक अनियंत्रित तरीके से, निरंकुश तरीके से सरकार को म्युनिसिपैलिटीज को चलाने में जो अधिकार मिल रहा है इस बिल के जरिये से उसकी सीमा को कम करो। दो बरस हैं तो एक बरस करो। अगर माननीय मत्री जी हमारे मूल से सहमत थे तो माननीय मंत्री जी को इसमें संशोधन करना चाहिये था। जब वह गैर जनतांत्रिक अधिकार अपने हाथ में दो साल के लिये लेना चाहते थे उसे वह एक ही साल के लिये लकर संतोष करें। एक साल का समय पार्टी पोलिटिकस खेलने के लिये, पोलिटिकल आब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिये काफी होगा। श्रीमान, इन शब्दो के साथ में चाहता हूं कि एक बार पुनः विनम्र निवेदन करूं माननीय मंत्री महोदय से कि माननीय मंत्री इसको स्वीकार करें, और सदन के समय को व्यर्थ नष्ट न करें और अपने साथियों से यह संकेत न करें कि इस तरह से जवाब देना चाहिये, इस तरह से जवाब देना चाहिये बल्कि माननीय मंत्री जी मुक्त कंठ से सहर्ष इसे स्वीकार करें कि दो बरस का जो समय है वह ज्यादा है, केवल एक बरस का समय ही ठीक रहेगा।

माननीय मंत्री जी बार बार इस बात को कहते हैं कि विरोधी पार्टी की तरफ से यह संशोधन इसलिये रक्खा जा रहा है, इस भ्रम में रखा जा रहा है कि विरोधी पार्टी का सरकार के ऊपर विश्वास नही रह गया है। श्रीमान्, यह बात माननीय मंत्री जी ने हमारे संशोधन के संबंध में कही। इस संबंध में मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इस सरकार में हमें विश्वास रह गया है या नहीं, यह तो वह खुद समझें कि हमारा विश्वास है या नहीं। इससे माननीय मंत्री जी की बात कुछ बनती बिगड़ती नहीं है मगर जिस तरह से सरकार चल रही है उससे क्या वह जनता के विश्वास को पायेगी? यह पब्लिक सर्विस कमीशन की

रिपोर्ट जनता के सामने जाय तो जनता क्या कहेगी ? त्रिलोकी सिंह का फैसला अगर जनता में वितरित किया जाय, पैसा नहीं था नहीं तो बांट दिया जाता तो जनता क्या कहेगी ?

श्री राम नरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)—चन्दा करवा लीजिये ।

श्री राज नारायण—हमारे कुछ बन्धुओं ने चन्दा देने की बात कही है । उनके पास मैं पहुंचूंगा और उदारता के साथ जो उनसे चन्दा मिलेगा उसे सहर्ष स्वीकार करूंगा।

तो मैं यह कह रहा था कि पब्लिक क्या समझती है । मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी अगर अपनी एनालेसिस करे, ४६ में ९० फीसदी जनमत कांग्रेस को प्राप्त हुआ था जब कि हम भी कांग्रेसी थे, १९५२ में कौन सा हिस्सा जनमत का कांग्रेस पार्टी को प्राप्त हुआ ? इतना जो डिक्लाइन (पतन) हुआ, इतनी जो वह नीचे आई क्या यह माननीय मंत्री को समझने के लिये काफी नहीं है कि जनता का विश्वास जिस द्रुतगति से कांग्रेस से हटता जा रहा है ? दुनिया की राजनीति मे आप देखेंगे कि किसी राजनैतिक पार्टी का उदाहरण आपको नही मिलेगा जिसका डाउनफाल इतनी द्रुतगति से हुआ हो । इसलिये, श्रीमान्, मै आपके जरिये माननीय मंत्री जी से बराबार निवेदन करूंगा, सादर साग्रह निवेदन करूंगा कि वह इस बात पर जोर न दे कि हमारा उन पर विश्वास नहीं है, इसलिये संशोधन रख रहे हैं । जितना विश्वास वह रखाना चाहते हैं उससे चौगुना विश्वास हम रखने को तैयार हैं लेकिन उनके जो काले कारनामे हैं वे हमारा विश्वास नहीं रहने देते । वे हर जगह इतने प्रचलित हो गये हैं, वे डंके की चोट पर कहते हैं कि इस सरकार में विश्वास न रक्खो । और मेरा विश्वास है कि जनता जितनी ही जल्दी इस सरकार से अपना विश्वास हटा लेगी उतना ही जनता का कल्याण होगा।

मै अपने इस समर्थन के भाषण का अन्त करते हुये अन्त में यह कहना चाहता हूं कि इस सरकार से जनता का विश्वास जितना जल्दी डिग जाय उतनी ही जनता के लिये अच्छा है, जन कल्याण के लिये अच्छा है और व्यक्तिगत मंत्री जी के लिये भी अच्छा है ।

श्री सुल्तान आलम खां (जिला फर्रुखाबाद)—जनाब चेयरमैन साहब, इस छोटे से संशोधन पर जो बहस कई घंटे से हो रही है उसको मैंने बहुत गौर के साथ सुना । इस संशोधन को पेश करने वाले मेरे दोस्त ने जो तकरीर की और खासकर लीडर आफ दि अपोजिशन ने जो तकरीर की वह बहुत गौर के साथ सुनी । मैं यह समझता हूं कि कि इस भवन के अन्दर जितने लोग यहां पर बैठे हुये हैं उन्होंने सब ने इस तकरीर को बहुत दिलचस्पी के साथ सुना । तकरीरों के जरिये से इस बात को दोहराया गया है और इस बात को साबित करने की कोशिश की गई है कि जो तरमीम एक साल के बजाय दो साल म्युनिसिपैलिटी की जिन्दगी को बढ़ाने के लिये रखी गई वह सही है । यह बात पहले भी कही जा चुकी है कि इससे पहले जो संशोधन इस भवन के सामने आये जिनके ऊपर बहस हुई उनमें से बाज संशोधन ऐसे थे कि जो उसूली हैसियत रखते थे और अगर उस पर वोट होता तो शायद कुछ लोग उस पर वोट भी देते लेकिन मैं यह बतलाना चाहता हूं कि उनमें से बाज उसूली शक्ल रखते थे और वह ऐसे थे कि उनके मुताल्लिक दो राय नहीं हो सकती थी लेकिन मुझे ताज्जुब यह हुआ कि वही माननीय सदस्य जो पहले यह बात कहें कि कोई एक्सटेन्शन नहीं होना चाहिये या उसके खिलाफ यह कहें कि जो एक्सटेंशन हो वह लेजिस्लेचर के जरिये से होना चाहिये उसके बाद वह इस बात को भी कहने लगें कि नहीं वह एक्सटेन्शन दो साल के बजाय एक साल का कर दिया जाय और वह इस वक्त एक साल की मियाद बढ़ाने की कोशिश करते हैं जब बिल के अन्दर संशोधन को उनकी तरफ से आया हुआ मंजूर नहीं किया जाता है तो वह इस तरह की बात कहते हैं । लेकिन मैं समझता हूं कि बात यहीं पर खत्म हो जाती तो यह ज्यादा बेहतर था । इस हाउस के बाहर यह कहा जाता है कि सोशलिस्ट पार्टी ने इस बात की कोशिश कि वह इस बात को रहने देने के लिये इस बिल के अन्दर तैयार नहीं और गवर्नमेंट अपनी तरफ से जो भी करे उसके लिये लेजिस्लेचर की मंजूरी लेकर करे तो इस तरह की तेजी की बात नहीं होनी चाहिये।

जब इस बात को मान लिया गया है कि बजाय दो साल के एक साल सोशलिस्ट पार्टी चाहती है तो मेरे खयाल में जो संशोधन इस वक्त पेश किया गया है उसका ग्रेस कुछ कम हो जाता है।

एक बात यह भी कही गई कि इस हुकूमत के ऊपर हमको विश्वास नहीं है इसलिये यह एक साल की मियाद की जारही है। हुकूमत के ऊपर उनको विश्वास नहीं है कि वह इस तरह के अख्तयार हासिल करे और अगर हासिल करती है तो वह इसका सही इस्तेमाल नहीं करेगी। मैं यह समझता हूं कि इस तरह की बात पालियामेंटरी तरीके के खिलाफ है। हाउस के अन्दर बहुत सी बातें हुआ करती हैं। जो वहां पर पार्टी आती हैं वह अपने प्रोग्राम के मुताबिक चलती हैं और अपने अपने प्रोग्रम के मुताबिक बातें किया करती हैं लेकिन भवन जब किसी बात को तय कर देता है तो फिर वह सब के लिये पाबन्दी की बात समझी जाती है चाहे वह कोई किसी भी संशोधन का मूवर हो या उसकी मुखालफत करने वाला हो। लेकिन बदकिस्मती से भवन के अन्दर डिबेट में इस तरह की बात कही गई कि सरकार पर हमको विश्वास नहीं है। जब कोई बात मानली गई तो वह इस बात की इजाजत नहीं देती है कि यह कहे कि हमको विश्वास नहीं है । यह डिमोक्रेसी इन्स्टीट्यूशन के खिलाफ जाता है। अभी हमारे एक दोस्त ने कुछ जजमेंट पढ़कर सुनाया। कुछ पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट को पढकर सुनाया। जब वह सुना रहे थे तो मैं आंखें मल रहा था कि आया यहां पर उनके लिये यह कहना मुनासिब है या नहीं। मुझे मालूम नहीं है कि उनकी तफसील क्या है। यह भी हो सकता है कि गवर्नमेंट जो काम करे और हो सकता है कि बाज क्रिटिसिज्म सही हों लेकिन सवाल यह है कि यह जो एक और २ साल की बहस है इसमें कोई उसूल की बात है यह चीज समझ में नहीं आती। जब यह बात कही गई कि इससे विश्वास कम हो जाता है तो मैं इस सिलसिले में सिर्फ इतना ही कहूंगा कि विश्वास कम होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता और वह इसलिये कि पब्लिक सर्विस कमीशन ने अगर अपनी रिपोर्ट में कोई ऐसे आबजरवेशन किये कि जिनको उसने पसन्द नहीं किया या किसी कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया या आबजरवेशन्स किये जो अच्छे नहीं थे तो इसका यह नतीजा नहीं निकलता कि उससे गवर्नमेंट अनपापुलर हो गई और उसका किसी बात पर यकीन ही नहीं किया जा सकता । तो मैं आपको याद दिलाऊं कि गवर्नमेंट का या इस भवन का मास्टर कोई हाईकोर्ट या पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं है बल्कि हमारा और हमारे सदन का जो असली मास्टर है वह यहां का एलेक्टरेट है कि जिस ने हम को यहां चुन कर भेजा है। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि वह मास्टर जिसने हमें यहां एलेक्ट कर के भेजा है यानी एलेक्टरेट, उसने जब एक पार्टी के लोगों को अकसरियत से चुना और उस पार्टी को कमीशन किया कि तुम हुकूमत को संभालो और उसी एलेक्टरेट के कमीशन के मुताबिक जब एक पार्टी हुकूमत चला रही है, एलेक्टरेट ने उस के ऊपर भरोसा किया और उस ने अपना नुमाइन्दा बनाकर यहां भेजा लेकिन अगर कहीं हम यहां वहां थोड़ा सा क्रिटिसिज्म पढ़ लें या कहीं के किसी के कुछ आबजरवेशन्स पढ़ लें, चाहे वह हुकूमत के खिलाफ ही क्यों न हों लेकिन उन की बिना पर हम यह नहीं कह सकते कि उससे हुकूमत की या पार्टी की पापुलेरिटी खत्म होती है। यह सब चीजें एक बुनियादी हैसियत विश्वास पर रखती है और विश्वास एक साइकोलाजिकल टर्म है। "कानफिडेन्स बिगैट्स कानफिडेन्स"। मान लीजिये कि हम यह बुनियाद लेकर चलें कि लीडर आफ दि अपोजीशन हमारी बात मानेंगे ही नहीं तो सवाल यह पैदा होता है कि हम उन के पास अपनी दरख्वास्त ले कर जायं या न जांय। जहां तक पालियामेंटरी डिबेट्स का ताल्लुक है उन की बुनियाद यह नहीं होना चाहिये कि विश्वास नहीं करते बल्कि बुनियाद होना चाहिये कि जिस बात को हम कह रहे हैं वह कहांतक सही और मुनासिब है। चाहे कोई हुकूमत हो असेम्बली हो या पालियामेंट हो, यहां की या किसी भी मुल्क की पालियामेंट हो, जहां भी पालियामेंटेरियन इन्सटीट्यूशन्स चल रहे हैं वहां यही तरीका होता है कि एक पार्टी ट्रेजरी बैंचेज की होती है और दूसरी माइनारिटी पार्टी अपोजीशन में होती है, उस के बाद सरकारी पार्टी की तरफ से प्रोपोजल्स आते हैं और उनका

[श्री सुल्तान आलम खां]
हाउस में प्रपोजीशन होता है और उन पर डिसकशन होता है और उस के बाद जो चीज मुनासिब होती है वह यहां आखिर में मंजूर की जाती है और वह चीज न सिर्फ ट्रेजरी बेंचेज का प्रोपोजल होता है बल्कि वह हाउस का प्रोपोजल बन कर जाता है। अगर इसी उसूल को हम मानें और इसी बुनियाद पर हम कोशिश करें तभी हमारे यहां पार्लियामेंटरी इन्सटीट्यूशन्स की तरक्की और डेमोक्रेसी के हेल्दी कन्वेन्शन्स कायम हो सकते हैं।

एक सदस्य--कुछ संशोधन पर भी बोलिये।

श्री सुल्तान आलम खां--हमारे दोस्त फरमा रहे हैं कि मैं संशोधन पर भी रोशनी डालूं। मेरे खयाल में मैंने जो शुरू में अर्ज किया था उस पर उन्होंने तवज्जह नहीं फरमाई। मैंने कहा था कि जब एक बार इस तरह की तजवीज आ चुकी कि गवर्नमेंट को वक्त के बढ़ाने का अख्तयार न होना चाहिये और इस तरह का भी संशोधन आ चुका कि अगर गवर्नमेंट एक्सटेंशन करे तो उसके लिये हाउस की रजामन्दी होना चाहिये और उसके बाद जब वह नाकामयाब रहे तो ऐसी सूरत में तो यह बेहतर होता कि वह खामोश रहते और कोई संशोधन न लाते, मैं समझता हूं कि यह ज्यादा ग्रेसफुल उन के लिये होता लेकिन जब यह संशोधन आता है कि २ साल के बजाय एक साल कर दिया जाय, तो मुझे इसके पीछे कोई आरगूमेंट नहीं मालूम होता। मुझे तो ऐसा मालूम होता है कि यह ठीक ऐसा ही है कि जैसे कोई बाजार में जा कर सौदा करता है कोई अमीनाबाद या हजरतगंज में जाय और उस से दुकानदार कहे कि फलां चीज ३ रुपये की है, उस पर पहले कहा जाय कि ३ रुपये तो नहीं एक रुपया लो। उसके बाद फिर कहा जाय कि अच्छा भाई न तुम्हारे ३ रुपये और न हमारा १ रुपया, २ रुपये लो।

कानून इस तरह से नहीं बनते। पहले कानून में कन्विक्शन का सवाल आता है। अगर वाकई कन्विक्शन है तो मैं समझता हूं कि हुकूमत को इस तरह का अधिकार नहीं हो कि कोई टर्म बढ़े या अगर बढ़े तो हाउस के अन्दर उसका एप्रूवल ले लिया जाय, ठीक है। मुमकिन है कि इससे बहुत से लोग मुखालिफत करें। मैं समझता हूं कि आप खुद समझते होंगे कि उसके पहले जो अमेंडमेंट आये हैं उनमें कुछ ग्रेस बाकी नहीं रहती। २ और १ की जो बहस है यह बिलकुल गलत है। मैं सिर्फ इतना निवेदन करूंगा कि जब हाउस ने यह बात मान ली कि नहीं साहब, कोई टर्म नहीं होनी चाहिये तो फिर २ या ४ साल का सवाल नहीं आता और अगर यह माना है कि कोई टर्म होनी चाहिये तो फिर सवाल यह पैदा होता है कि वह कितनी हो, आया २ साल हो या १ साल हो या ४ साल हो। तो इसकी तो कोई हद नहीं हो सकती। सवाल तो दरपेश यह है कि जो २ साल की टर्म रखी गयी है, जब आपने यह बुनियादी उसूल मान लिया कि नहीं साहब कुछ टर्म रखनी चाहिये तो फिर, जैसा मैंने पहले कहा, यह सवाल पैदा होता है कि क्या टर्म रीजनेबिल होनी चाहिये जिसके अन्दर अगर इस किस्म की जरूरत पेश आजावे तो उससे काम लिया जा सके। मैं समझता हूं कि ऐसी हालत में एक साल की मुद्दत बहुत थोड़ी है जो इलैक्टोरल रोल वगैरह बनाने में ही गुजर जाती है। फिर यह भी नहीं है कि २ साल की मुद्दत लाजिमी है। वह तो एक एग्रिगेट टर्म है। हो सकता है कि मुद्दत किसी केस में ६ महीने या सालभर ही रखी जाय। यदि यह अर्सा काफी नहीं होता है तो उसके बाद उसे बढ़ाया जा सकता है २ साल तक। अगर इसको १ साल या कम रखा गया और जरूरत इससे ज्यादा अर्से के लिये पड़ी तो फिर आर्डिनेंस जारी करने की जरूरत पड़ेगी। २ साल तो इसलिये रखा गया है कि अगर ६ महीने या १ या डेढ़ साल में काम नहीं चला तो २ साल तक हो सकेगा। इसलिये मैं समझता हूं कि १ या २ की बहस में पड़कर इस भवन का वक्त कारआमद नहीं बनाया जा सकता। इसलिये मेरी बड़े अदब के साथ दरख्वास्त यह है कि इस अमेंडमेंट को मेरे दोस्त वापस लेलें तो ज्यादा अच्छा हो।

श्री जगन्नाथ मल्ल--माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो संशोधन माननीय रामनारायण त्रिपाठी जी ने रखा है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। अभी अभी माननीय

सुल्तान आलम खां साहब ने बहुत जोरदार उपदेश सुनाये और ऐसी बातें कहीं जो मैं समझता हूं कि कोई सुनने की चीज नहीं है। उपदेश तो आपने बहुत सुनाये और जितना भी आपका भाषण था मैं तो यह समझता रहा कि शायद आप हम लोगों को उपदेश देने की बात कर रहे हैं। मैं आपसे बहुत अदब से कहता हूं कि उपदेश देने का एक समय था और उस वक्त मेरे दोस्त शायद कांग्रेस या आर्गेनाइजेशन में नहीं थे, उस समय हम कांग्रेस में थे और तब अगर हमारे दोस्त कांग्रेस में होते तो हम उनके उपदेश की बात सुनते। उसके बाद संशोधन के बारे में उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। उन्होंने कहा कि स.देवाजी हो रही है। मैं आपको बताऊं कि यह गवर्नमेंट तो बुनियादी चीजों की तरफ ध्यान देवाली नहीं है। बुनियादी चीजों को तो यह सरकार मानने वाली है नहीं। जब हमने यह देख लिया कि यह सरकार प्रजातंत्र से बहुत दूर जाना चाहती है, वह चाहती है कि अपने हाथ में ताकत लेकर चुनाव को टालते जावें, तो मैं समझता हूं कि सुल्तानआलमखां साहेब को, अगर हम बारगेनिंग भी करते हैं तो उसका बुरा नहीं मानना चाहिये। मैं तो जानता हूं कि कभी भी यह सरकार बुनियादी चीजों पर नहीं आयेगी। फिर जैसी सरकार होती है वैसा ही करना भी पड़ता है। हम तो सिर्फ इतना ही चाहते हैं कि इस सरकार के पास बहुत ज्यादा बेजा पावर न चली जाय। हमारा संशोधन तो सीधा सादा संशोधन है। अब मैं और ज्यादा न कह कर सदन से निवेदन करूंगा कि वह इस संशोधन को स्वीकार कर ले।

श्री राम नरेश शुक्ल--माननीय अधिष्ठाता महोदय, मेरे पुराने साथी और आज के विरोधी दल के नेता, जिनकी मैं बड़ी इज्जत करता हूं, उन्होंने अपने अभिभाषण में इस संशोधन के सिलसिले में बहुत सी बातें कहीं जो बुनियादी नहीं थी। उन पर अधिक न कहते हुये मैं केवल एक दो बातों की ओर आपका ध्यान दिलाऊंगा और वह यह है कि जब मैं उन्हें सुन रहा था तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे कि वे सुबह ही से इस बात के लिये तैयार हों कि जैसे ही मौका मिले वैसे ही इस बात को कह दें। अगर मेरे लायक दोस्त उन बातों को किसी मौके पर कहते तो ज्यादा अच्छा होता और उन बातों का कुछ वजन पड़ता लेकिन जिस संशोधन पर और वक्त बेवक्त उन चीजों को कहा गया उससे तो मैं केवल इसी नतीजे पर पहुंचता हूं कि जब किसी से नई दोस्ती होती है तो उस नई दोस्ती को किसी तरीके से साबित करना होता है जिससे कि उसकी जड़ें और गहरी हों।

जहां तक उस कोर्ट के फैसले का ताल्लुक है वह माननीय हाई कोर्ट का फैसला है, वह हमारी सर आंखों पर है और यह सरकार ऐसे फैसलों से नसीहत लिया करती है। इतनी बड़ी हुकूमत है जिसमें सैकड़ों हजारों और लाखों कर्मचारी हैं, यह कोई बनिये की दूकान तो है नहीं कि हर एक पर पूरी नजर रखी जा सके। उसके विषय में सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में इसलिये कहना जरूरी था कि इसका कारण वह दोस्ती थी जो अभी हाल में नेता विरोधी दल और श्री त्रिलोकी सिंह की हुई है लेकिन इससे जनता की नजर में इनका कोई वजन नहीं बढ़ सकता।

इस सम्बन्ध में, अधिष्ठाता महोदय, यह भी कहा गया और बराबर कई रोज से कहा जा रहा है कि कांग्रेस दल ४४ प्रतिशत वोटों से आया। तो क्या मैं आप के द्वारा पूछ सकता हूं कि विरोधी दल को जो वोट हुआ वह कितना था? उनको कितने प्रतिशत वोट प्राप्त हुए? इसलिये यह कह कर कि हमें बहुत कम प्रतिशत वोट मिले इस सदन के वजन को हल्का नहीं किया जा सकता है। आप भी माननीय सदस्य हैं, आप भी चुन कर आये हैं, चाहे जितना प्रतिशत वोट पाये हों। आपका भी आदर इस सदन में और इससे बाहर है। (एक आवाज--और आपको तो ज्यादा आदर प्राप्त होगा?) हमारा आदर तो ज्यादा है ही क्योंकि हमारी संख्या ३९१ है।

[श्री राम नरेश शुक्ल]

जहां तक मैंने समझा है मालूम होता है कि वे उन तमाम हारे हुए उम्मीदवारों के वोट भी शायद जोड़ लिया करते हैं और जोड़ कर अपनी संख्या ज्यादा बढ़ा लिया करते हैं। तो इस विषय को तो यहीं पर छोड़ देना मुनासिब मालूम पड़ता है। फिर मेरे दोस्त आगे बढ़े और उन्होंने यह कहा कि यह सरकार अजनतांत्रिक (अन डेमोक्रेटिक) सिद्धान्तों पर चल रही है और उसी को कहते हुए यह फरमाया कि दुनिया में कोई पार्टी नहीं है जिसका असर इतनी जल्दी अपने देश से कम हुआ हो। अधिष्ठाता महोदय, मेरा यह खयाल है कि यही खयालात और बुलन्द ऊंचे दिमाग चुनाव के पहले थे और हर जिले में, हर प्रान्त में हुकूमत में बढ़ने के लिये तैयारियां थीं और इतने जोरों की तैयारियां थीं कि मालूम पड़ता था कि बस, रेलगाड़ी और मोटर बसों से जो बातें सुनी थीं उसी के नतीजे पर आकर हुकूमत बनाने को तैयार हो गये। लेकिन इस प्रान्त में ही नहीं बल्कि इस देश के और प्रान्तों में भी जो उन्हें तजुर्बा हुआ उसका नतीजा यह हुआ कि वे अपने बुनियादी सिद्धान्तों पर भी नहीं ठहर सके और अपने सिद्धान्तों को छोड़ कर ऐसी जगह पहुंचे जहां पहुंचना जिन्दगी भर में भी उनके लिये मुश्किल था। तो इस संशोधन में मैं उन चीजों को नहीं उठाना चाहता हूं।

कुछ और दूसरी बातों का भी जिक्र आया है। अधिष्ठाता महोदय, आपके द्वारा मैं एक चीज और बतलाना चाहता हूं। मेरे लायक दोस्त यह भी कहा करते हैं कि वह तो जनरल एलेक्शन था। उसके बाद डेढ़ वर्ष के अन्दर बड़ा परिवर्तन हुआ है और उस सिलसिले में एकाध चुनाव का नाम लिया करते हैं। उस चुनाव के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं। केवल इतना कहना चाहता हूं कि जनरल एलेक्शन में हमेशा सिद्धान्तों की आंधी उठा करती है और उस समय सचमुच सिद्धान्तों की तौल और वजन हुआ करता है। छुटपुट और बीच के चुनाव जो हुआ करते हैं उनमें सिद्धान्तों की आंधी नहीं चलती। उसमें व्यक्तित्व लड़ा करता है और व्यक्तित्व का वजन होता है। तो, अधिष्ठाता महोदय, इस तरह छोटे मोटे बाई एलेक्शंस का जिक्र करके किसी गलत नतीजे पर पहुंचना, मैं समझता हूं किसी राजनैतिक दल के लिये उचित नहीं होगा। मुझे आपके द्वारा केवल एक बात की प्रार्थना करनी है और वह यह है कि यह दो साल और एक साल की मियाद बढ़ाने की बात रख करके हम प्रजातांत्रिक सिद्धान्तों के बाहर कैसे जा रहे हैं, इस विषय में हमें केवल इतनी प्रार्थना करनी है कि क्या प्रजातंत्र का फैसला हर एक गांव में किया जायगा? किसी मकान के कब्जा करने का फैसला हुआ। इस प्रान्त की हुकूमत करने के लिये इस राज्य की जनता ने ५ वर्ष के लिये कांग्रेस को अख्तियार दिया और आज अगर यह सदन यह भी तय कर देता कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स और म्यूनिसिपैलिटियों को रखना अनडेमोक्रेटिक है तो उसके लिये भी हम कुछ नहीं कह सकते थे। इसलिये एक साल या दो साल की बात कोई ऐसी नहीं है जिसके लिये यहां पर इस प्रकार की दोहाई दें कि प्रजातंत्र का हनन हो रहा है और ऐसे मंत्री द्वारा जिनका साथ किसी बड़े प्रजातंत्र के हामी का रहा है। अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके द्वारा यह प्रार्थना करूंगा कि यह पार्टी जिसके कि हमारे मंत्री महोदय हैं सभी ऐसे बड़े-बड़े नेता रखी है और रखती है जिससे सारा संसार आकर प्रजातंत्र की नसीहत लेता है। आज से ही नहीं बल्कि बहुत पहले से ही सारे संसार ने यहां से प्रजातंत्र का सबक लिया है। तो मैं तो विरोधी दल को भी निमंत्रण देता हूं कि वे भी आकर हमारी पार्टी के नेताओं से प्रजातन्त्र की नसीहत लें।

श्री मदन मोहन उपाध्याय--माननीय चेयरमैन महोदय, ...

अधिष्ठाता--मैं उपाध्याय जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि परसनल बातें न हों तो अच्छा है।

श्री मदन मोहन उपाध्याय—मैं चाहता तो यही था कि पहले और बहुत से महानुभाव बोल लें और बाद में मैं बोलूं तो अच्छा होता। लेकिन मैं खड़ा हो गया और आपने मेरा बोलना स्वीकार कर लिया इसलिये मैं तैयार हूं। आज, अधिष्ठाता महोदय, एक ऐसा मामला सदन में छिड़ गया है जिस पर कुछ बातों को कहने का मौका मिला है।

हमारे लायक दोस्त माननीय रामनरेश जी शुक्ल ने हमसे कहा कि प्रजातंत्र के तरीकों को बरतने वाले और पढ़ाने वाले बहुत बड़े बड़े नेता हैं। हमें इनकार नहीं है इस बात से और आज वह कहते हैं कि जनता ने हमें छांटा है लेकिन यह सब हमारी कमाई तो है जिसकी वजह से आप जीत कर आये हैं आप कांग्रेस का नाम लेकर जीते हैं लेकिन कांग्रेस को बनाया किसने था? लेकिन जब हमने देखा कि आप आज सारी कमाई को गलत तरीके से खा लेना चाहते हैं और हमारे पुराने इकट्ठा किये हुये धन को गलत तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं और तब हम बाहर आये और हमने इन्हें रोकने की कोशिश की। लेकिन आज तो इन्हें इस बात का गर्व है कि जैसा माननीय सुल्तान आलम जी ने कहा कि हमारा हाई कोर्ट कुछ नहीं है, पब्लिक सर्विस कमीशन कुछ नहीं है, और हमारी मास्टर तो पब्लिक है और जनता ने हमें छांटा है इसलिये हम जो करना चाहें कर सकते हैं।

श्री सुल्तान आलम खां—आन ए प्वाइंट आफ परसनल एक्स्प्लेनेशन (मैं व्यक्तिगत स्पष्टीकरण देना चाहता हूं।) मैंने यह कहा था कि पब्लिक सर्विस कमीशन ने चाहे कुछ क्रिटिसिज्म किया हुआ हो और चाहे हाई कोर्ट ने कुछ आबजरवेशंस किये हों लेकिन जब तक जनता जो हमारी मास्टर है और उसने यहां जैसा हाउस है बनाया है और जब तक उसका विश्वास हम पर है तब तक यह काम हम करने के लिये आये हुये हैं।

श्री मदन मोहन उपाध्याय—वही बात मैं भी कह रहा हूं कि पब्लिक सर्विस कमीशन और हाई कोर्ट जो कुछ कहें लेकिन आप तो अपने रास्ते पर चले जायेंगे यही तो मैं भी कह रहा हूं। यही हमने देखा है और यही सब माननीय सदस्यों ने समझा होगा। जब यह मनोवृत्ति है और जैसा माननीय स्वशासन मंत्री जी कहते थे और फिर उन्होंने छोड़ दिया लेकिन वह कह रहे थे कि वह अपना फर्ज अदा कर रहे हैं लेकिन हम भी अपना फर्ज अदा कर रहे हैं। हम विरोधी दल में हैं केवल विरोध के लिये विरोध नहीं कर रहे हैं जो हमारी समझ में आता है आपको बताते हैं। जैसा हमारे नेता जी ने कहा कि जो हम समझते हैं वह कहते हैं कोई गलत बात नहीं रखते और अगर वह बात आपकी समझ में न आयें तो हम क्या करें? समझाने की कोशिश करते हैं और हम चाहते हैं कि आप भी समझें और हम भी समझें और कोई मानने लायक बात हो तो आप मानें। लेकिन मैं जानता हूं कि सही बात भी हम कहें तब भी आप न समझेंगे और न मानेंगे। यही बात अगर और तरफ से कही गई होती तो शायद आप मान भी लेते। लेकिन मुझे दुःख हुआ जब इस छोटे से मामले को लेकर इतनी गरमागरमी हाउस में हो गई और हम तो ऐसे मौके की ताक में रहते हैं कि कहीं ऐसी चीज मिले क्योंकि हम थोड़े आदमी हैं। जब कभी कोई ऐसा मामला सदन में पेश होता है तो हमें अपने खयालात के इजहार करने का मौका होता है।

(इस समय ४ बज कर २० मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

पब्लिक सर्विस कमीशन की बातें कही गई हैं और बहुत सी मिसालें हमारे सामने हैं जिनके बारे में माननीय मंत्री जी ने कहा था कि आप मिसालें बताइये। हमारे नेता जी ने बहुत सी मिसालें बताई। एकाध मैं भी बताता हूं। सन् १९४९-५० में स्कूलों के सब डिप्टी इंस्पेक्टर्स की नियुक्ति बिना पब्लिक सर्विस कमीशन की राय के हुई। पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट में यह बात लिखी हुई है। उसके बाद गवर्नमेंट के हैंडमेड पेपर फैक्टरी के मैनेजर के पद से एक अफसर लेखे में कुछ त्रुटियों के लिये

[श्री मदनमोहन उपाध्याय]

उत्तरदायी ठहराये जाने के कारण निकाल दिये गये थे तिस पर भी सरकार ने उसे १९५० में अक्यूपेशनल लखनऊ के लिये वर्कशाप सुपरिंटेंडेंट के पद पर नियुक्त कर दिया । ऐसी सैकड़ों मिसालें हैं । माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर वह बतायी जायं तो मैं समझता हूं कि उनमें बहुत दिन लग जायंगे । इसलिए मैं तो माननीय मंत्री जी से यह कहूंगा कि कमियां उनमें भी हैं और हम में भी हैं । हम यह नहीं कहते कि हम दूध के धोये हैं । लेकिन अगर वह यह समझते हैं कि वे दूध के धुले हुए हैं तो यह बात गलत है । यह हम कभी भी मानने के लिये तैयार नहीं हैं । वह कहते हैं कि हम चाहे जो कानून बनायें, चाहे जितने दिन तक म्युनिसिपैलिटी का चुनाव न करवाएं क्योंकि हमको जनता ने छांट दिया है, यह बात गलत है । हम जनता के ही छांटे हुए हैं। किसी ने हमको नामजद तो नहीं किया है।

मैं ज्यादा तो नहीं कहना चाहता हूं क्योंकि बहुत इसमें वादविवाद बढ़ जायगा।

मैं यही कहूंगा कि जो संशोधन हमारे माननीय रामनारायण त्रिपाठी जी ने इस सदन के सामने रखा है उसे माननीय मंत्री जी स्वीकार कर लें ।

श्री बाबूनन्दन (जिला जौनपुर)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं क्लोजर मूव कर रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि प्रश्न उपस्थित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री रामनारायण त्रिपाठी--अध्यक्ष महोदय, मेरे छोटे से निर्दोष संशोधन पर सरकार की हठवादिता के कारण सदन का समय काफी लगा, इसका मुझे बड़ा अफसोस है । लेकिन मैं सिर्फ थोड़ा सा वक्त लूंगा और दो तीन बातों की तरफ ध्यान दिलाऊंगा।

माननीय सदस्य सुल्तान आलम खां ने यह कहा कि पहला जो मेरा संशोधन था कि कोई भी एक्सटेंशन न किया जाय उसके बाद मुझे चुप रहना चाहिये था तो दुनिया में नाम होता हमारी पार्टी का कि भले लोग हैं। एक बात उसूल की कही। अगर नहीं मानी गयी तो इसके बाद वह चुप रहे । लेकिन हम तो यह समझते हैं आज यह हमारी परीक्षा नहीं बल्कि सरकार की परीक्षा का समय है। हम तो यह दिखाना चाहते हैं कि पहले हमने एक बुनियादी चीज कही कि जिस म्युनिसिपल बोर्ड को जनता चुनती है उसके पीरिअड को एक्सटेंड करने का सरकार को अधिकार नहीं होना चाहिए। लेकिन उसको भी कांग्रेस सरकार ने और उसके बहुमत ने ठुकरा दिया। उसके बाद हमने चाहा कि अगर सरकार जरूरी ही समझती है तो दो साल के बजाय एक ही साल का एक्सटेन्शन रख दिया जाय। वह भी हमारी बात नहीं मानी गयी । यह हम जनता को दिखलाना चाहते हैं असल में हमारी इसमें बदनामी नहीं है। सरकार की बदनामी है कि सचमुच सरकार हट पर तुली हुई है। कोई चीज मानने के लिए तैयार नहीं है । इस वजह से हमने इस संशोधन पर जोर दिया।

एक सदस्य ने यह कहा कि बार बार अलीगढ़ के चुनाव का हवाला दिया जाता है। जो उपचुनाव होते हैं उनमें व्यक्तित्व काम करता है। साधारण चुनाव में पालिसी और प्रोग्राम पर लोग चुने जाते हैं । मैं उनसे पूछता हूं कि क्या यह बात सच नहीं है कि मद्रास में एक सीट पर एक कांग्रेसी और एक कम्युनिस्ट लड़ रहे थे । कम्युनिस्ट उम्मीदवार के उस सीट पर चुने जाने के बाद वहां के मुख्य मंत्री, जो कांग्रेस के एक प्रादेशिक सरकार के मुख्य मंत्री हैं, राजगोपालाचार्य जी ने अपने प्रति फिर से वोट आफ कांफीडेंस का प्रस्ताव

पास कराया था। उनसे इस सरकार को एक सबक लेना चाहिये। यह सरकार को गम्भीरता के साथ सोचना चाहिये कि सिर्फ पिछले चुनाव के आठ महीने बाद ही वही सरकार जिसका बहुमत है और जिसको विधान सभा मे ३९१ सदस्य चुने जाने का फख्र है वही एक उपचुनाव में हार जाती है, इसका क्या कारण है।

अभी हमारी तरफ से जब यह कहा गया कि हमारी कमाई पर तो आप चुने गये हैं तो उधर से कहा गया कि आप अपनी कमाई अपने पास नहीं रख सके। माननीय अध्यक्ष महोदय हम तो इतना कहेंगे कि हम अपनी कमाई का बेजा फायदा न उठा सके और न उठाना चाहते है। वहां आज भी कांग्रेस और कांग्रेस सरकार का दरवाजा हमारे लिए खुला हुआ है जहां पर हम बेजा और जा फायदा उठा सकते हैं। हमने बेजा फायदा उठाना नहीं चाहा। सरकारी दल के लिये छोड़ दिया कि वह जितना भी फायदा उठा सके उठाए। इसलिये हम चले आये।

और वादविवाद मे अधिक समय न लेकर मै माननीय स्वशासन मंत्री से चाहूंगा कि आप की भी दिक्कत हल हो जाती है और हम लोगों की शंका भी कुछ अंश तक कम से कम पचास प्रतिशत निवारण हो जाती है। इसलिए दो साल के बजाय एक साल का एक्सटेंशन रखा जाय तो बहुत ही उचित होगा।

श्री मोहनलाल गौतम---माननीय अध्यक्ष महोदय, यह संशोधन तो केवल इतना था कि दो साल के स्थान पर एक साल कर दिया जाय, लेकिन इसमें बहस बहुत लम्बी चौड़ी हुई और बड़ी पोलिटिकल हो गयी जिसका इससे सम्बन्ध मेरी समझ मे आ नहीं पा रहा है।

कई कोटेशंस दिये गये और हमारे विरोधी दल के नेता श्री राजनारायण जी ने कोटेशन दिया। मैंने अभी उस पुस्तक को नहीं देखा। उसके अन्दर के कोटेशन को पढ़ा नहीं, लेकिन इतना मै समझता हूं कि उन्होने जो एक बार पहले कोटेशन दिया था "ला रिपोर्टर" मे से उसको जब मैंने मंगा कर पढ़ा तो यह मालूम हुआ कि उन्होंने जो कुछ कहा था वह बिल्कुल उसके विपरीत था जो उसमें लिखा था।

श्री अध्यक्ष---कल के लिये मैंने उसका टाइम फिक्स किया है।

श्री मोहनलाल गौतम---कल जो मामला आ रहा है वह तो डिस्कस होगा, मै उसको डिस्कस नहीं कर रहा हूं। लेकिन मैं तो यह कहता हूं कि जब उसको देखता हूं तो बिल्कुल उससे दूसरी बात निकलती है। तो आज मालूम नही कि उन्होंने क्या कोटेशन पढ़ा है। जब तक मैंने देखा नहीं, पढ़ा नहीं कैसे कुछ कह सकता हूं और जो मेरा अनुभव पुराना है उससे मैं उसे कैसे सही समझ लूं कि जो माननीय राजनारायण जी ने कोटेशन दिया वह सही है। यह तो मै कहने के लिये तैयार नहीं हूं कि माननीय राजनारायण जी जानबूझ कर उसको उल्टा पेश करते है। मै उनकी नियत पर हमला करूं यह तो ठीक नहीं है, लेकिन इतना मै जरूर कह सकता हूं कि कोटेशंस को मिस्कोट करने का उनका एक खास तरीका है। इसलिये आज मैं उन कोटेशंस के बारे में कुछ नहीं कहूंगा।

बड़ी बड़ी बाते कही गयीं, बुद्धि खुले, दकियानूसी हूं, और यह सब बातें। ठीक है, अच्छा है ऐसे लफ्ज पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस मे आते जायेंगे तो पार्लियामेंटरी प्रोसीज्यर बहुत रिच होती जायगी और जितने नये नये शब्द और नीयत पर हमला करने के, बुद्धि खुलने के जो है, क्योंकि हमारी हिन्दी भाषा पार्लियामेंटरी लैंगुएज मे बहुत ज्यादा रिच नहीं है, तो जितने शब्द आपकी आज्ञा से आते जायेंगे वह अच्छा ही है। मुझे कुछ कहना नहीं है।

मुझे एक परसनल एक्सप्लेनेशन देना है। हालांकि मै इस रूल के मुताबिक..

श्री रामनारायण त्रिपाठी——मुझे वैधानिक आपत्ति है। अभी माननीय स्वशासन मंत्री जी ने ये शब्द इस्तेमाल किये कि आपकी आज्ञा से जितने शब्द इस तरह से अनपार्लियामेंटरी आते जायंगे उतना ही अच्छा होगा, यह मैं समझता हूं कि चेयर पर रिफ्लेक्शन है और माननीय स्वशासन मंत्री को ये शब्द वापस लेने चाहिये।

श्री अध्यक्ष——आपका मतलब क्या था, उसे स्पष्ट कर दें।

श्री मोहनलाल गौतम——मेरा ख्याल है कि मेरा मतलब गलत नहीं था और अध्यक्ष महोदय, आपने सुना और उसको बरदाश्त किया। मैं समझता हूं कि वह काफी था और जबकि आपने उसे बरदाश्त कर लिया, उसे मान लिया और प्रोसीडिंग्स आगे चलने लगीं।

श्री अध्यक्ष——जब प्वाइन्ट आफ आर्डर रेज किया गया है तो अब तो यह सदन का सवाल है। पहले तो मैंने बरदाश्त किया। इसलिये उसका स्पष्टीकरण आपको करना ही चाहिये।

श्री मोहनलाल गौतम——उसका स्पष्टीकरण, अध्यक्ष महोदय यह है कि वह आपत्ति अगर अचानक होती तो तो शायद आप उस पर आपत्ति करते। मैं यह समझा आपके आपत्ति न करने पर कि आपने मान लिया है। इसलिये मुझे उसके बारे में अधिक नहीं कहना है। इतना ही कह देना चाहता हूं कि आपकी आज्ञा से जितने शब्द इसमें आगे जुड़ते जायेंगे उतनी ही पार्लियामेंटरी लगुएज रिच होती जायगी, यह मैंने कहा। अगर आप आज्ञा न दें तो अनपार्लियामेंटरी होते जायेंगे और अगर आप आज्ञा देते जायेंगे तो वह पार्लियामेंटरी होते जायंगे। मैं आपकी रूलिंग को कैसे क्वेश्चन कर दूं। इसलिये मैंने यह कहा कि अगर आप इन लफ्जों को मुनासिब समझते हैं तो लगुएज रिच होती चली जा रही है। मैं यही निवेदन करना चाहता हूं और इसके अलावा मैंने आपकी शान में, आपके विरोध में, आपके खिलाफ मैंने कुछ नहीं कहा। हिन्दी भाषा में बहुत से ऐसे लफ्ज हैं जोकि अगर अंग्रेजी में कहे जायं तो आसानी से कहे जा सकते हैं, मगर हिन्दी में बुरे मालूम होते हैं। इसलिये अभी ये ट्रेडीशन बिल्ड होंगे और आप मालिक हैं, आप जिनके लिये आज्ञा देंगे वह आयेंगे और जिनके लिये आज्ञा नहीं देंगे वह नहीं आयेंगे। मेरी आपकी नीयत पर हमला करने की या जजमेंट पर हमला करने की कोई बात नहीं थी।

श्री अध्यक्ष——मैं समझता हूं कि आप कुछ शब्दों का जिक्र कर रहे थे जो कि पहले इस्तेमाल हो चुके हैं। हमारे सामने वे नहीं हैं। उन शब्दों के बारे में मैं तो यह समझा कि बहुत दफा कुछ शब्दों का इस्तेमाल होता है और वह विरोधी पार्टी के लिये इस्तेमाल किया जाता है। इस दृष्टि से मैं समझा कि आपका हमला उस तरफ है। अगर यह बात है, कोई आपत्तिजनक शब्द कहे गये हैं तो मेरा ख्याल यह है कि माननीय सदस्यों को सबको अधिकार है इस बात का कि उसी वक्त अध्यक्ष के सामने उसका एतराज कर दें कि यह अनपार्लियामेंटरी है और उस वक्त अगर अध्यक्ष यह समझे कि अनपार्लियामेंटरी नहीं है तो वह डेसीशन दे देगा और जो कुछ डेसीशन होगा वह हो जायगा। लेकिन पिछले जो शब्द इस्तेमाल हो चुके हैं, मैं तो नहीं जानता हूं, मेरे स्थान पर दूसरे जो चेयरमैन बैठते हैं उस वक्त कुछ कहा गया हो। मैंने तो यह समझा कि अध्यक्ष की मरजी से कुछ ऐसे अनपार्लियामेंटरी शब्द हैं जिनका प्रयोग जारी किया इस दृष्टि से आपने नहीं कहा बल्कि इस दृष्टि से कहा कि लोग इस्तेमाल करते चले आये हैं। एक इतिहास को ही सामने रखा। इसलिये मैंने कोई आक्षेप नहीं माना। तो मैं समझता हूं कि आपका मतलब मेरा अटेंशन ड्रा करने का था कि मैं चाहूं तो ऐक्शन ले सकता हूं। लेकिन अभी तो मेरे सामने कोई प्रश्न नहीं है। कोई आपका इरादा अगर इस किस्म का इसको चैलेंज करने का नहीं है तो मैं तो समझता हूं कि इस बात को यहीं खत्म कर दिया जाय। आप अपना व्याख्यान जारी करें।

श्री मोहनलाल गौतम—एक बात एक पर्सनल एक्स्प्लेनेशन के तौर पर मैं कह देना चाहता हूं हालांकि उनका इस बहस से एक तरह से मैं बहुत ताल्लुक नहीं जोड़ पाता हूं और यह भी ठीक है कि उसको मैं कोई पर्सनल आर्ग्यू के तौर पर कहकर १८२ के अन्दर नहीं लाना चाहता हूं। मुझ पर यह तोहमत लगाई गई और यह कहा गया कि अगर मैं डेमोक्रेटिक रहता तो उनका साथ क्यों छोड़ता। मैं दकियानूसी हो गया हूं और डेमोक्रेसी से कोसों दूर भागता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह एक ऐसा सवाल है जो बहुत बड़ा है इसमें काफी समय की आवश्यकता है और मैं इसको पूरे तौर से, पूरे ढंग से, यहां कहता ...

श्री रामनारायण त्रिपाठी—मेरा एक प्वाइन्ट आफ आर्डर है कि स्वशासन मंत्री जी इस समय जो बात उठा रहे हैं उनके लिये कोई यह बहस नहीं है। उनको अगर कोई शिकायत है तो प्रिविलेज के लिये आपको लिखें। इस वक्त जो प्रश्न है कि माननीय मंत्री जी ने यह रेफलेक्शन किया कि आपकी मरजी से अनपार्लियामेंटरी शब्द जितने जोड़े जायेंगे उतना ही अच्छा है। मेंबर के जरिये प्रश्न किये जाने पर माननीय मंत्री ने कहा कि आपने बरदाश्त किया। यह सब चेयरमैन के लिये था।

श्री अध्यक्ष—आप कृपा करके बैठ जायं। मैं समझता हूं कि यह कोई प्वाइन्ट आफ आर्डर आपका नहीं है। अगर कोई चीज अभी व्याख्यान में पहले कही गई है तो उसके ऊपर उत्तर माननीय मंत्री अगर दे रहे हैं तो उस जवाब को आपको सुनना चाहिये।

श्री मोहनलाल गौतम—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद देता हूं कि इस रूलिंग के लिये और मुझे यह आशा नहीं थी कि इतनी परेशानी फौरन ही शुरू हो जायगी। मैं यह बात बहुत साफ कह देना चाहता हूं कि मैंने साथ नहीं छोड़ा था। जिन लोगों ने इस सवाल को उठाया है वही पहले उस स्थान से हट गये थे जिसको वह मेरा साथ छोड़ना कहते हैं। जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनी थी वह कांग्रेस के अन्दर थी। उसका मूल सिद्धांत यह था कि कांग्रेस का जब तक चार आने का मेम्बर न हो, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का मेम्बर नहीं हो सकता और कांग्रेस तमाम पहले अलग हुआ था। नेशनल मूवमेंट में हिस्सा लेना उसका फर्ज था। इन आधार पर यह दो मोटे आदर्श थे जिन पर कम्युनिस्ट पार्टी से अलग सोशलिस्ट पार्टी को बनाने की जरूरत महसूस हुई थी। इसलिये जो कांग्रेस में कांग्रेस सोशलिस्ट रह गये उन्होंने सोशलिस्ट पार्टी को नहीं छोड़ा।

सोशलिस्ट पार्टी ने अपना पहला स्थान जो सन् १९३४ में तय किया था उसको छोड़कर वह हट गयी और जो बाद में गलतियां की मैं उस बहस में नहीं पड़ता हूं। अगर कोई मौका होगा तो मैं उसे बतलाऊंगा लेकिन मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि मैंने उसको छोड़ दिया। उन्होंने गलतियां की. कांस्टिटुएंट असेम्बली में जा करके उन्होंने गलतियां कीं। उन्होंने कांग्रेस को छोड़कर के गलती की और सोशलिज्म को कमजोर किया। जब मैंने छोड़ा था तब कुछ दुबिधा हो सकती थी लेकिन आज जिन नेताओं के नेतृत्व में सोशलिस्ट पारटी चल रही है।

श्री अध्यक्ष—माननीय मंत्री जी जितना पर्सनल एक्सप्लेनेशन की जरूरत हो उतना ही कहें। उसके अलावा जो उनकी राय होगी वह खाली राजनैतिक बात हो जायगी।

श्री मोहनलाल गौतम—माननीय अध्यक्ष महोदय, आप उस समय नहीं थे क्षमा कीजियेगा, जो कहा गया है उसी का जवाब चन्द शब्दों में अपने पर्सनल एक्सप्लेनेशन में दे रहा हूं। कहा गया कि हमारा साथ क्यों छोड़ दिया, मैं बड़ा दकियानूसी हूं, डेमोक्रैसी से कोसों दूर भागता हूं, इस प्रकार की बहुत सी बातें कहीं गयीं और एक लम्बा चौड़ा हमला था।

[श्री मोहनलाल गौतम]

में एक सेनटेंस में उसको खत्म कर रहा था, मुझे कुछ ज्यादा कहने की जरूरत नहीं थी, और यह है कि मैं खुश हूं इस बात से कि मैंने सोशलिस्ट पार्टी को छोड़ दिया। जो लोग सोशलिस्ट पार्टी में हैं वे खुश हैं लेकिन मेरा विचार यह है कि जिस नेतृत्व में आज सोशलिस्ट पार्टी गयी है, उसमें वे भी उनके साथ काम नहीं कर सकते। सोशलिस्ट पार्टी में वही लोग गये हैं जिनको हमेशा दकियानूसी कहा गया है। जिन्होंने हमेशा सोसलिस्ट पार्टी का विरोध किया आज उन्हीं के नेतृत्व में सोशलिस्ट पार्टी चल रही है ऐसी दशा में जो लोग सोशलिस्ट पार्टी में हैं वे जितनी जल्दी हट जायं उतना ही अच्छा है।

एक सदस्य--मिनिस्टर भी बन जायं।

श्री मोहनलाल गौतम--मिनिस्टर बनने के लिये बहुत से सोशलिस्ट लालायित थे। बहुत से सोशलिस्ट जो मिनिस्टर नहीं बने वे बाहर चले गये। बहुत से सोशलिस्ट पार्टी के नेता थे जो मिनिस्ट्री के लालायित थे और क्योंकि वह मिनिस्टर नहीं बने इसलिये सोशलिस्ट पार्टी बाहर गयी। उन नेताओं का एक एक करके मैं नाम ले सकता हूं, सेंटर में और प्राविंस में, जो कोशिश में थे और जब नहीं बने हैं तब सोशलिस्ट पार्टी को बाहर खींचने की कोशिश की है। मिनिस्टर बनना आसान नहीं है। मिनिस्ट्री के लिये मैं मिसालें दे सकता हूं और मुझे यह मालूम है कि किन किन नेताओं ने कब कब मिनिस्टर बनने की कोशिश की। इस बहस में अब मैं ज्यादा नहीं पड़ूंगा। मैंने नहीं कहा कि हम दूध के धुले हुये हैं। कोई भी आदमी दूध का धुला नहीं है। जिनको अभी हुकूमत मिली है और जिनके लिये हम यह कहते हैं कि अभी काफी सुधार की आवश्यकता है आज केवल मिनिस्टर बनने से यह कह देना कि वह सब चीजें ठीक हो गयीं, यह बिलकुल गलत होगा। हम चीजों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सी गलतियां हो सकती हैं। जो गलतियां सामने आयेंगी हम उनको दुरुस्त करेंगे। हम यह कहें कि जो बात आज हो रही है वह ठीक हो रही है, ऐसा हमने कभी कहा नहीं। इस तरह मैं इन तमाम पोलिटिकल डिस्कशन्स में न पड़ कर इस संशोधन का जो दो साल से एक साल करने का है विरोध करता हूं।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ७ में प्रस्तावित नयी धारा 10. A की उपधारा (1) के प्रतिबन्ध की अंतिम पंक्ति में शब्द "two years" के स्थान पर शब्द "one year" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ--

पक्ष में--१६

विपक्ष में--१०५।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ७ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खंड ८

यू० पी० ऐक्ट, २ १९१६ की धारा ११ और १३ से १७ तक का निकाला जाना।

८--मूल अधिनियम की धारा ११ और १३ से १७ तक तक निकाल दी जायें।

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमान्, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत करना चाहता हूं—

वर्तमान खंड ८ के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाय—

"८—मूल अधिनियम की धारा ११ के स्थान पर निम्नलिखित लिखा जाये :—

"11. (1) For purposes of elections to a board these shall be wards provided by order under section 11-B.

(2) The representation of each ward shall be on the basis of population of that ward as ascertained at the last census held under the provisions of the Indian Census Act, 1950 and shall directly be in the same proportion as the total number of seats for the Municipality be to its population."

श्रीमन्, यह संशोधन वैसे तो "एक" ड्राफ्टिंग की "गलती को दूर करने के लिये है लेकिन यह फिर भी बहुत महत्वपूर्ण है। श्रीमन्, मैं आप की आज्ञा से जरा माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं खंड ८ की तरफ जैसा कि वह इस समय है, उसमें लिखा हुआ है:

"Sections 11 and 13 to 17 of the Principal Act shall be deleted"

तो पहली बात तो यह है कि एक ही खंड के द्वारा इतनी धाराओं का डिलीट किया जाना, यह जरा शोभा नहीं देता। इस के बाद जो आगे खंड ९ आया है उसकी शुरूआत की लाइन इस प्रकार है :—

"After Section 11 of the Principal Act the following new sections from 11-A to 11-C, from 12-A to 12-H, and from 13-A to 13 K shall be added."

तो एक ही खंड के द्वारा ११ (ए) से ११ (सी) तक, १२ (ए) से १२ (एच) तक और १३ (ए) से १३ (के) तक धारायें जोड़ी जा रही है।

मैं यह समझता हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिये कि एक ही खंड के द्वारा तीन धाराओं में जो अलग अलग माने रखती है उनमें नयी धारायें जोड़ दी जायं। इसके बारे में इस विधेयक में नया खंड आना चाहिये और इसीलिये मैंने आगे चल कर अपने संशोधन नम्बर ४६ में इसको इस प्रकार रखा है कि "खंड ९ के आगे ९ बी .... " वगैरह। तो इस प्रकार का उपखंड जोड़ दिया जाय और उसके अनुसार नयी धाराये जोड़ी जायं। इसके अलावा जो आपत्ति है वह यह है कि खंड ९ में लिखा हुआ है कि "आफ्टर सेक्शन ११ आफ दि ऐक्ट ......" तो श्रीमन्, जब सेक्शन ११ निकाल दिया जायगा तो आफ्टर सेक्शन ११ कहां रह गया? फिर तो आफ्टर सेक्शन १० रहेगा। तो इसलिये इस संशोधन के द्वारा मेरा तात्पर्य यह है कि इस विधेयक में जो धारा ए लिखी है वह धारा ११ लिखी जाय। इसीलिये मैंने वर्तमान धारा ११ ए जो इसी खंड ९ में है उसको ही खंड ८ के अन्दर ठीक कर के लिख दिया है और मैं यह समझता हूं कि ड्राफ़्टिंग की गलती को सही करने के लिये यह बहुत ही आवश्यक है। इसके अलावा, श्रीमन्, जो लास्ट सेंसस है उसकी परिभाषा को मैंने ठीक किया है। धारा ९ की उपधारा २ में लिखा हुआ है ।

"The number of seats reserved under sub-section (1) shall bear as nearly as may be the same proportion to the total number of seats on the board as the population of the Scheduled Castes in the municipality bears to its total population as determined at the last census held under the provisions of the Indian Census Act, 1950."

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

तो मैंने अपने संशोधन मे "अंडर दि प्राविजन्स आफ दि इंडियन सेसस ऐक्ट, १९५०," यह और जोड़ दिया है । श्रीमन्, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और मैं यह चाहूंगा कि आप भी अपने अधिकारों का इसमें प्रयोग करें ताकि जो इतनी बड़ी गलती रह गयी है वह सही कर दी जाय और यह विधेयक स्पष्ट हो जाय और इसमें एक सुन्दरता और तारतम्य आ जाय । मुख्य एतराज यह है कि सेक्शन ८ मे सेक्शन ११ को डिलीट करने के बाद भी आप आफ्टर सेक्शन ११ कहते हैं । इसलिये मैं नम्बरिंग को ठीक करना चाहता हूं, जो बी है उसको ए करना चाहता हूं और सी को बी करना चाहता हूं । इससे इसमे अधिक स्पष्टता आजायगी । साथ ही जो धारा १२ ए और एच और धारा १३ एच और के आदि है उनको मै उपखंड मे रखना चाहता हूं । इससे ड्रफ़्टिंग की गलती ठीक हो जायगी।

श्री मोहनलाल गौतम——माननीय अध्यक्ष महोदय, यह ड्राफटिंग की टेक्निकल चीजें है इससे मेरा ख्याल है कि माननीय नारायण दत्त जी को कुछ भ्रम हुआ है। अमेंडिंग बिल में यह होता है कि जो धारा डेलीट हो जाती है उसकी संख्या तो रहती है लेकिन उसकी भाषा सब डेलीट हो जाती है। अगर आप वर्तमान म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट को देखें तो १२ धारा ओमिट हुई है और १८ हुई है लेकिन संख्या उसकी वैसी ही है। इसमे यह है ४६ ए इज़ रेपील्ड। तो जो ओमिट या रेपील हो जाती है वह भी संख्या रह जाती है और भाषा उसकी डेलीट हो जाती है और उसी तरह से नम्बर पड़ता है। तो धारा ११ डेलीट हो जायगी लेकिन नम्बर ११ रहेगा और उसके बाद यही भाषा आ जायगी कि ११ के बाद। ११ अंक नहीं डेलीट होगा। इसलिये इस बहस को कानूनदां लोगों के ऊपर छोड़ दें और माननीय तिवारी जी इस बहस मे न पड़े यही मुनासिब होगा। दूसरा एतराज उनका यह है कि एक धारा में ही कई धाराये जोड़ देना या ओमिट कर देना। तो ऐसा भी ड्राफ़्टिंग में तरीका है। इसीलिये इस सब झंझट में न पड़ कर जो उसूली बाते है उन्हीं को उठायें। यह ड्राफ़्टिंग की कोई गलती नहीं है। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि वह इस संशोधन को वापस ले लें।

श्री नारायणदत्त तिवारी——श्रीमन्, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ माननीय मंत्री जी के एक्सप्लेशन को सुन कर। जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि पहले १२ धारा ओमिट हो चुकी है और ओमिट होने पर भी यहां पर कैसे आगई । अगर वह अपनी बात बतलाते है तो उन्हें लिखना चाहिये था कि "After Section twelve of the principal Act." और सैक्शन ११ डिलीट ही हो गया तो फिर यह सेक्शन कहां से आयेगा । जो डिलीट हो चुका है तो उसका जिक्र कैसे आ सकता है। इसके साथ साथ मैं आपकी आज्ञा से उनका ध्यान खंड ७ की ओर दिलाना चाहता हूं कि "मूल अधिनियम की धारा १० के बाद निम्नलिखित नई धारा १० (ए) के रूप में रखी जाय" तो इसी तरह से माननीय मंत्री जी को रखना चाहिये जैसे कि इसको रखा है। अगर माननीय मंत्री जी नये सेक्शन को जोड़ते तो यहां पर जोड़ देते। अगर ड्राफ़्टिंग की बात होती तो एक ही खंड में सारे के सारे डिलीट कर दिये जाते और जोड़ भी दिये जाते। मै समझता हूं कि यह जो ४४ खंड का विधेयक है तो इसकी जरूरत ही नहीं होती। एक के जरिये ही सबको डिलीट कर लेते, जोड़ लेते या सब्सटीट्यूट कर लेते। अगर ऐसा नहीं है तो फिर श्रीमन्, आपको देखना चाहिये। मैं चाहता हूं कि श्रीमन्, आप इस संबंध मे कुछ आदेश दें तो ठीक होगा।

श्री अध्यक्ष——जहां तक आपने पूछा और मंत्री जी ने कहा कि यह ड्राफ़्टिंग का सवाल है तो मैं भी इस तरह से जो ड्राफ्टिंग में गल्ती होती है, उसको दुरुस्त कर देता हूं। आपने (सी) लिख दिया है और (सी) ऊपर आगया है तो मैं इसको ठीक कर देता हूं। अगर सेक्शन ११ डिलीट कर दिया गया है तो इसका नम्बर वहीं पर रहता है और दूसरे सेक्शन को उसके बाद ही कहा जाता है । इसी तरह से इसमें १२ (ए) दिया है । इसका

मतलब यह है कि जो डिलीट की हुई धारा मान कर मौजूद है उसके बाद यह पढ़ा जायगा। इस तरह से मुझे दुरुस्त करना पड़ेगा जिस वक्त यह चीज आयेगी।

श्री नारायणदत्त तिवारी--जब आप कर ही देंगे तो मैं इसको वापस ले लेता हूं।

श्री अध्यक्ष--आप यदि वापस लेना चाहें तो ले लीजिये। आप जैसा चाहते हैं उस तरह से तो नहीं करूंगा। आपकी जो कठिनाई थी और आपने जो स्पष्टीकरण पूछा था उसको मैंने आपके सामने रख दिया। ड्राफ्टिंग की बेसिस पर मैं नहीं चाहता कि सदन का समय नष्ट हो।

श्री मोहनलाल गौतम--अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर चुका हूं कि ड्राफ्टिंग के तोर पर ठीक है। इसके आगे मुझे कुछ और कहना नहीं है।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि वर्तमान खंड ८ के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाय--

८--मूल अधिनियम की धारा ११ के स्थान पर निम्नलिखित लिखा जाय--

11 (1) For purposes of elections to a board there shall be wards provided by order under section 11-B

(2) The representation of each ward shall be on the basis of population of that ward as ascertained at the last census held under the provisions of the Indian Census Act, 1950 and shall directly be in the same proportion as the total number of seats for the Municipality be to its population."

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ८ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ९

९--मूल अधिनियम की धारा ११ के बाद निम्नलिखित नई धाराए 11-A से 11 C तक, 12-A से 12-H तक और 13-A से 13-K तक रक्खी जायें। Delimitation of Wards

यू० पी० ऐक्ट २, १९१६ की नई धारायें ११-ए से लेकर ११-सी तक, १२-ए से लेकर १२-एच, तक और १३-ए से लेकर १३-के तक का रक्खा जाना।

DELIMITATION

11-A. (1) For purposes of elections to a board there shall be wards provided by Order under section 11 B

(2) The representation of each ward shall be on the basis of population of that ward as ascertained at the last census and shall as far as possible be in the same proportion as the total number of seats for the municipality and its population

Delimitation Order.

11-B. (1) The State Government shall, by Order, determine—

(a) the wards in which each municipality shall be divided for purposes of elections to the board;

(b) the extent of each ward;

(c) the number of seats allotted to each ward; and

(d) the number of seats, if any, reserved for the Scheduled Castes.

(2) The draft of the Order under sub-section (1) shall be published for objections for a period of not less than 15 days and a copy of the same shall be sent to the board or boards concerned for comments.

(3) The State Government shall consider any objections and the comments filed under sub-section (2) and the draft Order shall, if necessary, be amended, altered or modified accordingly and thereupon it shall become final.

Amendment of Delimitation Order.

11-C. The State Government may, after consulting the board concerned, by a subsequent Order, alter or amend the final Order under sub-section (3) of section 11-B.

Electoral Rolls

Elections on the basis of adult suffrage.

12-A. Except as provided in section 10, the election of the members of a board shall be on the basis of adult suffrage.

Electoral Roll for every ward.

12-B. (1) There shall be an electoral roll for every ward which shall be prepared in accordance with the provisions of this Act under the supervision of the Director of Elections (Local Bodies).

(2) The Electoral Registration Officer shall, for purposes of preparation of the elctoral rolls for the ward, adopt the Assembly rolls relatable to the area comprised in the said ward and publish the same in the manner prescribed, and upon its publication it shall, subject to any alteration, addition or modification made under or in accordance with this Act, be the electoral rolls for the ward prepared in accordance with this Act.

Act XLIII of 1950.

(3) Where any addition, omission, alteration or other amendment is made under the Representation of the People Act, 1950, or the Rules framed thereunder, in the Assembly rolls relatable to the area of the ward, a similar amendment shall be made in the corresponding electoral roll of the ward.

Qualifications for electors.

12-C. Subject to the provisions of section 12-D, every person who is qualified to be registered in the Assembly electoral roll relatable to the area comprised in the ward or whose name is entered therein shall be entitled to be registered in the electoral roll of the ward.

Dis-qualifications for registration in an electoral roll.

12-D. (1) A person shall be disqualified for registration in an electoral roll if he is disqualified for registration in the Assembly rolls.

(2) The name of any person who becomes so disqualified after registration shall forthwith be struck off the electoral roll of the ward in which it is included:

Provided that the name of any person struck off the electoral roll of a ward by reason of disqualification under sub-section (1) shall forthwith be reinstated in that roll if such disqualification is, during the period such roll is in force, removed under the provisions of this Act or under any other law authorising such removal.

12-E. (1) No person shall be entitled to be registered in the electoral roll for more than one ward in the same municipality. Registration be in one ward and in one place.

(2) No person shall be entitled to be registered in the electoral roll for any ward more than once.

12-F. The electoral roll for each ward shall be prepared by an Electoral Registration Officer who shall be such officer of the State Government or of a local authority as the State Government may designate or nominate in this behalf. Electoral Registration Officers.

12-G. The electoral roll for each ward shall be revised every year in accordance with the provisions of this Act. Annual revision of electoral rolls.

12-H. The State Government may, by Order, make provisions in respect of the following matters concerning the electoral rolls, namely,— Order re: electoral rolls.

(*a*) the date on which the electoral rolls first prepared and subsequently prepared under this Act shall come into force and their period of operation;

(*b*) the correction of any existing entry in the electoral roll on the application of the elector concerned;

(*c*) the correction of clerical or printing errors in the electoral rolls;

(*d*) the inclusion in the electoral rolls of the name of any person—

(i) whose name is included in the Assembly rolls for the area relatable to the ward but is not included in the electoral roll of the ward or whose name has been wrongly included in the elctoral roll of some other ward; or

(ii) whose name is not so included in the Assembly rolls and who is otherwise qualified to be registered in the electoral roll of the ward;

(*e*) annual revision of the electoral rolls;

(*f*) custody and preservation of the electoral rolls; and

(*g*) generally for all matters relating to the preparation and publication of the electoral rolls.

Conduct of Elections

13-A. Except as provided in section 31 or 31-A there shall be a general election to a board before the expiry of the term or extended term, as the case may be, of the board under section 10-A on such date or dates as the State Government may, by notification in the official *Gazette*, appoint in that behalf. General Elections.

13-B. The Director of Elections (Local Bodies) shall supervise the conduct of elections under this Act. Conduct of elections to be surpervised by the Director of Elections (Local Bodies).

Qualifications for membership of the Board.

13-C. A person shall not be qualified to be chosen to fill a seat on a board unless—

(*a*) in the case of a seat reserved for the Scheduled Castes he is a member of any of these castes and is an elector for any ward in the municipality;

(*b*) in the case of any other seat, he is an elector for any ward in the municipality.

Disqualifications for membership.

13-D. A person, notwithstanding that he is otherwise qualified, shall be disqualified for being chosen as, and for being, a member of a board if he—

(*a*) is a dismissed servant of the State or Central Government and is debarred from re-employment therein, or

(*b*) is debarred from practising as a legal practitioner by order of any competent authority, or

(*c*) holds any place of profit in the gift or disposal of the board, or

(*d*) is disqualified under section 27 or 41, or

(*e*) is disqualified under section 116 of the Representation of the People Act, 1951;

(*f*) is in the service of the State or the Central Government or any local Authority, or is a District Government Counsel or an Additional or Assistant District Government Counsel or an Honorary Magistrate or an Honorary Munsif or an Honarary Assistant Collector;

(*g*) is unable to read and write Hindi, or

(*h*) is in arrears in the payment of Municipal Tax or other dues in excess of one year's demand to which section 166 applies, or

(*i*) is suffering from leprosy, or

(*j*) is an undischarged insolvent:

Provided that in cases of (*a*) and (*b*) the disqualification may be removed by an order of the State Government in this behalf.

Right to vote.

13-E. (1) No person who is not, and except as expressly provided by this Act, every person who is, for the time being entered in the electoral roll of any ward shall be entitled to vote in that ward.

(2) No person shall vote at an election in any ward if he is subject to any of the disqualifications referred to in section 12-D.

(3) No person shall vote at a general election in more than one ward and if a person votes in more than one such ward, his votes in all such wards shall be void.

(4) No person shall at any election vote in the same ward more than once, notwithstanding that his name may have been registered in the electoral roll for that ward more than once and if he does so vote, all his votes in that ward shall be void.

(5) No person shall vote at any election if he is confined in a prison whether under a sentence of imprisonment or transportation or other wise, or is in the lawful custody of the Police.

Method of voting.

13-F. (1) In plural member wards every elector shall have as many votes as there are members to be elected, but no elector shall give more than one vote to any one candidate.

(2) If an elector gives more than one vote to any one candidate in contravention of the provisions of sub-section (1), then, at the time of counting of votes, not more than one of the votes given by him to such candidate shall be taken into account and all other votes given by him to such candidate shall be rejected as void.

Order regarding conduct of elections.

13-G. The State Government may, by Order, make provision with respect to the following matters concerning conduct of elections, that is to say—

(*a*) issue of notifications for general elections;

(*b*) the appointment, powers and duties of Returning Officers, Assistant Returning Officers, Presiding Officers and Polling Officers and clerks;

(*c*) appointment of dates for nomination, scrutiny, withdrawal and polling;

(*d*) the manner of presentation and the form of nomination paper, the requirements for a valid nomination, scrutiny of nominations and withdrawal of candidature;

(*e*) appointment and duties of election agents, polling agents and counting agents;

(*f*) procedure at general elections including death of candidate before poll, procedure in contested and uncontested elections, special procedure at elections in wards where seats are reserved for Scheduled Castes;

(*g*) identification of voters;

(*h*) hours of polling;

(*i*) adjournment of poll and fresh poll;

(*j*) manner of voting at elections;

(*k*) scrutiny and counting of votes including recount of votes and procedure to be followed in case of equality of votes and declaration of results;

(*l*) the notification of the names of the members elected for the various wards of a municipality and the due constitution of the board;

(*m*) return or forfeiture of deposits;

(*n*) manner in which votes are to be given by the presiding officers, polling agents or any other person who being an elector for a ward is authorized or appointed for duty at a polling station at which he is not entitled to vote;

(*o*) the procedure to be followed in respect of the tender of vote by person representing himself to be an elector after another person has voted as such elector;

(*p*) the safe custody of ballot boxes, ballot papers and other election papers, the period for which such papers shall be preserved and the inspection and production of such papers; and

(*q*) generally on all matters relating to conduct of elections.

Bye-elections.

13-H. (1) Subject to the provisions of sub-section (2) and section 13-I, when the seat of a member elected to a board becomes vacant or is declared vacant or his election is declared void, the District Magistrate shall, in consultation with the board, by a notification in the official *Gazette,* call upon the ward concerned to elect a person for the purpose of filling the vacancy caused before such date as may be specified in the notification and the provisions of this Act and of the Rules and Orders made there under, shall apply, as far as may be, in relation to the election of a member to fill such vacancy.

(2) If the vacancy so caused be a vacancy in a seat reserved in any such ward for the Scheduled Castes, the notification issued under sub-section (1) shall specify that the person to fill that seat shall belong to the Scheduled Castes.

Certain casual vacancies not to be filled.

13-I. Where a vacancy occurs on a board by reason of death, resignation, removal or avoidance of an election of an elected member and the term of office of that member would in the ordinary course of events, have determined within one year of the occurrence of the vacancy, the State Government may direct that the vacancy be left unfilled until the next general elections.

Electoral Offences.

13-J. (1) The provisions of sections 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 134, 135 and 136 of Chapter III of Part VII of the Representation of the People Act, 1951, shall have effect as if—

(*a*) the references therein to an election were a reference to an election held under this Act;

(*b*) for the word 'constituency" the word "ward" had been substituted;

(*c*) in section 130 for the words "100 yards" the words "25 yards" had been substituted; and

(*d*) in sections 134 and 136 for the words "by or under this Act or under the Representation of the People Act, 1950 (XLIII of 1950)," the words "by or under the Municipalities Act, 1916." had been substituted.

(2) If the Director of Elections (Local Bodies) has reason to believe that any offence punishable under section 129 or 134 or under clause (*a*) of sub-section (2) of section 136 of the said chapter has been committed in reference to any election to a board, it shall be the duty of the Director of Elections (Local Bodies) to cause such enquiries to be made and such prosecutions to be instituted as the circumstances of the case may appear to him to require.

(3) No court shall take cognizance of any offence punishable under section 129 or under section 134 or under clause (*a*) of sub-section (2) of section 136 unless there is a complaint made by order of or under authority from the Director of Elections (Local Bodies).

Jurisdiction of Civil Courts.

13-K. (1) No Civil Court shall have jurisdiction—

(*a*) to entertain or adjudicate upon any question whether any person is or is not entitled to be registered in an electoral roll for a Ward; or

(*b*) to question the legality of any action taken by or under authority of an Electoral Registration Officer or of

decision given by any authority appointed under this Act, for the revision of any such roll; or

(c) to question the legality of any action taken or any decision given by the Returning Officer or by any other officer appointed in this Act in connection with an election.

(2) No election shall be called in question except by an election petition presented in accordance with the provisions of this Act.

श्री मदन मोहन उपाध्याय--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ९ मे प्रस्तावित नयी धारा 11—A की उपधारा (२) की दूसरी पंक्ति में शब्द "last census" के बाद शब्द "held under the provision of the Indian Census Act, 1950" जोड़ दिये जायं।

यह सफाई करने के लिये मैंने यह संशोधन पेश किया है और मुझे आशा है कि माननीय मंत्री जी इसको स्वीकार करेंगे।

श्री मोहनलाल गौतम---इस समय तो जरूर सफाई हो जाती है लेकिन लास्ट सेन्सस मे वे सब सेन्सस शामिल होंगे जो ५० के बाद होंगे और यह ऐक्ट लागू होगा वे सब सेन्सस भी लागू होंगे। इसलिये इसके करने का मतलब यह होगा जो सेन्सस ६० मे लागू होगा उसके आधार पर कोई चीज नहीं ली जा सकेगी जब तक कि यह धारा बदली न जाय। इसलिये मैं इसकी मुखालिफत करता हूं और आशा करता हूं कि माननीय सदस्य इसे वापस ले लेंगे।

श्री मदन मोहन उपाध्याय---माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे खुशी है कि माननीय मंत्री जी ने इस बात को समझने की कोशिश की। माननीय मंत्री जी क्योंकि यह कहेंगे कि मैं एक भी प्रस्ताव वापस नहीं लेता हूं और सुबह उन्होंने मेरी एक बात मान ली थी लिहाजा इस समय मैं उनकी यह बात मान लेता हूं और अपना संशोधन वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री मदन मोहन उपध्याय---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ९ में प्रस्पतावित नयी धारा 11—A की उपधारा (२) की पंक्ति २ व ३ में शब्द "as far as Possible be in the same" के स्थान पर शब्द "be indirect" रख दिये जायं।

जैसा कि मंत्री जी ने सुबह कहा था...

श्री मोहनलाल गौतम---आन ए प्वाइंट आफ आर्डर, सर (श्रीमान् जी, मैं विधान का प्रश्न उठाता हूं।) यह मसला आज सुबह ही तै हो चुका है। क्या यह उससे कवर नहीं होगा?

श्री अध्यक्ष---यह तो कोई प्रिन्सिपिल का सवाल नहीं है। शब्द वह बदलना चाहते हैं मुझे लेना ही पड़ेगा क्योंकि यह इसमें दूसरी जगह पर है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय---माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस तरह स आज यह अमेंडमेंट आया है उससे इस बात की सफाई नहीं आती। जैसा नारायण दत्त जी ने कहा कि १ मुहल्ले में ४ हजार आदमी बसते हैं, उसके अन्दर यह रखना "as far as possible" इस धारा में "The representation of each ward shall be on the basis of population of that ward as ascertained at the last census and shall as far as possible be in the same proportion."

[श्री मदन मोहन उपाध्याय]

का अर्थ जो है वह जरा वेग सा है, इसमे सफाई नही है। इसलिये मै चाहता हूं कि मुहल्लो की जितनी आबादी हो उसी के हिसाब से उनकी सीट्स हों, उसी के प्रोपोर्शन के मुताबिक उस वार्ड को सीट्स दी जायं। इस वास्ते मै समझता हूं कि इसमें यह सफाई कर दी जाय और जितनी पापूलेशन उस वार्ड की होगी उतनी सीट्स उसे मिल जायंगी।

श्री मोहनलाल गौतम--इस सवाल पर सुबह काफी बहस हो चुकी है और उसके लिये जो दलील मैंने पहले दी थी वही दलील इसमें भी समझी जाय। इसलिये मै कुछ अधिक न कह कर यह कह सकता हूं कि यह मुझे स्वीकार नही है।

(इसके बाद सदन ५ बज कर २ मिनट पर अगले दिन ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

कैलासचन्द्र भटनागर
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
१५ दिसम्बर, १९५२।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न १ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६ पर)

फार्म का नाम		जिला जिसमें स्थित है
१. हेमपुर	..	नैनीताल
२. भरारी	..	झांसी
३. नील गांव	..	सीतापुर
४. कमयार	..	बाराबंकी
५. माधुरी कुंड	..	मथुरा
६. अन्देश नगर	..	लखीमपुर खीरी
७. आराजी लाइन्स	..	बनारस
८. सैदपुर	..	झांसी
९. मंझरा	..	लखीमपुर खीरी
१०. निबलेट	..	बाराबंकी
११. बाबूगढ़	..	मेरठ

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६ व १० का उत्तर पीछे पृष्ठ ७ पर)

विवरण पत्र-संख्या १

क्र. सं.	हल्के का नाम	जिले का नाम	केन्द्र का नाम
१	लखीमपुर	१ खीरी	१ पलिया
			२ धौरहरा
			३ आभापुर
			४ रामपुर कटौली
			५ सिंधाई
			६ केवलपुरवा
			७ झांडी
	लखीमपुर	२ पीलीभीत	८ लोकिहा
			९ पुरानपुर
			१० जहानाबा
२	बिसवां	३ सीतापुर	१ आंकुरा
			२ सेवता
			३ तुमबौर
			४ महोबा
			५ थानयाव
			६ जहानाबाद
			७ सकरान
	बिसवां	४ बाराबंकी	८ गणेशपुर
			९ कुतपोधाम
			१० दौलतपुर

क्रम संख्या		जिले का नाम	केन्द्र का नाम
	बिसवां	५ फैजाबाद	११ धौरहरा
३	गोंडा	६ गोंडा	१ कर्नेलगंज
			२ नबाबगंज
			३ फतका
			४ तराबगंज
			५ सराय रासी
			६ बिछिया
	गोंडा	७ बहराइच	७ बहराइच
			८ जरवल रोड
			९ पयागपुर
			१० बीहिमपुरवा
			११ नानपारा
			१२ मिंदा अकील
४	गोरखपुर	८ गोरखपुर	१ सिसवाबाजार
		९ बस्ती	२ रसियाबजार
			३ पुर्बी दिया
			४ कॅसबारी
			५ बांसी
			६ मुखसिलपुर
	गोरखपुर	१० देवरिया	७ समकोहारोड
			८ घाटपार रानी
			९ छितौनी
			१० रामकोला

क्रम संख्या	जिले का नाम	केन्द्र का नाम
५ रसूरा	११ बलिया	१ कीवरनगांव
		२ सिकन्दरापुर
		३ बनियार
		४ देलबारा रोड
		५ रेओती
	१२ आजमगढ़	६ सुरामपुर
		७ दुधारी
		८ राजासुल्तानपुर
		९ गोलाबाजार
६ काशीपुर	१३ नैनीताल	१ काशीपुर
		२ हरदबांसी
		३ खनेवां
		४ सिखारगंज
		५ बाजपुर
		६ देवराई
	१४ रामपुर	७ रवार
		८ विलासपुर
६ काशीपुर	१५ बरेली	९ बहेरी
७ मुरादाबाद	१६ मुरादाबाद	१ बेलारी
		२ बछरांव
	१७ बिजनौर	३ अफजलगढ़
		४ तिबहरा
		५ दारानगर
	१८ सहारनपुर	६ लक्शर
	१९ मुजफ्फरनगर	७ मुजफ्फरनगर
		८ नानेल
		९ ननगोह

विवरण पत्र संख्या २

केन्द्र	१९४९		१९५०		१९५१	
	मन	क़ीमत	मन	क़ीमत	मन	क़ीमत
		रुपया		रुपया		रुपया
लखीमपुर	८१,०००	२५,१२,०००	१,३७,१३९	४५,२५,५८७	२,८५,९१५	१२,५८,०२६
बिसवां	३,२१०	१,०२,७२०	४५,८७०	१५,१३,७१०	८५,५७०	३७,६५,०८०
गोंडा	७,०२०	१,२४,६४०	३०,८५४	१०,१८,१८२	५७,०५९	२५,११,६९६
गोरखपुर	१२,०००	३,८४,०००	१२,७८१	४,२१,७७३	२४,६६०	१०,८५,०४०
रसरा	..	..	५,१०१	१,६८,३३३	९,४५५	४,१४,०२०
काशीपुर	..	..	३,११५	१,०२,७९५	५,९७८	२,६३,०३२
मुरादाबाद	..	..	३,२४०	१,०६,९२०	१८,५६७	८,१६,९४८

नोट—इस वर्ष लगभग ८ लाख टन जूट रेसा उत्पन्न होने की आशा है जिसकी क़ीमत का अनुमान १ करोड़ २८ लाख रु० का है।

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ११ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८ पर)

विवरण पत्र संख्या ३

जूट की दरें

सन्	भाव
१९४८	२६ रु० से ३४ रु० तक
१९४९	२६ रु० से ३८ रु० तक
१९५०	२८ रु० से ३८ रु० तक
१९५१	२८ रु० से ६० रु० तक
१९५२	आरम्भ में १८ से २० रु०
	अब ९ रु० से १६ रु० है।

पी० एस० यू० पी० ए० पी०—१३० एल-ए—१९५२—८५०

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, १६ दिसम्बर, १९५२

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३६३)

अक्षयवर सिंह, श्री
अज़ीज़ इमाम, श्री
अतहर हुसैन ख्वाजा, श्री
अनन्त स्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज़ ख़ां, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
आर्थर ग्राइस, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतज़ा हुसैन, श्री
इस्तफ़ा हुसैन, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेद सिंह, श्री
उल्फ़त सिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐजाज़ रसूल, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमला सिंह, श्री
कमाल अहमद रिज़वी, श्री
करन सिंह, श्री
कल्याण राय, श्री
कामता प्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
किन्दर लाल, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केदार नाथ, श्री
केवल सिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
ख़याली राम, श्री
खुशीराम, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गिरजा रमण शुक्ल, श्री
गिरधारी लाल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरुप्रसाद पांडेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलज़ार, श्री
गेंदा सिंह, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गोविन्द वल्लभ पन्त, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्याम दास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रपाल वाजपेयी, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रभानु शरण सिंह, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्र सिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चरण सिंह, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री

चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नी लाल सगर, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीशसरन रस्तोगी, श्री
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथबख्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगपति सिंह, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री
जुगल किशोर, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
ज्वाला प्रसाद सिन्हा, श्री
झारखंडे राय, श्री
टीकाराम, श्री
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तुलसीराम श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजा सिंह, श्री
त्रिलोकी नाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र प्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारका प्रसाद मित्तल, श्री
द्वारका प्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिका प्रसाद पाण्डेय, श्री
धनुषधारी पाण्डेय, श्री
धर्म सिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थू सिंह, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवल किशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली , श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नारायणदीन, श्री
निरंजन सिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरी राम, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवान सिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिन विहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभुदयाल, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फ़तेह सिंह राणा, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बनारसीदास श्री
बलदेव सिंह, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बलवीर सिंह, श्री
बलभद्र प्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्त सिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री

बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बाबूलाल मीतल, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बिशम्भर सिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बैजनाथ प्रसाद सिंह, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीदीन तिवारी, श्री
भगवती प्रसाद दुबे, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबं
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भूपाल सिंह खाती, श्री
भोला सिंह यादव, श्री
मक़सूद आलम खां, श्री
मंगला प्रसाद, श्री
मथुरा प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री
मदन गोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महादेव प्रसाद, श्री
महाराज सिंह, श्री
महीलाल, श्री
मि[illegible]लाल, श्री
मिहरवान सिंह, श्री
मुज़फ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक़ अली खां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ़, श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद फ़ारुक़ चिश्ती, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री, श्री

शाहिद फ़ाखरी, श्री
[illegible] लाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहन सिंह शाक्य, श्री
यमुना सिंह, श्री
यशोदा देवी, श्रीमती
रघुनाथ प्रसाद, श्री
रघुराज सिंह, श्री
रघुवीर सिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजराम शर्मा, श्री
राजेन्द्र दत्त, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
राम अधार तिवारी, श्री
राम अधीन सिंह यादव, श्री
राम अवध सिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
राम नरेश शुक्ल, श्री
राम नारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसाद सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री

रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
राम रतनप्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रमशंकर रविवासी, श्री
राम सनेही भरतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप , श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
राम हेत सिंह, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
लक्ष्मण राव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लताफत हुसैन, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशनारायण सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वशिष्टनारायण शर्मा, श्री
वसी नक़वी, श्री
वासुदेवप्रसाद मिश्र, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रपति यादव श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासीलाल, श्री
व्रजविहारी मिश्र, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदान सिंह, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजनराय , श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवरामराय, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवशरण लाल श्रीवास्तव ,श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुकदेवप्रसाद, श्री
शुगनचन्द्र, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री , श्री
श्री चन्द, श्री
श्री नाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथ राम, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सईदजहां मखफ़ी शेरवानी, श्रीमती
संग्राम सिंह, श्री
सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जन देवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायण दत्त, श्री
सत्य सिंह राणा, श्री
सत्यानन्द, श्री
सफिया अब्दुल वाजिद, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सावित्री देवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री

सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम , डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरलाल, श्री
सुरजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्य्यबली पांडेय, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आजमी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरखयाल सिंह, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरगोविन्द सिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिश्चन्द्र वाजपेयी, श्री
हरि सिंह, श्री
हुकुम सिंह, श्री

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

दुबारी और रामपुर, जिला आज़मगढ़ की अस्थाई पुलिस चौकियां

*१—श्री रामसुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)—क्या गृह मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि थाना मधुबन, जिला आजमगढ़ की दोनों पुलिस चौकियां दुबारी और रामपुर गैर-सरकारी भवनों में हैं? यदि हां, तो इन पुलिस चौकियो की उपयोगिता देखते हुए अब तक भवन क्यों नही बनाये गये?

गृह मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—जी हां, यह पुलिस चौकिया अभी तक अस्थायी हैं अतः इसके लिये नये भवन निर्माण करने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या माननीय गृह मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इन दोनों चौकियों को स्थायी बनाने की आवश्यकता कब पूरी होगी?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जब उस जगह के लोग काफी जुर्म करेंगे तब यह सम्भव होगा कि वहां की चौकियों को स्थायी करना चाहिये।

*२—श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या गृह मंत्री बता सकते हैं कि दुबारी पुलिस चौकी कब से इस भवन में है और बिना किराया दिये ही मकान मालिक के बार-बार हटने की मांग करने पर भी इसे क्यों नहीं छोड़ा जा रहा है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—दुबारी चौकी मौजूदा भवन में लगभग माह अगस्त सन् १९५० ई० से है । पुलिस विभाग किराया देने को तैयार है परन्तु मकान मालिक ने स्वयं लेना स्वीकार न किया । अतः किराया न देने का प्रश्न नहीं उठता है । चूंकि इस हल्के में और कोई दूसरी इस काम लायक इमारत अब तक नहीं मिली है इसलिये मौजूदा इमारत नहीं छोड़ी जा सकती है ।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या माननीय गृह मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि उस मकान के मालिक को कितना किराया दिया जा रहा है ।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—दिया जा रहा है का सवाल उठता ही नहीं है. जब कि वह नहीं ले रहे हैं।

श्री व्रजबिहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय गृह मंत्री को यह मालूम है कि रामपुर और दुबारी की चौकियां ऐसे स्थान पर स्थित हैं जहां कि तीन जिलों आजमगढ़, देवरिया और बलिया की सरहद मिलती है जिससे उस क्षेत्र में जुर्म बहुत अधिक हुआ करता है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जहां पर जुर्म होते हैं तभी वहां पर चौकी रखी जाती है ।

*३—श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या गृह मंत्री को पता है कि दोनों पुलिस चौकियों के बारे में जनता की ओर से आचरण संबंधी शिकायतें की गयी हैं ? क्या इन चौकियों को गांव के बाहर रखने का विचार किया जा रहा है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी नहीं, इन चौकियों को मौजूदा स्थान से हटाने का इस समय कोई विचार नहीं है ?

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या माननीय गृह मंत्री यह बतला सकते हैं कि उनके पास जिला अधिकारियों के पास से सितम्बर या जून में वहां की पुलिस चौकी के कर्मचारियों के खिलाफ चरित्र संबंधी शिकायत आयी थीं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इस प्रश्न के आने के बाद मैंने जांच करायी तो मालूम हुआ कि इस किस्म की कोई शिकायत नहीं आयी ।

*४—६—श्री भगवान सहाय (जिला शाहजहांपुर) (अनुपस्थित)—[देखिये आगे पृष्ठ ८८—८९ पर ।]

तारांकित प्रश्न

*१—३—श्री पुत्तू लाल (जिला आगरा)—[२३ दिसम्बर, १९५२, के लिये स्थगित किये गये ।]

जिला गढ़वाल में अलकनन्दा और मन्दाकिनी पर लोहे के पुल

४--श्री गंगाधर मैठाणी (जिला गढ़वाल)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला गढ़वाल मे कीर्तिनगर से भीरी तक जिसकी दूरी ४० मील है अलकनन्दा और मन्दाकिनी में कितने लोहे के पुल है ?

निर्माण उपमंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)--तीन, दो अलकनन्दा पर कीर्तिनगर और रुद्र प्रयाग मे और एक मन्दाकिनी पर भीरी मे। यह पुल केवल सवार और पैदल यात्रियो के लिये पर्याप्त है।

रुद्रप्रयाग--गुप्त काशी (गढ़वाल) मोटर रोड

५--श्री गंगाधर मैठाणी--क्या सरकार बतायेगी कि गढवाल रुद्रप्रयाग गुप्त काशी मोटर रोड़ पर कितने रुपये खर्च हुये और कितने मील सड़क मोटर चलने योग्य बन सकी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--८,१०,८८४ रु० केवल ८ मील भिन्न-भिन्न भागो मे मोटर चलाने के योग्य पूर्ण हो चुकी है।

श्री गंगाधर मैठाणी--क्या माननीय गृह मंत्री कृपापूर्वक यह बतलायेगे कि रुद्रप्रयाग से गुप्त काशी मोटर रोड किस वक्त प्रारम्भ कर दी गयी थी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री गंगाधर मैठाणी--क्या मंत्री जी कृपापूर्वक बतलायेंगे कि जितनी सड़क बनी है उस पर मोटर चल रही है या नहीं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--चूंकि अभी पूरी सड़क लगातार नहीं बनी है और टुकड़े-टुकड़े बने है इसलिये अभी मोटर नहीं चलती है।

श्री गंगाधर मैठाणी--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि जो ८ मील सड़क बनी है क्या उस पर मोटर चल रही है ।

श्री चतुर्भुज शर्मा--मै अभी बता चुका हूं कि वहां मोटर चलने का प्रश्न नहीं उठता, क्यो कि वह अभी सब नहीं बनी है केवल टुकड़े ही बने है और इसलिये वह अभी मोटर चलने योग्य नहीं है।

श्री गंगाधर मैठाणी--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि गुप्त काशी तक यह सड़क कितने वर्षों मे बनाने की योजना है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--इसको जल्द से जल्द बनाने की कोशिश की जायगी।

*६--८--श्री बलवन्त सिंह (जिला मुजफ़्फ़रनगर)--[२३ दिसम्बर, १९५२ के लिये स्थगित किये गये।]

*९--११--श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--[३० दिसम्बर, १९५२ के लिये स्थगित किये गये।]

अयोध्या मे सरयू नदी पर पक्का पुल बनवाने की अनुमानित लागत

*१२--श्री मदन गोपाल वैद्य (जिला फ़ैज़ाबाद)--अयोध्या मे सरयू नदी पर आयोजित पक्का पुल बनवाने की अनुमानित लागत (estimates) कितनी है?

श्री चतुर्भुज शर्मा--लगभग १,००,५०,००० रुपये।

*१३--श्री मदनगोपाल वैद्य--क्या सरकार ने इसको हवड़ा के प्रथम पुल के तरीक़े पर बनवाने का विचार किया है कि ठेकेदार को अपनी पूंजी से पुल बनाने दिया जावे और उस को ४० वर्ष तक उस पुल पर टैक्स वसूल करने का अधिकार रहे?

श्री चतुर्भुज शर्मा--जी नहीं, यह पुल नेशनल हाई वे (National high way पर पड़ता है और नेशनल हाई वे (National high way) के पुलों पर कोई टोल (Toll) नहीं लिया जाता है। इस कारण इस पुल को टोल ब्रिज (Toll bridge) के रूप में नहीं बनवाया जा सकता।

श्री मदन गोपाल वैद्य--क्या सरकार ने अभी एस्टीमेट लगाया है कि जो टैक्स ब्रिज पर लगता था, उस की महज़ १५--२० साल की आमदनी से ही यह पुल बनवाया जा सकता है?

श्री चतुर्भुज शर्मा--इस पुल पर फ़ेयरी चार्जेज़ पड़ते थे और कोई टैक्स नहीं पड़ता था चूंकि पानटून ब्रिज पर केवल बरसात में फ़ेयरी चार्जेज़ लिये जाते हैं।

श्री मदन गोपाल वैद्य--इस सम्पूर्ण ब्रिज पर जो स्टीमर और फ़ेयरी टैक्स से जो सालाना आमदनी है वह कितनी है?

श्री चतुर्भुज शर्मा--इसके लिए नोटिस की जरूरत हैं।

श्री मदन गोपाल वैद्य--इस पुल का निर्माण कब से आरम्भ होगा?

श्री चतुर्भुज शर्मा--इस बारे में अभी नहीं कहा जा सकता है। गवर्नमेंट आफ़ इंडिया से लिखा पढ़ी की गयी है लेकिन अभी तक उधर से कोई जवाब नहीं आया है।

* * * *

क्लाइड रोड, लखनऊ से एक लड़की का अपहरण

*४--श्री भगवान सहाय (अनुपस्थित)--क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अगस्त, सन् १९५२ में क्लाइड रोड, लखनऊ पर रात के १२ बजे एक लड़की पीली कार में भगायी गई थी?

नोट--अल्पसूचित तारांकित प्रश्न ४-६ श्री सीताराम शुक्ल ने पूछे।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---१७ अगस्त, सन् १९५२ की रात को हजरतगंज पुलिस को टेलीफोन द्वारा यह सूचना मिली कि क्लाइड रोड के पास एक मोटर में किसी औरत के चिल्लाने की आवाज आस-पास के लोगों ने सुनी। घटना के स्थान पर पहुंचने पर पुलिस को एक मटमैले रंग की कार सड़क पर खड़ी मिली। घटना की जांच अभी जारी है।

*५---श्री भगवान सहाय (अनुपस्थित)---क्या यह सही है कि यह पीली गाड़ी हजरतगंज पुलिस स्टेशन में हिरासत में रक्खी गयी थी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---वह गाड़ी हजरतगंज थाने में लाई गई थी।

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)---जो गाड़ी हजरतगंज थाने में लाई वह आजकल कहां है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---अपने मालिक के पास है।

श्री सीताराम शुक्ल---क्या मालिक साहब का नाम मालूम है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---श्री इसलाम अहमद।

*६---श्री भगवान सहाय (अनुपस्थित)---क्या यह बात सही है कि गाड़ी के रजिस्ट्रेशन नम्बर से इस बात का पता चला है कि यह गाड़ी उत्तर प्रदेश पुलिस के किसी उच्च अधिकारी की है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी हां।

श्री सीताराम शुक्ल---उनका पद क्या है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---इंडियन पुलिस में उनका स्थायी पद सुपरिण्टेण्डेण्ट पुलिस का है।

श्री शिवकुमार शर्मा (जिला बिजनौर)---क्या सरकार ने कोई इनक्वायरी उन अधिकारी के खिलाफ की है कि यह उनकी गाड़ी घटनास्थल पर कैसे आई ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी हां। इस मामले की इनक्वायरी की गई। पुलिस अफ़सर के खिलाफ नहीं, बल्कि मामले की इनक्वायरी की गई।

अतारांकित प्रश्न

ज़िला जालौन में पी० डब्ल्यू० डी० के अधीन सड़कें

१---राजा वीरेन्द्र शाह (जिला जालौन)---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि जालौन जिला की कौन-कौन सी सड़कें पी० डब्ल्यू० डी० के अधीन हैं ?

निर्माण मंत्री (श्री गिरधारी लाल)---जिला जालौन की निम्नलिखित सड़कें सार्वजनिक निर्माण विभाग के अन्तर्गत हैं :---

(अ) लखनऊ-झांसी नेशनल हाई वे (कालपी से मोठ तक) ५६ मील,
(ब) उरई-औरैय्या स्टेट हाई वे (उरई से शेरगढ़ घाट तक) ३५ मील,
(स) जालौन-बगेरा पक्की सड़क ११ मील,
(द) उरई-कुसुमैलिया-मोहाना कच्ची सड़क १४ मील।

२---राजा वीरेन्द्र शाह---क्या जालौन से शेरगढ़ घाट वाली सड़क पी० डब्ल्यू० डी० के अधीन है ? यदि हां, तो कब तक बन जावेगी ?

श्री गिरधारी लाल—जी हां। दिसम्बर सन् १९५३ ई० तक इस सड़क के बन जाने की आशा की जाती है।

३—राजा वीरेन्द्र शाह—क्या सरकार को मालूम है कि बंगरा से माधोगढ़ वाली सड़क पहले पक्की थी और अब बिल्कुल नष्ट हो गयी है? यदि ऐसा है, तो क्या सरकार पी० डब्ल्यू० डी० द्वारा उसको इसी वर्ष पक्का कराने की कृपा करेगी?

श्री गिरधारीलाल—जी नहीं, यह सड़क जिला बोर्ड से कच्ची ही ली गयी थी तथा मिट्टी भराई व आवश्यक पुलिया बना कर दिनांक १ अगस्त, १९५२ ई० से अन्य कच्ची सड़कों के साथ जिला बोर्ड को वापिस दे दी गयी है। अतः निर्माण विभाग द्वारा इस सड़क को पक्का करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

दंतसाजों द्वारा दांतों की बिक्री पर कर

४—श्री जगदीश प्रसाद (जिला मुरादाबाद)—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि प्रदेश मे दांत बनाने पर बिक्री कर है?

वित्त मंत्री (श्री हाफ़िज मुहम्मद इब्राहीम)—दंतसाजो द्वारा दांतों की बिक्री उत्तर प्रदेश बिक्री कर से मुक्त नहीं है लेकिन इस राज्य में दांत बनाने पर कोई बिक्री कर नहीं लिया जाता।

शरणार्थी स्थायी समिति के निर्वाचन का कार्यक्रम

श्री अध्यक्ष—मैं सदन को यह सूचना देना चाहता हूं कि शरणार्थी स्थायी समिति के लिये, जिसके लिये नामजदगियां नहीं आ पायी थीं उसके लिये अब फिर से तारीखें मुक़र्रर की जा रही है।

नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने के लिये अन्तिम तिथि तथा समयः १८ दिसम्बर, १९५२, १ बजे दिन तक।

नाम निर्देश पत्रों की सूक्ष्म परीक्षा–: १८ दिसम्बर, १९५२, २ बजे दिन। नाम वापस लेने की अन्तिम तिथि तथा समय १९ दिसंबर, १९५२,२ बजे दिनतक। निर्वाचन की तिथि तथा समय, यदि आवश्यकता हुई, बाद मे निश्चय की जायगी।

श्री राज नारायण के ९ दिसम्बर, १९५२ के भाषण के कुछ अंशों पर स्वशासन मंत्री द्वारा उठायी गयी आपत्ति

श्री अध्यक्ष—अब मैंने जैसा पिछले हफ्ते में कहा था, ९ तारीख के भाषण में श्री राज नारायण ने एक हाई कोर्ट के जजमेंट का भाग पढ़ कर सुनाया था उस संबंध में माननीय श्री गौतम जी, स्वशासन मंत्री ने शिकायत की है कि उद्धरण पूरा न पढ़ कर ऐसा हिस्सा पढ़ा गया जिससे कि यह प्रतीत हो, इस सदन को, कि उस फैसले मे सरकार के ऊपर कोई आक्षेप लगाये गये हैं। इस प्रकार से इस सदन मे भ्रम उत्पादन हो गया है। इसलिये उन्होंने मुझसे यह प्रार्थना की कि उनके भाषण का वह हिस्सा कार्यवाही में से निकाल दिया जाय। अभी तक तरीक़ा यह रहा है कि नियम १९५ (२) के अनुसार अध्यक्ष कार्यवाही को देख कर अगर कोई चीज हटाना हो तो हटा दिया करता था। यह साधारणतः यहां का रिवाज रहा है। चूंकि इसमे थोड़े बहुत अंश का हटाने का सवाल नहीं था, अधिक अंश का सवाल था, इसलिये मैंने यह उचित समझा कि यह प्रश्न सदन के सामने आजाय इससे पेश्तर कि मैं कोई कार्यवाही करूं। इसलिये मैंने आज का दिन रखा था यह जानने के लिये कि असली बात क्या है। फिर उसके ऊपर मैं विचार कर के निश्चय करूंगा और सदन को इसकी सूचना दे दूंगा।

माननीय स्वशासन मंत्री इसके ऊपर प्रकाश डालें।

श्री कृष्णलु की मद्रास में मृत्यु

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--श्रीमन्, मैं एक कंडोलेंस रेजोल्यूशन श्री कृष्णलु की डेथ के बारे में ....

श्री अध्यक्ष--उसकी मैंने आज्ञा नहीं दी है। मेरी परमिशन से कोई भी मोशन आ सकता है, तो मैंने उसकी इजाजत नहीं दी है। इसलिये उसका जिक्र नहीं हो सकता।

श्री राजनारायण के ९ दिसम्बर, १९५२ के भाषण के कुछ अंशों पर स्वशासन मंत्री द्वारा उठायी गयी आपत्ति

श्री राजनारायण (जिला बनारस)--सर, प्वाइंट आफ आर्डर, मैं आप की सेवा में यह विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि श्री स्वशासन मंत्री जी ने जो आपत्ति उठायी है वह अवैधानिक है और इसलिये अवैधानिक है कि हमें उसकी जो प्रतिलिपि मिली है उस प्रतिलिपि में माननीय मंत्री जी ने कोई डैफनिट चार्ज नहीं लगाया है।

श्री अध्यक्ष--मैं इस आपत्ति को इस समय उठाने की इजाजत नहीं देता। इसकी वजह यह है कि उन्होंने अभी कुछ कहा ही नहीं है स्वशासन मंत्री जी जब अपनी बात समाप्त कर दें तब आप वह आपत्ति उठा सकते हैं।

स्वशासन मंत्री (श्री मोहनलाल गौतम)--माननीय अध्यक्ष महोदय! जो बात मैं आप की सेवा में रख रहा हूं वह बहुत ही छोटी और सीधी साधी है लेकिन बड़े महत्व की इसलिये है कि उससे हाउस में एक बड़ी गलतफहमी हो जाने का अंदेशा है। हाउस में ही नहीं हाउस से बाहर भी जब वह रिपोर्ट गयी है तो जनता में भी उससे जो इम्प्रेशन पैदा होगा वह वाकये के खिलाफ है। श्री राज नारायणजी ने जो स्पीच दी है उसकी ओर मैं हाउस का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यह रिपोर्ट बाहर भी गयी है?

श्री मोहन लाल गौतम--अखबारों में भी यह वाक़या निकला होगा और जब कार्यवाही छपेगी तो वह भी पब्लिक के लिये खुली है।

श्री अध्यक्ष--क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि किसी अखबार में यह छपा है?

श्री मोहन लाल गौतम--इसका मुझे ठीक पता नहीं, यह मेरा अन्दाजा है।

जो स्पीच उन्होंने दी है उसको हाउस से और आप की सेवा में पढ़ कर इसलिये सुना देना चाहता हूं कि जिस रिपोर्ट पर वह आधारित की गयी है वह ठीक ठीक कोट नहीं की गयी और उससे बिल्कुल उल्टा मतलब निकालने की कोशिश की गयी है तथा ला रिपोर्टर का यह मक़सद कतई नहीं था। श्री राजनारायण जी ने कहा,--

"ए० आई० आर० इलाहाबाद रिपोर्ट--१९५२ के पेज २२२ पर सम्मानित जज ने फैसला दिया है और वह लिखता है--

"Such suits must necessarily indicate to the public that the Government is either bankrupt or is inefficient or is dishonest. Such a feeling in the mind of public cannot redound to the credit of the State and the Government and be in their interest."

इसके आगे उसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करते हुये श्री राज नारायणजी कहते हैं--

"इस तरह के फैसले श्रीमन् हमारे सामने हैं। अगर हम पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट सदन के सामने रखें तो वह देखेगा कि वहां पर बड़ी बड़ी खामियां इस सरकार

[श्री मोहन लाल गौतम]

को बतायी गई है। एक सम्मानित जज ने तो यहां तक फैसला दिया है कि या तो गवर्नमेंट दिवालिया है या बेईमान है या अयोग्य है। तो क्या यह फैसला एक सम्मानित जज के द्वारा किसी सरकार के लिये शोभनीय है।"

आगे फिर उसी जज के फैसले को कोट किया जा रहा है --

"ऐसी सरकार को किसी जज का यह रिमार्क हटाने के लिये क्या काफी नहीं है? क्या ऐसी सरकार को, ऐसी निकम्मी सरकार को, जिसके बारे में जज का इतना बड़ा फैसला है, निकालने का अधिकार जनता के हाथ में नहीं जाना चाहिये। मैं समझता हूं कि जाना चाहिये।

श्रीमन्, म इन विरोधियों और इस तरह के तर्क रखने वाले सम्मानित सदस्यों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि वे केवल यह कह कर कि बहुत सी जगह प्रेसीडेण्ट्स ने गलतकाम किये हैं, अधिकार का दुरुपयोग किया गया है इसलिये सरकार के हाथ में यह पावर नहीं देनी चाहिये ऐसे तर्क न उपस्थित करे।" माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जिस वक्त कहा जा रहा है वह जगह यह है कि प्रेसीडेंट को निकालने की, सस्पेंड करने की बात की जा सकती है, अगर प्रेसीडेंट ग़लती करे तो उसको कौन निकाले। श्रीमन्, उन्होंने कहा है।

"श्रीमन्, इसलिये म उन विरोधियों को और इस तरह के तर्क रखने वाले सम्मानित सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि वे केवल यह कहकर बहुत सी जगह के प्रेसीडेंट ने बहुत ग़लत काम किये हैं और अधिकार का दुरुपयोग किया है, इसलिये सरकार के हाथ में यह पावर आनी चाहिये, ऐसा तर्क उपस्थित न करे। आज सारी दुनिया मे लड़ाई है। एक तरफ जनतंत्र है और एक तरफ डिक्टेटरशिप है। मैं आप के द्वारा सम्मानित सदस्यों को बताना चाहता हूं कि जो खतरा है उस खतरे को उठाने के लिये हम तैयार हैं। मगर हम राजनैतिक शक्ति का विकेन्द्रीयकरण करना चाहते हैं और उस खतरा को उठाना चाहते हैं। इसी तरह से आज कम्युनिस्ट भी कहता है, आज रूस भी कहता है कि उसके यहां केवल एक पार्टी है जनता की। अतः दूसरी पार्टी को अपने देश मे रहने देने का क़ानूनी अधिकार नहीं देंगे। जिस तरह से यह सरकार बहाना ढूंढ़ती है वह भी ढूंढ़ती है। पर उसको आप क्यों दोष देते हैं। श्रीमन् मैं पूछना चाहूंगा माननीय मंत्री जी से कि आखिर किस मनोवृत्ति का द्योतक यह विधेयक है?"

इस प्रकार की स्पीच श्री राजनारायण जी ने यहां दी थी और उसका आधार दिया था यह कोटेशन जो "ला रिपोर्टर" के पन्ने २२२ से बतलाया गया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस कोटेशन का हवाला है, मैं उस कोटेशन के केवल उसी पैराग्राफ को आप के सामने पढ़ने की आज्ञा चाहूंगा। यह श्री ओम् प्रकाश साहब का मामला है, उसमें जज ने जो कहा है वह इतना है —

"It appears to me, therefore, that the only relief that the Court can give in a suit by a public servant dismissed in contravention of the provisions of these sub-sections is to declare that his dismissal order was against the provisions of the Constitution and was, therefore, void and inoperative. In cases of wrongful dismissal relief for the arrears of pay as a consequential relief may be claimed if it be held that during his service, a Governmnet servant can sue the Government for his pay. In considering such a case the plaintiff's right to go to Court will be the primary point for decision. It appears to me that such suits by public servants would be highly detrimental to public policy. Apart from the feeling which such suits might create between Government and its public servants, they will affect the confidence of the public in the Government. Such suits must necessarily indicate to the

public that the Government is either bankrupt or is inefficient or is dishonest. Such a feeling in the mind of the public cannot redound to the credit of the State and the Government and be in their interests Such suits will be deemed to be impliedly barred from the cognizance of Civil Courts in view of S 9, C P. C Section, 60 & 21. R 48, C P C do not create rights. They give no right to sue "

जज का तो कहना है यह कि वह कंफीडेंस लूज करेगा और उसके आगे कहता है . .

" Such suits must necessarily indicate to the public that the Government is eigher bankrupt or is inefficient or is dishonest "

उसके बाद कहता है ....

" Such a feeling in the mind of pubic cannot redound to the credit of the State and the Government and be in their interests Such suits will be deemed to be impliedly barred from the cognizance of Civil Courts "

इससे बिल्कुल साफ जाहिर होता है कि जो मंशा जज का था वह यह था कि इस तरह की गलतफहमी पब्लिक मांइंड मे, कि गवर्नमेन्ट बेंकरप्ट है, इनएफीसिएंट है, डिसआनेस्ट है, नहीं क्रीएट होने देना चाहिये। उसके थोड़े हिस्से को निकाल कर श्री राजनारायण जी ने अपने भाषण में उसको कोट कर के जो साबित करने की कोशिश की है वह यह है कि यह गवर्नमेंट करप्ट, इनएफीसिएंट और बेईमान है, तो उसको कोन निकाले ? मैं निवेदन करूंगा कि यह हिस्सा बिलकुल गलतफहमी पैदा करने वाला है और जो कुछ ला रिपोर्ट में दिया हुआ है उसके माने यह नही थे, उसके बिलकुल उलटे माने है। श्री राजनारायण जी ने जानबूझ कर इस तरह की चीज सदन के सामने एक बीच के हिस्से को निकाल कर और इस सदन को गलतफहमी में डालने के लिये पेश कर दी है। इस लिये मेरी यह प्रार्थना है कि इस हिस्से को यहां से निकाल दिया जाय। श्रीमन् अगर यह कहा जाय कि गवर्नमेंट इनएफीशियेंट है, बेईमान है, करप्ट है, कहने का अधिकार है या नही, इस बहस में मै नही जाना चाहता, कोई कह सकते है या नही या इस सदन मे कहना चाहिये या नही, इसमें भी मै नही जाना चाहता। अगर हो अधिकार तो कहे और अगर नही हो तो नही कहे लेकिन मेरा प्वाइंट तो यह है कि किसी दूसरे के मुंह मे डालकर जिसने यह बात नही कही हो उसके मुंह में डालकर यह कहना यह चीज गलत है। हाईकोर्ट के जज ने यह नही कहा और अगर कहना चाहते थे तो श्री राजनारायण जी खुद कहते लेकिन इसमें कहीं नही है जो उन्होने कहा कि इसमें यह कहा गया है इसलिये गवर्नमेंट डिसआनेस्ट है, इनएफीशियेंट है, करप्ट है और इसलिये यह साबित करने की कोशिश की जाय तो वह बिलकुल गलत है, उसमे कोई ताल्लुक इसका नहीं है। मैं इस वक्त इस बात पर बहस नहीं कर रहा हूं कि गवर्नमेंट डिस्आनेस्ट है या करप्ट है या नहीं है। मैं इस बहस मे नहीं पड़ना चाहता। न इस बहस मे पडना चाहता हूं कि इन लफ्जों को कहने का अधिकार है या नहीं बल्कि मेरा सबमिशन इस वक्त यह है कि जिस हाईकोर्ट के जज के मुंह में डालकर यह बात गलत कोट करके की गई है उससे गलतफहमी पैदा होती है और अगर वह यहां की प्रोसीडिंग्ज मे रहेगी तो हाउस की उसमें शान नही है। हाउस के लिये किसी भी आदमी को या किसी भी संस्था को या व्यक्ति को गलत कोट करके अपनी प्रोसीडिंग्ज में लाना हाउस की शान के खिलाफ है और जो लोग उसको पढ़ेंगे उससे गलतफहमी पैदा होगी जो वाक़ये के खिलाफ है। इसलिये मेरा निवेदन सिर्फ यह है कि इस हिस्से को इसलिये निकाल दिया जाय कि जिनके मुंह मे रखा गया उनके मुंह में ऐसा नहीं था कि गवर्नमेंट करप्ट है, बेईमान है या इनएफीशियेंट है। इस लिये उन तमाम चीजों को छोड़ कर मेरा यह लिमिटेड सबमिशन है कि इन

[श्री मोहन लाल गौतम]

चीजों को निकाल दिया जाय। उसका वह मतलब, वह माने ला रिपोर्टर में नहीं है जो उन्होंने इस्तेमाल किया। इस लिये इस चीज को निकाल दिया जाय।

श्री राज नारायण--आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जब आपके द्वारा मुझे यह ज्ञात हुआ कि श्री मंत्री जी ने मेरे कोटेशन पर कुछ आपत्ति प्रकट की है तो मैंने लिखित निवेदन पेश किया कि मंत्री जी की क्या आपत्ति है उसकी प्रतिलिपि मुझको प्राप्त होनी चाहिये। आपके कार्यालय से जो प्रतिलिपि मुझे प्राप्त हुई है आपकी आज्ञा से मैं उसे पढ़ना चाहता हूं--

"Hon'ble the Speaker

I propose to invite your attention to the following statement in the speech of Sri Raj Narain made in this House yesterday. !

विधि जनतांत्रिक

सदस्यों की सेवा में रखना चाहता हूं। वह देखेंगे कि ए० आई० आर० इलाहाबाद रिपोर्टर, १९५१ के पेज २२२ पर सम्मानित जज ने फैसले में दिया है और वह लिखता है।

Such suits must necessarily indicate to the public that the Government is either bankrupt or is inefficient or is dishonest. Such a feeling in the mind of public cannot be redound to the credit of the State and the Govrnment and be in their interests" इस तरह के फैसले श्रीमान् हमारे सामने हैं,

By this statement, the Hon. Leader of the Opposition insinuated that the High Court had held that the State Government was either bankrupt, inefficient or dishonest."

राजा बीरेन्द्र शाह (जिला जालौन)--मैं एक इन्फार्मेशन चाहता हूं। श्रीमान्, जो लिखा हुआ पत्र पढ़ा जा रहा है वह हिन्दी में सरकार ने लिखा है या अंग्रेजी में लिखा है।

श्री अध्यक्ष--यह सब अंग्रेजी में सरकार की तरफ से मेरे पास आया था। उसी की यह नकल है।

राजा बीरेन्द्र शाह--यह भवन का निश्चय है कि हिन्दी में सब कारेसपांडेंस होगी। फिर अंग्रेजी में क्यों....

श्री अध्यक्ष--वह प्रश्न दूसरा है। वह बाद में हो सकता है।

श्री राज नारायण-श्रीमान्,मैं गौतम जी ने जो दूसरा पैरा लिखा है वहीं से पढ़ रहा हूं।

"By this statement, the Hon. Leader of the Opposition insinuated that the High Court had held that the State Government was either bankrupt, inefficient, dishonest; and that a feeling of this kind in the mind of the public could not redound to the credit of the State and the Government and be in their interest. This is an absolutely incorrect presentation of the actual facts of the case What that Judge actually said would be clear from the following fuller quotation from the judgment :—"

अब यह जजमेंट का कोटेशन दे रहे हैं माननीय मंत्री जी जिस को उन्होंने पढ़ भी दिया है। इस लिये सदन के समय को बचाने के लिये मैं उस को दोहराना नहीं चाहता।

कोटेशन जब खत्म होता है तो माननीय स्वशासन मंत्री जी आगे लिखते हैं।

"Hon the Speaker will thus see that the manner in which the Hon Leader for the Opposition put the facts were not only unfair to Government but also unfair to the House The Judge did not hold that the Govt was either bankrupt, inefficient or dishonest, as the Hon Leader for the Opposition desired to insinuate "

श्रीमन् जब माननीय मंत्री का यह लेख हमें हस्तगत हुआ तो हम बहुत ही ताज्जुब में पड़े कि आखिर माननीय मंत्री जी चाहते क्या हैं, क्योंकि माननीय मंत्री जी ने, हमने जो जज के फैसले से कोटेशन पढ़ा उस कोटेशन को यह लिख कर बतायें कि वह कोटेशन नहीं था और जब मैं देखता हूं और आंख खोल कर देखता हूं तो उस कोटेशन का एक-एक वाक्य और एक-एक वर्ड जो है सब उस फैसले में आ गया है। और मेरे केवल उस कोटेशन को माननीय मंत्री जी ने आपके सामने उद्धृत किया है कि इन्होंने इतना कोटेशन रखा। आगे हमने क्या कहा उसके बारे में अपने लेख में माननीय मंत्री जी ने कोई संकेत नहीं किया। इसलिये श्रीमन्, आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस सदन के समय को हम नष्ट न करें और इस हाउस के सामने अगर माननीय मंत्री जी किसी जज के फैसले को किसी दूसरे तरीके से भाष्य करना चाहते हों तो माननीय मंत्री जी को पूरा अधिकार है। माननीय मंत्री जी उस अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं।

श्रीमन्, माननीय मंत्री जी ने, उसके बाद इस सदन में अपना भाषण भी दिया था। उसमें उनको पूरा अधिकार था कि जज के फैसले का क्या अर्थ है उस फैसले के अर्थ को वह स्पष्ट करते। लेकिन आपके पास इस तरह से पत्र भेज कर सदन के समय को नष्ट करने के लिये माननीय मंत्री जी ने हम पर कृपा....

श्री अध्यक्ष—यह समय मैंने निश्चित किया था। तो इसलिये आप मंत्री जी के ऊपर दोष इस बात का नहीं दे सकते हैं।

श्री राजनारायण—श्रीमन, मैं समझ गया। माननीय मंत्री जी ने इसके बाद भी जो बातें आज यहां पढ़ी हैं उन पर भी मुझे आना चाहिये। एक बात तो मैं आपकी इजाजत से पहले ही स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मेरी जो करेक्टेड स्पीच है जिसको मैंने संशोधित करके आपके कार्यालय को दिया था अगर माननीय मंत्री जी उस संशोधित भाषण को पढ़े होते और जो यहां की रिपोर्टिंग में गलती हुई है उसको सुधार लिया होता तो इस सदन का समय इतना नष्ट न हुआ होता। श्रीमन्, मैं आपके जरिये उन्हें यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि मेरा मकसद यह कतई नहीं था कि जज अपने मुंह से कह रहा है कि यह सरकार इनइफीशेंट है, बैंकरप्ट है, डिसआनेस्ट है। श्रीमन् माननीय मंत्री जी अगर मुझ से यह चाहते हैं तो मैं उन को आश्वासन दे दूं कि जज के मुंह से यह बात नहीं निकली है। मैं इस बात को सहर्ष स्वीकार करता हूं कि जज के मुंह से बिलकुल डायरेक्ट तरीके से यह बात नहीं निकली है कि "दिस वेरी गवर्नमेंट इज बैंकरप्ट, इनएफिश्येंट आर डिसआनेस्ट"

श्री अध्यक्ष—कृपा करके आप अपनी करेक्टेड स्पीच जिसे आप कहते हैं, वह पढ़ कर सुना दीजिये।

श्री राजनारायण—उसको अभी पढ़े देता हूं, श्रीमन् मगर इसके साथ ही साथ मैं आपकी इजाजत से सम्मानित सदस्यों को यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं, कि केवल माननीय मंत्री जी, जो थोड़ा और ऐड करके ऊपर से, पढ़ना चाहते हैं आप हमें आदेश दें तो मैं पूरे फैसले को पढ़ने के लिये तैयार हूं जो सिविल जज ने दिया था और जिसकी अपील यहां हुई थी। सारे फैसले को पढ़ने में और खुल करके जो एक पुस्तिका बड़ी

[श्री राजनारायण]

है, जिसकी छपाई दो बार हुई और जिसका हैडिंग है "पंत सरकार की बेईमानी" उसको पढ़ने से स्व स्पष्ट हो जायगा। यह पुस्तिका इतने ओपेन (खुले) तरीके से वितरित हुई है, जब उसके बारे में सरकार ने आपत्ति नहीं की............

श्री अध्यक्ष—यह डाक्यूमेंट जिसका जिक्र आपने किया, यह भी कृपा करके मेरे पास भेज दें, क्योंकि आपने इसका जिक्र कर दिया है।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, मैं सारे इस किस्से को जानते हुये और कुछ सम्मानित और अनुभवशील नेताओं की सम्मति को जानते हुये, तथा वकीलों से उस पर परामर्श करते हुये इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि जज ने जो आब्जरवेशंस (संकेत) किये हैं उनके पढ़ने से हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं और यह हमारा अनुमान है कि उसका कोई दूसरा अर्थ नहीं हो सकता। चाहे जज डायरेक्टली न भी कहे तो क्या, लेकिन हम उसको उसी तरह से इंटरप्रेट (भाष्य) करते हैं कि जज के फैसले का इंटरप्रेटेशन यह है कि जिस सरकार के राज में बिना प्रापर चैनल से गये हुये (उचित तरीका अख्तियार किये) अधिकारियों का निष्कासन होता है और वह अधिकारी उसके लिये अपनी तनख्वाह वगैरा के लिये....

श्री अध्यक्ष—माननीय सदस्य को जरा असंगत नहीं होना चाहिये। प्रश्न इस वक्त यह है कि उस रोज भाषण में आपने क्या शब्द कहे। उसको आप यह कह रहे हैं कि वह मैंने नहीं कहा। जब तक सदन के पास यह नहीं आता कि आपने क्या कहा तब तक उस पर विचार नहीं हो सकता।

श्री राजनारायण—तो श्रीमन्, मैं पहले अपना भाषण ही पढ़ देना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—वह अंश पढ़ दीजिये जो आप समझते हैं गलत लिखा गया है।

श्री राजनारायण—वह इस प्रकार है।

"आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सम्मानित सदस्यों से जानना चाहता हूं कि अगर सरकार के मंत्री महोदय या सरकार अगर इस तरह के गलत काम करती है तो उसको हटाने का अधिकार किस को होगा? उनको हटाने का अधिकार जनता को होना चाहिये।"

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि जिस जगह से माननीय मंत्री जी ने पढ़ कर सुनाया, वहां से आप शुरू करें और वहीं तक पढ़ कर सुना दें तो पूरा समझ में आ जायगा। बीच-बीच में टुकड़े पढ़ने से समझ में नहीं आयेगा।

श्री राजनारायण—मंत्री जी, जरा आप पढ़ दें तो...

श्री अध्यक्ष—मंत्री जी ने जो चिट्ठी मेरे पास भेजी उसकी नकल तो आपके पास भी है। वहां से पढ़ दें, "हमारे पास ऐसे उदाहरण हैं" यहां से पढ़िये और पूरा पैराग्राफ आप ही पढ़िये।

श्री राजनारायण—"हमारे पास ऐसे उदाहरण हैं कि यह सरकार जिस गति-विधि से चलती है वह गति-विधि जनतांत्रिक प्रणाली के विपरीत है, उलटी है। एक उदाहरण मैं आपके द्वारा सम्मानित सदस्यों की सेवा में रखना चाहता हूं। वह देखेंगे कि ए० आई० आर० इलाहाबाद रिपोर्टर, १९५१ के पेज २२२ पर सम्मानित जज ने फैसले में दिया है और वह लिखता है:

"Such suits must necessarily indicate to the public that the Government is either bankrupt or is inefficient or is dishonest Such a feeling in the mind of public cannot said to the credit of the State and the Government and be in their interest"

श्रीमन् यहां जहां शब्द "सेड" है वहां शब्द 'रिडाउंड' है। मने इसको करेक्ट (संशोधन) कर दिया है। माननीय मंत्री जी भी कृपया करेक्ट (संशोधन) कर ले तो साफ हो जाय।

"इस तरह के फैसले श्रीमन् हमारे सामने है। मगर हम पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट सम्मानित सदन के सामने रखें तो वह देखेगा कि वहां पर बड़ी-बड़ी खामियां इस सरकार की बताई गई है। जैसा ओमप्रकाश गुप्त के केस में पहले सम्मानित जज ने तो यहां तक फैसले में दिया है कि ऐसे दावे यह संकेत करते है कि या तो गवर्नमेंट दिवालिया है, या बेईमान है, या अयोग्य है। तो क्या यह फैसला एक सम्मानित जज के द्वारा किसी सरकार के लिये शोभनीय है। ऐसी सरकार को किसी जज का यह रिमार्क हटाने के लिये क्या काफी नहीं है। क्या ऐसी सरकार को, ऐसी निकम्मी सरकार को, जिसके बारे में जज का इतना बड़ा फैसला है, निकालने का अधिकार जनता के हाथ मे नही जाना चाहिये, मै समझता हूं कि जाना चाहिये।

श्रीमन्, इसलिये मै उन विरोधियों से और इस तरह के खयाल रखने वाले सम्मानित सदस्यों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि वह केवल यह कहकर के कि बहुत सी जगह प्रेसीडेंट ने बहुत गलत काम किया है और अधिकार का दुरुपयोग किया है इसलिये सरकार के हाथ मे यह पावर आनी चाहिये ऐसा तर्क उपस्थित न करें। आज सारी दुनियां में लड़ाई है। एक तरफ जनतंत्र है और एक तरफ डिक्टेटरशिप। मैं आपके द्वारा सम्मानित सदस्यों को बतलाना चाहता हूं कि जो खतरा है उस खतरे को उठाने के लिये हम तैयार है। मगर हम राजनीतिक शक्ति का विकेंद्रीकरण करना चाहते है। उस खतरे को उठाना चाहते है। इसी तरह से आज चीन मे भी कहा जाता है और रूस मे भी कहा जाता है।"

श्री अध्यक्ष—आगे का अंश रेलीवेंट नहीं है।

श्री राजनारायण—तो श्रीमन्, म आपकी आज्ञा से पुनः माननीय मंत्री जी के इस भ्रम को दूर करने की चेष्टा करना चाहता हूं और निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इस बात को समझ ले कि मैने जज के मुंह में इस बात को रखने की कोशिश नहीं की और अगर माननीय मंत्री जी को इसका भ्रम है तो मुझे आश्चर्य है और इसका दुख भी होता है कि माननीय मंत्री जी को ऐसा भ्रम हुआ क्यों। क्योंकि मने तो अपना एक कान्क्लूजन (निष्कर्ष) निकाला और मै श्रीमन् आपके जरिये यह भी कहना चाहता हूं कि आज अगर हमें यह मालूम होता कि माननीय मंत्री जी हमसे चाहते है कि पूरा फैसला पढ़ा जाय तो मै उनकी खिदमत में आपके जरिये पूरा फैसला पढ़ देता। पूरा फैसला पढ़ने से हमारा वही कांक्लूजन (निर्णय) है।

श्री अध्यक्ष—माननीय मंत्री जी की इच्छा से तो पूरा पढ़ा नहीं जायगा। यह मैंने प्रश्न आपके सामने रखा है। मै पूरा जजमेंट आपसे ले लूंगा। कृपा करके माननीय मंत्री जी मेरे पास पूरा जजमेंट भेज दे। मै उसको स्टडी करके देखूंगा। अभी नहीं बहस के बाद।

श्री राजनारायण—तो श्रीमन्, मैंने जो संशोधित प्रति भेजी थी अगर आप उसको देखेंगे तो इस बात को स्पष्टतया पायेंगे कि जज के मुंह से मैने यह बात कहलवाने की कोशिश नहीं की कि जज इस सरकार के लिये क्या कहता है। मगर श्रीमन् एक जरा आह लेते हुये मै इसको कहना चाहता हूं कि जज के फैसले मे जो रिमार्क दिया है उसका जो हमारा कांक्लूजन (अर्थ) है कि इस सरकार के लिये भी उसका रिमार्क लागू होना चाहिये, वह सही है।

श्री अध्यक्ष--म यह जानना चाहता हूं श्री राजनारायण जी से कि "यह सरकार" शब्द जो आपने इस्तेमाल किया यह शब्द इस प्रजेंट चुनी हुई सरकार या इसके पहले वाली सरकार के लिये इस्तेमाल किया है, या जहां आपने "यह" कहा है वह जनरल कहा है।

श्री राजनारायण--हमने इसीलिये कहा कि "यह" की जगह "ऐसी" सरकार हमने सशोधन किया है और हमारा जनरल रिमार्क है। केवल इसी सरकार पर लागू नही होता बल्कि इस तरह के कार्य जिस सरकार के रिजीम (राज्य) में हों तमाम सरकारों के लिये।

श्री अध्यक्ष--तो आपका मंशा क्या है?

श्री राजनारायण--वह जनरल है।

मुख्य मंत्री (श्री गोविन्द वल्लभ पन्त)--अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात का खेद है कि विरोधी दल के नेता जी ने यदि उनसे कोई भ्रांति के कारण कोई ग़लती हो गयी थी तो उसको कुबूल करने के बदले में इस मामले मे जिस के बारे मे कोई दो राये नही हो सकतीं इसके सीधे रास्ते को छोड़ कर उसकी बहस को बढ़ाने की कोशिश की है। तो सीधा सा एक सवाल है और वह यह है कि उन्होंने भाषण क्या दिया था, उस भाषण का असर क्या होता था, जिस फैसले का उन्होंने कोटेशन दिया और उसके मुताबिक उन्होंने शब्द कहे थे वे उसी भावना को जाहिर करते थे और उसका वही परिणाम था या नहीं था। सदन हर एक सदस्य से यह उम्मीद करता है कि वह किसी कोटेशन को दे और कहे कि यह मे उदाहरण देता हूं इस बात का कि वह कोटेशन और वह उदाहरण, जिस बात को वह सामने रख रहा है, उसकी पुष्टि है, इसी लिये उसको देता है। अगर उसके विपरीत वह हो तो उसके देने का कोई अर्थ नहीं होता। तो इसमे राजनारायण जी का कहना यह था कि यह गवर्नमेंट बड़ी खराब है, बड़ी नाकिस है। खैर यह कोई नई बात उन्होंने नही कही। वह तो रोज ही कहते हैं और उस मौके पर भी कही। वहां तक हम आदी हो गये है सुनने के और उनके शब्दों का जितना भी वजन कर सकते है, करते हैं। मगर उससे तो कोई बात इस वक्त उस बारे मे कहने की नहीं। जो बात है वह यह है कि उन्होंने जो कोटेशन दिया है उससे जनता में और आम सब लोगों मे यह एक असर डालने की कम से कम कोशिश की कि एक न्यायालय ने भी यही फैसला इस गवर्नमेंट के बारे मे दिया है जो कि वह खुद इस गवर्नमेंट के बारे मे अपनी राय रखते थे। तो यह उनके अल्फाज थे। इसके माने यह थे कि यह गवर्नमेंट बैंक्रप्ट है, इनएफिशेंट है, करप्ट है। अब भी उन्होंने यह नहीं कहा कि यह मतलब उनका नहीं था। जब उन्होंने इसे रखा अगर उनका मतलब इस कोटेशन के देने का यह था कि यह गवर्नमेंट इनएफिशेंट नहीं है, करप्ट नहीं है, तो अब वह कह सकते थे कि मेरे अल्फाज यही थे मगर मेरा मतलब तो बिलकुल दूसरा था। इस फैसले मे जो बात कही गयी, जज ने जो बात कही, वह तो यही कही कि अगर इस तरह के दावे कुबूल किये जायं तो लोगों में यह भ्रांति पैदा होती है कि वह यह समझने लगे कि यह गवर्नमेंट करप्ट, इनएफिशेंट वगैरह है, लिहाजा यह दावा कुबूल नहीं किया जा सकता। जो कि तनख्वाह का दावा था मुद्दई का वह उन्होंने खारिज किया और कहा कि यह बात कुबूल नहीं की जा सकती। अगर यह कुबूल की जाय तो इस से यह भ्रांति हो सकती है, यानी फैसला बिलकुल खिलाफ इस बात के है, जो कि यह कहे कि यह बैंक्रप्ट है, करप्ट है या इनएफिशेंट है। अब सवाल सिर्फ इतना आता है कि कहीं पर कोई बात जब ऐसी कही जाय कि जिस के उल्टे माने गलती से या नासमझी से लगाये जायं, तो जब उसके सामने बात ठीक रखी जाय तो वह यह कह सकता है कि मुझ से ग़लती हो गयी। मैंने यह रखा लेकिन मैंने ऐसा नहीं समझा। मैं इस बात को समझ सकता हूं कि गलतफहमी अपनी-अपनी समझ के दायरे के अन्दर हर एक को हो सकती है। मगर इसके अलावा जब कि गलतफहमी को ग़लतफहमी न कह के यह कह दिया जाय कि यह तो हमने ठीक बात कही थी तो फिर वह ज्यादा काबिल असर हो जाती है। यह तो सब के लिये एक उसूल की बात

है कि चाहे कोई भी किसी पार्टी का हो वह अगर किसी चीज को ऐसा कोट करे जिस से कि उसके माने बिल्कुल उल्टे हों तो वह सदन के लिये एक अन्याय की बात है क्योंकि सदन को यह हक है कि जो चीज उसके सामने रखी जाय वह सही मानों में रखी जाय इस लिये यह जो बातें इसमें कही गयीं वह राजनारायण जी ने इरादतन न कहीं हों, वह उन्होंने गलती से कही हों, मगर कही गलत गयीं।

वह जो उदाहरण उन्होंने दिया और यह कहा कि एक उदाहरण मैं यह देता हूं वह बिल्कुल गलत चीज थी। जैसा उदाहरण वह दे रहे थे वह तो उसके विपरीत पड़ता था और फिर जो मेरे पास यह कागज है इस में तो उन्होंने यह कहा कि एक सम्मानित जज ने यहां तक फैसला दिया है कि या तो सरकार दिवालिया है, या बेईमान है या अयोग्य है। तो क्या यह फैसला सम्मानित जज के द्वारा किसी सरकार के लिये शोभनीय है। म कहता हूं कि सम्मानित जज ने इस के विपरीत दिया। तो जब यह कहा कि सम्मानित जज ने यह फैसला दिया, सिर्फ इतने अलफाज रखे और फैसले की और बात छोड़ दी, तो उनसे गल्ती जरूर हुई, उन्होंने इरादतन न की हो। मै कोई यह नही कहता कि उन्होंने इरादतन किया मगर इरादतन उन्होंने यह बात कही कि इस फैसले से यह नतीजा निकलता है कि यह गवर्नमेंट करप्ट और इनएफीशेंट है और वह नतीजा नहीं निकला उस फैसले से, उससे विपरीत वह नतीजा निकलता है। इस लिये उस हद तक यह बात गलत हुई क्योंकि गवर्नमेंट के लिये यह सुन्दर शब्द काम मे लावे या तीखे लावे। अपनी वाणी से जैसा चाहे वैसा कह सकते है। मगर जहां तक दूसरे के शब्दों को लाकर उसका दुरुपयोग हो, वह उसके लिये भी अन्याय है, जनता के लिये भी अन्याय है और इस सदन के लिये भी एक ऐसी भावना पैदा करने वाली बात है जो गलत है। इस मे ऐसे जजमेंट मे साफ तौर पर कहा गया है:

"It appears to me that such suits by public servants would be highly detrimental to public policy. Apart from the feeling which such suits might create between Government and its public servants, they will effect the confidence of the public in the Government. Such suits must necessarily indicate to the public that the Govt. is either bankrupt or is inefficient or is dishonest. Such a feeling in the mind of the public cannot redound to the credit of the state and the Govt. and be in their interests. Such suits will be deemed to be impliedly barred from the congnizance of Civil Courts in view of S. 9 C. P. C"

तो इसका सारांश यह है कि ऐसा हो नहीं सकता, ऐसी चीज चल नहीं सकती। ऐसा इम्प्रेशन पैदा नहीं होना चाहिये और उस इम्प्रेशन को इस कोटेशन में देकर राजनारायण जी ने पैदा किया जो कि जज चाहता था कि पैदा न हो। बिल्कुल प्रावर्जन था जजमेंट का। अब इस सिलसिले मे उन्होंने यह कागज आप के सामने रखा, मै किसी का नाम नहीं लेना चाहता, अब भी नाम कहना नहीं चाहता मगर यह आप को किताब दी, मै जानना चाहता हूं इस हाउस से क्या जिस मामले के सिलसिले मे यह कहा गया है उससे ज्यादा बुरा केस कोई हो सकता है जिसमें डिसिपलिनरी ऐक्शन गवर्नमेंट कोई लेती। मै आप को पढ़ कर सुनाता हूं जो चार्जेज उसमे थे। यह चार्जेज थे.........

श्री अध्यक्ष——मैं समझता हूं मेरिट्स पर नहीं जाना चाहिये।

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त——नहीं मरिट्स पर नहीं, मै आप को यह दिखलाना चाहता हूं कि उन्होंने आप को यह किताब दी है और कहा कि ओम प्रकाश गुप्ता ने यह किताब छापी है और उस किताब का कोई जवाब नहीं दिया गया है, यह चीज आपने अपने पास ले ली जोकि पब्लिक प्रापर्टी हो गई। इस किताब से बिल्कुल संबंध है, असलियत क्या है इसको मैं हाउस के सामने रखना चाहता हूं। दूसरी चीज जिससे आप लोगों को भी मालूम हो जाय मैं चाहता हूं कि आप जानें कि आया गवर्नमेंट गलत बात करती है या सही करती है। क्योंकि

[श्री गोविन्द वल्लभ पन्त]

मेरा दावा है कि गवर्नमेंट अपनी तरफ से नहीं करती है गलत चीज। यह मसला साबित करेगा कि कैसे मुगालते में आप लोग रहते हैं। इस केस में यह मुकदमा शुरू में हमारे सामने नहीं हुआ।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)--मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उस लेखक के खिलाफ प्रान्तीय सरकार की ओर से कोई कार्यवाही हुई है।

श्री मोहनलाल गौतम--कोई पता नहीं है।

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त--जुलाई सन्, १९४४ में एक साहब पोस्ट हुये डिप्टी कलेक्टर लखीमपुर खीरी मे। सन् १९४० मे वह एप्वाइंट हुये थे। जुलाई, १९४४ में डिप्टी कमिश्नर के पास उनके खिलाफ कुछ शिकायतें गयीं। उसके सिलसिले में कुछ चार्जेज उनके ऊपर फ्रेम किये गये। वे चार्जेज ये थे--

"That on or about August 15, 1944, one Musammat Jamila was presented before you in court by the police under a warrant under section 100 Cr. P. C. You did not decide the case on the 15th of August, but postponed to the 19th August, 1944, making over the girl to the custody of one Hafiz Habeeb Beg. On 17th of August you sent for Musammat Jamila from the house of Hafiz Habeeb Beg about 7 p. m. through your orderly Jangi Khan and detained the girl at your house for the whole night evidently to use her for immoral purposes. Next morning the girl expressed a desire to go with her father who came to receive her at your house, but you did not allow her to do so and again sent back the girl to the house of Hafiz Habeed Beg.

2. That on or about August 10, 1944, the police on the complaint of one Puttu Lal produced before you one Masummat Ganga Kurmi for whose arrest you had issued a warrant under section 100 Criminal Procedure Code. You directed Puttu Lal and Musammat Ganga to be escorted to your house by your orderly Jangi Khan. You sent away Puttu Lal and detained Musammat Ganga alone at your house for about two hours obviously to use her for immoral purposes.

3. That sometime in the first week of July , 1944, a girl named so and so was produced before you under a warrant of arrest issued by you under Section 100, Criminal Procedure Code, but you asked the party to present the girl after court hours at your house. When the girl was brought to your house you asked the people accompanying her to stay outside and took the girl alone inside your house under the pretext of recording her statement and detained her there for two hours evidently to use her for immoral purposes.

That in all these three cases you conducted yourself in a manner unbecoming an officer of the U. P. Civil Service and therefore you are asked to show cause why you should not be dismissed from service."

इस किस्म का आदमी तहक़ीक़ात के बाद डिसमिस किया गया। अब मैं जानना चाहता हूं क्या इस हाउस में कोई आदमी जो यह कहने को मुनासिब समझता है कि इस क़िस्म का कोई अधिकारी जो किसी अदालत का मैजिस्ट्रेट हो वह इस तरह से हरकत करे कि औरतें जो किसी मामले में उसके सामने आयें या जिनको पकड़वा कर लाया गया उनको इस तरीके पर अकेले अपने मकान में रात को रखे तो क्या चाहते हैं कि उसको इस क़िस्म के काम करने का अधिकार रहे और जब इस किस्म का कोई मामला आये तो उसमें यह कहें कि यह गवर्नमेंट इनए-फ़िशिएंट है, करप्ट है, बैंकरप्ट है? इससे ज्यादा शर्मनाक कोई बात हो नहीं सकती है। और अभी

सुना कि हमारे ऊपर यह लांछन लगाया जाता है । यह मामला हमारे सामने नहीं हुआ, सन् १९४८ की बात है । दूसरी गवर्नमेंट उस जमाने में थी । हम लोग जलो मे थे । उस वक्त की गवर्नमेंट ने १ दिसम्बर, सन १९४४ ई० को उन्हें बरखास्त किया । वह तो उस वक्त की गवर्नमेंट ने पब्लिक सर्विस कमीशन से मशिवरा करके दिसम्बर, १९४४ ई० में बरखास्त किया । फिर इस किस्म की हरकतो से गवर्नमेंट अगर उसको बरखास्त न करती तो मैं समझता हूं कि ऐसी गवर्नमेंट रहने के काबिल नहीं थी । अगर इस तरह की हरकतें आफिसर्स करें और गवर्नमेंट जानते हुये उनको रहने दे तो उस गवर्नमेंट को करप्टेड, इनएफीशियेंट और बैकरप्ट कहा जा सकता है । मगर आप देखे कि दिसम्बर, ४४ की बात थी और पहली गवर्नमेंट के जमाने की बात थी । जब हम लोग आये तो हमारे सामने उनका मेमोरियल आया हमने उनके मेमोरियल को देखा और उनके तमाम कागजात को देखा जो हमने उनके मेमोरियल को नामंजूर किया । ऐसे मामले मे दिसम्बर, सन् १९४४ ई० के फैसले के तमाम कागजात देखे और यह देखते हुये भी कि जिम्मेदारी कीजगह पर रहते हुये कोई ऐसी हरकत कर सकता है लेकिन क्योंकि फैसला पहले का था इसलिये तमाम कागजात को देखा और उनके मेमोरियल को मैंने रिजेक्ट किया ।

उन्होंने कोर्ट मे दावा किया और वहां से यह फैसला हुआ कि कानूनन जो उनको नोटिस मिलना चाहिये था वह नही दिया गया । जब गवर्नमेंट किसी के डिसमिस्सल करने का फैसला कर ले तो उसको नोटिस देना चाहिये यानी इनक्वायरी होने के बाद, इनक्वायरी खत्म होने के बाद जब गवर्नमेंट समझे कि उसको डिसमिस करना है तो उसको फिर से नोटिस देना चाहिये कि तुम्हारा डिसमिसल क्यो न किया जाय। यह नोटिस उनको नही दिया गया । इस पर कोर्ट ने कहा कि क्योंकि यह नोटिस उनको नहीं दिया गया लिहाजा यह उनका डिसमिसल रेग्यूलर नही है । जो तनख्वाह वगैरह की उनकी बात थी उन सब को कोर्ट ने नामंजूर किया था । इस सिलसिले में कोर्ट ने वह फैसला दिया और कहा था कि जहां तक इनकी और बातों का संबंध है वह गवर्नमेंट कर सकती है । हमने फिर उनको नोटिस दिया ताकि जाब्ते की कोई कमी न रहे। अब इस किस्म के आदमी के बारे मे यह बात कही जाती है कि तुमने जवाब क्यों नही दिया तो इस किस्म की बात का जवाब न देना कौन सी बुरी बात है।

मुझे तो अफसोस होता है लोगों की हिम्मत को देख कर । हमारे यहां इतने सीधे साधे और भोले भाले आदमी होते है कि यह कहे कि इस तरह की हरकत करना किसी का जायज था और कार्यवाही जो की है वह गलत थी । इसलिये मै नही समझता हूं कि इसकी यहां चर्चा क्यों की गयी और श्री राजनारायण जी ने कहा कि मै तो किताब लाया हूं उससे मालूम होगा कि वाकयात क्या है मैंने उनको वाकयात बतला दिये है । मै किसी की बुरी चीज को बहुत ज्यादा खोलना नहीं चाहता हूं जब तक कि मजबूर न हो जाऊं । कोई कहता रहे मै बहुत पर-वाह नही करता हूं लेकिन इस किस्म की बात कोई कैसे बरदाश्त कर सकता है जिसे जिम्मेदारी रखना है । फिर यह कहा जाय कि गवर्नमेंट इंएफीशियेंट, करप्टेड और बैकरप्ट है, जो ऐसे करप्टेड आफिसर्स को पनाह दे, यदि कोई गवर्नमेंट ऐसा करे तो उससे ज्यादा इंएफीशियेंट, करप्टेड और बैकरप्ट गवर्नमेंट दुनिया मे नहीं हो सकती है ।

इसलिये मुझे खेद है कि यहां पर इस मामले को लाया गया । मै तो यह भी कहना चाहता हूं कि जो और बाते कही जाती है कि गवर्नमेंट ने पब्लिक सर्विस कमीशन की बात नही मानी तो लोगो को जानना चाहिये कि पब्लिक सर्विस कमीशन तो एक एडवायजरी बाडी है और गवर्न-मेंट हर अप्वाटमेंट के लिये जिम्मेदार है । हम एक्सप्लेन कर सकते है । मगर पब्लिक सर्विस कमीशन की बात मानी जाती है मगर जहां तक हमारी जिम्मेदारी है सिर्फ उतना देख लेते है । आप देखेंगे कि १,००० मामलो में ५--१० मामले ऐसे होंगे जिनमें पब्लिक सर्विस कमीशन की राय नहीं मानी गयी होगी और ९९०-९९५ मामले ऐसे होते है जिनमें पब्लिक सर्विस कमीशन की राय मानी जाती है । पब्लिक सर्विस कमीशन तो एडवायजरी बाडी है

[श्री गोविन्द वल्लभ पन्त]

और जिम्मेदारी हमारे ऊपर रहती है और यदि हम उसको अदा न करें तो उनके लिये, पब्लिक के लिये और कांस्टीट्यूशन के लिये इंसाफ नहीं होगा। लिहाजा ऐसी बातें कहना कि गवर्नमेंट करप्ट है, इंएफीशियेंट है, मैं उम्मीद करता हूं कि आयन्दा यह बातें दोहरायी नहीं जायंगी।

जहां तक इस मामले का ताल्लुक है इसमें दो रायें नहीं हो सकती हैं कि जिस ढंग से यह बात रखी गयी है वह ढंग गलत था, उससे नतीजा गलत निकलता था उससे लोगों पर इम्प्रेशन गलत पड़ता था। किसी चीज को कोट करें "आल मैन आर गुड, बट सम आर विकेड" इसमें से ऊपर का छोड़ कर सिर्फ कह दूं "आल आर विकेड" तो उससे कोई सही नतीजा नहीं निकलता। इस तरह से इसमें जो कोटेशन दिया गया है पर्वर्शन है। इसमें प्रिविलेज का सवाल उठ सकता है, लेकिन मैं ज्यादा इन बातों में जाना नहीं चाहता। हमारी जो कार्यवाही हो वह सुघड़ ढंग से हो और जो कुछ गलती हुई हो उसे मान लें कि गल्ती हुई। गलत होने की वजह से उसको प्रोसीडिंग्स में से निकाल दिया जाय। इतना ही मुझे कहना है।

(श्री मदन मोहन उपाध्याय के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—फैक्ट्स पर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं। मैं इस वक्त वादविवाद की इजाजत देने वाला नहीं हूं। इस केस पर प्रकाश डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—फैक्ट्स के बारे में भी कहना चाहता हूं और माननीय राजनारायण जी का जो संशोधित व्याख्यान आपके सामने पेश हुआ है उसमें कुछ सफाई कर देना चाहता था।

श्री अध्यक्ष—अच्छा करिये।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय राजनारायण जी का संशोधित भाषण जो आपके सामने पहुंचा है उससे जो मतलब इस सदन में लगाया जाता है वह "में" पर जोर है। उन्होंने कहा है "इस फैसले में दिया है" एक तो मतलब यह कन्वे करता है माननीय स्वशासन मंत्री जी ने कहा "फैसला दिया है" एक मतलब यह कन्वे करता है। लेकिन माननीय राजनारायण जी ने कहा "फैसले में दिया है"। तो एक वक्ता की हैसियत से जिस तरहै से एक केस अदालत के सामने रक्खा जाता है तो एक तरफ का वकील तो अपने तमाम गुड प्वाइण्ट्स को जिससे दूसरा पक्ष ढीला पड़ता है उनको सामने रखता है और दूसरी तरफ का वकील अगर देखता है कि उसमें कुछ गलती है और उनका इन्टरप्रिटेशन गलत हो रहा है तो उनकी सफाई कर देता है ताकि जजों के सामने मामला साफ आ जाता है। माननीय स्वशासन मंत्री उस दिन जब जवाब दे रहे थे अगर कुछ गलतफहमी इस सदन के सामने पैदा हो गई थी उनके भाषण से, उनके कोटेशन से तो माननीय मंत्री जी उसी दिन उसकी सफाई कर सकते थे। माननीय विरोधी दल के नेता राजनारायण जी ने कोई मिसकोट नहीं किया है जैसा कि माननीय स्वशासन मंत्री कहते हैं। उन्होंने इसी फैसले से जो कुछ उस फैसले में लिखा हुआ था, उन शब्दों को ही इस सदन के सामने रक्खा। यह हो सकता है कि उसका और भी इंटरप्रिटेशन हो और माननीय सदन के सदस्यों को ऐसा मालूम हुआ हो कि यह गवर्नमेंट करप्ट है, इनएफि - शियेंट है, ऐसा जज लोगों ने कहा है। माननीय राजनारायण जी ने साफ कर दिया है कि मैंने जजों के मुंह में यह बातें नहीं रक्खीं। उनके जजमेंट में ही ऐसा इंटरप्रीट किया गया है। मैं समझता हूं कि जब माननीय स्वशासन मंत्री ने देखा कि उसका इंटरप्रिटेशन गलत हो गया है वह उनके आज के भाषण से पूरा हो गया है, सफाई उनकी आ गई है।

जब कोई प्रोसीडिंग्स को पढ़ेगा तो उसमें वह देख सकता है कि जो कोटेशन माननीय राजनारायण जी ने दिया उस कोटेशन के ये मानी नहीं थे लेकिन ये मानी थे और यह जनता फैसला करेगी कि क्या मानी थे ?

सवाल यह है कि जब सदन के सामने भाषण की बात आती है तो मैं आपका ध्यान नियम १८२ की ओर आकर्षित करता हूं।

Rules to be observed while speaking and Answering question.

(1) The matter of every speech must be strictly relevant to the matter before the Assembly.

(2) A member while speaking or answering a question shall not—

(i) express any opinion or make any comment on any matter of act on which a judicial decision is pending;

(ii) make a personal charge against a member;

(iii) use offensive expressions about the conduct or proceedings of the Parliament or the Legislature of any State;

(iv) reflect on any decision of the House except on a motion for rescinding it;

(v) reflect upon the conduct of the President or any Governor or any Court of Justice.

(vi) utter treasonable or defamatory words but he may, with the permission of the Speaker, quote them for the purposes of his argument; or

(vii) use his right of speech for the purpose of obstructing the business of the Assembly.

[बोलते तथा प्रश्नों का उत्तर देते समय पालनीय नियम]

(१) प्रत्येक भाषण का विषय सभा के समक्ष विषय से सर्वथा सुसंगत होना चाहिये।

(२) बोलते तथा प्रश्न का उत्तर देते समय कोई सदस्य—

(क) किसी ऐसे वास्तविक तथ्य पर, जो न्यायालय के विचारधीन हो, कोई विचार प्रकट न करेगा और न कोई आलोचना करेगा,

(ख) किसी सदस्य पर व्यक्तिगत आरोप नहीं लगायेगा,

(ग) संसद या किसी राज्य के विधान मंडल के व्यवहार या कार्य के विषय में अशिष्ट भाषा का प्रयोग नहीं करेगा,

(घ) सदन के विनिश्चय की, ऐसे अवसर को छोड़ कर जब उसके निरसन का प्रस्ताव विचाराधीन हो, आलोचना नहीं करेगा,

[श्री मदन मोहन उपाध्याय]

(ङ) राष्ट्रपति, किसी राज्यपाल अथवा किसी न्यायालय के आचरण पर आक्षेप नहीं करेगा,

(च) राज-द्रोहात्मक या अपमानजनक शब्दों का प्रयोग नहीं करेगा, किन्तु वह अध्यक्ष की अनुमति से अपने तर्क के प्रयोजन के लिये उनको उद्धृत कर सकता है, या

(छ) सभा की कार्यवाही में बाधा डालने के प्रयोजन से अपने भाषण के अधिकार का प्रयोग न करेगा।]

उनमें से कोई ऐसी चीज नहीं आती जिसमें माननीय राजनारायण जी को इस सदन के सामने कोट करने का अधिकार न हो। उसका इन्टरप्रिटेशन कुछ हो सकता है। इस बात को मैं मानता हूं कि उसका इन्टरप्रिटेशन गलत हो सकता है।

लेकिन कोई भी इस सदन के सामने अपने इन्टरप्रिटेशन को जैसा वह ठीक समझता है उसको वह रख सकता है....

श्री अध्यक्ष--उसमें तो यह भी है कि "with the permission of the speaker" अब प्रश्न यह है कि अगर डिफमेटरी है या ट्रीजनेबिल है तो स्पीकर जब तक उसको पूरा पढ़े नहीं वह कैसे जज कर सकता है। अगर यह मालूम होता कि पूरा कोटेशन यह है तब तो स्पीकर इस पोजीशन में हो सकता था और यह समझ सकता था कि क्या चीज सही है। आधा कोटेशन सुनने पर स्पीकर निश्चय नहीं कर सकता है वह अलाउ करेगा। इसलिये एक्सपंज करना चाहिये या नहीं यह सवाल अब भी वैसे ही कायम रहता है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय--मैं समझता हूं कि यह न तो ट्रीजनेबिल है और न डिफमेटरी है। माननीय मंत्री जी उस वक्त एतराज कर सकते थे कि आप यह क्या कोट कर रहे हैं कि यह डिफमेटरी है। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। इसलिये न तो यह ट्रीजनेबिल है और न यह डिफमेटरी है। राजनारायण जी ने हाईकोर्ट के एक फैसले का कोटेशन दिया और उसमें इस सदन के सामने करेप्ट शब्द को कोट किया। उस फैसले का पूरा रूप कोट नहीं किया है। माननीय मुख्य मंत्री ने इस वक्त जो उनके खिलाफ यह सब बातें बतलाई हम भी उसको उसी प्रकार से कंडेम करते हैं बल्कि उससे भी ज्यादा कड़े शब्दों में उसको कंडेम करते हैं और अगर कोई भी सरकार ऐसे आदमी को अपनी सर्विस में रखती है तो उसको भी कंडेम किया जायगा। इससे हम सहमत हैं। लेकिन इस किताब के अन्दर जब हमने पढ़ा कि डा० पट्टाभि सीतारमैया और बाबू पुरुषोत्तमदास टंडन ने उनकी काफी तारीफ लिखी है। तो इसको पढ़ने से यह, भावना हो सकती है कि वह आदमी अच्छा आदमी था, जनता का सेवक था। इस प्रकार की भावना हमारी उस किताब को पढ़कर हुई। अभी उनकी जो बातें माननीय मुख्य मंत्री ने बतलाई हमको इनका जरा भी ज्ञान नहीं था। अगर वह ऐसे आदमी थे तो हम उनको कंडेम करने के लिये तैयार हैं। हमारे माननीय कांग्रेस के नेताओं ने जो उनके बारे में तारीफ लिखी उससे हमारा इस प्रकार का इम्प्रैशन हुआ था। मेरा मतलब कहने का यह है कि इसका अधिकार तो आपको है और जो आप ठीक समझेंगे वह करेंगे लेकिन मैं सिर्फ यह कहता हूं कि अगर यह चीज हो जाती है कि कोटेशन पेश करने का अधिकार चाहे वह राइट हो या रांग तो फिर यह एक बहुत बड़ा अधिकार ले लिया जाता है।

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त--रांग का अधिकार नहीं है।

श्री मदन मोहन उपाध्याय--हां, गलत बात को नहीं कहा जा सकता है मगर राजनारायण जी ने इन शब्दों को जो कोट किया वह उसी इम्प्रैशन के आधार पर किया जोकि इस किताब को पढ़ने से किसी का भी हो सकता है। वह इस सदन के सामने अपनी

पिक्चर को रख रहे थे कि यह सरकार इस प्रकार की है। दूसरा दल होशियार रहता है और अगर उस समय राजनारायण जी इस बात को कह रहे थे तो माननीय स्वशासन मंत्री के पास यह फैसला होना चाहिये था और उनको इस बात का पूरा अधिकार था कि वह सफाई करते कि यह इस प्रकार का इन्टरप्रिटेशन नही है कि जो बातें इस तरह से इधर से कही जा रही थीं। यह अगर एक्सपंज करने के लायक शब्द हैं तो इसका पूरा अधिकार स्पीकर को है लेकिन यह हमारे सदन के माननीय सदस्यो का अधिकार है कि वह किसी कोटेशन को यहां पर ले आयें। इसलिये मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि बहुत कुछ हो गया और इस सफाई होने के बाद यह चीज समाप्त हो जाय।

श्री अध्यक्ष—अभी इस प्रश्न के ऊपर कि उस वक्त माननीय राजनारायण जी ने क्या कहा इसके ऊपर प्रकाश डाला गया। आगे कोई स्पीच देने की आवश्यकता नही है। मै इसके विषय में निश्चय करूंगा और कल वह सदन के सामने पेश करूंगा। मैं एक बात स्पष्ट अवश्य कर देना चाहता हूं और वह यह है कि कहा यह गया कि उसी वक्त क्यो नही टोका गया और क्यो जजमेंट नही पढ़ा गया। मैंने कई बार यहां इस सदन में कहा कि माननीय सदस्य यहां एक दूसरे पर विश्वास करें, अगर किसी सदस्य ने कह दिया कि यह बात ऐसी हुई तो उस पर दूसरो को विश्वास करना चाहिये, यह यहां का नियम रहा है मगर माननीय सदस्यो से यह उम्मीद की जाती है कि सदन की प्रतिष्ठा के लिये जो कोई भी कोटेशन दी जायगी वह सही दी जायगी, इसलिये माननीय स्वशासन मंत्री जी के लिये उस समय यह संभावना नही थी कि वह यह समझें कि उन्होने उसे आधा पढ़ा है या पूरा पढ़ा है, वैसे मेरे इजाजत देने से पहले मुझे शंका होती तो मैं ही उन से किताब पूरी पढ़ने के लिये मांग लेता लेकिन उस रोज मैं इस भ्रम में था कि जिस उद्देश्य से वह पढ़ रहे है और जिस अर्थ में वह पेश करना चाहते हैं उसी के सबूत मे वह उद्धरण पेश करना चाहते हैं, इसी दृष्टि से मैंने विश्वास किया। बाद में माननीय स्वशासन मंत्री जी ने पूरा जजमेंट पढ़ा, इसलिये वह उस समय नही रोक पाये। फिर मैंने आजका समय दिया। नियम यह है कि उसी वक्त टोकना चाहिये था, उस नियम का पालन नहीं हो पाया लेकिन सदन विश्वास के ऊपर चलता है और सदन ने उस समय विश्वास किया। पहली मर्तबा ही यह चीज सामने आई थी इसलिये उन्होने विश्वास किया। मैंने भी जरूरी समझा कि देर होने पर भी चूंकि यह महत्व का प्रश्न है और इस की सफाई होना जरूरी है और इसलिये भी कि आइन्दा ऐसी गलती न हो मैंने इसको सदन के सामने रखा है। जो प्रकाश आज इस प्रश्न पर डाला गया है उस को देखते हुये, इस मे कौन से शब्द होने चाहिये, कुछ हटाने की आवश्यकता है या नही या उस में किस प्रकार के संशोधन की आवश्यकता है, इस सब पर विचार कर के मैं कल फैसला दूंगा।

श्री राजनारायण—अध्यक्ष महोदय, मै अधिक समय नहीं लेना चाहता लेकिन आप के द्वारा माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जब उन्होंने श्री ओम प्रकाश गुप्त के केस का वर्णन किया है तो हम चाहते है कि उस संबंध में जितनी कार्यवाही हुई है वह सब सदन के सामने रखी जाय। जितने ओम प्रकाश गुप्त के पत्र आये है और गवर्नमेंट से उन को गये है वह सब सदन के सामने आवें क्योंकि माननीय मुख्य मंत्री जी ने सब बातें जो बृटिश गवर्नमेंट की रिजीम की थीं····

श्री अध्यक्ष—यह जो आप की प्रार्थना है उस के संबंध में मैं यही कहूंगा कि तरीका इस का यही रहा है कि आप अगर चाहें तो पार्टी की तरफ से माननीय मुख्य मंत्री से परामर्श करके इसका इंतजाम कर सकते है लेकिन इस सिलसिले में चूंकि इस वक्त केवल यही प्रश्न है कि कोई हिस्सा कार्यवाही का एक्सपंज हो या न हो इसलिये मैं अब इजाजत नहीं दूंगा कि इस संबंध में आगे कोई और चर्चा हो। यदि आप उचित समझें तो नेता सदन से परामर्श कर के समय ले सकते है।

*उत्तर प्रदेश म्यूनिसिपैलिटीज (संशोधन) विधेयक, १९५२ खंड ९ † (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष—अब उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (संशोधन) विधेयक, १९५२ पर जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद द्वारा पारित हुआ है, विचार जारी रहेगा।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—अध्यक्ष महोदय, माननीय [illegible] मंत्री जी ने अपने जवाब में केवल यही कहा कि इस विषय में वह किसी और संशोधन के भाषण में कह चुके हैं इसलिये उन्हें ज्यादा कहना नहीं है। इसलिये मैं यह चाहता था कि यहां पर "indirect proportion of the population" रख दिया जाय]। जितनी शहर की सीट है उसके डायरेक्ट प्रोपोरशन में इतनी ही सीट्स मिलना चाहिये।

स्वशासन मंत्री (श्री मोहनलाल गौतम)—मैं इस संशोधन के अस्वीकार करने के कारण पहले ही सदन को बता चुका हूं और मुझे यह स्वीकार नहीं है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ९ में प्रस्तावित धारा 11-A की उपधारा (२) की पंक्ति ३ व ४ में शब्द "as far as possible be in the same" के स्थान पर शब्द "be in direct" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन उपस्थित करना चाहता हूं।

खंड ९ में प्रस्तावित नयी धारा 11-A की उपधारा (२) की अंतिम पंक्ति में शब्द "and" के स्थान पर शब्द "be to" रख दिये जायं।

श्रीमन्, नयी धारा 11-A की उपधारा (२) इस प्रकार है—

"The representation of each ward shall be on the basis of population of that ward as ascertained at the last census and shall as far as possible be in the same proportion as the total number of seats for the municipality and its population"

यहां पर 'and' शब्द का प्रयोग किया गया है और वह उस मतलब को साफ नहीं करता जो कि माननीय मंत्री जी का तात्पर्य है। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री जी इस संशोधन को स्वीकार करेंगे।

श्री मोहनलाल गौतम—जो अमेंडिंग बिल का ड्राफ्ट है वही बिलकुल ठीक है। मैं इस संशोधन को नहीं स्वीकार करता। मुझे अफसोस है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—मैं कुछ नहीं कहना चाहता।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ९ में प्रस्तावित नयी धारा 11—A की उपधारा (२) की अंतिम पंक्ति में शब्द "and" के स्थान पर शब्द "be to" रख दिये जावें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव पेश करना

---

* सम्पूर्ण विधेयक २ दिसम्बर, १९५२ की कार्यवाही में छपा है।

† खंड ९, १५ दिसम्बर, १९५२ की कार्यवाही में छपा है।

चाहता हूं कि खंड ९ में प्रस्तावित नयी धारा 11--B की उपधारा (१) के भाग (a) मे निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक वाक्य जोड़ दिया जाय--

" Provided that the division into wards shall be made after consultation with the Board concerned, which will be on the basis of its populations so as to secure as far as possible an equal number of electors in them "

श्रीमन्, मै यह समझता हूं कि डाइरेक्टर आफ एलेक्शन्स के लिये या किसी भी सरकारी अधिकारी के लिये यह जानना मुश्किल ही नहीं बल्कि असंभव सा है कि वह प्रान्त भर की सारी म्युनिसिपैलिटियो के चुनाव के बारे में यहीं से यह जान ले कि किस म्युनीसिपैलिटी में किस प्रकार से वार्ड का वितरण होगा, कौन-कौन से मोहल्ले किस वार्ड में होगे। ४-५ अफ़सरों को किसी एक मोहल्ले के बारे में ज्ञान हो सकता है। लेकिन यह संभव नही है कि प्रांत भर की सारी म्युनिसिपैलिटियो की इन बातों को देखकर कि वहां हरिजनो के लिये कितनी सीटें हैं, वहां की जनसंख्या क्या है, एक ही अफसर लखनऊ मे बैठा यह सब फैसला कर सके। यह अत्यंत आवश्यक है कि जहां के वार्डों की निर्धारणा करनी है वहां के बोर्ड से जरूर परामर्श लिया जाय।

इसलिये श्रीमन्, म चाहता हूं कि इस विधेयक मे यह स्पष्ट कर दिया जाय कि जो वार्ड बनाने का काम होगा वह बिना संबंधित नगरपालिका की राय के न हो सकेगा। श्रीमन्, मै आपकी आज्ञा से माननीय मंत्री जी को पुराने ऐक्ट की तत्संबंधी धारा दिखाना चाहता हूं। पुराने एक्ट मे इस प्रकार की व्यवस्था हुई है। अगर माननीय मंत्री जी मूल अधिनियम की धारा ११ (१) का प्रतिबंध देखे तो उनको मालूम होगा कि उसमे यह लिखा हुआ है--

"Provided that the division into wards shall be made after consultation with the board, on the basis of the population of the Municipality so as to secure, as far as posible, an equal number of electors in them "

श्रीमन् इससे यह स्पष्ट होता है कि कि मूल अधिनियम मे भी यह बात आश्वयक समझी गयी थी और वह जब कि बालिग मताधिकार का सिद्धांत भी स्वीकार नही किया गया था और जब कि इलेक्टर्स संख्या मे बहुत कम थे, उस समय भी इस बात को आवश्यक समझा गया कि नगरपालिका से राय लेकर इस बात को किया जाय तो मैं समझता हूं कि अब मतदाताओं की संख्या बढ़ जाने के बाद यह ओर भी अधिक आवश्यक हो गया है और भविष्य में और भी बहुत सी नगरपालिकाये बनेगी यह आवश्यक है। माननीय मंत्री जी मेरी बात पर ध्यान देंगे तो अच्छा होगा। श्रीमन्, जब कि नगरपालिकाओं की संख्या बढ़ रही है और वोटर्स की भी संख्या बढ़ रही है तो माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर जाना आवश्यक है कि म्युनिसिपल बोर्ड्स की राय लेकर वार्ड्स का निर्धारण किया जाय। अगर माननीय मंत्री ने इस चीज़ को बिलकुल ही रिजेक्ट कर दिया होता तो म इस प्रश्न को बिल्कुल ही न उठाता, लेकिन आगे चल कर वे स्वयं इस बात को बतलाते है कि वार्ड्स बना कर म्युनिसिपैलिटीज़ की राय के लिये भेजे जायेंगे इसी मे आगे चल कर यह लिखा गया है। धारा ११ की उपधारा (२) इस प्रकार है--

" (2) The draft of the Order under sub-section (1) be published for objections for a period of not less then 15 days and a copy of the same shall be sent to the board or boards concerned for comments. "

इसके अतिरिक्त उपधारा (३) इस प्रकार है--

" (3) The State Government shall consider any objections and the comments filed under sub-section (2) and the draft Order shall, if necessary, be amended, altered or modified accordingly and thereupon it shall become final. "

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

श्रीमन्, माननीय मन्त्री जी ने यह लिखा है कि म्युनिसिपल बोर्ड्स की राय ली जायगी लेकिन जब उपधारा (१) के अनुसार आर्डर निकल जायगा तो कमेंट्स के लिये एक नकल भेजी जायगी, बोर्ड उस पर राय देगा। इसलिये म चाहता हूं कि मंत्री जी प्रोसेस का सिम्प्लीफिकेशन करे और जो तरीका रखा गया है उसको सरल बनायें तो मैं समझता हूं कि ज्यादा बात होगी बजाय इसके कि पहले लखनऊ मे बैठकर कुछ अधिकारी वार्ड्स का वितरण कर दें और फिर आर्डर बांधा जाकर वह राय के लिये भेजा जाय। म समझता हूं कि यह उल्टा तरीका होगा अगर इसके बजाय यह रखा जाय कि पहले म्युनिसिपैलिटीज़ की राय मांग ली जाय फिर यहां से तय कर दिया जाय तो सारी दिक्कते ही खत्म हो जायेगी। इसलिये मे माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि बजाय इसके कि वे पहले आर्डर बनाये और उसके बाद नकल भेजकर म्युनिसिपैलिटीज़ से उस पर कमेंट्स मागे, आब्जेक्शन्स मांगे इसके बजाय यह ठीक होगा। बोर्ड से राय लेने के बाद वह वार्ड निर्धारण करे। उसके बाद १५ दिन का जो कहने का मंशा है उसके बाद आब्जेक्शंस लाने के बाद उसको फाइनल करे। म समझता हूं कि यह जो तरीका है वह प्रजातांत्रिक है और नगरपालिकाओ को सुविधा भी देने वाला है। तो इसलिये मैं इसको अत्यन्त ही आवश्यक समझता हूं। साथ ही जैसा कि मैंने अपने संशोधन मे रखा है--

"so as to secure as far as possible an equal number of electors in them."

तो जहां तक सम्भव हो सके श्रीमन्, उसमे समान रूप से मतदाता आ सके। ऐसा न हो कि किसी वार्ड मे तो एक हजार वोटर्स हो और किसी वार्ड मे १२ हजार वोटर्स हो। तो म समझता हूं कि आप मेरे इस संशोधन को स्वीकार कर लेगे तो वार्ड्स के निर्धारण मे आसानी हो जायगी। ऐसा न हो कि कोई वार्ड बड़ा हो जाय और वहां मतदाताओं की संख्या कम हो। एक बात और हो सकती है श्रीमन्, मान लीजिये किसी वार्ड से हम ५ मेम्बर चुनना चाहते हैं और दूसरे वार्ड से ४ मेम्बर चुनना चाहते हैं। तो जहां से ५ प्रतिनिधि चुनना चाहते हैं वहां तो मतदाताओं की संख्या ५ हजार हो और जहां से ४ प्रतिनिधि चुनना चाहते हैं उस वार्ड मे मतदाताओं की संख्या हो जाय ६ हजार। इसलिये ऐसा हो सकता है जब तक कि स्पष्टीकरण न हो। तो यह दिखलाने के लिये कि समान मतदाताओं की सख्या के अनुपात से समान प्रतिनिधियो का चुनाव हो सकेगा नगरपालिकाओं के चुनाव सम्बन्धी इस विधेयक मे स्पष्ट कर दिया जाना, मैं अनिवार्य समझता हूं। मे आशा करता हू कि माननीय स्वशासन मंत्री जी इसको उद्घोषित करेगे और अन्ततोगत्वा इसे कार्यान्वित भी करेगे। यह बहुत ही आवश्यक है।

"Which will be on the basis of its populations so as to secure as far as possible an equal number of electors in them"

तो यह नगरपालिकाओं के उन वार्ड्स क मतदाताओं की संख्या और उनक प्रतिनिधियो की संख्या मे जो अनुपात हो उस अनुपात से अलग-अलग चुनाव कराने के लिये तथा तारतम्य मे जो असमानता है वह न हो, इस सिद्धान्त के प्रतिपादन करने के हेतु ही मैंने संशोधन रखा है। और यह संशोधन कोई नया नहीं है, जो मै कोई ग़लती कर रहा हूं। श्रीमन्, जो पुराना विधेयक है उसी से उद्धृत करके यह रखा गया है, चूंकि मे समझता हूं यह बहुत आवश्यक है। तो मे आपके द्वारा माननीय स्वशासन मंत्री जी से विनम्र निवेदन करता हूं कि वे इसको स्वीकार करे चूंकि यह उसी सिद्धान्त के कायल है।

श्री मोहनलाल गौतम--माननीय अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन माननीय नारायण दत्त जी तिवारी ने पेश किये है उसके दो भाग है। एक यह है कि बोर्डो से पहले सलाह ले ली जाय वार्ड्स के बनाने मे और दूसरा यह है कि हर वार्ड मे बराबर संख्या वोटरों

की हो। इन दोनो चीजों पर बहस करते-करते माननीय नारायणदत्त जी शायद जोश मे, या गलत इम्प्रेशन इस अमेंडमेंट का देने के लिये, यह तो मैं नही कह सकता कि क्या चीज है, एक बात कह गये कि हो सकता है कि ५ हजार वोटर्स हो और ५ सीट्स हो और जहां ४ सीट्स हो वहां ६ हजार वोटर्स हो। इस तरह की चीज इस अमेंडमेंट के पास हो जाने के बाद सम्भव न होगी। मैं फिर माननीय नारायणदत्त जी का ध्यान ११ ए (२) की तरफ दिलाना चाहता हूं।

"(2) The representation of each ward shall be on the basis of population of that ward as ascertained at the last census and shall as far as possible be in the same proportion as the total number of seats for the municipality and its population"

जिसको हम अभी पारित कर चुके हैं। इस तरह से यह सम्भव नही है कि ५ हजार वोटर्स पर तो ५ सीट्स हों और जहां ४ सीट्स हो वहां ६ हजार वोटर्स हो। ऐसा तो नही है। जितना मतलब मैं इस दूसरे हिस्से का समझा वह यह था कि हर वार्ड के कुल नम्बर आफ एलेक्टर्स और हर वार्ड्स की सीट्स इस तरह से हो कि हर हालत मे बिल्कुल बराबर हो जांय। यानी अगर २५ सीटे हैं तो पांच वार्ड्स ही बनें और इस तरह से पांच-पांच सीटों के लिये पाच वार्ड्स बनाई जाय। न इससे कम हो सकती हैं और न इससे ज्यादा क्योकि उससे ज्यादा पर वह विभाजित नही हो सकती। या तो फिर एक-एक सीट के लिये २५ वार्ड्स बनाये जाय या फिर पाच-पांच सीट्स के पांच वार्ड्स बनाये जायं। क्योकि इससे ज्यादा या कम में फिर डिस्ट्रीब्यूशन ईक्वल हो नहीं सकता। और जैसा इसमे है उसके हिसाब से ऐज़ फार ऐज़ पासिबिल से मतलब है कि जहां तक पापलेशन की बेसिस पर सम्भव होगा एक मेम्बर को चुनने के लिये जितने वोटर्स एक वार्ड मे होगे उतनी ही दूसरे मेम्बर को चुनने के लिये होगी, थोड़ा बहुत फर्क हो तो दूसरी बात है लेकिन हजार पाच सौ का फर्क न होगा ऐसा ख्याल है। लेकिन आपके संशोधन से इस बात मे बहुत कठिनाई हो सकती है। दूसरे सवाल का जहां तक सम्बन्ध है उस सिलसिले मे मुझे तो भ्रम नहीं है कई बार यहा दुहराई जा चुकी है उसके बारे मे यह भी शिकायत थी कि सुनते नही है लेकिन यह इतनी बार दुहराई जा चुकी है कि सब लोग उसको समझते है और मेरे दिमाग मे भी कोई भ्रम नहीं है। यहां बैठा हुआ कोई आदमी वार्ड्स नहीं बना सकता यह बिल्कुल सही है और कायदा भी यही होगा कि पहले बोर्ड्स से सजेशंस मांगे जायंगे। बोर्ड्स के सजेशंस के पश्चात् ही वार्ड्स बनाये जा सकते है। श्री नारायणदत्त तिवारी जी का जो संशोधन है उसमें बोर्ड्स के अधिकार को छीना गया है। हम तो पहले सजेशन्स मांगेगे उसके बाद फाइनलाइज़ करने के पहले उनको भेजेंगे और उनको अधिकार होगा कि वे कहें कि यहां ग़लतियां है लेकिन उनके हिसाब से तो एक मर्तबे सजेशंस दे देने के बाद बोर्ड्स को कोई अधिकार नहीं रहेगा। हमारे से तो गवर्नमेंट को जो सजेशंस बोर्ड्स के आयंगे उनको फायनलाइज़ करने के पहले विचार करना पड़ेगा। हम तो इतना एलेबोरेट अरेंजमेंट चाहते है और बोर्ड्स को इतना पूरा अधिकार देना चाहते है कि जब वार्ड्स बनाये जायं तब पहले उनके पास उनको भेजे और उसके बाद जो आबजेक्शंस आयेंगे उन पर विचार करना पड़ेगा लेकिन आप चाहते है कि बोर्ड को फायनल करने के पहले कोई दखल न हो सिर्फ सजेशंस आ जायं फिर चाहे सरकार उन पर विचार करे या न करें जो चाहे सो करे उनको आब्जेक्शंस करने का भी अधिकार न हो। इसलिये यह बहुत सोच विचार कर रखा गया है कि बोर्ड्स से जो सलाह आयेगी उसके बिना तो वार्ड्स का बनाना मुश्किल है उसके अनुसार वार्ड्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा और उनके बनने के बाद फायनल होने के पहले उनसे सलाह ली जायगी। आपका संशोधन इन दोनों चीजों को इम्प्रूव नहीं करता है बल्कि उसमे और डिफ़ीकल्टीज़ पैदा करता है।

[श्री मोहनलाल गौतम]

इन शब्दों के साथ मुझे अफसोस है कि मैं इनको मंजूर नहीं कर सकता।

श्री नारायण दत्त तिवारी--श्रीमन् माननीय मंत्री जी के भाषण को सुनने के बाद जो मुझे भ्रम था कि माननीय मंत्री जी ने मुझे सुनने की कृपा नहीं की वह स्पष्ट हो गया। मुझे यह कहते हुए बड़ा दुःख है कि माननीय मंत्री जी ने ध्यानपूर्वक मेरे निवेदन को सुनने की कृपा नहीं की।

माननीय मंत्री जी ने इस बात को दो बार दोहराया कि अगर हमारे संशोधन को वह स्वीकार करते हैं तो बोर्डों की ताकतें खत्म हो जाती हैं। मैंने कहीं भी यह नहीं कहा है, मेरे संशोधन आगे भी है, उनमें कहीं पर भी नहीं है कि ११ (बी) की २ और ३ उपधाराएं डिलीट कर दी जायं। अगर मेरा संशोधन कोई ऐसा होता कि उक्त उपधाराओं को खत्म कर दिया तब मंत्री जी कह सकते थे कि बोर्ड की ताकतें खत्म हो जायंगीं। आब्जेक्शंस और कमेंट्स के बारे में मैंने अभी कहा, मेरी रिपोर्ट में देख लिया जाय मैंने अभी यह स्पष्ट कहा कि आब्जेक्शंस और कमेंट्स आप रहने दें। मेरे प्रश्न का अब भी माननीय मंत्री जी ने जवाब नहीं दिया। मैं यह कहना चहता था कि बिना हर एक शहर की स्थिति को जाने किस प्रकार उस स्टेट गवर्नमेंट के कोई अधिकारी, क्यों कोई अधिकारी ही करेंगे, डाइरेक्टर आफ इलेक्शंस बनाये जायेंगे वह करेंगे या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के उच्चाधिकारी करेंगे। बिना म्युनिसिपिल बोर्ड की राय के आप सही और ठीक आर्डर निकाल ही नहीं सकते हैं। यह आवश्यक है कि वह सही निर्धारण के लिए धारा ११ (१) (ए) के अनुसार वार्डों के डिवीजन की, फार दि परपजेज आफ एलेक्शन वह वार्डों की सूचना को जानने के लिए म्युनिसिपैलिटीज से सलाह ले। और म्यूनिसिपैलिटीज की सलाह के बाद जो परिवर्तित आज्ञा हो उसको नगरपालिका के पास भेजा जाय।

माननीय मंत्री जी ने एक चीज कोट ही नहीं की। मैं उसके लिए उनको धन्यवाद देना चाहता था। वह यह है--

"11-C The State Government may. after consulting the board concerned, by a subsequent Order, alter or mend the final Order under sub-section (3) of section 11-B"

"आफ्टर कंसल्टिंग दि बोर्ड कंसर्न्ड" यह आपने रखा है। तो ११ (सी) में आप कंसल्ट करते हैं। पहली स्टेज में आप कंसल्ट न करें और आखिरी स्टेज में कंसल्ट करें यह मेरी समझ में नहीं आता। जब बहुत बीमार हो जाय तभी आप डाक्टर को बुलाएं और, अगर प्रारम्भिक दशा में डाक्टर को बुला लें तो क्या बुरा है। बजाय इसके कि मर्ज बहुत बढ़ जाय तब आप डाक्टर को बुलाएं, आप प्रारम्भिक स्टेज में ही डाक्टर को बुला कर मर्ज को खत्म कर दें। तो अंत में आप बोर्ड से सलाह लेते हैं, बीच में सलाह लेते हैं, लेकिन शुरू में सलाह नहीं ले रहे हैं। यह मेरी समझ में नहीं आता। उसके बाद माननीय मंत्री जी ने जो दलील दी उससे मैं बहुत प्रभावित नहीं हुआ। मेरे पास कोई सूचनाएं नहीं हैं और मैं तो इस की कल्पना भी नहीं कर सकता कि माननीय मंत्री जी म्यूनिसिपैलिटियों से पत्र-व्यवहार करें और म्यूनिसिपैलिटियां उसका जवाब न दें। माननीय मंत्री जी ने कहा कि अगर हम बोर्ड्स से पूछें कि आपके यहां कौन कौन से वार्ड बने और वह राय पूछने पर जवाब ही न दें तो क्या होगा? श्रीमन् मैं इतनी कल्पना नहीं कर सकता मुझे इस बात का पूरा पूरा विश्वास है कि चुनाव के बारे में जैसे ही वार्डों के बारे में सलाह की बात होगी तो चाहे एक्स्ट्राआर्डिनरी मीटिंग काल करनी पड़े वह तुरन्त अपनी मीटिंग करेंगे और मेरा ख्याल है कि अधिकतर एकमत से वह अपनी राय भेजेंगे

कि कौन कौन वार्ड बनने चाहिए। लेकिन अगर मान लिया जाय कि कोई बोर्ड जवाब ही नहीं देता है सरकार के पूछने पर कि कौन कौन वार्ड्स बनने चाहिए तो माननीय मंत्री जी के हाथ में बहुत कुछ है। रिमूवल, डिजोल्यूशन और सस्पेंड करने का अधिकार तो आपको है ही। आप कर सकते हैं। तो ताकतें आपके पास हैं। आपको दिक्कतें हो सकती है लेकिन उसके मानी यह नहीं है कि आप यह प्रावीजन उसमें न रखें और जो आज तक कार्य प्रणाली है वह न चलने दी जाय। माननीय मंत्री जी हमको बतलाये कि आज तक यह कार्यप्रणाली क्यों असफल रही। अगर किसी म्यूनिसिपैलिटी का बाई एलेक्शन हुआ तो क्या वहा इस कार्य प्रणाली से माननीय मंत्री जी को या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को कोई दिक्कत महसूस हुई। अगर नही हुई तो मै यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब वह आखरी स्टेज में इस बात की गुजायश रखना चाहते है कन्सल्टेशन की, इंटरमिडियेट स्टेज में गुंजायश कंसलटेशन की रखना चाहते ह तो प्रायमरी स्टेज में क्यो नही उसको रखते है। मै इस बात को नही मानता कि असेम्बली या पालिया-मेंट के एलेक्शस हों और एलेक्शन कमीशन बिना सरकार की राय लिये हुए डिलिमिटेशन आफ कांस्टिटयुएंसी कर देगा। जितने एलेक्शन हुए वह एक दम प्रेसीडेंट के आर्डर से नहीं हुए बल्कि उसमें सरकारों की राय ले करके डिलिमिटेशन हुआ। इसके बाद आब्जेक्शंस इंवाइट किये गये। यही प्रोसीज्यर मैने देखा और यह कामनसेंस की बात है कि वही यहां भी होना चाहिये। और माननीय मंत्री जी ने जो ११ (ए) की उपधारा २ पढ़ी उसमें करीब करीब यह आ गया। लेकिन उसमें 'ऐण्ड' शब्द रख देने से यह गड़बड़ आ गयी। "इट्स पापुलेशन" किसके लिये यूज हुआ यह स्पष्ट नहीं होता। वार्ड के लिये हुआ या म्युनिसिपैलिटी के लिये हुआ? अगर यहा "बी टु" रख दिया जाय तो यह गलतफहमी दूर हो जाती, लेकिन "ऐंड इट्स" शब्द तो प्रत्येक वार्ड और म्युनिसिपैलिटी के लिये भी हो सकता है। इसको दूर करने के लिये अगर माननीय मंत्री जी मेरे संशोधन को मान लिये होते तो अच्छा था। मै माननीय अध्यक्ष महोदय, आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप खुद इंटरप्रीट करके माननीय मंत्री जी को बतला दें कि "इट्स" शब्द दोनों के लिये यूज हो सकता है। इसलिये मै समझता हूं कि मेरा संशोधन यहां अत्यन्त आवश्यक है ताकि कोई अस-मानता न रहे। इन शब्दो के साथ मै फिर निवेदन करूंगा कि मेरी बातो को भ्रमवश न देखें और न यह समझें कि मुझे जोश आ गया, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा। हर समय जोश आना बेकार होता है। मैंने तो उन्हें एक उदाहरण दिया था कि अगर कोई ऐसा मामला आ जाय तो माननीय मंत्री क्या करेगे। इसलिये मै यह निवेदन करूंगा कि वह उस पर पुनर्विचार करे और मेरे संशोधन को स्वीकार कर लें।

श्री मोहनलाल गौतम––माननीय अध्यक्ष महोदय, म सब बातें पहले साफ कर चुका हूं और कोई और बात कहने की जरूरत नहीं है। इसलिये मुझे कुछ और बत-लाने की जरूरत नहीं है।

श्री अध्यक्ष––प्रश्न यह है कि खंड ९ में प्रस्तावित नई धारा 11-B की उपधारा (1) के भाग (a) में निम्नलिखित प्रनिबन्धात्मक वाक्य जोड़ दिया जाय––

"Provided that the division into wards shall be made after consultation with the board concerned, which will be on the basis of its populations so as to secure as far as possible an equal number of electors in them "

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री नारायणदत्त तिवारी––श्रीमन् मै आपकी आज्ञा से संशोधन प्रस्तुत करना चाहता हूं कि खंड ९ में प्रस्तावित नयी धारा 11-B की उपधारा (1) के भाग (c) में निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक वाक्य जोड दिया जाय––

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

"Provided that the number of seats so allotted for each ward shall not exceed seven and shall not be less than three."

श्रीमन् यह जो संशोधन है मैं इसे इस विधेयक के लिये अत्यावश्यक समझता हूं, बहुत ही जरूरी समझता हूं। जिस प्रकार माननीय मंत्री जी ने इस विधेयक के द्वारा कम से कम और अधिक से अधिक प्रतिनिधियों की संख्या को २० और ८० से घटा कर १५ और ५० कर दिया है, उसी प्रकार उनके लिये यह भी आवश्यक था कि वह यह स्पष्ट करें कि हर वार्ड मे कम से कम कितने प्रतिनिधि चुने जायंगे और अधिक से अधिक कितने प्रतिनिधि चुने जायंगे। मैं इस बात को मानता हूं कि वार्ड्स कितने होंगे इस बात की संख्या को निर्धारित करने का इस सरकार को अधिकार है। लेकिन जिस प्रकार इस विधेयक में यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि ज्यादा से ज्यादा सदस्य कितने होंगे और कम से कम सदस्य कितने होंगे वैसे ही यह भी स्पष्ट करना आवश्यक है कि वार्ड में कम मे कम कितने सदस्य होंगे और अधिक से अधिक कितने होंगे। कोई माननीय सदस्य यह भी कह सकते है कि कम से कम सदस्य तो एक हो सकता है। मैं इसको भी मानने के लिए तैयार हूं कि कम से कम सदस्य तो एक होता ही है, हो सकता है। लेकिन इसमे हमें यह सोचना है कि क्या कोई ऐसी परिस्थिति नही हो सकती है जिसमें केवल एक ही सदस्य एक वार्ड में न चुना जाय। मैं ऐसा नहीं समझता अगर हो सकता है और माननीय मंत्री जी उसका उदाहरण देंगे तो उसको मैं स्वीकार कर लूंगा और उस समय मैं आपकी आज्ञा चाहूंगा कि जहां तक कि कम से कम जो संख्या रखी है "लेस दैन थ्री" उसको मै हटा लूं। लेकिन फिर भी मै इस बात की आवश्यकता समझता हूं कि कम से कम इस बात को तो स्पष्ट ही कर दिया जाय कि एक वार्ड में अधिक से अधिक कितने सदस्य चुने जायेंगे। इस सम्बन्ध में श्रीमन्, मैंने और भी प्रान्तों की नगरपालिकाओं के सम्बन्ध में जो विधेयक हैं उनको देखने की चेष्टा की। मैं सदन का अधिक समय नहीं नष्ट करना चाहता और मैं यह भी नहीं कहना चाहता कि मध्य प्रान्त या पंजाब में या बम्बई में किस प्रकार वार्ड के सदस्यों की कम से कम और अधिक से अधिक संख्या रखी गई है। लेकिन इतना तो मै जानता हूं कि माननीय मंत्री जी अच्छी तरह जानते है कि प्रत्येक प्रान्त में सम्भवतः इस बात की चेष्टा की गई है और यह निर्धारित कर दिया गया है कि एक वार्ड मे अधिक से अधिक कितने सदस्य होंगे और कम से कम कितने सदस्य होंगे। जहां तक मैंने देखा श्रीमन्, और प्रान्तों की नगरपालिकाओं के विधेयकों में जो चुनाव सम्बन्धी धारायें है उनमें प्रत्येक विधेयक के अन्दर इस प्रकार का प्राविजन है जिसमें बतलाया गया है कि वार्डों में कम से कम और अधिक से अधिक कितने सदस्य होंगे। हमारे इस प्रान्त में भी आज तक जो मूल अधिनियम की जो धारा प्रयुक्त की जाती थी उसमें भी स्पष्टतः इस बात को उद्घोषित कर दिया गया था। मैं आपकी आज्ञा से उस धारा को प्रस्तुत करना चाहता हूं। पुराने मूल अधिनियम की धारा ११ की मूल उपधारा १ इस प्रकार है--

"(1) The Local Government may prescribe by rule in respect of any one or more Municipalities—

(*a*) the division of the municipality into two or more wards, and the number of representatives to be elected for each ward, and

(*b*) the provision to be made for the special representation, among the elected members, of any classes of the community :"

इसका दूसरा प्रतिबन्ध है--

"Provided also that the number of members allotted for each ward shall not exceed seven and shall not be less than three."

तो आज तक हमारे इस प्रान्त में भी म्युनिसिपैलिटीज विधेयक के अन्दर यह स्पष्ट था और विधेयकों ने यह स्पष्ट कर रखा था कि कम से कम और अधिक से अधिक कितने सदस्य होंगे। तो इसलिये मैं अधिक बहस में न जाते हुए लम्बे कोटेशंस न देते हुए और सदन के समय को बचाते हुए माननीय मंत्री जी से केवल इतना ही निवेदन करूंगा कि यह कोई विरोधी पक्ष के विरोध का प्रश्न नहीं है। मैं समझता हूं कि चाहे किसी भी कारण से यह बात रही हो मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि वह इस संशोधन को मान ले।

श्री मोहनलाल गौतम--माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय तिवारी जी ने जो संशोधन इस सदन के सामने रखा है वह वही है जो इस वक्त म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट में है। उसको अच्छी तरह सोच विचार कर बदलने की जरूरत महसूस की गयी है। आज भी इस प्रदेश में ऐसी म्युनिसिपैलिटीज हैं, जहां तक मुझे याद पड़ता है, जहां एक वार्ड से एक मेम्बर चुना जाता है। इस चीज को हम क्यों हटा दें? अगर परिस्थिति की यह मांग हो कि एक सीट का एक वार्ड बनाया जाय तो क्यों न बनाया जाय? अगर दो मेम्बर को एक वार्ड बनाया जा सके तो क्यों न बनाया जाय? तो तीन की कम से कम रखने की यह बात कुछ बहुत इम्प्रवमेंट की बात नहीं है। जहां तक ७ का सम्बन्ध है यह संख्या खुद बखुद काफी मुझे बड़ी मालूम होती है क्योंकि जो अब आगे चुनाव होंगे उनमें अगर एक वार्ड ७ का होगा और तीन चार पार्टियां होंगी, दस पांच आदमी अपने निजी ढंग से खड़े होंगे, तो सात की या जो भी संख्या हो, उसका तिगुना, चौगुना नम्बर उम्मीदवारों का हो जाना स्वाभाविक है। तो २८ उम्मीदवार अगर एक वार्ड से खड़े हों जिसमें कि सात सीट हों, तो मतदाताओं को २८ नाम याद रखना और उनको वोट देना काफी मुश्किल हो जायगा। इसलिये न तीन की संख्या हो और न सात की संख्या हो। यह डाइरेक्टर आफ एलेक्शंस तय करेगा कि कितनी संख्या हो। तीन की जो संख्या है उसमें बहुत डिफिकल्टीज हो सकती हैं। इसलिये न हम तीन रखते हैं और न सात रखते हैं लेकिन इसको डाइरेक्टर आफ एलेक्शंस पर छोड़ते हैं कि जैसी उसको सुविधा हो वैसा वह करे। इस सम्बन्ध में म्यूनिसिपैलिटीज को जो आपत्ति होगी उसको बाद में देख लिया जायगा और जितनी उसमें खराबियां होंगी उनका संशोधन बाद में कर लिया जायगा। इन शब्दों के साथ मैं कहता हूं कि यह संशोधन मैं स्वीकार नहीं कर सकता।

श्री मलखान सिंह (जिला अलीगढ़)--माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो यह कहा कि वे बहुत सी म्युनिसिपैलिटीज को जानते हैं कि जहां किसी वार्ड में एक मेम्बर भी हो सकता है। मैं उनसे यह कहने के लिये यहां पर खड़ा हुआ हूं कि जब वे म्युनिसिपैलिटियों का नये सिरे से एडल्ट फ्रेंचाइज पर इलेक्शन कराने जा रहे हैं और वार्ड्स भी वे बनायेंगे तो किसी भी म्युनिसिपैलिटी को यह अधिकार देना कि वह किसी जगह एक मेम्बर का ही एक वार्ड बना लें, दूसरी जगह तीन मेम्बर का वार्ड बना ले, तीसरी जगह चार मेम्बर का एक वार्ड बना ले, यह एक बेतुकी बात होगी। मैं समझता हूं कि हर एक को ईकुअल अपारचुनीटी मिले, सब के साथ जस्टिस हो। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह कम से कम जो संख्या तिवारी जी ने अपने संशोधन में रखी है तीन की, वह जायज है, ठीक है, उससे किसी खास पार्टी को या कम्युनिटी को कोई खास फायदा नहीं हो सकता है बल्कि इंसाफ होगा, इसलिये उसको मान लेना चाहिये। जब कि १५ और ५० के बीच में वे संख्या तय कर चुके हैं, तो मेरी समझ में यह नहीं आता है कि वे इस बात पर क्यों जोर देते हैं कि कोई म्युनिसिपैलिटी ऐसी भी हो सकती है जहां एक वार्ड में एक मेम्बर हो।

मैं समझता हूं कि जो तिवारी जी ने यह संशोधन रखा है कि कम से कम किसी भी वार्ड में तीन की संख्या रखी जाय यह तो इसलिये भी मदद करेगा कि जहां पर कि

[श्री मनवन मिश्र]

म्युनिसिपैलिटियों के वार्ड न बने उसमें भी मदद करेगा और बाद के एलेक्शन्स में भी। दूसरी बात जो उन्होंने कही कि अधिक संख्या सात रखी है, मैं भी समझता हूं कि सात ठीक नहीं है बल्कि पांच ठीक हो सकती है। जैसा उन्होंने कहा कि अगर वहां पर २५ मेम्बर हों तो पांच पांच के लिहाज से ५ वार्ड बन सकते हैं, २५ हो जायेंगे। तिवारी जी का जो संशोधन है, उसमें जो मिनिमम संख्या रखी गई है ३ की, उसका मैं जोरों के साथ समर्थन करता हूं और इसी संशोधन के साथ सात की जगह पांच मान लें, माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वे इस संशोधन को इस संशोधित अवस्था में स्वीकार करें।

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ जब कि माननीय मंत्री जी ने मेरे इस संशोधन को भी नामंजूर कर दिया। मैं यह नहीं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी विरोधी दल से कहा करते हैं कि वह सुझाव दिया करे।

श्री मोहनलाल गौतम—आप जैसे संशोधन को मैंने नामंजूर नहीं किया।

श्री नारायणदत्त तिवारी—माननीय मंत्री जी कहते हैं कि विरोधी दल वाले कोई संशोधन दिया करें तो सरकार बताये कि कौन सी बात वह माकूल समझती है और कौन सी बात वह समझती है कि सही नहीं है या माननीय मंत्री इस बात की परिभाषा कर दिया करें कि कौन सी बात रीज़नेबिल है, माकूल है, रीज़नेबिल है तो हम को भी आसानी होगी या तो माननीय मंत्री जी कहा करें कि विरोधी दल जो कहता है वह गलत है। अगर यह परिभाषा है तो ठीक है। लेकिन मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ, इस दलील को सुनकर कि तीन भी गलत है, सात भी गलत है और होगी कौन सी संख्या वह तो एलेक्शन कमिश्नर तै करेगा। तीन बहुत कम हो गया है और सात बहुत ज्यादा हो गया है, तो क्या सकता है यह एलेक्शन कमिश्नर तै करेंगे। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी सुनें तो शायद कम से कम उनपर असर पड़े।

श्री अध्यक्ष—माननीय मंत्री जी बात सुनें।

श्री मोहनलाल गौतम—माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या यह जरूरी है कि मैं हर एक लफ्ज सुनूं ही।

श्री नारायणदत्त तिवारी—अगर माननीय मंत्री जी न सुनें तो मेरा कहना बिलकुल बेकार है।

श्री मोहनलाल गौतम—अगर माकूल बात हो तो जरूर सुनूंगा।

एक सदस्य—कैसे पता चलेगा कि कौन माकूल बात है।

श्री अध्यक्ष—ऐसी बात नहीं है, अगर वे सामने न देखें तो भी सुन सकते हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, मैं यह निवेदन कर रहा था कि कौन सी बात सही है, इस बात की परिभाषा माननीय मंत्री जी करें। कौन सी बात सही है, हम इस बात के मानने को तैयार नहीं, माननीय मंत्री जी जो कुछ कहें वह सही होगा और उन्हें सिद्धांत बनाना पड़ेगा कि कौन सी बात सही है और कौन सी बात गलत है। अगर हम आक्षेप लगाते हैं तो उसके लिये माननीय मंत्री जी कह सकते हैं कि यह माकूल बात नहीं है, अगर हम निराधार आरोप लगाते हैं तो उसके बारे में कह सकते हैं कि यह माकूल बात नहीं है इस सुझाव देने के बारे में जो कि स्पष्ट है कि इंडिया की हर म्युनिसिपैलिटी के हर ऐक्ट में है, मैं चैलेंज करके कहता हूं कि माननीय मंत्री जी एक ऐक्ट भी दिखलायें जिसमें ऐसा प्राविज़न न हो, मुझे तो कोई ऐक्ट नहीं मिला। पुराने ऐक्ट में भी यह मौजूद था।

परन्तु हमारे माननीय मंत्री जी कहते हैं कि डाइरेक्टर आफ एलेक्शन करेगा, कहां है ऐक्ट में? मैंने रेगुलेट शब्द रखा था, माननीय मंत्री ने कहा कि रेगुलेट नहीं आयेगा। उस समय तो उसका विरोध कर दिया तो मैं माननीय मंत्री जी से पूछता हूं कि कहां डाइरेक्टर आफ इलेक्शन्स के लिये दिया है। डाइरेक्टर आफ एलेक्शन्स के बारे में सिर्फ इतना दिया है।

"There shall be an electoral roll for every ward which shall be prepared in accordance with the provisions of this Act under the supervision of the Director of Elections (Local Bodies)."

तो एलेक्टोरल रोल्स डाइरेक्टर आफ एलेक्शन्स बनवायेंगे। सुपरवाइज करेंगे। अगर स्टेट गवर्नमेंट का मतलब यह कहते हैं डाइरेक्टर आफ एलेक्शन्स। वह तो कह देंगे हम उसको नोटिफिकेशन के जरिये पब्लिसिटी दे देंगे। लेकिन इस ऐक्ट में कहीं यह [illegible] लिखा हुआ है कि डाइरेक्टर आफ एलेक्शन्स हर [illegible] [illegible] इलेक्शन्स तय करेंगे उस वार्ड मे कितने आदमी होंगे, मैं तो कलक्टर को यहां कर दूंगा। पहले ८० मेम्बर ज्यादा से ज्यादा हो सकते थे। उदाहरण के तौर पर हमीरपुर को आप ले लीजिये। हमीरपुर मे आजकल २० मेम्बर थे। अब और कम हो जायेंगे, १५ हो जायेंगे, १८ हो जायें। तो क्या १८ वार्ड आप वहां कर देंगे, एक मेम्बर के पीछे एक वार्ड तब तो इतने आब्जेक्शन्स होंगे कि कुछ कहना नहीं। कोई कहेगा तीन मोहल्लों का एक वार्ड हो, कोई कहेगा दो मोहल्लों का एक वार्ड हो। जिसतरह एलेक्शन पेटीशन्स होंगे उस समय लोग कहेंगे कि हमने यह आब्जेक्शन पेश किया था। तो इसमें तो यह है कि जितने मेम्बर हों उतने ही वार्ड हों। क्या माननीय मंत्री जी इस सिद्धांत को स्वीकार करते हैं? अगर मेरा संशोधन स्वीकार नहीं किया जाता है तो इसका मतलब यह होगा कि जितने मेम्बर हों उतने वार्ड हों। मान लिया जाय कि किसी बड़े शहर में जैसे कि इलाहाबाद है, वहां जहां तक मेरी सूचना है कार्पोरेशन नहीं बनने जा रहा है, वहां ५० मेम्बर रहेंगे। तो क्या माननीय मंत्री जी वहां ५० वार्ड बनायेंगे। इस विधेयक के अनुसार तो यह भी गुंजाइश है कि आब्जेक्शन भी दे सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। कहीं किसी मेम्बर की तबियत आयी आब्जेक्शन उठाने की तो वह यही उठायेगा कि मैं तो यह चाहता हूं कि इलाहाबाद म्युनिसिपैलिटी के अन्दर ५० वार्डस हों। तो क्या माननीय मंत्री जी ५० वार्डस करेंगे? नहीं करेंगे। तो आप इसको विधेयक में स्पष्ट क्यों नहीं कर देते। माननीय मंत्री जी मिनिमम एक कहते हैं। तो मैक्सिमम कितने रहेंगे। सात नहीं तो मैं ६ मान लेता हूं, ६ नहीं तो ५ मान लेता हूं। लेकिन मैक्सिमम भी तो कोई फिक्स कर दें। मिनिमम की तो आधी राय रही। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी पूरी राय देंगे और मैक्सिमम भी फिक्स कर देंगे। तो इसलिये मैं फिर प्रार्थना करूंगा कि इसको आप स्पष्ट करें। इतना कहने के बाद मैं फिर माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि ऐसे माकूल सुझाव को अवश्य स्वीकार करें।

श्री मोहनलाल गौतम—माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर 11-A का (२) हमारे सामने हो और हम उस पर विचार कर लें जिसमें यह लिखा है कि "

"The representation of each ward shall be on the basis of population of that ward as ascertained at the last census and shall as far as possible be in the same proportion as the total number of seats for the municipality and its population."

अर्थात् जिस तरह से वार्ड की आबादी म्युनिसिपैलिटी के अनुपात से होगी उसी तरह से उनकी संख्या होगी। जो चीज इसमें खास तौर से दी गई है वह यह है कि एक मेम्बर के पीछे जितने वोटर्स हों उतने ही करीब करीब दूसरे के पीछे हों यानी 'equal number of voters' एक मेम्बर को चुनें। इसको मानने के बाद यह बड़ा कठिन हो जायगा कि वर्क आउट करें कि मिनिमम और मैक्जीमम कर दें। तीन चार या पांच छै करने में कठिनाई होती है और इसको इसी तरह से छोड़ दिया गया है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि वार्ड

[श्री मोहनलाल गौतम]

बनाने के बाद म्युनिसिपैलिटीज से सलाह ले ली जायगी और माकूल ढंग से वार्ड बनेंगे। इसलिये इससे ज्यादा मुझे और किसी बात के जवाब देने की आवश्यकता मालूम नहीं होती है। बहुत सी बातें कही गई। उन्होंने अपने अमेंडमेंट को माकूल समझा है और मैं उसको कुछ और समझूं तो यह मेरे समझने की बात है। इतना कहने के बाद मुझे अफसोस है कि मैं इसको मंजूर नहीं कर सकता हूं।

श्री नारायणदत्त तिवारी--श्रीमन्, मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि ११(ए)(२) में जो शब्द " it " आया है तो इसका अर्थ क्या है। यह म्युनिसिपैलिटी के लिये है या वार्ड के लिये है।

श्री मोहनलाल गौतम--जिसके बिलकुल नजदीक है उसी के लिये है। वार्ड के नजदीक नहीं है इसलिये म्युनिसिपैलिटी के लिये है।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ९ में प्रस्तावित नई धारा 11-B की उपधारा (1) के भाग (c) में निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक वाक्य जोड़ दिया जाय --

"Provided that the number of seats so alloted for each ward shall not exceed seven and shall not be less than three "

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २० मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोविन्द पन्त, की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री नारायणदत्त तिवारी--श्रीमान्, मैं आपकी आज्ञा से निम्न संशोधन प्रस्तुत करना चाहता हूं कि खंड ९ में प्रस्तावित नयी धारा 11--B की उपधारा (1) के भाग (d) की पंक्ति १ में शब्द व अर्धविराम चिन्ह "if any" निकाल दिये जायं।

श्रीमान् अगर हम धारा 11-B की उपधारा (d) को देखें तो वह इस प्रकार है the number of seats, if any, reserved for the Scheduled Castes"

लेकिन इसके ऊपर है "the number of seats alotted to each ward" तो इफ एनी का तात्पर्य यह होता है कि अगर कोई सीट्स रिजर्व है और वहां कोई शेड्यूल्ड कास्ट के लोग है, यह अभिप्राय "इफ एनी" से आता है। श्रीमान् मैं तो यह समझता हूं कि इस प्रान्त की हर नगरपालिका में जो हरिजन वर्ग के लोग है वे काफी तादाद में है और मैं यह भी मानता हूं कि सरकार ने इस विधेयक में इस बात की गुंजाइश रक्खी है कि हर नगरपालिका में हरिजनो की सीट्स रिजर्व रहे। मैं आपकी आज्ञा से माननीय मंत्री जी का ध्यान संशोधित धारा ९ के बाद जो नई धारा ९ ए रक्खी गई है उसकी ओर दिलाना चाहता हूं जिसको भवन मंजूर कर चुका है जिसमें यह लिखा है "Seats shall be reserved for Scheduled Castes in each ward" इसमें "इफ एनी" नहीं लिखा हुआ है। अगर 9-A की उपधारा (१) में यह लिखा होता कि "Seats shall be reserved for Scheduled Castes in each ward if any" तो जैसा ११ डी में लिखा हुआ है "नम्बर आफ सीट्स इफ ऐनी" वह सही होता लेकिन जब एक ओर हम यह मान चुके है कि हम हर बोर्ड में हरिजनों के लिये सीट्स रिजर्व करेंगे तो,"इफ ऐनी" शब्द शोभा नहीं देते क्योंकि हम हर बोर्ड में यह पहले ही लाजिम कर चुके हैं कि हर बोर्ड में हम हरिजनों की सीट्स रिजर्व करेंगे तो "इफ एनी" का रखना गैर जरूरी है। यह सुपरफ्लुअस है। तो मैं यह कहूंगा कि किस प्रकार यह स्पष्ट है" Seats shall be reserved for Scheduled Castes in each ward" उसीप्रकार यह स्पष्ट है "the number of seats reserved for Scheduled Castes" इसलिये माननीय मंत्री से निवेदन करूंगा कि वह इसको डिलीट कर दें और जो मेरा संशोधन है उसको स्वीकार करें।

श्री मोहन लाल गौतम—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो धारा पढ़ कर सुनाई गई उसमें और इसमे कोई फर्क नहीं है। उसमें यह है कि हर बोर्ड मे हरिजनो के लिये सीट्स रिजर्व होंगी। किस प्रकार होगी, जितनी कि उनकी आबादी है।

अगर उनकी आबादी है तो हर एक बोर्ड मे सीट रिजर्व होगी और अगर सीट रिजर्व होगी तो यह होगा। इसलिये इन दोनो चीजो मे विरोध नही है और इसमे बहुत कहने की आवश्यकता नही है और "if any" कहने से यह नही हो जाता । अगर उनकी आबादी इतनी है कि जितनी आबादी कम से कम एक सीट के लिये जरूरी है तो वहां पर यह नही होगा कि उनकी रिजर्व न की जाय। इसलिये यह भ्रम नही होना चाहिये कि उनकी आबादी होते हुये भी उनको अधिकार न दिया जाय। यह ड्राफ्ट ठीक है इसमे यह कहना कि 'होगा या नही होगा' इस तरह से नहीं होता है जो धारा पढ़कर सुनाई है सीट उसके मुताबिक रिजर्व होगी और वह किस तरह से होगी यह आगे कहा गया है। मुझे अफसोस है कि मै इसको मंजूर नही कर सकता।

श्री नारायण दत्त तिवारी—बड़े आश्चर्य की बात है कि माननीय मंत्री जी ने यो कह दिया कि ९ मे और इसमे कोई विरोध नहीं है। अगर ड्राफ्ट की बात है तो जब ९ ए ड्राफ्ट हुई थी उस वक्त भी यह लिख दिया जा सकता था। इसका मतलब तो यही है कि आबादी हो या न हो हर बोर्ड मे सीट रिजर्व होगी "Seat shall be reserved in every Board" आपको हर बोर्ड में सीट रिजर्व करनी पड़ेगी जहां जहां पर आबादी ५ की हो, ५ की हो या हजार की हो। उस पर यह मान लेना कि कही पर वह आबादी हो तभी रिजर्व होगी यह बात नही है। और ऐसे कितने म्युनिसिपल बोर्ड है जहा कि हरिजनो की आबादी नहीं है। कम से कम माननीय मंत्री जी यह बतलाये कि कितने ऐसे प्रान्त के म्युनिसिपल बोर्ड है कि जहा पर हरिजनो की इतनी तादाद नहीं है कि उनको एक भी सीट न मिले। और फिर इसमें तो पापुलेशन का सवाल ही नहीं है। जिन लोगो ने उस धारा को ड्राफ्ट किया था उन्होंने ही इसको भी ड्राफ्ट किया है । ऐसी क्या बात उन्होंने समझा कि वहां पर (if any; की आवश्यकता नहीं समझी और यहां पर आवश्यकता समझी। इसको म माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यहां पर क्यो होना चाहिये। पहले वहां तो आवश्यकता नही समझी जहा पर सीट को रिजर्व किया और यहां पर अब "इफ एनी" की आवश्यकता पड़ी। धारा ९ ए मे इसकी जरूरत महसूस नहीं हुई और यहां पर धारा ११ मे इसकी आवश्यकता महसूस हुई है तो यह एक परस्पर विरोध है। इसमे तारतम्य तो होना चाहिये। तो मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि यहां पर "इफ एनी" का प्रयोग जो किया गया है और पहले उसका प्रयोग नही किया गया है तो इसका मतलब क्या है इसका तारतम्य तो बतलाना चाहिये। माननीय मंत्री जी ऐसा उदाहरण दे कि जिससे यह मालूम हो कि इस प्रान्त मे कोई बोर्ड ऐसा है कि जहा पर हरिजनो को एक सीट भी नहीं दी जा सकती और उनका एक सदस्य भी नहीं चुना जा सकता।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ९ मे प्रस्तावित नयी धारा 11--B की उपधारा (1) के भाग (d) की पंक्ति १ में शब्द व अर्धविराम चिन्ह "if any," निकाल दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—उपाध्यक्ष महोदय, म आपकी आज्ञा से यह संशोधन पेश करना चाहता हूं कि खंड ९ मे प्रस्तावित नयी धारा 11--B की उपधारा (२) की पंक्ति ३ मे अंक व शब्द "15 days" के स्थान पर शब्द "one Month" रख दिये जायं।

[श्री राम नारायण त्रिपाठी]

उपाध्यक्ष महोदय, इस अमेंडिंग बिल की धारा 11 B. इस प्रकार है

"11—B (1) The State Government shall, by Order, determine—

(a) the wards in which each municipality shall be divided for purposes of elections to the board;

(b) the extent of each ward;

(c) the number of seats allotted to each ward; and

(d) the number of seats, if any, reserved for the Scheduled Castes.

(2) The draft of the Order under sub-section (1) shall be published for objections for a period of not less than 15 days and a copy of the same shall be sent to the board or boards concerned for comments."

अध्यक्ष महोदय, धारा ११ बी के खंड १ में जिन चीजों का जिक्र है वह जब तै हो जायंगे और उसके बाद जब स्टेट गवर्नमेंट पब्लिश करावेगी कि यह हमारा प्राविजनल फैसला है और जिनको आपत्ति करना है जैसे किसी वार्ड के एरिया को बढ़ाना है या सीटों या रिजर्वेशन के बारे में कोई आपत्ति है तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से प्राविजनल स्कीम मांग कर पब्लिश कराया जायगा और बोर्डों के पास भेजेंगे कि वह अपने सुझाव भेजें। इसके लिए १५ दिन की म्याद रखी गई है। मेरा ख्याल यह है कि अगर इस तरह से रखा जायगा कि "नाट लेस दैन १५ डेज" तो इसके मानी यह जरूर है कि इससे ज्यादा भी स्टेट गवर्नमेंट रख सकती है लेकिन अगर वह १५ ही दिन रखना चाहे तो उसको कोई रोक नहीं सकता लेकिन जहां तक पब्लिश करने का सवाल है, मेरा ख्याल यह है कि वह गजट में छपावेंगे या कोई स्पेशल पैम्फलेट इसके लिए छपावेंगे। तो इसमें उस वक्त ऐसी इर्रेगुलेरिटी हो सकती है जैसे दस-दस दिन बाद वह हेडक्वार्टर में पहुंचे और फिर वहां लोगों को नोटिफिकेशन दिया जायगा, तो इस तरह से यह १५ दिन का समय बहुत नाकाफी है कि उस पर लोग गौर कर सकें क्योंकि आम तौर से लोग इन मामलों में कम दिलचस्पी लेते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि यह समय ३० दिन से कम न होना चाहिए। इसमें कोई मौलिक सिद्धान्त की बात नहीं है और आशा है कि सरकार इसको स्वीकार करेगी।

श्री मोहन लाल गौतम—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो शब्द इसमें है जैसा कि माननीय त्रिपाठी जी ने अभी कहा कि 'नाट लैस दैन १५ days' इस से यह जाहिर होता है कि १५ दिन ही रखे जायं ज्यादा भी हो सकते हैं। जैसी अवस्था होगी उसके अनुसार सरकार करेगी जब आबजैक्शन्स के लिए किसी चीज को छापा जाय तो यह समझ लेना चाहिये कि समय इतना हो कि लोग उस पर गौर करें और अपनी राय दे सकें इसलिये जानबूझ कर यह शब्द "नाट लैस दैन १५ डेज" रखे गए हैं ताकि समय पर देख कर जितने वक्त की जरूरत हो उतना समय दिया जाय। जब कि उधर से यह मांग की जाती है कि चुनाव जल्दी कराये जायं तो इस तरह से तो प्रोसीजर लम्बा करने से चुनाव में देर ही हो सकती है फिर यह एक्यूज किया जाने लगेगा कि पार्टी मोटिव्ज के लिये चुनाव में देर कराई जा रही है। इसलिए मैं इस को मंजूर नहीं कर सकता।

श्री नारायण दत्त तिवारी—श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से माननीय रामनारायण त्रिपाठी जी के संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। माननीय मंत्री जी ने फिर कृपा करके चुनाव की बात दोहरा दी। वह बार-बार यही आरोप लगाते हैं कि विरोधी दल अधिक समय लेने को हर जगह बात करता है। चाहे चुनाव के सम्बन्ध में बात हो या न हो वह जरूर कह देते हैं कि चुनाव लम्बा हो जायगा। मैंने इस संशोधन को देखा है इसमें यह लिखा है—

"The draft of the Order under sub-section (1) shall be published for" objections for a period of not less than 15 days and a copy of the same shall be sent to the board or boards concerned for comments.

इसके पहले में लिखा है कि कम से कम १५ दिन तक तो जरूर पब्लिश किये जावेंगे लेकिन उसके लिये कोई समय नहीं है। यह १ महीने से भी ज्यादा हो सकता है। १५ दिन का समय तो ऑब्जेक्शन्स के लिये है। अगर स्कोप का सवाल है तो माननीय मंत्री ने इस विधेयक में गुंजायश रखी है जिसका वे हम पर आरोप लगाते हैं। अगर माननीय मंत्री जी चुनाव देर से कराना चाहें तो वह कह सकते हैं कि हमारे पास बोर्ड से रेज़्युमे ही नहीं आये, हम क्या करें इसलिये देर लग गई तो यह आरोप देरी का उन्हीं के ऊपर आता है कि वह जब चाहें तब करा सकते हैं और ऐसा ही उन्होंने आज तक किया है। इसलिये सवाल यह नहीं है कि अगर १५ दिन में ऐतराजात आ जावेंगे तो चुनाव जल्दी हो जायेंगे, १ महीने में ऐतराज आयेंगे तो देर हो जायगी। यह ख्याल नहीं है। इस आर्डर में ये चार बातें होंगी।

"(a) the wards in which each municipality shall be divided for purposes of elections to the board,

(b) the extent of each ward,

(c) the number of seats allotted to each ward, and

(c) the number of seats, if any, reserved for the Scheduled Castes."

तो क्या माननीय मंत्री जी यह समझते हैं कि १५ दिन में जब कि इतना विवादास्पद विषय है, किसी भी पार्टी या व्यक्ति के लिये ऑब्जेक्शन लेकर यहां भेजना सम्भव है? मैं समझता हूं कि १५ दिन बहुत ही नाकाफी होगा। इस थोड़े से समय में सही ऑबजेक्शन्स का आना सम्भव नहीं है। मैं निवेदन करूंगा कि इसमें केवल म्युनिसिपल बोर्ड ही सम्बन्धित नहीं है। जो चुनाव में हिस्सा लेना चाहते हैं, मतदाता हैं और लोग हैं वे भी सम्मिलित हैं। यह अनुचित होगा कि हम म्युनिसिपल बोर्डस को तो ३, ३ कमेंट्स करने का मौका दें और दूसरों को एक भी ठीक से न दें। तो माननीय मंत्री जी एक बार तो म्युनिसिपल बोर्डस को कमेंट्स का मौका देते हैं धारा ११ बी, में और ११ सी, में फिर कंसल्टेशन का मौका देते हैं कि कंसल्टेशन के बाद वे फाइनल आर्डर निकालें। इस तरह से कमेंट्स में म्युनिसिपल बोर्ड काफी देर लगा सकते हैं और फिर ११ सी० के अनुसार उनको फाइनल आर्डर को बदलवाने के लिये और कंसल्टेशन के लिये भी मौका देते हैं। जब एक तरफ माननीय मंत्री जी म्युनिसिपैलिटियों को इतना मौका देते हैं जिसमें काफी समय लग सकता है, रद्दोबदल भी हो सकता है। तो क्या माननीय मंत्री जी साधारण मतदाताओं को इतना अधिकार भी नहीं देना चाहते हैं कि बजाय १५ दिन के उनको आप १५ दिन का समय मिल जाय? मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी का यह ख्याल नहीं है। इसीलिये मैं माननीय मंत्री जी से यह कहता हूं कि अगर आप म्युनिसिपैलिटियों को दो बार मौका देते हैं अपनी राय को बताने का और उन्हें बताने के लिये बाद में अपने विचार से संशोधन पेश कर सकें तो मैं समझता हूं कि उन म्युनिसिपैलिटियों को बनाने वाले मतदाताओं को भी अधिकार देना चाहिये; म्युनिसिपल बोर्ड के शासन प्रबन्ध में दिलचस्पी लेने वाले जो नागरिक हैं उनको इतना मौका देना चाहिये कि वे संशोधन के लिये अपने विचार प्रकाशित कर सकें। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि चूंकि मतदाताओं को एक ही मौका मिलता है इसी धारा के अनुसार मतदाताओं को मौका मिल सकता है। साधारण नागरिक को भी दिलचस्पी लेने वाले नागरिकों को यह मौका मिलना चाहिये कि वे ऐसे आर्डर को बदलवा सकें। इसलिये मतदाताओं को मौका मिले और पूरा मौका मिले इसलिये मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इस संशोधन को स्वीकार करें।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य (जिला मथुरा)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे मित्र माननीय नारायण दत्त जी ने वही गलती की जिसका कि जिक्र माननीय मंत्री महोदय ने किया था। यह जो ११ बी, की उपधारा (२) है उसके अन्तर्गत तो कम से कम १५

[श्री लक्ष्मीरमण आचार्य]

दिन का समय है। कम से कम १५ दिन के समय में यदि यह कहा जाय कि १५ दिन में ही यह कुछ हो जायगा, तो इसका इशारा उन माननीय सदस्य ने जिन्होंने यह संशोधन रखा है वे समझ गये थे और उन्होंने स्वयं यह मंजूर किया था कि १५ दिन कम से कम एक महीना भी हो सकता है। लेकिन माननीय नारायण दत्त जी ने यहां यह जिक्र किया कि १५ दिन से ज्यादा मौका मिलना चाहिये। मैं यह ख्याल करता हूं कि ११ बी० की उपधारा (२) की जो भाषा है उसमें यह निहित है कि कम से कम १५ दिन और अधिक से अधिक जितने समय की आवश्यकता हो।

श्री नारायण दत्त तिवारी—उपाध्यक्ष महोदय, मैं स्पष्टीकरण कर देना चाहता हूं कि मेरा कहना यह था कि कम से कम एक महीना मौका होना चाहिये।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—तो जो कम से कम १५ दिन या एक महीने की बात है इस सम्बन्ध में मैं अपने विरोधी दल के मित्रों को केवल उन्हीं की कुछ बातों की याद दिलाना चाहता हूं जिसमें उन्होने किसी दिन यह जिक्र किया कि अमेरिका में चुनाव तीन दिन के अन्दर हो जाया करते हैं। लड़ाई के जमाने में भी चुनाव हो जाया करते हैं फिर यहां के चुनावों में कई वर्ष का देर लगाना और इतना समय लगाना कहां तक उचित है।

एक बात और मैं कुछ दूसरे शब्दों में उनसे कहना चाहता हूं कि जहां तक चुनाव का सम्बन्ध है चुनाव हो इसमें उनको इंकार नहीं है और चुनाव जल्दी से जल्दी हो इसमें भी उनको इंकार नहीं है लेकिन यदि आप अपने म्युनिसिपल ऐक्ट में ही निरन्तर समय बढ़ाते जायं और समय बढ़ाने की मांग करें तो जितना समय आप बढ़ाना चाहते हैं आपके वे मित्र जो समय बढ़ाने के ज्यादा पक्षपाती हैं वे और भी ज्यादा समय बढ़ाना चाहेंगे। मेरी ऐसी निश्चित धारणा है, मेरा ऐसा विश्वास है कि यदि इसमें "नाट लेस दैन १५ डेज" के स्थान पर "नाट लेस दैन वन मंथ" की बात रहती तो आप "नाट लेस दैन टू मंथ्स" की मांग करते क्योंकि यदि केवल समय बढ़ाने ही का प्रश्न है तो १५ दिन और एक महीने में अन्तर नहीं पड़ता। जहां तक १५ दिन वाली बात है एक दूसरे अर्थ में और भी सही है। क्योंकि यह जो ११ बी की उपधारा (२) है इसमें तीन कामों की ओर इशारा है। एक तो यह है—

(2) "The draft of the Order under sub section (1) shall be published for objections for a period of not less than 15 days."

एक कार्य पूरा हुआ यानी आबजेक्शंस के लिये गवर्नमेंट आर्डर को १५ दिन से कम के लिये आना असम्भव है इसलिये अधिक दिनों के लिये आबजेक्शंस पब्लिश किये जायेंगे और उसके बाद में—

"and the copy of the same shall be sent to the Board or Boards concerned for comments."

इसका अर्थ जहां तक मैं समझा वह शायद यही है कि ड्राफ्ट जो कि १५ दिन के लिये पब्लिश किये जायेंगे जिसमें कि आबजेक्शंस किये जायं उनके ड्राफ्ट, की कापी बोर्ड्स के पास कमेंट्स के लिये भेजी जायेंगी। यदि मेरे मित्र ने इसका अर्थ यह समझा है कि प्रत्येक स्थान से आबजेक्शंस आयेंगे और उनको बोर्ड्स के पास कमेंट्स के लिये भेजा जायेगा तो यह गलत है। इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि ड्राफ्ट्स पब्लिश किये जायेंगे इसके बाद आबजेक्शंस मांगे जायेंगे और उनके ड्राफ्ट्स बोर्ड्स के पास कमेंट्स के लिये भेजे जायेंगे। यह दो तीन चीजें हैं जो साथ साथ होंगी और ऐसा नहीं है कि एक कार्य पहले किया जायगा और ड्राफ्ट के पब्लिश

हो जाने के बाद आबजेक्शंस मांगे जायेंगे और उनके आने के बाद उनको बोर्ड्स के पास कमेंट्स के लिये भेजा जायेगा। मेरी धारणा है कि ऐसा अर्थ ११ बी० का नहीं है। और १५ दिन जो छोटी म्युनिसिपैल्टिी होंगी उनके लिये तो मान्य है और उनसे बड़ी होगी उनके लिये एक महीना समय लगेगा और जो उनसे बड़ी होगी उनके लिये डेढ़ महीना भी लग सकता है। क्या वह चाहते है कि छोटी म्युनिसिपैल्टिी जो २५ हजार की, २० हजार की उनको भी एक महीने का समय लगना चाहिये और जिनकी आबादी दो लाख की है या एक लाख से ज्यादा है उनको भी उतना ही समय लगेगा। इस धारा के अनुसार जो समय है वह ठीक है कि जो छोटी म्युनिसिपैल्टिी उनको कम समय भी लग सकता है और जो बड़ी है उनको अधिक समय लगेगा और जो उनसे भी बड़ी हैं उनको और भी अधिक समय देना होगा और मेरे मित्र के संशोधन से तो चुनाव में और भी अधिक समय लगेगा और वह ठीक नहीं है। इन शब्दों के साथ में अपने मित्र के प्रस्ताव का विरोध करता हूं और यह धारा ११ बी० की उप-धारा २ जिस प्रकार से है उसको उसी प्रकार स्टैट्यूट बुक में रखा जाय।

श्री ऐजाज़ रसूल (जिला हरदोई)—जनाबवाला, मैं समझता हूं कि जो हमारे अपोजीशन के भाई साहबान हैं वे ग़लतफहमी में हैं। जहां तक मेरा तजुर्बा लास्ट टाइम का है जब कि पिछले साल वार्ड्स बनाये गये थे तो गवर्नमेंट ने यह किया था कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के सुपुर्द किया था और बोर्ड्स के लिये एक टाइम फिक्स था कि फलां तारीख तक वह इस तरह से वार्ड्स बना दें और वार्ड्स बना कर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को रिपोर्ट करें और फलां तारीख तक उसको वापस कर दें डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को। बोर्ड एक रिस्पांसिबिल बाडी नहीं है इसलिये पहले बोर्ड्स से एतराज़ात इनवाइट किये और उसके इनवाइट करने पर जो मुख्तलिफ पार्टियां जैसे कांग्रेस पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी है और दूसरी पार्टियां हैं उनके तरीके से वार्ड्स बनाये गये और इसके बाद सब सजेशन्स डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास आ जाते थे। जो एतराज़ात पब्लिक ने किये थे वह उसके साथ भेज दिये और अगर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने फिर टाइम पब्लिक को दिया कि यह वार्ड्स के आबजेक्शंस आये हैं। हम रिपोर्ट भेजना चाहते हैं। अगर आप को कोई एतराज हो तो फलां तारीख तक दाखिल कर दीजिये। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने जो बोर्ड ने अपने प्रोपोज़ल्स भेजे और पब्लिक के प्रोपोज़ल्स सुनने के बाद गवर्नमेंट को अपनी राय भेज दी। गवर्नमेंट ने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की राय और बोर्ड की राय देखने के बाद अगर फिर भी कोई खास बात हुई जैसा कि पिछले वक्त में हुआ है, तो जिनके खास-खास आबजेक्शंस थे उनको बुला लिया और जब हर तरीके से सुन लिया गया तब जाकर आखिरी फैसला किया। तो एक महीने का वक्त और दिया जाय जब कि पहले से हर तरीके से देखा जा चुका है इसकी कोई जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल से नाट लेस दैन फिफ्टीन डेज बिल्कुल ठीक है। एक महीने का वक्त तो ज्यादा हो जायगा।

मेरे ख्याल में वह अपनी तरमीम को वापस लेंगे क्योंकि अगर कोई गलती होती है तो बोर्ड के यहां दुरुस्त हो जाती है, अगर वहां नहीं होती है तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के यहां हो जाती है और वहां नहीं होती है तो गवर्नमेंट के पास हो जाती है। मैं समझता हूं कि यह मुनासिब रखा गया है और 'नाट लेस दैन' फिफ्टीन डेज के मानी दो महीने तीन महीने भी हो सकते हैं। इसलिये मुझे उम्मीद है कि यह कोई ऐसी अहम तरमीम नहीं है। और जिन साहब ने पेश की है मुझे उम्मीद है कि इन बातों को सुनने के बाद वह उसे वापस लेंगे।

श्री बाबूनन्दन (जिला जौनपुर)—मैं क्लोजर मूव कर रहा हूं।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)—मैं इसका विरोध करता हूं। अभी दो ही एक आदमी बोले हैं।

श्री उपाध्यक्ष--मैं श्री मलखान सिंह को बुला चुका हूं।

श्री मलखान सिंह--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि अभी आचार्य जी ने और ऐजाज रसूल साहब ने कहा और उन्होंने जो मतलब लगाया है वह यह है कि ड्राफ्ट का पब्लिकेशन पंद्रह दिन तक लगातार यानी कम से कम पंद्रह दिन तक होगा। लेकिन यह किसी ने, न माननीय मंत्री महोदय ने और न किसी माननीय सदस्य ने यह बतलाया कि जो आब्जेक्शंस या कमेंट्स जो सरकार के पास आयेंगे उनके लिए क्या मियाद होगी। यह बिल्कुल एक छिपी हुई चीज रखी गयी है। और जैसा कि अभी बतलाया गया इस पर मुझे सख्त ऐतराज है कि पिछली मर्तबा ऐसा भी हुआ कि यहां पर आकर मंत्री महोदय के यहां जिन लोगों को ऐतराजात थे उनको भी ठीक कराया गया। मुझे मालूम है कि इस तरह की बातें पिछले टाइम में वार्ड्स के बनाने में और कान्स्टीट्यूएंसीज के बनाने में हुई हैं। इस पर मैं सख्त ऐतराज करता हूं। यहां पर आकर किसी पार्टी के मेम्बरान मिनिस्टरों से मिल कर तब्दील करा लें और दूसरे को मौका न मिले कि क्या ऐतराज हुआ और क्यों दर्ज हो गया यह बात गैर मुनासिब है। इसलिये मैं समझता हूं कि इस बात को आप कभी ध्यान में न रखें कि हम लोगों का यह इरादा है कि हम लोग एजिटेशन को बढ़ाना चाहते हैं। मैं एक जिम्मेदार आदमी की हैसियत से कह सकता हूं कि इस सदन के गवर्नमेंट के लोग, मेम्बरान, मंत्री महोदय तक किसी बात को अपने मुंह से निकालने में अपनी जिम्मेदारी को कम महसूस करते हैं। हमारे माननीय पं० मोहनलाल जी गौतम ने पहले एक बयान दिया था कि नवम्बर-दिसम्बर तक जरूर-जरूर हम म्युनिसिपैलिटीज के एलेक्शंस कर देंगे। उसके बाद फरवरी का टाइम भी कहा गया--

श्री मोहन लाल गौतम--माननीय मलखान सिंह जी को गलतफहमी हुई कि जरूर जरूर देंगे इस तरह की भाषा मैंने इस्तेमाल की। ऐसी भाषा मैंने आज तक इस्तेमाल नहीं की।

श्री मलखान सिंह--ठीक है। मैं इस बात को भी अच्छी तरह से समझता हूं कि यह भाषा नहीं कही है कि 'जरूर जरूर'। यह तो आपकी मर्जी है कि इस प्रकार की राजनीतिक भाषा से आप बोले। यहां पर तो एक अखाड़ेबाजी का खेल है, क्योंकि यहां पर कोई ईमानदारी की बात को लोग महसूस नहीं करते हैं। उस दिन मैंने एक बात सच-सच कह दी थी तो मैंने अखबारों में पढ़ा कि लोग हंसे। इसलिये हंसे कि मलखान सिंह ने सच्चाई की बात कह दी। तो आप लोग सच्चाई की बात को बेवकूफी समझते हैं। इसलिये मैं यह समझता हूं कि यह सदन तो एक अखाड़ाबाजी का खेल बना हुआ है, जैसा कि आज स्वयं कहा गया..

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)--मैं प्वाइंट आफ आर्डर रेज करता हूं। वह यह है कि हाउस की प्रेस्टीज का क्वश्चेन है कि किसी की ईमानदारी पर अटैक करना उचित नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष--मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य...

श्री मलखान सिंह--मैंने जो कुछ कहा है वह सही कहा है और सही भाषा कही है।

श्री कालीचरण टंडन (जिला फर्रुखाबाद)--मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि एक माननीय सदस्य ने जब पूरे हाउस में ईमानदारी की कार्रवाई नहीं होती है ऐसे शब्द कहे और उस पर आब्जेक्शन होने पर दूसरी बार उसी चीज को दोहरा रहे हैं तो मैं आपके सामने इसे रखना चाहता हूं कि क्या यह हाउस के सम्मान के अनुकूल भाषा इस्तेमाल की गयी है?

श्री रामनारायण त्रिपाठी- -उपाध्यक्ष महोदय, आपकी रूलिंग हो गयी कि यह कोई प्वाइंट आफ आर्डर नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष---मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य नीयत पर तो कोई हमला नहीं कर रहे हैं और न करेंगे।

श्री मलखान सिंह---मेरी तरफ से हमले का कोई सवाल नहीं है। वस्तु स्थिति को, को रख देने का सवाल है और उनको सामने रखूंगा, हाउस उनको मंजूर करे या नामंजूर करे। लेकिन यह कह कर कि मैं वस्तुस्थिति और फैक्ट्स को क्यों कहता मेरी जबान पर ताला नहीं लगाया जा सकता।

मैं कह रहा था कि आपके सामने जो तीस दिन का मौका रखा गया है तो वह इस ख्याल से नहीं रखा गया है कि हम एलेक्शंस को देर तक ले जाना चाहते हैं। मैं पूछता हूं कि यह जो अलीगढ़ म्युनिसिपैलिटी का चुनाव ७।८ वर्ष से नहीं हुआ वह गवर्नमेंट की जिम्मेदारी ही तो थी? अगर आज गवर्नमेंट एलेक्शंस करने जा रही है और उस वक्त वह सस्पेंशन कर देती है और उसके वोटर्स को अधिकार नहीं देती है तो मैं समझता हूं कि इसमें कोई ईमानदारी की बात नहीं है। मैं जो कुछ कह रहा हूं इसमें कम से कम एक महीने का टाइम देना चाहिये और इस बात को भी साफ कर देना चाहिये ताकि ---- ----हमी न रहे और किसी को डिस्क्रेशन की बात न रहे कि आपके कमेंट्स इतने वक्त में नहीं आये, आब्जेक्शंस नहीं आये इसलिये अब लिये नहीं जा सकते। इसलिये कमेंट्स के आने का टाइम साफ नहीं जैसा कि आचार्य जी ने कहा। यह साफ हो जाना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं अपने साथी श्री रामनारायण त्रिपाठी जी के संशोधन का समर्थन करता हूं।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---मैंने साफ न होने की तो बात नहीं कही थी, श्रीमन्।

श्री शिवनारायण---उपाध्यक्ष महोदय, १५ दिन और एक महीने का डिस्कशन हाउस के सामने है। इसमें अलीगढ़ का भी कोटेशन दे दिया गया। इस प्रस्ताव से अलीगढ़ म्युनिसिपैलिटी का क्या सम्बन्ध है यह मेरी समझ में नहीं आया। अमेंडमेंट क्या है और कोटेशन अलीगढ़ के सस्पेंशन का लाया जाता है, इसका मुझे बड़ा दुःख है। श्री मलखान सिंह जी तो पुराने मेम्बर भी हैं, मुझे उनका भाषण सुनकर बहुत ताज्जुब हुआ।

क्वेश्चन है १५ दिन और ३० दिन का। मैं तो आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि रूरल एरिया और अरबन एरिया का क्वेश्चन है नहीं। सिर्फ क्वेश्चन है अरबन एरिया का। अरबन एरिया में म्युनिसिपैलिटीज की एरियाज होती हैं जो कि ५ मील से ज्यादा की एरियाज होती है। अगर क्वेश्चन होता रूरल एरिया का तो मैं कहता कि यह सुझाव बहुत सुन्दर है और इसे मान लेना चाहिये। वहां यह डिपेंड करता है मैजिस्ट्रेटों के ऊपर। लेकिन यहां तो हमारी बातचीत १५ दिन के अन्दर हो जानी चाहिये। जिस आदमी को एलेक्शन लड़ना है अगर वह इतना बेहोश रहेगा कि १५ दिन के अन्दर एतराज न कर ले तो खुदा हाफिज है। वह क्या खड़ा हो सकता है और क्या पब्लिक की भलाई कर सकता है। वह चाहे तो वह आबजेक्शन कर सकता है। अगर वह इतना भी न करे तो वह खड़ा होने के काबिल नहीं है। तो मैं निहायत अदब के साथ अर्ज करना चाहता हूं कि १५ दिन के बजाय ३० दिन कर दिया जाय, यह तो कोई बात नहीं है। मैंने फैजाबाद, बस्ती और गोरखपुर को भी देखा है। पांच मील से ज्यादा एरिया नहीं है। चार दिन के अन्दर पैदल चलकर भी वह अपने घर से पहुंच सकता है। तो मैं उनसे यह रिक्वेस्ट करूंगा कि वह इसको वापस ले लें। इन शब्दों के साथ मैं त्रिपाठी जी के संशोधन का विरोध करता हूं।

श्री राम नारायण त्रिपाठी-

ज्यादा वाद विवाद हो गया और मुझे थी । जिस धारा 11-B (2) पर बहस हो रही है वह इस प्रकार है—

"(2) The draft of the Order under sub-section (1) shall be published for objections for a period of not less than 15 days and a copy of the same shall be sent to the board or boards concerned for comments."

उपाध्यक्ष महोदय, इसके दो अर्थ लिये गये। बहुत से लोगों ने तो यह कहा कि वह गजट में या गवर्नमेंट के किसी पैम्फलेट में या नोटिफिकेशन में छपने के १५ दिन बाद एतराज किये जायेंगे और उसके लिये लिमिट नहीं है और उसमें काफी देर होगी। दूसरे कुछ लोगों ने यह अर्थ लगाया कि १५ दिन के अन्दर ही अन्दर आबजेक्शन वगैरह वापस भी हो जाने चाहिये और उपाध्यक्ष महोदय जहां तक यह दूसरा अर्थ है वह मेरे ख्याल में यही अर्थ इसका है कि किसी म्युनिसिपैलिटी के बारे में या प्रान्त की तमाम म्युनिसिपैलिटियों के बारे में मान लीजिये कि १५ दिसम्बर को या १५ जनवरी को कोई पब्लिकेशन होता है। उसके बाद यह जरूरी हो जायगा मेरे ख्याल से कि ३० तारीख के अन्दर ही कमेंट्स (आलोचनायें) म्युनिसिपैलिटीयों के आवें और वापस भी लेलिये जावें। अगर इसका अर्थ यह नहीं है तो फिर हमारे ऊपर जो इल्जाम लगाया जाता है। कि हम एलेक्शन्स को टालना चाहते हैं वह निराधार होगा। अगर १५ दिन पब्लिकेशन का समय है और उसके बाद कमेंट्स (आलोचनायें) आयें और डढ़ दो महीने का वक्त लग जाय तब तो यह कहा जा सकता है कि हमने ऐसा सुझाव पेश किया है जिसमें लम्बा समय लगेगा मगर १५ दिन के अन्दर कमेंट्स म्युनिसिपैलिटीज से वापस चले आयेंगे इसकी मुझे आशा नहीं है इसलिये कि १५ दिन का वक्त नाकाफी होगा। मान लीजिये कि १५ जनवरी को कोई पब्लिकेशन होता है और फिर ३० तारीख वापसी की है। उपाध्यक्ष महोदय मुझे मालूम है कि फैजाबाद लखनऊ से ८० मील दूर है लेकिन माननीय मंत्रियों के पास जो खत भेजे जाते हैं उनका जवाब तीन महीने से कम एवरेज में नहीं पहुंचता। तो ऐसी हालत में कैसे एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि म्युनिसिपैलिटी वाले ताक पे बैठे रहेंगे। या वोटर्स ताक में बैठे रहेंगे और जिस रोज पब्लिकेशन होगा उसके १५ दिन के अन्दर ही अपने अपने कमेंट्स भेज देंगे। यह हमारा पिछला तजुरबा भी है कि एलेक्शन कमीशन ने जो तारीख मुकर्रर की या चीफ एलेक्टोरल आफिसर ने जो तारीख मुकर्रर की कि आज लिस्ट टंग जायगी उस तारीख को लिस्ट नहीं टांगी गई बल्कि उसमें चार-पांच दिन बाद टंगी लेकिन आखिरी मियाद नहीं बढ़ाई गई और नतीजा यह हुआ कि उसको असुविधायें हुई। मैंने यह कहा कि १५ दिन का समय किसी भी छोटे से छोटे म्युनिसिपल बोर्ड के लिये नाकाफी होगा और नतीजा यह होगा कि १५ दिन के अन्दर वापस भी चला आये, यह असंभव सी बात है। इस बात को महसूस करते हुये कि ज्यादा वक्त दिया जा सकता है, यह भी है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो १५ दिन का वक्त दे और इसी बात को दूर करने के लिये मैंने इस संशोधन को पेश किया था। जैसा श्री लक्ष्मीरमण आचार्य जी ने कहा कि यदि सरकारी पक्ष बीस दिन करते तो हम दो महीना कर देते, यह उनकी भावना है कि विरोधी दल के बारे में और यह मुबारक हो उनको लेकिन विरोधी दल का रवैया ऐसा नहीं रहता है कि ख्वामख्वाह विरोध के लिये विरोध किया जाय। हो सकता है कि जो बातें हम व्यावहारिक उसूल की और अच्छी से अच्छी समझते हैं, उनको वे अच्छी न मालूम हों। मैं समझता हूं कि यदि ऐसा हो कि सरकार कोई अमेंडिंगबिल पेश करे, उसके ऊपर विरोधी दल कोई एतराज न करे और वह दो मिनट में पास हो जाय, तो उससे अच्छा विरोधीदल सरकार के लिये कोई नहीं हो सकता है, लेकिन जो हमारी डिफिकल्टीज है, जो जनता की डिफिकल्टीज हैं उनको हम रखते हैं और ख्वामख्वाह टाइम बढ़ाया जाय यह हम न चाहते हैं और न हमारी ऐसी नीयत है। इन शब्दों के साथ जो मैंने उचित समझा उसको माननीय मंत्री जी के सामने रख दिया और अब यह उनकी इच्छा पर है कि वे चाहे स्वीकार करें चाहे अस्वीकार करें।

श्री मोहन लाल गौतम--माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस हिस्से पर इस वक्त बहस हो रही है और जिस के मानी कई लगाये जा रहे है, मै निवेदन करूंगा कि उसका अर्थ यह है कि

"The draft of the Order under sub-section (1) shall be published for objections for a period of not less than 15 days and a copy of the same shall be sent to the board or boards concerned for comments"

यानी जो भी ऊपर के हिस्से मे ११ (बी) (१) मे चार बाते कही गयी है उनका ड्राफ्ट होगा, वह छपवा दिया जायगा, गजट मे छपेगा, और उसपर आब्जेक्शन्स मांगे जावेंगे जिनकी कि मियाद १५ दिन से कम नहीं होगी गजट मे छपने के दिन से और आगे को जो तारीख मुकर्रर होगी उसमे कम से कम १५ दिन का वक्फा होगा और यह नहीं होगा कि साहब पहुंचा नहीं, या गजट मे देर से छपा. या १५ दिन की वहां से गिनती हो गयी। चूंकि यह पब्लिकेशन होगा लेकिन एक कापी बोर्ड के पास भेज दी जायगी उन सब चीजों के लिये जो ऊपर कही गयी है और उसपर भी १५ दिन की मियाद मुकर्रर होगी। वह कापी जो बोर्ड्स के पास भेजी जायगी उसके लिये भी वही मियाद लागू होगी। इसलिये इसमें कोई खास बहस की गुंजाइश नहीं है। कम से कम १५ दिन पहले, जैसा मैने कहा, वही रखा गया है।

मै सिर्फ एक गलतफहमी श्री नरसान सिंह जी की दूर कर देना चाहता हूं। उनको अधिकार है कि वे जैसी चाहे अपनी ओपिनियन बनावे और अगर उनको उसको एक्सप्रेस करे तो इसका भी उनको अधिकार है लेकिन एक गलतफहमी जो मै दूर करना चाहता हूं वह यह है कि उन्होने कहा कि मै हमेशा सच्चाई पर हूं और जो सच्ची बात है उसी को कहूंगा। उन्होने यह भी कहा कि सच्ची बात कहने वाले को लोग बेवकूफ समझते है लेकिन फिर भी मै सच्ची बात कहूंगा। मै उनकी इस गलतफहमी को दूर कर देना चाहता हूं कि कम से कम मै इन दोनो चीजों को उनके बारे मे नहीं समझता हूं। मेरे दिल मे उनकी इज्जत है उनको मै बुद्धिमान समझता हूं और अपने से बड़ा समझता हूं। तो कम से कम मेरे दिमाग मे कोई भ्रम नहीं है और मै उनकी इस गलतफहमी को दूर कर देना चाहता हूं। इन शब्दो के साथ मै फिर अपनी मजबूरी जाहिर करता हूं कि मै इसको स्वीकार नहीं कर सकता।

श्री केशव गुप्त (जिला मुजफ्फर नगर)--माननीय मंत्री जी ने जो एक्सप्लेनेशन दिया है...

श्री उपाध्यक्ष--मै समझता हूं कि इसके लिये अब समय नहीं है।

प्रश्न यह है कि खंड ९ मे प्रस्तावित नयी धारा 11-B की उपधारा (2) की पंक्ति ३ मे अंक व शब्द "15 days" के स्थान पर शब्द "one month" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री नारायण दत्त तिवारी--मै आपकी आज्ञा से यह संशोधन प्रस्तुत करना चाहता हूं कि खंड ९ में प्रस्तावित नयी धारा 12-A के अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक वाक्य बढ़ा दिया जाय--

"Provided that persons residing in a rural area within the district in which a board is situated will also vote for such elections of a board if they pay any tax to such board."

श्रीमन्, जो धारा १२-ए है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है चूंकि वह बालिग मताधिकार के अनुसार मतदाताओं को इस बात का अधिकार देती है कि वह मतदाता बनें। तो उसी में मेरे संशोधन के अनुसार अगर इतना प्रतिबन्ध कर दिया जाता है कि मतदाताओं की सूची में ऐसे लोगों का भी नाम रहेगा जोकि देहात मे रहते है और जो म्युनिसिपैलिटी को

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

तरह तरह के टैक्स देते हैं और म्युनिसिपैलिटी उनसे टैक्स लेती है तो उनका प्रतिनिधित्व भी म्युनिसिपल बोर्ड में होना चाहिये । श्रीमन् मुझे तो खेद है कि माननीय मंत्री जी कोई बात होने लगती है तो ध्यान नहीं देते हैं. वे ध्यान देने की कृपा करें ।

श्री मोहन लाल गौतम—मैं आबजेक्शन रेज करता हूं 'कि मुझे खुद खेद है' यह लफ्ज ज्यादा सख्त है। मैं सुनूं या न सुनूं, उनको खेद करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री नारायण दत्त तिवारी—माननीय मंत्री जी सुनने की कृपा करें तो ज्यादा अच्छा है।

श्री मोहन लाल गौतम—आप प्रार्थना कर सकते हैं परन्तु खेद नहीं।

श्री नारायण दत्त तिवारी—मुझे खेद अपने लिये है आप के लिये नहीं।

श्री मोहन लाल गौतम—आप को खेद है कि मेरी कार्यवाही पर····

श्री उपाध्यक्ष—मैं समझता हूं कि आप माननीय मंत्री जी का ध्यान काफी आकर्षित कर चुके हैं।

श्री नारायण दत्त तिवारी—जी हां, मैं उनका ध्यान आकर्षित करा चुका हूं । तो मेरा निवेदन केवल इतना ही था कि अगर ऐसे सभी मत दाता मान लिये जायं जो कि म्यूनिसिपल बोर्ड को किसी प्रकार का टैक्स देते हैं तो इस से सहूलियत होगी। माननीय मंत्री जी ने उस दिन बहुत आवेश में कहा था आम विवाद के दिन जब मैंने इस बात को प्रतिपादित किया था कि यह पोजा सोशलिज्म है कि जो टैक्स दे वही वोटर हो जो मजदूर है, शहर के बाहर रहता है वह वोटर न माना जाय। जो टैक्स देते हैं वही वोटर माना जाय, यह सोशलिज्म का पाठ उन्होंने पढ़ाया था। उस दिन मैं उनसे कुछ न कह सका लेकिन आज मैं उनसे सोशलिज्म का पाठ पढ़ने को तैयार हूं बशर्ते कि वह उन मजदूरों को भी अधिकार दे दें, सोशलिस्ट होने के नाते मुझसे आगे बढ़ें । उस दिन मैंने केवल इतनी ही बात कहने का साहस किया था जितनी खेर कमेटी ने कही थी लेकिन वह तो मुझ से आगे बढ़ गये और एक कदम सोशलिस्ट होने के नाते उन्होंने कहा कि ऐसे मजदूर वोटर होने चाहिये जो कि शहर में काम करते हैं और शहर के बाहर रहते हैं। श्रीमन्, मैं तो आज बहुत प्रसन्न हूंगा अगर हमारे माननीय मंत्री जी उस दिन के अपने भाषण के अनुरूप स्वयं एक संशोधन प्रस्तुत करें जिसके अनुसार हर मतदाता ऐसा हो सके जो शहर में दिन में काम करता है और रात में अपने गांव चला जाता है। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी के उस दिन के भाषण को जितने लोगों ने सुना होगा वह आज यह संशोधन स्वीकार करने के लिये तैयार होंगे ही और इस संशोधन में एक और संशोधन के लिये भी तैयार होंगे कि ऐसे सभी मतदाता हो जाने चाहिये।

श्रीमन्, मैं आप के द्वारा विशेष रूप से श्री सुल्तान आलम खां, श्री एजाज रसूल साहब और श्री चन्द्र भानु गुप्त से निवेदन करूंगा चूंकि वह खेर कमेटी के मेम्बर थे जिसने कि यह प्रस्ताव रखा था जोकि आज मैंने रखा है। उस समय तो कोई सोशलिज्म की बात ही ऐसी नहीं थी और उस समय जिन लोगों ने इसे एक मत से देखा, पास किया, उन्होंने इस में कोई नोट आफ डीसेन्ट नहीं दिया था, मैं समझता हूं उनकी राय आज भी यही होगी । और मुझे यह विश्वास है, श्रीमन्, कि आज माननीय महोदय जरूर उठेंगे और मेरे इस प्रस्ताव का समर्थन करेंगे भले ही इसमें सोशलिज्म का इतना प्रश्न न हो। खेर कमेटी की रिपोर्ट में पेज २५ में कहा गया है :—

"Qualification of Electors—Subject to the disqualification mentioned in paragraph 68 all persons of the age of 21 or above should be entitled to

vote at the District Board election if residing in the rural area and at a Municipal Board election if residing in a municipal area;

Provided that persons residing in a municipal area may also vote at a District Board election if they are paying tax to a local body in a rural area and vice versa."

इसको खाली लिख ही नहीं दिया। इसको कमेटी ने एक मत हो कर समझाया भी। इसी रिपोर्ट के पेज ५, पैराग्राफ १२ में यह लिखा है --

"As in the case of Gaon Panchayats and Town Areas we have proposed that the elections of District Boards and Municipal Boards should be held on the basis of adult franchise and nominations should be abolished. We have gone a step further in the case of District and Municipal Borads and suggested that an adult residing in a municipal area may be a voter in the District Board if he was paying any tax to the latter and vice versa. We are confident that in the new spheres of the District and Municipal Boards such wider representation will be all to the good. We have done away with all the existing disquaufiations for electors except one arising from unsoundness of mind."

श्रीमन्, इतना स्पष्ट मामला खेर कमेटी की रिपोर्ट से हमारे सामने प्रस्तुत है। हमें दरअस्ल विचार करना पड़ेगा कि उस समय की परिस्थिति के अनुसार ही उन्होंने यह सुझाव दिया था या आज की स्थिति के अनुसार भी दिया है। माननीय मंत्री जी के मुझे शब्द याद हैं। जिस समय हमने खेर कमेटी की रिपोर्ट के बारे में कहा था तो माननीय मंत्री जी ने एक उदाहरण दिया और कहा था कि उस समय तो ब्रिटिश शासन काल था, अंग्रेजों के हाथ से हम को ताकत लेनी थी और ताकत छीनने के इस प्रयास में उस कमेटी की रिपोर्ट बनी थी। मेरा ऐसा विश्वास, श्रीमन्, नहीं है। मैं यह भी नहीं मानता कि जितने लोग उस कमेटी में थे उन सब का ऐसा ही प्रयास था। उनका तो यह विश्वास था कि यह खेर कमेटी की रिपोर्ट बुनियाद बन कर भारत में, विशेष कर उत्तर प्रदेश में स्वायत्त शासन संस्थाओं को बनाने के लिये उनका भारतीय रूप में विधान बनाने के लिये आवश्यक और बड़ी महत्वपूर्ण होगी। जहां तक मैं समझता हूं यह प्रश्न कि जो टैक्स देने वाला है उसका प्रतिनिधित्व अवश्य होना चाहिये यह बहुत ही उचित बात है। इतना मुझे याद है और मैंने उस दिन भी कहा था कि इतिहास भी हमें यही बात बतलाता है। अमरीका के शासन का इतिहास इस लड़ाई से शुरू हुआ कि जो टैक्स देते हैं उनको अधिकार मिलना चाहिये। बोस्टन की टी पार्टी की कहानी हम सब को मालूम है कि जब चाय पर टैक्स लगा और अमरीका के रहने वालों पर अंग्रेजों ने टैक्स लगाया तो उन्होंने उस चाय को समुद्र में फेंक दिया और कहा कि हम चाय पर टैक्स देंगे अगर हमारा प्रतिनिधित्व नहीं है इसलिये हम इस चाय को नहीं पीयेंगे। मैं माननीय मंत्री जी के सामने एक प्रश्न रखना चाहता हूं। मैं अपने यहां की मिसाल देता हूं। हल्द्वानी म्युनिसिपल बोर्ड हमारे यहां है। वहां पर हजारों घोड़े आलू से भरे हुये लीसा लेकर लोग आते हैं। आसपास के गांव वालों को रोजाना टैक्स दो प्रकार का देना पड़ता है लेकिन वहां पर उनके लिये एक भी सराय नहीं है। आज हल्द्वानी म्युनिसिपल बोर्ड को कम से कम दस साल से मौका नहीं मिल पाया है कि वह घोड़े वालों के लिये कोई सराय बनवा देता जब कि वह हजारों रुपये सालाना टैक्स के रूप में देते हैं। इसको चा चुंगी कहिये या कुछ भी कहिये। इसको कम से कम दस साल हो गये हैं और अब तक कोई सराय उनके लिये नहीं बन सकी है इसीलिये कि उनके लिये कोई भी बोर्ड में लड़ने वाला नहीं है। अगर कोई उनके लिये लड़ने वाला होता, उनका कोई प्रतिनिधि होता तो जिस प्रकार से मेम्बर्स अपने वार्ड के नागरिकों की मांग के लिये लड़ते हैं तो वह भी उनके लिये लड़ता और कहता कि आप इन लोगों से हजारों रुपये सालाना टैक्स ले रहे हैं तो क्या एक सराय नहीं बनवा सकते हैं। मान लिया जाय साग भाजी वालों पर लाइसेंस है। अगर वह साग भाजी बेंचते हैं तो उनको लाइसेंस लेना पड़ता है।

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

मैंने देखा है कि हमारे यहां लोग देहात से तरकारी लाते हैं और एक जगह कहीं पड़ बनाकर उनको बेचने की इजाजत मिल जाती है लेकिन कभी यह आर्डर आता है कि यहां नहीं बैठ सकते हो वहां नहीं बैठ सकते हो। इस तरह की बहुत सी परेशानियों का उन्हें सामना करना पड़ता है और जो मेम्बर्स वहां पर होते हैं, मैं यहां पर यह नहीं कहना चाहता कि सभी मेम्बर्स बुरे होते हैं और उनके लिये नहीं लड़ते हैं। जब तक यह भावना नहीं होती कि वह उनके प्रतिनिधि हैं तब तक यह नहीं हो सकता और न वह ही उनके वोटर्स होते हैं इसलिये किसी को कोई फिक्र नहीं होती है।

मुझे एक बात याद आगई जो हाल ही में आगरा यूनीवर्सिटी ऐक्ट के बारे में सम्पूर्णानन्द कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया था कि राजपूताना के कालेजों का कोई प्रतिनिधि नहीं होता है इसलिये उनकी बात नहीं कही जा सकती है। इन सारी बात को देखते हुये मैं समझता हूं कि लोकल कमेटी ने इस बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत को रखा था कि जो टैक्स देता है उसको प्रतिनिधित्व अवश्य मिलना चाहिये। जहां मैं इस सिद्धांत की बात करता हूं वहां एक समस्या और इस बात की आती है कि हमारे मंत्री जी कहेंगे कि यह कैसे सम्भव होगा क्योंकि जो वोटर्स होंगे वह लड़े भी हो सकेंगे। यह सही है और लोगों को एक अच्छा मौका मिलेगा अपने प्रतिनिधि को भेजने का। अब सवाल यह आयगा कि वह किस वार्ड के वोटर माने जायेंगे। •

मैंने सुझाव दिया है कि वह सब मतदाता जो इस संशोधन के जरिये माने जायेंगे वह उस वार्ड के माने जायेंगे जो देहाती क्षेत्र से सबसे नजदीक हो। जैसे लखनऊ से कोई चार मील के फासले पर कोई नागरिक मलिहाबाद की तरफ के वोटर्स बनते हैं तो उस रास्ते से लखनऊ म्युनिसिपैलिटी का जो सबसे पहला वार्ड मिलता है तो वह उस वार्ड के वोटर्स माने जायेंगे और मुझे आशा है कि हमारे मंत्री जी मेरे इस संशोधन को इस तरह से नहीं समझेंगे कि लोकल कमेटी की नकल करने की भावना से मैं यह प्रस्ताव कर रहा हूं क्योंकि मैं स्वयं नकल करना अच्छा नहीं समझता। लोकल कमेटी ने जो बात कही है वह हमारे लिये एक इशारा है, एक प्वाइन्टर है और अगर हम उसकी कोई सही बात मानते हैं तो वह नामुनासिब बात नहीं है। यह भी कहा जा सकता है कि यह अंग्रेजों के जमाने की बात थी जैसा कि मैंने पहले कहा कि आज यह लागू नहीं होती है। मैं समझता हूं कि जहां तक प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, मतदाताओं को मतदान देने के अधिकार का प्रश्न है वहां पर हमें और अधिक अधिकार देने चाहिये।

आजादी होने के बाद और स्वतंत्रता होने के बाद तो हमारे इस सदन के लिये और आवश्यक हो गया है कि हम मतदान के अधिकार को उन सभी स्थानों में उसका प्रसार करें जिनको हम समझते हैं कि उनका प्रतिनिधित्व उस क्षेत्र में, उस स्थान में होना चाहिये। अगर यह बात सही है तो मैं आज माननीय मंत्री जी से विनम्र निवेदन करूंगा और इस सदन के सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि यह बात बहुत आसान है कि जिस पर हम अपने निश्चय को, अपने मत को व्यक्त न करें, लेकिन उसके व्यक्त करने के बाद अगर हमें कोई कमी महसूस होती है उसको दूर कर सकते हैं लेकिन सिद्धान्तः हमें इस बात के मानने में कोई आपत्ति न होनी चाहिये कि ऐसे मतदाता जो देहाती क्षेत्रों में रहते हैं, जो टैक्स देते हैं उनको म्युनिसिपल बोर्ड में वोटर होने का अधिकार मिलना चाहिये। साथ ही साथ मैं बहुत ही अहसान मानूंगा समाजवादी शक्तियों के लिये, इस देश की और इस प्रदेश की समाजवादी शक्तियों के लिये अगर वह मेरे इस संशोधन से आगे बढ़ कर हर मजदूर को जो देहात में रहता है लेकिन शहर में काम करता है उसे भी वोटर मान ले तो मैं बहुत उपकार मानूंगा और वास्तव में उनका अनुग्रहीत हूंगा? अगर ऐसा संशोधन ले आया गया तो वास्तव में मैं पहला आदमी हूंगा, मैं ही नहीं विरोधी दल और सदन के सारे माननीय सदस्य उनकी इस महान कृति के लिये और नये रचनात्मक सुझाव के लिये उनको बधाई देंगे।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय राजनारायण दत्त जी के संशोधन का थोड़े से अंश को छोड़ कर शेष का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। जहां तक माननीय नारायण दत्त जी के संशोधन के रखने की भावना का प्रश्न है मैं उनसे पूर्णतया सहमत हूं और उसका एक कारण यह है कि म्युनिसिपल बोर्ड्स के समीप के ग्रामों से उनका संबंध विशेष तौर पर से होता है। साधारणतया मैं मुरादाबाद म्युनिसिपल बोर्ड के आसपास के क्षेत्र के अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि आसपास के ग्रामों में इस प्रकार के लोग बसते हैं जो या तो म्युनिसिपल बोर्ड की सीमा में आ कर मजदूरी करते हैं या आसपास की जमीनों में तरकारियां बोते हैं, या इससे आगे बढ़ कर देखें तो वह लोग हैं जो शहरों में ईंधन और चारा इस तरह की दूसरी चीजें लाकर बेचते हैं। जब उनके जीवन का संबंध म्युनिसिपल बोर्ड्स से जुड़ा हुआ है तो यह बात स्वाभाविक सी हो जाती है कि उनका उस स्थान के स्थानीय स्वशासन में हाथ होना चाहिये। मैं मुरादाबाद म्युनिसिपल बोर्ड के संबंध में जैसा कि मैंने शुरू में कहा थोड़ा सा अनुभव रखता हूं। मैंने मुरादाबाद म्युनिसिपल बोर्ड के आसपास के गांवों में देखा है कि म्युनिसिपल बोर्ड की हद से बाहर जो लोग बसते हैं तमाम शहर का मैला उन लोगों के सर पर ले जा कर डाल दिया जाता है। उनकी आबादी के करीब ५० गज या १०० गज के अन्दर तमाम शहर का मैला भरा रहता है। मैंने देखा है कि जहां एक गांव देहरी है और इसी प्रकार दूसरी आबादियां हैं। जिनमें तमाम मुरादाबाद का मैला भरा रहता है। जितना गन्दा मैला होता है जो कि शहरों से निकलता है वह सब उन गांवों के आसपास डाल दिया जाता है। उसका नतीजा यह होता है कि बेहद गन्दगी रहती है बरसात के मौसम में शहर के आस पास के बसने वाले लोगों की, गन्दगी की वजह से, जिन्दगी दूभर हो जाती है। वह तमाम नालियां जो बहुत गन्दी होती हैं उनकी आबादी के अन्दर से बहती रहती हैं। ऐसी सूरत में यह विचारना पड़ेगा कि म्युनिसिपैलिटी की तरफ से यह ज्यादती क्यों होती है। उसका एक मात्र कारण यही है कि जिन लोगों के हाथ में म्युनिसिपल बोर्ड की शक्ति होती है उनको इस प्रकार का भय नहीं होता कि हम लोग जिन लोगों के साथ यह अत्याचार करते जा रहे हैं उनके बारे में हमारी भी कुछ जिम्मेदारी है। यही नहीं अगर टैक्स लगाने की नीति को लिया जाय जैसा कि मैंने शुरू से ही कहा था कि मुझे ज्यादा म्युनिसिपल बोर्ड का अनुभव नहीं है। मैं तो एक म्युनिसिपल बोर्ड का अनुभव लेकर चल रहा हूं और उसी के अनुभव के आधार पर यह आवश्यक समझता हूं कि जो लोग वहां टैक्स देते हैं जिन लोगों का सम्बन्ध म्युनिसिपल बोर्ड से रहता है उनको वोट देने का अधिकार मिलना चाहिये। मैं अपने यहां म्युनिसिपल बोर्ड की नीति के सम्बन्ध में एक छोटा सा उदाहरण सदन के समक्ष रखना उचित समझता हूं। जिन काश्तकारों की गन्ने की गाड़ी म्युनिसिपल बोर्ड की हद से गुजरती है उन काश्तकारों की हर गाड़ी पर ढाई रुपया हर गाड़ी पीछे टैक्स लगा दिया गया है। ("एक आवाज" वह सड़क इस्तेमाल करते हैं।) माननीय सदस्य की ओर से संकेत किया गया है कि वह सड़क इस्तेमाल करते हैं इसलिये यह उन पर टैक्स लगाया गया है। यदि हम इसी प्रकार से इस व्यवस्था को लें तो इसी प्रकार से डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की हद में देहात में रहने वाले लोगों को यह अधिकार होना चाहिये कि वह म्युनिसिपल बोर्ड के लोगों पर इसी प्रकर के टैक्स लगायें। शहर के लोग गांव से जरूरी चीजें अपनी जिन्दगी के लिये डिस्ट्रिक्ट बोर्ड एरिया से लाते रहते हैं। यह दलील कोई ऐसी नहीं है कि वह सड़क पर होकर गुजरते हैं इसलिये उनके ऊपर टैक्स लगना चाहिये वह म्युनिसिपल बोर्ड ने ढाई रुपये टैक्स प्रत्येक गाड़ी पर तब लगाया जब कि गवर्नमेंट की तरफ से यह जी० ओ० हो चुका था कि २ आना या ढाई आना से ज्यादा टैक्स गाड़ी वालों से नहीं लेना चाहिये। मेरे कहने का मतलब यह है कि यह हिम्मत म्युनिसिपल बोर्ड के अधिकारियों को इसलिये हुई कि उन आसपास के गांवों में रहने वाले जो लोग थे उनका प्रतिनिधि उस म्युनिसिपल बोर्ड में नहीं था। अगर देखा जाय तो म्युनिसिपल

[श्री महीलाल]

बोर्ड की हद मे दूध लाने वालो पर कोई टैक्स नही है लेकिन जो गरीब लोग देहात मे उपले बेचने के लिये लाते है या कही बेचने के लिये कुट्टी लाते है या चारा बेचने के लिये लाते है उन सब बेचारो से टैक्स लिया जाता है और वह टैक्स ऐसी हालत में लिया जाता है कि जब जाडे का मौसम होता है और उनके तन पर कपडा नही होता है और अपना और अपने बच्चो का पेट भरने के लिये अपने उपले या कुट्टी या चारा बेचने के लिये शहर मे आते है और उसको बेचकर अपना गुजारा किसी तरह से करते है। उनके लिए जरूरी है कि वह चुगी पर ढाई आना देकर अन्दर दाखिल हो। ईंधन जिसकी कि हर गरीब और अमीर को जरूरत है उस पर भी टैक्स लिया जाता है और जो दूध पीने वाले लोग है या बेचने वाले लोग है उनसे टैक्स नही लिया जाता है। यह चीज मैने इसलिये सदन के सामने रखी कि यह तमाम चीजे हमको मजबूर करती है और हमारे मस्तिष्क को खीचती है कि आसपास के जो लोग टैक्स देते है उनको यह अधिकार होना चाहिये कि वह म्युनिसिपल बोर्ड के बनाने और उसका शासन स्थापित करने मे अपना अधिकार रखे जिससे उनकी दिक्कतो को, उनकी तकलीफो को उनका प्रतिनिधि जाकर सही मानो मे रख सके। उपाध्यक्ष महोदय, मै आपके द्वारा माननीय स्वशासन मत्री से प्रार्थना करूगा कि जहा मैने एक उदाहरण एक म्युनिसिपल बोर्ड का रखा है प्रान्त मे ऐसे ही और भी म्युनिसिपल बोर्ड हो सकते है। ऐसी स्थिति मे माननीय नारायण दत्त जी का प्रस्ताव जिस रूप मे आया है उस रूप मे तो न माना जाय क्योकि उसको उसी रूप मे माना जायगा तो वह व्यवहारिक न होगा। इसलिए कि ऐसा भी होता है कि टैक्स देने के लिए म्युनिसिपल बोर्ड से ज्यादा से ज्यादा दूरी के लोगो को भी टैक्स देने का मौका मिलता है। उदाहरण के तौर पर दस मील की दूरी का आदमी घी बेचने आता है वह भी टैक्स देता है। ऐसे आदमी को भी जो कि हफ्ते मे एक बार ही आता हो यदि हम वोट का अधिकार दे दे तो इससे बहुत परेशानी पैदा हो सकती है और यह चीज कोई व्यवहारिक नही मालूम होती। दूसरा उदाहरण भी हो सकता है जैसे कि एक उदाहरण हल्द्वानी का दिया गया कि वहां पहाड़ के लोग आते है यदि उन सब लोगो को वोट देने का अधिकार दे दिया जाय तो मै श्री नारायणदत्त जी से पूछूगा कि जो लोग ऊपर पहाड़ से हल्द्वानी मे १०, १५ मील से आते है और आलू वहा आकर बेचते है वह किस प्रकार वहां आकर वोट देगे। क्या सूरत होगी जिससे उनको इत्तला दी जाय और किस प्रकार से उनकी बात व्यवहारिक हो सकेगी। मै उनके इस अंश का विरोध करते हुए कि हर उस व्यक्ति को जो किसी न किसी रूप मे म्युनिसिपल बोर्ड को टैक्स देता है उसको अधिकार न देकर एक दूरी नियत कर दी जाय, ऐसा चाहे नारायण दत्त जी अपनी तरफ से रखे या माननीय मंत्री जी उसे ठीक कर दे जैसे वह उचित समझे। मै तो सुझाव करूगा कि कम से कम ३ मील म्युनिसिपल बोर्ड के बाहर के रहने वाले लोगो को वोट का अधिकार होना चाहिये। (एक आवाज--ऐसा तो है ही।) अगर ऐसा है तो ठीक है मै तो मतलब यह समझा हूं कि शायद सफाई की ही जिम्मेदारी म्युनिसिपल बोर्ड पर डाली गई है और इसमे जहां तक व्यवहारिकता का सवाल है वह भी दिक्कत नही पड़ेगी, इसलिये कि जनरल एलेक्शन की जो लिस्टें है, उन्ही से म्युनिसिपल बोर्ड का एलेक्शन हो रहा है और उसी प्रकार उनको भी वोट देनेका अधिकार उसी लिस्ट के मुताबिक हो सकता है। इन शब्दों के साथ मै माननीय स्वाशासन मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि वह इस संशोधन को इस रूप में अवश्य स्वीकार कर लें।

श्री मोहन लाल गौतम--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस संशोधन को पेश करने में बहुत सी दलीलें दी गई है और मुझसे बहुत सी मांगें की गई है। उन सब के बारे में मैं न कह कर मै सदन का समय बचाना चाहूंगा। इस समय जो हमारा फ्रेन्चाइज

का आधार है उसको हमे अच्छी तरह से समझना जरूरी है। जो भी क्वालिफिकशन्स दी गई है वह उस समय की थीं जब कि प्रापर्टी क्वालिफिकेशन फ्रेन्चाइज की थी लेकिन वह एक अनडेमोक्रेटिक चीज थी और सोशलिज्म के भी खिलाफ है और आज जितना विधान बना है और उसके अन्तर्गत जो रूल्स व रेगुलेशन्स बने है उन सबमें एक बात है और उसके बारे में मै आपकी आज्ञा से सदस्यों से निवेदन करूंगा और माननीय सदस्य जब संशोधन पर विचार करे तो उसको अपने सामने रखें। वह यह है कि इस समय सब जगहों के लिये एडल्ट फ्रेंचाइज मंजूर हुआ है। एडल्ट फ्रेंचाइज के साथ रेजीडेंशल क्वालीफिकेशन भी हों, नहीं तो एडल्ट फ्रेंचाइज का बड़ा भयानक रूप हो जायगा। यदि किसी को यदि उसकी किसी और जगह प्रापर्टी हो उस जगह भी वोट का अधिकार प्रापर्टी की बिना पर दिया गया तो यह डेमोक्रेटिक उसूलों के और सोशलिज्म के भी विरुद्ध होगा। इससे फायदा नहीं होगा, बड़ा नुकसान होगा। इस संशोधन के पेश करने वाले माननीय सदस्य ने खुद एक ऐसी मिसाल दी जो खुद यह साबित करती है कि इससे कितनी मुसीबत बढ़ जायगी। उन्होंने हल्द्वानी म्युनिसिपैल्टिी की मिसाल दी और कहा कि हजारों लोग घोड़े लेकर वहां आते हैं हर साल, जो टैक्स देते हैं, वे सभी वोटर होने चाहिये। कोई भी बड़ा मेला किसी म्युनिसिपैलिटी में लगता हो तो जितने भी बाहर के लोग वहां आकर अपना माल लेकर आवें और टैक्स दें वे सब भी वोटर होने चाहिये। उन सब का एक रजिस्टर बनेगा क्योंकि उन सबके पास सूचना जायगी। अब सोचिये कि यह कहां तक मुमकिन है। यह भी हो सकता है कि किसी म्युनिसिपैलिटी में वहां के रहने वालों की संख्या कम हो और बाहर से आने वालों की अधिक हो जाय, तो ऐसी सूरत में तो बाहर वालों का बहुमत हो जायगा। फिर इसमें टैक्स की कोई मियाद नहीं है। यदि कोई २ पैसा भी टैक्स साल मे दे देता है तो वह भी वोटर हो सकता है। दूसरे न इसमे यह कहा गया है कि वह २ पैसे भी किस वर्ष मे दे, जिसका अर्थ यह भी हो सकता है कि यदि किसी व्यक्ति ने किसी बोर्ड को १० या १७ साल पहले २ पैसे भी टैक्स के दे दिये हों तो वह कानून के अनुसार आकर कह सकता है कि मैने टैक्स दिया है, मुझे वोटर बनाओ। आप कैसे इंकार कर सकते है? इस तरह नहीं मालूम कितने लोग आकर वोटर बन जावेंगे। इसके अलावा यह भी है कि जो आदमी व्यापारी है, घी बेचने वाला है। वह कभी तो हल्द्वानी चला जायगा और कभी, जब आप नैनीताल गर्मियों मे जावेंगे, तो वहां चला जावेगा। तो इसके मानी तो यह हुये कि वह अपने गांव की पंचायत या गांव सभा मे भी वोटर है और दूसरी भी कई जगह है।

एक सदस्य——मिर्जापुर मे लन्दन के लोग भी टैक्स देते है।

श्री मोहन लाल गौतम——लेकिन उसकी यहां सीमा बांध दी है कि 'विदिन दी डिस्ट्रिक्ट, हालांकि वह भी अव्यावहारिक है। चल नहीं सकता। इस तरह तो वोटर्स लिस्ट ही तैयार नहीं हो पायेगी, इलैक्शन्स तो अलहदा रहे। इसलिये यह संशोधन कोई सुविधाजनक नहीं है।

मेरे एक भाई माननीय महीलाल जी ने भाषण शुरू किया था, कुछ अंशों को छोड़ कर, उसका समर्थन करके और उनके भाषण का अन्त हुआ है उसकी कठिनाइयों को जाहिर करके। उन्होंने यह कहा कि यह कैसे हो सकता है। हजारों घोड़े वाले आते है, वे सब वोटर हो जावेंगे। तो उनकी जो एक चीज थी, जिस भावना से प्रेरित होकर उन्होंने कहा कि म्युनिसिपैलिटी के आसपास रहने वालों का ख्याल नहीं रखा जाता, गन्दगी फेंक दी जाती है, बरसात में वे लोग परेशान हो जाते हैं, उस भावना की तो मै कदर करता हूं और मै समझता हूं कि इसका इन्तजाम होना चाहिये। लेकिन उन्होंने इसका समर्थन किया कि विरोध किया। मेरा ख्याल है कि जब उन्होंने अपना भाषण समाप्त किया था तो उनको दिक्कत महसूस हो गयी थी और उन्होंने

[श्री मोहन लाल गौतम]

इसका विरोध ही किया । फिर कुछ इस तरह की बातें कह कर कि इसमें यह रख करके वह रख करके संशोधन मंजूर कर लिया जाय, यह सदन का तरीका है। जब तक कि शब्द सामने न हों, तब तक भवन इस तरह से कानून नहीं बनाता है कि माननीय मंत्री जी इसमें यह करके इसको इस तरह से मंजूर कर लें। इस सदन का कार्य इस तरह से नहीं चलता। इसलिये उनकी दिक्कतों को महसूस करते हुए भी मैं मजबूर हूं कि इस समय इस संशोधन को मंजूर करके उनकी दिक्कतों को दूर कर सकूं। वाकई में जो उनकी असली दिक्कत है वह ज्यादा ऐडमिनिस्ट्रेटिव है, कानूनी भी हो सकती है। अगर उसको लेकर सोचा जाय विचारा जाय और उसको दूर करने की कोशिश की जाय तो यह चीज हो सकती है। क्योंकि वाकई में यह ठीक है कि शहर के रहने वालों को यह अधिकार नहीं है कि वे अपना कूड़ा कर्कट और तमाम गन्दगी गांव के आस-पास फेंक दें और गांव वालों के रहने में दिक्कतें पैदा कर दें। ये तमाम तकलीफें हैं लेकिन मुझे अफसोस है कि इस समय में इस संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकता।

श्री ब्रजविहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह संशोधन जो माननीय त्रिपाठी जी की ओर से प्रस्तुत किया गया है मैं उसका विरोध करता हूं। कारण उसका स्पष्ट है। अगर यह संशोधन स्वीकृत कर लिया जाय तो क्या परिस्थिति होगी इस पर जरा ध्यान देने की आवश्यकता है। यह १२ ए इस तरह से पढ़ा जाता है :—

"12-A. Except as provided in section 10, the elections of the members of a board shall be on the basis of adult suffrage."

उस पर माननीय नारायण दत्त तिवारी जी जो संशोधन करना चाहते हैं वह इस तरह से है —

"Provided that persons residing in a rural area within the district in which a board is situated will also vote for such elections of a board if they pay any tax to such borad."

तो माननीय तिवारी जी के कहने का अर्थ यह है कि इस तरह का संशोधन जो प्रस्तुत किया गया है उसमें यह प्राविज़ो ऐड कर दिया जाय। अगर मान लें थोड़ी देर के लिये कि यह प्राविज़ो उसमे ऐड कर दिया जाता है तो उसकी जो व्यावहारिक कठिनाइयां होंगी उसकी तरफ हमारे माननीय मंत्री महोदय ने सदन का ध्यान आकर्षित किया है और इसमें मैं यह निवेदन करूंगा कि एक सिद्धान्त का प्रश्न भी निहित है। संविधान के अनुसार जितने असेम्बली के एलेक्शंस हैं, या और भी जितने एलेक्शंस है हर जगह के एलेक्शंस के सम्बन्ध में माननीय मंत्री महोदय ने कहा है कि हमने इस सिद्धान्त को मान लिया है कि बालिग मताधिकार के बेसिस पर ही सब एलेक्शंस हुआ करेंगे और संविधान के अनुसार हर एक बालिग को वोट देने का अधिकार होगा। प्रापर्टी बेसिस पर जो पहले विधान था कि हर जगह असेम्बली में, म्युनिसिपैलिटी में या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के चुनाव में जो टैक्स पेयर्स थे केवल उन्हीं को वोट देने का अधिकार था। उस प्रश्न को संविधान ने हल कर दिया है और प्रापर्टी बेसिस पर कोई फ्रेंचाइज नहीं है बल्कि जो फ्रेंचाइज दिया गया है वह इस बिना पर दिया गया है कि कोई व्यक्ति जो बालिग हो और किसी खास स्थान का रहने वाला हो। चाहे उसके पास जायदाद हो या न हो, वह टैक्स देता हो या न देता हो लेकिन उसे वोट देने का अधिकार है। वह असेम्बली के चुनाव में वोट दे सकता है, रूरल एरियाज में रहता है तो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के लिये वोट दे सकता है और अगर म्युनिसिपल

लिमिट में रहता है तो म्युनिसिपैलिटी के लिये वोट दे सकता है। लेकिन माननीय तिवारी जी का कहना कि जो टैक्स पेयर्स हैं, जो भी टैक्स देता हो उसको वोट देने का अधिकार होना चाहिये। मुझे आश्चर्य हुआ उनके इस संशोधन को देखकर इसलिये कि सोशलिस्ट होने के नाते, समाजवादी होने के नाते प्रापर्टी का क्वेश्चन तो उनको कभी भी लाना ही नहीं चाहिये सोशलिस्ट लोग तो प्रापर्टी को खत्म करना चाहते हैं और यहां प्रापर्टी के बेसिस पर फ्रेंचाइज़ चाहते हैं। मैं माननीय त्रिपाठी जी से पूछना चाहता हूं कि यह दोनों बातें कहां तक उचित हैं कि कहीं तो प्रापर्टी को खत्म करें और कहीं प्रापर्टी के बेसिस पर फ्रेंचाइज चाहे। इसलिये उनके सिद्धान्त के मुताबिक भी यह अनुचित है और संविधान के मुताबिक भी यह संशोधन अनुचित है और उसमें जो व्यावहारिक कठिनाइयां आयेंगी उनकी ओर अभी माननीय मंत्री महोदय ने इस सदन का ध्यान आकर्षित किया है। मैं एक मिसाल की ओर इस सदन का ध्यान ले जाना चाहता हूं और वह यह है कि हमारे यहां बलिया जिले में ददरी का मेला लगता है और मेरा अनुमान है कि ३० हजार से ज्यादा आदमी मेले में आते हैं जो बलिया म्युनिसिपैलिटी को टैक्स पे करते हैं। तो इस संशोधन के मुताबिक जितने आदमी मेले में आते हैं और टैक्स देते हैं उन सब को वोट देने का अधिकार हो जायगा और बलिया म्युनिसिपैलिटी बहुत छोटी है बलिया शहर की संख्या जो वोटरों की है उससे ज्यादा वोटरों की संख्या इस मेले की हो जायेगी जो इस मेले में आते हैं और जो टैक्स पे करते हैं। यह अव्यावहारिक संशोधन है। माननीय महीलाल जी ने कहा कि दो तीन मील के अन्दर जो लोग आते हैं उनको अधिकार होना चाहिये लेकिन यह संशोधन तो उससे भी बहुत आगे चला जाता है कि हर वह शख्स जो म्युनिसपैलिटी को टैक्स पे करता है और उस जिले के निवासी हैं उनको वोट का अधिकार देना चाहिये। मैं माननीय सदस्य का उपाध्यक्ष महोदय आपकी आज्ञा से ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं और मिसाल देना चाहता हूं कि हम लोग ऐसे क्षेत्र के रहने वाले हैं जो आजमगढ़ से ५६ और ५८ मील पड़ता है और हमारे यहां से बहुत से लोग जाकर दूध और घी आदि बहुत सी चीजें शहर आजमगढ़ में बेंचते हैं और अगर आपके संशोधन का सही अर्थ निकाला जाय तो उनको जो वहां कुछ बेंचने जाते हैं वोट देने का अधिकार होना चाहिये। तो क्या वे ५६ या ५८ मील वोट देने जायेंगे यह बिल्कुल अव्यावहारिक है। मैं निवेदन करूंगा माननीय सदस्य महोदय से कि उनका ध्यान इस तरफ नहीं गया या कुछ गलतफहमी या जोश में आकर संशोधन पेश कर दिया। इसलिये वे इस संशोधन को वापिस ले लें यही उचित मालूम होता है।

श्री शिवनारायण---उपाध्यक्ष महोदय, मैं क्लोजर मूव करता हूं।

श्री नारायण दत्त तिवारी---यह प्रश्न इतना महत्वपूर्ण है कि इस पर और माननीय सदस्यों को बोलने का मौका मिलना चाहिये। अभी २० मिनट तो इस पर हुए हैं और यों तो यह आपके अधिकार में है और इतने महत्वपूर्ण संशोधन पर बहस अभी काफी नहीं हुई है।

श्री उपाध्यक्ष---बहस काफी हो चुकी है तभी तो प्रश्न रखा गया है। इस लिये मैं प्रश्न रखता हूं।

प्रश्न यह है कि प्रश्न उपस्थित किया जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री नारायण दत्त तिवारी---श्रीमान् जी, मैंने माननीय मंत्री जी के अपने संशोधन के विषय में जो विरोध उन्होंने प्रस्तुत किया उसको बड़े ध्यानपूर्वक सुना। मुझे पहले ही से आशा थी कि माननीय मंत्री जी का सोशलिज्म इतना गहरा है जितनी गहराई तक में

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

न जा सकूंगा। और मेरी जो एक जिज्ञासा के रूप में पिपासा थी वह पिपासा मेरी शांत न हो सकी। वह वैसी ही रही जैसी पहले थी। मुझे आशा थी कि मुझे कुछ प्रकाश प्राप्त होगा। मगर वह न हो पाया। माननीय मिश्र जी को गलतफहमी यह हुई कि मुझे यह गलतफहमी जो हुई है वह खेर कमेटी के माननीय सदस्यों को भी हुई थी। वह गलतफहमी बहुत पुरानी है। वह गलतफहमी मुझे नहीं हुई बल्कि जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं हमारे माननीय स्वायत्त शासन मंत्री जी के पहले जो स्वायत्तशासन मंत्री जी थे, जिन्होंने मैं समझता हूं कि सन् ३७ से लेकर आज तक, कुछ महीनों को छोड़ जब से मौजूदा मंत्री जी ने चार्ज लिया तब तक वह चल रही है और यह अव्यवहारिक था यह आज मालूम हुआ बहुत दिनों के बाद। यह बात आज तक जितने भी म्युनिसिपैलिटी के बारे में कानून पेश हुये उसमें नहीं बतायी गयी कि खेर कमेटी में सुझाव दिये गये हैं, वे गलतफहमी से भरे हुये हैं, और दकियानूसी हैं, क्योंकि जब हो नहीं सकते तो वही पुराने दकियानूसी कहे जा सकते हैं। माननीय मंत्री जी ने एक और दलील दी कि आजकल बालिग मताधिकार से चुनाव होते हैं, प्रापर्टी का उसमें सवाल नहीं आता। चूंकि प्रापर्टी की बेसिस पर माना जा है इसलिये सोशलिज्म के विपरीत है। इसलिये इसको नहीं माना जा सकता है। अगर सोशलिज्म के अनुसार वह मेरे टैक्स वाले निवेदन को हटा कर स्वयं ही वोटर मान लेते तो वह कह सकते थे। लेकिन जब वह इतना भी अधिकार नहीं देने जा रहे हैं तो वह किस प्रकार कह सकते हैं कि यह सोशलिज्म के विपरीत है? उनका कहना तो सिद्धांतों के और भी अधिक विपरीत है और बिलकुल उल्टा है। जबकि टैक्स पे करने वाले को वोटर नहीं मानना चाहते तो दूसरों को क्या वोटर मानेंगे? इसके साथ ही साथ जो मेरा निवेदन था वह कोई अडल्ट फ्रेंचाइज के बाहर नहीं था। जो खेर कमेटी में भी कहा गया है वह भी अडल्ट फ्रेंचाइज को सामने रखते हुए कहा गया है। खेर कमेटी ने लिखा है :—

" As in the case of gaon panchayats and town areas we have proposed that the elections to district and municipal boards should be held on the basis of adult franchise and nominations should be abolished."

तो अडल्ट फ्रेंचाइज की बात को ध्यान में रख कर यह बात कहीं गयी है। उसके बाद लिखा है

"We have gone a step further . . . . ."

उनका यह स्पष्ट मत था कि हम अडल्ट सफ़रेज से एक कदम आगे बढ़ रहे हैं। और माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि पीछे हट रहे हैं। माननीय मिश्र जी को भी यह गलतफहमी हुई है। लेकिन माननीय खेर कमेटी के जो सदस्य थे उनका कहना है

" We have gone a step further in the case of district and municipal boards and suggested that an adult residing in a municipal area may be a voter under the district board if he was paying any tax to the latter and vice versa. We are confident that in the new spheres of the district and municipal boards such wider representation will be all to the good. "

तो माननीय मंत्री जी कहते हैं कि पीछे हटती है और खेर कमेटी कहती है कि वी आर गोइंग ए स्टेप फरदर? अब यह माननीय सदस्यों के लिये निश्चय करना है कि कौन आगे हैं और कौन पीछे है।

माननीय मंत्री जी ने यह भी कहा कि यह सिद्धांतों के खिलाफ है कि हम एक आदमी को दो वोट देने का अधिकार दें। यह मैंने कब कहा कि एक आदमी को दो वोट देने का अधिकार दिया जाय? उन्होंने यह किस प्रकार समझ लिया। मैंने तो केवल इतना ही कहा था कि जो म्युनिसिपैलिटी का टैक्स देते हैं, टैक्स देते चले आ रहे हैं उन लोगों को वोटर मान लेना

चाहिये। इसका मतलब यह नहीं है कि कोई बम्बई का नागरिक हो अगर उसने यहां चार आने की चुंगी दे दी तो वह वोटर हो जाय। एक माननीय सदस्य ने उसका यह इन्टरप्रेटेशन लगा लिया कि आजमगढ़ से लखनऊ ५२ मील है तो वह यहां का भी वोटर हो जायगा। अगर मेरे संशोधन को साफ तौर से पढ़ा होता तो उसमे लिखा है कि

"Provided that persons residing in a rural area within the district in which a board is situated will also vote for such elections of a board if they pay any tax to such board."

यानी उसी जिले के अन्दर। मैंने कोई यू० पी० वाइड या इंडिया वाइड नहीं किया। उसमें यह कहां से कल्पना कर ली गयी कि बलिया में कोई मेला म्युनिसिपल्टिी के अन्दर हुआ है तो गाजीपुर के लोग एक दिन को आये और वह भी वोटर हो गये? यह प्रश्न नहीं है कि गढ़मुक्तेश्वर में मेला हुआ तो जो मेले में आया वही वोटर हो गया। मैंने तो "विदिन दि डिस्ट्रिक्ट" कहा है। तो ध्यानपूर्वक यदि मिश्र जी पढ़ते तो यह गलतफहमी नहीं होती।

श्री ब्रजविहारी मिश्र——आन ए प्वाइन्ट आफ एक्सप्लेनेशन, सर। मैंने जिले की बात कही थी कि ददरी के मेले में १० हजार आदमी बलिया जिले के आते हैं वह सब वोटर हो जायेंगे।

श्री नारायण दत्त तिवारी——मेले में जिले के ही नहीं बाहर के भी आ सकते हैं। मै समझता हूं कि सभी जानते हैं कि बाहर के लोग भी आते हैं। एक दिन को कोई मेला हो तो यह नहीं है कि एक दिन आयेगा तो टैक्स दे दिया। वह तो लगातार टैक्स देने की बात है। माननीय मंत्री जी ने यह भी कह दिया कि किसी ने १० साल पहले टैक्स दिया तो यह भी हो सकता है वोटर, ऐसा मेरा संशोधन से मतलब है। यह बात सही नहीं है। उसमे तो साफ लिखा है कि "इफ दे पे ऐनी टैक्स" इसमें यह नहीं है कि "इफ दे हैव पेड ऐनी सच टैक्स"। यह तो प्रेजेंट टेंस की बात है। १० साल पहले किसी ने टैक्स पे किया हो यह बात कहां निकलती है। अगर वह यही मतलब समझते हैं कि १७/१८ साल पहले जिसने टैक्स दिया हो वह भी वोटर हो जाय तो उन्होंने मेरे संशोधन को गलत समझा है। हलद्वानी म्युनिसिपल बोर्ड का मसला मने रखा तो माननीय मिहीलाल जी को भी परेशानी हुई कि वह किस प्रकार वोट देंगे, किस प्रकार उनके रजिस्टर रख सकेंगे और बड़ी परेशानी हो जायगी। मै तो समझता हूं कि जिनसे रोजाना म्युनिसिपैलिटी टैक्स वसूल करती है उनका रेकार्ड रखती है। अगर आप रुपया लेने का रेकार्ड रख सकते है तो वोट देने के अधिकार का रेकार्ड भी रख सकते हैं। यह तो नहीं कहा जा सकता कि जो रोजाना टैक्स देते हैं या हफ्ते में देते हैं उनका कोई रेकार्ड नहीं मिलता या उनको कोई रसीद नहीं मिलती। मैं इसका विश्वास नहीं करता। आपके यहां रेकार्ड रहता है। जो देहात से आदमी आते हैं और टैक्स देते हैं उन का रेकार्ड म्युनिसिपलिटी में रहता है। मान लीजिये हलद्वानी में आलू का सीजन है। जो घोड़े वाले लगातार सालों साल वहां आते हैं और हर तीसरे दिन आते हैं तो क्या वे चुनाव के दिन नहीं आ सकते। यह कैसे मान ले कि जब उनको वोट देने का हक दिया जायगा तो वह वोट देने नहीं आयेंगे और दिलचस्पी नहीं लेंगे? और फिर यह कह देना कि वह वोट देने नहीं आयेंगे इसलिये उनको वोटर न बनाया जाय, यह कोई दलील नहीं है। मैं यह देखता हूं कि अभी हाल ही में हमारे आम चुनाव हुये। तो क्या जितने वोटर थे सभी वोट देने आये हैं? अगर आज यह दलील माननीय मंत्री जी की मान ली जाय कि वोटर होगा वही जो वोट देने आये तो वह कोई दलील नहीं है और बालिग मताधिकार के संबंध में कोई दलील नहीं है। इस बात का कोई प्रश्न नहीं है कि वोटर वोट देने आये या नहीं आये। लाजमी है उसके लिये आना और उसको आना चाहिये। लेकिन अगर नहीं आता है तो क्या वोटर्स लिस्ट से? उसका नाम काट दिया जायगा? ऐसा

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

नहीं हुआ। बहुत कम जगहों पर ७५ फीसदी, ६० फीसदी जो भी वोटर्स रहे हों वोट दिये हों। ५० फीसदी, ४० फीसदी यही औसत रहा है। ऐसे लोगों के नाम क्या काट दिये गये? यह प्रश्न नहीं उठता कि जिन लोगों का नाम वोटर्स लिस्ट में दर्ज है वह वोटर न रहें उनका नाम काट दिया जाय। यह तो और भी अच्छा होगा कि जो भी ऐसे लोग हैं जो टैक्स देते हैं भले ही वह वोट देने आयें या न आयें मगर म्युनिसिपैलिटी और सरकार के लिये यह तो बड़प्पन की बात होगी। वह अपने अधिकार का उपयोग करें या न करें लेकिन आप इसके लिये उनको अधिकार ही न दें यह ठीक नहीं। आप उनको ट्रेंड करें, उनको सबक दें और उनको बतलायें कि यह आपका अधिकार है, आप इसका सदुपयोग करें। लेकिन इसके माने यह नहीं है कि वोटर यदि सदुपयोग नहीं करता है तो आप भी उसको कोई अधिकार ही न दें और उसे वोटर ही न बनायें। यह कोई दलील नहीं है। जहां तक दो वोट देने का सवाल है कि एक ही आदमी दो वोट देगा मेरे संशोधन में तो यह है कि म्युनिसिपैलिटी के चुनाव में म्युनिसिपैलिटी में रहने वाला तो वोट देगा ही लेकिन बाहर के रहने वाले जो कि म्युनिसिपैलिटी को टैक्स देते हैं वह भी वोट देंगे। इसमें दो वोट का सवाल कहां आया? आज चूंकि वह आम चुनाव में वोट देता है और म्युनिसिपैलिटी में भी वोट देता है तो उसको इस तरह दो वोट का अधिकार है। यह गलत है। कोई वोटर आज भी पार्लियामेंट के लिये वोट देता है असेम्बली के लिये वोट देता है और म्युनिसिपैलिटी में भी वोट देता है, इस तरह उसे दो तीन वोट देने का अधिकार है। गांव के लोग भी गांव पंचायत के लिये वोट देते हैं, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के लिये वोट देते है, असेम्बली के लिये वोट देते हैं और उसी तरह उन्हें भी दो-तीन वोट देने का अधिकार है। यह सिद्धांत तो मैंने इसमें कहीं नहीं माना है कि एक ही आदमी दो वोट दे। श्रीमन्, मुझे तो आश्चर्य होता है, बार-बार यहां देखता हूं कि सरकार जिन कमेटियों को स्वयं बनाती है, जिन कमेटियों को सदन स्वयं नियुक्त करता है, उन कमेटियों की रिपोर्ट जो होती है जिसमें एक्सपर्टस बैठते है, उस रिपोर्ट की और उन कमेटियों की इज्जत सरकार स्वयं नहीं करती, उनको मान्यता नहीं देती। यह भी नहीं है कि दूसरी पार्टी की सरकार उसे करती हो। मैं जानना चाहता हूं कि सन् १९३७ में खेर कमेटी बनी थी तो इसी कांग्रेस पार्टी की मिनिस्ट्री क्या नहीं थी। मैं जानना चाहता हूं कि क्या माननीय स्वशासन मंत्री जी विधान-सभा के सदस्य उस समय नहीं थे। उन्होंने अपना कोई विरोध पेश किया था? माननीय मंत्री जी कह सकते है कि उस समय दूसरी हवा थी, आज दूसरी हवा है। लेकिन हवा दूसरी होने पर सिद्धांत तो नहीं बदलते हैं। डीटेल्स बदल सकते हैं, सिद्धांत अपनी जगह पर ही रहते है। आप यह कहते कि इस समय ऐसी परिस्थिति नहीं है बाद को ऐसा बिल लायेंगे। लेकिन यह भी नहीं है। उनका मतलब यह है कि जब तक उनको अधिकार रहेगा तब तक के लिये वे ऐसे संशोधनों पर विचार नहीं करेंगे। इसको दफना देंगे। मैंने आपके द्वारा यह प्रार्थना की थी माननीय श्री ऐजाज रसूल साहब तथा श्री सुल्तान आलम खां साहब से। कम से कम वह तो इसका समर्थन करते और माननीय श्री सुल्तान आलम खां साहब का नोट आफ डिसेंट भी इसमें था और उसमें वह एक कदम और आगे बढ़े थे।

श्री मोहन लाल गौतम—आन ए प्वाइण्ट आफ आर्डर, सर। यह किस चीज का जवाब दिया जा रहा है? जब श्री सुल्तान आलम खां साहब बोले नहीं तो यह कैसा जवाब दिया जा रहा है?

श्री नारायण दत्त तिवारी—उत्तर इसलिये दे रहा हूं कि बहुत मेम्बरों को गलतफहमी थी। माननीय मंत्री जी बार-बार कहते हैं कि मुझे गलतफहमी है। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि मुझे गलतफहमी नहीं है। इस सदन के अन्दर जो माननीय सदस्य मौजूद है उन्हें ही गलतफहमी है और एक जमाने से रही है। मुझे कोई गलतफहमी नहीं है। वह कहें कि खेर कमेटी की रिपोर्ट गलत है। वह रिपोर्ट के बारे में अपनी मंशा जाहिर करें।

श्री उपाध्यक्ष---कुछ हवाला दे दिया। अब काफी है। अब और जिक्र न करें।

श्री नारायण दत्त तिवारी---"Also an adult residing in a municipal area should be a voter under the district board if he owns private property in the latter and vice versa. He may also be a candidate for membership.

वे नोट आफ डिसेंट में एक और अधिकार देना चाहते हैं। श्रीमन् मैं कोई दोषारोपण नहीं करता, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूं परन्तु मैं यह मानता हूं कि वे नहीं बोले इसलिये वे अपनी रिपोर्ट पर कायम हैं। मैं इतना ही चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी यह न समझें कि मेरी तरफ से गलतफहमी पैदा की गयी बल्कि गलतफहमी आप की मिनिस्ट्री में पैदा हुई और सरकारी कमेटी ने पैदा की। यदि वे कहें कि १७ साल का इतिहास बेकार है, रिपोर्ट बेकार है तो वे कह सकते हैं। आप यह कह सकते हैं कि रिपोर्ट अव्यावहारिक है, उसका सिद्धांत अव्यावहारिक है लेकिन आप मेरी बात को और खेर कमेटी के सिद्धांत को अलग-अलग नहीं कर सकते हैं। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि वे इस बात को स्पष्ट करें कि आगे जो म्युनिसिपैलिटी का बिल आने वाला है उसमें कम से कम इस सिद्धांत को वे मानेंगे अगर आज नहीं मानते हैं।

श्री मोहन लाल गौतम---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो इतनी लम्बी चौड़ी बहस हुई है उसमें जितने रेलिवेंट प्वाइंट थे उन सब का उत्तर तो मेरे उस भाषण में आ गया जो मैं इस सदन के सामने पहले कर चुका हूं और अब उनको दोहरा करके मैं सदन का समय नष्ट करना नहीं चाहता हूं। जो प्वाइंट रेलिवेंट नहीं हैं उनका उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। इन शब्दों के साथ मैं इसका विरोध करता हूं।

(इस समय ४ बजकर १० मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ९ में प्रस्तावित नयी धारा 12-A के अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक वाक्य बढ़ा दिया जाय---

"Provided that persons residing in a rural area within the district in which a board is situated will also vote for such elections of a board if they pay any tax to such board."

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री रामनारायण त्रिपाठी---अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन उपस्थित करना चाहता हूं। जो संशोधन छपा हुआ है, अध्यक्ष महोदय, उसमें मैंने कुछ कारणों से थोड़ी तब्दीली कर दी है, इसलिये उसको कृपा करके नोट कर लें। खंड ९ में प्रस्तावित नयी धारा 12-A के अन्त में शब्द: "and by fixing symbols or colour of ballot boxes to be alloteted to party or individual candidates as in the cese of State Assembly elections" बढ़ा दिये जायं।

अध्यक्ष महोदय, जिस धारा में यह संशोधन किया जा रहा है वह इस प्रकार है।

"Except as provided in section 10, the election of the members of a board shall be on the basis of adult suffrage."

उसके बाद यह शब्द जोड़ दिये जाते हैं ---

"and by fixing symbols or colour of ballot boxes to be allotted to party or individual candidates as in the can of state assembly elections."

[श्री रामनारायण त्रिपाठी]

अध्यक्ष महोदय, जहां तक सिम्बल्स और डिब्बों के रंग के जरिये चुनाव कराने का सवाल है इस सदन के सदस्यों के लिये कोई नयी बात नहीं है।

अभी-अभी हमारे प्रदेश और देश के साधारण चुनाव में सिम्बल्स के जरिये से "चुनाव कराये गये थे और इसके पहले हमारे यहां असेम्बली के चुनाव में कलर (रंग) का इस्तेमाल किया गया था। हर उम्मीदवार के लिये एक रंग का बेलेट बाक्स मुकर्रर किया जाता था। लेकिन जो प्रणाली डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव में है वह बहुत अजीब सी प्रणाली है और विधान सभा के माननीय सदस्यों को, जिन्होंने डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चुनाव लड़े थे, यह जानकारी रही होगी कि ऐसे चुनाव में कलर का तो प्रयोग किया जाता है। चैयरमैन के लिये कोई एक कलर और मेम्बरों के लिये कुछ और कलर, लेकिन साथ ही साथ जो प्रणाली इस्तेमाल की जाती है उसमें जितने भी उम्मीदवार चेयरमैनी के लिये या मेम्बरशिप के लिये होते हैं उनके नाम एक लम्बी लिस्ट में बैलेट पेपर पर अल्फाबेटिकल आर्डर में छापे जाते हैं और मतदाता को वोट देते समय हर पोलिंग आफिसर जरूर कहता है कि अगर आप अलग वोट देना चाहें तो इस बैलेट पेपर को ले जाकर अपने मन पसन्द उम्मीदवार के नाम पर निशान लगाकर अपने मन पसन्द कलर के डिब्बे में डाल दीजिये। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, इस में अनपढ़ मतदाताओं के लिये बड़ी भारी दिक्कत होती है और वह दिक्कत यह है कि म्यूनिसिपैलिटीज में तो १४ परसेंट या १५ परसेंट पढ़े लिखे लोग हैं, देहातों में तो अभी सात या आठ परसेंट ही हैं। इस के मानी यह हैं कि म्यूनिसिपैलिटीज में ८५ परसेंट ऐसे लोग होंगे जो इस बात में असमर्थ होंगे कि वह बैलेट पेपर, जिन पर चैयरमैन और उम्मीदवारों के नाम छपे हुये हैं अपने हाथ से लेकर किसी अलग जगह पर जिन उम्मीदवारों को वोट देना चाहते हों, उन उम्मीदवारों को वोट दे सकें। यह बिलकुल ही असंभव है। अध्यक्ष महोदय, विधान सभा के सदस्य यह जानते हैं कि जब किसी उम्मीदवार को जो पढ़ा लिखा न हो, उसको वोट देना पड़ता है तो इस प्रणाली में पोलिंग आफिसर के सामने एक ही चारा रह जाता है कि वह उससे पूछे कि आप किस को वोट देना चाहते हैं। नतीजा इसका यह होगा कि ८५ फीसदी मतदाताओं को पोलिंग आफिसर को यह बतलाना पड़ेगा और खुल्लमखुल्ला बतलाना पड़ेगा और फिर पोलिंग आफिसर को ही अकेले बतलाना होता तो कोई दिक्कत नहीं थी। वहां इस किस्म का प्रबंध होता है कि हर पोलीटिकल पार्टी और हर इण्डिवीजुवल कैंण्डीडेट के एजेण्ट भी पोलिंग अफ़सर के पास बैठे रहते हैं। उनके सामने ही मतदाता को बतलाना पड़ेगा तभी जाकर ८५ फीसदी मतदाता वोट डाल सकेंगे।

अध्यक्ष महोदय, यह हमारी सरकार का दावा है और वह सही है कि जो उन्होंने प्रणाली असेम्बली और पार्लियामेंट के लिये एलेक्शन में रखी थी वह प्रणाली ऐसी थी जिसमें जो जिसको चाहे वोट दे सकता था और अपने मन पसन्द उम्मीदवार को वोट दे सकता था उसमें अन्दर जाकर जहां कि बैलेट बाक्सेज रखे होते थे, कोई रुकावट नहीं थी, इस बात की काफी सुविधायें प्रदान की गई थीं। हर जगह स्क्रीनिंग (पर्दा लगाया गया था) की गई थी जिससे पोलिंग आफिसर तक नहीं जान पाते थे कि मतदाता ने किस उम्मीदवार को वोट दिया। अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं यह एक बुनियादी चीज है "सीक्रेसी आफ बैलेट मस्ट बी गारण्टीड" सही वोटिंग वही है जिसमें सीक्रेसी आफ बैलेट गारण्टीड हो और यह जो प्रणाली हमारी सरकार डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चुनाव में और म्यूनिसिपैलिटीज के चुनाव में अमल में लाने जा रही है उसमें ८५ फीसदी मतदाताओं को मजबूर होना पड़ेगा कि वे पोलीटिकल पार्टीज के एजेण्ट्स के सामने और इण्डिवीजुवल कैंण्डीडेट्स के एजेण्ट्स के सामने यह घोषणा करें कि वह किसको वोट देना चाहते हैं। -

अध्यक्ष महोदय, मैंने इस विधेयक के साधारण वाद-विवाद के समय अपने यहां के कण्टून्मेंट बोर्ड का जिक्र किया था कि वहां ऐसे शख्स हैं, जो कि इतने प्रभावशाली हैं और उनका इतना इन्फलूएन्स है कि उन के डर से पिछले ३० सालों से हमारे यहां फैजाबाद में

कण्टूनमेंट बोर्ड का चुनाव ही नहीं हुआ। किसी उम्मीदवार को खड़े होने की हिम्मत ही नहीं पड़ती। अगर कोई उम्मीदवार खड़ा भी हो गया तो जैसी इस चुनाव की प्रणाली है उसके रहते हुये कोई हिम्मत नहीं कर सकता कि उस व्यक्ति या उन व्यक्तियों के खिलाफ और खड़े हुये उम्मीदवारों को वोट दे सके। ऐसी सूरत ने मैं विधान सभा के सदस्यों से अपील करना चाहता हूं कि इस पर वह गौर करें और इस प्रश्न पर विचार करे कि जिस प्रणाली मे ८५ फीसदी मतदाता चुपचाप और सीक्रेसी के साथ वोट न डाल सके तो क्या वही प्रणाली आप म्यूनिसिपैलिटी और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चुनाव से लागू करने जा रहे हैं, टाउन एरिया और नोटिफाइड एरिया के चुनावों के लिये लागू करने जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, यह निर्विवाद विषय है। कांग्रेस दल के लोग भी इस बात को मानते है कि हर मतदाता को यह आज़ादी होनी चाहिये कि वह सीक्रेसी के साथ गोपनीय जगह मे जिसको चाहे वोट दे। तो ऐसी सूरत मे मै समझता हूं जल्दी मे ड्राफ्टिंग की वजह से यह चीज़ रह गयी है और वही पुराना मार्किंग सिस्टम आफ वोटिंग ही कायम रख दिया गया है।

श्री अध्यक्ष--६० और ६१ जो है उनमे से कौन सा आप जोड़ना चाहते है वह जोड़ दीजिये।

श्री रामनारायण त्रिपाठी---अध्यक्ष महोदय, यह उनसे एक बिल्कुल अलग चीज़ है।

श्री अध्यक्ष---अलग तो है, लेकिन सवाल तो यह आयेगा कि वह कहां जोड़ा गया, संशोधन के बाद जोडा गया था या कहां जोडा गया। इसलिये इसी वक्त जोड दे तो अच्छा है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी---अध्यक्ष महोदय, मै इसे असम्भव सा समझता हूं।

श्री अध्यक्ष---तो आप ऐसा मान कर चल रहे है कि यह आपका संशोधन रेजेक्ट होगा और फिर बाद मे दूसरा पेश करेंगे। ?

श्री रामनारायण त्रिपाठी---जी हां। तो इस सूरत मे जब विरोधी दल के लोग भी इस बात को मानते हैं और सरकारी दल के लोग भी मानते है तो सिम्बल्स का होना बहुत आवश्यक है। और अगर सिम्बल्स का होना अव्यावहारिक हो, तो रंग की व्यवस्था होनी चाहिये। इस सम्बन्ध मे सरकारी दल के कुछ लोगों से मेरी बातचीत हुई थी, और उन्होने यह बतलाया कि इस पर काफी खर्च होगा, मसलन प्लूरल मेम्बर कांस्टीटुएंसीज़ का सवाल है कि एक कांस्टीटुएंसी में एक, दो, तीन, चार और हद से हद सात मेम्बर हो सकते है, तो ऐसी सूरत में एक पार्टी किसी भी प्लूरल मेम्बर कांस्टीटुएंसी मे सात उम्मीदवार खड़े कर सकती हैं, सातों के लिये अलग-अलग सिम्बल्स होना यह बड़ी भारी दिक्कत की चीज होगी जो सरकार की तरफ से पेश की जा सकती है। मेरा यह कहना है, अध्यक्ष महोदय, कि वह कोई बड़ी दिक्कत की चीज नहीं है इसलिये कि मान लीजिये कि प्रजा किसान मजदूर प्रजा पार्टी की तरफ से झोपड़ी का चिह्न एलेक्शन कमीशन ने माना था और उस वक्त एलेक्शन कमीशन ने यह व्यवस्था की थी कि अगर शेड्यूल्ड-कास्ट का उम्मीदवार है तो वह झोपड़ी का चिह्न एक सर्किल के अन्दर कर दिया जाय और साधारण उम्मीदवार के लिये बिना सर्किल का चिह्न रख दिया जाय जिससे आसानी से यह मालूम हो सके कि वह उम्मीदवार शेड्यूल्ड कास्ट का है या साधारण उम्मीदवार है। इसमें यह भी हो सकता है कि अगर सरकार सिम्बल को मानले तो सिम्बल झोपड़ी हो सकती है, लेकिन झोपड़ियों की तादाद बढ़ा कर और लकीरों का प्रयोग करके एक दूसरे उम्मीदवार से डिस्टिंगुइश (अंतर) कर सकते है। मिसाल के तौर पर एक वार्ड में अगर तीन सीट्स है और तीनों कांग्रेस के उम्मीदवार है,

[श्री रामनारायण त्रिपाठी]
उस हालत में यह किया जा सकता है कि एक उम्मीदवार के लिये एक बैलों की जोड़ी दूसरे के लिये दो बैलों की जोड़ी और तीसरे के लिये तीन बैलों की जोड़ी हो रख दी जाय। इस तरह से मतदाता को एक चिन्ह याद करना पड़ेगा लेकिन वह...

श्री मोहन लाल गौतम——एक बैलों की जोड़ी का क्या मतलब है?

श्री रामनारायण त्रिपाठी——अध्यक्ष महोदय, मैंने सुना नहीं क्या पूछा गया

श्री अध्यक्ष——माननीय सदस्य मुझ से इजाजत लेकर फिर बोल सकते हैं।

श्री रामनारायण त्रिपाठी——सरकार की तरफ से यह भी आपत्ति उठायी जा सकती है कि म्युनिसिपैलिटीज को इन चुनावों का खर्चा बर्दाश्त करना पड़ता है और माननीय स्वशासन मंत्री ने चुनावों को टालने की एक खास वजह यह भी बतलायी थी कि म्युनिसिपैलिटियों के पास पैसा नहीं है। वे अपने टीचर्स को ठीक वक्त पर तनख्वाह तक नहीं दे पाते तो एलेक्शन कराने के लिये उनके पास पैसा कहां से आयेगा? अगर्चे इस दलील ने हम लोगों को बहुत ज्यादा अपील नहीं किया लेकिन हम मान लेते हैं कि यह भी एक संकट सरकारी दल की तरफ से उठाया जा सकता है। उसका एक निराकरण यह भी हो सकता है कि जितने उम्मीदवार हों उनके सिम्बल्स आप छपवा कर उनसे छपवाने का खर्चा ले सकते हैं या यह कहें कि वे खुद इस तरह के सिम्बल्स छपवा कर जमा कर दें। तो उससे भी सिम्बल्स की कठिनाई दूर हो जाती है। बहरहाल, इससे पार्लियामेंट, स्टेट असेम्बली, म्यूनीसिपैलिटीज और नोटीफाइड और टाउन एरियाज के चुनावों में एकरूपता आ जावेगी। यदि यह भी मान लिया जाय कि सिम्बल्स की चीज मुश्किल होगी तो रंग में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिये। मौजूदा प्रणाली में भी रंग की व्यवस्था हर उम्मीदवार के लिये है ही। चेयरमैन के डिब्बे और मेम्बर के डिब्बे का रंग अलहदा होता है। अगर प्लूरल मेम्बर कांस्टीट्युएंसी है तो उन पर तीन या चार से ज्यादा मेम्बर नहीं रहते हैं। यदि सरकार एक वार्ड में २ या ३ सदस्य रख दें तो रंग की व्यवस्था आसानी से हो सकती है। मान लीजिये कि ५ पार्टियों ने चुनाव में भाग लिया और हर एक के ३-३ उम्मीदवार हैं और स्वतंत्र भी होंगे, तो इस तरह एक लम्बी लिस्ट ३० आदमियों की वोटर के सामने आजाती है। इस तरह जहां ८५ फीसदी मतदाता निरक्षर हैं वहां उनके लिये यह जानना अव्यावहारिक होगा कि वह नामों की लिस्ट को डिस्टिंगुइश कर सकें। यह मुमकिन नहीं है। वे ठीक तरह से वोट नहीं दे सकते। वोटों का नतीजा भी ठीक नहीं होगा। ऐसी हालत मे अगर २-३ रंग कर दिये जावें और अगर एक पार्टी के ३ उम्मीदवारों में कोई मतदाता इंटेरेस्टेड है तो उसके ३ रंग याद रखना आसान होगा बमुकाबले इन तमाम उम्मीदवारों के नाम याद रखने के। रंग में उसकी आंख भी याददाश्त के साथ उसकी मदद करेगी जब कि नाम में केवल याददाश्त ही काम करती है। तालीमयाफ्ता लोग तो केवल १५ फीसदी ही हैं जिनके वोट से चुनाव कोई मानी नहीं रखता। इसलिये मैं माननीय मंत्री से निवेदन करूंगा कि वह इस संशोधन को मान लें क्योंकि उन्होंने पहले भी विरोधियों की बात कभी कभी मान कर ऐसी नजीरें पेश की है।

श्री मोहनलाल गौतम——माननीय अध्यक्ष महोदय, इस संशोधन के द्वारा माननीय सदस्य ने दो बातें सदन के सामने रखने की कोशिश की हैं। एक तो सिम्बल की और दूसरी कलर की। कहते-कहते अन्त में वह यह भी कह गये कि यदि यह मान लिया जाय कि सिम्बल अव्यावहारिक है तो कलर ही मान लिया जाय तो सिम्बल के पेश करने का जो जोर था उसमें खुद ही उन्होंने शक देखा। एक दो बातें उसके सम्बन्ध में मैं रखना चाहता हूं जिसपर मैं चाहूंगा कि इस सदन के माननीय सदस्य विचार करें। जैसा कि

अभी माननीय रामनारायण जी त्रिपाठी ने कहा कि ३० की लिस्ट हो सकती है एक वार्ड की। मैं इसको नहीं मानता हूं। मैं १५ २० को मान लेता हूं। मान लीजिये एक वार्ड है जिसमें ४-५ सीट्स हैं। यह भी मैं मान लेता हूं पुराने तजुर्बे से कि और सब पार्टीज मिल कर कांग्रेस का विरोध कर रही हैं तो एक तो कांग्रेस का और दूसरा सब पार्टीज का संयुक्त मोर्चा हो जायगा और अगर ४ हैं तो ८ हो जायंगे और ५ हैं तो १० हो जायंगे और ४-५ इंडिपेंडेंट कन्डीडेट्स का हो जाना कोई असम्भव बात नहीं है तो इस तरह से एक जगह १२।१५ उम्मीदवार हो सकते हैं। अगर इतने उम्मीदवार हैं और उनके लिये सिम्बल्स रखे जांय तो मैं निवेदन करूंगा कि १२-१५ के लिये अलग-अलग हों या सिम्बल पार्टीवार हो और नाम लिख दिये जायं और सिम्बल्स भी हों तो अंत में नाम तो हो ही जाते हैं क्योंकि अगर ४ कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। अगर कोई वोटर आता है और वह कहता है कि मैं कांग्रेस को तीन वोट्स देना चाहता हूं और एक किसी दूसरे को देना चाहता हूं तो वह कैसे वोट देगा अगर आप एक ही सिम्बल रख देंगे तो किन तीन को देगा? यह अधिकार उसको नहीं रहेगा। इसलिये अलग-अलग करना होगा। जितनी मिसालें अभी तक दी गई हैं वह सब सिंगल मेम्बर्स कांस्टीटुएन्सी की हैं और डबल मेम्बर्स कांस्टीटुएन्सी है वहां पर चारों तरफ घेरा डाला जायगा। इस तरह से थोड़ा सा भिन्न करके दो एक तरह के ही होंगे और एक बैल की ही जोड़ी रहे तो इस तरह की जब मिसालें दी जाती हैं तो सिंगल मेम्बर्स कांस्टीटुएन्सी के लिए ही दी जाती हैं। लेकिन जहां पर चार सीट्स हैं और कोई वोटर तीन को वोट देना चाहे तो आपको बनाना पड़ेगा कि चारों किस-किस के अलग-अलग बक्स हैं। कौन सा ए का है, कौन सा बी का है, कौन सा सी का है और कौन सा डी का है। अगर अलग-अलग नहीं है तो क्या आप उसको डिपराइव करेंगे कि जो वह तीन को ही वोट देना चाहता है और दूसरे को देना चाहता है तो उसको वह वोट न दे? इस तरह से क्या आप उसका अधिकार छीनना चाहते हैं? अगर आप नहीं चाहते हैं तब तो यह सिस्टम ठीक नहीं हुआ। अगर देना चाहते हैं तो इन सिम्बल्स के साथ-साथ एक और निशान लगाना पड़ेगा जैसा कि आपने कहा कि किसी के लिये सिम्बल्स के साथ एक लकीर खींच दी जाय किसी के लिये दो लकीर खींच दी जाय या नाम लिख दिया जाय। तो सिम्बल्स तो भिन्न-भिन्न हो गये। तब आप कहेंगे कि कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों को चार बैलों की जोडी के होते हुये अलग अलग बनायें वर्ना एक लकीर इस तरह से ए की हो, इस तरह से बी की हो, इस तरह से सी की हो और इस तरह से डी की हो यानी चारों के सिम्बल्स कायम होते हुये भी डिफरेंट हैं। जब तक याद नहीं होंगे वह फ्रीली वोट नहीं दे सकता है। इसका नतीजा यह होगा कि चाहे थोड़ा सा कामन हिस्सा हो लेकिन वह अलग-अलग होना चाहिये तभी आसानी से सिलेक्ट किया जा सकता है। अन्त में नतीजा यह होगा कि अगर १२।१५ उम्मीदवार होंगे तो १२-१५ सिम्बल्स रखने होंगे और याद रखना होगा कि कौन कौन किस किस के सिम्बल्स हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि पहली आपत्ति तो यह है कि ३० नाम किस तरह से याद होंगे। यदि नाम याद रखते हैं तो सिम्बल्स भी याद रखने होंगे। अगर गलती कर सकते हैं तो धोखा खा जायंगे। अब तो यह कि मुझे ५ नाम याद रखना है। और उससे हमारा काम चल जायगा। लेकिन अब आप यह और कहते हैं कि वह ५ का नाम याद रक्खे, फिर यह कहते हैं कि ५ सिम्बल्स को याद रक्खे और उनको जाकर डिफरेंसियेट करे। मेरा तो अपना तजुर्बा यह है कि जो वोटर्स आये उनमें से बहुतों ने जो बाक्स पहले उनके सामने आया उसमें उन्होंने वोट डाल दिया, नमस्कार किया और चल दिये। खास कर स्त्रियों को मैंने देखा, इसमें मैं कोई वैसी बात नहीं कह रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, बहुत देर तक इन्तजार करते करते परेशान हो गई और ज्योंही पहला

[श्री मोहनलाल गौतम]

बाक्स उनकी नजर में आया उन्होंने वोट डाल दिया और चल दीं। इस तरह से सारे सिम्बल्स को याद रखना और उनसे सम्बन्धित नाम का याद रखना अव्यावहारिक और कठिन है। सिम्बल्स तो कुछ याद भी रह सकते है, उनमे तो कुछ फर्क भी हो सकता है। अगर चिड़ियों के नाम हाथी, घोड़ा वग़ैरह रक्खे तो उसमें थोड़ी आसानी है लेकिन, माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे माफ करे में सफेद कपड़ा पहनते-पहनते कभी-कभी रंगीन भी पहनता हूं। मै तो कम से कम कलर्स मे फर्क नहीं कर सकता। जितने सज्जन गैलरीज़ में बैठे है उनके कोट किस किस तरह के है यह सब मै अन्दाज नहीं कर सकता कि उनके कलर्स क्या है। और यहां तो १२, १५ कलर्स करने होंगे उनको डिफरेंशियेट करना सिम्बल्स से भी ज्यादा मुश्किल बात होगी। इसलिये आपने जितनी आसानी से यहां लाकर इन चीजों को रख दिया वे इतनी आसान नहीं है। हां, एक बात जरूर है कि अगर आप सिंगिल मेम्बर कांस्टीटचुएंसी रखते तब तो कुछ सहूलियत हो सकती थी। अभी हम जिस तरफ सोच रहे है और जैसा संशोधन हमारे सामने आया है उसमे ऐसा करना मुश्किल है। प्लूरल मेम्बर कांस्टीटचुएंसी में ऐसा करना मुश्किल है। हां, सिंगिल मेम्बर कांस्टीटचुएंसी मे रंग कम हो सकते है लेकिन प्लूरल मेम्बर कांस्टीटचुएंसी में ५ सीट्स के लिये २५ कैंडीडेट्स हो गये तो २५ कलर्स हो जायंगे। २५ कलर्स का समझना और हर एक वोटर से यह आशा करना कि वह २५ कलर्स को याद रक्खे, यह बड़ा कठिन है। इसलिये यह दोनों चीजें इसमें नहीं हो सकतीं। इसीलिये यह जो अमेंडिंग बिल है इसमें इस बात का जिक्र छोड़ दिया गया है। इसको सोच विचार कर रखना पड़ेगा। मैंने अपनी दिक्कतें आपके सामने रख दी। मै समझता हूं कि इन दोनों चीजों को मेरे लिये मंजूर करना मुश्किल है। प्लूरल मेम्बर कांस्टीटचुएंसी मे ही इस तरह की चीजें रखना आसान हो सकता है। लेकिन यह चीजे उसी वक्त तै हो सकती है जब यह मालूम हो जाय कि एक वार्ड में कितने मेम्बर है और ये चीजें रूल्स मे आयेंगी। यह नहीं है कि कलर्स या सिम्बल्स नहीं होंगे, यह सब हो सकता है जब कि वार्ड के मेम्बर्स का फैसला होगा उस वक्त इन चीजों को सामने रक्खा जायगा वर्ना बड़ी कठिनाइयां पड़ेंगी। इसलिये मुझे अफसोस है कि मैं इसे मंजूर नहीं कर सकता।

श्री चन्द्रसिंह रावत (जिला गढ़वाल)——माननीय अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन सदन के सामने प्रस्तुत है मैं उसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं और उसके विरोध में अपनी दलीलें पेश करना चाहता हूं। यह निर्विवाद है कि म्युनिसिपैलिटी एक बहुत छोटा एरिया होता है और वहां लोग आम तौर से ज्यादा परिचित एक दूसरे से हुआ करते है। जिस प्रकार की असेम्बली की कांस्टीटचुएंसी लम्बी चौड़ी होती है, उसका क्षेत्र विस्तृत होता है उसके विपरीत म्युनिसिपैलिटीज का क्षेत्र छोटा होता है। और उसके अन्दर भी जो वार्ड बनाये जाते है उससे उस क्षेत्र को और छोटा बना दिया जाता है और लोगों का परिचय एक दूसरे का उसी डिगरी का बरता जाता है जिस डिगरी से कि वह रकबा कम हो जाता है।

दूसरी बात यह है कि म्युनिसिपैलिटीज के अन्दर इस जमाने में हमारी सरकार ने कम्पलसरी एजुकेशन इन्टरोडचूस कर दिया है इसकी वजह से और भी शिक्षा शहरों में बढ़ रही है। लेकिन देहात के गरीब लोग ज्यादातर बेपढ़े लिखे हुआ करते है उनको दुनिया की बातों का बहुत कम ज्ञान होता है लेकिन म्यूनिसिपैलिटी के अन्दर रहने वाले लोगों को माडर्न सिविलाइजेशन की सब अमेनिटीज प्राप्त हुआ करती है। इस कारण जो यह इस विधेयक में रक्खा गया है वह एलेक्शन के इन्तजाम को सुचारु रूप से चलाने के लिये किया गया है। जैसा कि असेम्बली या पार्लियामेंट के एलेक्शन

के लिये वह जरूरी समझा गया तो वहां पर यह आसानी रखी गई वह म्युनिसिपैलिटीज के लिये या टाउन एरिया के लिये जो कि छोटे-छोटे एरिया में होते हैं उनके लिये यह रखना जरूरी नहीं है। इसलिये कि इनका क्षेत्र छोटा होता है और वहां का आदमी पढ़ा लिखा भी होता है और सब बातें समझता है। देहात का आदमी बेपढ़ा लिखा होने से वह बातें समझता नहीं है इस वजह से असेम्बली के लिये वह बातें रखी गईं। शहर का तो कोई कुली भी देहात के रहने वाले से होशियार होता है। इसलिये मैं समझता हूं कि पहले में इस दलील को पेश करता हूं कि यही कारण है जिसकी वजह से यह चीज रखी गई।

दूसरा ग्राउन्ड मैं यह पेश करता हूं जिसके आधार पर इस संशोधन को अस्वीकार करना चाहिये कि जहां पर यह अमेंडमेंट किया जा रहा है उसमें यह साफ लिखा हुआ है कि यह एलेक्शन एडल्ट सफरेज की बेसिस पर किया जा रहा है यह १२-ए में लिखा हुआ है। यह सेक्शन अडल्ट सफरेज की बात जानता है। यह तो क्वालिफिकेशन प्रेस्क्राइब करता है। हमारी म्युनिसिपैलिटी के अन्दर वोट देने के लिये क्वालिफिकेशन बताता है। उस क्वालिफिकेशन के साथ आप चाहते हैं कि अमेंन्डमेन्ट मूव करके इसके साथ वह चीज जोड़ दी जाय। लेकिन देखने की बात यह है कि एलेक्शन को सुविधापूर्वक कराने के लिये कौन इन्तजाम अच्छा होगा। इस क्वालिफिकेशन के साथ इस चीज़ का जोड़ना मैं यह समझता हूं कि किसी तरह से साउन्ड नहीं है और मौलिक बातों के भी विरुद्ध मालूम होता है। इसलिये मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं। इसके साथ साथ मैं यह बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से बहुत अच्छे रूप में यह घपले की बात कही गई यह बात नहीं है। हमारे इस प्रदेश के अन्दर बहुत काफी तादाद में म्युनिसिपैलिटीज़ हैं और ऐसे समय में जब कि म्युनिसिपैलिटीज़ आर्थिक दलदल में फंसी हुई हैं और जब कि हमारी सरकार के पास फंड नहीं है इस प्रकार के संशोधन को रखना मनी को वेस्ट करना है और व्यर्थ का व्यय करना है क्योंकि छोटे क्षेत्र के होने से काफी जानकारी हो सकती है तो फिर व्यय करना कोई बुद्धिमत्ता नहीं कहा जा सकता। ऐसे समय में तो रुपये को सेव करना चाहिये जिससे जनता के लिये कुछ काम किया जा सके। अगर इस अमेंडमेंट को पास कर दिया गया तो इससे फिजूल का खर्चा बढ़ जायगा और जनता के साथ कोई भलाई का काम नहीं होगा।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)--आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं श्री राम नारायण जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। मैंने बहुत ही ध्यान से माननीय स्वशासन मंत्री जी की आपत्ति जो इस संशोधन को मानने में उपस्थित हुई उस को सुना। मैं यह नहीं समझ पाया कि माननीय स्वशासन मंत्री की आपत्ति की जड़ में क्या बात थी। काफी सोच विचार के बाद ही एक सिस्टम एडाप्ट किया गया और जो दिक्कतें कि इस म्युनिसिपल चुनाव में आनेवाली हैं उस के बारे में जो संकेत किया गया वह दिक्कत एक तरह से असेम्बली के चुनाव के संबंध में भी थी मगर उस को हल करने के लिये ही कि वोटर को सीक्रेट तरीके से वोट देने में कौन से सिस्टम में आसानी होगी इस बात को मद्देनजर रख कर ही बैलेट सिस्टम एडाप्ट किया गया था। मुझे आश्चर्य होता है कि आगे आने वाला चुनाव जिस का काफी चर्चा है और शोहरत है कि वह चुनाव होगा, उस के लिये सरकार अभी से अगर स्पष्ट तरीके से यह घोषित नहीं करती कि वह चुनाव बैलेट सिस्टम के जरिये से होगा तो लोगों में बहुत अधिक शंका होगी। मैं आप के द्वारा माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि आखिर जब एक सिस्टम को मानकर इतने बड़े चुनाव हमारे इस मुल्क में कराये गये और उस सिस्टम पर हमारे माननीय मंत्री जी को बड़ा गर्व भी है की उनकी सरकार यहां बहुमत से बनी तो उसी सिस्टम को इस म्युनिसपल चुनाव में अख्तयार करने में माननीय मंत्री जी क्यों हिचकते हैं, इस सिस्टम में दोष क्या है

[श्री राजनारायण]

इसको माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट नहीं किया कि बलेट सिस्टम में दोष क्या है। एक बैल की जोड़ी या २ बैल की जोड़ी पर वादविवाद हो लेकिन वह केवल शाब्दिक बातें थीं लेकिन हम शाब्दिक बातों में न जा कर तथ्य की बात को ले कर चलते हैं और उसी को लेकर हमने माननीय राम नारायण जी के संशोधन का समर्थन करने का साहस किया है और मैं आपके जरिये बहुत अदब के साथ कहना चाहता हूं कि यहां सवाल यह है कि किस सिस्टम को एडाप्ट करने से एक वोटर अपने मत को आसानी से दे सकता है और वह वोट किस को देता है इस की सीक्रेसी भी लोगों को मालूम नहीं होती क्योंकि अकसर देखा गया है कि जिस तरह से हामारा समाज आज बंटा है उस में अगर कोई गरीब या असहाय है तो वह अगर किसी प्रतिभाशाली मनुष्य के विरुद्ध अपना वोट प्रदान करता है तो वह उस गरीब को दबाने की चेष्टा करता है और अब तक म्युनिसिपल बोर्ड के चुनाव में जो परिपाटी बरती जाती थी उसमें काफी गुंजाइश होती थी जिस से पता लग जाता था कि वोटरों का वोट किधर पड़ रहा है और ऐसी जानकारी हासिल करने के बाद उन वोटरों को तरह तरह की धमकी देकर परेशान किया जाता था और ऐसे साधन उनके सामने रखे जाते थे। इसलिए मैं चाहता हूं कि इतने बड़े चुनाव में जब बैलेट सिस्टम एडाप्ट किया गया, चाहे उस में २ बैलों की जोड़ी हो या वटवृक्ष हो यह, माननीय सदस्यों को स्मरण होगा कि करीब १४ पार्टियां तो पहले ही मान्यता प्राप्त कर चुकी थीं।

उनका सिम्बल हो चुका था, इसके बाद भी एलेक्शन कमीशन ने कुछ पार्टियों के लिये और सिम्बल दिये। इस तरह से करीब २४ पार्टियों के लिये एलेक्शन कमीशन ने सिम्बल निर्धारित कर दिये थे। तो यह दिक्कत उनके सामने आयी नहीं कि कैसा कलर होगा या कैसा सिम्बल होगा। इस तरह से जैसा कि माननीय त्रिपाठी जी ने अपने संशोधन में स्पष्ट कर दिया है कि एक सिस्टम होना चाहिये. क्रास करने का। पहले ऐसा था कि जिस पक्ष का मत देने वाला आया उसको अपनी तरफ ले जाकर क्रास कर लिया। तो यह सिस्टम नहीं होना चाहिये। इसकी मैं कतई मुखालिफत करता हूं। जो पुरानी परम्परा थी वोट डालने की, उसका तो मैं बड़े जोरदार शब्दों में विरोध करना चाहता हूं और चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी स्पष्ट शब्दों में इस बात की सफाई तो कर ही देंगे। जिस तरीके से पुराने समय में यानी इससे पहले जो म्युनिसिपैलिटियों के चुनाव में वोट डालने के नियम थे उस नियम पर तो यह सरकार चलेगी नहीं। परन्तु उस नियम पर नहीं चलेगी तो किस नियम पर चलेगी ?

इसकी दो बुनियादी बातें हैं जिनको मद्देनजर रखना है। एक तो सीक्रेसी मेनटेन की जाय, भेद न खुलने पावे कि उसने अपना वोट किसको प्रदान किया और दूसरे उसको वोट देने में आसानी हो, सुविधा हो, दिक्कत न हो। तो वह केवल इसी बैलेट सिस्टम के अनुसार कोई न कोई चिन्ह देकर, कोई-न-कोई रंग देकर ही सुविधा दे सकते हैं। पुराने सिस्टम से जाकर यह सुविधा छीनी जाती है। जब यह सुविधा छीनी जाती है तब मैं उस पुराने शब्द को दुहराना चाहता हूं लेकिन विनम्रता के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि यह सोचना पड़ता है कि आखिर जिस सिस्टम को काफी मौका दिया और तब उसको अख्तियार किया उसके बाद इस सदन के सम्मानित सदस्य जो हम लोग यहां बैठे हुये हैं उस सिस्टम को इस म्युनिस्पिल बोर्ड्स के चुनाव में क्यों नहीं अख्तियार करने जा रहे हैं? इसका कोई न कोई कारण होना चाहिये और जब उस कारण को ढूंढते हैं तो श्रीमन्, मैं फिर उसी नतीजे पर पहुंचता हूं कि सरकार की मनोवृत्ति किस तरफ जा रही है। आखिर वे दोनों बुनियादी सवाल जो इस सरकार के सामने हैं एक तो यह कि वोट डालने के सिस्टम में सीक्रेसी होनी चाहिये या नहीं और नहीं होनी चाहिये तो क्यों नहीं होनी चाहिये। जनतंत्र में बालिग मताधिकार है, जब बालिग मताधिकार है तो वोटरों की संख्या ज्यादा है, जब वोटरों की संख्या ज्यादा है तो उनके वोट में निष्पक्षता होनी चाहिये कि वे अपना मतदान चुनाव क्षेत्र में सुविधा में

दे सकें। अगर आप सुविधा नहीं देते हैं तो सरकार अपने कर्त्तव्य से च्युत होती है, अपने कर्त्तव्य को छोड़ती है। इसलिये हम चाहते हैं कि माननीय मंत्री महोदय इस संशोधन को अवश्य स्वीकार करें। हां, श्रीमन्, आपकी आज्ञा से जो माननीय मंत्री महोदय ने सिंगुलर और प्लुरल कांस्टीटुएंसी की बात कही उसका भी जवाब देना चाहता हूं। इसी विशाल भूखंड में एक छोटा सा प्रांत बम्बई भी है। बम्बई कारपोरेशन का वहां भी चुनाव होता है। बम्बई में भी सिंगुलर और प्लुरल मेम्बर कांस्टीटुएंसी सिस्टम जारी है।

एक सदस्य--यह सिंगुलर और प्लुरल क्या चीज है?

श्री अध्यक्ष--(श्री राजनारायण से) आप कृपया अपना भाषण जारी रखें।

श्री राजनारायण--श्रीमन्, चूंकि माननीय सदस्यों को सिंगुलर और प्लूरल कांस्टीटुएंसी समझने में दिक्कत होती है इसलिये मैं एक सदस्य वाले क्षेत्र और बहु सदस्य वाले क्षेत्र ही इस्तेमाल करूंगा। इसको वे लोग अच्छी तरह से समझ लें। श्रीमन्, आपकी आज्ञा से मैं वहां का जो ऐक्ट है उसको पढ़ना चाहता हूं।

"In plural councillor wards every elector shall have as many votes as there are councillors to be elected for such election for such ward and may give all such votes to one candidate, or may distribute them among the candidates as he thinks fit."

तो, श्रीमन्, वहां पर भी इस दिक्कत को साल्व करने के लिये इस कठिनाई को दूर करने के लिये कोई न कोई सिस्टम निकाला ही गया है और मैं यह कहने की धृष्टता तो नहीं कर सकता लेकिन हमारे माननीय मंत्री जी विदेशों का भ्रमण भी कर चुके हैं वह वहां के रिवाजों से परिचित होंगे ही कि वहां क्या सिस्टम है। वहां पर भी इन दिक्कतों को दूर करने के लिये कोई कलर का सिस्टम निकाला गया है कोई सिम्बल का सिस्टम निकाला गया है और इन दिक्कतों को दूर किया गया है। जो दिक्कत माननीय स्वायत्त मंत्री जी ने बतायी कि वह दिक्कत सामने नहीं आती और यदि दिक्कत हो भी तो भी जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा १०-१० और पांच-पांच सदस्य खड़े होंगे, बहुत सी पार्टियां होंगी, बहुत से स्वतंत्र लोग होंगे तो इतने कलर होंगे कि एक साधारण आदमी के लिये याद करना भी असम्भव होगा। उसके संबंध में हमें कहना है कि अगर हम डिमोक्रेसी के प्रति और जनतंत्र के प्रति दृढ़प्रतिज्ञ हैं तो जनतंत्र के लिये कुछ बुनियादी बातें होती हैं उन बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। एक उदाहरण फ्रांस हमारे सामने रखता है, एक उदाहरण इंग्लैंड हमारे सामने रखता है। फ्रांस के उदाहरण में जब हम जाते हैं तो उसका जो ऐग्रीगेट निकलता है उसका जो अनुपात निकलता है वह यह है कि १० महीने से ज्यादा कोई मिनिस्ट्री टिक नहीं पाई क्योंकि वहां पर बहुत सी पार्टियां हैं और इंग्लैंड का एक सिस्टम है जब उसको देखते हैं तो वहां एक स्थायी रूप से सरकार चल रही है। तो अगर हम इस सिम्बल के सिस्टम को लेते हैं तो लोगों को मजबूर होना पड़ेगा और लोगों को नियंत्रण रखना पड़ेगा और जैसे बरसात के दिनों में बरसाती मेंढक निकल आया करते हैं जैसे कि असेम्बली का अनुभव हम सबों को है कि जब चुनाव का समय आया बरसाती मेंढक की तरह कोई किसी संघ के नाम से कोई सभा के नाम से कोई न कोई सिम्बल निकल आया। हम उसके भुक्तभोगी हो चुके हैं, उसका परिणाम देख चुके हैं। अब इस तरह की गलतियां लोग आगे करने वाले नहीं हैं। मैं अनुभव के आधार पर अपने माननीय स्वायत्त मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि कि अब वह दिक्कतें नहीं आने वाली हैं। अब तो लोग समझ गये हैं, मुश्किल से तीन चार पार्टियां उठेंगी। हमारे सामने एक पार्टी जो कंजरवेटिज्म को चलाने वाली है, कांग्रेस पार्टी, कुछ लोग तो उसमें चले जायेंगे और एक जो कि उस सेंटीमेंट्स को लेकर चलने वाले हैं जो कि कुछ साम्प्रदायिकता का टिंज रखते हैं, वह भी हो सकता है कि इस चुनाव में आयें और वे भी बहुत दिनों तक रहने वाले नहीं हैं। (एक आवाज) वे कौन पार्टी बनायेंगे

[श्री राजनारायण]

कह तमाम जनसंघ, हिन्दू सभा और रामराज्य परिषद् यह तमाम मिलकर एक बकचोंचों या मुरब्बा बनकर रहेगा वह चोंचों का मुरब्बा ज्यादा दिन तक चलनेवाला नहीं है। समझता हूं कि अब वह स्ट्रेट फाइट जो अनिश्चित बोर्ड में चुनावों में होनेवाली है वह फाइट तो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी जो कि परिवर्तनशील जगत में विश्वास करती है, क्रांतिकारी जगत में विश्वास करती है और वर्तमान सिस्टम को पलट कर उस पर भव्य सुन्दर विषमता निवारक समाज खड़ा करना चाहती है वह बाकी रहेगी और जो आज ढांचा चल रहा है इस वर्तमान ढांचे को कायम करने वाले जो कि स्टेटस कोइज्म और यथास्थितिवाद की पार्टी है कांग्रेस उसके बीच में और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के बीच वह फाइट होगी। श्रीमन्, जो मैं कह रहा था वह तो यह था और यह सब कहने का अर्थ भी यही था कि अब कोई झगड़ा चाहे वह बहुसदस्य वाला हो या और कोई, माननीय मंत्री के रास्ते में दिक्कत नहीं खड़ा करता क्योंकि, श्रीमन्, मैं अपने इसी तर्क के समर्थन में आपकी इजाजत से माननीय स्वायत्त मंत्री महोदय की खिदमत में एक उदाहरण रखना चाहता हूं।

अब जितने भी चुनाव हो रहे हैं, श्रीमन्, अभी एक अलीगढ़ का उपचुनाव हुआ। उसमें एक स्ट्रेट फाइट रही। एक तरफ से प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का उम्मेदवार था और जो विजयी होकर यहां उपस्थित है, और दूसरी तरफ कांग्रेस का उम्मीदवार था इसके अतिरिक्त अभी हमारे बावरी साहब का मध्य प्रदेश में जो चुनाव हुआ है वहां भी स्ट्रेट फाइट हुई। एक तरफ प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का उम्मीदवार था और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार था। और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को आठ हजार से ज्यादा वोटों से हरा कर पार्लियामेंट में गया है। इसलिये जो अब वातावरण है जिस तरह से हमारे समाज की राजनीतिक प्रगति हो रही है वह राजनीतिक प्रगति हमें इसी ओर ले जाती है। अब आगे आने वाला जमाना जो है वह बहुत ज्यादा डांड़ मारों में नहीं बट पायेगा। आज हिन्दुस्तान की राजनीतिक चेतना स्थायित्व पर आ रही है। उसने अपनी जगह को समझ लिया है। जब उसने अपनी जगह को समझ लिया है तब माननीय स्वायत्त मंत्री महोदय के रास्ते में क्या दिक्कत है। मैं आपके जरिये उनसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि अब वह इस बात को अपने लिये खतरा न समझें और श्रीमन्, एक बहुत मारके की बात मैं आपकी इजाजत से माननीय स्वायत्त मंत्री की खिदमत में रखना चाहता हूं। वह बात यह है कि जब 'श्रीमन्, हमें कुछ थोड़ी सी हिचक होती है कि माननीय मंत्री जी तुरन्त समझ लेते हैं कि उनकी मोटिव पर अटैक कर रहा हूं जब कि हमारी कोई ऐसी नियत या भावना नहीं रहती ... .../

बैठक का कार्यकाल बढ़ाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव

श्री कालीचरण टंडन (जिला फर्रुखाबाद)—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि एक घंटे के लिये यह सेशन बढ़ा दिया जाय ताकि बहस जो चल रही है वह भी पूरी हो जाय और उस सिलसिले में और मित्रों को जो राय जाहिर करनी है वह भी अपनी राय जाहिर कर सकें।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—अध्यक्ष महोदय, हम को इस पर आपत्ति है इसलिये कि कोई असाधारण परिस्थिति हो तो हम आधी रात तक बैठने को तैयार हैं। यह सेशन जैसा कि गवर्नमेंट का ऐलान है, १२ जनवरी तक तो चलेगा ही। उसके आगे अगर जरूरत होगी तो आगे भी चल सकता है। इस लिये कि कोई असाधारण परिस्थिति नहीं है हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि इस प्रस्ताव को इंटरटेन न किया जाय।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—श्रीमन्, अभी यह सेवक बोल रहा था तब तक बीच में ही उन्होंने प्रस्ताव कर दिया मैं समझ नहीं पाया . . . .

श्री अध्यक्ष—मोशन किसी स्टेज पर हो सकता है। लेकिन मैं यह मोशन तब लूंगा जब आप अपना समय खत्म कर लेंगे।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, यह सरकारी पक्ष के लोगों की मनोवृत्ति होती है कि किसी तरह धागा को इस तरह से बीच में तोड़ दे। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप जरा इस पर प्रतिबन्ध लगाये सख्ती के साथ।

श्री अध्यक्ष—आप अपनी जगह को मत छोड़ा कीजिये। आप बैठ मत जाया कीजिये।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, मैं यह कह रहा था कि माननीय मंत्री जी अब यह समझ रहे हैं कि जो जागरित जनमत है वह जागरित जनमत .../

श्री अध्यक्ष—अब मैं मोशन पर राय ले लेता हूं।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—अध्यक्ष महोदय, मुझे एक प्वाइंट आफ आर्डर करना है। पब्लिकी का लिमिटेशन समय बीत गया है और उनका प्रस्ताव इंटरटेन नहीं किया जा सकता।

श्री अध्यक्ष—आप पहले पेश कर चुके हैं।

श्री राजनारायण—श्रीमन् मैं आप से एक निवेदन करना चाहता हूं। श्रीमन्, हम सब को मालूम है कि साधारणतया सदन का काल पांच बजे तक होता है और हम लोगों के बहुत ही आवश्यक इंगेजमेंट होते हैं। और यह म्युनिसिपल ऐक्ट संशोधन विधेयक जो कि हमारे प्रांत के शहरी एलेक्शन के तमाम नागरिकों से संबंधित है और करीब एक करोड़ के ऊपर आबादी से संबंधित है इसलिये कोई असाधारण विधेयक नहीं है। और आज साढ़े पांच बजे से सम्पूर्णानन्द जी ने, एक स्काटलैंड से और एक स्विट्जरलैंड से सज्जन यहां दर्शक के रूप में आये हैं, उन्होंने हमको इनवाइट किया है और....../

श्री अध्यक्ष—तो तस्फ़िया कर लीजिये। २० मिनट मैं समझता हूं ठीक रहेगा।

श्री राजनारायण—मैं समझता हूं कि इस समय सदन के कार्य को न बढ़ावें तो अच्छा हो। हमें यहां से अपने निवासस्थान को जाना है और नित्य के कार्यक्रम से निवृत्त हो कर के जाना पड़ेगा। इसलिये मैं आप के जरिये अपने मित्र से यह निवेदन करूंगा कि वह अपने इस प्रस्ताव को वापस ले लें। अगर उनको टाइम बढ़ाना होगा तो शनिश्चर को छुट्टी आती है वहां कर लेंगे।

स्वशासन मंत्री श्री मोहनलाल गौतम—जैसी आप की आज्ञा हो। मैं समझता हूं २० मिनट बढ़ा दीजिये या इसी को मंजूर कर लीजिये।

श्री अध्यक्ष—२० मिनट हूं, ठीक रहेगा। इसी पर मैं राय लिये लेता हूं। प्रश्न यह है कि २० मिनट सदन का समय और बढ़ा दिया जाय और सदन का समय ५ बज कर २० मिनट कर दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ।

विपक्ष में—१४ पक्ष में—८२।)

उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (संशोधन) विधेयक १९५२ (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष—श्री राजनारायण अपना भाषण जारी रखें।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—श्रीमन्, मैं इसी संशोधन पर बोल रहा था "ऐंड बाईपिक्सिंग सिम्बल्स एलाटेड टू पार्टीज आर इंडिविजुअल्स इन दि केस आफ़ स्टेट असेम्बली

[श्री राजनारायण]

एलेक्शंस" जोड़ दिया जाय। संशोधन के समर्थन में, श्रीमन्, मैंने जो तरीका उपस्थित किया था उसी के संबंध में मैं आपकी इजाजत से माननीय मन्त्री जी की ओर सफाई के लिये कुछ कोटेशंस रखना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी देखेंगे कि आस्ट्रेलियन बैलेट आज किस तरह से चल रहा है। वह साफ कहते हैं कि--

"*Adoption.* In an effort to prevent the abuses of the old plan, the state legislature of Kentucky provided for a new type of ballot, which was used in the Louisville municipal elections of 1888. This ballot had been adopted by Victoria, Australia, thirtytwo years before, so it came to be known in the United States as the Australian ballot. It was a blanket ballot, containing the names of the candidates of all parties, printed at state expense, and distributed by State authorities, great care being taken to make certain that only one ballot reached each voter. The state guaranteed secrecy by providing curtained booths at the polling places."

श्रीमन्, यह १८८८ की बात है और आज १९५२ है। क़रीब क़रीब अगर देखा जाय तो ८० वर्ष पहले भी इस तरीक़े से बैलेट पर नाम लिख दिया जाता था और उस बैलेट बाक्स को रख दिया जाता था, कर्टेन लगा दिया जाता था। उसमें जाकर लोग वोट डालते थे। इसी तरीक़े से अगर अर्लियर बैलेट फ्राड्स के बारे में भी देखा जाय, इन पुस्तकोंमें उनका भी संकेत है :

"Until the latter years of the nineteenth century the printing and distributing of ballots was left to the party organizations. The laws merely provided that white paper must be used and sometimes specified the size. So each party prepared its own lists of candidates and distributed them to voters outside the polling place on election day.

श्रीमन्, अभी जब मैं यह आप की इजाजत से पढ़ रहा था यहां पर तो एक बहुत ही इस समय के ताजे अनुभव की चीज़ है वह मैं आप की इजाजत से माननीय सदन के सम्मानित सदस्यों की ख़िदमत में पेश करना चाहता हूं। आख़िर वह भी जनता ही है, जनता के ही अंग हैं। अभी-अभी कांग्रेस पार्टी का एलेक्शन हुआ है कुछ समय पहले। श्रीमान्, आप देखेंगे कि इस चुनाव में कितनी धांधली हुई है और अभी हमने कुछ बनारस के चुनाव की चर्चा अख़बारों में पढ़ी। वहां पर ऐसा हुआ था कि जो उम्मीदवार था वह अपने अपने लोगों को पेपर लाकर छोड़ देने के लिये दे देता था। यह मामला कांग्रेस कमेटी के पेटीशन में आ रहा है। लोग देखेंगे कि ज्यादातर वोटों को ले जाकर लोगों ने अपने में छुड़वा लिया। इसमें आगे क्या बात होगी मैं इस समय नहीं कह सकता। मगर जो उसमें गड़बड़ियां हुई हैं उन्हीं गड़बड़ियों को माननीय स्वशासन मंत्री फिर आगे दुहराने की कृपा न करें। आज कांग्रेस पार्टी के जो चुनाव हुये जिस तरह के पुलिस के घेरों में कहीं कहीं चुनाव हुये हैं उसी तरह से सारे सूबे के चुनाव नल ऐन्ड वायड हो गये हैं। उससे यही सबक़ मिलता है कि हमारे यहां जिस तरीक़े से जिस मनोवृत्ति से प्लावित होकर आज जन समाज को कुछ लोग ले जाना चाहते हैं वह मनोवृत्ति कारगर नहीं है। वह हमको नीचे के स्तर पर भी ले जाती है, पतन के गर्त में ले जाती है। हमारी मोरेलिटी को भी कम कर देती है, नीचे गिरा देती है। तो इन तमाम खामियों को दूर करने के लिये जो पुराना सिस्टम था ओल्ड बैलट फ्राड्स का उसको हमें दूर करना है और, श्रीमन्, उसको अगर वर्तमान् स्वायत्त शासन विभाग के मंत्री महोदय नहीं दूर करेंगे तो कौन दूर करेगा जिनको कि तमाम गौरव प्राप्त है विदेशों के भ्रमण का, इस सदन के सम्मानित मन्त्री महोदय के पद पर आसीन होने और उसके साथ साथ बहुत दिनों तक हम लोगों के साथ रहने का गौरव प्राप्त है। तो, श्रीमन, अगर माननीय मंत्री जी इस युग में इस तरह के सिम्बल सिस्टम को नहीं एडाप्ट करते हैं तो हमें सचमुच में शोक होता है कि क्या जो कांग्रेस पार्टी के चुनाव में छीछालेदर हुई वही म्युनिसिपैलिटी के

चुनाव में भी होगी। जो कांग्रेस के चुनाव में हुआ वह भारत पर एक कलंक है। श्रीमन्, मैं इसको इसलिये कहता हूं क्योंकि कांग्रेस एक देश की बड़ी राजनैतिक पार्टी है।

श्री अध्यक्ष—यह संशोधन कांग्रेस के एलेक्शन्स के संबंध में नहीं है।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, आप की इजाजत से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आखिर वे चाहते कौन सा सिस्टम है। माननीय मंत्री जी यह क्यों नहीं साफ बताते हैं कि वे कौन सा सिस्टम चाहते हैं ताकि सारा विवाद ही समाप्त हो जाय इतने दिनों से चुनाव होगा, होगा, हो रहा है और माननीय मंत्री जो अभी तक अपनी बुद्धि में यह सफ़ाई ही नहीं कर सकते हैं कि वे कौन सा सिस्टम चाहते हैं। हमें तो यह बहुत आश्चर्यजनक घटना मालूम होती है। इसमें तो वही कहावत आती है "देयर इज समथिंग इन दि बाटल्स" कोई न कोई चीज इसकी बुनियाद में है और जिसको श्रीमान् मैं निकालने की कोशिश कर रहा हूं। यदि माननीय मंत्री जी उसकी सफाई कर देते तो हम चुपचाप ही रहते। इसलिये मैंने कांग्रेस पार्टी का नाम लिया कि वह सबसे बड़ी पार्टी है..

स्वशासन मंत्री, श्री मोहनलाल गौतम—प्वाइंट आफ आर्डर सर, अभी माननीय अध्यक्ष महोदय, आप ने कांग्रेस पार्टी के चुनाव के संबंध में यह आज्ञा दी है कि उसका जिक्र न किया जाय। फिर भी वह दोहराया जाता है। मैं चाहता हूं कि वह दोहराया न जाय क्योंकि उसकी सफाई देनी पड़ेगी।

श्री अध्यक्ष—कृपा करके उसको न दोहराइये।

श्री राजनारायण—मैं दोहरा नहीं रहा था, मैं केवल उसका रेफरेन्स दे रहा था। अब श्रीमन्, मैं आप की इजाजत से माननीय मंत्री जी से, बीच में ही बैठकर, चाहूंगा कि वे बतला दें कि कौन सा सिस्टम वे चाहते हैं। यदि वे यह बता दें तो हमारी सफाई हो जायगी और जो तर्क वितर्क हम कर रहे हैं उस तर्क वितर्क में सदन का समय नष्ट नहीं होगा। इतने दिनों से इस चुनाव की चर्चा हो रही है जिस चुनाव को यथाशीघ्र कराने के लिये माननीय स्वायत्त मंत्री महोदय बहुत ही चिन्तित हैं और बहुत ही लालायित है और सदन के समय को भी नष्ट न होने देने का प्रश्न है। तो श्रीमन् क्या मुझे यह अधिकार पूछने का नहीं है आप के जरिये माननीय स्वायत्त मन्त्री महोदय से कि उन्होंने इसके बारे में क्यों नहीं सफाई के साथ सोचा कि किस सिस्टम से वोट लिया जायगा, कौन सा सिस्टम अख्तियार किया जायगा। और श्रीमन्, जब माननीय मंत्री महोदय इस तरह से बिना सोचे समझे इस विधेयक को हमारे सदन में प्रस्तुत कर देते हैं तो क्या मैं आप की इजाजत से यह नहीं कह सकता कि उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया। वोट देने का क्या सिस्टम होना चाहिये, इसी पर सारी लड़ाई है कि जो वोटर हैं वे जिस उम्मीदवार को वोट देना चाहते हैं उसको वोट दे पा रहे हैं ठीक तरीके से या नहीं। श्रीमन्, जो पहले रूल्स थे और जो अप्लाई हो चुके हैं उनको आप की इजाजत से पढ़ना चाहता हूं परन्तु इसके पहले जो आज उसका मानसिक विवेचन है उस मानसिक विवेचन पर कुछ कहना चाहता हूं क्योंकि जब मनुष्य का मस्तिष्क ठीक हो जाता है तो आधा काम वहीं समाप्त हो जाता है और जब आदमी को यह बात ज्ञात हो जाती है कि उसे करना क्या है तो उसकी सफाई के बाद मामला बड़ा सरल हो जाता है, आसान हो जाता है और वह सफाई, श्रीमान्, मैं देता हूं......।

श्री अध्यक्ष—मैं जरा एक चीज की ओर याद दिलाना चाहता हूं, यह मेज पार्लियामेन्ट्री प्रैक्टिस की है जिससे आप के काम में सहूलियत हो जाय।

"Good temper and moderation are the characteristics of parliamentary language. Parliamentary language is never more desirable than when a member is convassing the opinion and conduct of the opponents in general."

[श्री अध्यक्ष]

अगर कनवेस करना हो तो गुड़ टेम्पर माननीय मंत्री जी का रह सके और विरोधियों का यही तरीक़ा पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस का है और उसका खयाल रखें जिस वक्त भी भाषण करें ।

श्री राजनारायण--श्रीमन्, आप ने हमें जो अभी बतलाया वह सही है और यह बहुत ही अच्छी बात है । मैं तो भरसक यही कोशिश करता हूं, कि मैं अपने माननीय मंत्री जी को इसतरीके से प्रफुल्लित बदन देखूं, और इस तरह से उन्हें प्रफुल्ल चित्त पाऊं ।

जिस तरीके से मैं जो तरीका उपस्थित कर रहा हूं उसको गहराई के साथ माननीय मंत्री जी समझें और उनको सोचें । इसी तरह, श्रीमन्, मैं आपकी इजाज़त से चाहता हूं कि माननीय मन्त्री जी हमें वह रास्ता बतावें कि आख़िर जो हमारे दिमाग़ में आज यह परेशानी हो गयी है कि माननीय मंत्री जी कौन सा सिस्टम अडाप्ट करना चाहते हैं, यह परेशानी कैसे दूर होगी। मैं खुद परेशान हूं और मैं अपनी परेशानी का इज़हार कर रहा हूं और अपनी परेशानी को लेकर आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से निवेदन कर रहा हूं कि हमारी परेशानी कैसे दूर हो। फिर जब हम यहां से जायंगे और म्युनिसिपल बोर्ड के तमाम नागरिक मिलेंगे तो वे हमसे पूछेंगे कि क्यों भाई, तुम तो विधान भवन में उपस्थित थे इसकी सफाई क्यों नहीं की, इसका जवाब दो कि तुम हमें किस तरीक़े से वोट डलवाने ले चलोगे। तो मैं उनको क्या जवाब दे पाऊंगा। मेरा मुंह बन्द हो जायगा। तो जब मेरा मुंह बन्द हो जायगा, मैं समझता हूं वह माननीय मंत्री के लिये भी शोचनीय है । इसलिये आप की इजाजत से मैं माननीय मंत्री जी से यह जरूर निवेदन करना चाहता हूं कि कम से कम हमारा मुंह खुलने की परिस्थिति पैदा करें और यह साफ बतावें कि वह कौन सा सिस्टम चाहते हैं। हमने तो साफ बता दिया अपने संशोधन के जरिये, कि हम चाहते हैं सिम्बल सिस्टम या कलर का सिस्टम अख्तियार किया जाय । उसी के साथ साथ, श्रीमन्, हमने दूसरे सूबों के उदाहरण भी दिये। आस्ट्रेलिया का उदाहरण दिया, अमेरीका का उदाहरण दिया और अगर आप की इजाजत होगी, श्रीमन्...

श्री अध्यक्ष--क्या अब आप खत्म कर रहे हैं?

श्री राजनारायण--अभी समय लगेगा।

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं माननीय मंत्री जी को सोचने का समय मिल जाय।

श्री राजनारायण--मैं रूल्स कल आप की इजाज़त से पेश करूंगा।

श्री अध्यक्ष--तो इसमें आपको और सोचना बाक़ी है ।

(इसके बाद सदन ५ बजकर २० मिनट पर अगले दिन ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

कैलासचन्द्र भटनागर
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ,
१६ दिसम्बर, १९५२

पी० एस० यू० पी ए० पी--१३२ एल ए--८५०

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, १७ दिसम्बर, १९५२

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३५७)

अक्षयवर सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अलहर हुसैन ख्वाजा, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मुईजखां, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतज़ा हुसैन, श्री
इस्तफ़ा हुसैन, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेद सिंह, श्री
उल्फ़त सिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
कन्हैयालाल बाल्मीकि, श्री
कमला सिंह, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
करन सिंह, श्री
कल्याण राय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
किन्दर लाल, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केदारनाथ, श्री
केवल सिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशव पाण्डेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूब सिंह, श्री
गंगधर, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरु प्रसाद पाण्डेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलज़ार, श्री
गेंदा सिंह, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्याम दास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रपाल वाजपेयी, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रभानु शरण सिंह, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्र सिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चरण सिंह, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री

चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशसरन रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथबख्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगपति सिंह, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री
जुगलकिशोर, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
झारखंडे राय, श्री
टीकाराम, श्री
डालचन्द, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तुलसीराम, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा ,श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र प्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री
द्वारकाप्रसाद मौर्य्य, श्री
द्वारिका प्रसाद पाण्डेय, श्री
धनुषधारी पाण्डेय, श्री
धर्म सिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थू सिंह, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवशास्त्री, श्री
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाज़िम अली, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नारायणदीन, श्री
निरंजन सिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरी राम, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवान सिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिन विहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्री
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभूदयाल, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फ़तेह सिंह राणा, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बलदेव सिंह, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बलवीर सिंह, श्री
बलभद्र प्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्त सिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री

बाबूलाल मीतल, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बिशम्भर सिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथ प्रसाद सिंह, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीदीन तिवारी, श्री
भगवती प्रसाद दुबे, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवान सहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भूपाल सिंह खाती, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोला सिंह यादव, श्री
मक़सूदआलम ख़ां, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुराप्रसाद पाण्डेय, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महादेव प्रसाद, श्री
महाराज सिंह, श्री
महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुज़फ़्फ़र हसन, श्री
मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक़ अली ख़ां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ़, श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद फ़ारुक़ चिश्ती, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद शाहिद फ़ाख़री, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहन सिंह शाक्य, श्री
यमुना सिंह, श्री
यशोदा देवी, श्रीमती
रघुनाथ प्रसाद, श्री
रघुराज सिंह, श्री
रघुबीर सिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम, मिश्र
राजराम शर्मा, श्री
राजेन्द्र दत्त, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअधीन सिंह यादव, श्री
रामअवध सिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनाथ तिवारी, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसाद सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राम रतन प्रसाद, श्री

रामराज शुक्ल, श्री
रामरतन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामस्नेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी , श्रीमती
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लताफ़त हुसैन, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फ़ अली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
बंशीनारायण सिंह, श्री
बंशीदास धनगर, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नक़वी, श्री
वासुदेवप्रसाद मिश्र, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विश्वनाथ सिंह गौतम, श्री
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रविक्रम सिंह, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
ब्रजभूषण मिश्र, श्री
ब्रजरानी मिश्र, श्रीमती
ब्रजवासीलाल, श्री
ब्रजविहारी मिश्र, श्री
ब्रजबिहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदान सिंह, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवशरण लाल श्रीवास्तव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुकदेव प्रसाद, श्री
शुगनचन्द्र, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथराम, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सईदजहां मख़फ़ी शेरवानी, श्रीमती
संग्राम सिंह, श्री
सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायण दत्त, श्री
सत्य सिंह राणा, श्री
सत्यानन्द, श्री
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरलाल, श्री
सुरजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुल्तानआलम खां, श्री

सूर्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आज़मी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हरख़याल सिंह, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरगोविन्द सिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरिश्चन्द्र वाजपेयी, श्री
हरिसिंह, श्री

-:०:-

प्रश्नोत्तर

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

रिहिन्द बांध योजना

*१---श्री नागेश्वर द्विवेदी (ज़िला जौनपुर)---क्या सरकार बतलायेगी कि क्या यह बात सच है कि केन्द्रीय सरकार ने रिहिन्द बांध योजना को अपनी पंच-वर्षीय योजना के अन्तर्गत ले लिया है ?

स्वशासन मंत्री (श्री मोहनलाल गौतम)---प्लानिंग कमीशन ने रिहिन्द बांध योजना को पंच वर्षीय योजना में शामिल करने के लिये तय कर लिया है।

श्री नागेश्वर द्विवेदी---क्या माननीय मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि रिहिन्द बांध योजना को प्लानिंग कमीशन ने पूर्ववत् स्वीकार किया है या उसमें कुछ परिवर्तन किया है ?

श्री मोहनलाल गौतम---उसको थ्रेश आउट कर के स्वीकार किया है। इतना और निवेदन कर दूं कि उसकी रकम भी तय हो गयी है कि उसमें कितना खर्च होगा।

*२---श्री नागेश्वर द्विवेदी---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि केन्द्रीय सरकार ने इस कार्य के लिये कितना धन देना स्वीकार किया है और यह बांध अब किस सन् तक बनकर, काम म आने लगेगा ?

श्री मोहनलाल गौतम---अभी कुछ तय नहीं हुआ।

श्री नागेश्वर द्विवेदी---क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि रिहिन्द बांध योजना पर सरकार ने कितना धन देना स्वीकार किया है ?

श्री मोहनलाल गौतम---इसका उत्तर जैसा कि उत्तर नम्बर २ म है कि अभी यह कुछ तय नहीं हुआ है।

श्री व्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)--क्या सरकार को यह विदित है कि वहां की अवस्था को दृष्टि में रखते हुये वहां का रेट कम है जिससे लोग कम आ रहे हैं ?

श्री मोहनलाल गौतम--यह उस वक्त ज्यादा अच्छी तरह से समक्ष में आयेगा जब कि उसको पूरी तेजी से शुरू किया जायगा ।

नीलगायों से कृषि की रक्षा

*३--श्री नागेश्वर द्विवेदी--क्या सरकार इस बात से अवगत है कि पूर्वी जिलों में नीलगाय फैल रही है, जो खेती को बहुत बड़ी हानि पहुंचा रही है ?

कृषि उपमंत्री (श्री जगन प्रसाद रावत)--जी हां।

श्री रमेशचन्द्र शर्मा (जिला जौनपुर)--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करगी कि जिन पूर्वी जिलों में नीलगायों से किसानों की फ़स्ल को अधिक नुक्सान हो रहा है वहां के प्रधानों को बिला शर्त बन्दूक दी जायगी ?

श्री जगन प्रसाद रावत--इस बात के लिये जिला मैजिस्ट्रेटों को इस प्रकार के आदेश ह कि जहां फ़स्ल जंगली जानवरों से खराब की जाती है वहां उन लोगों को उन बन्दूकों के लाइसेंस दें जिनसे इन जानवरों का आना रोका जा सके ।

*४--श्री नागेश्वर द्विवेदी--क्या सरकार ने नीलगायों से कृषि की रक्षा के लिये उन्हें मारने के अतिरिक्त कोई अन्य उपाय भी सोचा है ? यदि हां, तो वह उपाय क्या है ?

श्री जगन प्रसाद रावत--जी नहीं।

*५--श्री नागेश्वर द्विवेदी--क्या सरकार कोई ऐसा प्रयोग कर रही है कि नीलगाय भी घरेलू जीवन में एक उपयोगी और सहायक पशु के रूप में काम आये ? यदि नहीं, तो क्या सरकार भविष्य में ऐसा प्रयोग करेगी ?

श्री जगन प्रसाद रावत--सरकार ने कोई ऐसा प्रयोग नहीं किया है । माननीय सदस्य कोई सुझाव देंगे तो उस पर विचार किया जायगा ।

श्री नागेश्वर द्विवेदी--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि वह इस बात पर विचार कर रही है कि नर नीलगाय की हल या तांगे में कहां तक उपयोगिता सिद्ध हो सकती है ?

श्री जगन प्रसाद रावत--कहीं-कहीं पर लोगों ने इस प्रकार का प्रयोग किया लेकिन वह प्रयोग असफल रहा।

श्री नागेश्वर द्विवेदी--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि सरकार इस बात का प्रयोग करेगी कि नीलगाय का दूध स्वास्थ्य तथा अन्य उपयोगिता की दृष्टि से कहां तक ठीक होता है ?

श्री जगन प्रसाद रावत--इसका भी बहुत लोगों ने प्रयोग किया लेकिन वह नीलगाय का दूध निकाल नहीं सके ।

श्री बलवन्त सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)——क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि यह नीलगाय क्यों कहलाती है ?

श्री अध्यक्ष——मैं समझता हूं माननीय सदस्य स्वयं इसका उत्तर दे लें तो ज्यादा अच्छा रहे।

श्री नागेश्वर द्विवेदी——क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि दूध के बारे में किन लोगों ने प्रयोग किया था ?

श्री जगन प्रसाद रावत——बहुत से लोगों ने जिनको इस बात का शौक था कि वे नीलगाय या ऐसा ही कोई प्रयोग करें उन लोगों ने किया और आज ही उस संबंध में हमारे सूबे में एक पंडित श्रीराम शर्मा है उनसे मेरी काफी देर तक बातचीत हुई। उन्होंने भी कहा कि इसकी कोशिश की गयी लेकिन नीलगाय की इस दिक्कत को दूर करने का कोई भी उपाय अभी तक नहीं निकाला जा सका।

नागर क्षेत्रों की बेदखलियों पर रोक

*६——श्री रमेश चन्द्र शर्मा——क्या माल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या प्रदेश की टाउन एरियाओं के अन्दर जमीनदारों द्वारा की गयी बेदखलियों को रोक दिया गया है ?

माल मंत्री के सभा सचिव (श्री द्वारका प्रसाद मौर्य)——यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन हैं।

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)——क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कब तक निश्चय हो जाने की आशा है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य——ठीक तरह से तो नहीं कहा जा सकता है लेकिन जल्दी ही निर्णय हो जायगा।

श्री बलवन्त सिंह——क्या सरकार ऐसी बेदखलियों के दखल रोकने की कृपा करेगी ?

श्री द्वारका प्रसादमौर्य——यही प्रश्न तो विचाराधीन है

*७——श्री रमेश चन्द्र शर्मा——यदि हां, तो क्या इसकी सूचना प्रत्येक जिलाधीश के पास भेजी गयी है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य——यह प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता।

तारांकित प्रश्न

*१——श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़) (अनुपस्थित)——[देखिये आगे पृष्ठ १६० पर]

*२-३——श्री नेकराम शर्मा——[३१ दिसम्बर, १९५२ के लिये स्थगित किये गये।]

*४-५——श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)——[२८ जनवरी, १९५३ के लिये स्थगित किये गये।]

आगरा में सरकारी जनाने अस्पताल पर खर्च

*६—श्री पुत्तू लाल (जिला आगरा)—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि आगरा शहर में स्थित सरकारी जनाने अस्पताल के ऊपर कुल कितना प्रति वर्ष खर्च किया जाता है ?

अन्न मंत्री के सभासचिव (श्री बनारसी दास)—आगरा क जनाने अस्पताल क प्रान्तीयकरण होने के बाद से निम्नलिखित रुपया प्रति वर्ष व्यय हुआ है—

१९५०–५१	..	२,५९,३५० रु०
१९५१–५२	..	२,२९,५६० रु०
१९५२ अबतक	..	१,५६,८६७ रु०

(जिसमें कि कर्मचारियों का वेतन भी सम्मिलित है।)

श्री पुत्तू लाल—क्या सरकार यह बताने का कष्ट करेगी कि जो अनुदान आगरा के जनाना अस्पताल को दिया जाता है उसमें से कितना कर्मचारियों का वेतन तथा मरीजों के खुराक और दवा में खर्च होता है ?

श्री बनारसी दास—दवा और मरीजों की डाइट (Diet) पर जो खर्च होता है वह ७९,२१२ रुपये "Pay and allowances of Medical officers, Nurses and menial staff" कुल मिला कर १,७०,९४१ रुपया व्यय होता है ।

*७—श्री पुत्तू लाल—क्या यह सच है कि उक्त अस्पताल मे दवाइयों की कमी के कारण अधिकतर मरीजों को दवा खरीदने के लिये नुस्खा लिख दिया जाता है ?

श्री बनारसी दास—जी नहीं, मरीजों को अस्पताल से दवा दी जाती है जो कि आमतौर से अस्पतालों में होता है । पर्चा केवल उन दवाइयों के निमित्त लिखा जाता है जो अस्पताल में नहीं होती हैं।

श्री पुत्तू लाल—क्या सरकार यह बताने का कष्ट करेगी कि अस्पताल में दवाओं की कमी होने का क्या कारण है ?

श्री बनारसी दास—यह तो आपने स्वयं ही अपने प्रश्न में कहा है कि मरीजों की संख्या क्योंकि बहुत अधिक है इसलिये दवाओं के अनुदान में कमी पड़ जाती है।

श्री पुत्तू लाल—क्या सरकार मरीजों की संख्या को देखते हुये इस अनुदान को बढ़ाने का विचार कर रही है ?

श्री बनारसी दास—यह प्रश्न तो बजट के समय विचाराधीन होगा।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—क्या सरकार जो शिकायत है कि नुस्खा लिख दिया जाता है, उसकी कोई जांच करायेगी ?

श्री बनारसी दास—जांच का कोई सवाल नहीं है । अस्पतालों में दो तरह की दवायें होती हैं। एक तो ब्रिटिश फारमाकोपिया के अनुसार दवायें तैयार होती है उनके लिये कोई नुस्खा नहीं लिखा जाता है लकिन जो पेटेंट मेडीसिन्स होती हैं उनके लिये नुस्खा लिखा जाता है । इसलिये जांच का कोई प्रश्न पैदा नहीं होता है।

*८---श्री पुत्तू लाल---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि उक्त अस्पताल में प्रति वर्ष इनडोर तथा आउटडोर मरीजों की संख्या का तीन वर्ष का औसत क्या है ?

श्री बनारसी दास---इनडोर मरीजों का तीन वर्षों का औसत ८२४३ तथा आउट-डोर का औसत ७७,०६३ है।

बांदा ज़िले की कर्वी व मऊ तहसीलों में दवाखानों की कमी

*९---श्री जगपति सिंह (जिला बांदा)---क्या सरकार को मालूम है कि बांदा ज़िले की कर्वी व मऊ तहसील में बारह-बारह मील तक कोई दवाखाना नहीं है ?

श्री बनारसी दास---अभी ठीक सूचना नहीं मिली है । सम्भवतः स्थिति ऐसी ही है।

*१०---श्री जगपति सिंह---यदि हां, तो सरकार इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है?

श्री बनारसी दास---प्रदेश की उन जगहों में जहां चिकित्सा की सुविधा नहीं है सरकार चिकित्सालय खोलने के लिये प्रयत्नशील है । अगले साल जब नये दवाखाने खोले जायेंगे तो इन तहसीलों का भी ख्याल रक्खा जायगा।

श्री जगपति सिंह---क्या माननीय मंत्री जी यह बतला सकते है कि इस साल के बजट में कोई गुंजाइश नहीं है कि नये अस्पताल खोले जांय ?

श्री बनारसी दास---जी नहीं।

*११---श्री नारायणदत्त तिवारी---[१४ जनवरी, १९५३ ई० के लिये स्थगित किया गया।]

*१२-१३---श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा) (अनुपस्थित)---
[देखिये आगे पृष्ठ १६० पर]

*१४-१५---श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)---[१४ जनवरी, १९५३ के लिये स्थगित किये गये।]

* * * *

सिकन्दराराऊ (अलीगढ़) चुंगी के चेयरमैन के विरुद्ध शिकायतें

*१---श्री नेकराम शर्मा (अनुपस्थित)---क्या सरकार के पास सिकन्दराराऊ (अलीगढ़) चुंगी के चेयरमैन के विरुद्ध जनता एवं अन्य चुंगी कमीश्नरों की शिकायतें आयी है ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री मोहनलाल गौतम---जी हां, इस तरह की शिकायतें आयी है और उनकी जांच भी सरकार ने करायी है । इस संबंध में स्थानीय अधिकारियों की रिपोर्ट अभी आई है और उस पर सरकार विचार कर रही है । आशा है बहुत शीघ्र निर्णय हो जायगा।

श्री भगवान सहाय (जिला शाहजहांपुर)---क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने का कष्ट करेंगे कि जो शिकायतें आयी हैं उनमें आमतौर पर क्या चार्जेज़ हैं ?

नोट---तारांकित प्रश्न १ श्री भगवान सहाय ने पूछा।

श्री मोहनलाल गौतम--जिस बात पर विचार हो रहा है उसमें यह मुनासिब नहीं है कि उसके चार्जेज अभी बतलाये जायं।

* * * *

आगरा लेडी लायल अस्पताल

*१२--**श्री देवकीनन्दन विभव** (अनुपस्थित)--क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि आगरा लेडी लायल अस्पताल में गत वर्ष कितने मरीजों का इलाज हुआ और कितने प्रसव के केस हुये?

अन्न मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)--गत वर्ष लेडी लायल अस्पताल में ८६,५१८ मरीजों का इलाज हुआ जिसमें से ३,४१५ प्रसव के केस थे।

*१३--**श्री देवकीनन्दन विभव** (अनुपस्थित)--क्या सरकार इस अस्पताल को पुरुषों के अस्पताल से मिलाने का विचार कर रही है? यदि हां, तो क्यों?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--जी नहीं।

श्री राजनारायण के ९ दिसम्बर, १९५२ के भाषण के कुछ अंशों पर स्वशासन मंत्री द्वारा उठाई गई आपत्ति

श्री अध्यक्ष--कल जो सदन में बहस हुई उसके संबंध में मैंने यह कहा था कि आज मै उसका फैसला दूंगा लेकिन मेरा उसके ऊपर अभी विचार जारी है और उसमें पूर्णता नहीं हुई है। इसलिये मैं कल उसके ऊपर अपना निर्णय दूंगा।

मंत्रियों को परामर्श देने वाली स्थायी समितियों के निर्वाचन के संबंध में घोषणा

श्री अध्यक्ष--स्थायी समितियों के संबंध में जो चुनाव हुये है उस संबंध में मै सदन को कुछ सूचना देना चाहता हूं। उनमें से पूरे नाम पढ़ने की आवश्यकता मै समझता हूं नहीं होगी, जिनके नाम वापस हुये है उनके नाम सुनाये देता हूं बाकी नामजद हुये जिसकी फेहरिस्त मैंने उस रोज सुना दी थी।

हरिजन संबंधी स्थायी समिति में १५ नाम नामजद हुये थे। श्री झारखंडे राय जी ने अपना नाम वापस ले लिया, इसलिये बाकी १४ चुने गये।

सामान्य प्रशासन स्थायी समिति में १६ नाम नामजद हुय थे तो उनमें से दो सदस्यों श्री तेजबहादुर और श्री झारखंडे राय ने अपने नाम वापस ले लिये, इसलिये बाकी १४ चुने गये।

सार्वजनिक निर्माण विभाग भवन तथा सड़कों की स्थायी समिति में १५ नामजदगियां हुई थीं। श्री जोरावर वर्मा ने अपना नाम वापस ले लिया, इसलिये १४ बाकी जो रह गये वे चुने गये।

सार्वजनिक निर्माण सिंचाई की स्थायी समिति में १५ नामजदगियां हुई थीं, श्री झारखंडे राय ने अपना नाम वापस ले लिया, बाकी १४ चुने गये।

सार्वजनिक निर्माण विद्युत स्थायी समिति में १४ नामजदगियां हुई थीं कोई नाम वापस नहीं लिया गया, इसलिये १४ जो नामजद हुये थे वही निर्वाचित हुये।

शिक्षा की स्थायी समिति के लिये १८ नामजदगियां हुई थीं जिसमे श्री जोरावर वर्मा, श्री तेज बहादुर, श्री विष्णु दयाल वर्मा और श्री झारखंडे राय ने अपना नाम वापस ले लिया है। बाकी १४ सदस्य निर्वाचत हुये।

श्रम स्थायी समिति, के लिये १४ नाम आये थे और किसी ने अपना नाम वापस नहीं लिया। इसलिये यह १४ सदस्य निर्वाचत हुये।

वन स्थायी समिति के लिये १५ नामजदगियां हुई थी उसम श्री जोरावर वर्मा ने अपना नाम वापस ले लिया है। इसलिये बाकी १४ सदस्य निर्वाचित हुये।

माल स्थायी समिति के लिये १५ नामजदगियां हुई थी जिसमे श्री तेज बहादुर ने अपना नाम वापस ले लिया है, बाकी १४ सदस्य निर्वाचिन हुये।

न्याय तथा विधान की स्थायी समिति के लिये १४ नामजदगियां हुई थी और किसी ने अपना नाम वापस नहीं लिया। इसलिये यह १४ सदस्य निर्वाचित हुये।

कृषि तथा पशुपालन स्थायी समिति क लिये १९ नाम आये थे जिसमे माननीय श्री झारखंडे राय, श्री तेजप्रताप सिंह, श्री कमला सिंह, श्री विष्णुदयाल वर्मा और श्री मोहन सिंह ने अपना नाम वापस लिया, बाकी १४ सदस्य निर्वाचित हुये।

आबकारी स्थायी समिति के लिये १४ नामजदगियां हुई थी। किसी ने अपना नाम वापस नहीं लिया। शेष १४ सदस्य निर्वाचित हुये।

जेल स्थायी समिति के लिये १५ नामजदगियां हुई थी और श्री झारखंडे राय ने अपना नाम वापस लिया। बाकी १४ सदस्य निर्वाचित हुये।

चिकित्सा तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी स्थायी समिति के लिये १५ नामजदगियां हुई थीं और उसमे श्री कमला सिंह ने अपना नाम वापस ले लिया है। इसलिये बाकी १४ सदस्य निर्वाचित हुये।

स्वशासन संबंधी स्थायी समिति के लिये १५ नामजदगियां हुई थीं और उसमें से श्री झारखंडे राय ने अपना नाम वापस ले लिया। बाकी १४ सदस्य निर्वाचित हुये।

सूचना स्थायी समिति के लिये १४ नामजदगियां हुई थीं और उनमें से किसी ने अपना नाम वापस नहीं लिया। इसलिये यह १४ सदस्य निर्वाचित हुये।

रसद स्थायी समिति के लिये १४ नामजदगियां हुई थीं और उनमें से किसी ने अपना नाम वापस नहीं लिया। इसलिये वे १४ सदस्य निर्वाचित हुये।

पुलिस की स्थायी समिति के लिये १८ नामजदगियां हुई थीं उनमें से श्री झारखंडे राय, श्री जोरावर वर्मा, श्री तेजबहादुर और श्री कमला सिंह ने अपना नाम वापस लिया। इसलिये बाकी १४ सदस्य निर्वाचित हुये।

यातायात स्थायी समिति के लिये १६ नामजदगियां हुई थीं उनमें से श्री झारखंडे राय और श्री तेजप्रताप सिंह ने अपना नाम वापस लिया। बाकी १४ सदस्य निर्वाचित हुये।

विकास तथा नियोजन की स्थायी समिति के लिये १५ नामजदगियां हुई थी जिनमें श्री तेजप्रताप सिंह ने अपना नाम वापस लिया। बाकी १४ सदस्य निर्वाचित हुये।

उद्योग स्थायी समिति के लिये १५ नामजदगियां हुई थीं जिसमें श्री मोहन सिंह शाक्य ने अपना नाम वापस लिया। शेष १४ सदस्य उसके लिये निर्वाचित हुये।

सहकारी स्थायी समिति के लिये १४ नामजदगियां हुई थीं और किसी ने अपना नाम वापस नहीं लिया। इसलिये ये १४ सदस्य निर्वाचित हुये।

इस प्रकार से एक समिति की नामजदगी अभी होनी है उसके लिये मै कार्यक्रम कल बतला दूंगा।

*उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (संशोधन) विधेयक, १६५२

†खंड ६ (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष—अब उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (संशोधन) विधेयक, १६५२ ई० पर, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, विचार जारी रहेगा। कल उठते समय श्री रामनारायण त्रिपाठी द्वारा प्रस्तावित संशोधन पर श्री राजनारायण भाषण कर रहे थे। वे अपना भाषण जारी रखेंगे।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—अभी-अभी हमको चीफ व्हीप ने बतलाया कि माननीय मंत्री जी की इच्छा है कि इस पर कल विवाद हो तो इसलिये मैं अपना राइट रिजर्व रखना चाहता हूं और अगर कल के लिये विवाद हो तो मैं कल के लिये तैयार हूं।

श्री अध्यक्ष—कल के लिये आपको कोई आपत्ति नहीं है।

श्री राजनारायण—मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री अध्यक्ष—इस पर अब कल वाद-विवाद जारी होगा, अभी इसको स्थगित रखा जाता है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन पेश करना चाहता हूं।

'खंड ६ में प्रस्तावित नयी धारा 12—A के अन्त में शब्द "and by cumulaltive system of voting") बढ़ा दिये जायं।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक म्युनिसिपैलिटीज के चुनावों का संबंध है उसमें आम-तौर से प्लूरल मेम्बर कांस्टीटुएन्सी या बहुसदस्य चुनाव क्षेत्र होते हैं। क्युमुलेटिव प्रणाली

*विधेयक २ दिसम्बर, १६५२ की कार्यवाही में छपा है।
†खंड ६ १५ दिसम्बर, १६५२ की कार्यवाही में छपा है

ही एक सही चुनाव प्रणाली है। मोटे तौर पर चुनाव के ३ तरीके हैं। पहला है डिस्ट्रीब्यूटिव सिस्टम आफ वोटिंग, दूसरा क्यूमुलेटिव सिस्टम आफ वोटिंग और तीसरा है लिस्ट सिस्टम आफ वोटिंग हालांकि क्यूमुलेटिव और लिस्ट सिस्टम में कोई खास फर्क नहीं है लेकिन वह दोनों तरीके फिर भी अलग अलग हैं।

क्यूमुलेटिव सिस्टम आफ वोटिंग इसलिये महत्वपूर्ण है कि इससे माइनारिटीज को अख्तियार मिल जाता है कि वह अपना प्रतिनिधि किसी म्युनिसिपल बोर्ड में या दूसरी जगह भेज सकें क्यूमुलेटिव सिस्टम आफ वोटिंग यह है कि मान लीजिये कि कहीं ५,००० वोटर हैं और मान लीजिये कि वहां ३ उम्मीदवार हैं तो उस में यानी क्यूमुलेटिव सिस्टम में हर वोटर को अख्तियार होगा कि वह अपने तीनों बैलट पेपर जो उसको इशू होंगे वह चाहे एक को दें या दो को दें या तीनों एक ही को दे दें। एक उदाहरण देकर मैं इसको स्पष्ट करना चाहता हूं, मान लीजिये ३ मेम्बर वार्ड में ५,००० वोटर हैं और उनमें से १,७०० वोटर किसी पोलिटिकल माइनारिटी के पक्ष के उम्मीदवार के हैं तो १,७०० वोटर अगर किसी पोलिटिकल माइनारिटी के पक्ष के हों और वह इस बात का प्रिकाशन लें और अपने तीनों वोट उसी के डिब्बे में डाल देते हैं तो गिनती के वक्त उसके ५,१०० वोट होंगे। अब रह गई मैजारिटी पोलिटिकल पार्टी उसके लिये ५,१०० वोट पड़ने के बाद ५००० में से कुल ९९०० वोट रह जाते हैं और अगर किसी भी कोशिश से.....अध्यक्ष महोदय, सदन में शान्ति नहीं है।

श्री अध्यक्ष—सदन म शान्ति रहना चाहिये ताकि सब लोग सुन सकें।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—तो मैं यह कह रहा था कि अगर किसी भी कोशिश से बहुसंख्यक दल चाहता है तो उसके २ उम्मीदवारों को ५,१०० से ज्यादा मिलेंगे या कम मिलेंगे, अगर दोनों को बराबर मिलते हैं तो ४,९५० वोट दोनों को बराबर मिलेंगे और पोलिटिकल माइनारिटी के उम्मीदवार को ५,१०० मिले, इसलिये ३४ फीसदी भी पोलिटिकल माइनारिटी के पक्ष में हो जाता है तो एक प्रतिनिधि उनका आ जाता है। अध्यक्ष महोदय, इस तरह के सिस्टम आफ वोटिंग की कोशिश हमारी पार्टी की तरफ से असेम्बली और पार्लियामेंट के एलेक्शन के समय में भी की गई थी लेकिन सरकारी पक्ष ने उसको नहीं माना था। उनमें सिंगल मेम्बर और डबल मेम्बर कंस्टीट्यूएंसीज रखी गई और डिस्ट्रीब्यूटिव सिस्टम आफ वोटिंग रखा गया कि हर उम्मीदवार के यदि २ भी वोट हों तो वह एक ही वोट १ उम्मीदवार को दे सकता है। जहां तक म्युनिसिपैलिटीज का सवाल है वह कोई प्रांत की या देश की सरकार चलाने का प्रश्न तो है नहीं जहां कि बहुत बड़ी राजनीति के प्रश्न तय होते हों। यह तो एक सर्वमान्य सिद्धांत सा है कि जहां डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और म्यूनिसिपल बोर्ड होते हैं उनके चेयरमैन और मेम्बरों से ज्यादातर रचनात्मक कार्य करने की आशा की जाती है। यदि उसमें कोई विरोध न हो और सर्वसम्मति प्राप्त हो जाय तो बहुत ही अच्छा है। अगर किसी पोलिटिकल माइनारिटी के नुमाइन्दे के पास ३ मेम्बर के वार्ड में ३४ परसेंट वोट भी हैं तो वह चुन जायगा। ५ मेम्बर कांस्टीट्यूएंसी में २० परसेंट होने पर चुना जायगा, और ४० परसेंट होने पर २ चुने जावेंगे, ६० परसेंट होने पर ३ चुने जावेंगे। चुनाव की एक अच्छी प्रणाली को मान लेने से यह स्वयं नतीजा निकल जाता है कि हर पोलिटिकल पार्टी, चाहे वह माइनारिटी में हो या मैजारिटी में हो और चाहे वह उसे पसन्द करे या न करे, उसका प्रतिनिधित्व म्यूनिसिपल बोर्ड में पहुंच जाता है। यह बहुत जरूरी चीज है।

असेम्बली में तो मैजारिटी को शासन चलाना होता है और बड़ी बड़ी पालिसी के प्रश्न इनवाल्ब्ड होते हैं: गवर्नमेंट समझती है कि यह ठीक है और विरोधी दल समझता है कि वह ठीक है। तो मैजारिटी को नामंजूर करने का डेमोक्रेटिक हक़ हासिल है। लेकिन, जैसा

[श्री रामनारायण त्रिपाठी]

मैंने पहले कहा वहां रचनात्मक कार्य होता है और इसीलिये यह आवश्यक है कि क्यूमुलेटिव सिस्टम आफ वोटिंग हो। यह कोई नई प्रणाली नहीं है। हमारे देश में भी बम्बई के कारपोरेशन में यह है। मै आपकी आज्ञा से सिटी आफ बाम्बे म्यूनिसिपैलिटीज़ ऐक्ट, १८८८, में से धारा २८ का (एफ) सबक्लाज पढ़ना चाहता हूं।

"In plural counsellor wards every elector shall have as many votes as there are counsellors to be elected at such election for such ward and may give all such votes to one candidate or may distribute them among the candidates as he thinks fit."

अध्यक्ष महोदय, आप देखें कि वहां भी ऐसा है। और हमारी लोकल सैल्फ गवर्नमेंट कमेटी ने भी, जिसके चेयरमैन आप थे जो हमारी खुशकिस्मती है, और जिस कमेटी का जिक्र यहां आया है, और जिसके २ और मेम्बर श्री सुलतान आलम खां और श्री ऐजाज रसूल खां यहां मौजूद है हालांकि वे इस वाद-विवाद मे हिस्सा नहीं ले सकते, उस कमेटी ने भी इस बात को माना है, काफी गौर करके, और सिफारिश की है पेज २५ पर, कि--

"The election of members to the district or municipal boards should be through joint electorate and the system of voting should be cumulative."

यह कमेटी हमारे प्रदेश के लिये ही नहीं, बल्कि तमाम प्रदेशों के लिये बहुत महत्व की है और उसने बहुत अच्छे सुझाव रखे थे। उसने भी यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण और व्यवहारिक सुझाव रखा है कि जहां तक एक मत हो कर काम करने का सवाल है उसके लिये क्यूमु-लेटिव सिस्टम आफ वोटिंग होना चाहिये। मुझे यह बात देखकर खुशी हुई कि नोट आफ डिसेंट में एक मेम्बर ने भी इस बात पर ऐतराज़ नहीं किया बल्कि सभी मेम्बर उस राय के थे। क्यूमुलेटिव सिस्टम आफ वोटिंग म्युनिसिपैलिटीज़, डिस्ट्रिक्ट बोर्डस और टाउन एरियाज के लिये हो तो मुझे खुशी होगी। अध्यक्ष महोदय की मजबूरी है इसलिये कि वे वाद-विवाद मे हिस्सा नहीं ले सकते लेकिन दो माननीय सदस्य नवाब सैयद ऐजाज रसूल साहब और सुल्तान आलम खां साहब जो उस कमेटी में थे वे आज अवश्य इस बात का समर्थन करेंगे कि जो बात उन्होंने कुछ समय पहले कही थी, हालात आज बिलकुल वही है, पोलिटिकल माइनारिटी के रेप्रेजेन्टेशन का सवाल है इसलिये वे अवश्य ही इसका समर्थन करेंगे।

मैं समझता हूं कि जहां तक कम्युनल माइनरिटी के प्रोटेक्शन का सवाल है वह बिलकुल ही हमारे देश के कंस्टीट्यूशन के मुताबिक रूल्ड आउट है और उसकी बात उठाना गलत है लेकिन माइनारिटी का रेप्रेजेन्टेशन डेमोक्रेसी में एसेंशिअल फीचर है। मुझे खुशी है कि जितनी बातें मैंने कहीं उनको माननीय स्वशासन मंत्री जी ने बड़े गौर से सुना और मुझे पूरी उम्मीद है कि वे अवश्य इस संशोधन को मान लेंगे।

श्री जगन्नाथबख्श दास (जिला बाराबंकी)--आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हमारे सामने डिस्ट्रीब्यूटिव, क्यूमुलेटिव और लिस्ट सिस्टम, तीन प्रकार की प्रथा की बात की गयी है। हर प्रथा में कुछ अच्छाइयां होती है और कुछ बुराइयां होती है लेकिन किसी निर्णय पर पहुंचने के लिये हमे यह देखना आवश्यक होता है कि इसकी अच्छाई अधिक है या इसकी बुराई अधिक है। यों तो क्यूमुलेटिव सिस्टम की बात हमारे भाई ने इस सदन के सामने रखी पोलिटिकल माइनारिटी को प्रोटेक्शन के लिये उनकी आवाज बहुत जोरदार थी लेकिन मुझे दुनियां में कोई सिद्धांत नहीं मालूम होता कि किसी विधान के अन्दर पोलिटिकल माइनारिटी के प्रोटेक्शन की कोई बात कही जाय और पोलिटिकल माइनारिटी के प्रोटेक्शन सीक की कोई बात आयी हो, यह बात मेरी समझ में नहीं आयी। साथ ही साथ यह बात भी

इस सदन के सामने रखना चाहता हूं कि पोलिटिकल माइनारिटी की बात अच्छी चीज मालूम होती है लेकिन उसके साथ यह भी भय है और भय ही नहीं है बल्कि अवश्यंभावी होना है कि सेक्रेटेरियन माइनारिटी के प्रोटेकशन की बात सोची जाय और उसके लिये मांग की जाय। यह कहा जा सकता है कि अगर पोलिटिकल माइनारिटी की बात आती है तो क्या कारण है कि सेक्रेटेरियन माइनारिटी को प्रोटेक्शन न दिया जाय। आज तकल हमारे यहां जिस तरह के चुनाव हो रहे हैं उससे मालूम होता है कि कहीं इससे सेक्रेटेरियन को इनकरेजमेन्ट न मिल जाय तो इस तरह की बातों का ठीक परिणाम नहीं होता। यह जो क्यूमुलेटिव सिस्टम है उसका विरोध मैं इसी वास्ते करता हूं कि आज भले ही वह चीज अच्छी हो लेकिन इसका असर जो हमारे ऊपर पड़ेगा वह असर अच्छा नहीं होगा।

दूसरी बात जो मुझे आपसे कहनी है वह यह है जैसा कि हमारे भाई श्री रामनारायण त्रिपाठी जी ने कहा कि मान लीजिये किसी के पास चन्द वोट हैं तो उसको यह अधिकार होना चाहिये कि वह चाहे एक आदमी को अपना वोट दें, चाहे जितना वोट उनके पास है वे किसी दूसरे को दे दें। यह तो एक सिद्धांत की और क्यूमुलेटिव वोटिंग की बात है। लेकिन इसका क्या परिणाम होगा यह भी हमे देखना है। वैसे तो मैं बहुत खराब शब्द कहने जा रहा हूं लेकिन वाकया यही है कि हमारी म्युनिसिपैलिटीज़ में वोट खरीदने की भी प्रथा है चाहे इसे कोई माने या न माने। अब इस चीज को डिसकरेज करने के लिये कि अगर एक आदमी को किसी ने खरीद लिया तो उसके घर के ५ वोट उस आदमी के हो गये, इसका कोई न कोई उपाय ढूंढना है। अगर इस तरह के सिस्टम को हम इनकरेज करेंगे तो यह बड़ी गलत चीज होगी। किसी आदमी को यह अधिकार न होना चाहिये कि वह अपना वोट किसी के हाथ बेंचे और अगर बेचता है तो केवल एक वोट बेंच सकता है। पर एक वोट खरीदने के लिये जब उसे कम कीमत मिलेगी तो इस वास्ते वह वोट नहीं बेच पायेगा।

दूसरी बात जो मुझे सदन के सामने रखनी है वह है उदारता की। अगर एक आदमी को वोट देने के सिस्टम को ही इनकरेज किया जायगा तो वोटर के अन्दर उदारता की भावना नहीं होगी। इसलिये वोटर के लिये इसकी बाध्यता होनी चाहिये कि वह अपना वोट एक आदमी को न देकर प्रत्येक अदमी को दे। अगर इस तरह का ख्वायस दिया जाय कि चाहे वह एक आदमी को वोट दे या भिन्न भिन्न आदमियों को अपना वोट दे। एक आदमी को वोट देने मे उदारता का हनन होता है। इसलिये मैं दुख के साथ इस सिद्धांत का विरोध करता हूं और माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि इसे स्वीकार न किया जाय।

श्री सुल्तान आलम खां (जिला फर्रुखाबाद)—जनाब स्पीकर साहब, इस अमेंडमेंट के जरिये जो इस वक्त भवन के सामने एक बहुत अच्छी और बड़ी उम्दा बहस हमारे सामने आगई। तय यह करना है कि सिस्टम आफ वोटिंग क्या हो, डिस्ट्रीब्यूटिव हो, क्यूमुलेटिव हो, या लिस्ट सिस्टम हो या कैसा हो। जिन मेरे मित्र ने यह अमेंडमेंट पेश किया है उन्होंने मालूम होता है कि इस मसले पर काफी छानबीन की है और उन्होंने खेर कमेटी का भी हवाला दिया है। उसके अन्दर उन्होंने कुछ मेरे मुतालिलक भी कहा। यह सही है कि खेर कमेटी का मैं मेम्बर था और मुझे भी उस कमेटी के डिस्कशन में हिस्सा लेने का मौका मिला। यह भी सही है कि मैंने उसमें एक छोटा सा नोट आफ डिसेंट शामिल किया था और मैंने यह राय जाहिर की थी कि क्यूमुलेटिव सिस्टम अगर किया जाय तो बेहतर है।

मैं आज भी उस राय पर कायम हूं और मैं क्यूमुलेटिव सिस्टम को गलत नहीं समझता हूं और मैं आज भी समझता हूं कि यह सिस्टम अच्छे सिस्टम में से है। लेकिन बाज वक्त इन्सान बावजूद इसके कि एक चीज को अच्छा समझता है लेकिन सरकमस्टांसेज ऐसे सामने आते हैं जिसमें वह एक दूसरी चीज को पसन्द करता है। यह चीज कोई ऐसी नहीं है कि न हो हममें से हर शख्स को हर आदमी को ऐसी बातों का सामना करना पड़ता है

[श्री सुल्तान आलम खां]

है। मैं अपने दोस्तों को याद दिलाऊंगा जिस वक्त जमींदारी अबालिशन कमेटी बैठी। [illegible]

रिपोर्ट में मौजूद है कि दसगुना मुआविजा जमींदारों को मिलना चाहिये। लेकिन उसके बाद जब इस मसले का तजकिरा यहां पर आया और यहां हमने उस पर गौर किया तो सोशलिस्ट पार्टी के दोस्तों ने यह फैसला दिया कि नहीं कम्पेंसेशन नहीं मिलना चाहिये। मैं नहीं कह सकता और शायद किसी को भी यह कहने का हक नहीं होगा कि उन्होंने जो राय जाहिर की थी वह राय सही नहीं थी। वह राय अपनी जगह पर बिल्कुल सही थी लेकिन यह भी सही है कि सरकमस्टांसेज इस किस्म के हैं और हालात और वाकयात इस किस्म के हैं जिसमें जिन दोस्तों ने अब इस राय को जाहिर किया है वह भी अपनी जगह पर सही हैं और उनको गलत नहीं कहा जा सकता। अब जैसा मैंने पहले अर्ज किया कि जहां तक क्यूमुलेटिव सिस्टम का ताल्लुक है वह बहुत अच्छा और सुन्दर है और उसके मुताल्लिक कोई दो रायें नहीं हो सकतीं। लेकिन सवाल यह है कि इस वक्त हमारे सामने जो तजवीज पेश की गई है वह कहां तक मुनासिब है और कहां तक मुजिर है।

आज हममें से बहुत से लोग इस बात की शिकायत करते हैं कि लोकल बाडीज के अन्दर बड़ा करप्शन है। अभी जैसा पहले जो मेरे मित्र तकरीर फरमा रहे थे उन्होंने कहा कि इस बात का अन्देशा बढ़ता है कि अगर हम इस वक्त क्यूमुलेटिव सिस्टम रायज कर लिया तो हो सकता है कि लोग वोट खरीदें और वोटों की बड़ी कीमत मिले। यह सिस्टम जो इस वक्त इस बिल के अन्दर १३ एक्ट के जरिये से पेश किया गया है मैं समझता हूं कि यह भी ऐसा सिस्टम है जिस पर गौर करने की जरूरत है। यह ऐसी चीज नहीं है जिसको हम बगैर सोचे समझे रद्द कर दें। एक बात हमें ध्यान में जरूर रखना चाहिये कि जिस किस्म का सिस्टम हम एलेक्शन में रायज करें उसमें एक बात खास तौर से ध्यान में रखना है और वह यह है कि हमारा मुल्क एक ऐसा मुल्क है जिसमें तालीम याफ्ता लोगों की बहुत कमी है ज्यादा से ज्यादा १५, २० फीसदी लोग ऐसे हैं जो शहरी रकबे में रहते हैं तो ऐसी सूरत में ऐसा सिस्टम इवाल्व करें जो सबसे ज्यादा आसान और जिसमें कम्पलीकेशन्स न हों। जब इस कसौटी पर इसे देखने की कोशिश करते हैं तो मैं यह जरूर महसूस करता हूं कि जहां तक आसान तरीका होने का ताल्लुक है जो सिस्टम इसमें प्रोपोज किया गया है वह भी ऐसा सिस्टम है जिसे हमें आज ट्राई करना चाहिये। एक चीज खास तौर से एलेक्शन में देखना है कि नई भावना के मातहत और डिमोक्रेसी के मातहत हमें उसका सेफगार्ड करना है। पिछले एलेक्शनों में यह होता था कि बहुत से लोग जो बाअसर होते थे या दौलत मन्द होते थे वह वोटों को अपने असर से या दौलत या रुपये के जरिये से हासिल कर लिया करते थे। हमको इस बात की कोशिश करनी है कि ऐसा न होने पाये। जाहिर है कि अगर एक कांस्टीटुएंसी में या एक वार्ड में पांच मेम्बर हैं और हर मेम्बर को यह हक हासिल हो कि वह एक वोट एक वोटर का हासिल करे तो इसमें इसका इमकान कम रह जाता है। लेकिन अगर इसका मौका हो कि एक वोटर के पांच वोट एक ही मेम्बर हासिल कर सकता है तो इसका ज्यादा इमकान है कि करप्शन ज्यादा बढ़े। और मुमकिन है कि वह लोग जो ज्यादा बाअसर हैं या अपनी दौलत या रुपये से काम लेने जा रहे हैं वह इसमें कामियाबी हासिल कर लें। इस तरीकये इंतखाब में यह चीज नहीं रहेगी।

दूसरी चीज यह है कि मैं इस उसूल को भी मानता हूं कि जहां तक गवर्नमेंट का ताल्लुक हो या उस मशीनरी का ताल्लुक हो जो एलेक्शन करायेगी उसको पार्टीबन्दी

से बिल्कुल ही बाला होना चाहिये। न सिर्फ बाला होना चाहिये बल्कि एलेक्शन के मामले में पार्टीज को रिकगनाइज ही न करे। यह जाहिर है कि जब एलेक्शन लड़े जायंगे तो पार्टियां अपनी अपनी तरफ से उम्मीदवार खड़े करेंगी। लेकिन जहां तक एलेक्शन मशीनरी या गवर्नमेंट का ताल्लुक है वह हर मेम्बर को ख्वा वह किसी पार्टी से ताल्लुक रखता हो बहैसियत एक इंडिविजुअल के मानें। उसके सामने इस बात का रिकगनीशन न हो कि यह मेम्बर किसी मखसूस पार्टी से ताल्लुक रखता है। इसके जरिये से इसका भी मौका मिलता है। इसलिये कि फर्ज कीजिये किसी हलके में चार सीटें हैं और आठ उम्मीदवार खड़े हैं एक वोटर आता है जिसको चार वोट देने का हक है। दो वोट एक पार्टी के नुमाइंदे को देता है, एक वोट दूसरी पार्टी के नुमाइन्दे को देता है और एक वोट तीसरी पार्टी के नुमायन्दे को देता है। उसको हक हासिल रहता है कि अलहदा अलहदा वोट दे। तो इससे यह बात भी सामने आ जाती है कि जो एलेक्शन का तरीका हो वह ऐसा हो जिसके जरिये से एलेक्शन मशीनरी को या गवर्नमेंट को इस बात का मौका न हो वह किसी पार्टी को रिकगनाइज करके आगे चले। बल्कि हर उम्मीदवार को ख्वा वह किसी पार्टी से ताल्लुक रखता हो उसे इंडिविडुअल करार दे। जनाबवाला, मुझे इसमें यह भलाई और खूबी नजर आती है। इसमें लिस्ट सिस्टम का भी कुछ जिक्र है जिसका जिक्र आगे है। उसको मैं बिल्कुल नाकिस समझता हूं इसलिये कि लिस्ट सिस्टम में लिस्ट बनाने का अख्तियार सिर्फ हाई कमांड को है। इसमें जो प्रायरिटी रखी जाती है वह भी वही रखेंगे। जब वोट आएंगे और डिटरमिन होंगे तो पार्टी को मिलेंगे किसी इंडिविजुअल को नहीं मिलेंगे। अगर उस पार्टी को इतने वोट मिले हैं तो वह सब से पहला उम्मीदवार कायम होगा जो लिस्ट में नम्बर एक हो। हो सकता है कि जो नम्बर एक हो वह ज्यादा पापुलर न हो, सात नम्बर पर जो उम्मीदवार है तो वह सबसे ज्यादा बेहतर और पापुलर हो। इस वजह से मैं लिस्ट सिस्टम को ज्यादा पसन्द नहीं करता।

इसके अलावा जैसा कि मैंने अर्ज किया क्यूमुलेटिव सिस्टम जरूर अच्छा सिस्टम है इसके मुताल्लिक दो राएं नहीं हो सकतीं। लेकिन हमारे प्रैक्टिकल हालात, जो इस वक्त लिटरैसी की हालत है, जो इस वक्त पार्टियों की हालत है उसको देखते हुए मैं समझता हूं कि इंतखाब का तरीका ऐसा निकालें जो सब से आसान हो जिसमें कोई दिक्कत न हो। इसको देखते हुए मैं महसूस करता हूं कि जो इस वक्त बिल के अन्दर स्कीम मौजूद है वह मुनासिब है और इस काबिल है कि उसको ट्राई किया जाय। यह बिल जो ऐक्ट बनने जा रहा है दिस इज नाट दि लास्ट वर्ड आन दि सब्जेक्ट। हम इस पर तजुरबा कर सकते हैं। उसके बाद अगर कोई दिक्कतें महसूस हुई और ठीक काम नहीं चला तो इस बात का मौका रखते है कि हम इसको बैठ कर बदल दें और उसके बाद क्यूमुलेटिव सिस्टम या लिस्ट सिस्टम या जो सिस्टम मुनासिब समझें उसको ला सकते हैं।

इसलिये इन हालात के मातहत, इन अल्फाज़ के साथ मैं अपने दोस्त से यह दरख्वास्त करूंगा कि वह इस वक्त इस सिस्टम को ट्राई करें और इसको चलने दें और उसके बाद उनको मौका मिलेगा कि अगर ट्राई करने के बाद यह सिस्टम सही न साबित हो तो उसे बदल डालें। मैं यह मुनासिब समझता हूं कि मौजूदा सिस्टम सही है और उसके ऊपर अमल किया जाय।

श्री राजनारायण--आदरणीय अध्यक्ष महोदय, श्री रामनारायण जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन जो क्यूमुलेटिव सिस्टम आफ वोटिंग बढ़ा देने के संबंध में है में उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, अभी हमारे पूर्व वक्ता महोदय ने क्यूमुलेटिव सिस्टम के संबंध में अपनी सम्मति कुछ बदली है और उसकी चर्चा करते हुये आचार्य नरेन्द्र देव जी ने अपनी गवाही आगे चल करके बदल दी यह कहा और यह भी कहा कि इसी तरह से उन्हें भी अधिकार है कि वह भी अपनी राय बदल दें।

श्री सुल्तान आलम खां--आन ए प्वाइन्ट आफ एक्सप्लेनेशन। मैंने नहीं कहा कि आचार्य जी ने अपनी गवाही बदल दी, बल्कि मैंने यह अर्ज किया था कि उन्होंने जो रिपोर्ट में कुछ कहा था, हमारी सोशलिस्ट पारटी ने जब यहां डिस्कशन किया तो उस उसूल के खिलाफ यहां एक बात कही।

श्री राजनारायण--श्रीमन्, अभी अभी जो हमारे मित्र ने सफाई दी उसमें भी इतनी बात उन्होंने मानी कि आचार्य नरेन्द्र देव जी ने जो बात गवाही में कही थी वह सोशलिस्ट पार्टी ने बाद में विचार विनिमय करके दूसरे तरीके से रखी। मैं आपके जरिये से आचार्य नरेन्द्र देव जी की गवाही जो इस कमेटी में हुई थी उसकी प्रति अविकल रूप से जो हमारे सामने है उसके कुछ वाक्यांश पढ़ना चाहता हूं और चाहता हूं कि सदन के सम्मानित सदस्य इस बारे में पुनः भ्रम पैदा करने की कृपा न करेंगे।

आचार्य नरेन्द्र देव जी ने जो गवाही दी थी वह इस प्रकार है, "निर्दयी जमीदार। जमीदारी प्रथा के उद्‌भव, और आज तक जमींदारों द्वारा किसानों पर किये गये अत्याचारों, निर्दयताओं तथा ज्यादतियों को ध्यान में रखते हुये यदि इस प्रश्न पर विचार करना हो तो मुआविजा देने और जमींदारों के पास जमीन छोड़ने की बात पृष्ठ भूमि में पड़ जाती है और जरूरी हो जाता है कि सरकार अविलम्ब उनकी जमीन जब्त कर ले। लेकिन हम भावुकता के फेर में न पड़कर इस मसले पर गंभीरतापूर्वक इसकी आर्थिक और सामाजिक पृष्ठभूमि को सामने रखते हुये विचार करेंगे।......

श्री अध्यक्ष--आप पूरी स्पीच न पढ़ें, उतना ही पढ़ दें जो कि मुआविजे के संबंध में है।

श्री राजनारायण--श्रीमन्, बार बार इस सदन के सम्मानित सदस्य कोट करते हैं......

श्री अध्यक्ष--आप उसी अंश को पढ़ दें। आप तो पूरा पढ़ना चाहते हैं।

श्री एजाज रसूल (जिला हरदोई)--मैं यह जानना चाहता हूं कि खेर कमेटी रिपोर्ट की बाबत आचार्य जी की यह स्पीच है या जमींदारी अबालीशन के मुताल्लिक।

श्री अध्यक्ष--आप हस्तक्षेप न करें। जो कुछ पहले कहा गया वह उसका जवाब दे रहे हैं।

श्री राजनारायण--श्रीमन्, इसी से बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है, "भूमि प्रकृति की एक देन है, इसके साथ सारे समाज के जीवन का घनिष्ट संबंध है। इसको किसी की व्यक्तिगत सम्पत्ति नहीं समझा जा सकता। वस्तुतः वह राष्ट्र की पवित्र धरोहर है। इसकी उर्वरता समाज का धन है। किन्तु इन मध्यस्थों ने कहां तक इस धरोहर को बचाया है...."

श्री अध्यक्ष--आप उस चीज को नहीं पढ़ रहे है जो इससे संबंध रखती है।

श्री राजनारायण--श्रीमन्, मैं उसी को खोज रहा हूं। उन्होंने कहा कि जमींदारों ने काश्तकारों से जबरदस्ती काम लिया है और बदले में कुछ उनको दिया भी नहीं।

श्री अध्यक्ष- ननीय सदस्य कृपा करके, अगर वह तैयार नहीं हैं, तो बाद में मौका ले सकते हैं।

श्री राजनारायण--मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आचार्य नरेन्द्र देव जी ने जो कुछ कहा है उसके बारे में मैं कतई, अच्छी तरह से तैयार हूं। उन्होंने बतलाया है।

कि जमींदारों को मुआविजा नहीं देना चाहिये। इसकी सारी व्यवस्था दी है और आगे चल करके उन्होंने जोर दिया है कि जमींदारों को मुआविजा देने की बात कैसी सोची जा सकती है, जिन्होंने समाज के साथ इतनी बड़ी गद्दारी की है।

श्रीमन् फिर आचार्य नरेन्द्र देव जी आगे चलकर क्या कहते हैं उसका यही अर्थ होता है कि जहां तक १९३५ के विधान की धारायें हैं उसमें एक सेक्शन को उन्होंने कोट किया है २९९ धारा। उसके बारे में वह कहते हैं कि इस धारा से हो सकता है कि सरकार के रास्ते में कुछ दिक्कतें पैदा होती हों तो उससे अगर मुआविजा देना सरकार के लिये जरूरी होता है जमींदारी तोड़ी जाने के लिये तो सरकार कम से कम मुआविजा देकर नामिनल मुआविजा देकर जमींदारी अविलम्ब तोड़े, हम इसको पसन्द करते हैं। यह बात वह कहते हैं। तो इस तरीके से एक विकृत स्वरूप देकर ट्रेजरी बेंचेज के लोगों की जो चीजों को रखने की परिपाटी शुरू हो गई है मैं चाहता हूं कि सम्मानित सदस्य गण आगे इस तरह की कुचेष्टा न किया करें वरना किसी महा पुरुष की जो सच्ची मनोवृत्ति होती है उसका उद्घाटन नहीं हो सकता और भ्रम पैदा हो सकता है। तो श्रीमन् अब मैं समझता हूं कि हमारे सम्मानित सदस्यों के ज्ञान चक्षु खुल गये होंगे। आचार्य नरेन्द्र देव जी के संबंध में अगर उन्हें और आशंका हो और जानना हो कि वह जमींदारी के संबंध में क्या भाव रखते हैं तो उनकी खिदमत में मैं यह पुस्तिका भी समर्पित कर सकता हूं।

श्रीमन् मैं आपके जरिये अपनी क्यूमुलेटिव सिस्टम आफ वोटिंग के बारे में कहना चाहता हूं कि इसमें क्या दोष है इसको ट्रेजरी बेंचेज के किसी सदस्य ने अभी तक सदन के सामने नहीं रखा। माननीय रामनारायण जी ने बहुत ही सफाई के साथ इस बात को स्पष्ट कर दिया कि क्यूमुलेटिव सिस्टम आफ वोटिंग जिस तरह से बम्बई में है अगर वही तरीका यहां पर भी अख्तियार किया जायगा तो भिन्न-भिन्न विचार रखने वाले लोग अपना प्रतिनिधित्व किसी भी कमेटी के अन्दर ठीक प्रकार से करा सकेंगे और किसी भी कमेटी के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिये जहां पर कि मेजारिटी पार्टी की आवश्यकता होती है वहां पर माइनारिटी पार्टी की भी आवश्यकता होती है। श्रीमन् मैंने तो बहुत ही सफाई के साथ कह दिया था और मैं उसको इस सदन में कई बार कह चुका हूं कि जहां पर गवर्नमेंट की ड्यूटीज (कार्य) और (फंक्शंस कर्तव्य) होते हैं वहां पर विरोधियों की ड्यूटीज और फंक्शंस भी होते हैं। यह मान लेना कि केवल सरकार का ही कर्त्तव्य है और विरोधियों का कर्त्तव्य केवल टीका टिप्पणी करना है मैं समझता हूं कि वस्तुस्थिति से बहुत दूर जाना है। जो लोग इसको नहीं मानते वह डेमाक्रेसी के बुनियादी तत्वों को समझने में गलती करते हैं। श्रीमन् इसलिये मैं आपके जरिये कहना चाहता हूं कि अगर क्यूमुलेटिव सिस्टम नहीं एडाप्ट (अख्तियार) किया जाता तो हमें बतावें माननीय मंत्री महोदय या माननीय मंत्री महोदय के विचार से सहमत और जो भाई हैं कि किस तरह से काम होगा। हमारा देश जो कि अभी बनने जा रहा है वह भिन्न-भिन्न विचारों के आदान-प्रदान से ही बन सकता है। अगर हम कहें कि हम ही इसकी ठेकेदारी ले लेते हैं तमाम विचारों की और तमाम मान्यताओं की और जो हम कहते हैं वही सही है तो हम गलत करते हैं। इसलिये यह जरूरी है कि आज के वातावरण में आज के युग में जितने भी मत हमारे सामने आते हैं उन तमाम मतों को अच्छी तरह से सोचें, कमेटियों में बैठकर समझें तो अगर यह क्यूमुलेटिव सिस्टम आफ वोटिंग नहीं एडाप्ट किया जाता तो कैसे जो आज भिन्न विचार हैं उन भिन्न-भिन्न विचारों का प्रतिनिधित्व यहां पर हो पायेगा।

श्रीमन् मैं आपके जरिये निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे माननीय मंत्री महोदय उत्तर प्रदेश के म्युनिसिपल बोर्डों की कार्य प्रणाली को देखें और बम्बई के कारपोरेशन को देखें। आज बम्बई का कारपोरेशन भिन्न-भिन्न मत वालों का जो एक समुच्चय है भिन्न-भिन्न मत वाले जो उस कमेटी के अन्दर बैठकर विचारों का आदान-प्रदान करते हैं उससे कितनी आसानी होती है प्राबलम्स (समस्याओं) को समझने में। मगर आज अभी तक जो सिस्टम था अगर उसी

[श्री राजनारायण]

सिस्टम को माननीय मंत्री जी चलाना चाहते हैं तो उस सिस्टम में इस तरह से मत नहीं स्पष्ट होता, उस पर आदान-प्रदान नहीं होता, और उस पर विचार विनिमय नहीं हो पाता। किसी ने अगर ५१ फीसदी भी अपने वोट कर लिये तो वह अपने तमाम कैंडीडेटों को भेजवा सकता है। इसलिये हम चाहते हैं कि माननीय मंत्री महोदय अगर वर्तमान जनतांत्रिक प्रणाली को सामने रखना चाहते हैं तो उन्हें क्युमूलेटिव सिस्टम को एडाप्ट करके ही चलना होगा। अगर नहीं चलते हैं तो श्रीमन् हम लोग यह नहीं समझ पायेंगे कि किस तरीके की डेमोक्रेसी हमारे मंत्री महोदय चाहते हैं। माननीय मंत्री महोदय जिस तरह की डेमोक्रेसी चाहते हैं तब उस डेमोक्रेसी का केवल यही एक मतलब होता है कि वह सेंट्रलाइज्ड डेमोक्रेसी (केन्द्रित जनतन्त्र) चाहते हैं। तो श्रीमन्, सेंट्रालाइज्ड डिमोक्रेसी आज इस तरीके से अगर माननीय मंत्री जी चलाना चाहेंगे तो मैं बहुत ही अदब के साथ आपके जरिये माननीय मंत्री जी से बतलाना चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी इस भावना को छोड़ दें क्योंकि सेंट्रालाइज्ड डिमोक्रेसी जो है वह डिमोक्रेसी का विकृत स्वरूप है, उल्टा स्वरूप है, बिगड़ा हुआ स्वरूप है। वह डिमोक्रेसी नहीं कही जाती जिस में सारी शक्ति सेंट्रालाइज्ड (केन्द्रित) हो। जनतंत्र के माने होते हैं जब जनता के पास राज्य सत्ता की तमाम शक्ति पहुंचे। स्वराज्य के माने होते हैं जब ऊपर से नियंत्रण करने वाली कोई शक्ति न हो तभी वह सच्चा स्वराज्य और सच्ची स्वाधीनता है। जब हम इस आदर्श को सामने रखते हैं तब हम समझते हैं कि आज देश के अन्दर इस बात की बहुत आवश्यकता है और यह सब बगैर क्यूमुलेटिव सिस्टम आफ वोटिंग के नहीं हो सकता है। अगर क्यूमुलेटिव सिस्टम आफ वोटिंग नहीं स्वीकार किया जाता है तो फिर हमारी वही शंकायें बार-बार उत्पन्न होती हैं कि यह सरकार डेमोक्रेसी का यही अर्थ लगाती है कि जो एक बार डेमोक्रैसी के किसी न किसी तरीके से चुन कर आ जाय वह सारी शक्ति को केन्द्रित करने वाले कानून बनावे।

श्रीमन्, आज के युग में ऐसी डेमोक्रेसी नहीं चल सकती है और डेमोक्रेसी के बारे में पहले समय में जो घपला चलता था वह समाप्त होना चाहिये। मैं समझता हूं कि सेंट्रेलाइज्ड डेमोक्रेसी क्या होती है, रियल डेमोक्रेसी क्या होती है, इन दोनों के अन्तर को माननीय मंत्री जी समझते होंगे। हमारे माननीय मंत्री जी, श्रीमन्, बार-बार कम्युनिस्टों की आलोचना किया करते हैं। तो आखिर आज अगर क्यूमुलेटिव सिस्टम आफ वोटिंग माननीय मंत्री जी नहीं चलाते हैं तो उनमें और कम्युनिस्टों में क्या फर्क रह जाता है। कम्युनिस्ट भी तो न्यु डेमोक्रेसी और पीपुल्स डेमोक्रैसी के नाम पर सारी शक्ति को केन्द्रित करते हैं। जब माननीय मंत्री जी अपने को डेमोक्रेटिक कहते हैं और भारतीय परम्परा और भारतीय संस्कृति के ठेकेदार बनते है और बार-बार इन बातों को दोहराते हैं, तो माननीय मंत्री जी को हमारे इस संशोधन को मानने में तनिक भी हिचक नहीं होनी चाहिये। इसलिये श्रीमन् मैं पुनः आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से सादर साग्रह निवेदन करूंगा कि माननीय मंत्री जी, क्यूमुलेटिव सिस्टम आफ वोटिंग के बढ़ाये जाने की मांग जो संशोधन के जरिये श्री रामनारायण जी ने की है, उस मांग को स्वीकार करें, और आज जो सेंट्रेलाइज्ड डेमोक्रेसी की पद्धति वे अपनाना चाहते हैं उससे बाज आवें।

श्री ऐजाज रसूल—जनाबवाला, मैंने अपने दोस्त लीडर आफ दि अपोजीशन की तकरीर को गौर से सुनने की कोशिश की कि मैं समझूं कि वह क्या कहते हैं लेकिन सिवाय इसके कि बहुत जोरों से बोलने के और क्युमुलेटिव वोटिंग कहने के और कुछ मेरी समझ में नहीं आया।

श्री अध्यक्ष—कृपा करके उनके हाव भाव पर टीका टिप्पणी न करें।

श्री ऐजाज रसूल—अब मैं यह कहना चाहता हूं कि बार-बार खेर कमेटी और हम लोगों का नाम लिया जाता है। देखना यह चाहिये कि सन् १९३८ में यह खेर कमेटी

बनायी गयी थी और उस वक्त इस सूबे के हालात क्या थे। सन् १९३८ में सेप्रेट एलेक्ट्रेट म्युनिसिपैलिटीज व दीगर बाडीज में था। जब कि खेर कमेटी बनी तो उस वक्त यह कोशिश की जा रही थी कि कोई ऐग्रीड सल्यूशन निकल आये। उस वक्त मुस्लिम लीग पार्टी की डिमांड यह थी कि सेप्रेट एलेक्ट्रेट किया जाय और कांग्रेस और दीगर पार्टियां यह कहती थीं कि ज्वाइन्ट एलेक्ट्रेट हो, लेकिन बावजूद कोशिशों के कोई इत्तिफाक राय नहीं हो सकी। तो उस वक्त मजबूरी में कांग्रेस ने यह कहा कि ज्वाइन्ट एलेक्ट्रेट हम चाहते थे लेकिन मुसलमानों का ख्याल करते हुये हम क्युमुलेटिव सिस्टम आफ वोटिंग रायज करना चाहते हैं। अब सन् १९५२ मे हालात बिलकुल बदल गये हैं। इधर जो हमारे एलेक्शन्स हुए वह सिर्फ ज्वाइन्ट एलेक्ट्रेट विद नो रिजर्वेशन आफ मुस्लिम सीट्स की बिना पर हुये। हमारा पहला अमेंडमेंट सन् १९४५ मे आया था और उस वक्त मुस्लिम लीग पार्टी ने यह कहा कि जब विधान मे ज्वाइन्ट एलेक्ट्रेट हो गया है, सीट्स का रिजरवेशन नहीं रहा है, तो म्युनिसिपल एलेक्शन्स मे भी मुसलमानो के लिये रिजरवेशन आफ सीट्स न रहे। लेकिन उस वक्त किसी मसलहत की वजह से गवर्नमेंट ने नही माना और रिजरवेशन आफ सीट्स रखा। तो अब आप यह देखिये कि अब इस वक्त मुस्लिम रिजरवेशन बिल्कुल हटा दिया गया है। हम लोग इस मसले पर बहुत खुश हे क्योकि हम चाहते थे कि प्योर और सिम्पिल ज्वाइन्ट एलेक्टोरेट हो। अभी असेम्बली मे और दीगर लेजिस्लेचर्स मे जहां एलेक्शन्स हुये हे वहां भी कोई चीज मुसलमानो के लिये नहीं रखी गई। लिहाजा अगर आप चाहते है कि प्योर और अनडाइल्यूटेड डेमोक्रेसी चलें तो ज्वाइन्ट एलेक्टोरेट होना चाहिये। क्यूमीलेटिव सिस्टम आफ वोटिंग या और कोई तरीका नहीं होना चाहिये। आप इंगलेंड की डेमोक्रेसी देखिये, आप बम्बई कारपोरेशन की मिसाल ले आये हैं, वहां मेजारिटी आफ वोट्स के ऊपर फैसला होता है। अगर किसी के ५१ वोट पड़ गये तो वह मेम्बर हो जाता है। तो अगर यही सूरत यहां रखी गई है तो मुझे अफसोस है कि मेम्बर साहब क्यों एतराज करते हैं और चाहते ह कि क्यूमीलेटिव सिस्टम आफ वोटिंग रखी जाय जब कि हर शख्स आसानी से ज्वाइंट एलेक्टोरेट पर फैसला कर सकता है। तो अब आप यह देखिये कि अगर वार्डस बने तो वहां जाहिल लोग होंगे और वे क्यूमीलेटिव सिस्टम आफ वोटिंग को समझते नहीं है जैसा कि कहा गया है कि प्लूरल मेम्बर की सीट्स की जाय और तीन से सात तक एक वार्ड रखा जाय तो जाहिल आदमी क्यूमीलेटिव सिस्टम आफ वोटिंग को क्या समझ सकते है कि हम को कितने वोट देने है और किस को देने है और किस सूरत से काम करना है, यह उन के लिये बिल्कुल नामुमकिन हो जायगा। इसलिये ज्वाइन्ट एलेक्टोरेट सिम्पिल और प्योर होना चाहिये ताकि हर सख्श समझ सके और वोट दिये जा सके और अगर आपने यह क्यूमीलेटिव सिस्टम आफ वोटिंग रखा तो मुझे अफसोस है कि अभी हमारे मुल्क मे और हमारे सूबे में तालीम इतनी फैली नहीं है और इसके समझने मे बड़ी दिक्कत होगी। आसान तो यही है कि अगर फर्ज कर लीजिये कि किसी वार्ड में तीन मेम्बर है और तीन को वोट देना चाहते हे तो उनके नाम मालूम हो जायेंगे कि फलां फलां को देना है, मुहल्ले के आदमी होंगे वे आसानी से वोट दे सकेंगे। अगर इसमे क्यूमीलेटिव सिस्टम आफ वोटिंग पर काम किया गया तो वोटिंग ठीक नहीं हो सकेगी। इसलिये मै समझता हूं कि मेम्बर साहब पहले एलेक्टोरेट को समझने की कोशिश करे कि किस सूरत से वोटिंग होती है और किस सूरत से काम होता है तब आप क्यूमीलेटिव सिस्टम आफ वोटिंग पर जोर दीजिये। इससे पहले के ऐक्ट में आप दफा ११ को देखिये, उसमे लिखा है कि तीन मेम्बर के वार्ड हों और सात तक वार्ड बन सकते हैं।

इस ऐक्ट में अभी कोई सिस्टम आफ वोटिंग का इजहार नहीं किया गया है। आपने पढ़ा होगा, उसमें लिखा है १२ ए मे कि इसकी बाबत रूल्स बनाये जायेंगे। जिस वक्त रूल्स बनाये जायेंगे उस वक्त जो आपकी तजवीज है उसपर भी गवर्नमेंट जरूर ख्याल करेगी लेकिन इस वक्त हाउस को पिन डाउन कर देना और यह कह देना कि क्यूमीलेटिव सिस्टम आफ वोटिंग हो यह मुश्किल बात है क्योकि इस मसले पर अभी गौर नहीं

[श्री ऐज़ाज रसूल]

किया गया है। जिस वक्त कि रूल्स बनाये जायेंगे उस वक्त अगर आप कहें तो मैं भी आप के साथ चलूंगा और कहूंगा कि भाई क्यूमीलेटिव सिस्टम आफ वोटिंग कैसे होता है और वह समझ में आने के बाद अगर वह वोट कर सकेगें तो क्यूमीलेटिव सिस्टम आफ वोटिंग पर ज़ोर दीजियेगा, वरना सिवाय इसके कि वोट जाया होंगे और लोगों की समझ में नहीं आयेगा और कुछ नहीं होगा। इसलिये मैं मेम्बर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप फिर गौर करलें और अपनी तजवीज़ वापिस कर लें और जिस वक्त कि रूल्स बनाये जायं, उस वक्त इस मसले को आप पेश करें।

स्वशासन मंत्री (श्री मोहनलाल गौतम)--माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बहस जो इस समय सदन के सामने है वह एक सैद्धांतिक बहस भी है और व्यावहारिक भी है। सिद्धांत इसमें यह है कि माइनारिटीज़ को रक्षा किस तरह दी जाय। जैसा कि इस सदन के एक माननीय सदस्य श्री जगन्नाथबख्श जी ने कहा कि जब माइनारिटी का प्रश्न हम राजनीतिक पार्टी को लेकर करते हैं तो यह क्या गारंटी है कि वह माइनारिटी केवल राजनैतिक माइनारिटी तक ही महदूद रह जायगी। आज जिस तरह का वायुमंडल है उसके देखने से मालूम यह होता है कि यह चीज़ कितनी ही बुरी हो लेकिन वास्तविकता यह है कि आज हमारे नगरों में जहां कि म्युनिसिपैलिटीज़ का चुनाव होगा बिरादरी का भी काफी जोर है और जब पोलिटिकल माइनारिटी की रक्षा करने मे हम किसी बात को पेश करें तो उस वक्त हमको इस बात का भी ख्याल करना चाहिये कि जो वास्तविकता है उससे हम बहुत दूर न चले जायं। अगर इसका यह नतीजा हुआ कि बिरादरी वाद बहुत ज्यादा बढ़ गया और म्युनिसिपैलिटियों के चुनाव में ब्राह्मण ने ब्राह्मण को, बनिये ने बनिये को, कायस्थ ने कायस्थ को, अन्सार ने अन्सार को, शेख ने शेख को और सैयद ने सैयद को वोट देना शुरू किया और यह सोचना कि क्युमुलेटिव ओटिंग से हम कम से कम अपनी बिरादरी का एक आदमी तो करा ही देंगे तो उससे बड़ा खतरा पैदा तो हो जायगा। हमारे देश में जो इस वक्त डिसरप्टिव फोर्सेज हैं उनमें कम से कम हमारे प्रदेश में सबसे बड़ा दुश्मन इस समय जातिवाद है। प्रान्तीयता हमारे यहां नहीं है, उसका हमें फख्र है और उसके लिये हमको दूसरे लोग भी आदर की निगाह से देखते है। लेकिन जातीयता हमारे प्रान्त में बहुत ज्यादा है जिसकी वजह से हमें आगे दिक्कतें आ सकती हैं, ऐसा भी हम देखते है। चुनाव में यह चीज़ ज्यादा बढ़ती है और अगर म्युनिसिपैलिटियों के चुनाव मे हमारी किसी गलती से इस चीज़ को शक्ति मिली, प्रोत्साहन मिला तो हम आगे चलने के बजाय पीछे हट जायेंगे, हम लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब हम इस बात का विचार करें कि क्युमुलेटिव वोटिंग को हम माइनारिटी को प्रोटेक्ट करने के लिये करते हैं उससे अगर कास्टिज्म बहुत ज्यादा बढ़ गया तो प्रदेश के लिये खतरा हो जायगा।

बहुत सी बातें यहां कही गयीं, बाम्बे कारपोरेशन की दुहाई दी गयी। बाम्बे कारपोरेशन ऐक्ट सन् १८८८ में बना था और उसमें क्युमुलेटिव सिस्टम आफ वोटिंग का प्राविज़न ऐक्ट में खुद था। बहुत अच्छा है, यह मैं मानने के लिये तैयार हूं। जहां तक म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन का संबंध है, बाम्बे कारपोरेशन के प्रबन्ध का सवाल है वह हमारे देश के थोड़े शहर अगर अच्छे गिने जायं उनमें बाम्बे का म्युनिसिपल ऐडमिनिस्ट्रेशन है। जब कारपोरेशन बिल इस सदन के सामने आयेगा तब मैं निवेदन करूंगा कि क्या क्या कारण हैं उसको अच्छा बनाने के लिये। इस समय उस बात को उठा कर मैं सदन का समय नहीं लेना चाहता। लेकिन उसके साथ साथ जैसा कि अभी मुझ से पहले नवाब ऐजाज़ रसूल साहब ने फरमाया कि जब क्युमुलेटिव सिस्टम आफ वोटिंग खेर कमेटी ने माना था तो उसका बैकग्राउन्ड कम्युनल था, दो चीजों को मिलाने की बात थी। एक तरफ मुस्लिम लीग के सेपरेट एलेक्टोरेट और रेज़रवेशन आफ सीट्स को और इधर डेमोक्रेटिक फार्म आफ़

गवर्नमेंट को विदाउट एनी रेजरवेशन ऐंड ज्वाइन्ट एलेक्टोरेट इन दोनों को मिला कर एक चीज़ की गयी थी क्युमुलेटिव सिस्टम आफ वोटिंग। उसी की ध्वनि बाम्बे से भी टपकती है। इन सदन के सदस्यों को यह पता होगा कि बाम्बे में बहुत दिनों तक यह कनवेन्शन रहा कि मेयर एक साल पारसी होगा, दूसरे साल मुस्लिम होगा और तीसरे साल हिन्दू होगा। उसकी बैकग्राउन्ड थी कम्युनल। इससे हम दूर नहीं जा सकते। अगर बाम्बे का ऐड-मिनिस्ट्रेशन अच्छा है तो सिर्फ इस बात से कि क्युमुलेटिव सिस्टम आफ वोटिंग है, नहीं कहा जा सकता है। उसके और कारण हैं और यह हो सकता है कि क्युमुलेटिव सिस्टम आफ वोटिंग के बावजूद भी बाम्बे कारपोरेशन का एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा रहा हो। और यह उसमें रुकावट डालता हो। इसलिये इस बहस में मैं नहीं पड़ना चाहता हूं। बाम्बे कारपोरेशन को एक म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन मान कर जिन मित्रों ने इस बात को यहां रखा है वह इस बात को नहीं भूलेंगे और जब कारपोरेशन बिल आयगा तो जो वहां की अच्छी अच्छी बातें हैं उनको उसमें लेने में कोई ऐतराज नहीं होगा।

इसी बम्बई प्रदेश ने जब सन् १८८८ ई० में कानून बनाया तो उनके यहां क्यूमुलेटिव सिस्टम आफ वोटिंग मौजूद था और बाम्बे का एडमिनिस्ट्रेशन भी अच्छा चलता था लेकिन उसके बावजूद भी १९४९ में जब ऐक्ट बना जो बम्बई प्रान्त के कारपोरेशन के लिये था और उसका उद्देश्य था कि अहमदाबाद और पूना वगैरा दूसरे नगरों में कारपोरेशन बनाने का। तब उसमें क्यूमुलेटिव सिस्टम आफ वोटिंग नहीं रखा गया। दी मोड आफ वोटिंग ऐंड दी फार्म आफ बैलट पेपर्स उस फार्म में नहीं रखे जब बम्बई प्रदेश ने दूसरे नगरों के लिये कारपोरेशन बनाने के लिये ऐक्ट १९४९ में बनाया था। यह चीज़ इंगलैंड में १८७० से १९०२ तक स्कूल बोर्डस के लिये थी लेकिन बाद में इसके डिफेक्टस सामने आये और इस चीज़ को छोड़ दिया गया। आज इन्गलैंड में कहीं भी यह चीज़ नहीं है आज संसार के जितने भी इम्पोरटेंट कंट्रीज हैं उनमें कहीं भी यह चीज़ नहीं है क्योंकि संसार को आज इसकी खराबियां मालूम हो गई हैं। सब से बड़ी खराबी तो यह है कि जब हम मायनोरिटीज़ के प्रोटेक्शन की बात कहते हैं तो चाहे मायनोरिटीज का प्रोटेक्शन हो या न हो लेकिन कभी कभी मेजोरिटी खतरे में पड़ जाती है। कभी कभी इस प्रकार से वोटिंग हो सकता है कि हम मायनोरिटी के प्रोटेक्शन की बात कहकर मेजारिटी को मायनोरिटी में परिवर्तित कर दें।

मैं मिसाल के लिये कहता हूं कि मान लीजिये साढे चार हजार वोटर्स हैं और उनमें तीन सीट्स हैं। वह तीन सीट्स में बंटे और मान लीजिये ६ आदमी खड़े हुये तो अगर १,५०० आदमी इस तरह से वोटिंग करते हैं कि ५००,५०० आदमी एक एक तीनों को वोट दे देते हैं और बाकी आदमी एक हजार वोट्स डिस्ट्रीब्यूटिंग सिस्टम तरीके से दें तब भी १,००० वोट्स पाने वाले अधिकारी नहीं चुने जायेंगे। चुने वह जायेंगे जिनको ५००,५०० आदमियों का कांफिडेंस हासिल है और एक हजार आदमियों के कांफीडेंस वाले आदमी नहीं चुने जायेंगे। इसलिये जब १५०० आदमी वोट्स करें इस ४,५०० की आबादी में तो वह तीनों सीट्स ले लेंगे और तीन हजार आदमी डिस्ट्रीब्यूटिंग सिस्टम से वोट्स देते हैं और वह यह कहते हैं कि जब हमें तीन आदमी भेजने हैं तो अच्छे आदमी क्यों न भेजें। इस तरह से वह एक भी सीट्स नहीं पाते हैं और वह तीनों सीट पा लेते हैं जिनको १५०० आदमी वोट्स देते हैं। इसलिये इसमें बहुत से डिफैक्ट्स हैं। माननीय जगन्नाथ मल्लजी ने दो एक बातें और कहीं थीं। उन्होंने कहा था कि परचेजिंग आफ वोट्स हो सकती है इससे अनडिजायरेबिल आदमी आ सकते हैं जो गलत आदमी है और जिनकी हिम्मत नहीं है कि वह डिस्ट्रीब्यूटिंग सिस्टम आफ वोट्स में खड़े हो सकें। वह थोड़े से आदमियों को क्युमुलेटिव वोटिंग हासिल कर के धौंस से, दबाव से परचेज़ करके वोट हासिल कर लें और वह म्युनिसिपैलिटी में आकर बैठ जायं और भले आदमी इससे पीछे रह सकते हैं। इससे नतीजा यह होगा कि वहां लाइफ बिल्कुल बिगड़ जायगी क्योंकि

[श्री मोहनलाल गौतम]

हर एक आदमी को यह ख्याल होता है कि हम जिनके वोट्स से चुने गये हैं हमें उनको खुश रखना है ताकि दुबारा चुने जायं। खुश करने के लिये लार्जेस्ट नम्बर आफ वोट्स को हासिल करने की जरूरत नहीं है। थोड़े से वोट्स को लेकर उनको मल्टीपिल कर दो और जितनी सीट्स हैं उतने आदमी आ जायं तो म्युनिसिपैलिटी में आकर वह यह कहेंगे कि हम तो ब्राह्मणों के वोट से चुने गये हैं उन्हीं के इंट्रेस्ट्स को हम देखेंगे। जब उनकी नौकरी का सवाल आयेगा तो ब्राह्मण ही रखे जायेंगे चाहे काबिल हों या न हों। किसी दूसरे को वह कैसे सपोर्ट कर सकते हैं जब कि वह ब्राह्मणों के वोट से आये हैं और उनको उन्हें खुश रखना है। इस तरह से वह ब्राह्मण कैंडीडेट्स को सही और गलत तरीके से सपोर्ट करेंगे और इस बात पर झगड़ा करते हैं और यहां तक कि चेयरमैन के खिलाफ नो कांफिडेंस मोशन ले आते हैं।

ब्राह्मण का लफ्ज मैं इसलिये इस्तेमाल कर रहा हूं कि मैंने खुद ब्राह्मणों में जन्म लिया ताकि कोई बुरा न माने। ब्राह्मण वहां चाहे चोरी करे, बेईमानी करे, ग़बन करे उसको प्रोटेक्ट किया जायगा। इस तरह से वहां सिविक एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होगा। उनको इस बात का खयाल नहीं रहेगा कि शहर अच्छा बने या बुरा, उनकी इस बात की कोशिश होगी कि जिन लोगों ने उन्हें चुना है उनको उन्हें खुश रखना है, इससे सिविक लाइफ तबाह हो जायगी, मुसीबत हो जायगी और जिस चीज को आप तमाम अपोजीशन के मेम्बर यह कहते हैं कि म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन में तरक्की होनी चाहिये मैं यह बतलाता हूं कि इसके अनुसार म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन उन्नति नहीं करेगा, अवनति करेगा। और मैं एक प्रार्थना और करना चाहता हूं कि जो लोग मायनारिटी के नाम पर आज इस तरह की चीजें कांस्टीटयूशन में दर्ज कराना चाहते हैं मैं उनको कहता हूं कि वे यह क्यों समझ लेते हैं कि वे हमेशा मायनारिटी में रहेंगे, वे भी कभी मेजारिटी में आ सकते हैं और जो चीज इस वक्त मेजारिटी के फायदे के लिये है वह चीज उस वक्त उनके लिये फायदे की हो जायगी जब वह मेजारिटी में आयेंगे। क्या कोई पोलिटिकल पार्टी इस तरह से कोई चीज लेजिस्लेचर में पेश कर सकती है कि वह हमेशा मायनारिटी में रहेंगे? वह ग़लत मेनटेलिटी होगी, इस तरह से ग़लत लेजिस्लेशन होगा और जो चीजें आयेंगी वे सही नहीं होंगी। इसलिये मैं प्रार्थना करता हूं कि इस तरह की चीजें स्थायी रूप में एडमिनिस्ट्रेशन में लाकर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन को ख़राब करने की तरफ न जाकर हमारी मदद करें और म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन की उन्नति में जो जो बातें हों उन्हें मंजूर करें। हम सब मिल कर उसे सुधारने की कोशिश करें। इन शब्दों के साथ मुझे अफसोस है कि मैं यह अमेंडमेंट मंजूर नहीं कर सकता।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—अब क्लोजर मूव करने की अनुमति दी जाय।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—अभी एक भाषण इधर से और एक उधर से हुआ है। एक आध भाषण और होने चाहियें।

श्री अध्यक्ष—एक दो भाषण और होंगे।

राजा बीरेन्द्र शाह (जिला जालौन)—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन त्रिपाठी जी ने पेश किया है उसका मैं विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैं यह समझता हूं कि अभी माननीय मंत्री जी ने इस सिस्टम से जो बहुत से नुकसान होंगे उनको बतला दिया है और उनको मैं इस हाउस के सामने दुबारा लाना नहीं चाहता। मैं यह कहना चाहता हूं कि आप इससे नतीजा निकालिये कि हमारे माननीय सदस्य ऐजाज रसूल ने यह कहा कि तब समय दूसरा था और अब समय बदल गया है। समय बदलना कुछ इससे भी मालूम होता है कि ऐजाज रसूल साहब एक पार्टी को छोड़ कर

दूसरी पार्टी में चले गये हैं। इसलिये भी यह जरूरी है कि इस तरीके को जिससे हमारे मुल्क के अन्दर कोई झगड़ा पैदा हो उसको स्वीकार नहीं करना चाहिये। इसी वजह से हमारे देश के दो टुकड़े हो गये। इस तरीके से हर पार्टी अपने को पोलिटिकल पार्टी कह कर हर सिद्धान्त को लेकर उसमें आजायगी। इस तरह की गुंजायश रखने से कम्युनल बेसिस पर पार्टी बना कर वहां आ जायगी और फिर वही झगड़ा पैदा होगा। इसलिये मैं यह समझता हूं कि इस तरीके की मनोवृत्ति को बन्द होना चाहिये और बल्कि जो इस तरह से कहे उसके ऊपर जुर्म होना चाहिये। जैसा कि श्री मुल्तान आलम खां ने अपने भाषण में इस सिस्टम को सपोर्ट किया है मैं यह समझता हूं कि वह पार्टी बदल चुके हैं और कांग्रेस में आ गये है जो कि सेक्युलरिटी को मानती है लेकिन फिर भी वह इस तरह की बात कहते हैं।

श्री ऐजाज रसूल ने इसके लिये सजेशन दिया और कहा कि कमेटी स्टेज मे यह होना चाहिये था। मं तो गवर्नमेंट से यह कहना चाहता हूं कि ऐसी चीजों के लिये उसको साफ कह देना चाहिये कि हम स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि यह चीजें आगे चल कर मुल्क के लिये नुक़सानदेह साबित होंगी। चाहे यह बात किसी को बुरी लगे या अच्छी लगे लेकिन साफ और स्पष्ट तरीके से इसको कह देना चाहिये। हमारी जो सोशलिस्ट पार्टी है वह प्रजातन्त्र के सिद्धान्त को मानती हैं। इस कारण वह जनता मे जाये और उसको समझाये। म तो यह समझता हूं कि शिडयूल्ड कास्ट के लिये भी जो रिजरवेशन रखा गया है उससे जनरल एलेक्शन के जमाने मे काफी झगड़ा पैदा हुआ था। उनके लिये जो १० साल का रिजरवेशन रखा गया है वह मियाद भी बहुत ज्यादा है और इससे बहुत ख़तरे पैदा हो रहे ह। इससे एक वर्ग निकल रहा है जिसको मध्यम वर्ग कहते हैं। जब आज कल की दुनिया आगे बढ़ रही है तो इस जाति पांति को मानना किसी तरह से उचित नहीं होगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो इससे वर्गवाद पैदा होगा और फिर कई वर्ग इसमे से निकलते जायंगे। इसलिये इस प्रकार का संशोधन पेश करना किसी तरह से भी उचित नहीं हो सकता। सोशलिस्ट पार्टी का सिद्धान्त तो बहुत ऊंचा है और मैं तो यह कहता हूं कि कई बातों में वह कांग्रेस से भी आगे है। उनको इस सिस्टम को नहीं मानना चाहिये और इस तरह की मनोवृत्ति जनता के अन्दर पैदा करना उचित नहीं होगा। मं इस प्रस्ताव के मूवर साहब से प्रार्थना करूंगा कि यदि वह मेरी इस बात को उचित समझते है तो इस संशोधन को वापस ले ले। मैं आपके जरिये से सरकार से यह अनुरोध करूंगा कि सरकार को यह स्पष्ट कह देना चाहिये कि हम इस प्रकार के सिस्टम को या और कोई सिस्टम जो इस तरह का होगा उसको स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिये मैं यह चाहता हूं कि यह प्रस्ताव स्वीकार न किया जाय।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री रामनारायण त्रिपाठी--अध्यक्ष महोदय, इस संशोधन के सम्बन्ध मे जो विवाद हुआ उसमें दो पहलू सामने आये। एक तो सैद्धान्तिक और दूसरा जो बहुत जरूरी नहीं था लेकिन उठाया गया। अब और कोई सदस्य तो इसका जवाब नहीं दे सकता है मुझे ही इसका जवाब देने का अवसर है। जो सिद्धान्त की बहस यहां पर उठाई गई स्वशासन मंत्री जी ने उसको कबूल किया कि यह जो संशोधन है एक उसूल को लेकर है लेकिन उसमें एक गलतफहमी जो माननीय सदस्यों को हुई वह यह कि बाराबंकी के माननीय सदस्य ने कहा कि यह तो कम्युनल माइनारिटी के प्रोटेक्शन की बात हो जाती है। मैं यह समझता हूं कि जहां तक म्युनिसिपैलिटी का सवाल है यह एक ऐसी संस्था है कि जिसमें कुछ कंस्ट्रक्टिव वर्क करने की जिम्मेदारी चेयरमैन और

[श्री रामनारायण त्रिपाठी]

उसके सदस्यों पर होती है। और पोलिटिकल माइनारिटीज का रिप्रिजेन्टेशन हो सके और पारस्परिक सहयोग से काम हो इसलिये मैंने यह बात कही। मैं जानता था कि इस तरह की गलतफहमी हो सकती है। कम्यूनल माइनारिटीज का प्रोटेक्शन तो कोई भी नहीं चाहता न हम ही चाहते हैं। इस स्पष्ट बात के होते हुए भी माननीय मंत्री जी की ओर से और माननीय सदस्य बाराबंकी की ओर से दलील दी गई कि हमारी मन्शा कितनी ही साफ हो लेकिन उसमें यह डर है कि कम्यूनल माइनारिटीज का प्रोटेक्शन हो जायगा। हो सकता है कि इस बात में काफी वजन हो और मैं चाहता हूं कि सदन के सदस्य इस पर ग़ौर करें कि क्या यह ख़तरा क्युमुलेटिव सिस्टम की वजह से ही पैदा होगा और क्या यह ख़तरा मौजूदा सिस्टम में नहीं हो सकता।

हमारे बाराबंकी के सदस्य ने कहा कि इससे वोटों के ख़रीदने की प्रथा चल जायगी, और अगर ३ मेम्बरों की कांस्टीटुएंसी है तो एक वोटर का वोट ख़रीद लेने से ही ३ वोट मिल जायंगे, इस तरह से वोट ख़रीद कर लोग चुने जायंगे और उनको आसानी होगी। यह तो एक तरह से उन्होंने सरकार का प्रबन्ध पर लांछन लगाया है। परन्तु जब हम कहते हैं कि मौजूदा सिस्टम ख़राब है तब कहा जाता है कि विरोधी दल वालों ने चुनाव की प्रणाली पर ग़लत आपत्ति उठायी है। दूसरी बात यह है कि क्या आप मौजूदा प्रणाली से सेकटेरियेनिज्म को रोक सकते हैं? इस प्रणाली में यह है कि प्लूरल मेम्बर कांस्टीटुएन्सी में हर मेम्बर के उतने ही वोट होंगे जितने कि उस वोर्ड में सदस्य है और वह एक वोट एक ही उम्मीदवार को दे सकता है, इसमें लाजमी नहीं है कि वह हर वोट अलग-अलग मेम्बरों को दे। सब लोग जानते हैं कि बम्बई में डाक्टर अम्बेदकर, श्री अशोक मेहता और श्री डांगे के मामले में क्या हुआ। डांगे ने कहा कि तुमको अधिकार है अलग अलग वोट देने का लेकिन तुम सब वोट मुझे ही दो। नतीजा यह हुआ कि उसके समर्थकों का दूसरा वोट बेकार चला गया तो वह तो सिस्टम का दोष नहीं है। जहां तक जातिवाद का प्रश्न है मैं जानता हूं कि वह उठ सकता है लेकिन जो मौजूदा चुनाव प्रणाली है उसमें भी कोई इस बात से बच नहीं सकता और इसका एक ही इलाज है जैसा कि होम्योपैथिक डाक्टर करते हैं कि बीमारी को एग्रेवेट किया जाय और तब इलाज किया जाय चूंकि इस देश में जातिवाद की बीमारी उभर चुकी है और पिछले चुनाव में भी इसका काफी सहारा लिया गया था और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जातिवाद का सहारा लिया गया और उसकी बिना पर वोट भी लिए गए थे। इसमें डिजायरेबिल या अनडिजायरेबिल होने की बात अलग है। उसका इलाज यही है, चाहे यह मान लें कि कोई वोट ख़रीदे जा सकते हैं, तो साथ ही पैसा देकर यह भी कहा जा सकता है कि सब वोट मुझे ही दे दो, किसी को तीनों वोट डालने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। वह एक ही में या २ में या ३ में डाल सकता है। अगर, मान लीजिये, किसी वार्ड में ब्राह्मण जाति के कुछ मेम्बर हैं, ३४ परसेंट। अगर सरकार का यह ख्याल है कि अगर डिस्ट्रिब्यूटिव सिस्टम आफ वोटिंग है तो ५१ परसेंट जब उनको मत प्राप्त होगा तभी वे चुने जा सकते हैं, यह ख्याल उनका मैं कहता हूं कि ग़लत है। अगर ब्राह्मण लोग होशियारी से इस बात की कोशिश करें कि अपने तीनों वोट उस ब्राह्मण कैंडिडेट के डिब्बे में ही डाल दें तो वह जरूर चुना जायगा। इससे. जातिवाद जरूर बढ़ने का ख़तरा है लेकिन यह नुक्स तो दोनों सिस्टम्स आफ़ वोटिंग में हैं। हम भी इस जातिवाद को बुरा मानते हैं। सैकटेरियनिज्म और कम्यूनलिज्म के हम भी बिल्कुल विरुद्ध हैं। लेकिन जो आशंका आपको है वह हमको नहीं है। उस रोग का हीलिंग प्रोसेस शुरू हो गया है और बहुत बड़ी परसेंटेज में वह मर चुका है। बाक़ी के लिये कुछ थोड़ा समय लगेगा। परन्तु उसका सारा दोष क्यूमूलेटिव सिस्टम आफ वोटिंग पर डालना ग़लत है। यह डिफैक्ट तो दोनों सिस्टम में हैं। क्यूम्यूलेटिव सिस्टम आफ वोटिंग में माइनारिटीज का रिप्रेजेंटेशन हो सकता है। माननीय

स्वशासन मंत्री ने यह ठीक कहा है कि हमारी पार्टी यह क्यों समझती है कि हम हमेशा ही माइनारिटी में रहेंगे। यह हम नहीं मानते कि हम हमेशा ही माइनारिटी में रहेंगे। हम तो यह मानते हैं कि कभी न कभी वह समय भी आवेगा जब कि हम उधर और सरकारी दल इधर होंगे। मैं हाउस में कोई बिटरनैस पैदा करना नहीं चाहता। लेकिन हम एक सिद्धान्त को मानते हैं।

श्री अध्यक्ष—आप अध्यक्ष को एड्रेस करके भाषण करें।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—जी हां। कल हमारी हुकूमत आने वाली है माननीय स्वशासन मंत्री जी की दलील को मानते हुये हम यह जरूर चाहेंगे कि उनको भी प्रतिनिधित्व मिले। माननीय मंत्री जी ने आंकड़ों के ज़रिये यह सिद्ध करने की कोशिश की कि मेरी बात ठीक नहीं है लेकिन मैं समझता हूं कि वह कुछ अरिथमेटिक की ग़लती कर गये है। उन्होंने कहा कि मानो कि किसी जगह ४,५०० वोटर हैं और १,५०० वोटर एक उम्मीदवार को वोट देने वाले हों और यदि वे काशसली काम करें और तीनों वोट एक ही को दें तो नतीजा यह होगा कि पोलीटिकल मैजारिटी माइनारीटी में तब्दील हो जायगी।

श्री मोहन लाल गौतम—बजाय इसके कि आप सदन का और समय लें, मैंने यह कहा कि १,५०० आदमी अगर तीन हिस्सों में बंट जावें, ५०० के तीन क्यूम्यूलेटिव वोट्स दे दें और १,५०० वोट तीन में बंट जावें तो जो बाकी वोट्स है सब को १, १ हजार वोट्स मिलें, तब १,५०० के तीन आदमी हो जावेंगे और बाकी ३,००० का एक आदमी भी नहीं होगा।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—जब माननीय मंत्री जी यह मानते हैं कि ४,५०० वोटर में अगर १,५०० वोटर कॉशसली वोट दें तो वहां ३,००० वोटरों के ९,००० वोट बाकी रह जाते हैं। इसलिये यह प्रश्न उठता ही नहीं कि कोई मैजारिटी माइनारिटी में बदल जाय। इसलिये माननीय मंत्री जी उस ग़लती को दुरुस्त कर लें। यह बात बिल्कुल ही ग़लत मालूम होती है कि किसी भी हालत में इस सिस्टम आफ वोटिंग से कोई भी पोलीटिकल मैजारिटी माइनारिटी में बदल जाय। यह असम्भव है। एक माननीय सदस्य ने यह भी कहा कि जाहिल लोग क्युमुलेटिव सिस्टम आफ वोटिंग को नहीं समझ सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार उन जाहिल लोगों से यह तो उम्मीद करती है कि अगर ५ मेम्बरों को वोट देना हो और ५ पोलिटिकल पार्टीज हों जिनके २५ उम्मीदवार हों अगर ११ इंडिपेंडेंट उम्मीदवार हों, इस तरह से ३६ उम्मीदवारों की लम्बी लिस्ट को याद करके डिस्टिंग्विश करके...

श्री सुल्तान आलम खां—आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। मै अर्ज कर रहा था कि चेयर इस तरफ है, उस तरफ नहीं है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—अध्यक्ष महोदय, मै अपनी गलती कबूल करता हूं और इस सलाह के लिये माननीय सदस्य को धन्यवाद देता हूं। तो सवाल यह है कि जाहिल लोग क्युमुलेटिव सिस्टम आफ वोटिंग को नहीं समझ सकेंगे, लेकिन हमारी सरकार यह समझती है कि वे ३६ उम्मीदवारों की लिस्ट के नाम याद करके और उसमें से डिस्टिंग्विश करके ५ उम्मीदवारों को वोट दे सकेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं क्युमुलेटिव सिस्टम आफ वोटिंग के बारे में थोड़ा सा बतला दूं कि यह सिस्टम ऐसा है कि अगर उनको इतना बतला दिया जाय कि तुम्हारे उम्मीदवार का यह कलर है या यह सिम्बल है और तुम जिसको चाहते हो अपना वोट दो तो वह बहुत आसानी से वोट दे सकेगा। यह बात बहुत आसान है बजाय इसके कि वह ३६ आदमियों की एक लम्बी लिस्ट को टैकल करे। साथ ही साथ उससे सीकरेसी आफ बैलट

[श्री राम नारायण त्रिपाठी]

की गारण्टी भी हो जायगी। आज कल जो मौजूदा सिस्टम है और जब कि ८५ प्रतिशत मतदाता अशिक्षित हैं तो म्युनिसिपैलिटीज के वोट में सीकरेसी आफ बैलट की गारन्टी नहीं होती है। और वोटरों को पोलिटिकल पार्टी या इनडिवीजुअल कंडिडेट के एजेंटों के सामने यह बतलाना पड़ेगा कि वे किसको वोट देना चाहते हैं। इसके सिवा उनके लिये कोई चारा नहीं है। अध्यक्ष महोदय, आज कल भी यह कायदा है कि पोलिटिकल पार्टीज थोड़ी-थोड़ी देर के बाद अपने एजेण्ट को बदल सकती हैं, और बदलती हैं। तो इससे आशंका है कि बार-बार इनफ्लुएंशियल आदमियों को एजेन्ट कि हैसियत से पोलिंग बूथ पर बैठा कर ८५ प्रतिशत मदताता किसी तरह फ्री ऐण्ड फेयर एलेक्शन नहीं कर सकेंगे। इस तरह से सारा एलेक्शन ही फार्स हो जाता है। जिस प्रणाली में ८५ प्रतिशत मतदाताओं की सीकरेसी आफ बैलट की गारंटी नहीं है और बाकी जो १५ प्रतिशत बचते हैं वे किसी तरह से जाकर अपना वोट दे सकते हैं। उस से यह क्युमुलेटिव सिस्टम आफ वोटिंग का जो नियम है यह बहुत ही बेहतर है। मतदाता जिस उम्मीदवार को चाहें अपना सारा वोट दे दें या न चाहें तो न दें। इसमें सीकरेसी आफ बैलट की भी गारण्टी है।

अध्यक्ष महोदय, माननीय स्वशासन मंत्री जी ने एक बात बड़े जोरदार शब्दों में कही कि बम्बई का १,८८८ का म्युनिसिपल ऐक्ट जो है उसमें क्युमुलेटिव सिस्टम आफ वोटिंग का प्रोविजन है लेकिन १९४९ का जो ऐक्ट बना है उसमें इसका प्रोविजन नहीं है। लेकिन माननीय मंत्री जी इस बात को तो जानते ही हैं कि हो सकता है कि वहाँ जहां रूल्स में कोई प्रोविजन हो, और मैं तो कहता हूं कि अगर माननीय मंत्री जी मुझे आश्वासन दे दें कि रूल्स में इसका प्राविजन कर दिया जायगा तो इससे मुझे कतई इनकार नहीं है। माननीय सदस्य जो कुछ भी इन चुनावों से दिलचस्पी रखते हैं उनको अच्छी तरह से मालूम है कि पिछला जो चुनाव बम्बई कारपोरेशन का हुआ, मौजूदा कांग्रेस सरकार के जमाने में वह भी क्युमुलेटिव सिस्टम और वोटिंग के जरिये ही हुआ। अगर माननीय स्वशासन मंत्री जी हमें आश्वासन दें और आन दि फ्लोर आफ दि हाउस डिक्लेअर करें कि हम रूल्स में इस चीज को कर देंगे तो मैं....

श्री अध्यक्ष—इसमें जरा कंफ्यूजन हो रहा है। १९४९ का ऐक्ट दूसरी चीज है। वह बम्बई पर लागू नहीं है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात पर जोर दे रहा था कि पिछला चुनाव जो किया गया था वह क्युमुलेटिव सिस्टम आफ वोटिंग के नियम से ही किया गया था पहले की जो प्रणाली है वह सुन्दर प्रणाली तो है लेकिन उससे जाति पांति का खतरा है इसलिये उसे न माना जाय। इससे पोलिटिकल पार्टियों की अयोग्यता का प्रदर्शन होता है। क्या हमारे सिद्धांतों में और हमारे उसूलों में बल नहीं है कि जातपात और सेक्टोरियनिज्म को यहां से उखाड़ फेंके और जनता को अच्छे सिद्धांतों की ओर ले जा सकें। कांग्रेस दल है और दूसरी पार्टियां हैं और हम ही वह लोग हैं जो इस मनोवैज्ञानिक शक्ति को फैनलाइज करके इसकी डिफिकल्टी को दूर कर सकते हैं। वह तो हमारा दोष है सिस्टम आफ वोटिंग का दोष नहीं है और मुझे उम्मीद है कि मेरी पार्टी इस माने में अवश्य सफल होगी कि जल्द से जल्द हिन्दुस्तान से कम्युनलिज्म को निकाल सके और मैं समझता हूं कि कांग्रेस ने भी यही सिद्धांत रखा है और इसका मुझे भी फख्र है कि इस ओर उसने बहुत बड़ा कदम उठाया है और उसको जो कामयाबी मिली है वह श्रेयस्कर है। इसलिये यह बात निर्विवाद है कि यह सिद्धांत की चीज है और इसमें पोलिटिकल माइनारिटीज को रिप्रेजेन्टेशन मिल सकता है। इसमें कोई खतरा नहीं है और अगर खतरा है तो मौजूदा सिस्टम जो बिल में रखा गया है उसमें भी है और इसलिये स्वशासन मंत्री से मेरा निवेदन है कि इस निर्दोष संशोधन को जरूर मानलें।

श्री मोहन लाल गौतम—माननीय अध्यक्ष, महोदय, वैसे तो मैं और ज्यादा कहने की जरूरत महसूस नहीं करता लेकिन मैं समझता हूं कि शायद मैं अपने अरिथमेटिक के सवाल को समझा नहीं पाया और यह ख्याल हुआ कि मेरी अरिथमेटिक गलत है। इसलिये मैं चाहता हूं कि उसपर फिर विचार कर लें। ४५ सौ वोट्स हैं और तीन मेम्बरों की कांस्टीटूयेंसी है। अब हर एक वोटर के तीन-तीन वोट्स हैं। इसलिये सबको मिलाकर कुल १३ हजार पांच सौ वोट्स हुये। अब १३, हजार पांच सौ वोट्स जो होंगे, इनमें १२ कैंडीडेट्स खड़े हुये और १२ कैंडीडेट्स में से तीन-तीन को पांच पांच सौ वोट्स क्युमुलेट करके पांच पांच सौ आदमियों के १५, १५ सौ वोट मिल गये।

श्री राम नारायण त्रिपाठी—मैं एक इन्फर्मिशन चाहता हूं............

श्री अध्यक्ष—मैं चाहता हूं कि इस पर अधिक बहस न हो। यह अरिथमेटिक की चीज़ है। यह क्वेश्चन अन्डरस्टैंडिंग का है बहस का नहीं है। यह उनकी अरिथ-मेटिक है और वह उसको समझाने की कोशिश कर रहे थे।

श्री मोहन लाल गौतम—मैंने निवेदन किया था कि ४ हजार पांच सौ वोटर्स हैं जिनके तीन-तीन वोट्स मिलकर १३ हजार पांच सौ वोट्स हुये और हर एक पांच सौ के तीन ग्रूप्स ऐसे हैं जो अपने को क्यूमुलेट करके १५ सौ वोट्स इकट्ठा करके तीन आदमियों को दिये तो ४ हजार पांच सौ वोट्स तो खत्म हुये। बाकी रहा ९ हजार वोट्स, १३ हजार पांच सौ वोट्स में से। अब इन ९ हजार वोटों को बाकी जो उम्मीदवार हैं उनमें किस तरह बांट लिया जाय। मैंने अन्दाज एक एक हजार का बता दिया लेकिन यह आपकी मर्जी है कि आप अपनी अपनी तसवीरें अलग-अलग बना सकते हैं। और इस तरह से उतने ही आदमी चुने जायेंगे जिनको पांच सौ आदमियों ने चुना है। यह सीधी-सादी अरिथमेटिक है। मैं निवेदन करूं कि इसकी तसवीरें भिन्न-भिन्न हो सकती हैं लेकिन इस अरिथमेटिक में गलती की गुंजाइश कहीं नहीं है। इसलिये इस बात में भी शक करने की गुंजाइश नहीं रहनी चाहिये कि माइनारिटीज़ मेजारिटी की सीट्स को कैपचर कर सकते हैं और मेजारिटी के इंटेरेस्ट्स सेफगार्ड न होंगे। और कम्यूनल सवाल पैदा होगा या नहीं होगा इस पर तो माननीय त्रिपाठी जी ने भी कहा कि वह भी समझते हैं कि हीलिंग प्रोसेस शुरू हो गया है। ठीक है लेकिन मेरा निवेदन है कि यह जो हीलिंग प्रोसेस है उसका खासतौर से कारण है कि प्लुरल मेम्बर कांस्टीटुयेंसी और क्युमुलेटिव सिस्टम आफ वोटिंग। अगर ऐसा न होता और पालियामेंट और असेम्बली के चुनावों में ऐसा न होता तो उसका नतीजा होता कि कास्टिज्म बहुत बढ़ जाता और कास्ट्स की बेसिस पर यहां नुमाइन्दे पहुंच जाते इसका मुझे विश्वास है। इसलिये यह हीलिंग प्रोसेस अगर शुरू हुआ है तो इसका कारण यह है कि सिंगिल मेम्बर कांस्टीटुएंसीज़ थीं और डिस्ट्रिब्युटिव वोटिंग का सवाल नहीं था और इसका नतीजा यह हुआ कि जो बड़े-बड़े दिग्गज जोर के साथ खड़े हुये थे और जाति-पांति के जोर पर खड़े हुये थे उन को हारना पड़ा। इन जनरल एलेक्शंस के बाद लोगों को धक्का लगा है, जो बिरादरी के जोर पर एलेक्शंस में खड़े हुये थे। और वह पोलिटिकल पार्टी की शरण में आने की सोच रहे हैं। और उस तरह के व्यक्ति अब अगले एलेक्शंस में खड़े होने की हिम्मत नहीं करेंगे। तो उससे कास्टिज्म जो हमारा दुश्मन है वह कमजोर हुआ है। उसका कारण यह है कि क्युमुलेटिव वोटिंग नहीं थी। इसलिये मैं प्रार्थना करता हूं कि इस चीज़ को अच्छी तरह से समझ लिया जाय तो मेरा ख्याल है कि इस पर माननीय त्रिपाठी जी जोर नहीं देंगे और इस हज़र को इस बोडी पालिटिक में घुसने नहीं देंगे।

इन शब्दों के साथ मुझे अफसोस है कि मैं इस संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकता।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ९ में प्रस्तावित धारा 12-A के अन्त में शब्द "and by cumulative system of voting" बढ़ा दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री रामनारायण त्रिपाठी—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन उपस्थित करना चाहता हूं कि खंड ९ में प्रस्तावित धारा 12-A के अन्त में शब्द "and by list system of voting" बढ़ा दिये जायं।

अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने शुरू ही में निवेदन किया था कि जहां तक उसूलों का सवाल है उसमें क्युमुलेटिव सिस्टम आफ वोटिंग और लिस्ट सिस्टम में बहुत कम फर्क है। लेकिन लिस्ट सिस्टम के फायदे कुछ मानों में तो क्युमुलेटिव वोटिंग सिस्टम से भी अधिक हो जाते हैं और अध्यक्ष महोदय, इसके कब्ल कि मै कोई फायदा बतलाऊं मै आपके समक्ष उस प्रणाली का संक्षेप में वर्णन कर देना चाहता हूं।

लिस्ट सिस्टम में यह तरीका होता है कि जितनी भी पार्टियां चुनाव में हों वह रिटर्निंग अफ़सर को अपने अपने उम्मीदवारों के नाम की एक लिस्ट दे दें और उसके बाद चुनाव हो। इस प्रणाली में प्रत्येक मतदाता को एक ही मतपत्र दिया जाता है लेकिन गिनते वक्त उस मत पत्र की गणना उतनी होती है कि जितने उस प्लूरल मेम्बर, मल्टी मेम्बर वार्डस में मेम्बर होते है। तो अध्यक्ष महोदय, लिस्ट सिस्टम में अच्छाई यह है काग़ज का खर्च बहुत कम है और मतदाता को बहुत से डब्बों से गुजरना नहीं पड़ता। अभी माननीय स्वशासन मंत्री जी ने इस बात का जिक्र किया था कि पिछले दिनों में सिंगिल मेम्बर कांस्टीटुऐंसी या डबल मेम्बर कांस्टीटुएंसी थीं इस वजह से जाति वाद के सिद्धांत को काफी धक्का पहुंचा और उससे काफी फायदा हुआ और बड़े-बड़े दिग्गज जो जाति पांति का सहारा ले कर चुनावों में आना चाहते थे वह अपने मकसद में कामियाब नहीं हुये और उनको पालिटिकल पार्टीज़ की शरण लेनी पड़ी। अध्यक्ष महोदय, लिस्ट सिस्टम की सबसे बड़ी खूबी यही है कि यह वोटर्स को इंडिविजुअल स्तर से हटा कर पोलिटिकल पार्टीज की शरण में ले जाता है और लिस्ट सिस्टम इसलिये बड़ी चीज़ है कि यह किसी भी देश में जिसमें डेमोक्रेसी ठीक नहीं चल सकती जिसमें कि ज्यादा से ज्यादा दो या तीन पोलिटिकल पार्टी से ज्यदा हों। इस बात के लाने में इससे काफ़ी सहायता मिलती है।

पिछले चुनाव में अध्यक्ष महोदय, हमने इस बात को देखा कि अगर उनमें लिस्ट सिस्टम रख दिया गया होता तो हर उम्मीदवार जो इंडिविजुअल खड़ा होना चाहता था वह खड़ा नहीं हो सकता था और उसको किसी न किसी पोलिटिकल पार्टी की शरण में जाना पड़ता और लिस्ट में नाम लिखवाना पड़ता। नतीजा यह होता है, मेरा तो यह दावा है कि इस सदन में अगर हमारा बहुमत न होता तो इतना अल्पमत भी न होता क्योंकि पिछले चुनाव में लिस्ट सिस्टम आफ वोटिंग नहीं रखा गया इससे कांग्रेस को फायदा हो गया। माल्टिप्लिसिटी आफ पार्टीज़ के कारण कम प्रतिशत वोटों पर भी विधान सभा तथा लोक सभा में कांग्रेस का बहुमत हो गया। हर उम्मीदवार सोचता था कि हम कांग्रेस को हरा सकते हैं और इसलिये किसी किसी जगह तो पचीस-पचीस उम्मीदवार थे। माननीय सत्यानन्द की कांस्टीटुएंसी का जहां तक मुझे इल्म है वहां २५ उम्मीदवार थे। अदालती पंचायत का हलका था। कोशिश यह हुई की पचीस उम्मीदवार खड़े हो जायं। और शायद बाद में समझौता करते करते उम्मीदवारों की संख्या १४ तक रह गयीं और एक ऐसा नमूना अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रदेश में पेश आया कि माननीय सदानन्द कांग्रेस के उम्मीदवार विजयी घोषित किये गये लेकिन उनको पूरे वोटों का वन सिक्स्थ जो जमानत बचाने के लिये होता है वह भी नहीं मिला। यह तो फैसला हो गया कि जमानत उनकी बच जायगी क्योंकि जीते हुये उम्मीदवार के लिये वह नियम लागू नहीं होता तो कांग्रेस के उम्मीदवारों की यह हालत हुई अल्पप्रतिशत में होते हुये हर जगह जीत गये।

हमारे मंत्री जी ने भी जातिवाद पर हमला किया लेकिन उस चुनाव प्रणाली से उनको यह फायदा हो गया कि पोलिटिकल माइनारिटी में होते हुये भी वह पोलिटिकल मैजारिटी में हो गये। जहां तक इस लिस्ट सिस्टम का संबंध है दो, तीन, चार पोलिटिकल पार्टीज होंगी। एक कांग्रेस पार्टी, दूसरी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, तीसरी कम्युनिस्ट पार्टी से अलाइड और कम्युनिस्ट पार्टी और चौथी में रामराज्य परिषद् वगैरा हैं। अगर इस

प्रकार से इलेक्शन हुआ होता तो एलेक्शन का रिजल्ट दूसरा ही होता। अगर इंडिवीजुअल के लिये भी हम मौका रखते है तो इसमे सदन के किसी माननीय सदस्य को इन्कार नहीं हो सकता कि हम जातिवादको प्रोत्साहन देते हैं। यह सरकार के हाथ में था कि वह किसी सिस्टम आफ वोटिंग को रखती। जो बड़े-बड़े दिग्गज जातिवादी प्रयत्न करते रहे, चाहे वे नाकामयाब हो गये, लेकिन प्रयत्न उन्होंने किया और बहुत से असफल भी नहीं हुये, क्योंकि बहुत से ऐसे भी सदस्य हैं इस विधान सभा के जिनको कि जातिवाद के सहारे सफलता मिली। इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता। असल में जब माननीय मंत्री जी की भी मंशा है कि जातिवाद, कम्युनलिज्म को प्रोत्साहन नहीं मिलना चाहिये तो उसको खत्म करने के लिये जो सिस्टम इस समय दुनिया मे राय्ज है वह लिस्ट सिस्टम है जिसमे पोलिटिकल पार्टीज की तादाद लिमिटेड हो जायगी और इंडिवीजुवल कैंडीडेट जिनके न कोई सिद्धांत है न कोई विचार बल्कि जो व्यक्तित्व के आधार पर जनता को धोखा देकर आना चाहते हैं उनके लिये स्थान नही रहेगा।

इस सदन मे जब पिछली मर्तबा सिम्बल और कलर सिस्टम पर बहस हो रही थी तो बहुत से लोगों ने कहा कि अगर हम सिम्बल मान ले और ३६-३७ उम्मीदवार हो जायं और हर एक के लिये अलग अलग सिम्बल करना पड़े तो म्युनिसिपैलिटीज़ के पास इतना रुपया नहीं होगा कि सिम्बल इतने बना सकें और व्यवस्था उसकी कर सकें और एक अन्नेसेसरी एक्सपेंडीचर उनके ऊपर लाद दिया जायगा। मेरा कहना यह है कि अगर सिम्बल मान लिये जायं और सरकार म्युनिसिपैलिटीज़ को स्पेशल ग्रांट दे दे तो हम आपत्ति नही करेंगे इसके अतिरिक्त यह प्रणाली काफी सरल भी है। अगर एक गजह ५ मेम्बर हैं। एक कागज बैलट पेपर का एक आदमी को मिलता है और एक इंडिवीजुअल को वोट न देकर वह पोलिटिकल पार्टीज़ के डिब्बे मे डाल देगा और काउंटिंग के वक्त उस एक मतपत्र की गणना ५ हो जायगी। माननीय सदस्य सुल्तान आलम खां ने कहा कि यहां की जनता अधिकतर अशिक्षित है। तो लिस्ट सिस्टम मे तो क्युमुलेटिव सिस्टम से भी कम दिक्कत है उसमें थोड़ी तादाद पोलिटिकल पार्टीज़ की होगी और एक मतदाता पर्चा ले कर जायेंगे, कोई गुमराह होने का अन्देशा नहीं है, क्यों कि उन्हे सिर्फ पोलिटिकल पार्टीज़ के डिब्बे में मत डालना होगा अध्यक्ष महोदय जब इस तरह से वोट पड़ते है तो उनकी गणना इसी तरह से होती है जिस तरह से क्युमुलेटिव सिस्टम में होती है। अगर ३४ परसेंट भी उसमें वोट आ जाते है तो पोलिटिकल माइनोरिटी का रेप्रेजेंटेशन् गारंटीड हो जाता है।

जहां तक पिछले संशोधन के संबंध में अरिथमेटिक का संबंध था माननीय मंत्री जी ने एक आश्चर्य किया था पोलिटिकल मैजारिटी कैसे पोलिटिकल माइनारिटी हो जाती है। और इसी बात को मैने अरिथमेटिक के जरिये यह साबित किया था कि ऐसा संभव है। लेकिन जब दूसरी बार माननीय मंत्री महोदय ने एक्सप्लेनेशन दिया तो उसमें उन्होंने पोलिटिकल मेजारिटी . . . .।

श्री अध्यक्ष—उसका जवाब इस समय नही दे सकते।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—तो ऐसी सूरत में वह भी दिक्कतें जो हैं वह हल हो जाती है और क्युमुलेटिव सिस्टम आफ वोटिंग की तरह से हर तरह से यह सिम्पलीफाइड हो जाता है और मैं समझता हूं कि अगर मेरा पहला संशोधन अस्वीकृत कर दिया गया तो कम से कम एक्सपीडियेंसी के लिहाज से खर्चे के लिहाज से और इस बात का ख्याल रखते हुये कि यह एक ऐसा सिस्टम है जिससे इंडिविजुअल और जाति वाद को, सेक्टेरियनिज्म को प्रोत्साहन मिलना बन्द हो जायगा, उसकी समाप्ति हो जायगी, माननीय मंत्री जी इसको स्वीकार कर लेंगे।

श्री मोहन लाल गौतम—माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस लिस्ट सिस्टम के संबंध में अभी संशोधन आया है उसमें कई आपत्तियां स्वयं मूव करने वाले सज्जन ने अपने व्याख्यान में धीरे से पेश कर दीं है। उन्होंने इस बात को तो माना है कि कोई भी सिस्टम हो उसमें

[श्री मोहनलाल गौतम]
कम्युनल पारटीज न बढ़े लेकिन जहां तक लिस्ट सिस्टम का संबंध है यह ठीक है कि दूसरे देशों में लिस्ट सिस्टम उसी आधार पर है जिस पर पोलिटिकल पार्टीज होती हैं एकेडेमिकली, थ्योरिटकली, यह नहीं कहा जा सकता कि अगर कोई कम्यूनल पार्टी आकर अपना नाम रखवाना चाहे और अपना नाम पेश करे तो उसको आप एक्सक्लूड कर सकते हैं । कास्ट की बेसिस पर अगर कोई पारटी आना चाहे तो लिस्ट सिस्टम में ऐसा नहीं है कि वह नहीं आ सकती। यूरप में भी आप देखेंगे कि कैथोलिक पार्टी एक ऐसी पार्टी है। वह कितनी पोलिटिकल है, कितनी रेलीजस है इस बहस में मैं नहीं जाना चाहता, कितने वोट्स वह पोप की आज्ञा से देती है इस बहस में मैं नहीं जाना चाहता लेकिन लिस्ट सिस्टम के लिये यह जरूरी है कि वह तमाम नान पोलिटिकल एलीमेंट्स को दूर कर दे और सिर्फ पोलिटिकल बेसिस पर ही लिस्ट सिस्टम बने यह बात गलत है। इसलिये लिस्ट सिस्टम के लिये यह जरूरी नहीं है कि इन सब चीजों को एक्सक्लूड करे। दूसरी बात यह है कि लिस्ट सिस्टम में दो तरीके से हो सकता है। माननीय रामनारायण जी ने समझाने की कोशिश की है कि एक लिस्ट होती है उसका एक तरीका और भी हो सकता है और वह यह है कि लिस्ट दे दी गई और लिस्ट के ऊपर वोट दिये गये। तो एक तरीका तो यह है कि लिस्ट को इन टोटो वोट कर दिया और दूसरा तरीका यह हो सकता है कि लिस्ट में इंडिविजुअल को वोट दिया जाय। उसकी काउंटिंग के दो तरीके हैं। एक यह है कि लिस्ट जो दी हुई है पार्टी के लीडर्स ने, उसमें जितने फीसदी वोट मिलें उसके हिसाब से पहले दूसरे तीसरे से लेकर जितनी भी तादाद है उतने एलेक्टेड डिक्लेयर हो गये। दूसरा तरीका यह भी हो सकता है कि जिनको ज्यादा से ज्यादा पार्टी से वोट मिले हैं उनको डिक्लेयर किया जाय एलेक्टेड, न कि उस लिस्ट के मुताबिक जो कि लीडर्स ने दी हैं और उसमें लिस्ट के साथ-साथ इंडिविजुअल्स पर भी वोट होता है और काफी कम्प्लीकेटेड होता है। आसान नहीं है इसको इस तरह से समझ लेना कि हमने लिस्ट पर वोट कर दिया।

फिर यह कहा गया कि इसमें इंडिविजुअल्स खत्म हो जायेंगे । यह भी सोचने की बात है कि इंडिविजुअल मेम्बर को जो किसी पार्टी का टिकट नहीं लेना चाहता जो अपने आपको किसी पारटी के बन्धन में नहीं डालना चाहता और आज के ऐसे जमाने में जब कि हमारे देश में पोलिटिकल थ्योरीज और पोलिटिकल आइडियाज इवाल्व हो रही है बहुत से काबिल और आनेस्ट इंटीग्रिटी के आदमी ऐसे हो सकते हैं जो किसी पोलिटिकल पारटी में आना पसन्द न करें, किसी के टिकट पर न खड़ा होना चाहें, और वह अपनी आइडियाज फ़्रीली एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो उसके लिए क्यों रुकावट डाली जाय ? इसके साथ-साथ माननीय त्रिपाठी जी ने आगे के लिये रास्ता भी बन्द कर दिया और कहा कि यही पोलिटिकल पार्टीज रहेंगी और किसी इंडिविजुअल को अपना ख्याल सामने रखने अधिकार नहीं होगा। और किसी दूसरी पोलिटिकल पार्टी को इवाल्व करने का अधिकार नहीं होगा यह उनकी मंशा थी। तो अभी जब कि हमारा पोलिटिकल एवोल्यूशन और कांशसनेस चल रही है, बढ़ रही है, ऐसी हालत में हम अगर यह कहें कि ऐसा होना चाहिये यह ठीक नहीं होगा। मूवर साहब ने पोलिटिकल पार्टीज का फैसला कर दिया और यह कह दिया कि एक टोटैलिटैरियन आफ दी राइट, एक टोटैलिटेरियन आफ दी लेफ्ट, एक प्रजा सोशलिस्ट पार्टी और एक कांग्रेस, इन चार में विभाजन कर दिया जाय, और इसके बाद किसी की गुंजाइश न रहे। मैं नहीं कह सकता कि अब हमारी पोलिटिकल थिंकिंग इतनी खत्म हो गयी है कि अब और कोई पोलिटिकल पार्टीज नहीं होंगी। ये तमाम बातें आप के सोचने की हैं।

लिस्ट सिस्टम में सब से बड़ी बात यह होती है कि उसमें इंडिविजुअल्स के लिये कोई गुंजाइश नहीं रहती है। दूसरा उसका नुक्स यह है कि लिस्ट सिस्टम में कांस्टिटुएंसी नहीं होती है और सारे सूबे के लिये एक लिस्ट हो जायगी। जो आदमी सारे सूबे से काफी वोट्स इकट्ठा कर लेगा वही चुना जायगा। वह किस कांस्टिटुएंसी का जिम्मेदार होगा, कहां वह वर्क करेगा, किस कांस्टीटुएंसी के लोग उससे कहेंगे कि तुम हमारा काम करा दो। बहुत सी पोलिटिकल पार्टीज ऐसी होती है जिनके दफ्तर ही बहुत से जिलों में नहीं खुलते हैं तो लोग

किससे काम करने के लिये कहेंगे। मान लीजिये किसी जिले से कोई आदमी चुना जाता है लेकिन उस जिले में सोशलिस्ट पार्टी का दफ्तर नहीं खुला है और वह आदमी इसलिये चुना

कांग्रेस के लिये भी ऐसा हो सकता है लेकिन मैं कांग्रेस की मिसाल इसलिये नहीं दे रहा हूं क्योंकि इत्तिफाक से कांग्रेस के दफ्तर अभी सब जगह खुलते ही जाते हैं। तो अगर वहां का लीडर चुना गया और सारे सूबे ने चुना और वह लीडर है उसी जिले का रहनेवाला और पार्टी का दफ्तर नहीं खुलता तो वहां के लोग क्या करें, किसके पास जा करके अपनी शिकायतें करें कि हमने सोशलिस्ट पार्टी को वोट दिया, आप हमारी बात को असेम्बली तक पहुंचा दिया करें। इसलिये इसमें कांस्टिटुएंसी के न होने से यह हालत हो जाती है।

श्री अध्यक्ष--आप अपना भाषण असेम्बली के चुनाव पर ही न कायम रखें। असेम्बली के चुनाव का बहुत अधिक वर्णन हो रहा है।

श्री मोहन लाल गौतम--ये लिस्ट सिस्टम की जो खराबियां हैं ये माननीय अध्यक्ष महोदय, म्युनिसिपैलिटी में उस हद तक न लागू हों, सही है, क्योंकि म्युनिसिपैलिटीज़ का एरिया बहुत छोटा होता है और वहां हर एक आदमी विदिन रीच होता है, लेकिन इस वक्त मैं लिस्ट सिस्टम की बात को सैद्धांतिक रूप में पेश करके यह चाहता था कि उस को सिद्धांत के रूप में हम क्यों नहीं मंजूर करते उसको व्यवहार के रूप में क्यों नहीं मंजूर करते हैं, लेकिन आप का आदेश है और मैं कोशिश करूंगा कि म अपने आप को म्युनिसिपैलिटी तक ही सीमित रखूं। इस तरह से लिस्ट सिस्टम की जो खराबियां हैं वे हमारे सामने हैं। कुछ मुल्कों का जिक्र किया गया। तीन चार मुल्क जो बहुत छोटे हैं उनमें यह लिस्ट सिस्टम इस वक्त है। बेलजियम, स्वीटजरलेंड, स्वेडन और डेनमार्क में यह सिस्टम है लेकिन ये इतने छोटे-छोटे मुल्क हैं कि हमारे यहां ऐसी-ऐसी कमिश्नरियां हैं जो इन मुल्कों से बड़ी हैं। इन मुल्कों में जहां कि बहुत पढ़े लिखे लोग हैं यह लिस्ट सिस्टम कैसे वर्क कर रहा है इस पर मैं बहस करना नहीं चाहता। मैं बड़ी म्युनिसिपैलिटीज़ का नाम नहीं लेना चाहता लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि अगर छोटी म्युनिसिपैलिटीज़ में यह चीज होगी तो कारपोरेशन्स में भी लागू करना पड़ेगा। तो लिस्ट सिस्टम को इंट्रोड्यूस करने में वही खराबियां आ जायेंगी जो कि मैं निवेदन कर चुका हूं।

एक आदमी यह भी कह सकता है कि कायस्थों का ही नहीं माथुरों में भी और जो है वह मुझे मालूम नहीं, कि उसका एक आदमी क्यों न चुना जाय। सारे शहर के तो वोटर हैं, एक आदमी उसका चुना जायगा तो यह लिस्ट सिस्टम की खराबियां हैं। जितनी बातें सेकटेरियन और वार्ड में प्रेरणा देने की जो थी वह दोहरे जोर से लिस्ट सिस्टम में सारे शहर में आ जायंगी क्योंकि दायरा सारे शहर का हो जायगा। अगर ५० मेम्बर किसी म्युनिसिपैलिटी में हुये तो उससे पचासवां हिस्सा जिस कम्यूनिटी, जिस कास्ट और जिस सब कास्ट का होगा वह क्लेम करेंगे कि हमारा एक आदमी जरूर जाना चाहिये और अगर आपकी लिस्ट में नहीं है तो हम अपना एक आदमी अलग खड़ा करते हैं। यह जरूरी नहीं है कि उस लिस्ट से एक्सक्लूड करदें। इसलिये इसमें डिसरप्टिव टेंडेंसीज़ कास्ट, कम्यूनल और सब कास्ट की क्यूम्युलेटिव सिस्टम आफ वोटिंग से ज्यादा बढ़ेगी। इसलिये यह उससे ज्यादा खतरनाक है और मुझे अफसोस है कि मैं उसे मंजूर नहीं कर सकता।

श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं त्रिपाठी जी के इस संशोधन का विरोध करने के लिये उपस्थित हुआ हूं। जैसा कि माननीय मंत्री जी ने अभी बताया कि लिस्ट सिस्टम में दो तरीके से चुनाव होगा। एक तो यह होगा कि यदि ए लिस्ट के या बी लिस्ट के वोट ज्यादा पड़े तो उसके सारे उम्मीदवार चुन लिये जायं और दूसरा यह होगा कि जितने वोट पड़ें उसी हिसाब से प्रपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन हो जाय।

[श्री रामनरेश शुक्ल]

अध्यक्ष महोदय, मेरा यह ख्याल है कि माननीय त्रिपाठी जी का ख्याल इस संशोधन के रखते समय अवश्य दूसरी विचार धारा की तरफ था जो कि उन्होंने अपनी बहस के दौरान में फरमाया था कि अगर लिस्ट सिस्टम की वोटिंग होती तो इस सदन में उनकी जितनी संख्या है, संभव है कि बहुमत में न होती, लेकिन उससे बहुत अधिक होती। अध्यक्ष महोदय, जहां तक उस पुराने चुनाव की बात का संबंध है, यह संशोधन ऐसा नहीं है कि उस पर कुछ अधिक कहा जाय लेकिन एक चीज़ याद आती है और उसको कहकर मैं इस संशोधन की तरफ बढ़ता हूं। एक बहुत पुराने शायर ने ऐसे ही मौके पर एक बहुत ही उम्दा बात लिखी है--

"नाकाम तमन्ना दिल इस सोच में रहता है"

जो यूं होता तो क्या होता, जो यूं होता तो क्या होता। तो यह इधर-उधर के संशोधन जो मेरे लायक दोस्त ला रहे हैं, अध्यक्ष महोदय, वह संभवतः दिन रात यही सोचा करते हैं कि अगर यह तरीका होता तो हम इतना बढ़ जाते, यह तरीका होता तो कुछ और आगे जाते और कहीं यह तरीका होता हम बहुमत में आ जाते। तो यह तो, अध्यक्ष महोदय, उनके सोचने की बात है। अगर इस में उन को सुख मिलता है तो मुझे बड़ी प्रसन्नता है। लेकिन आवश्यकता जो है वह कुछ और है। इस संशोधन के रखने पर, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बताया और मैं समझता हूं कि यह बड़ा भारी खतरा है। किसी समाज में अगर व्यक्तियों के विकास के लिये स्थान न हो तो फिर वह समाज सम्भवतः रहने के योग्य नहीं होता। और हर एक व्यक्ति अपने तौर पर अपना विकास न कर सके, उसे मजबूर होना पड़े किसी समूह के साथ अपने को जोड़ने के लिये यह एक स्वस्थ समाज के लक्षण नहीं हैं। और मुझे तो अध्यक्ष महोदय, इससे वह भी लाभ नहीं दिखायी पड़ता कि इससे जातिवाद या साम्प्रदायिकता मिट सकती है वरना सम्भवतः मैं इससे सहमत हो जाता। थोड़ी देर के लिये मान लीजिये कि हर एक इंसान प्रत्येक म्युनिसिपैलिटी में मजबूर है कि वह किसी न किसी पार्टी से अपना संबंध करे। तो क्या जरूरी है कि वह समाजवादी पार्टी से या प्रजा-सोशलिस्ट पार्टी से आप कह लीजिये, माफ कीजियेगा, उससे ही अपने को संबंधित करे या कांग्रेस से ही करे। हमारे देश में और प्रान्त में ऐसी भी पार्टियां हैं जो सौभाग्य या दुर्भाग्य से आज भी राजनीतिक पार्टियों के नाम से हैं। सारे के सारे जो स्वतंत्र विचार रखने वाले व्यक्ति हैं वे संभव है कि जन संघ में शामिल हो जायं अथवा रामराज्य परिषद में शामिल हो जायं जो सम्प्रदायवादी हैं जिनसे खतरा है देश को और जिससे मेरे लायक दोस्त भी सहमत होंगे कि ये आजाद ही अच्छे हैं, ऐसे लोग स्वतंत्र रहें और स्वतंत्र ही यहां आ कर के संयुक्त दल बनायें बजाय इसके कि वे रामराज्य परिषद में या जनसंघ में शामिल हो जायं। तो यह भी मसला नहीं हल होता।

मैं एक बात और प्रार्थना करना चाहता था और वह यह है कि मान लीजिये कि सभी राजनीतिक पार्टियों में आ गये तो किसी व्यक्ति के नाम से चलायेंगे और उस व्यक्ति के नाम से वोट पड़ेंगे। तो मुझे डर लगता है कि इससे तानाशाही हो जायगी। मैंने रूस के चुनाव को अधिक तो पढ़ा नहीं क्योंकि मेरा ख्याल है कि वहां पर चुनाव नाम की कोई चीज़ ही नहीं है और अगर है तो बिलकुल फ़रेब है। लेकिन जो कहीं इधर-उधर सुनाई पड़ता है वह कुछ ऐसी ही मिलती-जुलती चीज़ है। वहां फ़ेहरिस्तें दाखिल होती हैं और फेहरिस्तें दाखिल हो कर वोट पड़ते हैं।

श्री राम नारायण त्रिपाठी--ऐसा नहीं है।

श्री रामनरेश शुक्ल--मैं ठीक कह नहीं सकता, अगर ऐसा नहीं है तो इसी का छोटा या बड़ा भाई जरूर है। वहां के चुनाव से मेरे मित्र सहमत न होंगे और न मैं ही सहमत हूं। तो इस संशोधन से न तो जाति पांति मिटती है और न साम्प्रदायिकता ही मिटती है और न इससे यह संभव है कि अगर पहला अंश मान लिया जाय कि अगर ए लिस्ट को

अधिक वोट मिल गये तो ए लिस्ट पूरी हो गयी, उसके अन्दर चाहे अच्छे उम्मीदवार हों चाहे बुरे उम्मीदवार हों वे सब के सब हो जायेंगे। तो यह बड़ी कठिनाई है। वोटर को पूरा स्वतंत्र होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष--क्या आप अभी अधिक समय लेंगे ?

श्री रामनरेश शुक्ल--अभी दो, चार मिनट तो और लूंगा।

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २० मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोविन्द पन्त, की अध्यक्षता मे सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री रामनरेश शुक्ल--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह लिस्ट सिस्टम पर जो संशोधन मेरे लायक दोस्त पंडित रामनारायण त्रिपाठी ने रखा था उस पर मैं कुछ अपने विचार प्रगट कर रहा था और इस सिलसिले में आपके द्वारा मुझे यह प्रार्थना करनी है जैसा कि मैंने प्रारम्भ में ही कहा था कि जहां पर व्यक्तियों से समाज बहुत बढ़ जाता है और जहां पार्टियां व्यक्तियों से ज्यादा ताकतवर हो जाती हैं वहां भी एक खतरा पैदा हो जाता है और जहां व्यक्ति भी पार्टी मे ऊंचे हो जाते हैं तो वहां भी एक खतरा पैदा हो जाता है। जहां तक प्रजातंत्र का संबंध है और जिससे हमारे विरोधी दल के नेता को बड़ा प्रेम है। जब भी उनको याद आती है प्रजातंत्र की, तभी वह दो-चार बातें इस दल वालों को सुना जाया करते हैं कि यह प्रजातंत्र के रास्ते पर नहीं चलते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक मैंने समझा है प्रजातंत्र को तो इसमें मतदाता ही जो होता है वह एक अंतिम शक्ति होता है और इस संशोधन मे यदि ध्यान से देखा जाय तो इसके दो पहलू हैं। पहला तो यह कि एक मतदाता को पूरी लिस्ट को वोट देना पड़ेगा। अगर कोई ए लिस्ट को मत देता है तो चाहे वह पांच को देना चाहता हो, अथवा तीन को न देना चाहता हो लेकिन सब चुने जायेंगे और यदि वह बी को देता है तो उसमे भी सब के सब हो जायेंगे और दूसरा तरीका जैसा कि मैंने पहले कहा था वह यह है कि पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा इस फेहरिस्त में उनके सब उम्मीदवार हो जायेंगे तो यह जहां तक नम्बर्स देने का संबंध है यह किसी पार्टी के अधिकार की बात होगी कि किस व्यक्ति को कौन सा नम्बर दे। तो न चाहते हुये भी अगर दोनों कारणों से देखा जाय तो इसमें मतदाता अंतिम शक्ति नहीं रह जाता है। मतदाता इसमें गौण हो जाता है और प्रमुख हो जाता है पार्टी या उसका कोई नेता, फिर इसमें तो बड़ा भारी खतरा है और मुझे विश्वास है उपाध्यक्ष महोदय, कि विरोधी दल मे बैठने वाले मेरे मित्र प्रजातंत्र के हामी हैं वह ऐसा संशोधन लाकर कहीं उसूल की बात न छोड़ दें। यदि ऐसा हो गया तो वह खुद भी इस चीज को पसन्द नहीं करेंगे। सीधा-सादा हमारा तरीका है, खुला वोट डालने की बात है। उपाध्यक्ष महोदय, बड़ी शिकायतें हो रही हैं। जो हमारा पुराना तरीका था और जो शिकायतें थीं उनको मैं दोहराना नहीं चाहता। कभी कभी यह भी कहा जाता है कि अगर यह गड़बड़ी न हुई होती तो हमारा बहुमत ही न होता। तो अब तो खुला हुआ वोट है, आपके एजेंट खड़े रहेंगे, हमारे एजेंट खड़े रहेंगे, दूसरी पार्टीज के एजेंट्स खड़े रहेंगे। इसमें आपको अब क्या दिक्कत है ? इसकी जगह आप कहते हैं लिस्ट सिस्टम आ जाय, क्युमुलेटिव सिस्टम आ जाय, रंग आ जाय, सिम्बल आ जायं। अब तो खुला हुआ वोट रखा गया है। इसमें तो आपको शिकायत करने की गुंजाइश नहीं है। मैं यह समझता हूं कि मेरे मित्र जो यह लिस्ट सिस्टम लाये हैं वह जल्दबाजी में लाये हैं, इस पर वह पुनर्विचार करें। मैं आशा करता हूं कि वह इसको वापस ले लेंगे, इसी में उनके सिद्धांत की रक्षा है इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं।

श्री नौरंग लाल (जिला बरेली)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो संशोधन अभी सदन के सामने उपस्थित किया गया है मैं इसका विरोध करता हूं। सबसे पहला

[श्री नौरंग लाल]

विरोध इस वजह से करता हूं कि यह जो संशोधन है वह भ्रमात्मक है, दूसरी वजह यह है कि यह प्रजातंत्र के विपरीत है। तीसरा यह कारण है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता का इससे सर्वनाश होता है, चौथा विरोध का कारण यह है कि यह फासिस्टवादी प्रथा का उत्पादक होता है। पांचवां विरोध का कारण यह है कि यह अव्यवहारिक है। ये ५ कारण हैं जिनकी वजह से मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं। थोड़ा-थोड़ा हर एक विरोध के संबंध में मैं वर्णन कर देना चाहता हूं।

पहला कारण मैंने यह बतलाया था कि यह वेग है। इसका कारण यह है कि लिस्ट सिस्टम में हमेशा यह प्रणाली होती है कि जितने भी कैंडिडेट्स हुआ करते हैं, वह पार्टी लिस्ट पर खड़े होते हैं। मान लिया कोई ए टाउन है और एक बड़ी कांस्टीट्युएंसी है उसमें १५ सदस्य चुनने हैं तो हर पार्टी १५ मेम्बर्स अपनी लिस्ट में रख सकती है और उसको वह वोटर्स के सामने पेश कर सकती है और सारा शहर एक कांस्टीट्एंसी माना जाता है। अब सवाल यह पैदा होता है कि कितनी पार्टीज जो १५—१५ मेम्बर्स अपनी लिस्ट में रखेंगी यह निर्णय कौन देगा। साफ़ है सरकार करेगी। कोई दूसरा तरीका है नहीं जिससे पार्टीज़ का निर्णय हो सके। अगर सरकार करती है तब विरोधी दल के लोग यह कहेंगे कि सरकार ने उन पार्टीज को चुन लिया जो उसके माफिक है और उनको निकाल दिया जो विरोध में हैं। या फिर यह हो कि जो भी पार्टी चाहे अपनी अपनी लिस्ट १५,—१५ सदस्यों की पेश कर दे। इसमें यह होगा कि कायस्थ भी आयेंगे, ब्राह्मण भी आयेंगे, शूद्र भी आयेंगे और कम्युनलिज्म के ईविल्स (बुराइयां) फिर पनपने लगेंगे और जो मायनारिटीज़ पार्टीज़ कहलाती हैं वह पोलिटिकल पार्टीज़ न रह कर कम्युनल पार्टीज़ हो जायेंगी। स्वीटरजरलैन्ड और बाहर की मिसाल दी गई कि वहां ऐसा होता है। लेकिन इंडिया जैसे मुल्क में जहां अभी हम कम्युनलिज्म के ईविल (बुराइयों) को बिलकुल खत्म नहीं कर सके हैं वहां ऐसा करना बड़ा घातक सिद्ध होगा वहां की पब्लिक तो बड़ी हाईली डेवलप्ड होती है, वह पोलिटिकल इश्युज को समझती है, वह समझती है कि कंट्री के लिये क्या अच्छा है और क्या बुरा है। हमारी पब्लिक जो है वह इतनी रिस्पांसिबिल नहीं है। इसलिये वहां की प्रथा की बात करना, स्वीटरजरलैन्ड की प्रथा यहां कायम करना, यह चीज़ यहां लागू नहीं हो सकती। बड़ा पेचीदा सवाल तो यही है कि कौन पार्टीज आयेंगी, कौन नहीं आयेंगी। इस तरह से मैंने जैसा पहले निवेदन किया यह लिस्ट सिस्टम बड़ा भ्रमात्मक है। इसकी बुराइयों को न कांग्रेस कंट्रोल कर पायेगी और न यह हमारे दोस्त ही कंट्रोल कर पायेंगे।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि यह संशोधन जनतंत्र प्रणाली के बिलकुल विरुद्ध है। जनतंत्र में हमेशा इस बात का ख्याल रखा जाता है कि वोटर्स जिसको चुनें उसके साथ उनका सीधा संबंध हो इसमें यह संबंध बिलकुल समाप्त हो जाता है। न वोटर्स को मालूम हो सकता है कि किसको चुना गया और न चुने जाने वाले को मालूम हो सकता है कि किसने चुना। इसलिये इसमें जनता का प्रतिनिधित्व खत्म हो जाता है और जनमत का जो उसूल है कि सीधा संबंध हो वह खत्म हो जाता है। इसलिये अगर यह चीज़ इस संशोधन में मान ली जाती है तो यह जनमत के विरुद्ध हो जाती है।

एक बात और इससे होती है कि यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बिलकुल खत्म कर देता है। अगर किसी लिस्ट में तीन पार्टी हैं कांग्रेस, सोशलिस्ट और प्रजापार्टी, और उनके अलावा कोई और आदमी भी खड़ा होना चाहता है और अपनी जनता की या म्युनिसिपल बोर्ड की सेवा करना चाहता है तो वह खड़ा नहीं हो सकता है। उसका वह हक खत्म हो जाता है। अगर कोई आदमी किसी पार्टी से संबंध नहीं रखता है, न वह कांग्रेस से संबंध रखता है, न सोशलिस्ट पार्टी से और न प्रजा पार्टी से संबंध रखता है और वह अपने शहर

की सेवा करना चाहता है तो उसके लिये कोई जगह नहीं है। आप इसको ४, ५ पार्टी तक ही महदूद कर देते हैं और इसका दायरा छोटा हो जाता है। इस कारण से यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन करता है। जो आदमी अकेला खड़ा होना चाहता है तो उसके लिये कोई जगह नहीं रहती है।

यह बात डिमोक्रेसी के बिलकुल खिलाफ है। मेरे कहने का मतलब यही है कि अगर यह संशोधन स्वीकार कर लिया जाता है तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बिलकुल अपहरण हो जाता है। इसलिये इस चीज को हरगिज स्वीकार नहीं करना चाहिये।

चौथी बात यह है कि यह संशोधन इस कारण भी मानने के योग्य नहीं है कि यह फासिस्टवादी प्रथा का उत्पादक है। यही सिस्टम जर्मनी के अन्दर चला था। वहां पर तीन पार्टियां थीं। कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट डिमोक्रेट और नेशनल सोशलिस्ट। कायदे के मुताबिक किसी व्यक्तिगत आदमी को स्वतंत्रता नहीं मिलती है अगर कोई ग्लैमर फिगर है और पब्लिक उसको पसंद करती है और अगर उसका बहुत ज्यादा असर हुआ तो वह जिस पार्टी मे शामिल होगा उसे जितायेगा जो शाईनिंग फिगर होता है वह पब्लिक पर अपना असर पैदा करता है और सारे वोटर्स को अपनी तरफ खींच लेता है और जो दूसरी पार्टी रहती है वह वीक (कमजोर) हो जाती है चाहे उसके कैंडीडेट कितने ही ईमानदार क्यों न हों और उसका असर कम हो जाता है। इसका नतीजा यह होता है कि वह शाईनिंग फिगर और ज्यादा पावर मे आता जाता है और आखिर मे वह एक डिक्टेटर की शक्ल अख्तयार कर लेता है और फिर वह सारी कंट्री पर रूल करता है। जर्मनी मे भी इसी तरह से हुआ। जब वह ग्लैमर फिगर पब्लिक मे ज्यादा असर पैदा कर लेता है तो फिर बाद को वह अपनी एक पार्टी बना लेता है। और सारी जनता को अपने हाथ मे ले लेता है और बजाय उस ताकत को जनता के हाथ मे आने के सिर्फ ३, ४ आदमियों के हाथ मे वहां की पावर महदूद हो जाती है और वही फिर वहां शासन करते है। जर्मनी मे नाजी पार्टी ने जोर पकड़ा और बाद मे सारे जर्मनी को अपने हाथ मे मे ले लिया केवल हिटलर की वजह से। और इसी तरह मे उसने जनमत को अपनी तरफ खींच लिया और वहां वह डिक्टेटर बन गया और फिर जनमत की परवाह वहां नहीं हुई। यद्यपि म्युनिसिपैलिटीज़ मे इस से कोई खतरा हम को नहीं है लेकिन जहां पर सारे देश या सूबे के शासन का सवाल होता है वहां पर अगर यह शैली लाद दी जाय तो उससे सत्यानाश ही मुमकिन है। म्युनिसिपिल बोर्ड मे भी ऐसा हो सकता है एक दो ग्लैमर फिगर से अपनी पार्टी बना लेंगे और रुपया पैसा खर्च करके वह पूरी ताकत ले लेंगे। वहां भी रिश्वत चल सकती है, वह पूरा खर्च उठाकर जीत कर दिखा सकते हैं और इस तरह से फासिस्टवादी प्रथा की शुरुआत हो सकती है और उस से बहुत सी और दिक्कतें पैदा हो सकती है।

दूसरे मेरे ख्याल से यह बिलकुल अव्यवहारिक है और यह चीज म्युनिसपिल बोर्ड मे नहीं चल सकती। अगर कोई पार्टी वहां आती है जहां सूबे या मुल्क के शासन का सवाल होता है तो वहां एक हाईली डेवलप्ड पोलिटिकल पार्टी की जरूरत होती है जिस के पोलिटिकल उसूल भी बहुत साफ और क्लियर कट होने चाहिये और तभी वह पार्टी कामयाब हो सकती है लेकिन म्युनिसिपिल बोर्ड मे हाई आईडियल की ऐसी कौन खास जरूरत है? जहां पर मुल्क की गवर्नमेंट का सवाल या कोई पालिसी का सवाल होता है वहां पर इसकी जरूरत होती है लेकिन म्युनिसिपल बोर्ड में तो मामूली घरेलू मसले सफाई, सेनिटेशन, सड़कें मकान कैसे बनें यह सब होते हैं जिन में कोई खास मतभेद का सवाल ही नहीं आता है कोई ऐसे सवाल नहीं आते हैं कि जैसे कामनवेल्थ में शरीक हों या न हो, वहां कोई बड़े मसले नहीं होते हैं जो बातें वहां होती है उन में सब लोग ज्यादातर एकमत ही होते है। यहां पर आप पार्टीज़ को कैसे डिवाइड करेंगे जो चार-पाच आदमियों का ग्रुप होगा वही सब कुछ कर लेगा। यहां पर इस बात की कोई जरूरत नहीं है कि पार्टी का कोई डिवीजन हो। इसलिये मैं समझता हूं कि यह चीज़ जो चाही जा रही है वह अवैधानिक है।

[श्री नौरंगलाल]

अन्त में उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप के जरिये से निवेदन करूंगा कि चार-पांच प्वाइन्ट्स जो मैंने पेश किये उनके आधार पर मेरा ख्याल है कि यदि इस संशोधन को मान लिया जायगा तो यह इस देश में जो नई डेमोक्रेसी बन रही है उस का सत्यानाश कर देगा। हमारे यहां कांस्टीट्यूशन में जो शिड्यूल्ड कास्ट्स का रिजरवेशन रखा गया है उसी की वजह से यह प्लुरल मेम्बर्स कांस्टीटुएंसी रखना पड़ी हैं वरना यह भी नहीं रखी जाती और न यहां लिस्ट सिस्टम या क्युमुलेटिव सिस्टम की ही कोई जरूरत है। यहां तो सीधी-सादी डेमोक्रेसी चलाना है और बाहर के मुल्कों में क्या हो रहा है इसमें हमें नहीं जाना है। इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं।

श्री नारायण दत्त तिवारी---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से माननीय राम नारायण त्रिपाठी जी के संशोधन के समर्थन के लिये उपस्थित हुआ हूं। मतदान की प्रणाली पर लिस्ट सिस्टम की आवश्यकताओं के संबंध में माननीय त्रिपाठी जी ने जो दलीलें दी हैं और उन के विरोध में जिन माननीय सदस्यों ने विचार प्रकट किये उन को मैंने ध्यान पूर्वक सुनने की चेष्टा की और मुझे तो ऐसा मालूम हुआ कि हमारे माननीय सदस्यों के विचार जिस दृष्टिकोण से रखे गये थे वह एक लेखक का दृष्टिकोण था और उस में विधान वेत्ता के दृष्टिकोण की कोई झलक नहीं थी जितनी कि मैं समझता हूं कि अवश्य होना चाहिये थी। हर प्रणाली की अच्छाइयां और बुराइयां दोनों होती हैं। मैं कभी इस बात का दावा नहीं करूंगा कि लिस्ट सिस्टम में सौ फीसदी अच्छाइयाँ हैं और उस में कोई खराबी नहीं है। हर विषय में अच्छाइयां और बुराइयां होती हैं लेकिन सदस्यों ने जो विचार यहां प्रकट किये उनमें उन्होंने केवल बुराइयां ही दिखाई लेकिन अच्छाइयों की तरफ ध्यान नहीं दिया। अगर हम लिस्ट सिस्टम की अच्छाइयों और बुराइयों को एक तुलनात्मक दृष्टिकोण से देखें और अपनी परिभाषा को परिमार्जित करें तो मेरा विश्वास है कि आजकल की परिस्थिति में भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि हमारे प्रदेश के जिलों की स्थिति को देखते हुये, साक्षरता और निरक्षरता के अनुपात को देखते हुये, लिस्ट सिस्टम जो वोटिंग का है वह सबसे अनुकूल जाता है। हर प्रणाली में अच्छाइयां और बुराइयां होती है। यदि हमारे माननीय सदस्य क्युमूलेटिव वोटिंग नहीं चाहते, लिस्ट सिस्टम नहीं चाहते तो वे यह हमको बतालाते कि वह संसार की कौनसी मतदान की प्रणाली को मानते हैं। माननीय नौरंगलाल जी ने बतलाया कि एक कंस्टीट्यूएंसी, १ वोट, १ मेम्बर, इस प्रणाली को वह चाहते हैं। लेकिन ऐसी कोई प्रणाली हमारे सामने नहीं है। जहां चुनाव के विधान का प्रश्न आता है मैंने तो उसमें ऐसी कोई बात नहीं देखी है। अगर मल्टी मेम्बर डिस्ट्रीब्यूटिव सिस्टम या सिंगिल मेम्बर डिस्ट्रीब्यूटिव सिस्टम कहा जाता तो हम समझ सकते थे। उनका यह कहना कि इससे प्रजातंत्र का सत्यानाश हो जायगा, यह अव्यवहारिक है या स्पष्ट नहीं है, यह मैं समझता हूं कि आज की स्थिति में कोई दलील नहीं है। हर एक मतदान प्रणाली के अपने अपने तरीके होते हैं और अपने अपने व्यवहार होते हैं।

माननीय मंत्री जी ने भी माना कि लिस्ट सिस्टम को व्यवहार में लाने के तरीके होते हैं। जैसा कि सिंगिल मेम्बर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसके भी व्यवहार में लाने के तरीके होते हैं। माननीय मंत्री ने कहा था कि युरोपीय मुल्कों में लिस्ट सिस्टम की प्रणालियां हैं। कहीं तो उनमें पार्टी के उम्मीदवारों को वोट दिये जाते हैं और कहीं पार्टियों को वोट दिये जाते हैं और पार्टी लिस्टें बाद में देती हैं। मैं उनको बताऊं कि खासतौर से पिछली लड़ाई के यानी हिटलर के पहले जो प्रजातंत्र में चुनाव होते थे, वहां म्युनीसिपल चुनावों में पार्टियों को वोट दिये जाते थे, सोशलिस्ट डैमोक्रेटिक पार्टी, या नैशनलिस्ट पार्टी या कम्युनिस्ट पार्टी। पार्टियों के बक्स होते थे। इसी प्रकार बेल्जियम में होता था। वहां लिस्टें पार्टियां देती थीं लेकिन मतदाता को इस बात का अधिकार था कि वह चाहे तो सारी पार्टी की लिस्ट को वोट दे और अगर वह चाहे तो किसी व्यक्ति विशेष को छोड़कर भी वोट दे

सके। अगर इस प्रणाली को नौरंगलाल जी देखते तो उन्हें यह शिकायत करने का मौका नहीं मिलता कि लिस्ट सिस्टम वेग रहता है। उसके तीन तरीके होते हैं और यदि वह उसे अच्छी तरह से सोचते तो वह यह मानते कि किसी भी तरीके से लिस्ट सिस्टम अपनाया जा सकता था। मेरे ख्याल से बेल्जियम का सिस्टम हमारे लिये सबसे अच्छा होगा। जैसा कहा गया कि वहां पार्टी को वोट देने में फ्री थिंकिंग की गुंजाइश नहीं रहती, ऐसी बात नहीं है। स्विटजरलैन्ड में ऐसा होता है कि केवल पार्टी को ही वोट दिया जाता है, किसी विशेष व्यक्ति को वोट नहीं दिया जा सकता।

यह बात मै मानता हूं लेकिन बजाय स्वीजटरलैंड की प्रणाली अपनाने के, बजाय जैसा कि युद्ध के पहले जर्मनी में प्रणाली थी उसे अपनाने के बेलजियम की प्रणाली अपनायी जाती तो ज्यादा एतराज नहीं होता। श्रीमन् माननीय मंत्री जी लगातार बराबर इस सदन के सामने चार पांच दिन से बतलाते रहे है कि हमारे प्रदेश की जनता इतनी निरक्षर है कि वह अच्छी तरह से इस जिम्मेदारी को नहीं महसूस कर सकती है। इस बात को माननीय मंत्री जी स्वयं मानते है कि हमारे देश का स्तर और प्रजातांत्रिक भावनाओं के कार्य करने का स्तर जनता का इतना ऊंचा नहीं हो पाया है। और यहां पर तो हमने यह भी देखा है कि मतदान जिस प्रकार से होना चाहिये यानी पार्टी के कार्यक्रम के अनुसार वोट देने की जो लोगो की प्रवृत्ति होनी चाहिये वह यहां पर अनिवार्यतः और बहुत अंश तक लापता है और माननीय मंत्री जी ने स्वयं जातिवाद के बारे मे बतलाया है

श्री मोहनलाल गौतम—मेरा ख्याल है कि जिस वक्त म बोल रहा था उस वक्त शायद माननीय सदस्य सुन नहीं रहे थे। जिस तरह से वे बात को पुट कर रहे हैं वह बिलकुल गलत है। मैने इस तरह की बात नहीं कही थी।

श्री नारायण दत्त तिवारी—आपने क्या कहा?

श्री मोहनलाल गौतम—मैंने कमियों के बारे मे कहा कि किसी तरह की कमी हो सकती है। लेकिन आप तो जनरलाइज कर रहे है कि तमाम स्तर नीचा है, यह है, वह है, यह डिस्टोर्शन आफ फैक्ट्स है।

श्री उपाध्यक्ष—माननीय सदस्य अपना भाषण जारी रखें।

श्री नारायण दत्त तिवारी—श्रीमान्, मै जातिवाद के बारे में कह रहा था। मै समझता हूं कि माननीय मंत्री जी ने तो क्युमुलेटिव सिस्टम आफ वोटिंग के मौके पर काफी रोशनी डाली और ब्राह्मण वगैरह के बारे मे १०, १५ मिनट तक बतलाया। फिर मैं नहीं समझता कि इसमें डिस्टोर्शन आफ फैक्ट्स क्या है। जो आपने कहा था उसी को मैंने बहुत सुन्दर शब्दों में कह दिया। मेरा कहना केवल यह है कि अगर उनका विचार ऐसा नहीं है तो कम से कम मेरा विचार तो ऐसा है ही। आज जिस प्रकार से मतदान होते है उसमें अधिकांश मतदाता पार्टी कार्यक्रम के अनुसार वोट नहीं दे पाते। किसी जाति के आधार पर या किसी व्यक्ति विशेष के प्रभाव में आकर ही उनको वोट देने की प्रवृत्ति हो जाती है। हमारी परम्पराएं इतनी सुदृढ़ नहीं जिसके द्वारा वे चुनाव घोषणापत्र को देख कर अपना वोट दे सकें। इसलिये आज हमारे प्रदेश में ही नहीं बल्कि सारे भारतवर्ष में इस चीज को करना है कि हम जनता को प्रजातांत्रिक मनोवृत्ति की तरफ ले जायं, जनता को पार्टी के प्रोग्राम को समझाने की चेष्टा की ओर ले जायं और इसलिये यह आवश्यक है कि लिस्ट आफ वोटिंग की चीज यहां पर हो। जब जनता यह जानेगी कि हमे पार्टी को वोट देना है, लिस्ट को वोट देना है तो जनता के लिये यह आवश्यक हो जायगा कि वह पार्टी प्रोग्राम को देखे और पार्टी प्रोग्राम को देख कर अपनी मनोवृत्ति बनावे। इससे जातिवाद और किसी व्यक्ति विशेष के प्रभाव में आकर वोट देने के बजाय पार्टी के दृष्टिकोण से देखने की प्रवत्ति बढ़ेगी।

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

श्रीमान् यहां पर ग्रेट ब्रिटेन के चुनाव का हवाला दिया जाता है। वहां पर काउन्टी वगैरह का जो चुनाव होता है वह सिंगल मेम्बर डिस्ट्रिब्यूटिंग सिस्टम आफ वोटिंग के अनुसार होता है और हम अपने यहां लोकल बाडीज मे मल्टी मेम्बर डिस्ट्रिब्यूटिंग सिस्टम आफ वोटिंग चाहते हं लेकिन हमे यह भी देखना है कि ग्रेट ब्रिटेन में जो प्रजातांत्रिक परम्परायें हं वे आज की नहीं हैं बल्कि शताब्दियों पहले की हैं। ब्रिटेन के जो रहने वाले हैं, जो वहां के नागरिक हैं उनके मस्तिष्क मे चुनाव के संबध मे जो भावनायें होती है वे तो बड़े ऊंचे स्तर की होती हैं और वे प्रोग्राम को लेकर चलते हैं। लेकिन हमारे यहां अभी वैसी भावनायें नहीं हो पायी हैं। हमारे यहां के लोग अभी उतना नहीं समझ पाये हैं और ग्रेट ब्रिटेन में स्थिति को राजनैतिक दृष्टिकोण से देखने की भावना होती है जो कि हमारे यहां नहीं होती है। जब हमारे यहां के मतदाता मतदान करने जाते हैं और उनसे हम बातचीत करते हैं तो देखते हैं कि वे किस प्रकार कार्यक्रम से परे होकर जातिवाद के चक्कर मे पड़कर वोट देते हैं। इसलिये मैं लिस्ट सिस्टम आफ वोटिंग को अपनाने की बात अनिवार्य समझता हूं। श्रीमन् फ्रांस में भी ऐसा ही होता है

फ्रांस मे जब नैपोलियन थर्ड का पराभव हुआ उसके बाद और जर्मनी द्वारा १८७१ के महत्वपूर्ण युद्ध जीतने के बाद और फ्रांस के पराभव के बाद जब वहां प्रजातांत्रिक प्रणाली का समावेश हुआ उस समय फ्रांस की प्रजातांत्रिक सरकार ने और वहां की तमाम पार्टियों ने मिल कर अपने एलेक्शन के विधान में इस बात को स्पष्ट किया कि हम लिस्ट सिस्टम के अनुसार चुनाव प्रणाली को चलायेंगे और सन् १९२७ तक लगातार फ्रांस मे जितनी भी म्युनिसिपैलिटीज और लोकल बाडीज के चुनाव होते रहे वह लिस्ट सिस्टम के अनुसार होते रहे। श्री मान जी आपकी आज्ञा से मै सदन के सामने रखना चाहता हूं कि फ्रांस में १९१९ में एलेक्टोरल ला क्या था।

"The electoral law of 1919 provided for a block system of voting by departments, and contained the three following rules for the distribution of the seats :

(1) the candidates obtaining an absolute majority of the votes cast are declared elected; (2) in districts where all the candidates are not elected by an absolute majority each list is assigned as many seats as its average is contained in the electoral quotient; and (3) if there are still more undistributed seats, these are assigned to the list having the highest average."

तो इस सिलसिले मे फ्रांस में कितनी प्रगति हुई इस लिस्ट सिस्टम के जरिये से, जो उन्होंने अपने लिये तरीका निकाला। तरीका माननीय मंत्री जी निकाल सकते हैं लेकिन सिद्धांततः लिस्ट सिस्टम को मान लेना ही चाहिये और इस लिस्ट सिस्टम से फ्रांस में किस प्रकार चुनाव पद्धति परिष्कृत हुई यह इससे स्पष्ट होता है--

"From the stand point of popular interest in elections it is important to note that both the single member district system and the list system used in France encouraged the formation of party blocks."

यानी पार्टियों के रूप में जनता ने अपनी भावनाओं का समावेश करने के लिये पार्टी ब्लाक्स बनाये और यह लिस्ट सिस्टम में आसानी से बढ़े। मै यह जानना चाहता हूं कि पिछले चुनाव के मौके पर क्या हमको यही अनुभव नहीं हुआ और कई बार बल्कि यह तो सब पार्टियों की तरफ से कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी कहा गया कि स्वतंत्र उम्मीदवार के के क्या अर्थ हैं और हमें इस प्रकार की प्रवृत्ति को नहीं बढ़ने देना चाहिये। क्योंकि जो व्यक्तिवादी होते है उनको बहुत हद तक ऐसे माध्यम ढूंढने पड़ते हैं जो जाति से बिरादरी से संबंध रखते हैं। किसी प्रोग्राम से संबंध नहीं रखते। इस लिये यह अत्यावश्यक

हैं कि हमें इस प्रदेश से इस प्रवृत्ति को रोकने के लिये विशेष रूप से प्रयत्न करना चाहिये और विशेष कर शहरों में क्योंकि आज जो शहर होते हैं वही देहातों का नेतृत्व करते हैं। आज की स्थिति में चूंकि शहर ही देहात के केन्द्र होते हैं और वहां से ही जाति बिरादरी की भावना बढ़ने वाली है इसलिये पार्टी सिस्टम की तरफ ज्यादा प्रवृत्ति हो यह मैं श्रीमन् चाहता हूं और इस लिये मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जो फ्री थिकर्स का सवाल है और जो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके लिये उन्होंने कहा कि वे पार्टियों में नहीं जाना चाहते और वह पार्टियों के चक्कर से दूर रहना चाहते हैं उनके लिये तो मैं श्रीमन् माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इस प्रकार के ईमानदार और योग्य व्यक्तियों को स्वतंत्र रूप से खड़े होने की प्रवत्ति को रोकने की चेष्टा करें। आज देश में क्या हो रहा है। यह बात सही है कि योग्य और ईमानदार व्यक्ति पार्टियों से दूर रहने की कोशिश करते हैं क्योंकि पार्टियों में बड़ी गन्दगी है और इसलिये पार्टियों में नहीं जाना चाहते और इससे हमारे राजनीतिक आंदोलन में स्पष्टता नहीं आ पाती। हमें चाहिये कि हम चुनाव के विधान को ऐसा करें, ऐसा मौका दें कि ईमानदार व्यक्ति अपने विश्वास के अनुसार जिस राजनीतिक पार्टी में चाहें जाय।

राजनीतिक पार्टियों में जो आपस का झगड़ा है वह योग्य और ईमानदार आदमियों के आने से कम होगा और हमारी वैधानिक योग्यता और राजनीतिक पार्टियों की परम्परायें और अच्छी और परिष्कृत होंगी। तो बजाय इसके कि हम इस बात की चेष्टा करें कि ऐसी मतदान प्रणाली रखें जिससे योग्य और ईमानदार आदमी व्यक्तिगत रूप से खड़े हों हमें ऐसी योजना बनानी चाहिये जिससे योग्य और ईमानदार आदमी राजनीतिक पार्टियों में आयें।

मैं, श्रीमन् अपने मित्र माननीय राम नरेश शुक्ल की तरह भविष्यवाणी नहीं कर सकता कि लिस्ट सिस्टम अगर होता तो कौन जीतता और आगे के लिये भी भविष्य वाणी नहीं करना चाहता कि अगर लिस्ट सिस्टम हो जाय तो कौन जीतेगा। मुझे कोई एतराज नहीं है अगर आप ही जीतें। लेकिन मैं यह कहता हूं कि हम और आप ऐसी परम्पराओं पर पद्धति का प्रयोग करें जिससे कि जनता की अधिकाधिक अपने राजनीतिकरण और जैसी कि हमारी योजनायें हैं उनके अनुसार कार्य करने की शक्ति बढ़े उनकी समझने की शक्ति बढ़े। लोग समझते ही नहीं हैं कि क्या कार्यक्रम है और क्या योजनायें हैं, क्या उन पार्टियों का उद्देश्य है। श्रीमन्, इसी लिये लिस्ट सिस्टम आफ वोटिंग के समर्थन में मैं अपना छोटा सा निवेदन रखना चाहता हूं। इसके साथ ही साथ जब मैं माननीय नौरंगलाल जी का भाषण सुन रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि उन का यह विचार है कि लिस्ट सिस्टम आफ वोटिंग के जरिये तो लोकल बाडीज में कहीं वोट होते ही नहीं। अगर होते हैं तो पारलियामेंट और असेम्बली के लिये होते हैं।

श्रीमन्, मैं उनसे निवेदन करूं जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बतलाया कि चार मुल्कों में लिस्ट सिस्टम के अनुसार लोकल बाडीज में एलेक्शन होता है। इसके अलावा जर्मनी में हिटलर के प्रादुर्भाव के पहले और उसके जमाने में भी लोकल बाडीज का चुनाव लिस्ट सिस्टम से होता था। फ्रांस में १९२७ तक होता रहा और अब भी जब कि सिंगल मेम्बर डिस्ट्रिब्युटिव सिस्टम है तब भी वहां सेकेन्ड बैलेट की व्यवस्था है। तो यह कह देना और यह मान लेना कि सारे प्रांत की कांस्टीटुएंसी हो जायगी, क्योंकि माननीय मंत्री जी का यह विचार है कि लिस्ट सिस्टम को मान लेने से सारे प्रांत की कांस्टीटुएंसी हो जायगी। सारे प्रांत की कांस्टीटुएंसी कैसे होगी? यह लोकल बाडीज का चुनाव है।

श्री मोहन लाल गौतम--मैंने यह नहीं कहा।

श्री नारायण दत्त तिवारी--आपका अर्थ यही था।

श्री मोहन लाल गौतम--नहीं समझे।

श्री नारायण दत्त तिवारी--आपका अर्थ यही था। माननीय नौरंग लाल जी ने यह भी कहा कि यह इसलिये प्रजातांत्रिक पद्धति के विपरीत है क्योंकि प्रतिनिधि को पता नहीं चलेगा कि वोटर कौन है और वोटर को पता नहीं चलेगा कि प्रतिनिधि कौन है। मैं तो इसको स्पष्ट रूप से समझ नहीं सका। वह तो उस पार्टी का प्रतिनिधि होगा पार्टी का उम्मीदवार होगा और पार्टी अपना कार्यक्रम मतदाताओं के सामने रखेगी। मतदाताओं को यह मालूम होगा कि फलां पार्टी की यह लिस्ट है। तो फिर कैसे माननीय नौरंग लाल जी को शिकायत है कि वोटरों को मालूम नहीं होगा कि हमारा यह प्रतिनिधि है। क्योंकि लिस्टें तो पार्टीज बनायेंगी और ऐसा भी नहीं है कि वह लिस्ट को छिपा रखेंगी। लिहाजा जनता के सामने यह आयेगा कि किस किस पार्टी की तरफ से कौन कौन उम्मीदवार हैं। और जनता उनको वोट देगी। लेकिन जाति के नाम पर नहीं, व्यक्तिवाद के नाम पर नहीं, रिश्तेदारी के नाम पर नहीं बल्कि पार्टी प्रोग्राम के नाम पर। उसमें ठाकुर, ब्राह्मण और कायस्थ का सवाल नहीं होगा। अगर हमें जाति वाद की भावनाओं को खत्म करने में सक्रिय होना है, तो हमारे सामने आज मौका है कि हम इस संशोधन को स्वीकार करके कि जो हमारी भावनायें हैं, और इस सदन के माननीय सदस्यों की भावनायें हैं इस को पूरा करने के लिये लिस्ट सिस्टम के सिद्धांत को माने। और जैसा कि मैंने निवेदन किया इससे यह मतलब लगा लेना कि इसमें कान्स्टीटुएंसी में घपला हो जायगा, मतदाताओं की स्थिति भ्रम में हो जायगी और माननीय मंत्री जी ने कहा कि स्वतंत्र रूप से व्यक्तिगत रूप से लोगों को खड़े होने का मौका नहीं मिलेगा, मैं कहता हूं कि ऐसी बात नहीं है। मैंने तो श्रीमन्, देखा है कि ऐसे लोग जो किसी पार्टी में नहीं हैं वह अपने इंडिविजुअल ग्रुप शहर के अन्दर बना लेते हैं, नागरिक दल या सिविल पार्टी, इस प्रकार की बातें हुई हैं। अब भी होती हैं। और पहले भी हुई है कि म्युनिसिपैलिटी में नागरिक संघ बना कर चुनाव लड़ लिया ; क्योंकि अब व्यक्तिगत रूप में खड़े होने वाले उम्मीदवार भी यह समझ गये हैं कि व्यक्तिगत रूप में जीतना मुश्किल होता है पार्टी के मुकाबिले में। मैंने तो यह देखा है कि हमारे यहां स्वयं नागरिक सभा के नाम से स्वतंत्र लोगों ने मोरचा लिया। लिस्ट सिस्टम में तो जो स्वतंत्र उम्मीदवार होते हैं वह भी फ्री थिंकर के ग्रुप में शामिल होकर एलेक्शन लड़ सकते हैं। वह अपनी एक स्वतंत्र पार्टी बना सकते हैं और अपना म्युनिसिपल प्रोग्राम ले कर वह पार्टी बना सकते हैं। तो मैं यह नहीं मानता कि पार्टी विशेष के लोग इस सिस्टम के अनुसार वोट नहीं दे सकते।

इसके साथ ही साथ बेल्जियम के चुनाव के संबंध में कुछ कहना चाहता हूं क्योंकि माननीय मंत्री महोदय ने जब विरोध किया तो बतलाया कि छोटे-छोटे मुल्क हैं नार्वे, बेल्जियम, स्वीडन और स्विटजरलैंड, इनसे हमारा क्या मुकाबिला ? वह तो हमारे प्रदेश के मुकाबिले वह तो हमारे देश के के बराबर भी नहीं है। पर हमें यह ध्यान रखना चाहिये कि हम लोकल बाडीज के बारे में विचार कर रहे हैं, प्रांतों की या पार्लियामेंट की या देश व्यापी चुनावों की बात नहीं कर रहे हैं। ऐण्ट्वर्प, बेल्जियम की राजधानी है और मैं समझता हूं उसकी आबादी लखनऊ से ज्यादा है। दीहेग, ऐम्सटर्डम या स्वीडन की राजधानी स्टाकहोम इन सब की आबादी हमारे उत्तर प्रदेश के बड़े से बड़े शहर से कम नहीं है। तो यहां पर तो लोकल बाडीज सिस्टम आफ वोटिंग की बात हो रही है और अगर गैर मुल्कों से मुकाबिला करना है तो हमें यह देखना चाहिये कि लिस्ट सिस्टम उन बड़े शहरों की म्युनिसिपैलिटी या कारपोरेशन के लिये किस प्रकार कंडक्ट किया जाता है और उनसे हमें अनुभव लेना चाहिये। मैंने देखा कि बैल्जियम की चुनाव प्रणाली तो बहुत परिष्कृत रही है और संसार में एक अपना स्थान रखती है, क्योंकि जमाने से, अर्से से इतिहास में भी उनको युद्ध का मौका कम मिला है। शान्तिपूर्ण तरीके से उनको अपनी उन्नति करने का मौका मिला है। इसलिये वह अपने चुनाओं को अच्छा बना सके हैं। तो वहां की जो प्रणाली है वह इस प्रकार है। उसका जो फारमूला है वह प्रो० डि हांट आफ घेंट ने बनाया था जोकि इस प्रकार है--

"The number of representatives returned from each district varied from 3 to 26. In assigning seats to the various lists in a given constituency a special quota was used which allotted at once just the right number of seats. This quota was obtained by dividing the total vote of each list in turn by 1, 2, 3, 4, etc. The resulting quotients were arranged in the order of their magnitude and the seats were assigned to the highest quotients. This is the same as saying that the first seat was given to the list with the largest vote, and each additional seat went to the list which would have with that seat the highest average vote per seat. The D'Hondt quota was the last quotient for which an assignment was made. That this system is very fair in the assignment of seats within a given district is evidenced by the fact that it has been copied widely in Europe."

तो सारे यूरोप में जो लोकल बाडीज के लिये प्रो० डिहांट का फारमूला था उसको स्वीकार किया गया। इससे यह हुआ कि ऐसी पार्टियों को भी आगे बढ़ने का मौका मिला जिनका प्रोग्राम सही था। यानी हमारे माननीय मंत्री जी तो यह नहीं चाहते कि हमारे प्रदेश के अन्दर या भारतवर्ष के अन्दर कोई एक ही पार्टी पनपे। वे स्वयं चाहते हैं कि स्वस्थ विरोधी दल की आवश्यकता है। वह चीज इस लिस्ट सिस्टम में ही मौजूद है जिस तरह का सिस्टम कि बेल्जियम में है। मैं बेल्जियम के लिस्ट सिस्टम को आदर्श इसलिये मानता हूं कि वहां व्यक्तिगत उम्मीदवारों को भी वोट देने की गुंजाइश है और इस प्रकार जो शंका माननीय नौरंगलाल जी की थी वह समाप्त हो जाती है। तो जो फारमूला लिस्ट सिस्टम का सभी शान्तिप्रिय देशों ने अपनाया है तो हमें भी उससे सबक लेना चाहिये कि हम भी उसके अनुसार कार्य करें।

इससे एक और भी फायदा होता है। इसका हमें उदाहरण फ्रांस में मिलता है। वह यह कि पहले जब कि सिंगल डिस्ट्रीब्यूटिव मेम्बर सिस्टम था तब तो मतदाता कम आते थे पोलिंग स्टेशन पर वोट देने के लिये लेकिन जब से फ्रांस में लिस्ट सिस्टम का अनुकरण किया गया, इस पद्धति के अनुसार वोटिंग शुरू हुई तो वहां पर आश्चर्यजनक रूप से मतदाता आये। इसकी मिसाल मैं मंत्री जी के सामने आपकी आज्ञा से रखना चाहता हूं कि जिस समय सारे फ्रांस में सन् १९२४ के एलेक्शन की बात आयी थी उसमें एनालाइज किया गया कि किस तरह से लिस्ट सिस्टम की वजह से वोट देने के लिये ज्यादा लोग आये। तो इसलिये यह तो और आवश्यक हो जाता है कि अगर इस प्रकार की प्रवृत्ति को प्रेरणा देंगे तो हमारे यहां भी लोगों की स्वाभाविक इच्छा होगी और वह अधिक से अधिक तादात में वोट देने आयेंगे--

"To what extent was the high poll in 1924 due to the list system of voting? The hybrid election law of 1919 did not operate the same in all parts of the country so it is hazardous to offer any generalization. In certain departments where all the candidates were elected by absolute majorities under both the list and the district systems, it appeared that voting was encouraged by the first trial of the new system but not by the second."

तो जो मैंने बतलाया कि अगर बैल्जियम वाले फारमूला को हम यहां पर प्रयुक्त करेंगे तो मुझे पूरा पूरा विश्वास है कि माननीय मंत्री जी की जो धारणायें हैं वह निर्मूल साबित होंगी और जो उनकी वास्तविक इच्छा है वह सामने आयेगी। श्रीमन् मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, काफी मैं कह चुका हूं। स्विटजरलैंड में, प्रशा में सक्सोनी में हर जगह यह लिस्ट सिस्टम लोकल बाडीज के चुनाव में कामयाब हुआ है और जैसा कि मैंने पहले कहा कि माननीय मंत्री जी इसकी अच्छाइयों की तरफ ध्यान दें। उनको एक यह भी गलतफहमी हुई कि लिस्ट सिस्टम के अनुसार कम्यूनल पार्टीज को भी मौका मिलेगा कि कम्यूनल पार्टीज भी खड़ी हो सकें। मैं कब नहीं कहता कि

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

कम्यूनल पार्टी को मौका नहीं मिलेगा। लेकिन जब हम कम्यूनल पार्टीज में विश्वास रखने वाले को मतदाता मान लेते हैं, उसको मेम्बरी के लिये खड़े होने का अधिकार देते हैं और डिस्क्वालिफिकेशन में कहीं यह नहीं है जो विधेयक हमारे सामने रखा है कि कम्यूनल पार्टी में या जातिवाद में विश्वास रखने वाले मेम्बर या जातिवादी संगठनों का मेम्बर वोटर नहीं हो सकता, या मेम्बरी के लिये खड़ा नहीं हो सकता। तो हम कहां इस सिद्धांत को मानते हैं कि जो कम्यूनल पार्टीज का मेम्बर है वह वोटर या मेम्बर नहीं हो सकता। माननीय मंत्री जी तो उस प्रसंग को स्वयं ले आये। लिस्ट सिस्टम के विरोध में यह प्रश्न उठाना कि साम्प्रदायिक संस्थाओं के लोग भी इसमें खड़े हो जायेंगे मैं समझता हूं कि यह दलील उचित नहीं होगी। अगर माननीय मंत्री जी ने अपने इस विधेयक में इस तरह की कोई गुंजाइश रखी होती कि कम्यूनल पार्टी के लोग खड़े नहीं हो सकते तो मैं समझता कि लिस्ट सिस्टम के अनुसार तो ऐसे लोग भी खड़े हो सकते हैं। पिछले आम चुनाव में तो जाति वाद के नाम पर खड़े हुये लोगों को भी सिम्बल दे दिये गये थे। उन्होंने चुनाव लड़ा और बहुत जगहों पर वे जीते भी। आज मध्य भारत और राजस्थान के अन्दर उनका बड़ा मजबूत विरोधी दल भी है। तो यह मानकर चलना कि लिस्ट सिस्टम से साम्प्रदायक भावनाओं को तरक्की मिलेगी और यह कहना कि लिस्ट सिस्टम से जातिवाद या जातिवादी पार्टियों को भी मौका मिलेगा और इस लिये इसका विरोध करना, मैं उपयुक्त नहीं समझता। तो मैं श्रीमन्, फिर माननीय मंत्री जी से नम्रता पूर्वक निवेदन करूंगा कि आज जब कि हमारे इस प्रदेश में प्रजातंत्र एक नवजात शिशु की तरह पालने में हिंडोलन ले रहा है, जब कि हमारे प्रांत की कोटि-कोटि जनता अभी तक प्रजातंत्र की भावना में मंज नहीं पाई है, और जब कि हमारे प्रदेश के लक्ष्य-लक्ष्य मतदाता राजनीतिक कार्यक्रमों की पद्धति को समझ नहीं पाये हैं तो हमारे लिये यह जरूरी है कि हम लिस्ट सिस्टम को अपनायें। आज चुनाव जीतने के दृष्टिकोण से नहीं, या चुनाव लड़ने या हारने के दृष्टिकोण से नहीं, चुनाव को अखाड़ा या मल्लयुद्ध का स्थान समझने के दृष्टिकोण से नहीं, वरन् चुनाव राजनीतिक पार्टियों के कार्यक्रमों को अधिक स्पष्ट करने के लिये और जनता को इस लायक बनाने के लिये कि वह इसको अंगीकार कर सकें, लिस्ट सिस्टम को अपनाना चाहिये।

इन शब्दों के साथ मैं सदन से फिर आशा करता हूं कि वह इसको प्रतिपादित करे और मंजूर करे।

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा (जिला गोरखपुर)—मान्यवर, आप की अनुमति से मैं माननीय रामनारायण त्रिपाठी जी द्वारा पेश किये गये संशोधन का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। इसके साथ ही श्रीमन् मैं समझता हूं कि मैं उन्हें धन्यवाद भी दूं कि उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के ऊपर विचार करने का हम को अवसर दिया है। मैं चाहता यह हूं कि इस समस्या पर केवल दलगत भावना से प्रेरित न होकर केवल यह सोचकर कि चूंकि कांग्रेस के लोग विरोध कर रहे हैं, या यह सोचकर कि चूंकि समाजवादी लोगों ने इसे पेश किया है, हम इसे बहुत ही छिछले ढंग से न सोच लें। चीज महत्वपूर्ण हो सकती है हर एक प्रजातंत्रवादी समाज के लिये कि किस प्रकार से जनमत का प्रदर्शन हो, उसका उपयोग हो और सदुपयोग हो लेकिन इसके साथ ही साथ हमको चुनाव के संबंध में जो इतिहास यहां पर उपस्थिति किया गया है और उसका जो ऊहापोह हुआ है उसपर भी थोड़ा सा विचार कर लेना होगा। माननीय श्री नारायण दत्त जी ने बेल्जियम फ्रांस इत्यादि की बहुत सी बातें बतला दीं। मुझे थोड़ा दुःख है कि उन्होंने उस समय की बेल्जियम की प्रणाली का जिक्र किया जिस समय बेल्जियम की लालटैनें हमारे यहां बहुत बिका करती थीं और बहुत मशहूर हुआ करती थीं। वह जमाना बीत गया। आज मैं पूछना चाहता हूं सदन से, कि जब से समाज में नये प्रकार का विघटन हुआ है, प्रजातंत्र की नयी धारा

बह चली है, कौन सा ऐसा देश है जिसने की लिस्ट सिस्टम को अपनाया है, जिसने नया संविधान बनाया है और साथ ही साथ लिस्ट सिस्टम रखा है।

रूस का एक विचित्र उदाहरण है। आजकल की दुनियां में इस विचार से कि और प्रगतिशील दल न पनपे, उसने ही केवल एक ऐसा अद्भुत सिस्टम निकाला है। वहां तो केवल एक ही दल और एक ही पार्टी रहती है। इसके साथ ही जो पुराना तरीका चुनाव का है, खासकर म्युनिसिपैलिटी के संबंध में, वह हम सभी जानते हैं कि म्युनिसिपैलिटी हिन्दुस्तान की नहीं, यूरोप की नहीं, युनान की एक चीज है। म्युनिसिपम् शब्द से आज हमने म्युनिसिपैलिटी शब्द ग्रहण किया है। वहां पर पुरानी यूनानी सभ्यता में चुनने का एक तरीका हुआ करता था और वह ब्लैक बाल और सुफेद बाल का हुआ करता था। जो वोट दे वह जिस को वोट दिया जाय उसको जाने, और वोट जिसको दिया जाय वह वोट देने वाले को जाने कि कौन उसको वोट दे रहा है। धीरे-धीरे उसमे परिवर्तन होता गया। जब माननीय नारायण दत्त जी ने यह कहा कि इंगलैंड की प्रणाली पहले पनपी, तो मैं उनसे यह निवेदन करूंगा कि म्युनिसिपैलिटी के चुनाव के संबंध मे इंगलैंड की प्रणाली हम मे कुछ बहुत ज्यादा पुरानी नहीं है। इंगलैंड में सब से पहले जो बैलट से चुनाव हुआ है, मुझे अच्छी तरह से स्मरण है कि १८७० मे हुआ था और वह म्युनिसिपैलिटी के चुनाव के लिये भी नहीं बल्कि लंदन के एक स्कूल बोर्ड के एलेक्शन के लिये वह पहला मौका था जब कि बैलट का उपयोग हुआ। उसके बाद सन् १८७२ में म्युनिसिपैलिटी के चुनाव मे बैलट प्रथा का इंगलैंड मे सब से पहले श्रीगणेश हुआ। हमारा सब से पुराना म्युनिसिपल ऐक्ट, माननीय सदस्यों को मालूम होगा, बम्बई का सन् १८८८ का है, तो इस प्रकार इन दोनों जगहों के समय मे कोई विशेष अन्तर नहीं पड़ता है। इसके साथ ही साथ एक यह बात भी है कि इंगलैंड के चुनाव की प्रथा का जिक्र किया गया तो उसमे काफी परिवर्तन धीरे-धीरे बहुत समय से होते रहे और मुझे याद है और माननीय सदस्यों को शायद जानकर संतोष भी होगा कि बहुत दिन पहले की बात है, सन् १४३० ए० डी० की बात होगी, जब कि यह प्रणाली वहां पहले पहल आरम्भ हुई कि वोट वही दे जिसके पास कोई पूंजी हो, जो मकान में रहता हो, जो प्रापर्टी टैक्स देता हो या जो किसी प्रकार की क्वालिफिकेशन वोट देने की रखता हो।

यह सन् १४३० ए०डी० की बात है। तब से लेकर आज तक दुनियां यह सोचती चली आ रही है कि कौन सी ऐसी प्रणाली अपनाई जाय जिस प्रणाली से जनमत का सब से अच्छा प्रदर्शन हो सके। और इस जनमत के प्रदर्शन के संबंध में लिस्ट प्रणाली के साथ ही साथ प्रपोरशनल रिप्रेजेनटेशन का बहुत ही घना संबंध है, उसी के साथ प्रपोरशनल रिप्रेजेनटेशन की चीज भी आती है। बात कही गई बेल्जियम और फ्रांस की फ्रांस के इतिहास मे जो परिचित होंगे उनको यह मालूम होगा कि १९२७ ई० के बाद फ्रांस की जो नई विचार धारा पनपी उस विचार धारा ने जो सब से अहम बात कही वह यह कि हमारे वोट की जो प्रणाली है उसमें संशोधन होना चाहिये। ल्यूपोल्ड को गद्दी से हटाने का समाजवादियों ने आंदोलन शुरू किया और उन्होंने उसी के साथ-साथ यह नारा भी बुलन्द किया कि हमारे यहां जो मतदाताओं की प्रणाली है वह बहुत गलत है और चूंकि इस गलत प्रणाली से राइट विंगर चुने गये है अतः उन्होंने यह निश्चय किया कि ल्यूपोल्ड गद्दी पर बैठा रहे, हम इसको नहीं मानते तो यह उन्होंने वहां पर मांग की। जिस लिस्ट प्रणाली का यहां पर जिक्र किया गया उन्होंने उसका डट कर, जम कर और कस कर विरोध किया और फ्रांस में जो नई विचार धारा पनपी उस विचार धारा के पनपने के साथ सेकेन्ड बैलेट के सिस्टम को रिमूव करने की सबसे पहली कोशिश की गई और लड़ाई के बाद जो वहां कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बनी और उस कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को सोशलिस्ट पार्टी का जो योग प्राप्त हुआ था, उसने कहा कि इस प्रणाली को भी बदल देना चाहिये।

फ्रांस मे म्यूनिसिपैलिटी का चुनाव पार्लियामेंट के चुनाव से ज्यादा अहम और महत्वपूर्ण समझा जाता था। इसकी सबसे बड़ी मिसाल है कि आज पिछले करीब ७, ८ वर्षों से जितने

[श्री परिपूर्णानन्द वर्मा]

प्रधान मंत्री हुये हैं, उनमें वर्तमान प्रधान मंत्री को छोड़ कर शायद कोई प्रधान मंत्री ऐसा नहीं हुआ जो १५ या २० वर्ष तक अपनी काउण्टी का मेयर न रहा हो। वे मेयर होना अपने चुनाव के लिये इतना जरूरी समझते हैं कि प्रधान मंत्री रहते हुये भी वे मेयर बने रहते हैं। प्रधान मंत्री के लिये यह जरूरी नहीं है कि प्रधान मंत्री की गद्दी पर बैठ कर वह किसी काउण्टी का मेयर न रहे। फ्रांस में उन्होंने ऐसी प्रणाली रखी है जिस प्रणाली से म्युनिसिपैलिटी के चुनाव के द्वारा वे अपनी राजनीतिक शक्ति को भी अक्षुण रख सकें लेकिन इस प्रणाली में जो दोष हैं उनके कारण ही आज ऐसा हो गया है कि वहां न कोई सरकार टिक पाती है न कोई प्रणाली पनप पाती है। श्रीमन् आज इस संबंध में फ्रांस के जिस चुनाव का जिक्र श्री नारायण दत्त जी ने किया, इस चुनाव के जो दोष हैं वह तो हैं ही, एक तरफ कनाडा ने भी इसे ग्रहण किया और आज साउथ अफ्रीका तथा आयरलैण्ड में भी प्रपोरशनल रिप्रेजेन्टेशन की प्रथा है, टसमानिया में प्रपोरशनल रिप्रेजेन्टेशन की प्रथा है, न्यू साउथ वेल्स में है और कनाडा के म्युनिसिपैलिटी के एलेक्शन में है। साउथ अफ्रीका के म्युनिसिपैलिटी के एलेक्शन में है और आज कनाडा में जो यह प्रथा है....

मैं समझता हूं कि माननीय सदस्यों में कुछ ऐसी बातें हो रही है जिसमें सदस्यों को हंसने में आनन्द आ रहा है। यह उचित नहीं है।

यह जो नई प्रथा है जो कि कनाडा में म्युनिसिपैलिटी के चुनाव के लिये है और जिस प्रथा के बारे में कुछ ऐसा हो गया है कि वहां आज एक बहुत बड़ा आंदोलन म्युनिसिपैलिटी के सुधार के लिये पनप रहा है। आज वहां पर कन्जर्वेटिव गवर्नमेंट के बाद जो गवर्नमेंट बनी है और वह जो करना चाहती है वह यह भी है कि प्रपोरशनल रिप्रेजेण्टेशन को बदल दिया जाय। चूंकि यूरोप का बहुत जिक्र किया गया और यूरोप के बारे में बहुत सी बातें कही गई इसलिये मैंने यह उचित समझा कि योरप के बाहर का भी जिक्र कर दूं, मुमकिन है कि हमारे मित्र यह जरूरी समझें कि यूरोप के बाहर की चीजें भी टटोली जायं। तो जैसा मैंने निवेदन किया कि रूस में ऐसी गवर्नमेंट है जो कि किसी चीज में विश्वास नहीं करती है सिवाय अपनी एक प्रणाली में। इसके विपरीत कितने भी संसार के प्रगतिशील दल हैं वह यह समझते हैं कि चुनाव की प्रथा को जब तक प्रत्यक्ष न रखा जाय, जब तक डाइरेक्ट न रखा जाय, जबतक उसको किसी बाधा और बन्धन से परे न रखा जाय तब तक जनता की विचार धारा का पोषण नहीं हो सकता, वह पनप नहीं सकती। मेरे एक मित्र ने यहां पर यह बताया कि यदि स्वीटजरलैण्ड की प्रथा को हम समझ लें तो उचित होगा, चाहे स्वीटजरलैण्ड हो चाहे बेल्जियम हो। स्वेडन तो एक ऐसा देश है जो कि शायद मैं समझता हूं कि यूरोप का आदर्श देश है। स्वेडन की जो प्रणाली है उस के विषय में लोगों को बहुत बड़ी आस्था है। आज स्वीडन की जो गवर्नमेंट है उसके बारे में जो कम्यूनिस्ट देश हैं वे शिकायत यह करते हैं कि स्वीडन में हमारा प्रभुत्व इसलिये नहीं हो पाता कि वहां राइटविंगर्स प्रोपर्शनल रेप्रेजेंटेशन की बहुत बात किया करते हैं। दूसरे कम्युनिस्ट जहां किसी को दकियानूसी साबित करना चाहते हैं वह कहते हैं कि प्रोपोर्शनल रेप्रेजेन्टेशन बहुत गलत चीज है लेकिन जहां पर खुद कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है वहां पर लिस्ट सिस्टम रखते हैं।

हमारे माननीय मंत्री जी ने क्या कहा उस विषय में मेरे लिये कुछ कहना सम्भव नहीं। वह अपने पक्ष की सफाई तो स्वयं देदेंगे। मैं अन्त में केवल यही निवेदन करना चाहता हूं और बड़े जोर से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे समाजवादी भाई जो वास्तव में प्रगतिशील हैं जो समझते हैं कि कम्युनिस्ट प्रकार की विचारधारा बहुत घातक है, हमारे देश के लिये ही नहीं बल्कि संसार भर के लिये, उनको उस ओर नहीं जाना चाहिये जिस ओर जाने से फ्रांस हिचकिचा रहा है, कनाडा में उसको बदलने की कोशिश की जा रही है और साउथ अफ्रीका में उसके विरुद्ध आंदोलन चल रहा है। जहां जहां इस प्रकार की प्रथा है वहां वहां

उसका घोर विरोध किया जा रहा है। वैसी बात यहां कह कर वे अपने को ही प्रतिक्रिया-वादी न बनायें तो अधिक उचित हो।

श्री ब्रजविहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)--मैं त्रिपाठी जी के इस संशोधन को प्रस्तुत करने के लिये बधाई देता हूं क्योंकि उन्होंने इस सदन को इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर विचार करने का अवसर प्रदान किया और उसी के साथ साथ मैं माननीय नारायण दत्त जी को भी बधाई देता हूं जो भाव उन्होंने अपने भाषण में व्यक्त किये हैं उसके लिये। परन्तु मैं उसी के साथ साथ यह कहना चाहता हूं कि मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं। इसमें बहुत सी बातें माननीय नारायणदत्त जी ने बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी आदि युरोपीय देशों का मतदान प्रणाली के बारे में बताई हैं। उसका जवाब माननीय परिपूर्णानन्द जी ने उन्हीं के शब्दों में बड़े सुन्दर तरीके से दिया है और उन्होंने यह साबित कर दिया है कि जो लिस्ट वाली प्रणाली है उसका यूरोपीय देशों में भी अनुकरण नहीं किया जा रहा है केवल रूस में उसका अनुकरण किया जा रहा है। और जहां गलती से इसका प्रयोग किया जा रहा है, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बतलाया, जिन चार देशों में प्रयोग किया जा रहा है वहां भी लोग उसको छोड़ने जा रहे हैं। माननीय परिपूर्णानन्द जी ने भी इसको बतलाया।

मुझे तो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा इस सदन को यह बतलाना है कि यह प्रणाली जो मतदान की है इस पर हमको भारतीय दृष्टिकोण से विचार करना होगा और यह सोचना है कि हमारे लिये सहूलियत किस में पड़ती है। मैं यह बताना चाहता हूं कि भारत वर्ष में इस में शक नहीं कि पार्टी लाइन पर एलेक्शन कराना हमने आरम्भ कर दिया है और अभी असेम्बली के एलेक्शन हुये हैं यह एलेक्शंस भी पार्टी लाइन्स पर होंगे लेकिन उसी के साथ साथ हमको यह मानना पड़ेगा कि दलगत पद्धति हमारे यहां उतनी उन्नति नहीं कर सकी है जितनी कि विलायत में या अन्य पश्चिमी देशों में इसमें हुई है। यह मतदान का प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है। इसको सब मानते हैं, हम भी मानते हैं कि हमारी जनता उतनी शिक्षित नहीं है जितनी कि पश्चिमी देशों की है। तो हम उसके लिये करें क्या। यह लिस्ट सिस्टम का संशोधन जो प्रस्तुत किया गया है इसका अर्थ यह होगा जैसा कि माननीय मंत्री महोदय ने बतलाया, कि बहुत से ऐसे लोग जो उपयुक्त उम्मीदवार हों परन्तु किसी कारण से किसी पार्टी में न जाना चाहते हों तो क्या उनके लिये हम दरवाजा बन्द कर देंगे? माननीय नारायणदत्त जी ने कहा कि यह बहुत अनुचित होगा और माननीय मंत्री जी की इस बात का उन्होंने खंडन किया और यह कहा कि पार्टी लाइन्स पर ही एलेक्शंस होना उचित है।

डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और म्युनिसिपल बोर्ड्स लोकल संस्थायें हैं और इस समय हम म्युनिसिपल बोर्ड्स के ऊपर विचार कर रहे हैं। असेम्बली और स्थानीय संस्थाओं की कार्य प्रणाली में हमें भेद करना होगा। वहां पर तो केवल तीन चीज मुख्य हैं जिन पर हमें काम करना पड़ता है (१) सैनीटेशन (२) कम्यूनिकेशन और (३) एजूकेशन। असेम्बली और पार्लियामेंट में हम विधान बनाते हैं लेकिन वहां हम विधान नहीं बनाते हैं बल्कि उसको कार्य रूप में परिणत करते हैं। ज्यादातर हमारा समय इसी में जाता है कि कौन सा कार्य हम जनहित की दृष्टि से एक्जीक्यूट करें। यह बात हम करते हैं।

मेरा व्यक्तिगत विचार तो यह है कि म्युनिसिपल बोर्डस में, डिस्ट्रिक्ट बोर्डस में और पंचायतों में कभी भी दलगत रूप में इलेक्शन नहीं होने चाहिये बल्कि १० प्रतिशत जो सर्वोत्तम लोग हैं उन्हीं को इन स्थानीय संस्थाओं में हमको भेजना चाहिये। अगर हम पार्टी लाइन्स पर इलेक्शन करने लगें और कांग्रेस पार्टी और सोशलिस्ट पार्टी के लोगों को ही भेजें तो सिद्धांत का प्रचार तो हम जरूर करेंगे लेकिन मेरा ख़याल यह है कि जब हम कार्य रूप में परणित करने लगेंगे तो बहुत कठिनाई होगी और बहुत से सर्वोत्तम व्यक्ति छूट जायेंगे। वहां हम दूसरे दृष्टिकोण से कार्य करना चाहते हैं। इसलिये मैं यह कहूंगा कि यह जो संशोधन इस सदन में प्रस्तुत किया गया है वह अव्यवहारिक है।

[श्री व्रजविहारी मिश्र]

जैसा कि मैंने बतलाया कि जहां जहां डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स वगैरह के इलक्शन्स हुये हैं और म्युनिसिपल बोर्ड के तो खैर ज्यादा इलेक्शंस नहीं हुये तो वहां पर बहुत से सर्वोत्तम व्यक्ति जो थे वे छूट गये और वैसे लोग आ गये इस प्रकार वहां पर वन मैन्स रूल हो जाता है। हमारे यहां सर्वोत्तम आदमियो का मिलना मुश्किल हो जाता है मैं विरोधी दल के सदस्यों का ध्यान आकर्षित करूंगा कि उनके यहां बोर्ड्स के लिये ५० आदमी भी नहीं मिलेगे हां कांग्रेस मे तो आदमी मिल जायेगे लेकिन शायद उनके यहां न मिले और यही नहीं मै तो यह कहूंगा कि उन्होंने जो भाषण दिया इससे प्रकट होता है कि उनका खयाल यह है कि हिन्दुस्तान मे केवल दो ही पार्टी है (१) कांग्रेस और (२) सोशलिस्ट पार्टी और वह समझते है कि पार्टी लाइन्स पर ही इलेक्शन होगा। वह लिस्ट पेश करेंगे और उसी पर मतदान दिये जायेंगे तो यह बात नहीं बल्कि इलेक्शन के वक्त बहुत सी पार्टीज पैदा हो जाती है जैसे पिछले इलेक्शन मे जन संघ और राम राज्य परिषद् वगैरह पैदा हो गई और बहुत से लोग जो स्वतंत्र कहलाते थे तो उन्होने भी जातिवाद का बड़ा प्रचार किया। कोई ब्राह्मण बन गया, कोई क्षत्री बन गया और लोगों से वोट्स मांगे और हम बहुत से समाजवादी भाइयो को जानते है जिन्होने जातिवाद का प्रचार किया और इस बुनियाद पर वोट मांगते थे। व्यवहारिक रूप मे जब हम आते है तो जातिवाद की बात चलने लगती है और यह प्रश्न जातिवाद के रूप मे आजायगा और इसमे वही प्रचार होने लगेगा कि जिस चीज को हम रोकना चाहते है, हम कम्यूनेलिज्म को देश से निकालना चाहते है तो वही बात आजायगी और लोग जानते है कि जातिवाद के प्रचार से हिन्दुस्तान का सर्वनाश हो जायगा। जिस चीज को हम करने जा रहे है इससे हम जिस चीज को रोकना चाहते है उसी को प्रोत्साहन देने जा रहे है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं त्रिपाठी जी से निवेदन करूंगा कि वह इस पर गम्भीरता पूर्वक विचार करे कि जो आप भला करना चाहते है तो मेरे विचार से इसमे कोई भलाई नहीं होगी बल्कि नुक्सान ही होगा। इसलिये मेरी उनसे प्रार्थना है कि वह इसको उठा ले।

श्री चन्द्र सिंह रावत (जिला गढ़वाल)——उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर बड़ी बड़ी तकरीरे इस सदन मे कौन सिस्टम आफ वोटिंग हमारी म्युनिसिपैलिटीज के लिये अच्छा होगा दी गई। मैंने सभी माननीय सदस्यों के भाषण बड़े ध्यान पूर्वक सुने और हर एक वक्तृता की अच्छाई और उसकी गहराई तक अपने दिमाग के मुताबिक पहुंचा। मैंने देखा कि इस सदन में इस विषय पर तीन प्रकार के भाषण हुये हैं। पहले भाषण वे है जिनमे एकेडेमिकली डिसकस किया गया और यह बतलाया गया कि दुनियां मे सबसे अच्छा सिस्टम आफ वोटिंग म्युनिसिपैलिटीज के लिये कौन हो सकता है। दूसरे क्लास के भाषण वे है जिनमे यह बतलाया गया कि हिन्दुस्तान के लिये सिस्टम आफ वोटिंग कौन सा अच्छा हो सकता है परन्तु उसमे यह नहीं बताया गया कि हिन्दुस्तान के लिये आज की परिस्थितियो मे वह अच्छा होगा या आने वाले सालों मे वह सिस्टम अच्छा होगा। तीसरे क्लास के भाषण वे हुये जिनमे क्लैरिटी आफ थाट स्वच्छ और साफ नहीं थी, वह नहीं बता सकते थे कि उनके दिमाग का जो फैसला है और उनकी जो च्वायस है वह किस सिस्टम के लिये है। उसे मैं एक गूंज मूंज का सिस्टम कह सकता हूं। मै यह बताना चाहता हूं कि हमे किस सिस्टम आफ वोटिंग की जरूरत है। वह फैसला इस सदन को करना है।

मै यह बताना चाहता हूं कि पहले क्लास के भाषण जो है जिन्होंने बताया कि एकेडेमिक इंट्रेस्ट के दृष्टिकोण से कौन सा सिस्टम आफ वोटिंग अच्छा होगा रूस का अच्छा होगा, बेल्जियम का अच्छा होगा, इंग्लैंड का या जर्मनी का अच्छा होगा या स्वीटजरलैंड का अच्छा होगा। मै समझता हूं कि इस तरह के भाषण बाहर के सिस्टम आफ वोटिंग के संबंध में यहां होने ही नहीं चाहिये थे जब कि हम देख रहे है कि भारतवर्ष एक ऐसी परिस्थितियों से गुजर रहा है जिस स्टेज को हम नेसेसरी ईविल कह सकते हैं। हम जानते है कि हम

बहुत ऊंचा उठना चाहते हैं लेकिन आज की परिस्थितियां जो हमारे देश को जकड़े हुये हैं वे ऐसी परिस्थितियां हैं जिनको इतिहास का विद्यार्थी जिसने हिस्ट्री आफ दी ग्रोथ ऐंड डेवलपमेंट आफ दी सिविलिजेशन ऐंड कल्चर आफ दी वर्ल्ड का अध्ययन किया हो वही इसका हल ढूंढ सकता है। मैं इस सदन के सामने एक नया दृष्टिकोण पेश करना चाहता हूं। वह दृष्टिकोण यह है कि जानवर, पौधे, इन्सान इन सबकी विचार धारायें, उनका विधान, शासन प्रणालियां, उनके कस्टम्स, जो होते हैं वे अपने अपने देश की स्थिति पर निर्भर करते हैं उसके देश के वातावरण और आबोहवा के मुताबिक होते हैं। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि मैंने लखनऊ जू को देखा है, आजकल भी कई मर्तबा देखने गया, वे जानवर जो पहाड़ों पर बड़े खूबसूरत मालूम होते थे, पहाड़ों की चोटियों पर स्वतंत्र विचरण करते थे आज लखनऊ के जू में उनकी रोती सूरत दिखलाई देती है और उनकी सुन्दरता का दिवाला निकल गया है। जो पौधा इंग्लैंड में हरा-भरा दिखलाई देता है वह यहां रोता ही नजर आता है। इसी तरह यह ठीक है कि दुनियां के दूसरे मुल्कों में शासन प्रणालियां बहुत अच्छी-अच्छी हैं, वहां के कस्टम्स, फंक्शंस, वहां का सिस्टम आफ गवर्नमेंट बहुत ही खूबसूरत है, इसमें कोई शक नहीं। जितनी बातें सिस्टम आफ़ वोटिंग की बतलाई गई हैं और उनकी खूबियों को बताया गया मै उससे इन्कार नहीं करता हूं। लेकिन मै यह पूछना चाहता हूं कि क्या इस क्लाइमेट आफ ओपीनियन में जो कि इस वक्त हमारे देश की है वह इसमें पनप सकता है। जो वातावरण आज हमारी म्युनिसिपैलिटीज के अन्दर हैं क्या यह उनकी लाइफ को डेवलप कर सकता है। क्या उस प्रकार से यह सिस्टम डेवलेप कर सकता है जिस प्रकार से उन देशों में उस सिस्टम से वहां की लोकल संस्थाओं को डेवलप किया है। इन सब विचार धाराओं पर विचार करते हुये और इन सब बातों की, जो इस सिस्टम की हैं, खूबसूरती को देखते हुये और उसको मानते हुये हमें यह देखना है कि हमारे देश का विकास इस समय एक प्रारम्भिक स्टेज से गुजर रहा है। उस विकास के स्तर पर हमारे देश के लिये कौन सिस्टम आफ़ वोटिंग उचित होगा यह फैसला इस सदन को करना है। अगर इस प्रकार से यह सदन फैसला करता है कि समाज के विकास का जो स्तर है और हमारे देश का जो इस समय कलचरल डेवलपमेंट हो रहा है उसको अगर आप नजर अन्दाज कर देते हैं और यह सिस्टम आफ वोटिंग हमारे देश के ऊपर थोप देते हैं तो मैं यह समझता हूं कि हमारे देश की वही हालत होगी जो कि बाहर से आये हुये जू में बन्द जानवरों की है। इतना ही नहीं बल्कि आप हमारे समाज को उसी प्रकार से ढाल देंगे जिस प्रकार से आज वह जानवर जू के अन्दर मुरझाये हुये नजर आते हैं।

मै उन साथियों को धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने इस विषय को यहां पर उठा कर विवाद छेड़ा है और डिस्कस करने का मौक़ा दिया है। म यह समझता हूं कि आंखें मूद कर इस सदन को सिस्टम आफ वोटिंग पर फैसला नहीं करना चाहिये। हर विषय के पक्ष और विपक्ष की बात सामने रख कर फैसला करना चाहिये और माननीय सदस्यों के सामने वह बातें अवश्य उपस्थित कर देना चाहिये ताकि अपने मुल्क की हालत देखकर, और समाज की प्रगति को देख कर उस पर हम फैसला कर सकें कि कौन सा सिस्टम आफ वोटिंग हमारे लिये उचित होगा। इसलिये मैं यह बताना चाहता हूं कि आज जो इस अधिनियम के अन्दर यह दफ़ा रखी गई है इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुये, रखी गयी है और यह प्राविज़न इस सेक्शन के अन्दर रखा गया है। यह हो सकता है कि उतना अच्छा न हो मैं इस बात को मंजूर करता हूं लेकिन आज मजबूरी की हालत में क्योंकि हमारे समाज की हालत अभी प्रारम्भिक दशा में है, इस प्रकार का सिस्टम उचित नहीं हो सकता। आज हमारा देश ग़रीबी से जकड़ा हुआ है, मुफलिस है और वह ग़रीबी से आज़ाद नहीं है और इस प्रकार की व्यवस्था को, इस प्रकार के सिस्टम को थोप देने के नाकाबिल है। हमको इस समय अपने देश के अन्दर विकास करना है और म्युनि-सिपैलिटी के स्तर को ऊंचा उठाना है। इसलिये इस अधिनियम के अन्दर जो धारा रखी गयी है मैं उसका समर्थन करता हूं और जिन भाइयों के खिलाफ मैंने अपने विचार प्रकट किये हैं

[श्री चन्द्रसिंह रावत]
वह इन दलीलों के आधार पर किये हैं जो कि बिलकुल सही हैं। अगर फिर भी कोई सज्जन नाराज़ होते हैं तो मैं माफी चाहता हूं।

श्री शिवनारायण—श्रीमान् जी, मैं क्लोज़र मूव करने की इजाज़त चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—इस पर मैं समझता हूं कि काफ़ी बहस हो चुकी है और अब राय लेना चाहिये।

प्रश्न यह है कि अब इस संशोधन पर वादविवाद समाप्त किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री रामनारायण त्रिपाठी—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अपने संशोधन में उठाई गई दलीलों का जवाब देने के पहले मैं उन तमाम माननीय सदस्यों को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने इस विषय को सदन में पेश करने के लिये मुझे धन्यवाद दिया और साथ ही उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिन्होंने इसमें दिलचस्पी लेकर के कार्यवाही में हिस्सा लिया। उपाध्यक्ष महोदय, वादविवाद इस संबंध में काफ़ी हो चुका ह और मैं सदन का ज्यादा समय न लूंगा लेकिन दो तीन ऐसी ग़लतफ़हमियां हो गई हैं जिनको दूर करना जरूरी है। जहां तक लिस्ट सिस्टम का ज़िक्र किया गया उसमें दूसरे देशों की मिसालें भी पेश की गई, बेलजियम केनाडा, हालैण्ड और रूस वग़ैरह की लेकिन जहां तक मेरा निजी संबंध है मैं तो कुछ अंशों में नानकन्फ़ॉर्मिस्ट हूं और मैं किसी बात को चाहे वह कहीं भी लागू हुई हों एक डागमा की तरह मान लेना अपना फ़र्ज़ नहीं समझता। मैंने कहा था कि अगर इस सिस्टम को मान लिया जाय तो काफी सुधार हो सकता है और उन दलीलों की रोशनी में जो श्री परिपूर्णानन्द जी ने पेश की हैं हो सकता है कि दूसरे देशों में नतीजा कुछ और निकला हो, इसी वजह से मैंने कह दिया था कि लिस्ट सिस्टम कोई लिरिक नहीं है जिसमें कुरानशरीफ़ या वेद की तरह कोई तब्दीली नहीं हो सकती है। उसका खास आइडिया यह है कि ऐसी प्रणाली होना चाहिये कि जिससे देश और प्रदेश की जनता व्यक्तिवाद से हटकर राजनीतिक पार्टियों की पालिसी और प्रोग्राम को समझें और इस तरफ अपना ध्यान दें।

पिछले चुनाव में मुझे याद है कि अगर रोज नहीं तो तीसरे चौथे दिन देश के प्रधान मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की राय इनडिपेंडेंट केन्डीडेट्स के बारे में निकलती थी और उनका कहना था कि स्वतंत्र उम्मीदवार को वोट देना अपने वोट को बेकार करना है। मैं अगर भूल नहीं कर रहा हूं तो माननीय स्वशासन मंत्री भी इस प्रदेश के पालियामेंटरी बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी थे और उन्हीं के द्वारा यह चीजें फैलायी गई थीं और प्रचार किया गया था और अखबारों और पैम्फलेट्स के जरिये से पंडित जवाहर लाल जी के आईडियाज स्वतन्त्र केन्डीडेट्स केबारे में बताये जाते थे कि वह कभी भी देश की नीति को नहीं बदल सकते। इसलिये अगर हम स्वतंत्र उम्मीदवार की परिभाषा करें तो यही है कि जिसकी कोई पालिसी प्रोग्राम या उसूल न हो और इस वास्ते उसको प्रोत्साहन देना उचित न होगा। प्रश्न यह उठाया गया कि लिस्ट सिस्टम में इस बात पर जोर दिया जाता है कि हर आदमी कोई पार्टी ज्वाइन करे और जो सच्चे या ईमानदार लोग किसी पार्टी में नहीं आना चाहते वह भी मजबूर हो जाते हैं। यह कोई लिस्ट सिस्टम का दोष नहीं है। अगर कोई ऐसा सिस्टम है जिस पर फ़ख़्र हो सकता है तो वह लिस्ट सिस्टम ही है और यह पोलिटिकल पार्टीज़ के लिये एक जबरदस्त इनिशियेटिव होगा। किसी तरह भी वोट मिले चाहे उन्हें किसी सैक्टेरियन कैंडिडेट को लेकर ही आगे बढ़ाना हो। अगर लिस्ट सिस्टम मान लिया गया तो हर पार्टी को सोचना पड़ेगा कि हम ऐसे इंडिविजुअल कैंडिडेट्स को मौक़ा दें जो कि हमारी पार्टी में आवें। हमारा विश्वास है कि बहुत से ऐसे लोग

हैं जो पोलिटिकल पार्टीज की दलबन्दी में आना नहीं चाहते लेकिन उन्होंने काफ़ी त्याग देश के वास्ते किया ह और योग्य भी ह । हम यह नहीं चाहते कि किसी ऐसे आदमी को पीछे ढकेला जाय । माननीय स्वशासन मंत्री जी ने ही कहा कि हम २० परसेंट फ्रेश एलीमेंट जरूर लेंगे । हम यह नहीं चाहते कि यदि कोई कांग्रेस में हो या सोशलिस्ट पार्टी में हो तो वह जरूर ही योग्य है और लिया जाना चाहिये।

हमारे कई माननीय सदस्यों ने एक ही सांस में दो बातें कह डालीं जो एक दूसरे के विरुद्ध हैं। यह देखकर, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। एक तरफ तो यह लांछन लिस्ट सिस्टम प्रणाली पर लगाया गया कि उससे किसी व्यक्ति को आगे बढ़ाने का मौक़ा नहीं मिलता और दूसरी ओर यह कहा गया कि इससे तो फ़ासिस्ट तरीके की मनोवृत्ति झलकती है। ये दोनों बातें एक साथ बड़ी भारी ग़लतफ़हमी हैं। हम यह नहीं चाहते कि इंडिविजुअल्स को हम जानबूझ कर न दें। यह लिस्ट सिस्टम का दोष नहीं है। पोलिटीकल पार्टीज को अपने को खुद दुरुस्त करना चाहिये और योग्य आदमियों के लिये उनका दरवाजा खुला होना चाहिये। यह भी कहा गया कि लिस्ट सिस्टम से तो कम्यूनल पार्टीज भी अपना काम बना सकती हैं। यह एक विवादग्रस्त विषय है कि कम्युनल या रिलीजस पार्टीज को रिकगनाइज करना चाहिये या नहीं। मैं इसमें इस समय नहीं जाना चाहता। लेकिन दुनिया जानती है कि चाहे हमारी दिक्क़त कुछ भी क्यों न हो, अच्छा होता कि धर्म के नाम पर पोलिटीकल पार्टीज हमारे देश में न होतीं। लेकिन चूंकि हमारा विधान इस बात की गारंटी करता है कि हम आर्गेनाइजेशन और फ्री एक्सप्रेशन आफ़ आइडियाज की छूट देते हैं, इसलिये हमारी मजबूरी है। हम जानते हैं कि अगर हमारे प्रोग्राम में ताक़त है तो हम अवाम को अपनी ओर खींच लेंगे।

राजस्थान और मध्यप्रदेश को आप ले लीजिये जहां की विचारधारा कुछ हद तक और ही है। आप देखिये कि राजस्थान में तो विरोधी दल भी रामराज्य परिषद का बना हुआ है जब कि हमारे यहां एक भी उम्मीदवार नहीं आया। आप देखिये कि लगातार जितने चुनाव होते जा रहे हैं उनसे प्रकट है कि जनता कम्यूनैलिज्म को दूर करती जा रही है। हमें कम्यूनैलिज्म का मुक़ाबला करना है। उसे खत्म करने का सब से सुन्दर तरीक़ा लिस्ट सिस्टम आफ़ वोटिंग का है। वही पार्टीज कामयाब होंगी जिनके पास हर मसले का हल होगा।

राजा वीरेन्द्रशाह—उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। त्रिपाठी जी कृपा करके बतलावें कि मुसलिम लीग जब वहां पर थी तो मुसलिम लीग पार्टी ने भी इस देश में लिस्ट सिस्टम आफ वोटिंग के लिये कहा था ?

श्री रामनारायण त्रिपाठी—अध्यक्ष महोदय, राजा साहब ने काफी कोशिश की। मैं इस बात को ग़लत समझता हूं कि किसी ऐसी पार्टी का नाम लेकर इस क़िस्म का प्रश्न पूछा जाय जिससे माननीय विधान सभा के सदस्यों को ठेस पहुंचे। मुसलिम लीग की बात अगर सही मान ली जाय और अगर आप मुसलिम लीग की बात कहते हैं तो उसने सरमायेदारी को खत्म करने की बात कही थी, जमींदारी एबालिशन की बात भी कही थी, जिसका राजा साहब से खासतौर से संबंध है। तो क्या राजा साहब यह समझते हैं कि किसी प्रतिक्रियावादी पार्टी की अगर कोई उन्नत विचार धारा हो तो उसे न अपनाया जाय ?

श्री मोहनलाल गौतम—जिन चीजों को पाकिस्तान अमल में लाया।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—इस क़िस्म की बातों में मुस्लिम लीग का सवाल नहीं है। मुस्लिम लीग की इस क़िस्म की बात को एक तरफ़ तो हम न मानें, मुस्लिम लीग के श्री लियाकत अली खां जब फाइनेंस मिनिस्टर थे तो उन्होंने पूंजीपतियों पर टैक्स की सीमा बांध दी और इस तरह का एक लिमिट कर दिया कि तीन लाख से नीचे के लोगों का एक्जेम्शन होना चाहिये

[श्री रामनारायण त्रिपाठी]

लेकिन बाद में जो फाइनेंस मिनिस्टर आये उन्होंने उस लिमिट को और बढ़ा दिया। मुस्लिम लीग जो थी वह ग़लत रही हो लेकिन लिस्ट सिस्टम की बेसिस बदलती रही है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप को बतलाऊं की राजा साहब ने एक सवाल छेड़ दिया तो उसका जवाब भी देना ही है। अगर आज देश के मुसलमानों को किसी गवर्नमेंट से इस बात की शिकायत है कि वे शान्ति से नहीं रह सकते हैं जब तक कि उनकी लाइफ और प्रापर्टी की गारण्टी न हो तो हुकूमत को हजार मर्तबा सोचना चाहिये कि कौन सा सही तरीक़ा है जिससे इस प्रश्न को हल किया जा सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, हमने एलान किया है कि जो हिन्दू हिन्दुस्तान के मुसलमानों के विरोधी हैं वे पाकिस्तान के दोस्त हैं और जो मुसलमान हिन्दुस्तान के मुसलमानों के मित्र हैं वे पाकिस्तान के विरोधी हैं। हम स्पष्ट कह देना चाहते हैं कि ऐसा ख़याल न किया जाय कि मुस्लिम लीग की बातों को याद करके हम कहीं इस तरह से ग़लती करें और ऐसे लोगों की बातों में न खेल जांय। उपाध्यक्ष महोदय, आज जो हमारे देश के मुसलमान हैं वे पहले की मुस्लिम लीग को नहीं चाहते। इसकी मिसाल मैंने पेश की थी। और मैं समझता हूं कि राजा साहब कुछ दिनों के बाद किसी न किसी पार्टी की शरण लेंगे. और वे इस प्रकार की कोशिश में हैं। तो कोई कारण नहीं है कि हमेशा कोई आदमी अपने उसूल को न बदले। मैं समझता हूं कि जो आदमी पुराने उसूलों पर रहते हुये समय को देखते हुये नया उसूल नहीं अपनाता उसे इन्सानियत का दावा नहीं हो सकता है। अगर कोई आदमी पहले मुस्लिम लीग पार्टी का मेम्बर था और आज वह कांग्रेस में या सोशलिस्ट पार्टी में है तो उसके खिलाफ इस तरह की राय रखना गलत है और राजा साहब को अपनी राय दुरुस्त कर लेनी चाहिये। तो उपाध्यक्ष महोदय, राजा साहब क्षमा करेंगे जिन्होंने ऐसा प्रश्न उठाया, यह जरूरी था कि उनको उत्तर दे दिया जाय। लेकिन सवाल यह है कि बहुत से लोगों ने यह प्रश्न उठाया एक ग्लेमरस कैंडिडेट सामने आ जाता है और एक कैंडिडेट को देखकर तमाम लोग उनको वोट दे देते हैं और दूसरा कैंडिडेट उनकी आंखों में नहीं जाता यह फैसिज्म प्रणाली है लेकिन मैंने लिस्ट सिस्टम को मोडिफाई करके पेश किया कि इस तरह से हम अपनी म्युनिसिपैलिटियों के लिये अपलाई करेंगे। यह कोई जरूरी नहीं है कि पूरे शहर के लिये कंस्टीटुएंसी हो या पूरे प्रान्त के लिये कंस्टीटुएंसी हो हर एक वार्ड की मेम्बर के हिसाब से अलग अलग कंस्टीटुएसी होगी। पार्टी का बैलट पेपर इशू किया जा सकता है और दूसरी पोलिटिकल पार्टी चुनाव आफिसर के हाथ लिस्ट भेज सकती है।

कहा गया है कि बेलजियम में यह प्रणाली थी और रूस में भी यह प्रणाली थी। लेकिन हम पुराने इतिहास को उठा कर देखें और इस पर सही रूप में विचार करें तो लिस्ट सिस्टम को अपना सकते हैं। मैंने लिस्ट सिस्टम और क्युमुलेटिव सिस्टम को बहुत कुछ एक कर दिया है। ऐसा नहीं है कि यह डोगमा है। इससे सीकरेसी आफ बैलट की गारण्टी हो जायगी। और जैसा कि माननीय सदस्य ने बतलाया इसमें पेपर इकनामी की हद्द है, इसमें बहुत कम पेपर लगेगा। उपाध्यक्ष महोदय, लिस्ट सिस्टम से इनडिविजुअल पर कोई रुकावट नहीं डाली गयी है। जैसा कि माननीय नारायणदत्त जी ने बतलाया कि दो चार आदमी ग्रूप बना कर जायेंगे।

माननीय सदस्य यह जानना चाहेंगे कि अमेरिका और इंगलैंड में आज कितनी पोलिटिकल पार्टीज हैं। इंगलैंड में तो पिछले चुनाव में ५, ७ पार्टीज थीं। किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में अधिक पार्टियों का होना जरूरी है। किसी भी देश में दो तीन या उससे अधिक पार्टियों का होना ही एक बात का साइन है कि वहां डेमोक्रेसी हेल्दी है। उपाध्यक्ष, महोदय, रूस के अन्दर भी लिस्ट सिस्टम है इसका जिक्र किया गया। मैं आपको बतलाऊं कि वहां पर तो एक अजीब तानाशाही प्रणाली है। उसमें सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी के कैंडीडेट

ही खड़े हो सकते हैं और कम्युनिस्ट पार्टी जिस उम्मीदवार को पसन्द करती है उसी को वोट देना पड़ता है। उसको एलेक्शन का नाम देना तो एक तरह से मैं समझता हूं की प्रजातंत्र को कलंक लगाना है। लेकिन वहां पर एक बात बड़ी उत्तम है कि अगर किसी सीट के लिये एक ही उम्मीदवार खड़ा होता है, और उसका कोई विरोधी नहीं होता है तो भी वहां वोट डलवाने की कोशिश होती है ताकि मालूम हो कि मुकाबिले में अगर कोई आदमी खड़ा होता तो उसमें यह कितना पोपुलर है। तो रूस का जो लिस्ट सिस्टम है वह कत्तई एलेक्शन नहीं है......।

इस समय ३ बजकर ५६ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

लिस्ट सिस्टम में मेम्बरों को किसी न किसी पार्टी की शरण लेनी पड़ेगी। जब तक वे किसी पोलिटिकल पार्टी की शरण में नहीं जायेंगे तब तक उनका नाम लिस्ट में शामिल नहीं होगा। एक तरफ तो कहा जाता है कि इनडिवीजुअल को मौका नहीं मिलेगा और दूसरी तरफ यह कहा जाता है कि जातिवाद को चांस मिलता है। लेकिन इस सिस्टम में हर उम्मीदवार को मजबूर होना पड़ेगा कि वह ऐसी पार्टी में शामिल हो जिसकी पालिसी और प्रोग्राम को वह उत्तम समझता है और जिससे समझता है कि देश की समस्या को हल कर सकेगा। तो इन शब्दों के साथ मैं फिर इस अपने संशोधन पर जोर देता हूं और उम्मीद करता हूं कि माननीय मंत्री जी इस पर ध्यान पूर्वक विचार करेंगे।

श्री मोहनलाल गौतम—माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न आज बहुत काफी देर तक इस सदन के सामने रहा और काफी इस पर एकेडेमिक बहस भी हुई कि यह लिस्ट सिस्टम आज के मानवोचित्त प्रोटेक्शन के लिये और सही रेप्रेजेंटेशन देने के लिये बहुत जरूरी है। यों तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के बहुत से तरीके हैं। ३०० के करीब तरीके तो कहे भी जाते हैं कि तीन सौ तरीके हैं जहां प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन हो सकता है। कौन कहां है मैं इस बहस में पड़कर इस सदन का समय नहीं लेना चाहता जो कुभी अब तक सदन में रखा गया है उसमें किस तरह का लिस्ट सिस्टम हो इस पर विवाद करते हुये माननीय नारायण दत्त जी ने बहुत ज्यादा जोर बेलजियम के सिस्टम पर रखा है और मैं अगर यह समझूं कि जितनी और जगह लिस्ट सिस्टम हैं चूंकि कई मुल्कों में है और कई वैरियेशंस हैं। बेलजियम के लिस्ट सिस्टम को सबसे अच्छा मानकर हमारे सामने नमूने के लिये उन्होंने पेश किया और बड़े जोर से कहा कि हम भी क्यों नहीं उसको मान लेते। मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता और मेरा इरादा कुछ कोट करने का नहीं था लेकिन चूंकि बहुत सी चीजें कोट की गई हैं इसलिये मैं इस में क्या क्या खराबियां हैं दो तीन चार सेंटेंसेज आपके सन्मुख माननीय अध्यक्ष महोदय पेश करना चाहता हूं। रिपोर्ट आफ दि रायल कमीशन ऐप्वाइण्टेड टु इन्क्वायर इन्टू दि एलेक्टोरल सिस्टम्स और इसने यह कहा है कि क्या क्या डिफेक्ट्स है—

"In the first place, it emphasises and stereotypes party divisions in a way which is incompatible with the more elastic ideas of English politics."

"A small party (or a section of a large party) must either take its chance as part of the list of one of the great parties, or put in a list of its own which will subtract votes from the great party with which it is most in sympathy, without perhaps itself securing the return of a representative. The small parties, in fact, are in a position of considerable difficulty in any case, since the systm itself operates to their disadvantage, as has already been pointed out. When to this is added the natural reluctance of the voter to risk the success of the great party he favours by giving his one and only vote to another list, even if it more exactly represents his opinions or contains a man of distinction whom he particularly desires to see in parliament."

श्री नारायणदत्त तिवारी- गर माननीय मंत्री जी पूरा पढ़ें तो ज्यादा अच्छा होगा। वह बीच बीच में से छोड़ते जाते हैं।

श्री मोहनलाल गौतम—अगर वह चाहेंगे तो मैं इसको उनको प्रेजेंट कर दूंगा। मैं उतना ही सदन का समय लेना चाहता हूं जितना बहुत ज्यादा जरूरी हो।

"The underlyng principle of all list methods is that in giving a vote for a member of a party the elector votes for the party as well as the man; and they proceed, therefore, on the assumption that if a vote proves to be of no use to the individual for whom it is given, it may in effect be employed without any further consultation of the elctor's wishes for the benefit of another member of the party."

"This objection is strongest against the Belgian method, because there the person whom the vote may return is not ever necessarily the choice of the majority of the supporters of the party; but only of the party organisation. For the order of the names on the list practically determines the members who will in the event be returned by the party. This is no doubt due to the fact that the vast majority of electors vote for the list as it stands,..........and it may be argued that this implies their preference for the top members.......... ..... The ordinary voter in any conutry will tend to take the course of least resistance, which is in this case to accept a list put before him rather than asert his own tastes, if they are not very decided, in another direction; and this force of inertia may always be counted on to assist genuine prefrence in giving a decisive advantage to the candidates put first on the paper by the party. In Belgium, experience has shown that only in the rarest cases has the personal popularity of a candidate low on the list succeeded in upsetting the printed order. The exaggrated power whichis thus conferredon the party organisation has, we are informed caused considerable dissatisfaction in Belguim itself, and in some constituencies the expedient has been adopted of a private perliminary poll by an electoral association, consisting of all the members of the party in the constituency, to determine the order in which the candidates shall appear on the list."

इसके खतरे कम नहीं होते हैं। लिस्ट सिस्टम से पार्टी में भी डिस्कंटेंट होता है। पार्टी की मैजारिटी फिर उसी आर्डर में आती है जैसा कि लिस्ट में दिया हुआ है। पार्टी की मशीनरी जिस तरह से चाहती है वह डामिनेट करती है। तो न इसमें एलेक्टर्स की मैजारिटी उससे होती है न पार्टी की मैजारिटी होती है। पार्टी मशीनरी जरूर डामिनेट करती है और फायदे में होती है।

"But this expedient is too cumbrous to commend itself for general adoption."

इसलिये इसका इलाज यह है कि पहले पार्टी मेम्बर्स यह तय कर लें कि आर्डर आफ प्रिफरेंस कैसे रखा जाय। तो पहले वोटिंग करा लें। तो इसका नतीजा यह हुआ कि उन्होंने यह कहा कि इस रायल कमीशन ने—

"We feel compelled to lay stress upon other features which must be regarded, at least under present conditions of political sentiment, asprobably fatal to its chances of adoption in England."

यह रायल कमीशन इस नतीजे पर पहुंचा कि यह अगर इंग्लैण्ड में अडाप्ट किया जायगा तो फैटल होगा। इससे ज्यादा और इस लिस्ट सिस्टम का कंडेमनेशन हो नहीं सकता

है। और जिस को समझ कर हमारे सामने सबसे अच्छा नमूना बेल्जियम ने रखा। मैं, अध्यक्ष महोदय, ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। मैं समझता हूं कि यह फैसला काफी है कि इंग्लैण्ड में जहां डेमोक्रैसी काफी अच्छी तरह से कायम रखी गयी है और मजबूत हुई है वहां के इस फैसले को जो कि रायल कमीशन ने किया कि इंगलैण्ड में यह फैटल होगा। उसके बाद उन पुरानी पुरानी किताबों से तमाम चीजों को निकाल कर रखना कि यह अच्छा है या नहीं यह आबसोलीट हो गया है।

इन शब्दों के साथ मै इसका विरोध करता हूं।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ९ में प्रस्तावित नयी धारा 12-A के अन्त में शब्द "and by list system of voting" बढ़ा दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमान्, मै आपकी आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत करना चाहता हूं—

खंड ९ म प्रस्तावित धारा 12-B की उपधारा (1) के अन्त में शब्द "by the Electoral Registration Officer" बढ़ा दिये जायं।

श्रीमन्, यह संशोधन अगर मेरा स्वीकार कर लिया जाय तो मूल धारा इस प्रकार हो जाती है।

12-B की उपधारा १ इस प्रकार है—

"There shall be an electoral roll for every ward which shall be prepared in accordance with the provisions of this Act under the supervision of the Director of Elections (Local Bodies)."

इस धारा में यह स्पष्ट नहीं होता कि आखिर इन एलेक्टोरल रोल्स को कौन बनायेगा। इसमें केवल इतना ही है कि ये डायरेक्टर आफ एलेक्शंस (लोकल बाडीज) के सुपरवीजन में बनेंगे और जहां पर बनाने की गुंजाइश रखी गयी है और उसका विधान रखा गया है वहीं पर यह होना चाहिये कि उसको कौन बनायेगा। तो १२ (बी) की उपधारा १ में तो डायरेक्टर का नाम लिख दिया कि उसके सुपरवीजन में बनेंगे। अब उसी की दूसरी उपधारा में लिखा है कि—

"The Electoral Registration Officer shall, for purposes of preparation of the electoral rolls for the ward, adopt the Assembly rolls relatable to the area comprised in the said ward and publish the same in the manner prescribed ...."

इसके बाद तरीका बतलाते हैं कि एलेक्टोरल रेजिस्ट्रेशन आफिसर किस प्रकार प्रिपेयर करेगा और क्या करेगा। अगर डायरेक्टर आफ एलेक्शंस के साथ एलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन आफिसर का नाम आता तब तो ठीक था लेकिन वह १२ (बी) की दूसरी उपधारा में आया। उसके पहले कोई उसका जिक्र नहीं है। तो वह कैसे असेम्बली रोल्स को अडाप्ट करेगा और कैसे प्रिपेयर करेगा। यह तभी हो सकता है जब उसे १२ (बी) की उपधारा १ में जोड़ दिया जाय। मंत्री जी कहेंगे कि हमने १२ के (एफ) में लिख दिया है कि—

"The electoral roll for each ward shall be prepared by an Electoral Registration Officer who shall be such officer of the State Government or

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

of a local authority as the State Government may designate or nominate in this behalf."

लेकिन यह तो बाद में जाकर १२ (एफ) में आता है। पर यह चीज में होनी चाहिये और १२ (बी) की उपधारा १ के अन्त में होनी चाहिये। अगर उसको में रख भी दें तब भी यह शुरू में आ जाना चाहिये कि एलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन आफिसर एलेक्टर रोल तैयार करेगा और जहां पर उसको अधिकार दिये जा रहे हैं उसकी पहले ही सफाई करने के लिये यह संशोधन रखा गया है। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री इसको स्वीकार करेंगे।

श्री मोहनलाल गौतम—माननीय अध्यक्ष महोदय, बहस सिर्फ इतनी है कि एलेक्टोरल रोल कौन तैयार करेगा और अगर इसमें एलेक्टोरल आफिसर और जोड़ दिया जाय तो वह बात साफ हो जायगी। इसमें यह चीज तीन हिस्सों में बंटी हुई है और अगर वे तीनों साथ-साथ पढ़ें जायं तो वह साफ हो जाता है और कोई कमी नहीं रहती। एलेक्टोरल रोल बनेंगे यह दिया गया १२ (बी) वन में। दूसरे यह भी दिया गया कि वह किस तरह से बनेंगे कि—

"The Electoral Registration Officer shall, for purposes of preparation of the electoral rolls for the ward, adopt the Assembly rolls relatable to the area comprised in the said ward and publish the same in the manner prescribed, and upon its publication it shall, subject to any alternation, addition or modification in accordance with this Act, be the electoral rolls for the ward prepared in accordance with this Act".

एलेक्टोरल रोल्स किस तरह बनाये जायंगे यह इसमें दे दिया। और अगर १२ (एफ) को भी देखा जाय तो उसमें लिखा हुआ है कि,

"The electoral roll for each ward shall be prepared by an Electoral Registration Officer who shall be such officer of the State Government or of a local authority as the State Government may designate or nominate in this behalf."

एलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन आफिसर की नियुक्ति दे दी गयी, उसका काम दे दिया गया। एलेक्टोरल रोल्स कैसे बनेंगे यह भी बतला दिया गया। यह तीनों आदेश अलग-अलग हैं। इसलिये जब एलेक्टोरोल बनाने की बात आई तो कौन बनायेगा उसके लिये अलग अलग जगह रख दिया गया है और वही ज्यादा सही है। उसी तरह से यहां भी जो पीपुल्स रिप्रिजेंटेशन ऐक्ट है उसमें भी इसी प्रकार से यह दिया हुआ है और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई चीज छूट नहीं गई है और इसलिये मैं आशा करूंगा कि माननीय सदस्य इसपर ज्यादा जोर नहीं देंगे।

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, जो मैंने बात कही उस पर माननीय मंत्री जी ने फिर भी ध्यान नहीं दिया। जो कुछ उन्होंने पढ़ा उसे तो मैंने पहले ही पढ़ दिया था और मैंने बतलाया था कि वह इस प्रकार तीन हिस्सों में बांटी गई है। लेकिन सवाल यह है कि जो धारा १२ (एफ) में अधिकार दिये गये हैं—

"12-F. The electoral roll for each ward shall be prepared by an Electoral Registration Officer who shall be such officer of the State Government or of a local authority as the State Government may designate or nominate in this behalf."

यह पहला भाग है। उसकी यहां पर परिभाषा नहीं है। जो पहला भाग उसका है उसको १२-बी की उपधारा १ में जाना चाहिये। जब उसको

कार मिल जायगा तब वह धारा १२ बी की उपधारा २ में जायगा। उपधारा १ में जाने पर वह धारा इस प्रकार पढ़ी जायगी—

" 12-B. (1) There shall be an electoral roll for every ward which shall be prepared in accordance with the provisions of this Act under the supervision of the Director of Elections (Local Bodies) *by the Electoral Registration Officer.*"

तो यह तो बिल्कुल स्पष्ट है और बहुत साफ है। इसमें रिप्रिजेंटेशन आफ पीपुल्स ऐक्ट कहां आता है। माननीय मंत्री जी इसको मान लें तो इसमें कोई हर्ज नहीं होता है।

श्री मोहनलाल गौतम—जैसा मैंने निवेदन किया कि पीपुल्स रिप्रिजेंटेशन ऐक्ट में इसी तरह से है और इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। यह समझना गलत है कि अगर वह पहले अप्वाइंट करने की धारा आ जायगी तभी वह पहले अप्वाइण्ट होगा और बाद में वह लिस्ट बनेगी। कोई धारा बाद में आये तो जो काम उसके पहले वाली धारा में दिया हुआ है उसमें कोई दिक्कत नहीं मालूम होती।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ९ में प्रस्तावित नयी धारा 12-B की उपधारा (1) के अन्त में शब्द "by the Electoral Registration Officer" बढ़ा दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन् मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत करना चाहता हूं कि 'खंड ९ में प्रस्तावित नयी धारा 12-D की उपधारा (2) के प्रतिबन्ध की पंक्ति ४ के शब्द "reinstated" के स्थान पर शब्द "reentered" रख दिया जाय।

श्रीमन् धारा 12—D की उपधारा (२) इस प्रकार है—

"(2) The name of any person who becomes so disqualified after registration shall forthwith be struck off the electoral roll of the ward in which it is included :

Provided that the name of any person struck off the electoral roll of a ward by reason of disqualification under sub-section (1) shall forthwith be reinstated in that roll if such disqualification is, during the period such roll is in force, removed...... "

तो श्रीमन् यह जो रीइंस्टेटेड शब्द है यह मैं समझता हूं कि यहां पर इस अर्थ को जो कि माननीय मंत्री जी चाहते हैं लाता नहीं। जहां तक मैंने देखा है रीइंस्टेटेड शब्द, इसकी परिभाषा देखने की कोशिश मैंने की और इसके मानी डिक्शनरी में भी देखने की चेष्टा की, मेरे विचार से यह रीइंस्टेटेड शब्द यहां पर प्रयुक्त नहीं होना चाहिये क्योंकि रीइंस्टेटेड से मतलब ऐसा तो नहीं है कि कोई सर्विस का मामला हो या इस प्रकार का कोई टेक्निकल मामला हो। यहां पर तो रीइंटर्ड लिखना ज्यादा अच्छा होगा और मैं पसन्द करूंगा। अगर पहला ही ठीक है तो मुझे कोई एतराज नहीं है। मेरा तो यह सुझाव है कि अगर रीइंस्टेटेड की जगह रीइंटर्ड कर दिया जाय तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री मोहनलाल गौतम—माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नारायणदत्त जी ने डिक्शनरी वगैरह तो पढ़ने की कोशिश की लेकिन वह हिस्सा जहां से कि इसकी नकल करने की कोशिश की गई है अगर उसको वह पढ़े होते तो कोई दिक्कत न होती। मैं रिप्रिजेंटेशन

[श्री मोहनलाल गौतम]

आफ दि पीपुल्स ऐक्ट १९५० की धारा १६ के दूसरे सब क्लाज के प्राविजो को पढ़ देना चाहता हूं और निवेदन करूंगा कि शब्द वही हैं जो कि यहां रखे गये—

" Provided that the name of any person struck off the roll of aconstituency by reason of a disqualification under clause (C) of Sub section(1) shall forthwith be reinstated in that roll if his qualification is so...."

तो वही लफ्ज रखे गये हैं।

श्री मोहनलाल गौतम—तो वही लफ्ज इसमें नकल कर दिये गये हैं। सहूलियत भी यही होगी कि हम चुनाव के संबंध में ज्यादा भिन्न-भिन्न शब्द न इस्तेमाल करें क्योंकि इससे एलेक्शन पेटिशन्स के जजमेंट में आसानी होगी। तो इसमें सहूलियत भी होगी और जो डेवलपमेंट एलेक्शन्स का हो रहा है वह सही ढंग से हो सकेगा। इसी लिये वह शब्द वहां से लिया गया है। मेरी ज्यादा लियाकत न होते हुये भी कम से कम नकल करने में उन्हीं लफ्जों को यहां लाने की पूरी कोशिश की है। ड्रैफ्टिंग जो भाई नहीं जानते उनसे तो मजबूरी है, लेकिन अगर इसको पढ़ लेंगे तो कोई आपत्ति नहीं होगी।

श्री नारायणदत्त तिवारी—मैं वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री नारायणदत्त तिवारी—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन उपस्थित करना चाहता हूं कि खंड ९ में प्रस्तावित नयी धारा 12-H की उपधारा (d) के भाग (ii) के बाद निम्नलिखित नया भाग (iii) बढ़ा दिया जाय—

" (*iii*) Whose name is included in the Assembly Rolls for the rural area of the district in which a Board is situated, but who is otherwise qalified to be registered in the electoral roll of such ward of a Board as falls nearest to the residence of such person in lieu of payment of any tax to such Board.

श्री मोहनलाल गौतम—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि शब्द हालांकि भिन्न हैं लेकिन यह जो इसमें दिया हुआ है यह हाउस एक दफा डिसकस कर चुका है और उसपर अपना फैसला दे चुका है। अगर आपकी आज्ञा अब भी हो तो डिसकस हो जाय।

श्री अध्यक्ष—कहां पर डिसकस हुआ है?

श्री मोहनलाल गौतम—नम्बर ५८ में।

श्री अध्यक्ष—माननीय नारायणदत्त तिवारी, आप का क्या कहना है?

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, जहां तक सवाल मेरे इस संशोधन का है इसके एक हिस्से पर विचार अवश्य हो चुका है। मैंने इसमें यह लिखा है—

" Whose name is included in the Assembly Rolls for the rural area of the district in which a Board is situated."

तो जो संशोधन का (ए) हिस्सा है उसपर कोई विवाद नहीं हुआ है। इसलिये मैं समझता हूं कि इसकी वजह से इसकी अहमियत बढ़ जाती है और इसमें एक नयी बात सामने आ जाती है।

श्री अध्यक्ष—है तो लेकिन रूरल एरिया के सम्बन्ध में है तो इसलिये मैं इसको आउट आफ आर्डर डेक्लेयर करता हूं।

श्री जयराम वर्मा (जिला फैजाबाद)—श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ६ द्वारा प्रस्तावित नयी धारा 12-H की उपधारा (G) की पंक्ति १ में शब्द "generally" और शब्द "all" के बीच का शब्द "for" निकाल दिया जाय।

श्रीमन्, यह शाब्दिक संशोधन है। इस धारा म मतदाता सूची की जो बातें गिनाई गयी हैं उनके बारे में राज्य सरकार व्यवस्था कर सकती है।

यह धारा इस प्रकार शुरू होती है—

"The State Government may by Order, make provisions in respect of the following matters concerning the electoral rolls, namely,—"

इसके अन्त में यह रखा गया है—

"Generally for all matters relating to the preparation and publication of the electoral rolls."

इसमें शब्द "for" अनावश्यक है और उसको निकाल देना चाहिये। इसकी कोई यहां आवश्यकता नहीं है। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी इसे स्वीकार करेंगे।

श्री मोहनलाल गौतम—माननीय अध्यक्ष, महोदय, यह ड्राफ़्टिंग की बात है, जैसी आपकी आज्ञा हो, आप को अधिकार तो है ही, आप जैसी सलाह दें।

श्री अध्यक्ष—अगर इसको निकाल दिया जाय तो आप कोई हर्ज नहीं समझते?

श्री मोहनलाल गौतम—हर्ज तो है।

श्री अध्यक्ष—तो वह बताइये।

श्री मोहनलाल गौतम—मैंने यह निवेदन किया कि यह जो ड्राफ़्टिंग के बारे में कहा जाता है, अगर उसका मतलब वही रहता हो तब तो निकाल देना चाहिये। उन्होंने जो कहा वह सिर्फ ड्राफ्टिंग की बात कही है, इसलिये मैं कहता हूं कि इसको निकालने से अगर मतलब दूसरा होता हो तब तब वह नहीं निकाला जाना चाहिये और मैं समझता हूं कि इस का रहना जरूरी है।

श्री जयराम वर्मा—श्रीमन्, मेरा अपना ख़याल है कि "for" निकाल देने से उसका अर्थ नहीं बदलता है और मैं उचित यही समझता हूं कि इसका निर्णय आप खुद करलें अगर "for" आवश्यक हो तो रहने दिया जाय और अगर आवश्यक न हो तो निकाल दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—मैं इसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं हूं क्योंकि ड्राफ्टिंग में एक शब्द का अर्थ उलटा सीधा हो सकता है। माननीय मंत्री जी उसकी जिम्मेदारी ले सकते हैं। अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं।

श्री जयराम वर्मा—मैं जिम्मेदारी तो लेना नहीं चाहता और इसलिये वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा—मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह संशोधन उपस्थित कर रहा हूं खंड ६ में प्रस्तावित नयी धारा 13-A को धारा 13-A की उपधारा (1) के रूप में

[श्री परिपूर्णानन्द वर्मा]

पुनरांकित किया जाय और तत्पश्चात् निम्नलिखित लेख को उपधारा (2) के रूप में रखा जाय--

"(2) When a new municipality is created under section 3, the first board thereof shall, as far as may be, be constituted in accordance with the provisions of this act relating to general election to a board."

श्रीमन्, इसको पेश करने की आवश्यकता केवल इसलिये हुई कि नयी म्युनिसिपैलिटियां जो स्थापित होंगी उनका निर्वाचन किस प्रकार होगा इसका भी निर्देश इस बिल में हो जाता तो उचित होता। इसीलिये मैं यह संशोधन पेश कर रहा हूं, आशा है कि माननीय मंत्री जी इसे स्वीकार करेंगे।

श्री मोहनलाल गौतम--मुझे यह स्वीकार है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--श्रीमन् वैसे तो माननीय मंत्री जी के स्वीकार करने के बाद मुझे यह आवश्यकता नहीं थी कि मैं इस का विरोध करूं लेकिन फिर भी जब मैं इस संशोधन में देखता हूं कि असंगत बातें वर्तमान विधेयक में आजाती है तो मुझे आपकी आज्ञा से इसका विरोध करना ही उचित लगता है। वह इसलिये लगता है कि अगर श्री परिपूर्णानन्द जी इसको स्पष्ट कर दें तो जिन कारणों से मैं इसका विरोध करता रहा हूं, मैं अपना विरोध वापस लेने के लिये तैयार हूं लेकिन मैं चाहता हूं कि यह बातें बिल्कुल स्पष्ट हो जायं। पहली बात यह है कि धारा ३ जो है उसके अनुसार स्टेट गवर्नमेंट किसी भी लोकल एरिया को म्युनिसिपैलिटी बना सकती है। लेकिन मेरा ऐसा विचार है कि जो वर्तमान धारा १३-ए है उसके अन्दर नये बने हुये बोर्ड भी सम्मिलित हो जाते हैं, उसकी परिभाषा के अन्दर धारा १३ इस प्रकार है--

"Except as provided in section 31 or 31-A there shall be a general election to a board before the expiry of the term or extended term, as the case may be, of the board under section 10-A on such date or dates as the State Government may, by notification in the official *Gazette*, appoint in that behalf."

यहां पर सेक्शन १३-ए का जिक्र किया गया है और दूसरे सेक्शन १०-ए का जिक्र किया गया है जो कि इस विधेयक के द्वारा नई धारा जोड़ी गई है और वह इस प्रकार है--

"Except as provided in section 31, 31-A or 47-A every board shall continue for 4 years from the date of notification issued in pursuance of section 13-G that the board has been constituted."

तो यहां पर "ए बोर्ड" की जो परिभाषा की गयी है मेरा अपना विचार है कि "ए बोर्ड" का मतलब और "ए बोर्ड दैट हैज बीन कांस्टीटयुटेड" इसका मतलब केवल ऐसे बोर्डों के लिये नहीं है जो कि आज कल है बल्कि उन बोर्डों के लिये भी है जो आगे चल कर बनेंगे। अगर यह मान लिया जाय कि "ए बोर्ड" शब्द का जो इस्तेमाल किया गया है वह शब्द नई बनने वाली म्युनिसिपैलिटियों में लागू नहीं होता। तो इस विधेयक में तमाम जगह परिवर्तन करना पड़ेगा। हर जगह हमें नये बोर्ड के लिये प्राविजन रखना पड़ेगा। तो यह तो हमारे माननीय मंत्री जी इस बात की इजाजत दें कि हम सब संशोधन ऐसे दें कि हर जगह नये बोर्डों के लिये प्राविजन करें। लेकिन अगर माननीय मंत्री जी यह समझते हैं कि सब स्थानों में "ए बोर्ड" इनक्लूड्स "एनी

बोर्ड टु बी कांस्टीटयूटेड इन फ्यूचर", अगर बोर्ड का मतलब पहले के जो आज हैं और जो बनने वाले हैं ये तीनों प्रकार के बोर्ड अगर इसमें आ जाते हैं, अगर माननीय मंत्री जी का यह तात्पर्य है तो मैं समझता हूं कि इस संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा मैं माननीय मंत्री जी से और माननीय परिपूर्णानन्द जी से एक प्रश्न और पूछना चाहता हूं कि क्या इस विधेयक में जो मूल अधिनियम है उसमें जितने भी म्युनिसिपिल बोर्ड के अधिकार और कर्तव्य हैं वे अधिकार नये बनने वाले बोर्डों के लिये लागू नहीं होते और क्या माननीय मंत्री जी इस विधेयक के हर अंग में एक नया सब सेक्शन जोड़ने के लिये तैयार हैं कि जो नया बोर्ड कांस्टीट्यूट हो उसको ये अधिकार दिये जायं और उसमें फलानी धारा भी लागू होगी? मैं यह समझता हूं कि इस प्रकार का प्राविजन अगर माननीय मंत्री जी रखेंगे तो इसमें ३०० के बजाय ६०० धाराएं हो जायंगी। इसके साथ ही साथ मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान धारा १० की तरफ दिलाना चाहता हूं। उसमें लिखा है—

"The State Government may, if satisfied in the case of any municipality that its circumstances render inadvisable the application thereto of the provisions of section 9 declare by notification that the board shall notwithstanding anything contained in this Act, be constituted as follows, namely :

(*a*) such number of members to be nominated by the State Government as may be specified;

(*b*) such number of elected members to be elected in such manner and by such persons or class of persons as may be specified; and

(*c*) the President, who shall possess such qualifications and be elected in such manner, as the State Government may prescribe."

इसके बाद जो प्रतिबन्ध आता है वह इस प्रकार है—

"Provided that the provisons of this section shall not be applicable to a municipality which was already constituted under this Act on the day immediately preceeding the commencement of the U. P. Municipalities (Amendment) Act, 1942."

तो उसमें वह सब म्युनिसिपैलिटियां आ जाती हैं इस प्राविजन के अनुसार जो कि आज तक नहीं बनी थीं, इस ऐक्ट के लागू होने के पहले जो बन चुकी थीं लेकिन इस ऐक्ट के लागू होने के बाद की म्युनिसिपैलिटियों के बारे में भी यह धारा लागू होती है। यानी जितनी भी म्युनिसिपैलिटियां सन् १९४८ और ५२ के बीच में बनीं उनके बारे में नोटिफ़िकेशन इस प्रकार निकला—

"In exercise of the powers conferred by section 91-B of the Uttar Pradesh Municipalities Act the Governor is pleased to notify that the number of elective."

माननीय मंत्री जी का जो परसों का भाषण था उसमे उन्होंने यह भी कहा था कि सन् ४८ के बाद जितनी म्युनिसिपैलिटियां बनी हैं उनके बारे में एक खास विधान बनाना पड़ा है। तो मैं मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि ऐसी म्युनिसिपैलिटियां जो कि इस विधेयक के पास होने के बाद बनें और जिनमें धारा १० लागू हो। सन् १९५२ ई० के इस संशोधक विधेयक के बाद जितनी म्युनिसिपैलिटीज बनेंगी उसके लिये यह प्रतिबन्ध नहीं है और धारा १० सभी म्युनिसिपैलिटीज के लिये लागू होगी, जो इस विधेयक के बाद बनेंगी तो एक परस्पर विरोध हो जाता है। अगर यह सदन श्री परिपूर्णानन्द जी का संशोधन स्वीकार कर लेता है तो धारा १० के प्रतिबन्ध में और इसमें परस्पर विरोध हो जाता है। इस संशोधन में उन्होंने कहा है कि—

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

" When a new municipality is created under section 3, the first board thereof shall, as far as may be, be constituted in accordance with the provisions of this act relating to general election to a board."

तो जो धारा १० में तीनों प्रतिबन्ध ए, बी, सी दिये हैं तो अगर मम्बस नोमीनेट किये जायंगे तो वह भी नोमीनेट किये जा सकते हैं। इसलिये धारा १० के तीनों सब सेक्शन्स में और श्री परिपूर्णानन्द जी के संशोधन में परस्पर विरोध है। माननीय मंत्री जी स्पष्ट करने की कृपा करें और बतलायें कि इसमें नये बोर्ड शामिल होते हैं या नहीं।

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा—मान्यवर, मुझे खेद है कि मैं श्री नारायणदत्त जी के इस बड़े विद्वतापूर्ण भाषण के तत्त्व को नहीं समझ सका। मैंने तो पहले ही निवेदन कर दिया था कि मेरा आशय यह है कि यह धारा और जिस चीज का अभी उल्लेख किया गया है उन सब बातों को तो स्पष्ट कर दिया गया है और म्युनिसिपैलिटीज की जो रचना हो गई है और जो होने वाली है, उनके क्या कर्तव्य होंगे और क्या अधिकार होंगे इस सम्बन्ध में तो लिखा ही है कि जब नई म्युनिसिपैलिटीज बनेंगी तो उनके वही अधिकार होंगे जो म्युनिसिपैलिटी ऐक्ट में निरूपण कर दिये गये हैं। केवल एक बात चुनाव के सम्बन्ध में है कि जो नई म्युनिसिपैलिटीज बनेंगी उनके लिये हम यह कर देना चाहते हैं कि जो नई म्युनिसिपैलिटीज बनेंगी और जो चुनाव के नियम रखे गये हैं उन्हीं के अनुसार उनका चुनाव होगा। उसका क्या रूप होगा यह तो बाद की चीज होगी। इस संशोधन में तो केवल यह है कि जो नई म्युनिसिपैलिटीज बनेंगी उनका चुनाव कैसे कराया जायगा, इसका निरूपण किया जाय। इसके अलावा एक स्पष्टीकरण और है। हो सकता है जैसा कि नारायण दत्त तिवारी जी ने कहा कि हर एक के लिये नई बात लागू होगी तो उसका सामंजस्य यहां कैसे हो और अगर ऐसा नहीं है तो साफ बात है और यह बिल्कुल साफ है कि जो नई म्युनिसिपैलिटीज बनें उनका एलेक्शन सब की तरह से हो।

श्री मोहनलाल गौतम—अध्यक्ष महोदय, मुझे कुछ नहीं कहना है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ९ में प्रस्तावित नई धारा 13-A को धारा 13-A की उपधारा (1) के रूप में पुनरांकित किया जाय और तत्पश्चात निम्नलिखित लेख को उपधारा (2) के रूप में रखा जाय—

"(2) when a new municipality is created under section 3, the first board thereof shall, as far as may be, be constituted in accordance with the provisions of this act relating to general election to a board."

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री वीरेन्द्रपति यादव (जिला मैनपुरी)—अध्यक्ष महोदय, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं यह कह दूं कि संशोधन जिनकी क्रम संख्या ७२ और ७३ है जो मेरे नाम में हैं, एक दूसरे से संबंध रखते हैं यदि आज्ञा हो तो दोनों एक साथ ले लिये जायं।

श्री अध्यक्ष—हां ले लीजिये।

श्री वीरेन्द्रपति यादव—श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह संशोधन उपस्थित करना चाहता हूं कि खंड ९ में प्रस्तावित नयी धारा 13-D की पंक्ति ३ में शब्द "if" और "he" के बीच शब्द "either" बढ़ा दिया जाय और मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं कि खंड ९ में प्रस्तावित नयी धारा 13-D की उपधारा (a) की पंक्ति १ में शब्द "Servant of" तथा "the State" के बीच शब्द "a local authority" बढ़ा दिये जायं।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह संशोधन जिसे मैं उपस्थित कर रहा हूं उसका मुख्य आशय यह है कि सरकार ने जो यह संशोधन रक्खा है कि किसी स्टेट या सेंटर गवर्नमेंट के सरकारी कर्मचारी ऐसे हों जो बरखास्त कर दिये गये हों तो उनको किसी सदस्यता के पद पर नहीं लिया जायगा म्युनिसिपैलिटी में। तो मेरा संशोधन यह है कि जहां सरकार यह कहती है कि केन्द्रीय सरकार या प्रान्तीय सरकार का कर्मचारी अगर बरखास्त कर दिया गया है, तो उसे नगरपालिका के सदस्यता के पद पर नहीं लिया जायगा, यह बिल्कुल ठीक है लेकिन मैं साथ ही साथ यह भी चाहूंगा कि यदि नगरपालिका का कोई कर्मचारी पृथक कर दिया गया है तो उसे भी नहीं लिया जायगा बल्कि नगरपालिका के कर्मचारी के लिये और भी आवश्यक है और उसके साथ यह कैद और सख्ती के साथ लगाई जाय। जैसा कि इस समय संशोधन है अगर वह पास कर दिया जाता है तो नगरपालिका का जो कर्मचारी पृथक कर दिया गया है वह नगरपालिका के पद पर चुना जा सकता है। कानून की दृष्टि से वह आ सकता है। मेरी समझ में जो शर्त प्रान्तीय और केन्द्रीय कर्मचारियों के लिये लगाई जा रही है वही शर्त नगरपालिका के कर्मचारियों के लिये भी लागू होना चाहिये। नगर पालिकाओं में आजकल बहुत गड़बड़ियां हो रही हैं, नियमों का पालन नहीं होता, भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है। तरह-तरह के दंड दिये जाते है और बाद में उनको पृथक करना पड़ता है। अतएव मुझे यही कहना है कि जो शर्तें आप अन्य सरकारी कर्मचारियों के लिये लगा रहे हैं वही नगरपालिका के कर्मचारियों पर लागू होनी चाहिये। जहां तक शब्द "आइदर" का सवाल है यह क्रम संख्या ७२ के संशोधन में है। इसमें केवल दो ही के ऊपर कैद थी प्रादेशिक या केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिये। अगर यह संशोधन स्वीकार कर लिया जाता है तो इसमें तीन शब्द आ जाते है। लोकल अथारिटीज, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिये जो भाषा यहां पर आई है उसके कंस्ट्रक्शन को ठीक करने के लिये यहां पर "either" शब्द का प्रयोग करना ठीक मालूम होता है। इसलिये मैं आपके सामने यह संशोधन पेश कर रहा हूं और मुझे आशा है कि माननीय मंत्री जी इसको स्वीकार करेंगे।

श्री मोहनलाल गौतम--माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक नम्बर ७३ के संशोधन का प्रश्न है वह मुझे स्वीकार है और यह सही है कि स्टेट गवर्नमेंट का अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेण्ट खड़ा नहीं हो सकता तो लोकल बाडीज का भी सर्वेण्ट खड़ा नहीं हो सकता। यह बात सही है और मंजूर है। अब यह इस तरह से पढ़ा जायगा--

"(*a*) is a dismissed servant of a local authority, the State or Central Government and is. .... ."

जहां तक दूसरा संशोधन "either" जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं मालूम होती है। यह तो आल्टरनेटिव प्रपोजल है। बिन "either" के जोड़े हुये भी काम चल जाता है। इसलिये मैं उसको रखने की आवश्यकता नहीं समझता।

श्री नारायणदत्त तिवारी--श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से श्री वीरेन्द्रपति यादव द्वारा प्रस्तुत संशोधन का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। वह "if" और "he" के बीच "either" बढ़ाने के बारे में है। "if either he" का तो कोई मतलब नहीं हुआ। अगर "if he either" वह करते तब तो कुछ बात समझ में आ सकती थी लेकिन यह तो बिल्कुल समझ के बाहर हो जाता है।

दूसरे संशोधन का मैं इसलिये विरोध करना चाहता हूं कि लोकल अथारिटीज के सर्वेण्ट जो डिस्मिस कर दिये गये हों और दोबारा सर्विस करने से डिबार कर दिये गये हों अगर हम उनके स्कोप को इतना बढ़ा दें कि जो आज तक नहीं हुआ है तो इसका बहुत दुरुपयोग होगा। मैं जानना चाहता हूं कि भारतवर्ष में किस प्रान्त में कहां पर किस ऐक्ट की किस धारा के मुताबिक ऐसा हुआ है? मैं चाहता हूं कि आप यह

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

दिखायें कि जहां पर ऐसा किया गया हो कि लोकल अथारिटीज के डिस्मिस किये गये इम्पलायी को चाहे वह म्युनिसिपल बोर्ड के हों या नोटिफाइड एरिया के हों जो कर्मचारी निकाल दिये गये हों वह म्युनिसिपल बोर्ड के चुनाव के लिये खड़े नहीं हो सकते। हिन्दुस्तान में किस ऐक्ट के अन्दर किसने ऐसा रखा है? आजकल पार्टी बाजी की वजह से बहुत से कर्मचारी निकाल दिये जाते हैं जो चेयरमैन या मेम्बर की राय के मुताबिक काम नहीं करता है तो उसको निकाल दिया जाता है। अभी भुवाली का एक किस्सा है। उसके लिये डिप्टी कमिश्नर ने उसके फेवर में फैसला दिया...।

श्री मोहनलाल गौतम--आप किसी का व्यक्तिगत मामला यहां पर नहीं रख सकते।

श्री नारायणदत्त तिवारी--मैं तो एक मिसाल दे रहा हूं कि लोकल बाडीज में अगर कोई चेयरमैन या किसी मेम्बर के मन के मुताबिक काम नहीं करता है तो उसको अलग कर देते है। मान लीजिये कि हमारा एक सुपरिंटेंडेंट आफ एजुकेशन है या कोई मिनिस्टर है जो चुनाव में खड़ा हो सकता है या खड़ा होना चाहता हैं। उनको खतरा मालूम हुआ। पिछले ऐक्ट में स्टेट गवर्नमेंट के डिसमिस्ड लोगों के बारे में तो पहले से ही विधान था लेकिन म्युनिसिपैलिटीज के डिसमिस्ड लोगों के बारे में भी अगर इसमें ऐसा ही रख दिया जायगा तो इससे तो इसके जरिये से और गड़बड़ी बढ़ेगी और पार्टीबाजी के जरिये कर्मचारियों को निकालने की भावना बढ़ेगी। इसके अलावा मैं आपकी आज्ञा से खेर कमेटी की रिपोर्ट भी इस सम्बन्ध में पढ़ना चाहता हूं। उसने सफा ६ पर धारा ए० बी० में जो डिसक्वालिफिकेशन्स दी हुई हैं उन को भी हटाने की सिफारिश की है। उसमें लिखा है कि--

"The existing disqualifications for membership have generally been retained except those relating to persons who have been dismissed from Government service and are debarred from re-employment therein, and persons who have been debarred from practising as legal practitioners by a competent authority. Both these disqualifications have been omitted by us as they are in our opinion unjustly discriminatory against the particular classes mentioned."

कहां तो उन डिसक्वालिफिकेशन्स को भी हटाने की सिफारिश थी कि जो गवर्नमेंट सर्वेण्ट्स डिसमिस हुए हैं उनके लिये यह जरूरी नहीं है कि वह खड़े न हो सकें या ऐसे वकील जिनकी प्रेक्टिस रोक दी गई है वह खड़े न हो सकें और उस सिफारिश पर रिपोर्ट में श्री सुल्तान आलम खां साहब या श्री ऐजाज रसूल साहब को कोई नोट आफ डिसेण्ट भी नहीं है। उन्होंने कहा कि यह तो पुरानी रिपोर्ट है और उसके बाद और शिकायतें बढ़ रही हैं इसलिये लोकल बाडीज के डिसमिस्ड लोग भी खड़े नहीं हो सकते। कल को हो जायगा कि प्राइवेट फर्म या कम्पनी के भी कोई निकाले हुए हैं तो वह भी नहीं हो सकते जो आरगूमेंट लोकल बाडीज के लोगों के लिए है हालांकि वह सेमी गवर्नमेंट सवण्ट्स भी नहीं है, वही प्राइवेट कम्पनी या फैक्टरी के एम्पलाईज के लिए भी आ सकते हैं। उनको आप नहीं निकालते हैं तो डिसक्रिमिनेशन तो फिर भी रहा। इसलिये मैं मंत्री जी से कहूंगा कि वह इसको स्वीकार न करें। मैं श्री यादव जी की बहुत इज्जत करता हूं और मुझे उनसे कोई हठ नहीं है और न कोई व्यक्तिगत विरोध है। मेरा तो आगे धारा ए० बी० को निकालने का संशोधन आ रहा है। ऐसे एक्सेप्शन बहुत कम होते हैं और जो इस चीज को करना चाहते हैं वह उसके नतीजे को नहीं सोचते हैं। इस तरह से तो और भी उनकी शक्ति बढ़ती है और इसके अधिक दुरुयोग की सम्भावना है।

श्री शिवनारायण—अध्यक्ष महोदय, मैं सदन मे बैठा हुआ था और सुबह से बोला नहीं था। मुझे दुःख प्रतीत हुआ कि एक आदर्शवादी नेता श्री तिवारी जी जो अपने को अग्रगामी कहते हैं और देश के नवयुवक ब्रह्मचारी हैं और जो सोचते हैं कि इस पार से उस पार तक करप्शन को दूर कर दें वह म्युनिसिपल बोर्ड और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से करप्शन में बरखास्त हुए लोगों को चाहते हैं कि वह खड़े हो सकें और उनको मौका दिया जाय। हम तो मुल्क में करप्शन को खत्म करना चाहते है और आप चाहते हैं कि जो घपले चल रहे है वह चलते रहें। मुझे इसका दुःख मालूम हुआ। यह जो अमेंडमेंट आया है यह बहुत सुन्दर चीज है और मुल्क की बेहतरी के लिये है। इससे करप्शन रुकेगा। हमारे विरोधी दल वाले वैसे तो करप्शन का ढोल पीटते हैं लेकिन जब कोई ऐसी बात आती है कि जिससे करप्शन को रोका जाय तो वे उसका विरोध करने लगते है। यह बात मेरी समझ में नहीं आती। इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधनों का समर्थन करता हूं।

श्री वीरेन्द्रपति यादव—अध्यक्ष महोदय, जिस समय से यह विधेयक यहां लाया गया है मैं यह देख रहा हूं कि हमारे माननीय मित्र तिवारी खेर कमेटी की रिपोर्ट का गीत यहां गाते रहे हैं। बड़े आश्चर्य के साथ कहना पड़ता है कि अच्छी चीजें जो खेर कमेटी की है और जिन्हें इस विधेयक में रखा गया है वे तिवारी जी के मुंह से नहीं निकलीं। मैं उनसे जानना चाहता हूं आपके जरिये कि क्या खेर कमेटी ने नामीनेशन की प्रथा को हटाने और एडल्ट फ्रेंचाइज की बात नहीं कही थी? चेयरमैन के सीधे जनता द्वारा चुनाव की बात को भी अपनाया गया है।

श्री अध्यक्ष—आप अपने संशोधन पर ही रहे तो अधिक अच्छा हो। वह रिपोर्ट इस समय सदन के सामने नहीं है।

श्री वीरेन्द्रपति यादव—खेर कमेटी की रिपोर्ट को जो यहां लाया गया लेकिन उसे बने ४-५ साल हो गये हैं। तब से हमारा नैतिक स्तर बहुत नीचे गिर गया है। हमारे कर्मचारियों में भ्रष्टाचार बढ़ गया है। नियमों का उल्लंघन हो रहा है और ग़बन हो रहे ह। यह उचित नहीं होगा कि हम खराब नौकरों को मेम्बरी से न रोकें। यदि हम इस संशोधन को नहीं मानते तो हमारी नगर पालिकाओं के कमचारी काफी गड़बड़ी करते हुये भी हमेशा यह समझते रहेंगे कि हमको तो गड़बड़ी करना है और यदि नौकरी से निकाल भी दिये गये तो मेम्बर बन कर काम करेंगे। इसलिये इस संशोधन का माना जाना बहुत ही आवश्यक है। इससे हमारे देश का स्तर नीचे गिरने से रुकेगा। मैं समझता हूं भ्रष्टाचारी लोगों के लिये सार्वजनिक जीवन में कोई स्थान नहीं होना चाहिये। मैं अपने संशोधन का पहला भाग वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन का पहला भाग वापस लिया गया।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ९ में प्रस्तावित नयी धारा 13-D की उपधारा (*a*) की पंक्ति १ में शब्द "Servant of" तथा "the State" के बीच शब्द व अर्धविराम "a local authority," बढ़ा दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री जयराम वर्मा—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ९ के अन्तर्गत प्रस्तावित नई धारा 13-D की उपधारा (*a*) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"(*a*) is an exservant of any local authority or any state or the Central Government, dismissed for corruption or disloyalty to the state."

[श्री जयराम वर्मा]

श्रीमान् जी, इस धारा में उन अयोग्यताओं का उल्लेख है जिनके होने पर कोई व्यक्ति म्युनिसिपैलिटी का सदस्य नहीं हो सकेगा और उसकी पहली अयोग्यता इस प्रकार है—

"(a) is a dismissed servant of the State or Central Government and is debarred from re-employment therein."

इसके समान अयोग्यता जो दी रिप्रेजेंटेशन आफ दी पीपुल ऐक्ट १९५१ में लिखी हुई है वह इस प्रकार है—

(F) After having held any office in the Govt. of India or the Government of any State or under the Crown of India or under the Government of an Indian State, he has, whether before or after the commencement of the Constitution, been dismissed for corruption or disloyalty to the State, unless a period of five years has elapsed since his dismissal."

इन दोनों अयोग्यताओं में एक महत्व का अन्तर है। जो "दी रिप्रेजेंटेशन आफ पीपुल ऐक्ट, १९५१" में अयोग्यता है उसका अर्थ यह है कि किसी स्टेट या केन्द्रीय सरकार का कोई नौकर जो करप्शन या राज्यद्रोह के कारण बरखास्त हुआ हो वही लोकसभा या धारा सभा आदि का सदस्य नहीं हो सकेगा और यदि कोई नौकर किसी दूसरे कारण से बरखास्त हुआ तो वह लोक सभा और धारा सभा आदि का सदस्य हो सकता है। लेकिन जिस प्रकार की अयोग्यता इस बिल में रखी गयी है, उसका अर्थ यह होगा कि कोई भी सरकारी नौकर जो किसी भी कारण से बरखास्त हुआ हो किसी म्युनिसिपल बोर्ड का मेम्बर होने के अयोग्य होगा। यानी अगर कोई आदमी भ्रष्टाचार और राज्यद्रोह के अलावा किसी और कारण से बरखास्त होता है तो वह धारा सभा और लोक सभा का सदस्य हो सकता है लेकिन म्युनिसिपैलिटी का सदस्य नहीं हो सकता। इसका अर्थ यह होगा कि अगर यह अयोग्यता इसी प्रकार रहने दी जायगी तो एक ऐनामलस स्थिति उत्पन्न हो जायगी। इसलिये जिस प्रकार से अयोग्यता इस रिप्रेजेंटेशन आफ पीपुल ऐक्ट, १९५१ में रखी हुई है उसी के समान यह अयोग्यता होनी चाहिये थी। इसलिये मैंने जो इसमें पहला सुधार करने की कोशिश की वह इस प्रकार है कि किसी लोकल अथारिटी, किसी स्टेट गवर्नमेंट, केन्द्रीय सरकार का ऐसा कर्मचारी जो भ्रष्टाचार या राज्यद्रोह के कारण बरखास्त हुआ है वही अयोग्य होगा किसी म्युनिसिपल बोर्ड का सदस्य होने से और कोई सरकारी नौकर जो किसी दूसरे कारण से बरखास्त हुआ हो वह अयोग्य नहीं ठहराया जायेगा। एक संशोधन मेरा इस प्रकार है।

श्री अध्यक्ष—अभी आप और समय लेना चाहते हैं।

श्री जयराम वर्मा—जी हां।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

कैलासचन्द्र भटनागर,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ,
१७ दिसम्बर, १९५२।

पी०एस०यू०पी० ए० पी०—१३३ एल० ए०—१९५२—८५०

उत्तर प्रदेश विधान सभा

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३६३)

अक्षयवर सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतहर हुसैन ख्वाजा, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अब्दुल रऊफ़ खां, श्री
अमरेशचन्द्र पाण्डेय, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफ़ा हुसैन, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेद सिंह, श्री
उल्फ़त सिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
करन सिंह, श्री
कल्याण राय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालिका सिंह, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
किन्दरलाल, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केवल सिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव पाण्डेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाश प्रकाश, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूब सिंह, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पाण्डेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरु प्रसाद पाण्डेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गेंदा सिंह, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गोविन्दवल्लभ पन्त, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त श्री
चन्द्रभानु शरण सिंह, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्र सिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चरण सिंह, श्री

चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशसरन रस्तोगी, श्री
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथबख्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगपति सिंह, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री
जुगलकिशोर, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
झारखंडे राय, श्री
टीकाराम, श्री
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तुलसीराम, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेज प्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजा सिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र प्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारका प्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिका प्रसाद पाण्डेय, श्री
धनुषधारी पाण्डेय, श्री
धर्म सिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थू सिंह, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नारायणदीन, श्री
निरंजन सिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरीराम, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवान सिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिन विहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभुदयाल, श्री
प्रेम किशन खन्ना, श्री
फ़तेह सिंह राणा, श्री
फूल सिंह, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बलदेव सिंह, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बलवीर सिंह, श्री
बलवन्त सिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री

बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बाबूलाल मीतल, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बिशम्भबर सिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनी सिंह, श्री
बैजनाथ प्रसाद सिंह, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवती प्रसाद दुबे, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवान सहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भूपालसिंह खाती, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोलानाथ सिंह यादव, श्री
मकसूद आलम खां, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मथुरा प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री
मदन गोपाल वैद्य, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महदेवप्रसाद, श्री
महाराज सिंह, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुजफ्फ़र हसन, श्री
मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक़ अली खां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ़, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद फ़ारूक़ चिश्ती, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद शाहिद फ़ाखरी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहन सिंह शाक्य, श्री
यमुना सिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथ प्रसाद, श्री
रघुराज सिंह, श्री
रघुवीर सिंह, श्री
रणञ्जय सिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राघवेन्द्र प्रताप सिंह, राजा
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्र दत्त, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
राम अधार तिवारी, श्री
राम अधीन सिंह यादव, श्री
राम अवध सिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनाथ तिवारी, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसाद सिंह, श्री

रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राम रतनप्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पाण्डेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लताफ़त हुसैन, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फ़ अली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नक़वी, श्री
वासुदेव प्रसाद मिश्र, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विश्वनाथ सिंह गौतम, श्री
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीर सेन, श्री
वीरेन्द्रनाथ मिश्र, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासीलाल, श्री
व्रजविहारी मिश्र, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भुनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदान सिंह, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराजवली सिंह, श्री
शिवराज सिंह यादव, श्री
शिवराम पाण्डेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुकदेवप्रसाद, श्री
शुगनचन्द्र, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्री चन्द, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथ राम, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सईदजहां मख़फ़ी शेरवानी, श्रीमती
संग्राम सिंह, श्री
सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जन देवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायण दत्त, श्री
सत्य सिंह राणा, श्री
सत्यानन्द, श्री
सफ़िया अब्दुलवाजिद, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सावित्री देवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम डाक्टर

सुन्दरलाल, श्री
सुरजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्य्यबली पाण्डेय, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आजमी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरखयाल सिंह, श्री
हरगोविन्द सिंह, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिश्चन्द्र वाजपेयी, श्री
हरि सिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुना, श्री

प्रश्नोत्तर

तारांकित प्रश्न

*१–२—श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—[१ जनवरी, १९५३, के लिये स्थगित किये गये।]

गन्ने की क़ीमत में कटौती का भुगतान

*३—श्री बलवन्त सिंह (जिला मुजफ़्फ़रनगर)—क्या सरकार बतलायेगी कि गन्ना की कीमत में जो रुपया, दो आना कटौती का सरकार ने काटा था उसको सरकार किसानों को वापिस देगी या नहीं? यदि हां, तो कब तक?

उद्योग मंत्री के सभा सचिव (श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री)—दो आने कटौती की रकम का भुगतान किसानों को किया जा रहा है और प्रयत्न यही है कि यह रकम शीघ्रातिशीघ्र अदा हो जाय। लेकिन यह निश्चित बताना कठिन है कि किस तिथि तक यह रकम पूरी अदा हो जायगी।

श्री बलवन्त सिंह—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि अब इस दो आने की कटौती की कितनी रक़म बाकी है?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री—यह रक़म १३ लाख, ५० हजार, ६ सौ कुछ रुपया बाकी है।

श्री बलवन्त सिंह—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि यह दो आने की कटौती किस लिये की गयी?

उद्योग मंत्री (श्री हुकुम सिंह)—एक किस्म से सेविंग कराने के लिये की गयी थी?

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)—क्या सरकार मेहरबानी करके बतलायेगी कि इस कटौती की रकम में से किसानों की तरफ से जमींदारी फंड में भी रुपया दिया गया था।

श्री हुकुम सिंह—जिन लोगों ने दरख्वास्ते दीं उनका उसमें से मुजरा करके लिया गया।

चीनी मिलों पर गन्ने की बक़ाया कीमत

*४—श्री बलवन्त सिंह—क्या सरकार बतलायेगी कि १९५१–५२ के गन्ना की क़ीमत के कुछ रुपये अब भी चीनी मिलों पर बक़ाया है? यदि हां, तो कितने?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री—जी हां, १९५१–५२ सीजन के गन्ने के मूल्य का लगभग चार करोड़ रुपया प्रदेश की चीनी मिलों को अभी अदा करना बाकी है।

श्री रामकुमार शास्त्री—क्या सरकार मेहरबानी करके बतलायेगी कि इस रकम की अदायगी का जो प्रयत्न किया जा रहा है वह क्या प्रबन्ध है?

श्री हुकुम सिंह— मिलों को बहुत सख्त आदेश दिये गये है कि जल्द से जल्द रुपया अदा करें दे।

ोचन्द (जिला मुजफ्फ़रनगर)—क्या माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि इस रुपये का कितना हिस्सा किसानों को दिया जा चुका है?

श्री हुकुम सिंह—अब साढ़े तेरह लाख बाकी है। पहले एक करोड़, बयासी लाख था। घटा लीजिये कितना हुआ।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)—क्या माननीय मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि यह गन्ने का जिन लोगों को रुपया दिया जा चुका है, उनमें से अधिकांश को यह शिकायत है कि उनको रुपया नहीं मिला?

श्री हुकुम सिंह—ऐसा तो मुझे मालूम नहीं।

*५—श्री बलवन्त सिंह—क्या सरकार इस रुपये की अदायगी के लिए अन्तिम तिथि नियत करेगी और उसमें सुस्ती करने वाली मिलों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करेगी?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री—इस रुपये की अदायगी के लिये सरकार पूरा प्रयत्न कर रही है। अन्तिम तिथि नियत करना प्रायः असम्भव है।

श्री बलवन्त सिंह—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि सरकार ने जिला मजिस्ट्रेटों को कोई यह आदेश दिया है कि जिन मिलों के ऊपर अब भी बकाया किसानों की है, पिछले साल की, उनके प्रासीक्यूशन किये जायं?

श्री हुकुम सिंह—हां।

श्री श्रीचन्द—क्या माननीय मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह रुपया किसानों की स्वीकृति से काटा गया?

श्री हुकुम सिंह—सम्भवतः ऐसे ही हुआ।

श्री बलवन्त सिंह--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि ऐसी कौन कौन सी मिलें हैं जिनके प्रासीक्यूशन के लिये डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेटों को लिखा गया है।

श्री हुकुम सिंह---इसके लिये नोटिस की जरूरत है।

श्री श्रीचन्द---क्या माननीय मंत्री महोदय को ज्ञात है कि इस प्रकार से बहुत से किसान ऐसे अब भी हैं जो अपना रुपया वापस लेना चाहते हैं।

श्री हुकुम सिंह--जिनका बकाया है वे सब लेना चाहते हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)---क्या माननीय उद्योग मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि दो आने कटौती जो अब तक शेष है वह किन-किन जिलों की है ?

श्री हुकुम सिंह---इसकी तफसील इस वक्त नहीं है।

*६---श्री नारायणदत्त तिवारी--[८ जनवरी, १९५३, के लिये स्थगित किया गया।]

*७-८---राजा वीरेन्द्रशाह (जिला जालौन)--[२४ दिसम्बर, १९५२, के लिये संख्या ७-८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

राजकीय नौकरियों के लिये संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षाये

*९---श्री पुत्तूलाल (जिला आगरा)---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि किन किन राजकीय नौकरियों के लिये मिली जुली प्रतियोगिता परीक्षा (Combined Competitive Examination) होती है और ऐसी परीक्षा कब से प्रारम्भ की गयी ?

मुख्य मंत्री (श्री गोविन्द वल्लभ पन्त)---(१) यू० पी० सिविल 'इक्जीक्यूटिव ब्रांच, (२) यू० पी० पुलिस सर्विस तथा (३) यू० पी० एकाउन्ट्स सर्विस के लिये मिली जुली प्रतियोगिता परीक्षा (पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा) होती है। ऐसी परीक्षा सन् १९५१ ई० से प्रारम्भ की गई है।

श्री पुत्तूलाल----क्या माननीय मुख्य मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि मिली जुली प्रतियोगिता परीक्षा होने की वजह से उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा होने वाली सरकारी आमदनी में क्या अन्तर पड़ा ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त---जितना रुपया हमने बजट में उनके लिए पहले से रखा था उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ।

श्री पुत्तूलाल---जब से मिली जुली परीक्षा हुई क्या माननीय मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि परिगणित जाति के लोगों का इन सर्विसेज़ में पूरा पूरा प्रतिनिधित्व नहीं हो रहा है ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त---यह कोई विशेष संबंध इस बात से रखता है या नहीं यह तो मैं नहीं कह सकता। लेकिन इससे सहूलियत तो ज्यादा होनी

चाहियें। जो कोई भी इस परीक्षा में शरीक हों वह एक परीक्षा के बदले में तीन में दाखिल हो सकता है और तीन में से अगर किसी एक के लिये भी योग्य हो तो लिया जा सकता है। इससे दायरा बढ़ता है, घटता नहीं।

श्री पुत्तूलाल--क्या माननीय मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि जब से मिली जुली परीक्षा हुई है तब से कोई भी डी० एस० पी० परिगणित जाति से नहीं लिया गया?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त--सिर्फ दो ही परीक्षाएं हुई हैं। एक १९५१ में और एक १९५२ में जिसमें कि पांच १९५१ में रखे गये थे और पांच ५२ में। फिर उनमें पांच को छः कर दिया गया ताकि दस का उसमें अंश आ जाय।

श्री हरदयाल सिंह पिपल (जिला अलीगढ़)--क्या माननीय मुख्य मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि यह मिली जुली प्रतियोगिताएं क्यों चालू की गयी हैं।

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त--इसलिये चालू की गयी है कि जो कोई उम्मीदवार खड़े हों परीक्षा के लिए उनको तीन दफा न आना पड़े और एक ही मर्तबा में वह खड़े हो सकें और एक के लिये अगर योग्य न समझे जायं और दूसरे के लिए अगर योग्य हों तो उसमें ले लिये जायं, जिससे उनके लिए तकलीफ कम हो, खर्चा कम हो और सब के लिये सुभीता हो।

*१०-१२--श्री जगपति सिंह (जिला बांदा)--[२६ दिसम्बर, १९५२, के लिये संख्या १३-१५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*१३-१४--श्री गेंदा सिंह--[१ जनवरी, १९५३, के लिये स्थगित किये गये।]

आगरे में ताज के समीप वेअर की आवश्यकता

*१५--श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)--क्या मुख्य मंत्री को विदित है कि आगरा में जो सन् १९४८-४९ में प्लानिंग कमेटी थी उसने ताज के समीप एक weir बनाने की सिफारिश की उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की?

नियोजन उपमंत्री (श्री फूल सिंह)--१९४८-४९ में आगरे में कोई जिला प्लानिंग कमेटी नहीं थी। एक स्थानीय कमेटी ने आगरा नगर सुधार संबंधी योजनाओं पर विचार करते हुये एक weir बनाने का सुझाव नगर पालिका आगरा को दिया था। नगर पालिका आगरा ने इस सुझाव को Localself Engineering Department आगरा को भेज दिया। चूंकि यह कार्य बहुत बड़ा और अधिक व्यय का है अतः इस पर Localself Engineering Department द्वारा व्यय का अनुमान लगाया जा रहा है।

श्री देवकीनन्दन विभव--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने का कष्ट करेंगे कि यह वेअर बनने में कितना समय लग जायगा?

श्री फूल सिंह--चूंकि वह कागज नगरपालिका आगरा के पास था, उन्होंने सीधा उनको भेजा तो वहां से मालूम करके ठीक बताया जायगा और कोशिश की जायगी कि जल्द से जल्द उत्तर मिल जाय।

अतारांकित प्रश्न

१—श्री नरदेव शास्त्री (जिला देहरादून)—[१५ जनवरी, १९५३, के लिये स्थगित किया गया।]

२-४—श्री बाबूनन्दन (जिला जौनपुर)—[१ जनवरी, १९५३, के लिये स्थगित किये गये।]

अमरोहा शुगर मिल में किसानों को गन्ने के मूल्य के बदले चीनी

५—श्री जगदीश प्रसाद (जिला मुरादाबाद)—क्या सरकार को ज्ञात है कि अमरोहा शुगर मिल में किसानों को पिछले वर्ष के गन्ने के मूल्य के बदले में ८५ रु० प्रति बोरी के हिसाब से चीनी दी जाती है और फिर वही चीनी ७८ रु० प्रति बोरी ली भी जाती है?

श्री हुकुम सिंह—सरकार को इतना ही ज्ञात है कि अमरोहा मिल में पिछले वर्ष के गन्ने के मूल्य के बदले में उन्हीं किसानों को ८५ रु० प्रति बोरी के हिसाब से चीनी दी जाती है जिन्हें कि उसे लेने में कोई आपत्ति नहीं है। किन्तु सरकार को अभी तक ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है कि उक्त मिल फिर वही चीनी ७८ रु० प्रति बोरी उनसे वापस भी ले लेती है।

गुड़ उद्योग की उन्नति के लिये सहायता

६—श्री गेंदा सिंह—क्या सरकार ने गुड़ उन्नति योजना के अन्तर्गत उन्नतिशील कोल्हू तथा कढ़ाव प्रत्येक जिले में भेज दिये हैं? अगर नहीं, तो क्यों?

श्री हुकुम सिंह—इस वर्ष गुड़ उन्नति योजना जिन जिलों में चल रही है उन जिलों में किसानों को उन्नतिशील कोल्हू तथा कढाव तकावी पर देने का प्रबन्ध कर दिया गया है।

७—श्री बाबूलाल मीतल (जिला आगरा)—[१ जनवरी, १९५३, के लिये स्थगित किया गया।]

किसी गांव में पुलिस के कथित अत्याचार के सम्बन्ध में कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—मेरे पास श्री गजेन्द्र सिंह जी ने एक काम-रोको प्रस्ताव भेजा है जिसमें किसी गांव में पुलिस द्वारा अमानुषिक अत्याचार आदि बातें लिखी गई है जो निश्चित नहीं है और इसमें एक जगह के बारे में ऐसी बात है जिसको गोल मोल ढंग से लिखा गया है। ऐसी अवस्था में मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं कि यह पेश हो।

श्री राजनारायण के ९ दिसम्बर, १९५२ के भाषण के कुछ अंशों पर स्वशासन मन्त्री द्वारा उठायी गयी आपत्ति पर श्री अध्यक्ष की व्यवस्था

श्री अध्यक्ष--सदन में परसों, यानी १६ तारीख को, श्री राजनारायण जी के भाषण के संबंध में जो स्पष्टीकरण हुआ उसके संबंध में मैंने यह कहा था कि मैं इस संबंध में, अपना जो निश्चय है वह सदन को बताऊंगा उसे जो मैं अब बताना चाहता हूं।

तारीख ९ दिसम्बर, १९५२ को श्री राजनारायण जी ने एक संशोधन के समर्थन में भाषण देते हुये अपने तर्क की पुष्टि में प्रमाण रूप में इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक फैसले का आंशिक उद्धरण जो ए० आई० आर० इलाहाबाद रिपोर्ट, १९५१ के २२२ पन्ने पर है, पढ़कर सुनाया और जिस पर मेरे पास तारीख १० को स्वशासन मंत्री जी ने एक पत्र के द्वारा शिकायत भेजी कि उस उद्धरण तथा भाषण प्रसंग द्वारा इस सदन में यह भ्रम उत्पन्न हुआ, तथा अन्य कोई जो इस उद्धरण और भाषण को पढ़ेगा उसको भी यह भ्रम उत्पन्न हो सकता है कि हाई-कोर्ट ने इस सरकार को दिवालिया या इनएफिश्येंट यानी अयोग्य, या बेईमान कहा है जब कि फैसले में इसके विपरीत अर्थ निकलता है। इसलिये उन्हें यह संकल्प यानी मोशन लाने की अनुज्ञा दी जाय कि उस दिन के उस भाषण का वह भाग उस दिन की कार्यवाही से निकाल दिया जाय।

इसके पश्चात् दूसरे दिन माननीय राजनारायण जी के भाषण की प्रतिलिपि जो उनके पास भाषा तथा व्याकरण की अशुद्धियों की दुरुस्ती के लिये भेजी गई थी मुझे दफ्तर से प्राप्त हुई, जिसमें मैंने देखा कि भाषा तथा व्याकरण की अशुद्धियों के अलावा माननीय राज-नारायण जी ने ऐसे शब्द जोड़े हैं, जो कुछ अंश में भाव का भी परिवर्तन करते हैं। मेरा दफ्तर ऐसे भाव परिवर्त्तनों को मेरी स्वीकृति के बगैर नहीं कर सकता। इसलिये यह भी प्रश्न मेरे सामने उपस्थित हुआ कि तारीख ९ की कार्यवाही में माननीय राजनारायण जी के भाषण के सही शब्द यदि कायम रहें तो क्या लिखे जायं।

इस कारण मैंने यह उचित समझा कि सदन के सामने यह प्रश्न स्पष्टीकरण के लिये आ जावे और माननीय स्वशासन मंत्री जी का तथा श्री राजनारायण जी का इस पर कथन सुनकर मैं यह निर्णय कर सकूं कि आया उस भाषण के वाक्य और उक्त उद्धरण हटाने का ही केवल प्रश्न है या इस सदन के विशेषाधिकार की अवहेलना का भी प्रश्न उठ सकता है और यदि मैं इस नतीजे पर आजाऊं कि यह केवल उक्त भाषण के अंश को हटाने का ही प्रश्न है तो क्या माननीय स्वशासन मंत्री जी को अनुमति देना उचित होगा कि वे संकल्प उपस्थित कर और सदन के निर्णय को प्राप्त करके उसके अनुसार मैं निर्णय दूं अथवा मैं स्वयं इस प्रश्न का निर्णय करूं। इस दृष्टि से तारीख १६ को मैंने केवल स्पष्टीकरण के हेतु सदन में सीमित विवाद की इजाजत दी जिसमें माननीय स्वशासन मंत्री, माननीय राजनारायण जी, माननीय मुख्य मंत्री जी तथा माननीय श्री मदनमोहन उपाध्याय जी ने इन प्रश्नों पर प्रकाश डाला और माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह भी संकेत किया कि वे विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठाना चाहते। इन कथनों से तारीख ९ के माननीय श्री राजनारायण जी के भाषण के संबंध में जो स्पष्टीकरण हुआ और जो अपने हेतु के संबंध में माननीय श्री राजनारायण जी ने कथन दिया उन्हें सामने रखते हुये मैं इस निर्णय पर पहुंचा कि यह प्रश्न अब विशेषाधिकार के प्रश्न के रूप में नहीं उठाया जा सकता और केवल प्रश्न माननीय श्री राजनारायण जी के ९ तारीख के भाषण के आंशिक अंग को हटाने का ही रह जाता है। मैंने यह भी निश्चय उसी समय प्रगट किया कि मैं स्वयं इसका निर्णय करूंगा कि आया आपत्तिजनक वाक्यों का संशोधन किया जाय: जैसा कि माननीय श्री राजनारायण जी ने चाहा था अथवा उन्हें हटा दिया जाय। इस विषय से संबंधित दोनों दिनों के भाषणों तथा कथनों और हाईकोर्ट के

फैसले से संबंधित भाग पढ़ने से निर्विवाद स्पष्ट होता है कि हाईकोर्ट का यह फैसला नहीं था कि यह सरकार दिवालिया, अयोग्य अथवा बेईमान है बल्कि उसके विपरीत जज ने सरकार के विरुद्ध किये उक्त दावे को खारिज किया और इस प्रकार के दावे को सार्वजनिक हित की दृष्टि से अनुचित बताया। ऐसे दावों के अनौचित्य पर विचार करते हुये जो हाई कोर्ट के माननीय जज ने तर्क उपस्थित किया उसका एक अंश मात्र वह उद्धरण है जो श्री राजनारायण जी ने सदन में पढ़कर सुनाया जिसमें हाईकोर्ट के फैसले में सरकार पर लांछन लगाने के विरुद्ध जिक्र किया गया है कि वह जनता के हित में नहीं होगा। माननीय श्री राजनारायण जी के स्पष्टीकरण के कथन का तात्पर्य भी यही था कि उनका उद्देश्य सदन को बताने का यह नहीं था कि जज ने यह फैसला दिया कि सरकार इस प्रकार की है। मेरे प्रश्न पूछने पर उन्होंने यहां तक कहा कि उनका उद्देश्य आमतौर पर सरकारों के प्रति संकेत करने का था और प्रस्तुत सरकार पर नहीं था। इस आदरणीय सदन की प्रथा के अनुसार माननीय श्री राजनारायण जी का उद्देश्य स्वीकार करके यह प्रश्न उठता है कि आया जो भाषण माननीय श्री राजनारायण जी का लिखा गया अथवा जो सुधार माननीय श्री राजनारायण जी कुछ वाक्यों में कर के उसमें शब्द बढ़ाना चाहते हैं उनसे जिस उद्देश्य को उन्होंने स्वयं बताया वह स्पष्ट व्यक्त होता है या नहीं। मैंने बहुत गौर से मूल रिपोर्टरों द्वारा लिखित भाषण की प्रति तथा जिस प्रकार माननीय राजनारायण जी भाषण के रूप में हेरफेर चाहते हैं दोनों आवृत्तियां गौर से पढ़ीं और मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि दोनों रूपों में यह भ्रम कायम रहेगा कि वक्ता का उद्देश्य यही है कि माननीय हाईकोर्ट ने यह फैसला दिया है कि सरकार उक्त प्रकार की है। मूल आवृत्ति से बिलकुल ही स्पष्ट है और माननीय श्री राजनारायण द्वारा सुधारी प्रति से फैसले में संकेत "तथा रिमार्क" शब्द के प्रयोग से भी यही भ्रम उत्पन्न होता है क्योंकि जिस स्थान पर प्रमाण रूप में यह उद्धरण दिया गया और जिन जज के फैसले या रिमार्क्स से माननीय श्री राजनारायण जी ने इस सरकार को हटाने तक का नतीजा निकाला उनसे उक्त भ्रम कायम रहना स्वाभाविक है। इस प्रकार के भ्रमात्मक आंशिक उद्धरण का जो अर्थ का विपर्यास करते हों उन्हें प्रमाण रूप में इस सदन के सामने लाना किसी माननीय सदस्य की प्रतिष्ठा के लिये हानिकर है और इस कारण सदन की प्रतिष्ठा पर भी ठेस पहुंचती है।

इस कारण मैं उक्त आपत्तिजनक वाक्यों को माननीय राजनारायण जी के ९ तारीख के उक्त भाषण में इस आदरणीय सदन की उस दिन की कार्यवाही में मूल रूप में अथवा संशोधित रूप में कायम रखना इस सदन की प्रतिष्ठा तथा भाषण मर्यादा की दृष्टि से अनुचित समझता हूं और यह निर्णय देता हूं कि निम्न वाक्य उक्त भाषण से हटा दिये जायं। वे वाक्य इस प्रकार हैं—

एक उदाहरण मैं आप के द्वारा सम्मानित सदस्यों की सेवा में रखना चाहता हूं। वह देखेंगे"..." , यहां से लेकर वह उद्धरण है जो कि सदन के सामने आ चुका है। "इस तरह के फैसले श्रीमन् हमारे सामने हैं। अगर हम पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट सम्मानित सदन के सामने रखें तो वह देखेगा कि वहां पर बड़ी २ खामियां इस सरकार की बताई गई हैं। एक (जैसा ओम प्रकाश गुप्त के केस में मैंने पहले कहा) सम्मानित जज ने तो यहां तक फैसला (में) दिया है कि (ऐसे दावे यह संकेत करते हैं कि) या तो गवर्नमेंट दीवालिया है, या बेईमान है या, अयोग्य है, तो क्या यह फैसला (संकेत) एक सम्मानित जज के द्वारा किसी सरकार के लिये शोभनीय है? इस (ऐसी) सरकार को किसी जज का यह रिमार्क (फैसला) हटाने के लिये क्या काफी नहीं है। क्या इस (ऐसी) सरकार को, इस (ऐसी) निकम्मी सरकार को जिसके बारे में जज का इतना बड़ा फैसला (रिमार्क) है निकालने का अधिकार जनता के हाथ में नहीं जाना चाहिये। मैं समझता हूं कि देना (जाना) चाहिये।" ये शब्द निकाल दिये जायं।

[श्री अध्यक्ष]

[श्री राजनारायण द्वारा शोधित शब्द कोष्ठकों ( ) में रखे गये हैं]

मैं इस विषय में एक बात और स्पष्ट कर देना चाहता हूं जो सदन के विवाद तथा कार्यवाहियों के सम्बन्ध में स्वस्थ प्रथा से संबंधित है। इस प्रकार के आपत्तिजनक वाक्यों को हटाने के दो तरीके हैं। एक तो इस आदरणीय सदन में किसी संकल्प द्वारा आपत्तिजनक वाक्य हटाये जा सकते हैं। दूसरे स्वयं अध्यक्ष उन आपत्तिजनक वाक्यों को हटा दे। यह दोनों ही प्रथाएं उपयोग में विधान सभाओं में लायी गयी हैं। और इसके उदाहरण हमारे सामने मौजूद हैं। मैं यहां पर सदन का समय उन उदाहरणों के लिये नहीं लेना चाहता हूं। लेकिन दोनों प्रकार के उदाहरण मुझे मिले हैं। इन प्रथाओं में से इस मामले में किस प्रथा का अनुकरण करना उचित होगा इस पर मैंने विचार किया। इस सदन में साधारणतया यही प्रथा रही है कि अध्यक्ष आपत्तिजनक वाक्यों को हटाते रहे और इस प्रकार एक उदाहरण यह भी हुआ है कि माननीय नारायणदत्त जी के विरुद्ध उनकी शान के खिलाफ अश्लील वाङ्मय के एक शब्द का प्रयोग माननीय विष्णुशरण दुब्लिश जी ने किया था। मेरे सामने उसके संबंध में श्री झारखंडे राय जी ने आपत्ति की और मैं समझता हूं कि और लोगों ने भी इसकी चर्चा की। उसके बाद मैंने इस प्रकार की आज्ञा दी कि यह शब्द हटा दिया जाय। और भी उदाहरण इस तरह के समय समय पर इस सदन के मिलते हैं कि अध्यक्ष ही इस प्रकार के आपत्तिजनक वाक्यों को हटा देने का काम किया करते हैं। हमारे पास जो नियम हैं उनमें भी स्पष्ट रूप से यह भार अध्यक्ष के ऊपर ही सौंपा है कि किस तरह से इस सदन की कार्यवाही प्रकाशित हो क्योंकि इस आदरणीय सदन की कार्यवाही बहुत ही महत्वपूर्ण समझी जाती है और उसको बहुत इज्ज़त के साथ देखा जाता है। इस आदरणीय सदन की स्वयं प्रतिष्ठा जनता के समक्ष बहुत अधिक है और इसके विवाद के समय में अगर कोई ऐसे वाक्य जनता के सामने जाते हैं जिनसे जनता यह समझे कि इस सदन के सदस्य इस प्रकार के हैं जो कि इस तरह के शब्द प्रयोग करते हैं जो कि बाहर भी उच्चारण करने को योग्य नहीं होते हैं या बाहर सभ्य समाज में जारी नहीं हैं तो ऐसी अवस्था में इस सदन की प्रतिष्ठा को बड़ी ठेस पहुंच सकती है। इसलिये यह नियम बना दिया गया कि किस प्रकार से वह कार्यवाही प्रकाशित हो, यह अध्यक्ष ही निर्णय करें। यदि अध्यक्ष स्वयं समझें कि इस आदरणीय सदन की राय लेने की आवश्यकता है: उस वक्त वह राय लेकर निर्णय करें तो दूसरी बात है। लेकिन जहां स्पष्ट कोई बातें हैं और अध्यक्ष इस नतीजे पर आते हैं कि पार्लियामेंटरी वादविवाद करने के तरीके के विपरीत कोई बात कही गयी है तो वह स्वयं उन वाक्यों को हटा सकते हैं। इस प्रथा में अल्पसंख्यक लोगों का हित भी निहित है। मैं उदाहरणार्थ यह बात सदन के सामने रख देना चाहता हूं कि मान लिया जाय कि इस प्रकार का कोई आपत्ति-जनक वाक्य का बहुमत के लोगों में से किसी सदस्य ने यहां पर प्रयोग किया और सदन के अल्पसंख्यक सदस्यों पर आक्षेप किया और उसके ऊपर अल्पसंख्यक लोगों ने आपत्ति उठायी कि वह वाक्य हटा दिया जाय। तो अगर संकल्प द्वारा ही हटाने का प्रश्न है तो संभव है कि बहुत बुरी बातें भी जो अल्पसंख्यक लोगों के विरुद्ध कही गई हों वे बहुमत से, अगर बहुमत जोश में हो, यह निर्णय होना संभव है कि वह वाक्य न हटाया जाय, हालांकि मैं नहीं समझता हूं कि यह सदन ऐसा निर्णय करेगा जिससे कि आपत्तिजनक वाक्य को हटाने में किसी तरह की कठिनाई हो, इस सदन से यह आशा की जाती है। लेकिन जैसा कि भावा-वेश होता है, कभी कभी सदन में क्रुद्ध भाव होता है, ऐसे समय ऐसा हो सकता है कि अल्प संख्यक लोगों की आपत्ति वाजिब होते हुये भी और उनके प्रति अपमानजनक भाषण होते हुये भी उसे हटाने के लिये सदन अनुमति न दे। तो ऐसी अवस्था में कार्यवाही में ऐसे शब्द रह जायेंगे जो आपत्तिजनक हैं। इसलिये इस सदन की प्रतिष्ठा को कायम रखने का भार अगर अध्यक्ष के ऊपर होता है तो यह उचित ही है। इस मामले में जरा गड़बड़ी इस कारण हो गयी कि तत्काल आपत्ति नहीं की गयी थी। इसीलिये मैंने उचित समझा कि थोड़ा बहुत प्रकाश इसके ऊपर डाला जाय। जो हमारा

नया नियम २२३ है उसमें लिखा हुआ है कि कार्यवाही संचालन करने के बारे में कोई नियम न हो तो ऐसे समय में अध्यक्ष यह निर्णय करेगा कि किस प्रकार से कोई कार्यवाही हो। उस अधिकार को उपयोग में लाकर मैंने यह उचित समझा कि यहां पर कोई संकल्प भी न हो, स्पष्टीकरण भी हो जाय और मै स्वयं निर्णय करूं जिसमें यह स्वस्थ प्रथा भी जारी रहे कि अल्प संख्यक लोगों को भी किसी तरह की कभी आगे चलकर हानि न हो। और अध्यक्ष ही प्रथा के अनुसार स्वयं निर्णय करे कि कौन से वाक्य प्रतिष्ठा के खिलाफ हैं और यदि खिलाफ हैं तो ऐसे वाक्यों को हटाना चाहिये या नहीं। इसीलिये इसके ऊपर मैंने स्वयं निर्णय देने का भार अपने ऊपर लिया और जो निर्णय मैंने दिया उसके अनुसार आपत्तिजनक वाक्य हटा दिये जायंगें।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)--आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैंने आप से निवेदन किया था कि ९ तारीख के भाषण के संबंध में दोनों पक्षो ने अपने अपने मत स्पष्ट तरीके से रख दिये हैं। आपके प्रति और आपके निर्णय के प्रति पूर्ण श्रद्धा रखते हुये मुझे यह कहना पड़ता है कि दुनिया के तमाम पार्लियामेंट.........।

श्री अध्यक्ष--जो मैंने अभी निर्णय दिया है उसके ऊपर मै आपको रिमार्क्स करने की इजाजत नहीं देता हूं।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला ननाताल)--श्रीमन, आपने जो आज्ञा दी है वह बहुत ही स्पष्ट है लेकिन इसके साथ ही एक प्रश्न और उठता है कि क्या किसी सरकार के विरुद्ध आपत्तिजनक विवाद करने से प्रोसीडिंग्स से वे शब्द एक्स्पंज किये जायं इसके संबंध में आपकी क्या राय है क्योंकि किसी व्यक्ति के लिये आपत्तिजनक शब्द कहे जायं तो उनका तो प्रोसीडिंग्स से एक्स्पंज किया जाना उचित मालूम होता है।

श्री अध्यक्ष--माननीय सदस्य इसी पर बिला इसको समझे हुये विवाद कर रहे हैं। जो निर्णय मैंने अभी दिया है वह विवाद करने के बारे में नहीं है। जो जज का फैसला है उसके बारे में जो श्री राजनारायण जी ने उद्धरण वक्तव्य दिया, उस फैसले के विपरीत दिया। इसलिये कि यह जो फैसला है उसमें ऐसी कोई बात नहीं है जो सरकार के लिये आपत्तिजनक बात हो। बिना समझे हुये आपने प्रश्न पूछा इसलिये जवाब देने की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री राजनारायण--श्रीमन्, इंटरप्रिटेशन करने के राइट को इस तरह से हमसे छीना जाता है। इसलिये इसके विरोध में मैं ५ मिनट के लिये इस सदन से अलग होता हूं।

(इसके उपरान्त विरोधी दल के नेता तथा दल के अन्य सदस्य सदन से उठ कर चले गये और पांच मिनट बाद वापस आ गये।)

*उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (संशोधन) विधेयक, १९५२

श्री अध्यक्ष--अब उत्तर प्रदेश म्युनिसपैलिटीज (संशोधन) विधेयक, १९५२ ई० पर, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद द्वारा पारित हुआ है, पर विचार जारी रहेगा।

*२ दिसम्बर, १९५२ की कार्यवाही में छपा है।

विरोधी दल के सदस्यों द्वारा सभा त्याग करने पर वैधानिक आपत्ति

श्री भगवती प्रसाद शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)--मैं वैधानिक आपत्ति उठाना चाहता हूं, अगर अध्यक्ष महोदय आज्ञा दें।

श्री अध्यक्ष--उठाइये, क्या आपत्ति है?

श्री भगवती प्रसाद शुक्ल (प्रतापगढ़)--मैं यह वैधानिक आपत्ति उठाना चाहता हूं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अध्यक्ष महोदय, की आज्ञा के विरुद्ध विरोधी दल के सदस्य भवन से निकल गये हैं। इसलिये भवन का अपमान किया गया है। इस पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इसलिये इसके ऊपर आप निर्णय दे।

श्री अध्यक्ष--इस सदन में से कोई प्रोटेस्ट में निकल गया था सदन से बाहर चला जाय, यह एक आम प्रथा सी दिखाई देती है। अगर केवल तर्कशास्त्र से सोचा जाय, बुद्धि से सोचा जाय तो हां यह हो सकता है कि अपमान हो लेकिन जो प्रथा चली जाती है "शास्त्रात् रुढिर्बलीयसी" यह कहावत है, यह रुढि होने की वजह से मैं यह समझता हूं कि जब कोई अपमानजनक या अपमान सूचक कोई शब्द जाते समय इस्तेमाल न करे तब तक आपत्ति उठाई नहीं जा सकती है।

उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (संशोधन) विधेयक, १९५२
†खंड ९ (क्रमागत)

‡श्री जयराम वर्मा (जिला फैजाबाद)--अध्यक्ष महोदय, कल मैंने यह स्पष्ट करने का प्रयत्न किया था कि यह उपधारा अगर अपने वर्तमान रूप में रहे तो इसका अर्थ यह होगा कि राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार का कोई कर्मचारी अगर किसी भी कारण से, बरखास्त होता है तो वह नगरपालिका का सदस्य होने के योग्य नहीं रहेगा, इसके लिये वह अयोग्य ठहरा दिया जायगा लेकिन "दी रिप्रेजेंटेशन आफ दी पीपुल ऐक्ट, १९५१" के अन्तर्गत विधान मंडल और संसद के, सदस्यों के लिये जो अयोग्यता लिखी हुई है उसका अर्थ यह है कि अगर कोई राज्य कर्मचारी या केन्द्रीय सरकार का कर्मचारी भ्रष्टाचार और राजद्रोह के कारण बरखास्त होता है तो वह संसद या विधान मंडल का सदस्य नहीं हो सकेगा। इसका अर्थ यह होता है कि ऐसा सरकारी कर्मचारी जो भ्रष्टाचार या राजद्रोह के अतिरिक्त और किसी कारण से बरखास्त होता है संसद और विधान मंडल का सदस्य तो हो सकेगा लेकिन वह किसी नगर पालिका का सदस्य नहीं हो सकेगा। यह परिस्थिति मुझे थोड़ी सी अवैधानिक सी लगती है। इसलिये मैंने अपने संशोधन के द्वारा यह प्रयत्न किया है कि यह जो नियम के विरुद्ध बात मालूम होती है वह हटा दी जाय। दूसरी बात तो मैंने अपने संशोधन में परिवर्तित करने की कोशिश की है वह यह है कि कल जो संशोधन माननीय मंत्री ने स्वीकार किया है उसमें "ए लोकल अथारिटी" शब्द रक्खे हैं मैंने शब्द "ए" की जगह पर "ऐनी" रख दिया है। उससे अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता, थोड़ा फोर्स बढ़ता है। शब्द "ए" का इतना जोर नहीं है जितना शब्द "ऐनी" का है इसलिये मैंने "ए लोकल अथारिटी" की जगह पर "एनी लोकल अथारिटी" शब्द रख दिये।

दूसरा परिवर्तन जो मैं अपने संशोधन के द्वारा चाहता हूं वह यह है कि जहां इस उपधारा में "दी स्टेट" शब्द रखे हुये हैं उसकी जगह पर शब्द "एनी स्टेट" रख दिये जायं। इसका

---

†१५ दिसम्बर, १९५२ की कार्यवाही में दिया है।

‡ श्री जयराम वर्मा का संशोधन १७ दिसम्बर, १९५२, के कार्यवाहीं में छपा है।

अर्थ यह होगा कि केवल इस राज्य सरकार के कर्मचारी जो बरखास्त हो, नगरपालिका का सदस्य होने के अयोग्य न हो, बल्कि हमारे देश में किसी भी राज्य सरकार का कर्मचारी चाहे वह किसी कारण से या मेरे संशोधन के अनुसार भ्रष्टाचार और राज्यद्रोह के कारण बरखास्त हुआ हो वह नगरपालिका का सदस्य न हो सके। इस तरह मैंने अपने संशोधन के द्वारा इस बिल की वर्तमान उपधारा को इस रूप में परिवर्तन करने की कोशिश की है। मैं समझता हूं कि अगर ऐसा हो जाय तो अधिक उपयुक्त होगा और अगर माननीय मंत्री को मेरी बात उचित मालूम होती हो तो वह उसे स्वीकार कर ले ।

स्वशासन मंत्री (श्री मोहनलाल गौतम)——माननीय अध्यक्ष महोदय, इस संशोधन द्वारा यह कोशिश की गई है कि जो कर्मचारी डिसमिस हो वह केवल करप्शन या डिस्लाय-लटी के लिये डिसमिस हों वह न खड़े हो सके, बाकी सब लोकल बाडीज मे खड़े हो सके। जैसा कि माननीय सदस्यों को अनुभव होगा कि लोकल बाडीज खास कर म्युनिसिपैलिटीज़ में काफी सुधार की आवश्यकता है और जितना इस मामले को किया जाय उतना ही थोड़ा है यह कई बार होता है कि एक कर्मचारी बरखास्त होता है लेकिन यह जरूरी नहीं है, चाहे वह करप्शन या डिसल्वायलटी के कारण ही डिसमिस हो, लेकिन यह नही लिखा जाता। लोकल अथारिटीज में मुश्किल हो जायगा इस तरह का कारण देना। स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट है जो उनका डिसमिसल के लिये बाकायदा एक बहुत एलोबोरेट प्रोसीजर होता है लेकिन लोकल बाडीज़ मे ऐसा नहीं होता, इसमें काफी दिक्कतें आ जायेंगी। इसलिये वे कर्मचारी जो राज्य सरकार ने, केन्द्रीय सरकार ने या जिनको लोकल अथारिटीज ने निकाला है, जिनको डिबार कर दिया हो उनका मेम्बरशिप के लिये अलग रहना ही मुनासिब होगा। इससे फायदा यह होगा और म्युनिसिपैलिटीज़ का शासन सुधरेगा। इसलिये मैं मूवर साहब से प्रार्थना करूंगा कि वह इसको वापस ले ले।

श्री जयराम वर्मा——मैं इसको वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

[श्री रामनारायण त्रिपाठी के स्थगित संशोधन पर विवाद।]

***श्री राजनारायण (जिला बनारस)**——आदरणीय, महोदय, मैं सिम्बल के संबध में उस दिन कह रहा था कि म्युनिसिपल चुनावों के लिये सिम्बल सिस्टम एडाप्ट करना चाहिये। उस दिन मैं यह भी कह रहा था कि मुझे इस बात पर आश्चर्य होता है कि जब इतने दिनों से म्युनिसिपल बोर्ड का चुनाव करने के लिये माननीय मंत्री जी लालायित थे और आज भी माननीय मंत्री जी म्युनिसिपल बोर्ड का चुनाव जल्दी कराने की बात समय समय पर इस सदन मे कहा करते है। तो क्या कारण है कि माननीय मंत्री जी ने अभी तक किस प्रथा से चुनाव हो इस पर अपनी सम्मत्ति स्थिर नही की है। मुझे आश्चर्य है यह देखकर कि इस सरकार की जो गति-विधि है वह जनतांत्रिक प्रणाली के विरुद्ध है। यह सरकार अपने मनमाने ढंग से काम किया करती है और मारेलिटी और आनेस्टी का जो तकाजा है उसके विपरीत यह सरकार अपने कदम उठाया करती है। मैं समझता हूं यह उस तरीके पर फिर आना चाहती है।

श्री मोहनलाल गौतम——प्वाइन्ट आफ आर्डर, आपने जो रूलिंग पिछले दिनों मेज़ पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस से पढ़कर सुनाई थी उसको आवेश मे हमारे माननीय सदस्य भूल गये है। क्या इस तरह के सख्त लब्ज़ इस्तेमाल करना उचित होगा?

श्री अध्यक्ष——माननीय सदस्य अपने भाव प्रकट कर रहे है, उन्हे कुछ सहन करना चाहिये।

---

*श्री रामनारायण त्रिपाठी के संशोधन पर श्री राजनारायण १६ दिसम्बर, १९५२, को भाषण कर रहे थे कि सदन स्थगित हो गया। यह भाषण उसके क्रम मे है।

श्री राजनारायण—मैं कह रहा था कि मेरे सामने बहुत से उदाहरण रखे हैं हाईकोर्ट के और दूसरे जिनसे मालूम होता है कि इस सरकार को गतिविधि जनतंत्र के विरुद्ध है। जिनमें ऐसा कहा जाता है कि यह सरकार बेइमानी के रास्ते पर चलती है। उस सरकार से मैं यह जानना चाहता हूं कि वह किस प्रथा को चुनाव के लिये चलाना चाहती है।

श्री अध्यक्ष—आपने जो "बेइमानी" शब्द प्रयोग किया है यह अनपार्लियामेंटरा है। इसको उपयोग में न लाया जाय चाहे वह किसी के लिये भी हो।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, मैं यह कह रहा था कि हमें जो बार-बार कहा जाता है कि इसकी (सरकार की) नीयत पर आक्षेप नहीं करना चाहिये इसके संबंध में मैं बहुत ही नम्रतापूर्वक आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं और आपके ज़रिये से माननीय सदन से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस सरकार की नियत पर आक्षेप करने की हमारी इच्छा नहीं रहती है किन्तु इस सरकार के काम ही ऐसे होते हैं कि जिससे इसको उस कोटि में लाया जा सकता है कि सरकार की नीयत साफ नहीं है। श्रीमन्, एक बार नहीं मैंने बार-बार उदाहरण इस सदन के सामने रखे और सिम्बल सिस्टम के बारे में इस सदन से निवेदन किया कि जब तक सिम्बल का सिस्टम अख्तयार नहीं किया जायगा तब तक आजकल के जमाने में सिक्रेसी मेंटेन (जनतन्त्र प्रणाली) नहीं हो सकती। जो वोटर हैं उनका विश्वास नहीं होगा कि जिसे वोट दे रहे हैं वह उनका वोट सीक्रेट रहता है या नहीं। आजकल का समाज दो बड़े-बड़े भागों में बंटा हुआ है। एक तरफ तो सत्ताधारी लोग हैं और दूसरी ओर पीड़ित और सताये हुये लोग हैं जो बालिगमताधिकार के आधार पर सब वोटर हो सकते हैं और सब वोटर होने पर भी उनको वह गारण्टी नहीं मिलती है। उनको गारण्टी तब मिलती है जब कि वह अपना वोट किसी को देता है और उसके बाद उसके ऊपर कोई सत्ताधारी तबका अपना किसी प्रकार का दमनचक्र नहीं चलाता है लेकिन अभी तक हमारे सामने यह साफ तौर से नहीं रखा गया कि मंत्री महोदय किस प्रकार की प्रथा चलाना चाहते हैं। मैं इस समय मानसिक व्याख्या या उनकी मनोवृत्ति की व्याख्या कर रहा हूं कि वह कहां जा रहे हैं। मैंने उस दिन भी सदन में कहा था कि चुनाव का सिस्टम ऐसा भी है, अभी देखने में आया कि जो उम्मीदवार थे उन्होंने अपने-अपने कार्ड को छपा कर बंटवा दिया और जब परदे के पीछे बैलेट बाक्स रखे गये और जो भी कार्ड लेकर आया उस से जहां चाहें परचा गिरवा दिया गया। इस तरह की चुनाव की प्रणाली अख्तयार की गई उस पार्टी के द्वारा जिसकी सरकार आज यहां कायम है। यह बात आज स्पष्ट हो चुकी है कि जो नीति सरकार पार्टी अपने आंतरिक ढांचे में अख्तयार किये हुये हैं वही वह आगे भी अपनी सरकार के लिये अख्तयार करना चाहती है, इस में कोई दो राय नहीं हो सकती। मैंने पहले भी इशारा किया था कि जो चुनाव का तरीका अख्तयार किया गया था वही चुनाव का तरीका म्युनिसिपल एलेक्शन्स में क्यों नहीं अख्तयार किया जाता है और मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता था कि वह सिम्बल सिस्टम से क्यों घबराते हैं? श्रीमन्, उसी दिन जब माननीय स्वशासन मंत्री जी ने बार-बार इस सदन में चुनौती दी कि कोई उदाहरण दिया जाय कि कौन सा काम ऐसा हमने किया जिससे नियत पर शंका है। उस पर मैंने कहा था कि एक काम नहीं सैकड़ों हजारों काम मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी को बतला सकता हूं जिनसे यह नतीजा निकल सकता है कि इस सरकार की नीति प्रजातंत्र के विरुद्ध है वह डेमोक्रेटिक नहीं बल्कि अनडेमोक्रेटिक है, डिक्टेटोरियल तानाशाही है और रिएक्शनरी प्रतिक्रियावादी है। बहुत से लोग कह सकते हैं कि रिएक्शनरी के माने गोल होते हैं, वैसे तो कोई भी अपने को रिएक्शनरी कह सकता है लेकिन मेरा कहना यह है कि जब हम कसौटी पर कसते हैं तो आज के जमाने में जो लिस्ट सिस्टम को नहीं रखता उसको न रखने वाला व्यक्ति रिएक्शनरी है। जिस तरीके से सरकार चुनाव कराना चाहती है वह ऐसा तरीका है जिस के द्वारा सरकार अपनी सत्ता को आने वाले चुनावों में कायम रख सकें और चाहती हैं कि जब हम सत्ता पर बैठ गये हैं तो चुनाव सिस्टम ऐसा रखें जिस से आगे आने वाले म्युनिसिपल

बोर्ड के चुनाव मे हमारे उम्मेदवार हावी रहे। अखबारो से सब को मालूम है कि अब तक जितने लोकल बाडीज़ के चुनाव हुये ह उनमे आज की जो सत्ताधारी पार्टी है वह [illegible] चित्त गिरी है और इसीसे सचेत हो कर माननीय स्वशासन मत्री जी इस नतीजे पर पहुचे ह कि [illegible] सिस्टम को ढकेल कर हटा दिया जाय और वह इस उत्तर प्रदेश मे जो सब से [illegible] प्रदेश ह [illegible] चित्त न गिरे। इसलिये मै सदन [illegible] ज्यादा [illegible] न लेकर आपके [illegible] निवेदन करना चाहता हू कि माननीय मत्री जी उदारता के साथ इस पर विचार करें क्योंकि वह अपने को [illegible] कहते ह लेकिन उनका परिचय वह नहीं देते, कहने से तो कोई [illegible] नहीं हो [illegible] उनका कार्यक्रम ही [illegible] कर सकता ह कि वह [illegible] नहीं ह।

[illegible] विवाद को बढाना नहीं चाहता [illegible] सोशलिस्ट पार्टी [illegible] बहुत सी [illegible] थी। [illegible] कहना चाहता [illegible] सोशलिस्ट [illegible]

[illegible]

[illegible] राजनारायण जी [illegible] है।

[illegible] सोशलिस्ट पार्टी छोड़ी, [illegible] इसके [illegible] मुश्किल ह [illegible] इस [illegible] कोई [illegible] नहीं है।

श्री अध्यक्ष—इस विषय मे [illegible] है—

" [illegible] must be strictly [illegible] before the Assembly [illegible] member, while speaking or answering [illegible] question sh[illegible] express any opinion or make any comment [illegible] matter of fact or [illegible] question [illegible] pending [illegible] a personal charge against a member."

इसका हिन्दी [illegible] यह है "प्रत्येक भाषण का विषय [illegible] के समक्ष विषय से सर्वथा सुसंगत होना चाहिये। बोलते तथा प्रश्न का उत्तर देते समय कोई सदस्य किसी ऐसे वास्तविक तथ्य पर, जो न्यायालय के विचाराधीन हो, कोई विचार प्रकट न करेगा और न कोई आलोचना करेगा, किसी सदस्य पर व्यक्तिगत आरोप नही लगायेगा।"

माननीय मत्री जी ने यहा यह बिल मंत्री की हैसियत से पेश किया है, श्री गोतम जी की हैसियत से नही पेश किया है। इसलिये उनकी व्यक्तिगत बाते असगत ह। यदि माननीय राजनारायण जी इस किस्म की बात कहेंगे तो वह व्यक्तिगत हो जाती है, कि उन्होने क्यो सोशलिस्ट पार्टी छोड़ी। इसलिये व्यक्तिगत होने के कारण यदि उसका अब आप जिक्र करेंगे तो वह सदन की कार्यवाही से हटा दिया जायगा।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, म आपके ज़रिये एक निवेदन करना चाहता हूं। आपकी अनुपस्थिति मे माननीय मंत्री जी ने उन तमाम बातो का जिक्र किया था कि किन बातों से प्रेरित होकर उन्होने सोशलिस्ट पार्टी छोड़ी।

श्री अध्यक्ष—अगर प्रश्न उठाया गया हो और वह कायम रह गया हो तो उसके जवाब देने का अधिकार दूसरे सदस्य को हो सकता है। उस रोज ऐसी बात थी कि मेरी अनुपस्थिति में कुछ भाषण ऐसा हुआ जिसमें इस प्रकार का जिक्र हुआ और वह कायम रहा, इसलिये उसका प्रत्युत्तर जवाब देते वक्त दिया गया, जिसको जवाब देने का अधिकार है, वह चाहे तो जवाब में उसका जिक्र करदे। लेकिन किसी दूसरे मौके पर इस वजह से कि कल की कार्यवाही में यह बात हुई थी, कोई बात कहना उचित नहीं है क्योंकि सदन में तो बहुत सी कार्यवाही होती है इसलिये १० या १५ दिन पहले जो बात यहां कही गयी है उसका उत्तर आज देना अनुचित है। यदि माननीय स्वशासन मंत्री ने किसी बात का जिक्र इस वक्त किया है तो उसका जवाब आप आज दे दें। यदि उनके भाषण का वह हिस्सा कायम रहेगा तो आपका जवाब भी कायम रहेगा नहीं तो दोनों हटा दिये जायेंगे लेकिन यह नहीं हो सकता कि अगर पहिले किसी वक्त वे कोई बात कह चुके हैं तो उसके जवाब देने की इजाजत आपको आज मिल जाय।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, जब मैं पहले बोल रहा था तो मैंने कहा था कि सिम्बल सिस्टम को रखा जाय। मैं पुनः आपके अनुसार माननीय स्वशासन मंत्री जी से अपील करना चाहता कि आखिर स्वशासन मंत्री जी सिम्बल सिस्टम को रखने में क्यों हिचक रहे हैं मैं जानना चाहता था कि वे उसके कारण को सफाई के साथ हमें बता देते तो हमें ज्यादा बहस करने की आवश्यकता न होती। इसलिये श्रीमन् मैं पुनः चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी, स्वशासन विभाग के मंत्री जी पुनः इस बात की सफाई करें कि सिम्बल सिस्टम को सफाई के साथ अख्तियार करने में कौनसी चीज बाधक हो रही है जब कि इसी सिम्बल सिस्टम को अख्तियार करके अपने प्रान्त की जनता इतने बड़े चुनावों में भाग ले चुकी है। जब सारी जनता उस सिस्टम से परिचित हो चुकी है तो मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि फिर उस सिस्टम के न रखने की क्या वजह हो सकती है। मैं उस तत्व को खोजने का प्रयत्न कर रहा था जिसको ध्यान में रख कर उन्होंने यह फैसला किया है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वे सारे देश में इस तरीके को अपनाने से जो हालत हो रही है उसको देखकर भयभीत तो नहीं हो गये हैं। और इसी कन्क्ल्यूजन (नतीजे) पर पहुंचने के लिये यह वस्तु-स्थिति हमारे सामने है। इसलिये श्रीमान् जी मैं स्वायत्त शासन मंत्री जी से फिर यह निवेदन करूंगा कि वे सिम्बल सिस्टम को अख्तियार करें, उसको अख्तियार करने में न हिचकिचायें अगर वे हिचकिचाते हैं तो जो अधिकार जनता के हाथ में बालिगमताधिकार का दिया हुआ है उस अधिकार को पुनः इसके द्वारा छीनना होगा। फ़्रीली (स्वतन्त्र) चुनाव करने और बालिगमताधिकार का जो जनता को अधिकार है उसको समाप्त कर देना होगा।

श्री अध्यक्ष—माननीय सदस्य के नये तर्क अगर समाप्त हो गये तो पुराने तर्कों को न दुहरायें।

श्री राजनारायण—तो जब तक माननीय स्वायत्त शासन मंत्री सिम्बल सिस्टम को न मानेंगे तब तक उसके मानी ये होंगे कि जनता को जो बालिगमताधिकार का अधिकार मिला हुआ है उसको वे छीनने पर तुले हुये हैं क्योंकि एक अधिकार को देना और दूसरे तरीकों से उन्हीं अधिकारों को सही तरीके पर काम में न लाने देना ही यह बताता है कि सरकार उन अधिकारों को देना नहीं चाहती है। इसलिये मैं ज्यादा समय न लेकर इस सदन से यह अपील करूंगा कि यदि माननीय मंत्री जी किसी कारण से इस संशोधन को न मानें तो सदन इस बात की कोशिश करे और हमारे सिद्धांतों की गुरुता और गहराई को देखते हुये तथा विकसित समाज की पद्धति को किसी प्रकार भी अख्तियार करने में न हिचकिचायें और हमारे संशोधन को अपनी अनुमति प्रदान करें।

श्री ऐजाज रसूल (जिला हरदोई)—जनाब वाला, लीडर आफ दी अपोजीशन की तकरीर को मैंने सुना। सवाल सिर्फ यह था कि सिम्बल सिस्टम मंजूर किया

जाय या न किया जाया या इस सवाल को जब रूल्स बनाये जायं तब रक्खा जाय या क्या। लेकिन इस सिलसिले में बिलावजह गरमागरम बहस हुई और हमारे लीडर ग्राफ दी अपोज़ीशन ने गवर्नमेंट को नीयत पर भी हमला करना शुरू कर दिया।

मैं इसकी बाबत कुछ कहना नहीं चाहता हूं, सिर्फ एक शेर पढ़ देता हूं--

"इतनी न बढ़ा, पाकिये दामन की शिकायत।
दामन को ज़रा देख, ज़रा बन्दे क़बा देख।।"

तो पहले अपने आपको देख लेना चाहिये तब दूसरे के ऊपर हमला करना चाहिये। आपकी क्या हालत है, इसके ऊपर मैं ज्यादा कहना नहीं चाहता हूं। हुज़ूरवाला, सवाल यह है कि रूल १३-जी जो इसमें दिया हुआ है उसमें लिखा हुआ है, "मेथड एंड मैनर आफ एलेक्शन"। तो पहले जो म्युनिसिपल ऐक्ट बन चुका है उसमें भी यही तरीका था, कोई मेथड नहीं दिया हुआ था बल्कि रूल्स उसके लिये बन गये हैं। अगर खेर कमेटी की रिपोर्ट को भी देखें जिस पर आप बहुत जोर देते हैं और हर वक्त खेर कमेटी का नाम याद रखते हैं उसमें कहीं भी इसका जिक्र नहीं है सिवा इसके कि जनरल कहा गया है। लेकिन उसके पहले जो रूल्स बन गये हैं म्युनिसिपैलिटीज़ के लिये जो मेथैड आफ एलेक्शन था, किस तरीके से वोट पड़ेगा, सिम्बल सिस्टम से वोट पड़ेगा, लिस्ट सिस्टम से वोट पड़ेगा या किस सिस्टम, से वोट पड़ेगा, वह अलग रखा गया है। लिहाजा इस जगह इसका सवाल उठाना मेरे खयाल में मुनासिब नहीं है। जिस वक्त रूल्स बनाये जायं उस वक्त यह बात कहनी चाहिये और तब उसके ऊपर जो हमारी गवर्नमेंट है वह गौर करेगी। अब सिम्बल सिस्टम की बाबत यह कहना कि असेम्बली में डबल मेम्बर कंस्टीटुएंसी थी या सिंगल मेम्बर कंस्टीटुएंसी थी, सिंगल मेम्बर कंस्टीटुएंसी ज्यादा आसान है या डबल मेम्बर कंस्टीटुएंसी लेकिन अगर म्युनिसिपल बोर्ड वार्ड सिस्टम से तीन सीट्स रखी गयीं या चार सीट्स रखी गयीं और उसमें अगर सिम्बल्स रखे गये तो उसमें बड़ी दिक्कतें पेश आयेंगी। उसकी वजह यह है कि आप यह देखते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने कहा कि मेरा सिम्बल दो बैलों की जोड़ी है और दूसरी पार्टियों के दूसरे सिम्बल हैं तो वोटर्स को उसका ख्याल रखना पड़ेगा कि कितने निशान हैं। अगर ७ सीट्स हैं और ७ इनडिवीजुअल को वह वोट देना चाहता है तो उसकी दिक्कतें कितनी बढ़ जायंगी, इसका भी खयाल रखना चाहिये। लिहाजा मेरे ख्याल में यह सब रूल्स में दिया हुआ है। जब कि तमाम ऐक्ट बन जायगा और रूल्स बनेंगे उस वक्त इस मसले पर गौर किया जायगा और मेरे ख्याल में उस वक्त सोशलिस्ट पार्टी इस मसले पर ज्यादा जोर दे तो मुनासिब होगा। क्योंकि वही वक्त मुनासिब है। इस वक्त जब कि रूल्स बने ही नहीं हैं यह सवाल प्रिमेच्योर उठाया गया है मुझे उम्मीद है कि मेम्बर साहब इसके ऊपर ज्यादा जोर नहीं देंगे और अपने अमेंडमेंट को वापस ले लेंगे।

श्री व्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्ज़ापुर)--अध्यक्ष महोदय, मैं क्लोजर मूव करता हूं।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ --

पक्ष में--२१७
विपक्ष में--२५।)

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—अध्यक्ष महोदय, कल इस सदन में चुनाव की प्रणालियों की बहस का दिन था और कई प्रकार से चुनाव करने की प्रणालियों पर विचार था और हमें अफसोस है कि दो तीन ऐसे अच्छे सुझाव ठुकरा दिये गये। इस समय हमारी तरफ से इस बात की कोशिश हुई कि सिम्बल (चुनाव का चिह्न) के बारे में कि ऐसा निर्णय अवश्य लिया जाय।

श्री अध्यक्ष—बहुत शोर हो रहा है। मैं सदन में शान्ति चाहता हूं जिससे माननीय वक्ता की बातें सुनी जा सकें।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—अध्यक्ष महोदय, सरकार की तरफ से यह बार बार घोषणा होती रही है कि उसका इरादा यह कतई नहीं है कि एक भी वोटर को कोई दिक्कत महसूस हो और वह आजादी के साथ निर्भय हो कर जिसको चाहे अपना वोट दे न सके। सिम्बल सिस्टम ही एक प्रणाली है जिससे मतदान पूर्ण रूप से गुप्त रखा जा सकता है तथा लोग निर्भय होकर मत दे सकते हैं। इसीलिये इस सिम्बल सिस्टम पर जोर देने का मेरा मंशा है। वैसे इस विषय को लेकर मैं कई महीनों से काफी परेशान था। जब डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के चुनाव सन् १९४८ में हुये तब इस बात की भी घोषणा हुई थी कि तमाम म्युनिसिपल बोर्ड्स के भी चुनाव होंगे तो मेरे सामने यह प्रश्न बार बार आया और इस प्रश्न पर चिन्ता मुझे इसलिये है कि पिछले डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के चुनाव के अवसर पर मैंने स्वयं काफी दिलचस्पी ली और उसमें मैंने देखा कि जितने प्रभावशाली व्यक्ति थे चाहे वह कांग्रेस पार्टी के हों या न हों, इंडिविजुअल प्रभावशाली व्यक्ति जिनका बड़े-बड़े जमींदार होने की हैसियत से बहुत बड़ा असर था उन्होंने वोटरों को पकड़पाकर मंगाया और बारी बारी से पोलिंग एजेंट के सामने, हर रकबे के अलग अलग और हर गांव के अलग अलग प्रभावशाली एजेन्टों को रखा गया था, और वोटरों से कहा गया कि अगर तुम हमारे उम्मीदवार को वोट नहीं दोगे तो हमको मालूम हो जायगा और करीब करीब ९० फीसदी मतदाताओं को पोलिंग एजेन्ट्स के सामने पोलिंग अफिसर को बतलाना पड़ा कि हम फलां फलां व्यक्ति और व्यक्तियों को वोट देना चाहते हैं यही कारण मेरी मानसिक परेशानी का था और मैंने सोचा कि जब कभी मौका आयेगा मैं इस बात पर जोर अवश्य डालूंगा। सरकार की तरफ से कई वक्ताओं ने भाषण किये और इस बात पर हम सब एक मत हैं कि करीब करीब ८५ फीसदी नहीं तो ८० और ७५ फीसदी के लोग हमारे शहरों में भी पढ़े लिखे नहीं हैं। जो पढ़े लिखे नहीं हैं तो जो प्रणाली इस समय रायज है उसके लिये कोई चारा ही नहीं रह जाता, जो शिक्षित हैं उनके सामने तो एक लम्बी सूची उम्मीदवारों की रहती है, वह पेश की जा सकेगी और पेश करने पर अगर वह चाहें कि वह उस बैलट बाक्स को अलग रख कर मार्क लगा दें तो उनकी सुविधा है। लेकिन यह सुविधा और सीक्रेसी की बात सिर्फ पंदरह बीस फीसदी आदमियों के लिए लागू हो सकती है। अध्यक्ष महोदय, आखिर चुनाव का मतलब क्या है? मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि वह चुनाव जिसमें ८५ फीसदी वोटर अपने मत को आजादी से, निर्भय होकर व्यक्त न कर सकें, वह फार्स नहीं है। इस सवाल का जवाब मैं समझता हूं कि माननीय स्वशासन मंत्री जी अपने भाषण में देंगे। पचासी फीसदी जनता जिस चुनाव में फ्रीली अपना वोट एक्सरसाइज न कर सके तो उस चुनाव से मैं बेहतर यह समझूंगा कि हर म्युनिसिपल बोर्ड के लिये गवर्नमेंट की तरफ से नामजदगी हो जाया करे। इस सम्बन्ध में कई आपत्तियां उठायी गयीं। एक आपत्ति यह उठायी गयी कि प्लूरल मेम्बर वार्ड्स ज्यादा प्रचलित हैं। पिछले चुनाव में डबिल मेम्बर कांस्टीटुएंसी थीं और एक आदमी को एक या दो उम्मीदवारों को वोट देने पड़े। लेकिन सदन के हर सदस्य को मालूम है कि एक-एक चुनाव क्षेत्र में पंद्रह-पंद्रह

बक्स एक पोलिंग बूथ पर रखे गये जो वोटर जाता था पन्द्रह बक्सों में ढूंढ़ कर अपने उम्मीदवार को वोट देता था। बहस यह है कि मान लीजिये तीन सीटें हैं, तीन पोलिटिकल पार्टीज हैं, और उनके नौ उम्मीदवार हैं। छः उम्मीदवार स्वतन्त्र मान लेते हैं। तो पन्द्रह से ज्यादा डिब्बे नहीं होंगे। मसलन एक कांग्रेस पार्टी है उसने तीन उम्मीदवार खड़े किये और अगर हरिजन है तो उसके बक्स पर बैलों की जोड़ी घेरे में रखी जा सकती है। मान लें कि इन तीन उम्मीदवारों में एक का पहले नम्बर पर बक्स पड़ता है दूसरे का सातवें नम्बर पर पड़ता है और तीसरे का पन्द्रहवें नम्बर पर पड़ता है। तो जो उम्मीदवार जानते हैं कि बैलों की जोड़ी का चिह्न है और अगर वह जरा भी कांग्रेस को वोट करने की फिक्र करेंगे तो गलती नहीं होगी क्योंकि परिक्रमा तो डिब्बों की हर हालत में करनी ही पड़ेगी। तो अगर दिन भर का हर्ज करके वोट देने कोई गया नम्बर एक, नम्बर सात और नम्बर पन्द्रह पर तीन बैलों की जोड़ी देख कर वोट न डाल सके यह अव्यवहारिक नहीं है। बिल्कुल व्यावहारिक है। और र सिस्टम के बारे में भी यह सवाल उठाया गया है। कि बहुत से लोग कलर ब्लाइंड होते हैं। सचमुच आज कल इस रंगों के वैज्ञानिक युग में कोई नहीं कह सकता कि कितने होते हैं और कौन कलर है। दोनों रख दिये हैं। दोनों में कलर और सिम्बल में जो भी सुविधाजनक हो उसे लिया जा सकता है।

दूसरी बात खर्चे के बारे में कही गयी। उसमें बताया गया कि इसमें डिब्बे ज्यादा बनाने पड़ेंगे और तमाम खर्चे का जो भार है वह म्युनिसिपल बोर्ड पर पड़ेगा। उनकी हालत यूंही खराब है। जिसके कारण वे अपना काम नहीं चला पाते हैं। मैं समझता हूं, अध्यक्ष महोदय, कि अगर इनके लिये सरकार को विशेषाधिकार से कुछ रुपया म्युनिसिपल बोर्ड को ग्रांट के तौर पर देना पड़े तो मैं इस बात का जिम्मा लेता हूं कि विरोधी पक्ष की ओर से कोई भी विरोध नहीं किया जायगा परन्तु मेरा ख्याल है कि खर्च का प्रश्न कोई खास प्रश्न नहीं है कि इतना खर्चा बढ़ जायगा जो म्युनिसिपल बोर्ड उठा नहीं सकेंगे। और सिम्बल्स की जो बात है, पिछले चुनावों की वजह से एक-एक पार्टी ने एक-एक सिम्बल को अरबों की संख्या में बांटा और सरकारों की तरफ से और अखबारों की तरफ से और विभिन्न पार्टियों की तरफ से इतना प्रचार हो गया है कि अब कोई दूसरा सिस्टम उनको पसन्द भी नहीं आयेगा।

तो अध्यक्ष महोदय, सदन का मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। एक बात अवश्य उठाई गयी थी। माननीय नेता विरोधी दल ने कहा कि इससे एक प्रश्न उठेगा। विरोधी दल के सदस्यों में नहीं, जनता में उठेगा कि आखिर एक सरकार जब पिछली पालियामेंट के और असेम्बलियों के चुनाव में एक प्रथा अपना चुकी है तो उसको क्या हिचक है कि म्यूनिसिपैलिटियों के चुनावों में सिम्बल प्रणाली न रखी जाय। सरकार भी चुनावों से लाभ उठा सकती है इस शंका को सरकार को निर्मूल कर देना चाहिये। क्योंकि प्रजातन्त्र प्रणाली में सरकार किसी पार्टी की नहीं होती। जब सरकार को चुनाव की व्यवस्था करनी पड़ती है, जब व्यावहारिक रूप में चुनावों के एग्जिक्यूशन का सवाल होता है उस समय सरकार एलेक्शन नहीं लड़ती है बल्कि वह पार्टी लड़ती है जिसकी सरकार होती है। और कहने का अभिप्राय यह है कि ८५ प्रतिशत जनता जो मौजूदा प्रणाली की वजह से फ्रीली अपने वोट नहीं दे सकती, सीक्रेसी के साथ गुप्त रूप से नहीं दे सकती अगर उसी पुरानी चुनाव प्रणाली को अपनाया जाय तो इसका नतीजा यह होगा कि हम उस एलेक्शन को बिल्कुल फार्स बना देंगे। मैं आशा करता हूं कि सरकार इस पर गौर करेगी और मेरे संशोधन को उचित महत्व दिया जायगा।

श्री मोहनलाल गौतम—माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत कुछ कहा गया, उसका तो यहां उत्तर देने की मुझे आवश्यकता नहीं है और बहुत सी चीजें इससे सम्बन्ध भी नहीं

[श्री मोहनलाल गौतम]

रखतीं और मनोवृत्ति वगैरा का उत्तर तो मैं पहले ही दे चुका कि यह सब्जेक्टिव फ़ैक्टर भी हो सकता है। जहां तक इस विषय का सम्बन्ध है, मैंने पहले ही निवेदन अपने भाषण में किया था कि सिम्बल भी हो सकते हैं। ऐसी चीज नहीं है कि मैं उसके सिद्धान्त का विरोधी हूं। लेकिन अगर दो एक मेम्बर हों तो सिम्बल में आसानी हो सकती है और अगर ४।५ सीट्स कांस्टिट्युएंसी हो उसमें जो दिक्कत होगी वह मैं बता रहा था। लेकिन आज इस वक्त मेरे लिये यह कहना कि सिद्धान्त क्यों नहीं मानता, यह गलत है, क्योंकि मैंने सिद्धान्त को कभी नामंजूर नहीं किया। मैंने पहले ही निवेदन किया था और मुझे अब भी कहने में कोई ऐतराज नहीं है कि मैं इसके सिद्धान्त को मानता हूं। उसमें जो दिक्कतें हैं उन पर मैंने सदन का ध्यान दिलाया; और इस पर कितना खर्चा होगा क्या-क्या डिफिकल्टीज आयेंगी, इन सब पर विचार करके रूल्स जब बनेंगे तो यह इसके बारे में तय हो जायगा। हो सकता है कि सिम्बल ३/४ कांस्टीटचुएंसीज मे पासिबिल हो। मै उन तमाम दिक्कतों को दोहराना नहीं चाहता जो मैंने पहले भाषण में कही थीं। इसलिए रूल्स बनते वक्त इस बात पर विचार हो सकता है कि सिम्बल बन जायं। लेकिन उसको मैंने सिद्धान्त के रूप में मंजूर किया था और अब भी मुझे उसमें विरोध नहीं है, लेकिन कानून में लाने में तो यह हो जायगा कि सिवाय सिम्बल के दूसरा तरीका हो ही नहीं सकता और अगर उसमें कुछ कठिनाई हुई तो फिर इसके सिवा कोई रास्ता नहीं होगा कि फिर एक अमेंडिंग बिल लाया जाय। तो रूल्स में यह चीज ली जायगी। सिम्बल का मसला उससे निकला नहीं है। उस पर भी विचार हो सकता है और दूसरी चीजों पर भी विचार हो सकता है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ९ में प्रस्तावित नयी धारा 12-A के अन्त में शब्द "and by fixing symbols or colour of ballot boxes to be allotted to party or individual candidates as in the case of State Assembly elections." बढ़ा दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री जयेन्द्र सिंह बिष्ट (जिला टेहरी-गढ़वाल)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन पेश करना चाहता हूं कि खंड ९ की प्रस्तावित नई धारा 13-D की उपधारा (*a*) की अन्तिम पंक्ति के शब्द "therein" के बाद शब्द "except when dismissed on political grounds" जोड़ दिये जायं।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक अर्ज कर देना चाहता हूं कि यहाँ 'एक्सेप्ट डिस्मिस्ड आन पोलिटिकल ग्राउंड्स' लिखा हुआ है। मेरा संशोधन है कि 'एक्सेप्ट व्हेन डिस्मिस्ड आन पोलिटिकल ग्राउंड्स"। यह शायद प्रिंटिंग की गलती है या स्लिप आफ पेन हो सकती है।

श्रीमन्, यह संशोधन जो है बहुत छोटा संशोधन है और बहुत उपयुक्त है। इसमें बहुत तर्क देने की आवश्यकता भी नहीं मालूम पड़ती। यह संशोधन जो है म्युनिसिपल बोर्ड के मेम्बरों की अयोग्यता से सम्बन्ध रखता है। इसमें यह लिखा हुआ है—

"13-D. A person, notwithstanding that he is otherwise qualified, shall be disqualified for being chosen as, and for being, a member of a board if he—

(*a*) is a dismissed servant of the State or Central Government and is debarred from re-employment therein,"

इसके बाद मैं यह जोड़ना चाहता हूं कि "एक्सेप्ट व्हेन डिस्मिस्ड ग्रान पोलिटिकल ग्राउंड्स"। अध्यक्ष महोदय, डिस्मिसल के जो अधिकार हैं सरकार को हैं, और सरकार के विभागीय अध्यक्षों को हैं और इस अधिकार का अगर सदुपयोग किया जाय दो इसमें कोई बात नहीं और संशोधन की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। लेकिन आमतौर से सरकार, सरकार की पार्टी के लोग और विभागीय अध्यक्ष इस अधिकार का दुरुपयोग करते हैं और खासकर के राजनीतिक विचारधारा या राजनीतिक पार्टी बन्दी में आकर के। मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा, अध्यक्ष महोदय, कि जो कुछ मैं कहूंगा उसे सुनने की कृपा करें। तो यह संशोधन इस वास्ते रख रहा हूं कि जो डिस्मिसल का अधिकार है उसका सरकार की तरफ से और सरकार के विभागीय अध्यक्ष जो हैं उनकी तरफ से इसका दुरुपयोग किया जा सकता है और खास कर के जो अध्यक्ष लोग हैं, किसी विभाग के अध्यक्ष हैं, या जिले के जिलाधीश हैं, वे इस अधिकार का दुरुपयोग करते हैं और पार्टी के दबाव में आकर सरकार की जो पार्टी है, उन लोगों के दबाव में आकर इस अधिकार का दुरुपयोग होता है और इसलिये मैं यह चाहता हूं कि यह डिस्मिसल का जो अधिकार है जो आज कल लोग डिस्मिस किये जाते हैं अगर वह किसी करप्शन, भ्रष्टाचार आदि में डिस्मिस होते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है लेकिन कभी कभी इस दुरुपयोग से बेकसूर और राजनीतिक सिद्धान्त के आधार पर बहुत से आदमी बर्खास्त किये जाते हैं। तो ऐसी हालत में उन व्यक्तियों को रोजी रोटी से वंचित करके फिर उनके राजनीतिक अधिकारों से उन्हें वंचित करना उचित नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। आई० एन० ए० वाले जो हैं वह मिलिटरी में नहीं लिए जाते हैं। इसी प्रकार अगर उनको भी लोकल बाडीज में, म्युनिसिपल बोर्डों में सरकार यह चाहती है कि ऐसे आदमियों को राजनीतिक अधिकार से भी वंचित किया जाय तो यह उचित नहीं होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि सरकार चुनाव के दौरान में अपने उम्मीदवार को जिताने की कोशिश में अनुचित दबाव अपने कर्मचारियों पर डाला करती है। और बहुत से व्यक्ति जो उनके विरोधी दल के होते हैं उनके नातेदार, रिश्तेदार सम्बन्धी जो सरकारी कर्मचारी होते हैं उनकी विरुद्ध कार्यवाही की जाती है इस वास्ते श्रीमन् मैं यह प्रार्थना करूंगा कि ये व्हेन डिसमिस्ड ग्रान पोलिटिकल ग्राउंड्स" जोड़ दिये जायं। यदि पोलिटिकल कारणों से किसी को डिस्मिस किया जाता है उसको कम से कम नागरिक अधिकार से वंचित न किया जाय। दूसरी बात मेरी समझ में यह नहीं आती है कि ऐसे डिस्मिस किये हुये सरकारी कर्मचारी जब पालियामेंट के मेम्बर हो सकते हैं, असेम्बली के मेम्बर हो सकते है तो फिर उनके स्थानीय संस्थाओं के सदस्य होने पर क्यों प्रतिबन्ध लगाया जाता है। जब वे विधान सभा और लोक सभा के योग्य हैं तो म्युनिसिपल बोर्ड के योग्य क्यों नहीं हैं। जितना उत्तरदायित्व और जिम्मेदारी का काम लोक सभा और विधान सभा के सदस्यों का है उससे कम जिम्मेदारी का काम स्थानीय संस्थाओं के सदस्यों का है, तो फिर क्या कारण है कि वह लोक सभा और विधान सभा का उम्मीदवार हो सकता है परन्तु स्थानीय संस्थाओं का नहीं हो सकता है। मैं समझता हूं कि ऐसी दशा में उसको इस अधिकार से वंचित करना न्यायसंगत नहीं है। इसलिये मैं यह प्रार्थना करूंगा कि यह संशोधन अवश्य स्वीकार किया जाय।

श्री मोहनलाल गौतम--माननीय अध्यक्ष महोदय, यह संशोधन उतनी ही सीमा तक महदूद रह जाता है जितनी सीमा तक माननीय मूवर ने इसको रखा है। एक बात मैं बिल्कुल साफ कह देना चाहता हूं कि राजनीतिक विचारों के लिये कोई कर्मचारी बरखास्त नहीं किया जाता। जो बरखास्त होता है वह किसी और बात

[श्री मोहनलाल गौतम]

के सम्बन्ध में बरखास्त होता है। अगर आप यह कहें कि पोलिटिकल ग्राउंड्स पर जो बरखास्त हुआ है उसकी बरखास्तगी मुनासिब नहीं है, इसलिये उसको दूसरी कैटेगरी में रख दिया जाय और बाकी जो बरखास्त हुये हैं उनको दूसरी कैटेगरी में रख दिया जाय, तो उसका नतीजा ठीक नहीं होगा। जो कर्मचारी लोकल बाडीज के हैं, वे किसी भी पोलिटिकल पार्टीज में हिस्सा लें, चाहे वे कांग्रेस को सपोर्ट करें, चाहे वे किसी ऐसे दल को सपोर्ट करें जो कांग्रेस के विरोध में हो, और यदि वह निकाला जाय तो क्या आप उसके कुसूर को कम समझते हैं, और जो बेचारा किसी इगनोरेंस की वजह से निकाला जाता है, उसके कुसूर को क्या ज्यादा समझते हैं। यदि उसको कार्य करना है तो उनको किसी पोलिटिकल ऐक्टीविटी में हिस्सा नहीं लेना चाहिये चाहे वह कांग्रेस के हक में हो, चाहे कांग्रेस के खिलाफ हो और अगर वे हिस्सा लेते हैं तो उनको अपनी जगह पर नहीं रहना चाहिये। जो लोग पोलिटिकल ऐक्टीविटीज में हिस्सा लेते हैं और वे डिसचार्ज नहीं किये जाते हैं तो इससे उनको इस बात का प्रोत्साहन मिलेगा कि वे समझेंगे कि यदि हम पोलिटिकल ऐक्टीविटीज में हिस्सा लेंगे तो हम एक डिफरेंट आदमी बन जायेंगे। तो जो आदमी ऐसी गलती करे उसको डिसचार्ज कर दिया जाय और जो मुलाजिम होकर ऐक्टिवली राजनीति में हिस्सा ले, जिसका उसको अधिकार नहीं है, तो उसको दूसरी तरह ट्रीट किया जाय, यह उचित नहीं है। पोलिटिकल शब्द बड़े विस्तृत माने रखता है, यह छोटी चीज नहीं है।

दूसरी एक बात और अर्ज कर दूं। जो मिसालें विष्ट साहब ने दी हो सकती हैं, मैं उनको चैलेंज नहीं करता हूं, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि यह हर केस में हो। आज बहुत सी म्युनिसिपैलिटियां ऐसी हैं जहां कांग्रेस वालों का बहुमत नहीं है, और यदि कोई आदमी इस लिये निकाला जाता है कि उसने कांग्रेस के एलेक्शन्स में हिस्सा लिया, तो भी मैं उसको इजाजत देना नहीं चाहता। "पोलिटिकल ऐक्टिविटीज" शब्द इतने विस्तृत हैं कि यदि उनको इगनोर किया गया तो बहुत ज्यादा इंडिसिप्लिन बढ़ेगा। इसलिये इन शब्दों के जोड़ने से बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन्स बढ़ जायेंगे। इस तरह की जो मिसालें विष्ट जी ने दी हैं, उनके निकालने के लिये पोलिटिकल ग्राउंड्स नहीं होती हैं, उनको निकालने के लिये कोई दूसरा बहाना ढूंढ़ लिया जाता है। इसलिये आपका जो मतलब है पोलिटिकल ग्राउंड्स का, वह कवर नहीं होगा। ऐसी दशा में ऐसे प्राविजन का रखना मुनासिब नहीं होगा।

श्री व्रजबिहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)—अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न जो अभी संशोधन के रूप मे उपस्थित किया गया है मैं इसका विरोध करता हूं। जिन लोगों को स्थानीय संस्थाओं में काम करने का अनुभव प्राप्त है वे कभी इसको स्वीकार नहीं कर सकते। अगर यह स्वीकार कर लिया जाता है तो इस का नतीजा क्या होगा, हर एक इम्पलाई और हर एक मुलाजिम जो इन संस्थाओं के होंगे उनका एक तरह का अधिकार हो जायगा कि वे पोलीटिकल पार्टीज में भाग लें या पार्टी बनावें, राजनीति में भाग लें तथा वहां की जो लोकल पालिटिक्स हों उसमें वह इन्टर करें और इसका प्रत्यक्ष नतीजा यही होगा कि बोर्ड में और दलबन्दी बढ़ेगी और हर एक इम्पलाई यह समझेगा कि हम जो चाहें करें और जैसा बर्ताव चाहे वैसा बर्ताव करें। इस मामले में मैंने देखा है कि और मेरा अपना २२ वर्ष का तजुर्बा है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में कभी कभी ऐसे लोग होते हैं जो पार्ट लेने लगते हैं और पार्टीबन्दी करने लगते हैं जिसका नतीजा यह होता है कि एफीशेंट वर्किंग आफ दि बोर्ड नहीं हो सकती है। इसलिये मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य महोदय ने जो यह संशोधन पेश किया है वह बिलकुल अव्यवहारिक है और मैं तो समझता हूं कि यह काम उससे करप्ट तरीके से या और किसी कारण से जो गवर्नमेंट के इम्पलाई डिस्मिस किये जाते हैं, उससे ज्यादा यह दोषपूर्ण समझा जाना

चाहिये, अगर वह इम्पलाई दलबन्दी करते हैं। क्योंकि हम तो यह आशा करेंगे कि बोर्ड के हरएक मुलाजिम और गवर्नमेंट के अन्य जो भी कर्मचारी हों उनको पार्टीज़ से अलग रहना चाहिये। मैंने यह देखा है और तजुर्बे में आया है कि बहुत से लोग वहां पार्टीबन्दी करने लगते हैं। डांट फटकार दिया जाता है कि आप इस पार्टी पालिटिक्स में हिस्सा न लें तो खामोश हो जाते हैं। लेकिन अगर यह संशोधन पास हो गया तो वे और पार्ट लेने लगेंगे। यह संशोधन म्युनिसिपैलिटी से संबंधित है लेकिन अगर यह पास हो गया तो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में भी आ सकता है। अध्यक्ष महोदय, मैं आप के द्वारा माननीय सदस्य महोदय से प्रार्थना करूंगा कि वे दोबारा गम्भीरतापूर्वक विचार करें और इस संशोधन को वापस ले लें।

[illegible] (जिला देहरी-गढ़वाल)—अध्यक्ष महोदय, मैं जयेन्द्र सिंह के संशोधन का पूर्ण समर्थन नहीं करता हूं किन्तु इतना जरूर [illegible] हूं कि [illegible] ठीक-ठीक नहीं [illegible] रहा है। मेरा विचार यह है कि [illegible] पोलिटिकल एक्टिविटीज़ में भाग लिया हो उसको [illegible] किया जाय। [illegible] है उसके बारे में केवल [illegible] उन्होंने [illegible] [illegible] एक्टिविटीज़ में भाग लेने के कारण [illegible] जाई जाती [illegible] वे सरकारी [illegible] यह बात हमको असम्भव दिखाई देता है क्योंकि अगर कोई एक कर्मचारी किसी पोलिटिकल एक्टिविटीज़ में भाग न ले और फिर भी उसको जिले के [illegible] हटा दे तो [illegible] आजकल में जहां कि [illegible] अपील [illegible] सुनवाई कम ही हो सकती है, इसलिये नहीं कि वहां की सरकार सुनना नहीं चाहती बल्कि इसलिये क्योंकि उनकी अपील उसी हैडेज़ में जायेगी जिसने उसको खारिज किया है। तो इतना कहना मैं आवश्यक समझता था कि अगर माननीय मंत्री जी किसी न किसी तरीके से इस पर ध्यान दे सकें तो अच्छा हो। क्योंकि बहुत से ऐसे कर्मचारी हैं जिनको खुलम खुला पोलिटिकल पार्टीज़ और ऐक्टीविटीज़ में भाग लेने के कारण निकाला गया। साथ ही साथ ऐसे भी लोग काफी हैं जो कि बिना किसी प्रकार पोलिटिकल पार्टीज़ या ऐक्टीविटीज़ में भाग लेने के बावजूद भी नौकरी से निकाल दिये गये। इसके उदाहरण देना न इस समय उचित है और न उतने कुछ काम ही हल्का है। मगर मैं अन्त में फिर यही कहूंगा कि अगर हो सके तो माननीय मंत्री जी इस पर ध्यान दें और इस सदन के सदस्यों को और हमको इस विषय पर अपने विचार बतायें।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय जयेन्द्रसिंह विष्ट के संशोधन का समर्थन करना चाहता हूं। पोलिटिकल ग्राउण्ड पर जो लोग नौकरी से अलाहिदा किये जायं उनको चुनाव में हिस्सा न लेने देने का विचार माननीय स्वशासन मंत्री जी का है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक मेरी जानकारी है मैं इतना कह सकता हूं कि मारल टरपीट्यूड या नैतिक अपराधों से लोगों को चुनाव से अलग रखने की गुंजाइश तो कानून में की गयी है लेकिन अब तक हमारी निगाह के सामने यह बात नहीं गुजरी कि पोलिटिकल बैकग्राउण्ड पर जो लोग बरखास्त किये जायं उनको भी चुनाव में हिस्सा न लेने दिया जाय। मैं नैतिक अपराधों की तुलना राजनीतिक अपराधों से नहीं करना चाहता हूं। यह सही है कि यह बात आपत्तिजनक है कि एक मुलाजिम मुलाजिमत करते हुये भी राजनीतिक पार्टियों से सक्रिय कार्य करें। जैसा कि माननीय ब्रजविहारी मिश्र जी ने कहा, वह हमारे बुजुर्ग हैं, मैं उनकी राय को बहुत वजन

[श्री गेंदासिंह]

देता हूं, लेकिन एक बात जो उन्होंने कही कि लोकल अथारिटी के मुलाजिमीन के संबंध में यह कानून बन रहा है तो जहां तक मैने पढ़ा उसमें कहीं लोकल अथारिटी का प्रश्न नहीं है। उसमें तो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी जिक्र है। मान लिया हमने कि (लोकल अथारिटी,) स्वायत्त शासन विभाग के मुलाजमीन के संबंध में अगर यह बात है तो मै सिर्फ यह निवेदन माननीय मिश्र जी से करना चाहता हूं कि आजकल स्वायत्त शासन विभाग के कर्मचारियों की कुछ यूनियनें बनी हुई है और उन यूनियनों के चलाने वाले लोग राजनीतिक पार्टियों से संबंध रखते है और संबंध ही नहीं रखते बल्कि राजनीतिक पार्टियों के नेताओं के नेतृत्व मे वह यूनियने अपना संगठन बनाये हुये है। उन राजनीतिक पार्टियों के नेताओं से स्वायत्त शासन विभाग के कर्मचारियों का बड़ा सक्रिय संबंध है और उन यूनियनों में बैठ कर जो उनके हित की रक्षा की बात होती है या जिस तरह से वे आन्दोलन करते है उनको पोलिटिकल ग्राउण्ड कह देना बहुत कठिन नहीं है। तो यदि इस कारण हम उनका जो एक बुनियादी अधिकार है उस बुनियादी अधिकार से उन्हे वंचित करते है तो यह अन्याय होगा। और फिर मै एक बात कहना चाहता हूं कि सारा कनफ्यूजन जो पैदा हो रहा है यदि कल माननीय स्वशासन मंत्री जो इसका दायरा कुछ और संकुचित कर देते तो यह इतना बड़ा सवाल न पैदा होता। हमारे सामने चुनाव के बहुत से तरीके है और उसमें अयोग्यता की एक कसौटी रखी गयी है। लेकिन यह जो नई क्वालिफिकेशन लगाई जा रही है यह डिसक्वालीफिकेशन मालूम हो रही है इसलिये हमें इसके स्वीकार करने में कठिनाई हो रही है। मै फिर यह कहना चाहता हूं कि नैतिक अपराध के लोगों को रोका जाय कि वह चुनाव मे हिस्सा न ले सकें यह बात तो हमारी समझ में आती है। लेकिन राजनीतिक विचार रखने के कारण यदि किसी को रोका जाता है तो उसके राजनीतिक विचारों से आप दूसरों को लाभ नहीं उठाने देते। यदि राजनीतिक विचार वाले कुछ आदमी म्युनिसपैलिटीज में आ जायेंगे तो म्युनिसपैलिटीज उनसे लाभ उठायेंगी। यदि कोई ऐसे राजनीतिक विचारों का मजबूत आदमी है कि वह अपनी नौकरी को भी तिलांजली दे सकता है तो मै समझता हूं कि ऐसे आदमी को अवसर देना चाहिये कि उसके विचारों से म्युनिसिपैलिटी फायदा उठा सके। म्युनिसिपैलिटीज में राजनीतिक विचार के आदमियों के आने से वहां पर घरेलू झगड़े समाप्त हो जायेंगे जैसा कि माननीय ऐजाज रसूल साहब ने कहा था वहां पर लालटेनों का झगड़ा खड़ा हो जाता है। यदि हम विस्तृत और उदार ढंग पर खुद राजनीतिक विचारों से प्रेरित होकर काम करें तो म्युनिसिपैलिटीज का काम अच्छा हो सकता है। हालांकि मै समझता हूं कि लालटेनों के झगड़े से ऊपर उठना जरा कठिन होगा। लेकिन यदि हम चाहते है कि इनका काम ठीक तरह से चल सके तो ऐसे लोगों को आने का अवसर दें, हो सकता है कि उनमें कोई अध्यापक हो, कोई चपरासी हो या कोई छोटा म्युनिसिपैलिटी का कर्मचारी हो और राजनीतिक विचार रखता हो और इसी कारण वह बरखास्त किया गया हो तो वैसी हालत में उसको वैसा अवसर दिया जाय। मै अपने विचारों को रखते हुये सदन से प्रार्थना करूंगा कि वह इस पर उदारता से विचार करे।

श्री व्रजभूषण मिश्र--अध्यक्ष महोदय, मै प्रस्ताव करता हूं कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

श्री अध्यक्ष--श्री मलखान सिंह बोल लें।

श्री मलखानसिंह (जिला अलीगढ़)--माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि हम कहां से कहां पहुंचे जा रहे है। एक जमाना था जब इस बात पर बड़ा जोर था कि पोलिटीकल ग्राउण्डस की बिना पर हमारा जो पैदायशी हक है वह मारा नहीं जाना चाहिये। केवल मोरल टरपीट्यूड की या नैतिक पतन की बात जैसी कोई बात हो तो वह ठीक है। लेकिन आज हमारे मंत्री महोदय स्वयं इस बात को इसमें ला रहे हैं कि अगर कोई आदमी नौकर है, गवर्नमेंट सरविस में है और वह राजनीतिक विचारों के कारण

डिस्मिस होता है तो उसे इस तरह की फांसी लगा दी जाती है कि उसको जो पोलिटिक्स में मानविक अधिकार मिले हुये है उस पर हमेशा के लिये कुठाराघात हो जाय। हमेशा के लिये इसलिये कह रहा हूं कि इसमें कोई मियाद नहीं है कि एक साल बाद, दो साल बाद या दस साल बाद किसी को इस बात की इजाजत दे देंगे कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, म्युनिसिपल बोर्ड या असेम्बली में कभी खड़ा हो सके। इसलिये मैं समझ रहा हूं कि हम बहुत पीछे जा रहे हैं। प्रगतिशीलता की ओर जाने के बजाय हम प्रतिगामी शक्ति की ओर प्रेरित होकर जा रहे हैं। जैसा कि श्री गेंदासिंह जी ने कहा, मैं समझता हूं कि अगर पोलिटीकल ग्राउण्डस के कारण किसी को कोई जीविका से ठुकरा सकते है तो क्या अधिकार है कि आप उसका यह अधिकार भी छीन लें कि वह किसी म्युनिसिपैलिटी के चुनाव में खड़ा न हो सके। उन्होंने कहा कि नौकर के लिये बुरी बात है कि वह नौकरी करे और राजनीतिक पार्टीज़ में हिस्सा ले। मैं समझता हूं कि कोई आदमी जब नौकरी करता है और राजनीतिक पार्टीज़ हिस्सा लेता है तो वह ऊपर के लोगों से कहता है कि आप मुझे निकालिये। आप में हिम्मत न हो तो दूसरी बात है लेकिन आप ईमानदारी से उसके पोलिटीकल व्यूज की उसको सजा दे दें तो ठीक है लेकिन डबल सजा की बात कि वह चुनाव में खड़ा नहीं हो सकता मेरी समझ में नहीं आती है। इसलिये मैं जो संशोधन रखा है उसका जोरों के साथ समर्थन करता हूं और किसी हालत में हमें उसका यह अधिकार जो पोलिटिकल ग्राउण्ड्स पर डिस्मिस हुआ हो। हरगिज उसका यह अधिकार नहीं छीना जाना चाहिये और मैं आपके सामने बहुत सी मिसालें जो आज घटित हो रही हैं जो बहुमत की पार्टी है वह कर रही है उनको रख सकता हूं। किसी ने डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के इलेक्शन में हिस्सा लिया और उसने सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार को वोट दिया, लिहाजा वह डिस्मिस कर दिया गया। अब आपने कहा कि उसको खड़ा होने का कोई अधिकार नहीं है। मैं समझता हूं कि आप उसके साथ ज्यादती कर रहे हैं। इसलिये माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये से इस सदन से प्रार्थना करूंगा कि वह इस बात पर ठंडे दिल से विचार करे कि हम किसी के ऊपर पोलिटिकल खयालात की वजह से जबरदस्ती दो दो सजायें लाद रहे हैं, उसकी बरखास्तगी और फिर उसको आगे पोलिटिकल फील्ड, जिसका उसे जन्म सिद्ध अधिकार है, उससे भी हम उसे रोकें यह एक गैर मुनासिब बात है, बेईन्साफी की बात है, इसके ऊपर हमें कड़ा कदम लेना चाहिये।

श्री सुल्तान आलम खां (जिला फर्रुखाबाद)—जनाबवाला, स्पीकर साहब इस संशोधन पर जो बहस इस भवन में हुई मैंने उसे बहुत गौर से सुना। मुझे ऐसा महसूस होता है कि इस पर जो संशोधन आया है वह ज्यादातर मिस एप्रिहेंशन की वजह से है। इसमें कोई शक नहीं कि इसमें जो डिस्क्वालिफिकेशन रक्खी गई है, ऐसे लोग जो पोलिटिकल ग्राउन्ड्स की वजह से बरखास्त किये गये हैं यह इस कानून में पहली दफा रक्खी जा रही है और इससे पहले ऐसी कोई पाबन्दी नहीं थी। यह बात सही है लेकिन सवाल पैदा होता है कि आया इसकी जरूरत है या नहीं है। दुनिया में जहां जहां भी डेमोक्रेसी चलती है यह बात तय कर दी गई है कि डेमोक्रेसी में जो गवर्नमेंट भी चलती है उसके दो हिस्से होते हैं। एक हुकूमत या मिनिस्ट्री और दूसरी परमानेंट सर्विसेज। इन दोनों के अलग-अलग अधिकार है, अलग-अलग जूरिस्डिक्शन है। गवर्नमेंट बदलती रहती है, दूसरी सरकार आ जाती है लेकिन परमानेंट सर्विसेज अपनी जगह पर कायम रहती है और वे फेथफुली जो हुकूमत उस समय होती है उसकी पालिसी को चलाती है। हमारे मुल्क में पहली मर्तबा डेमोक्रेसी आई है और इस बात की जरूरत है कि हम सही किस्म के कंवेंशंस कायम करें। हम ऐसे उसूल और तरीके बनायें जिनसे हमें डेमोक्रेसी को सही रास्ते पर चलाने में मदद मिले। इसमें कोई शक नहीं कि डेमोक्रेसी आ गई है, डेमोक्रेसी पर हम अमल कर रहे है लेकिन वे तमाम एनवायरमेंट्स जिनके कारण एक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन कायम रह सकती हैं वे नहीं आये हैं। वे तमाम भावनायें जो इसके साथ पैदा होनी चाहिये वे अभी तक हमारे मुल्क में पैदा नहीं हुई। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह सिर्फ यह है कि हम उतने अच्छे तरीके से ट्रेंड नहीं है जिस तरह से कि दूसरे मुल्क हैं जिनमें १००, २००, ५०० वर्ष से डेमोक्रेसी चल रही है। हमारी

[श्री सुल्तान आलम खां]

सरकार को ऐसी सूरत में ऐसी होशियारी से कदम उठाना है ताकि सही किस्म के कंवैशंस पैदा हो सकें। और इसी कन्वैन्शन के साथ यह चीज़ सामने लायी गयी है कि न सिर्फ ऐसे लोग बल्कि वे लोग भी जिनको पोलिटिकल ग्राउण्ड पर बरखास्त किया गया हो या डिस्क्वालिफाई किया गया हो। इसमें बहुत लोग आये हैं जो कई तरह के काम और पेशा करते हैं। उन तमाम लोगों को डिस्क्वालिफाई करना है जिन्होंने अपने कैरियर में मिसकंडक्ट का सबूत दिया हो उनको डिस्क्वालिफाई कर दें। अगर कोई ऐसा शख्स है कि जिसका काम पार्टी पालिटिक्स से बिलकुल अलग रहता है और अपने फरायज को अंजाम देता है तो उसका इससे कोई मतलब नहीं हो सकता। लेकिन अगर कोई शख्स पार्टी के बन्धन में पड़ता है तो वह एक गलत उसूल पैदा करता है और वह डिस्क्वालिफाई कर दिया जाता है तो कोई गलत बात नहीं है। ऐसी हालत में जब कि हमारे मुल्क में डिमोक्रेसी के कदम अभी जम रहे हैं किसी शख्स ने अपनी जिन्दगी में मिसकंडक्ट का सबूत दिया है अगर उसको भी इसका राइट देते हैं तो यह हमारे लिये कोई अच्छी बात नहीं होगी।

मेरे मित्र ने अपनी तकरीर में यह बतलाया था कि इसका मकसद शायद यह है कि गवर्नमेंट के सामने यह बात लायी जाय कि चन्द केसेज में वह फैसला कर देते हैं तो उनकी [illegible] किया जाय। ऐसा होता रहता है कि अक्सर औकात लोग गलत तरीके पर बरखास्त हो जाते हैं। उस सूरत में उनको बड़ा धक्का पहुंच जाता है। [illegible] अर्ज करना चाहता हूं कि मैं अपने मित्र से इसमें इख्तलाफ नहीं करता। हो सकता है [illegible] ख्याल में ऐसी बात आयी हो लेकिन मैं यह समझता हूं कि उन अफसरान के नोटिस में लाने का यह मौका नहीं है। इसके लिये दूसरा मौका होगा। जब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का बजट आयेगा तब वहां पर इस चीज को गवर्नमेंट की नोटिस में लाया जा सकता है। इस तरीके से यह चीज सामने लायी जा सकती है। इस वक्त तो हमारे सामने एक कंक्रीट प्रोपोजल है कि आया उन लोगों को जिन्होंने पोलिटिकल ग्राउण्ड पर या और तरह से मिसकंडक्ट का सबूत दिया है उनको इसके अन्दर शामिल करें या नहीं करें। एक चीज और है इसके अन्दर जो प्रोविजो दिया हुआ है और इस प्रोविजो के मातहत यह डिस्क्वालिफिकेशन दूर की जा सकती है और वह यह है कि——

"Provided that in cases of (a) and (b) the disqualification may be removed by an order of the State Government in this behalf"

अगर कोई ऐसा केस सामने आता है कि जिसमें बेइन्साफी हुई हो तो उस चीज को गवर्नमेंट के सामने लाया जा सकता है और इसके मातहत गवर्नमेंट को पूरा अधिकार है कि वह डिस्क्वालिफिकेशन को रिमूव कर दे।

अब सवाल यह रह जाता है कि आया गवर्नमेंट के ऊपर इस मामले में विश्वास किया जा सकता है या नहीं कि अगर यह चीज गवर्नमेंट की नोटिस में लायी जायगी तो डिस्क्वालिफिकेशन को रिमूव किया जायगा। इसके मुतालिलक यह अर्ज करना चाहता हूं कि यह सवाल इस जगह पर मीनिंगलेस है। जो गवर्नमेंट इम्पावर होती है उसके ऊपर विश्वास करना पड़ता है और करना भी चाहिये लेकिन जहां तक कैबिनेट या मिनिस्ट्री का ताल्लुक है वह एक परमानेण्ट चीज नहीं है। वह बदलती रहती है। तो जो चीज इस गवर्नमेंट के लिये कही जा सकती है वह आने वाली गवर्नमेंट के लिये भी कही जा सकती है। यह क़ानून जो बन रहा है वह किसी एक गवर्नमेंट के लिये नहीं बन रहा है बल्कि परमानेण्टली वह स्टेट्यूट बुक पर आ रहा है और सब को इसको फेथफ़ुल्ली डिस्चार्ज करना होता है। ऐसी सूरत में जब कि हम अपनी म्युनिसिपैलिटीज में पहली मर्तबा अडल्ट फ़्रन्चाइज़ ला रहे हैं, ज्वाइण्ट एलेक्टोरेट ला रहे हैं और पहली मर्तबा इतने बड़े पैमाने पर एक्सपैरीमेण्ट कर रहे हैं जैसा कि हमने पार्लियामेंट या असेम्बलीज़ के लिये किया है उसी तरह से इसको भी करना है और साथ ही जब कि हम यह जानते हैं कि लोकल बाड़ीज़ की हालत ऐसी है कि जिसमें

बहुत खामियां हैं उनको दूर करना है और ऐसे लोगों को लाना है जो अच्छे तरीके से पार्टी से अलग रह कर सही तरीके से काम कर सकें और अपनी पावर को गलत तरीके से इस्तेमाल न करें। अगर इन चीजों को हम सोचें तो मुमकिन हो सकता है जैसा कि कहा भी गया कि [illegible] के इन्टरेस्ट [illegible] करें लेकिन देखना यह है कि कुछ लोगों के इन्टरेस्ट [illegible] के मुकाबले में [illegible] म्युनिसिपल बोर्ड [illegible] उनके जरिये से [illegible] लोगों के [illegible] सफर होते हैं। किसी इन्डीविजुअल [illegible] से म्युनिसिपल बोर्ड [illegible] ज्यादा अहमियत रखता है और [illegible] करके हम [illegible] चुनावों में [illegible] एक नई [illegible] ला रहे हैं एक नया तजुर्बा करने जा रहे हैं [illegible] टेक्नोक्रेसी [illegible] हमें अपने यहां [illegible] ज्यादा [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] उन्होंने [illegible] कहा उसको [illegible] या जा [illegible] बात [illegible] उन्होंने [illegible] प्रकट किये। बहुत से माननीय सदस्यों [illegible] कर्मचारियों [illegible] नहीं होने चाहियें। [illegible] संबंध में [illegible] पहले ही शुरू में [illegible] स्पष्ट कर दिया था [illegible] प्रश्न तो केवल उन्हीं व्यक्तियों [illegible] जो कर्मचारी [illegible] नहीं कहता कि यह [illegible] म्युनिसिपल कर्मचारी, [illegible] गवर्नमेंट [illegible] स्टेट के कर्मचारियों को छूट दी जाय कि वह जिस पार्टी में चाहें खुल्लमखुल्ला काम करें। यह प्रश्न हमारे सामने नहीं है, प्रश्न तो केवल इतना ही है कि डिस्मिस्ल के अधिकार का दुरुपयोग होता है। इसके उदाहरण देने की या साबित करने की मुझे जरूरत नहीं है क्योंकि माननीय मंत्री जी ने स्वयं ही स्वीकार कर लिया है कि ऐसी गुंजायश होती है और ऐसा दुरुपयोग हो सकता है और उन्होंने उदाहरण भी उस वक्त दिया था। माननीय [illegible] साहब ने बताया कि इस धारा के आखिर में जो ए० और बी० हैं उसके अनुसार सरकार को अधिकार है कि वह प्रतिबन्ध को हटा दे। लेकिन जैसा कि उन्होंने कहा यह तो सरकार और उसके विभागीय अध्यक्षों की मर्जी पर है कि वह उसको जैसे चाहे इस्तेमाल करें। और हम किस तरह से उम्मीद कर सकते हैं कि सरकार उसका दुरुपयोग न करेगी। मेरा कहने का मतलब यह है कि जो कर्मचारी बरखास्त किये गये हैं, और जैसा कि मैं उदाहरण दे रहा था, नाम मैं नहीं लूंगा, चुनाव होने के बाद भी उम्मीदवार के दोस्तों ने कहीं चाय पार्टी दे दिया और सरकारी कर्मचारियों को टी पार्टी में बुला लिया और किसी को बरखास्त कर दिया कि तुम्हारे मकान में पार्टी हुई या तुम पार्टी में शामिल थे लिहाजा तुम बरखास्त हुये। क्या यह अधिकार का दुरुपयोग नहीं है? अगर वह कोई कर्मचारी किसी मेम्बर की पार्टी में शामिल होता है और महीनों बाद उसे डिस्मिस किया जाता है तो जो और कर्मचारी थे उन्हें डिस्मिस क्यों नहीं किया जाता? मैं तो यह निवेदन करूंगा कि किसी को भी किसी की चाय पार्टी में शामिल होने पर कोई सजा मिलनी ही नहीं चाहिये। वहां बड़े-बड़े कर्मचारी थे। तो किसी को बरखास्त किया जाता है और किसी को नहीं किया जाता। यह दुरुपयोग की बात है। मैं कोई उदाहरण दे कर सदन का समय नहीं लेना चाहता था क्योंकि माननीय मंत्री जी ने पहले ही स्वीकार कर लिया

[श्री जयेन्द्रसिंह विष्ट]

कि ऐसा हो सकता है। यदि कोई कर्मचारी किसी उम्मीदवार की हिमायत भी करता है तो उसे बरख़ास्त नहीं करना चाहिये। जनतंत्रवाद में भाग लेना उसका बर्थराइट है। इंग्लैण्ड में भी, जहां के विधान की हम नक़ल करते हैं और जिसको अपना आदर्श मानते हैं वहां भी लोकल अथारीटीज़ में चुनाव में ऐसा प्रतिबन्ध नहीं रखा गया है कि यदि कोई कर्मचारी किसी उम्मीदवार की हमदर्दी करने के लिये डिस्मिस किया गया हो यानी किसी पोलीटीकल वजह से डिस्मिस किया गया हो तो उसे चुनाव में भाग लेने का हक़ न रहे। मैं केवल यही चाहता हूं कि राजनीतिक आधारों पर निकाले गये किसी भी कर्मचारी को, चाहे वह किसी भी पार्टी से सहानुभूति रखता हो, उसे राजनीतिक अधिकारों से वंचित नहीं करना चाहिये इसमें किसी पार्टी का सवाल नहीं है। यह तो सभी के लिये यकसां है। यही मेरा संशोधन है। मैं आशा करूंगा कि मंत्री जी इसे मान लेंगे।

श्री मोहनलाल गौतम––जिस तरह कि मिसालें विष्ट साहब ने दी हैं मेरे ख़याल में किसी की चाय पार्टी में शरीक होने के लिये किसी को भी, चाहे वह किसी पार्टी का हो, बरख़ास्त नहीं होना चाहिये। चाय पार्टी तो एक सोशल फ़ंक्शन है। उसमें शरीक होना कोई पोलिटीकल एक्टीविटी या इनडिस्पिलिन नहीं है। यदि वह मुझे ऐसी मिसालें बतावें तो मैं उन्हें देखने का आश्वासन देता हूं। यह मुझे नहीं मालूम कि आया वे पहले शासन की हैं जो वहां था या कांग्रेस के शासन की हैं। जो कुछ दूसरे माननीय सदस्य टेहरी ने श्री शाह ने, कहा मैं उसको यक़ीन कर सकता हूं। लेकिन जब तक कोई १, २, ४, ६, या १०, २० नाम नहीं बतावें कोई कार्यवाही नहीं हो सकती। यदि कोई ऐसा प्रतिबन्ध होगा तो वह हटा दिया जायगा। मेरी बदक़िस्मती यह है कि मेरी बात बग़ैर सुने लोग उन्हीं प्वाइंट्स को फिर दोहराते हैं। यही बात माननीय गेंदा सिंह जी और मलखान सिंह जी ने कही कि विचारों के लिये बरख़ास्त होते हैं। विचारों के लिये किसी को बरखास्त नहीं होना चाहिये। माननीय गेंदासिंह जी ने दूसरी बात कह दी उसको भी मैं साफ कर देना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि कर्मचारी संघ बने हुये हैं और ऐसे कर्मचारी पार्टीज़ में हैं। ऐसे लोगों के लिये म्युनिसिपैल्टीज़ में या और किसी सर्विस में स्थान नहीं होना चाहिये। अगर कोई किसी पार्टी की ऐक्टिव लीडरशिप में काम करता है या ऐक्टिव लीडर के तौर पर काम करता है तो ईमान्दारी इसी में है कि बजाय इसके कि बरख़ास्त होने का इंतज़ार करें वह स्तीफा दे दे और खुलकर काम करे।

श्री गेंदासिंह––मैंने यह कहा था कि पोलिटिकल पार्टीज़ के जो लीडर्स हैं वे उन यूनियन्स की लीडरशिप करते हैं।

श्री मोहनलाल गौतम––मैंने यही समझा कि वे लोग पार्टीज़ में काम करते हैं। मैं यह कह रहा था कि अगर कोई कर्मचारी किसी पोलीटिकल पार्टी में शामिल होता है या उसके लिये काम करता है तो उससे मेरा नम्र निवेदन यही है कि वह नौकरी से इस्तीफा दे दे और खुल कर काम करे, तब वह किसी भी पार्टी के लिये खड़ा हो सकता है और विचारों की वजह से उसके ऊपर कोई रोकथाम न होगी। लेकिन इतना तो ज़रूर होना चाहिये किसी भी कर्मचारी को पोलिटिक्स में ऐक्टिव भाग न लेना चाहिये और अगर वह किसी पार्टी में एक्टिव हिस्सा लेता है तो उसको वहां न रहना चाहिये और मैं चाहता हूं कि इस प्रकार डिसिप्लिन को मेण्टेन रखने में हाउस मेरा साथ देगा। "एनी एम्प्लाई आफ दी लोकल बोडी शुड नाट टेक एक्टिव पार्ट इन पोलीटिकल एक्टीविटीज़" यानी किसी भी कर्मचारी को, लोकल बाडीज़ के कर्मचारी को कोई अधिकार नहीं होना चाहिये कि वह किसी भी पोलीटिकल पार्टी में एक्टिव पार्ट ले लेकिन अगर वह किसी भी पोलिटिकल पार्टी के काम में हिस्सा लेना चाहता है तो उसके लिये एक ही रास्ता है वह यह कि वह नौकरी से इस्तीफा दे दे और किसी भी स्थान के लिये खड़ा हो। विचारों के लिये किसी को भी कोई सज़ा नहीं दी जायगी। इसलिये इन दोनों चीज़ों को अलग रखा जाय नहीं तो म्युनिसिपैलिटीज़ में काफी अनुशासनहीनता बढ़ जायगी, इसलिये इसको यहां रखना मुनासिब नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खण्ड ६ की प्रस्तावित नयी धारा की उपधारा (*a*) की अंतिम पंक्ति के शब्द "therein" के बाद शब्द "except when dismissed on political grounds" जोड़ दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री उम्मेदसिंह (जिला गोंडा)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से यह प्रस्ताव करना चाहता हूं कि खंड ६ में प्रस्तावित नयी धारा 13-D की उपधारा (*f*) की पंक्ति ४ के बाद "an" तथा पंक्तियां ५ व ६ निकाल दी जायं।

इस संबंध में मुझको केवल यह निवेदन करना है कि आजकल म्युनिसिपैलिटीज के इन्तजाम के बारे में जो शिकायत है वह यह है कि उनका स्टैंडर्ड गिरा हुआ है। और उसको ऊंचा उठाने के लिये उसमें अगर चरित्रवान व्यक्ति आते हैं तो उनको प्रोत्साहन मिलना चाहिये। और हमारे खयाल में गवर्नमेंट आनरेरी मैजिस्ट्रेट, या आनरेरी असिस्टेंट कलेक्टर उन्हीं लोगों को बनाती है जो चरित्रवान है और जिनकी उस नगर या क्षेत्र में प्रतिष्ठा है। तो जो रेगुलर सर्वेंट है उनके लिये तो यह कहा जाता है कि वे आफिशियल.......।

श्री अध्यक्ष--माननीय सदस्य जरा अपना संशोधन साफ कर दें कि ऐक्ट में से कौन सी चीज आप निकाल रहे हैं।

श्री उम्मेदसिंह--"is in the service of the Government Counsel" तक रहेगा और "or an Honorary Magistrate or an Honorary Munsif or an Honorary Assistant Collector" निकल जायगा।

श्री अध्यक्ष--ठीक है।

श्री उम्मेदसिंह--तो इस संबंध में मेरा निवेदन यही है कि अगर स्टैंडर्ड म्युनिसिपैलिटियों का बढ़ाना है और उसमें अगर हर क़िस्म के प्रतिष्ठित व्यक्ति को खड़े होने को सुविधा दी जाती है तो कोई वजह नहीं है कि जो अवैतनिक या आनरेरी पदों पर काम करते हैं उनको सुविधा न दी जाय। और मेरा विचार तो यही है कि जब गवर्नमेंट खुद इनको चरित्रवान समझ कर इनको ऐसी जिम्मेदारी देती है तो उनके म्युनिसिपैलिटियों के मेम्बर होने में कोई प्रतिबन्ध उनके खिलाफ न होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष--माननीय सदस्य कुछ समय लेंगे?

श्री उम्मेदसिंह--जी नहीं। मुझे कुछ थोड़ा सा निवेदन करना है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह नया क्लाज है। अब तक जितने चुनाव हुये हैं म्युनिसिपैलिटियों के, उनमें आनरेरी मैजिस्ट्रेट और आनरेरी असिस्टेंट कलेक्टर सभी चुनाव लड़े हैं। मेरा ख़याल है सन् ४९ में क़ानून बना था और पहले पहल चुनाव हुआ था उसके बाद फिर यह अब आ रहा है। तो इस पर अगर माननीय मंत्री जी विचार कर लें तो कोई खास वजह नहीं है कि उनको इजाजत न दी जाय। मेरा तो ख़याल यह है कि अगर ऐसे क़िस्म के चरित्रवान लोग म्युनिसिपैलिटीज में आते हैं तो उससे म्युनिसिपैलिटियों की दशा में उन्नति होगी और म्युनिसिपैलिटियों का स्टैंडर्ड अच्छा होगा।

(इस समय १ बज कर १६ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बज कर १७ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोविन्द पन्त, की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री मोहनलाल गौतम—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन इस समय सदन के सामने है उसका मतलब यह है कि आनरेरी मजिस्ट्रेट, आनरेरी मुंसिफ और आनरेरी असिस्टेंट कलेक्टर को यह अधिकार दिया जाय कि वह म्युनिसिपैलिटी के चुनाव मे खड़े हो सके । इस चीज को अमेंडिंग बिल मे रखने से यह अभिप्राय नहीं है कि हम लायक आदमियों को चुनाव मे लेने देने से रोकते है । लेकिन एक बात तो इस संशोधन के पेश करने वाले भी अनुभव करेंगे कि अगर एक आनरेरी मजिस्ट्रेट, आनरेरी मुंसिफ या आनरेरी असिस्टेंट कलेक्टर चुनाव मे खड़ा होता है और सब के पास जाता है । कुछ लोग उसको वोट देते है और कुछ नहीं देते । तब उसका दिमाग अगर बहुत अच्छा है तो हो सकता है कि उसके दिमाग मे असर न पड़े और सब के साथ पहले ऐसा न्याय कर सके । लेकिन जो लोग वोट दें उनके हक मे तरफदारी हो जाना बिलकुल स्वाभाविक है और जिन्होंने उनको वोट नहीं दिया और वह हार गया हो तो उसके दिमाग पर असर पड़ सकता है कि मुझे इन लोगों ने हराया । तो जिन आदमियों ने उनको हराने मे हिस्सा लिया है उनके मामले जब सामने आएं तो जैसा कि मनुष्य का स्वभाव है, हो सकता है कि इंसाफ न कर सके । इसलिये इंसाफ के लिये जरूरी है कि इस तरह के लोगों को चुनाव से अलग रखा जाय । यह बात बिलकुल जरूरी है, वह आनरेरी हो या पेड हो । आनरेरी होने से उनके इंसाफ करने की काबिलियत को कम न कीजिये इसलिये उनको अलग रखना ही मुनासिब होगा ।

इन शब्दों के साथ मैं आशा करता हूं कि मेम्बर महोदय उसको वापस ले लेंगे ।

श्री उम्मेदसिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय का जो तर्क है वह हमारी समझ मे नहीं आया । वैसे तो चुनाव में बड़े बड़े ऐडमिनिस्ट्रेटर्स को, प्राइम मिनिस्टर को भी जनता के सामने जाना पड़ता है तो अगर आनररी मजिस्ट्रेट या आनरेरी असिस्टेंट कलेक्टर जनता के सामने जाता है वोट मांगने और वह कामयाब होता है तो सरकार भी यह समझेगी कि जिस शख्स को हमने चुना इस ओहदे के लिये उसका चरित्र ठीक है और भ्रष्टाचार मे नहीं पड़ने वाला है और बोर्ड मे रह कर ऐसा आदमी काम कर सकेगा अगर एक आध आदमी ऐसा बोर्ड मे रहे तो मेरे ख्याल में बोर्ड का जो स्टेंडर्ड गिरा हुआ है वह उच्च होगा ।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ९ मे प्रस्तावित नयी धारा 13-D की उपधारा (f) की पंक्ति ४ के बाद "an" तथा पंक्तियां ५ और ६ निकाल दी जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा (जिला गोरखपुर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से म प्रस्ताव करता हूं कि खंड ९ मे प्रस्तावित नयी धारा 13-D की उपधारा (g) निकाल दी जाय और उसके बाद के (h), (i) और (j) को क्रमशः (g) , (h) और (i) कर दिया जाय ।

श्रीमन्, मेरा इस प्रस्ताव का आशय केवल इतना ही है कि इसमें योग्यतायें बतलायी गयी है उम्मीदवारों के लिये । हमारी पार्लियामेंट या असेम्बली के में ऐसी किसी प्रकार की योग्यता नहीं है जैसी कि (g) मे है । (g.) में यह लिखा कि "is unable to read and write Hindi" हिन्दी लिखने पढ़ने मे असमर्थ । ऐसी कोई अयोग्यता हमारे आम निर्वाचन में नहीं है । इसलिये उचित और वांछनीय तो यही प्रतीत होता है कि म्युनिसिपल निर्वाचन मे ऐसी कोई अयोग्यता न लागू हो ।

मै इस संबंध में विशेष कुछ न कह कर सदन का समय नहीं लेना चाहता । यदि मेरे इस संशोधन के विषय में कोई आपत्ति होगी तो फिर मै अपने उत्तर में निवेदन करूंगा ।

श्री मोहनलाल गौतम—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस संशोधन में (*g*) को निकालने के बाद इसका दोबारा आर्डर बदला है। तो मैं निवेदन करूंगा कि यदि पहले यह निर्णय हो जाय कि (*g*) निकाली जाय या रखी जाय। उसके बाद जो कांसिकुवेंश्यल चेंजेज़ होंगे वह हो जायंगे, जैसा कि इस संशोधन में बतलाया गया है।

श्री उपाध्यक्ष—इस संशोधन में यही है कि (*g*) निकाल दी जाय। श्री मलखान सिंह भी अपना संशोधन पेश कर दें।

श्री मलखानसिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन इस प्रकार है, "खंड ९ में प्रस्तावित नयी धारा 13-D की उपधारा (*g*) निकाल दी जाय।"

जैसा कि अभी माननीय परिपूर्णानन्द जी ने कहा है, चूंकि हमारी पार्लियामेंट या असेम्बली के मेम्बरों के लिये ऐसी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है कि वह हिन्दी लिखना पढ़ना जानते हों, इसलिये म्युनिसिपल बोर्ड के मेम्बर्स के लिये यह क्वालिफिकेशन रखना, मैं समझता हूं कि गैर मुनासिब है। यहां पर इतना कह देना ही काफी होगा और मैं समझता हूं कि इसको माननीय मंत्री जी स्वीकार कर लेंगे।

श्री मोहनलाल गौतम—माननीय ठाकुर मलखानसिंह जी के कहने के बाद तो मैं इसको अवश्य स्वीकार करूंगा ही। मुझे स्वीकार है।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ९ में प्रस्तावित नयी धारा 13-D की उपधारा (*g*) निकाल दी जाय और उसके बाद के (*h*), (*i*) और (*j*) को क्रमशः (*g*) ,(*h*) और (*i*) कर दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन प्रस्तुत करना चाहता हूं कि खंड ९ में प्रस्तुत नयी धारा 13-D के पहले प्रतिबंध के बाद निम्नलिखित प्रतिबन्ध बढ़ा दिया जाय—

"Provided further that in the case of (*h*) the disqualification shall cease as soon as the arrears are paid."

श्रीमन्, जो धारा १३–डी की उपधारा (एच) है वह इस प्रकार है—

"(*h*) is in arrears in the payment of Municipal Tax or other dues in excess of one year's demand to which section 166 applies,...."

तो इसमें कोई भी मतदाता मेम्बरी के लिये खड़ा नहीं हो सकता अगर वह म्युनिसिपल टैक्स न दिये हो और जिसमें कि धारा १६६ लागू होती हो। लेकिन मेरा यह विचार है कि अगर वह म्युनिसिपल टैक्स के जो एरियर्स हैं उनको दे देता है तो उसके संबंध में जो प्रतिबन्ध है, डिस्क्वालिफिकेशन है वह हट जानी चाहिये। अगर वह एरियर्स दे देता है तो उसको भी यह मौका मिलना चाहिये कि वह मेम्बरी के लिये खड़ा हो सके, मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी का भी यह इरादा होगा और मुझे आशा है कि वह इसको स्वीकार कर लेंगे।

श्री मोहनलाल गौतम—मुझे यह संशोधन मंजूर है और इससे बहुत सी खराबियां दूर हो जायंगी। इसलिये मैं इसको मंजूर करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ९ में प्रस्तुत नयी धारा 13-D के पहले प्रतिबन्ध के बाद निम्नलिखित प्रतिबन्ध बढ़ा दिया जाय—

"Provided further that in the case of (*h*) the disqualification shall cease as soon as the arrears are paid."

(प्रश्न उपस्थित किया गया तथा स्वीकृत हुआ।)

श्री पुत्तूलाल (जिला आगरा)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मै आप की आज्ञा से यह संशोधन उपस्थित करता हूं कि खंड ९ द्वारा प्रस्तावित नयी धारा 13-D के अंत में निम्नलिखित नयी उपधाराएं (*k*) और (*l*) जोड़ दी जायं—

"(*k*) has been adjudged by a competent court of law to be of unsound mind;

(*l*) is below 25 years of age;"

जैसा कि मुझ को ज्ञात है यह जो कानून बन रहा है यह जनरल एलेक्शंस को लेते हुये चल रहा है। उसमें ऐसा था कि जो आदमी कि अनसाउंड माइंड का हो वह एलेक्शंस में नहीं खड़ा हो सकता है। दूसरी बात यह भी है कि जो मैंने यह रखा है २५ साल से एज कम न हो, यह भी उसमें है और जब हम उसके साथ साथ चल रहे हैं तो हमें यह डिसक्वालिफिकेशन भी मान लेना चाहिये। और यह जो संशोधन मैंने नयी उपधाराओं को जोड़ने के लिये रखा है इसको स्वीकार कर लिया जाय।

श्री मोहनलाल गौतम—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक पहली बात का संबंध है वह शामिल है क्योंकि जो एलेक्टोरल रोल असेम्बली का होगा उसमें कोई अनसाउंड माइंड वाला नहीं होगा। यह है पीपुल्स रेप्रेजेंटेशन ऐक्ट, १९५०, क्लाज १६ (बी)

"Is of unsound mind and stands so declared by a competent court."

तो जो अनसाउंड माइंड का होगा वह असेम्बली एलेक्टोरल रोल में नहीं रहेगा, और जब एसेम्बली ऐलेक्टोरल रोल में नहीं आयेगा तो म्युनिसिपैलिटी के एलेक्टोरल रोल में नहीं आयेगा। इसलिये इसकी यहां आवश्यकता नहीं है।

जहां तक दूसरी बात का संबंध है २५ से कम एज का आदमी वोटर तो हो सकता है लेकिन प्रेसिडेंट की उमर तो मुकर्रर ही है। इस लिये मैं इन दोनों चीजों को मंजूर करने में असमर्थ हूं।

श्री पुत्तूलाल—मैं वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री रामनारायण त्रिपाठी—उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से यह संशोधन उपस्थित करता हूं कि खंड ९ में प्रस्तावित नयी धारा 13-D में प्रतिबन्ध के पहले निम्नलिखित नयी उपधारायें जोड़ दी जायं—

"(*k*) has been convicted for contravening any of the provisions of Civil Supplies or Control Acts of the State or Central Government."

(*l*) has been convicted for black-marketing."

उपाध्यक्ष महोदय, यह नई उपधारायें जो मैंने जोड़ने का संशोधन रखा है वह १३-डी में है जिसमें तरह तरह की डिसक्वालीफिकेशन्स का वर्णन है। यह ऐसा अहम संशोधन है जिसमें ब्लैक-मारकेटिंग या किसी भी सिविल सप्लाईज के ऐक्ट के मातहत जिस पर मुकदमा चलाया जा चुका है और जिन को सजा हो चुकी है, उनको भी इन चुनावों में खड़ा होने का अधिकार नहीं होना चाहिये, यह इस का मतलब है। उपाध्यक्ष महोदय, १३-डी में जितने भी प्रकार की डिसक्वालीफिकेशंस का वर्णन किया गया है उसमें यह नयी उपधारा की डिसक्वाली-फिकेशन किसी से भी कम महत्व की नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, हम तो निश्चित मत के हैं कि ऐसे लोगों को तो वोटर भी नहीं होने देना चाहिये और उनसे फ्रेन्चाइज का अधिकार भी ले लेना चाहिये जो कि जनता के साथ किसी कन्ट्रोल या सिविल सप्लाईज ऐक्ट के

मातहत बईमानी करके अनुचित फायदा उठा करके और जनता को धोखा दे करके तरह तरह के बेजा फायदे उठाते रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, ऐसे लोगों को जो कि ब्लैकमारकेटिंग में इण्डल्ज होते हैं या इस तरह के कण्ट्रोल के प्राविजन्स को तोड़ते हैं उनके लिये जितनी भी सख्त से सख्त सजायें हो सकें दी जानी चाहियें। उनके बारे में उपाध्यक्ष महोदय, आप को भी और सदन के सारे सदस्यों को भी इस बात की जानकारी होगी कि उनमें से कोई कोई तो ऐसे भयंकर रूप में काम करते हैं कि उनको तो सही मानों में इन्सान भी नहीं कहा जा सकता। वे निकृष्ट पाप करते हैं और उनको इस बात की भी परवा नहीं होती कि मौका आने पर एक पाव चावल के लिये या एक छटाक अनाज के लिये किसी मनुष्य की चाहे मृत्यु हो जाय कोई मनुष्य जाड़े में ठिठुर ठिठुर कर परेशान हो, उसके पास पैसा न हो, लेकिन अगर उसके पास एक रुपये गज का कपड़ा हो, वे उससे ज्यादा से ज्यादा दाम लेंगे। अब इस बात से उनको इन्सानियत का दरजा भी नहीं दिया जा सकता अगर मैं इसको डिसक्वालिफिकेशन में रखता हूं तो यह तो एक महत्वपूर्ण संशोधन है और मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय मंत्री जी इस को स्वीकार करेंगे।

श्री मोहनलाल गौतम—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ब्लैकमारकेटिंग को बुरा समझने में जितने जोर से मूवर साहब ने इस को पेश किया है उसकी मैं पूरी ताइद करता हूं। ब्लैकमारकेटिंग और उसके साथ जो दूसरी चीजें हैं वह खराब हैं और उनको जितनी जल्दी दूर किया जाय उतना ही अच्छा है। लेकिन जिस प्रकार का यह संशोधन है उसमें बहुत सी कठिनाइयां हैं। एक तो यह है कि ब्लैकमारकेटिंग परमानेण्ट चीज इस देश में नहीं होनी चाहिये उस को स्टैट्यूट पर रखकर यह कहा जाय कि इस देश में ऐसी ब्लैक-मारकेटिंग है और यह हमेशा रहेगी, और उन लोगों को सजा दी जाय, यह कहां तक मुनासिब होगा। दूसरी बात यह है कि ब्लैकमारकेटिंग में भी तरह तरह के केसेज हैं, कुछ टेकनिकल ऐसे हैं जिन को सजा हुई। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, आप भी कहेंगे और सब कहेंगे कि इस तरह का वह आदमी नहीं है जिसको कि आप वंचित कर दें। फिर लाइसेंस लेने वालों का जो विरोध किया है यह भी....

श्री रामनारायण त्रिपाठी—वह मूव नहीं किया गया है।

श्री मोहनलाल गौतम—तो इस लिये इस को यहां रखना मुनासिब नहीं है।

श्री पद्मनाथ सिंह (जिला आजमगढ़)—उपाध्यक्ष महोदय, श्री रामनारायण त्रिपाठी जी ने जो तीन बातों के लिये कहा है, पहली बात तो यह है कि "हैज़ बीन चालान्ड फार कन्द्राबानग

श्री उपाध्यक्ष—कन्विक्टेड कर दिया गया है।

श्री पद्मनाथ सिंह—लाइसेंस भी जोड़ दिया गया है?

श्री उपाध्यक्ष—वह अभी मूव नहीं हुआ है।

श्री पद्मनाथ सिंह—महज कन्विक्टेड के बारे में मुझे कहना था। कन्विक्शन जो होता है कोर्ट्स से माननीय सदस्य इस को स्वीकार करेंगे कि वह बिल्कुल ऐसा होता हो जिसमें कोई नुक्ता न रखा जाना असम्भव हो। जो फैसले होते हैं और अदालतों में जो काम करने वाले हैं वे जानते हैं कि एक कोर्ट का फैसला अपील में दूसरे कोर्ट से रद्द हो जाता है और फिर उस पर आगे बढ़ते बढ़ते आखिर तक कभी टेक्निकल ग्राउंड पर खत्म हो जाता है कभी फैक्ट्स पर खत्म हो जाता है इसके अलावा जो कनविक्ट हुये हैं वे पब्लिक की निगाहों में कैसे हैं इसको

[श्री पद्मनाथ सिंह]

दिखाने का उन्हें एक अवसर मिलना चाहिये। एक और बात है कि कोई एक व्यक्ति किसी एक कारण से तो कन्विक्ट हो गया लेकिन जीवन के और भागों में वह ईमानदार है जनता का प्रिय है, और सद्व्यवहार और सदाचार का सबूत दे सकता है तो ऐसी परिस्थिति में किसी एक मामले में अगर वह दुर्भाग्य से कन्विक्ट हो गया है . . . . .।

श्री ऐजाज़ रसूल—तो ब्लैकमारकेटिंग को सपोर्ट कर रहे हैं आप ?

श्री पद्मनाथ सिंह—मैं ब्लैक्मार्केटिंग को सपोर्ट नहीं कर रहा हूं लेकिन किसी आदमी ने अगर जीवन में ऐसी ग़लती कर दी हो और फिर वह सुधरना चाहता हो तो क्या उसे सुधरने का अवसर नहीं देना चाहिये। दूसरी बात यह है कि जिनका कन्विक्शन होता है उसके बाद यह तो देखना ही चाहिये कि पब्लिक के सामने जाकर वे जनता का सहयोग प्राप्त कर सकते हैं या नहीं। इसलिये मैं समझता हूं कि इस संशोधन के पीछे जो रूप आया हुआ है वह कुछ अच्छा नहीं होगा और जनता के सामने उसे जाने देने का अवसर मिलना चाहिये।

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, मुझे आशा नहीं थी कि माननीय मंत्री जी ऐसे निर्दोष संशोधन को भी अस्वीकृत कर देंगे। सदस्यता के लिये खड़े होने के लिये जितने भी प्रबन्ध हमने अभी तक लगाये हैं और स्वीकार किये है उनमें यह सब से आवश्यक प्रतिबन्ध था। मैं तो यह समझता हूं कि हमारे प्रदेश की जनता का और हम सभी का और सरकार का भी यह उद्देश्य था और आज भी है और भविष्य में भी बना रहेगा कि इस प्रकार की सभी कार्यवाही रोकी जाय जिसके कारण चन्द लोग शहरों में बैठ कर हमारे आर्थिक ढांचे पर छा जायं, उसको विकृत करें और एक आर्थिक कोढ़ के रूप में हमारे समाज में और आर्थिक संघटन में फैल जायं। ब्लैकमारकेटिंग के संबंध में अगर किसी व्यक्ति को सज़ा हुई हो तो इस में तो मैं यह समझता हूं कि यह सब से बड़ी डिस्क्वालिफिकेशन होनी चाहिये और ऐसा व्यक्ति किसी भी तरह हमारे चुने हुये प्रतिनिधि के रूप में नहीं जाना चाहिये। मुझे याद है, श्रीमन्, माननीय पंडित जवाहरलाल जी के वे शब्द जो कि उन्होंने समय समय पर दोहराये और कहे कि ब्लैकमारकेट करने वाले जो इस देश में हैं उनको फांसी पर चढ़ा देना चाहिये। यहां तक उन्होंने कहा कि सब से नज़दीक वाले पेड़ पर उनको फांसी पर चढ़ा देना चाहिये। मान लिया थोड़ी देर के लिये कि हम उन्हें फांसी पर न चढ़ायें और केवल सज़ा ही दें, तो क्या हमें उनको एक डेटरेण्ट पनिशमेंट भी नहीं देना चाहिये ताकि भविष्य में ब्लैकमारकेट की प्रवृत्तियां कम हों ? माननीय मंत्री जी ने कहा कि हम स्टेट्यूट पर परमानेण्टली इसे नहीं रख सकते और हमें यह नहीं मानना चाहिये कि ब्लैकमारकेट परमानेण्ट रूप से इस देश में चलता रहेगा। मैं उनकी भावना की कद्र करता हूं, उनके विचार हैं कि ब्लैकमारकेटिंग इस देश में ज्यादा दिन नहीं रहना चाहिये, ठीक है। लेकिन इसका अर्थ यह तो नहीं है कि आज देश में ब्लैकमारकेटिंग नहीं है। ब्लैकमारकेटिंग होती है और लोगों को सजा मिलती है। रोज़ाना हम अखबारों में पढ़ते हैं और सवालों के जवाब में भी माननीय सिविल सप्लाइज़ मिनिस्टर बतलाते हैं कि इतने केसेज हुये और इतने सौ आदमी प्रासीक्यूट किये गये। कभी कभी मन्थली रिपोर्ट भी निकलती है। तो मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या ऐसे सैकड़ों व्यक्ति जो कि पिछले सालों में ब्लैकमारकेटिंग के बड़े बड़े मुकदमों में फंस चुके हैं या जिनको सज़ा मिल चुकी है उनको मंत्री जी चाहते हैं कि वे हमारी नगरपालिकाओं के शासन में अक्षण्य रूप से घुसने का अवसर पा सकें ?

मैं समझता हूं कि यह अच्छा नहीं है। इसलिये मैं मंत्री महोदय से अपील करता हूं और निवेदन करता हूं कि वह इस पर दोबारा पुनः विचार करें और कम से कम इन दो संशोधनों में किसी एक को अवश्य मान लें—

"(*k*) has been convicted for contravening any of the provisions of Civil Supplies or Control Acts of the State or Central Government.

(*l*) has been convicted for black-marketing."

अगर वह पहले को नहीं मानते हैं तो दूसरे को तो अवश्य ही उनको मान लेना चाहिये और हमें आशा है कि वह इसको अवश्य स्वीकार करेंगे। अब तो हमने चालान्ड शब्द को भी हटा दिया है और उसके स्थान पर कंविक्टेड शब्द को इस्तेमाल किया है। ब्लैक मारकेटिंग करने वालों की समाज में इतनी भी इज्जत नहीं होती है कि वह असेम्बली में जा सकें, म्युनिसिपल बोर्ड या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में जा सकें तो उनकी मनोवृत्ति में परिवर्तन होगा और वह सोचेंगे कि हमारी समाज में इज्जत कम हो रही है तो ब्लैक-मारकेटिंग करने में रुकावट होगी। इसलिये मैं प्रार्थना करूंगा कि सदन इस संशोधन के पक्ष में राय दे और माननीय मंत्री जी इसको कबूल कर लें।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन इस सदन के समक्ष उपस्थित है उसका मैं हृदय से समर्थन करता हूं। इस सदन में अनेक बार इस प्रकार की बहस हुई है कि हम इस सूबे को अगर स्वस्थ बनाना चाहते हैं और यहां के शासन को नीचे से लेकर ऊपर तक यानी नगरपालिकाओं से लेकर विधान सभा और पार्लियामेंट तक जो भी शासन प्रणाली है उसको स्वच्छ बनायें और जो हम स्वराज्य का स्वप्न देख रहे हैं उसका असली रूप देखें। तो हमें यह चाहिये कि चाहे दुनियां उसके साथ हो लेकिन हमें ऐसे आदमी को हटा ही देना चाहिये जो ब्लैकमारकेट करता हो। खास तौर से करप्शन वगैरह के मामलों में हम लोगों ने इस सदन में कई बार आवाजें बुलंद की हैं।

हमारे मंत्री महोदय कहते हैं कि ब्लैकमारकेट में सजा पाये हुये लोगों के कई रूप हो सकते हैं और वह कोई शास्वत चीज नहीं है यानी अर्से तक टिकने वाली चीज नहीं है। लेकिन मैं तो कहता हूं कि वह अर्से तक टिकने वाली चीज है। जब हम इस सदन में दूसरे देशों का इतिहास लेकर अपने पक्ष को मजबूत करना चाहते हैं तब हमें ऐसे प्रश्न पर दूसरे देशों का उदाहरण देना आवश्यक है। बैल्जियम, इंग्लेंड, जर्मनी, जापान, और अमेरिका वगैरह में हम तरह तरह की डैमोक्रेसी के रूप देखा करते हैं। क्या चीन हमारे यहां से नजदीक नहीं है। बहुत से हमारे देश में वहां से लोग लौटकर आये हैं और उन्होंने यह नमूना हमारे समक्ष उपस्थित किया है कि वहां जमींदारों से ५/५ वर्ष तक वोट देने का अधिकार छीन लिया गया। आज हमारे यहां ब्लैकमारकेट करने वाले लोग जब कि देश में अन्न की इतनी कमी है, लोगों के पेट काटते हैं और अन्न को चुराकर छिपा कर अलग ले जाते हैं। तो मोरल टरपीट्यूड की डिसक्वालिफिकेशन लगाई जाय। मैं तो यह चाहता हूं कि यह लोग जो जीवन की हत्या करने वाले लोग है, इन पर डिसक्वालिफिकेशन लगानी चाहिये। आजकल ब्लैकमारकेट के मामले में अदालतों में शहादत नहीं मिलती है। उनमें से इक्का दुक्का कामयाब होते हैं। खैर आपने उनके लिये कोई रोक नहीं लगाई है तो मैं समझता हूं कि शासन ठीक तरह से चल नहीं सकता है। इस लिये मैं थोड़े में ही माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि और बातों को आप भले ही छोड़ दीजिये लेकिन ब्लैकमारकेट से हमारे देश के शासन में एक घुन लग गया है और उससे हम बदनाम हैं। इसलिये इनको कहीं न कहीं रोकथाम करनी ही चाहिये। यानी वोट देने के अधिकार स वंचित रहें।

यह नगरपालिकाओं के चुनाव का अवसर आया है। हमारे मंत्री महोदय काफी प्रोग्रेसिव हैं और उत्तम [illegible] रखते हैं। तो वह विचारधारा रखते हुये कि यहां की शासन प्रणाली ऊंची हो और जिन लोकल बाडीज का शासन भार उनके सुपुर्द है, वहां ब्लैकमारकेटियर्स जो हैं, जो कंविक्टेड

[श्री रामकुमार शास्त्री]

(सजा पाये हैं) भी हैं जिसमें किसी किस्म का सन्देह नहीं है, जो स्पष्ट हो चुका है और जो समाज के लिये उपयुक्त व्यक्ति नहीं हैं उनके लिये डिस्क्वालिफिकेशन रखना अनिवार्य है। इस वास्ते मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं और माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि जिस प्रकार से भी हो जो भी उपयुक्त जगह हो वहां वह इस रोक को रख दें। इससे उपयुक्त अवसर अब नहीं आ सकता।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय रामनारायण जी के संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

श्री मोहनलाल गौतम---रामनारायण जी का कोई संशोधन इस सदन के सामने नहीं है।

श्री जगन्नाथ मल्ल---रामनारायण जी का ही संशोधन है, शायद आप भूल गये मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ जब मंत्री जी खड़े हुये बोलने के लिये और उन्होंने एक दलील दी कि हमारे ऐक्ट में ब्लैकमारकेट वाली चीज नहीं आनी चाहिये क्योंकि यह बहुत खराब है और हम चाहते हैं कि यह बहुत जल्दी बन्द हो जाय लेकिन अगर यह चीज ऐक्ट में आयेगी तो बहुत दिनों तक रह जायगी। अजीब यह उनका आर्ग्युमेंट है। अगर ब्लैकमारकेट हमारे देश में है इस वक्त चल रही है और जो जरूर चल रही है और उसके लिये अगर आप कायदा कानून बनाने के लिये बैठें तो यह कह कर इसको हटाने की कोशिश करें कि यह खराब चीज है, इस लिये कानून में आना ही नहीं चाहिये। यह अजीब आर्ग्युमेंट है। मंत्री जी ने उस रोज अपने आर्ग्युमेंट में कहा था, अपने आर्ग्युमेंट में कि साहब अकाल पड़ जाय तो दो दो साल रोकना पड़ेगा। तो अकाल ऐसी चीज को वह चाहते हैं कि वह देश में आये और अकाल को आप बार बार दोहरा सकते हैं जिससे हर एक माननीय सदस्य इस सदन का नफरत करता है, उसको रोकने की कोशिश करता है, वह शब्द तो आये लेकिन यह ब्लैकमारकेटिंग वाला शब्द न आये। अजीब हालत है। अगर आप दरअसल चाहते हैं कि हिन्दुस्तान में ब्लैकमार्केटिंग खत्म की जाय तो आपको हर तरह से इसको डिसकरेज करना होगा। हर तरफ से इस बात का प्रयत्न होना चाहये कि जो ब्लैकमार्केटिंग के लिये सजा पाये हों उनको कभी भी अख्तियार न होना चाहिये कि वे म्युनिसिपैलिटी के किसी भी पद के लिये खड़े हो सकें। यह संशोधन एक साफ सा संशोधन है। हमारे एक मित्र ने इस बारे में कहा कि साहब नीचे की कोर्ट्स से सजा हो जाती है लेकिन ऊपर की अदालत से सब खारिज हो जाते हैं। इसलिये ऐसा प्रतिबन्ध नहीं होना चाहिये। मै आपको बतलाऊं कि अपेलेट कोर्ट में जब तक वह चीजें खत्म नहीं हो जाती तब तक कंविक्शन नहीं माना जाता है। तो इस तरह की दलील देने से काम नहीं चलेगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बतलाऊं कि एक आदमी जिसने २५ सों दूकानें ए०पी० राशन की ले रखी थीं उसने लाखों रुपये ब्लैकमार्केट करके कमाये। उसको हम लोगों ने जाकर पकड़ा। तीन चार महीने हुये गवर्नमेंट की तरफ से विधान सभा के सदस्यों को यह अख्तियार दिया गया था कि वह लोगों को जा कर पकड़ें। उनको फूड अफसर बनाया गया था। एक दिन इस पर यहां सदन में बातें भी हुईं। गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया कि किसी ने जाकर पकड़ा ही नहीं। मैं खुद गया था और जाकर पकड़ा लेकिन उन आदमियों पर अभी तक मुकदमा नहीं चलाया गया। इस किस्म से जो लोग अनुचित काम करते हैं और जनता को ब्लैकमारकेट करके परेशानी में डाल देते हैं ऐसे लोग भी अगर म्युनिसिपैलिटीज में खड़े हो सकें और जिस तरह से वह चाहें अपने पद का दुरुपयोग कर सकें और आगे चलकर अपने पद की वजह से ब्लैकमराकेट को बढ़ाने की कोशिश करें, क्या यह बात यह सदन कभी भी पसन्द कर सकता है कि इस किस्म की चीजें हों।

मै समझता हूं कि सदन का हर एक सदस्य इस बारे में एक राय का होगा कि जो ब्लैकमारकेटिंग करता है उसको इस बात की इजाजत नहीं होनी

चाहिये कि वह किसी म्युनिसिपैलिटी की किसी जगह पर खड़ा हो सके। और अगर उसको इजाजत मिलती है तो इसका मतलब यह है कि हमारे देश में, हमारे नगरों में ब्लैकमारकेटिंग खूब बढ़ेगी और जहां पर वह जायेंगे वह जाकर मनमाना करेंगे। इन शब्दों के साथ मैं श्री रामनारायण जी के संशोधन का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी इस पर फिर ठंडे दिमाग से विचार करेंगे और इस संशोधन को स्वीकार करेंगे क्योंकि इसको मानने से कुछ मौका ब्लैकमारकेटिंग के बन्द होने का उपस्थित हो जायगा।

श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)—उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव विरोधी दल की तरफ से श्री रामनारायण त्रिपाठी ने रखा है जहां तक उसकी भावनाओं का संबंध है वह बहुत सुन्दर भावना रखने वाला संशोधन है। उपाध्यक्ष महोदय, इस देश के अन्दर जहां तक इस सरकार का संबंध है, वह केवल ब्लैकमारकेटिंग में सजा पाये हुये आदमियों को ही समझती है, केवल उन्हीं को नहीं बल्कि मैं तो उनसे भी आगे जाना चाहता हूं जितने और भी लोग हैं जिनको किसी किस्म की इम्मारलिटी के अफेन्स में सजा हुई है या पकड़े गये हैं वह सब म्युनिसिपल बोर्ड या किसी चुनाव में खड़े होने के अयोग्य हैं। मैं हाउस के सामने यह बात नहीं रखता कि विरोधी दल ने अपने इस संशोधन में उस किस्म के आफेन्सेज को अच्छा समझा है वह तो इस ऐक्ट के अन्दर हैं। जहां तक हमारी सरकार का संबंध है हमारी पार्टी के चुनाव में यह नियम है और सदन के सदस्यों के लिये भी नियम है कि जो आदमी ब्लैकमारकेटिंग में सजायाफता हो वह किसी पद के लिये खड़ा नहीं हो सकता। जितने लोगों को इम्मारेल आफैन्सेज में सजा मिली हुई है वह इसमें नहीं आ सकते हैं। अब आप इन आफेन्सेज को ऊंची जगह पर रखते हैं या नीची जगह पर यह दूसरी बात है। मैं तो इस संशोधन की भावनाओं को सुन्दर बताता हूं और इस सदन से और माननीय मंत्री जी से इस बात की प्रार्थना करूंगा कि वह एक ऐसा संशोधन और ले आयें जिससे हर चीज साफ हो जाय। केवल ब्लैकमारकेटिंग में सजा पाया हुआ आदमी ही नहीं बल्कि जिन्होंने और आफेन्सेज में सजा पायी हो उनको भी इसके अन्दर रख देना चाहिये। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज अगर इस किस्म का संशोधन भवन में इस तरफ से रखा गया होता तो दूसरी तरफ से यह पुकार होती कि ऐसा नहीं होना चाहिये और अगर ऐसा कर दिया जायगा तो इससे गलत आदमी पकड़ लिये जायेंगे। यह आवाज विरोधी दल की तरफ से उठायी जाती। इसके विषय में जहां तक हमारा संबंध है हम अपने माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करते हैं कि वह एक ऐसा संशोधन ले आयें जिसमें हर एक चीज साफ हो जाय। अगर इम्मारेलिटी की बात इस ऐक्ट के अन्दर है तो वह इतनी साफ नहीं है तो मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से यह प्रार्थना करूंगा कि वह एक संशोधन लाकर इस तरह की जितनी भी चीजें हों उन सब को वह डिसक्वालिफाई कर दें और मैं माननीय रामकुमार जी शास्त्री से सहमत हूं कि अगर ऐसी चीजें ऐक्ट में आ जायंगी तो उनके आने से समाज के अन्दर एक लहर पैदा होगी और एक भावना आवेगी, चाहे वह डर से हो या किसी और कारण से हो लेकिन उससे समाज का सुधार होगा और उसके बाद लोग जरा सा घबरायेंगे, अगर कोई ऐसा ही बेहया हो कि मेम्बर होना ही न चाहता हो और ब्लैकमारकेटिंग ही करते रहना पसन्द करे तो दूसरी बात है, ऐसे आदमियों के लिये वहां कोई स्थान नहीं होगा। इन शब्दों के साथ मैं प्रार्थना करूंगा कि इस विषय पर थोड़ी सी सफाई हो जाय तो अच्छा है।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे साथी श्री रामनारायण त्रिपाठी जी ने जो संशोधन उपस्थित किया है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। माननीय रामकुमार जी शास्त्री ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात सदन को बताई है और मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी को उनकी बात अवश्य ही मान लेनी चाहिये क्योंकि शास्त्री जी उस दल में बैठने वाले व्यक्ति हैं जो सरकार का

[श्री रामसुन्दर पांडेय]

साथ देता है। श्री रामनरेश शुक्ल ने अपने भाषण में यह नहीं बताया कि वह चाहते क्या हैं, पता नहीं चला कि उन्होंने विरोध किया या समर्थन किया। वह शायद इस दावपेच में रहते हैं कि क्रान्तिकारी भी रहें और सरकार का विरोध भी न करना पड़े। भवन के सामने जो उनका भाषण हुआ है वह इस बात को साबित करता है और इस बात का द्योतक है कि पता नहीं लग सकता कि वह किस तरफ बहते हैं एक दुधारी राजनीति तेज तलवार है उस पर चलना कठिन है। माननीय शुक्ल जी नहीं बच सके। जो कानून उपस्थित है अगर वह उसका समर्थन करते हैं तो वह माननीय मंत्री जी की नजरों में अच्छे सकते हैं लेकिन जब वह बाहर जायंगे या श्री रामकुमार शास्त्री जी जैसे शख्सों के सा आयेंगे तो उनकी बदनामी होगी, इस लिये उनकी समर्थन की भी हिम्मत नहीं होती। दूसरी तरफ वह त्रिपाठी जी के संशोधन का भी समर्थन नहीं कर सकते क्योंकि विरोधी दल वाले चाहे कितनी भी उत्तम बात रखें उसका समर्थन करना तो उनके विचार और बुद्धि के परे हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने बहुत गौर से माननीय शुक्ल जी के भाषण को सुना। शुक्ल जी फरमाते हैं कि यदि इस प्रकार का संशोधन हमारी पार्टी की ओर से आ जाता और मंत्री जी उस में कुछ संशोधन करा लेते तो मैं उस का समर्थन करता। मैं आप के द्वारा.........

श्री रामनरेश शुक्ल--मैंने यह बात नहीं कही कि हमारी पार्टी की तरफ से यह संशोधन आता तो मैं इसका समर्थन करता और चूंकि उधर से आया है इसलिये इसका विरोध करता हूं।

श्री रामसुन्दर पांडेय--मैं तो उस वक्त बहुत ताज्जुब में पड़ा जब यह संशोधन यहां उपस्थित था कि राजनीतिक पार्टियों से संबंधित या विचार धारा का कोई व्यक्ति हो और यदि उसका इस कारण निष्कासन किया गया हो तो वह म्युनिसपल चुनाव में खड़ा हो सकता है।

असेम्बली और पार्लियामेंट के चुनावों में ऐसे लोग खड़े हो सकते हैं। माननीय स्वशासन मंत्री और बहुत से सम्मानित सदस्यों ने इसका बहुत जबरदस्त विरोध किया। आज इस ऐसे सुन्दर संशोधन का कि जो लोग चोरबाजारी में सजा पाये हुये हों उन्हें नगरपालिकाओं में खड़ा होने की आज्ञा नहीं होना चाहिये। विरोध किया जाता है, दूसरी ओर माननीय स्वशासन मंत्री ऐसे व्यक्ति और उनके बहुत बड़े माननीय नेता पंडित जवाहर लाल नेहरू ऐसे व्यक्ति बीसियों सभाओं में यह फरमा चुके हैं कि जब हमारे हाथ में सत्ता आजावेगी तो चोरबाजारी करने वालों को फांसी के तख्ते पर लटकाया जायगा। मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि उन्हें जवाहर लाल जी जैसे बड़े नेता जो देश के सबसे बड़े नेता माने जाते हैं, उनकी बातों पर ध्यान देना और अमल करना चाहिये। यदि यह संशोधन अस्वीकार किया जाता है तो इसके मानी यह होते हैं कि हमारे देश में चोरबाजारी करने वालों की हिम्मत बढ़ेगी। इसके नामंजूर होने से चोरबाजारी को प्रोत्साहन मिलेगा। ऐसे लोग हमारी नगरपालिकाओं पर कब्जा कर लेंगे जो चोरबाजारी करके धनवान हो गये हैं। सदन के सभी सम्मानित सदस्यों को अनुभव है कि राजनीतिक क्षेत्रों में काम करने वाले व्यक्ति बहुत ही कम ऐसे होते हैं जिनके पास पैसे हों और पैसा खर्च करके राजनीतिक संस्थाओं पर कब्जा कर लें। हां, माननीय मंत्री जी ऐसे व्यक्ति अपवाद स्वरूप हैं। यदि इस संशोधन को नहीं माना जाता है तो इसका अर्थ यह होगा कि ऐसे चोरबाजारी करने वाले लोगों को छोड़ा जा रहा है कि वे चोरी करें और सजायें भोगें लेकिन अपने पैसे के बल से नगरपालिकाओं पर कब्जा कर लें और नगरपालिका पर उनका अधिकार होने के बावजूद भी अपना काम अच्छी तरह से चला सकें। उसमें कोई रुकावट न हो। मैं निवेदन करूंगा कि माननीय स्वशासन मंत्री जी को इस संशोधन पर गम्भीरता पूर्वक विचार करना चाहिये। अवस्था बड़ी नाजुक है। यदि यह संशोधन स्वीकार नहीं होता है

तो हमारे देश में चोरों को ताक़त मिलती है। इसके मानी होते हैं कि राजनीतिक पार्टियां ऐसे लोगों के अखाड़े बन जावें, हमारी म्युनिसिपैलिटियां ऐसे लोगों के अखाड़े बन जावें, जो सदा चोरबाजारी करते रहे हों और करते रहें। उपाध्यक्ष महोदय, बाहर जनता हंसेगी इस कानून को सुनकर कि ऐसे लोगों को रास्ता दिया जा रहा है उन्हें अधिकार दिया जा रहा है जो चोरबाजारी करते हैं और उनके हाथ में लाखों की आबादी वाले नगरपालिकाओं का शासन दिया जा रहा है कि वे उनका इन्तज़ाम करें, रहने सहने और जीवन का। मैं सदन का अधिक समय नहीं लेना चाहता। लेकिन आपके द्वारा सम्मानित सदस्यों से और सरकारी कुर्सियों पर बैठे हुये सदस्यों से और खास कर माननीय मंत्री से, निवेदन करना चाहता हूं कि साथी श्री रामनारायण जी त्रिपाठी के संशोधन को स्वीकार कर लें।

यह एक कसौटी का संशोधन है क्योंकि अगर यह संशोधन स्वीकार नहीं किया जायगा तो यह साबित होगा कि सरकार चोरबाजारी को प्रोत्साहन देना चाहती है। इन शब्दों के साथ, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस अपील को दुहराते हुये यह प्रार्थना करता हूं कि यह संशोधन स्वीकार कर लिया जाय।

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप से अनुमति चाहूंगा कि इस मौजूदा संशोधन के स्थान पर एक दूसरा संशोधन उपस्थित करने की अनुज्ञा प्रदान की जाय। श्रीमन् वह इस प्रकार है—

खंड ६ में प्रस्तावित नयी धारा 13-D के प्रतिबन्ध के पहले निम्नलिखित नयी उपधारा जोड़ दी जाय—

" has been sentenced to imprisonment for an offence involving moral turpitude and declared as such by the State Government. "

श्रीमन्, इस संशोधन के पेश करने का मेरा केवल एक उद्देश्य है वह यह कि अभी माननीय त्रिपाठी जी ने एक बहुत ही अच्छा सुझाव भवन के सामने उपस्थित किया है कि चोरबाजारी को एक अपराध स्वीकार करके उसको एक अयोग्यता मान ली जाय म्युनिसिपैलिटि की उम्मीदवारी के लिये। श्रीमन् चोरबाजारी सचमुच में इतना भीषण अपराध है कि किसी न किसी प्रकार से राज्य को उसे ऐब स्वीकार करना पड़ेगा और ऐसा काम करने वालों को कोई न कोई कठोर दंड अवश्य दिया जाना चाहिये लेकिन इसके साथ ही साथ कई कानूनी दिक्कतें भी उपस्थित हो जाती हैं।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—आन ए प्वाइंट आफ आर्डर, जो संशोधन हाउस के सामने है श्रीमन्, उसके बजाय एक बिलकुल ही दूसरा संशोधन उपस्थित किया जा रहा है। यद्यपि उसमें हमें कोई ऐतराज नहीं है लेकिन पहिले यही संशोधन लिया जाना चाहिये उसके बाद वह लिया जा सकता है क्योंकि वह संशोधन मेरे संशोधन के अन्दर नहीं है बल्कि उसके बजाय एक नया संशोधन ही पेश किया जा रहा है।

श्री उपाध्यक्ष—क्या यह एक नया संशोधन है?

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा—जी नहीं, वह नया संशोधन नहीं है उसी संशोधन को दूसरी प्रकार से रखा जा रहा है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—श्रीमन्, मेरे संशोधन की जो शब्दावली है उसमें कोई संशोधन नहीं किया जा रहा है बल्कि उसको पूरे तौर पर परिवर्तन कर दिया गया है। इसलिये पहले मेरे संशोधन पर बहस हो जाय।

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा—यह संशोधन नया नहीं है, आपने जो भाषा रखी है उसको बदल कर यह दूसरी भाषा कर दी गई है । इसलिये यह आल्टरनेट सजेशन है दूसरा संशोधन नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—मैं समझता हूं यह संशोधन पर संशोधन है।

श्री वीरेन्द्रपति यादव (जिला मैनपुरी)—मैं प्रार्थना करूंगा कि संशोधन फिर से पढ़ दिया जाय ।

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा—श्रीमन्, मेरा संशोधन इस प्रकार है—

खंड ९ में प्रस्तावित नयी धारा 13-D के प्रतिबन्ध के पहले निम्नलिखित नयी उपधारा जोड़ दी जाय —

" has been sentenced to imprisonment for an offence involving moral turpitude and declared as such by the State Government. "

श्री वीरेन्द्रपति यादव—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय परिपूर्णानन्द वर्मा जी ने जो संशोधन रखा है वह स्वतः ही क्रम संख्या ९० पर हाउस के सामने विचारार्थ है। इसलिये जब उसका नंबर आयेगा तो स्वतः ही उस पर विचार हो जायेगा । इस समय उसकी आवश्यकता नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—मैंने मान लिया है कि यह संशोधन पेश है इसको समझते हुये मैंने इसे पेश करने की इजाजत दे दी । परन्तु अब इस पर काफी वैधानिक आपत्तियां हो रही हैं । माननीय सदस्य को क्या कहना है ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमान्, नियम ११४ के अनुसार आर्डर आफ अमेंडमेंट्स यह है—

" Order of Amendments—Amendments shall ordinarily be considered in the order of the clauses of the Bill to which they respectively relate, and in respect of any such clause a motion shall be deemed to have been made; "That this clause stand part of the Bill. "

[संशोधनों का क्रम-संशोधन पर विधेयक के खंडों के क्रम के अनुसार, जिनमें क्रमशः उनका संबंध हो, साधारणतया विचार किया जायगा और किसी ऐसे खंड के संबंध में यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया हुआ समझा जायगा "कि यह खंड विधेयक का अंश माना जायगा" ।]

तो श्रीमन्, यह आर्डर पहले से नियत है और माननीय रामनारायण त्रिपाठी के संशोधन पर बहस चल रही है । इस नियमावली में अल्टरनेटिव अमेंडमेंट के बारे में कहीं कोई चीज नहीं है इसके अलावा माननीय परिपूर्णनन्द जी, माननीय रामनारायण त्रिपाठी जी के संशोधन को हटा कर एक नया संशोधन रख रहे हैं । यह अल्टरनेटिव अमेंडमेंट नहीं है बल्कि एक नया अमेंड-मेंट है । माननीय त्रिपाठी जी के दो संशोधन हैं । तो के० की जगह पर वे चाहते हैं कि उनका संशोधन मान लिया जाय और एल० को डिलीट कर दिया जाय । अगर माननीय परिपूर्णानन्द जी यह बतलाते कि उनकी मंशा यह है कि के० इस प्रकार से लिखा जाय और नीचे वाला जहां का तहां रहे तो बात दूसरी थी । लेकिन आप एक नया संशोधन रखना चाहते हैं इसलिये आर्डर के हिसाब से माननीय रामनारायण त्रिपाठी के संशोधन पर पहले बहस हो जानी चाहिये।

श्री सुल्तान आलम खां—आन ए प्वाइंट आफ आर्डर सर। मैं अर्ज कर रहा था कि जब चेयर ने इस बात का फैसला दे दिया कि यह अमेंडमेंट टू अमेंडमेंट है और वह अमेंडमेंट

मूव भी हो गया तो फिर किसी बहस का मौक़ा बाक़ी नहीं रहता। दूसरी चीज़ में यह कह रहा था कि माननीय परिपूर्णानन्द जी का जो ग्रमेंडमेंट है वह जनरल है और जितने ऐक्ट हैं सब पर अप्लाई करता है, उसका स्कोप बड़ा है जब कि वीरेन्द्रपति जी का ग्रमेंडमेंट इंडियन पेनल कोड के मोरेल टर्पीट्यूड में जो इनवाल्वड् हैं उन पर अप्लाई करता है।

श्री उपाध्यक्ष—मैं समझता हूं कि यह ग्रमेंडमेंट टु ग्रमेंडमेंट है और इसलिये मैंने यह भी सोचा कि भवन एक तरह की दोनों बातों पर विचार कर ले। मैंने ग्रमेंडमेंट टु ग्रमेंडमेण्ट मानते हुये इसे पेश करने की इजाज़त दे दी है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—पर यह मालूम तो हो कि वे ग्रमेंडमेंट के ज़रिये किस शब्द को हटाना चाहते हैं?

श्री उपाध्यक्ष—माननीय परिपूर्णानन्द जी चाहते हैं कि जो संशोधन पेश है उसके स्थान पर यह संशोधन रख दिया जाय।

श्री परिपूर्णानन्दवर्मा—मान्यवर, जैसा कि मैं पहले ही निवेदन कर रहा था कि मेरी जो के० की भाषा है उस भाषा को मैंने परिवर्तित रूप में सदन के सम्मुख रख दिया और साथ ही साथ यह भी निवेदन किया कि एल० वाला पोर्शन हटा दिया जाय। इसलिये मैं समझता हूं कि यह मेरा ग्रमेंडमेंट टू ग्रमेंडमेंट सर्वथा उचित है और सदन इसको स्वीकार करेगा।

एक सदस्य—जरा अपना ग्रमेंडमेंट एक बार और पढ़ तो दें।

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा—मेरा संशोधन यह है—

"has been sentenced to imprisonment for an offence involving moral turpitude and declared as such by the State Government."

श्री उपाध्यक्ष—और दूसरा जो एल० है वह हटा दिया जाय?

श्री परिपूर्णानन्दवर्मा—जी हां।

श्री नारायणदत्त तिवारी—कौन सा शब्द हटा रहे हैं यह तो बतलावें। माननीय त्रिपाठी जी के दो संशोधन हैं।

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा—मान्यवर, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय रामनारायण त्रिपाठी जी ने जो संशोधन उपस्थित किया है वह हमको एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न विचार करने के लिये देता है। ब्लैकमारकेटिंग बहुत बड़ा अभिशाप है, एक सामाजिक अभिशाप है और इस अभिशाप से जितना शीघ्र समाज मुक्ति पा सके उतना ही उचित और वांछनीय होगा और इसलिये आवश्यक होगा कि कोई राज्य इस विषय में किसी न किसी प्रकार का ऐसा सामाजिक दंड नियुक्त करे जिससे यह अभिशाप कम हो किन्तु साथ ही इसका एक कानूनी और वैधानिक विषय भी उपस्थित हो जाता है। मैं अपने माननीय मित्रों का ध्यान एक बहुत बड़े लेखक की एक विज्ञप्ति की ओर आकर्षित करता हूं। समाजवादी दल के प्रधान लास्की ने इसके विषय में एक बहुत बड़ी मीमांसा की है कि ऐसा कौन सा अपराध है कि जिस अपराध को वास्तव में स्थायी मान कर उसके ऊपर कोई स्थायी उपाय किया जाय और किसे अस्थायी माना जाय और इस विषय का निरूपण करते हुये लास्की महोदय ने स्वयं कहा कि बहुत से अपराध जैसे ब्लैकमारकेटिंग इत्यादि ये ऐसे अपराध हैं जिनको कोई स्थायी अपराध नहीं माना जा सकता है क्योंकि इसके विषय में कानून बराबर बदलते रहते हैं। आज किसी चीज़ का कंट्रोल है और उस वस्तु के लिये जो नियम हैं उनके उल्लघंन के लिये कोई अपराधी हो सकता है और कल दूसरे नियमों में उसका उल्लघंन अपराध नहीं बल्कि राज्य के

[श्री परिपूर्णानन्द वर्मा]

लिये और समाज के लिये बड़ा आवश्यक समझा जा सकता है। महंगी, तेजी और मन्दी के आर्थिक नियम जो होते हैं इन नियमों के संबंध में लास्की ऐसे प्रकांड विद्वान का मत है कि यह ऐसी चलती चीजें हैं जिसके विषय में समाज का क्या निश्चित मत है कहा नहीं जा सकता। इसलिये श्रीमन् मैं यह निवेदन करना चाहता हूं जैसे कि अर्थशास्त्री और राजनीतिशास्त्री का मत होगा कि समय समय पर यह चीजें और इनका अर्थ अस्थायी नहीं होगा। आजकल के समय में आर्थिक और ऐसे नियम बनते रहते हैं और जो आज जरूरी होंगे लेकिन कल दूसरा होगा और इनको समाज और राज्य निश्चित नहीं कर सकते। हमने जैसे नियमों का आज निरूपण किया है उसका कल क्या रूप होगा ? ऐसा हो सकता है कि आज जो नियम हम निरूपण करेंगे वह कल बदलेंगे इसलिये यह आवश्यक है कि मारल टरपीट्यूड का एक विधान बना दें जिसमें किसी चीज़ को जिसको आज हम अनैतिक कह सकते हैं उस को कल हम नैतिक कह कर सामाजिक दोषों से मुक्त न कर दें। इसलिये मेरा अनुरोध है कि हमारे शास्त्री जी ने कहा कि ऐसे विषयों में हमें विदेशों की मिसाल से काम लेना चाहिये और मैं उनसे केवल यही निवेदन करना चाहता हूं कि विदेशों की मिसाल खासकर चीन की, इसके विषय में उचित नहीं होगी और यह शायद हमारी जानकारी जितनी है, उसकी सीमा के बाहर होगा। इसलिये कि जहां तक जमींदारों को वोट का अधिकार न देने का सवाल है तो जहां चीन में चुनाव का प्रश्न ही नहीं है वहां तो वोट देने का सवाल ही नहीं उठता कि किसको दिया जाय और किससे छीना जाय। इसलिये चीन ने जो परम्परा निकाली है यदि उस परम्परा का कोई भी रूप यदि हम अपने यहां स्वीकार कर लें तो बड़ा अनर्थ हो जायगा। अभी पेकिंग रेडियो ने यह कहा था कि १८ अगस्त को २१८ ऐसे अपराधियों को सजा दी गई इसलिये कि राजद्रोह के कारण वह अवांछनीय समझे गये थे। ऐसी चीजें हमारे आदर्शों को न स्वीकार होगा और न वह वांछनीय ही समझा जायगा। तथापि, इसके विषय में कोई तर्क की आवश्यकता नहीं है कि चोरबाजारी एक बड़ा अभिशाप हमने समझा है लेकिन साथ ही साथ चोरबाजारी का जितना व्यापक रूप पहले था आज वह नहीं है। आजकल के जमाने में मंहगाई के दूसरे स्वरूप के कारण उसकी रूपरेखा बदल गयी है और कल न जाने इस सभा भवन को ऐसा नियम बना कर रखना पड़े जिसमें किसी दूसरे प्रकार का अपराध अनैतिक अपराध बन जाय। इसलिये माननीय त्रिपाठी जी से मेरा अनुरोध है, उनकी भावनाओं का आदर करते हुये, उनके विचारों का आदर करते हुये मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वे इस संशोधन को स्वीकार कर लें तो इस सभा भवन को स्थायी अपराध की रूपरेखा निश्चित करने और बदलने और उसके अनुरूप नियमों को परिवर्तित करने की आवश्यकता समय समय पर नहीं पड़ा करेगी और इससे हमारा जो उद्देश्य है वह पूरा हो जायगा।

श्री कालीचरण टंडन (जिला फर्रूखाबाद)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं क्लोजर मूव करता हूं।

श्री चन्द्रसिंह रावत (जिला गढ़वाल)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहता हूं कि क्लोजर मूव नहीं होना चाहिये।

श्री गेंदा सिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय परिपूर्णानन्द जी का जो संशोधन है और उसके पीछे उनकी क्या धारणा है उसको भी मैंने सुना। उन्होंने लास्की साहब के ऊपर अपनी धारणा बनायी है। मैं लास्की साहब के ऊपर अपनी धारणा बनाने के पहले अपने देश के सब से बड़े नेता पं० जवाहरलाल जी की विचार धारा से अपने को मजबूत करना चाहता हूं। पं० जवाहरलाल जी का विचार तो यह है कि चोरबाजारी करने वालों को तो फांसी दे दी जाय। रामनारायण जी का जो संशोधन है वह तो केवल म्युनिसिपैलिटियों के चुनाव में उम्मीदवार होने से रोकता है। मैं भी इस राय का नहीं हूं कि उन्हें फांसी दे दी जाय। उसमें बहुत हल्के जुर्म हो सकते हैं। बहुत बड़े जुर्म भी हो सकते हैं। कानपुर के किसी

बड़े व्यापारी या मिल-मालिक को फांसी देने की बात सोची जा सकती है । लेकिन अगर कोई दस सेर अनाज सूबे के सिवाने से इधर-उधर ले जा रहा हो तो .. (एक सदस्य—बिलकुल सही है) देवरिया की बात मेरे सिर पर है । इसलिये मैं भुक्तभोगी होने के नाते ज्यादा सही जानकारी सदन को कराना चाहता हूं लेकिन मैं इतनाँ कह सकता हूं कि चम्पारन का धान अगर न होता तो जितनी भुखमरी है उससे न मालूम कितनी अधिक भुखमरी हो जाती । तो फांसी देने का सुझाव तो मैं नहीं करता । यह ब्लैकमार्केटिंग ऐसी चीज़ है जिससे, हम तो विरोधी पक्ष पर बैठे हुये हैं और जो कुछ सरकार कर सकती है उस कार्यवाही में जो कुछ हमको सुझाव सूझते हैं हम कर देते हैं । लेकिन सब से अधिक बदनामी की बात तो सरकार की होती है और कभी-कभी चोरबाजर करने वालों ने सरकार की गाड़ी को रोकने की चेष्टा भी की है और सरकार को बिलकुल एक तरह से पैरेलाइज कर देने की बात सोची है । तो ऐसी हालत में अगर म्युनिसिपैलिटियों में अगर वह न आ सकें तो कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसके लिये बहुत दलील दी जाय और उनके बिना म्युनिसिपैलिटियों का काम न चले । मारल की शर्त माननीय परिपूर्णानन्द जी कहते हैं रखना चाहिये । मारल टरपीच्युड वाले अपराधियों को किसी तरह से इसमें हिस्सा नहीं लेने देना चाहिये । हम भी इसके कायल हैं । वक्त आने पर माननीय रामनारायण त्रिपाठी जी उसको कबूल भी करेंगे । लेकिन एक बात जरूर है कि जो संशोधन उन्होंने पेश किया है उसमें यह भी कहा गया है कि नैतिक अपराधी तो हो लेकिन नैतिक अपराध के सिलसिले में निश्चय करना कि चुनाव में हिस्सा लेगा या नहीं इसे सरकार के हाथ में दे दिया जायगा । मैं सरकार के ऊपर कितना विश्वास करता हूं कितना नहीं करता हूं यह मैं कहना नहीं चाहता । लेकिन एक बात मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि जरूरत से ज्यादा किसी को अपने ऊपर भी भरोसा करना मुनासिब नहीं होता है । मनुष्य अपनी दुर्बलताओं से बड़े-बड़े कुकर्म कर लेता है तो मैं इस सरकार को यह कहूं कि उन सारी कमजोरियों से ऊपर है और जो सरकार के मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर हो जाने की वजह से दुनिया की जितनी भी कमजोरियां हैं उन सारी कमजोरियों से ऊपर उठ गये हैं, मेरा मन नहीं करता कि मैं इस पर विश्वास करूं । वह तो एक व्यक्ति था जो आज हिन्दुस्तान में नहीं है और उसके अलावा मैं किसी को वह चाहे लंगोटी लगाने वाला हो चाहे धोती पहनने वाला हो या पायजामा पहनने वाला हो किसी वेष भूषा का हो किसी तरह से रहे मैं इस बात को कबूल करने के लिये तैयार नहीं हूं कि वह आदमी अपनी सारी कमजोरियों से ऊपर उठ गया है । इसलिये जितनी भी सेफगार्ड रहे जितनी भी लोगों के बुनियादी अधिकारों की सुरक्षा रहे, क़ानून के जरिये उतनी ही हमारे माननीय मंत्रियों के लिये भी अच्छी बात होगी । माननीय मंत्रियों के ईमान पर हम को भरोसा होते हुये भी इसकी आवश्यकता मैं महसूस करता हूं । वह जो कुछ करते हैं वह अपने ईमान के साथ करते है । इसका फैसला होगा, सारा समाज फैसला करेगा । मैं यह नहीं कहता कि वह जो कुछ करते हैं उसके पीछे उनकी [illegible] नहीं है, लेकिन उसकी भी कोई सीमा होती है और इसलिये एक आदमी को जरूरत से ज्यादा अधिकार दे देना भी मनुष्य को बरबाद करता है । मैं कोई उपदेश देना नहीं चाहता । मैं जानता हूं, माननीय मंत्री जी मुझसे ज्यादा अक्ल रखते हैं । इसलिये अपने ऊपर सारा बोझ ले लेना कि किस नैतिक अपराधी को वह चुनाव में हिस्सा लेने देंगे और किस को वह रोक देंगे यह एक ऐसा काम वह अपने हाथ में ले रहे हैं जिस काम के लिये उनको बड़ी कठिनाई उठानी पड़ेगी । इसलिये कम से कम ब्लैकमार्केटिंग के लिये तो उनको यह बात स्वीकार करनी चाहिये कि वह आदमी जो ब्लैकमार्केटिंग कर चुका है उसको हिस्सा नहीं लेने देंगे ।

एक बात जरूर है, जो माननीय परिपूर्णानन्द जी ने कही कि यह जो जुर्म है वह स्थायी नहीं है । कंट्रोल की व्यवस्था ही स्थायी नहीं है । इसलिये इसको स्थायी नाम दे देना, क़ानून में स्थान दे देना, अनुचित होगा । मैं समझता हूं कि इसमें कुछ वजन है और यह सही बात है । लेकिन आज नियंत्रण की इकोनामी है, व्यवस्था है । कंट्रोल हमारे देश में है और जैसा कि मैं रोज देखता हूं, हमारी केन्द्रीय सरकार इस पक्ष में है कि यह कंट्रोल की इकोनामी अगले

[श्री परिपूर्णानन्द वर्मा]

कुछ दिनों तक रहेगी और कम से कम जब तक यह पंचवर्षीय योजना है तब तक वह कंट्रोल की एकोनामी रखना चाहते हैं। फिर मैं समझता हूं कि कंट्रोल संबंधी अपराध करने वालों को इससे वंचित कर देना, इस चुनाव में हिस्सा न लेने देना, बहुत उचित बात है और मैं अपील तो नहीं कर सकता, क्योंकि कुछ परम्परा ही दूसरी हो गयी है, इसलिये मैं इतना ही कह सकता हूं कि इस पर सदन को उदारता के साथ विचार करना चाहिये।

श्री चन्द्रसिंह रावत---उपाध्यक्ष महोदय, मैंने दोनों संशोधनों की भाषा को देखा है और अब इस सदन को यह फैसला करना है कि आया वह दोनों धाराओं को इस अधिनियम में रखना चाहते हैं या दोनों में से एक निकाल कर किसी एक को रखना उचित समझते हैं, जो हमारे समाज को फायदा पहुंचायेगी।

मैं सब से पहले, उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि इस सदन के माननीय सदस्य जो एम० एल० ए० की हैसियत से इस सदन में बैठते हैं उनके दिमाग़ और बुद्धि के ऊपर इस राष्ट्र, इस देश की ६ करोड़ जनता का अधिकार है, क्यों कि उस समय के लिये वह ६ करोड़ जनता १० रुपया रोज़ उनको डी० ए० देती है। इसलिये मैं समझता हूं कि सब माननीय सदस्य जो इस माननीय सदन में बैठे हैं उनको अपने दिमाग़ से काम लेना चाहिये जो ६ करोड़ जनता के फायदे का है क्योंकि उस पर १० बजे सुबह से लेकर ५ बजे शाम तक जनता का अधिकार है। इसलिये मैं समझता हूं कि जब कि कानून की व्यवस्था की बात आती है तो यह सदन का कर्तव्य हो जाता है कि कानून की बातों में वह निष्पक्ष भाव से, मोस्ट डिस्पैशनेटली, विचार करके उनका सुधार करें, ताकि जो ६ करोड़ जनता उनको १० रुपया रोज़ डी० ए० देती है उनके हित की बात करें बजाय इसके कि उनके हितों को कत्ल करें या हितों को ठेस पहुंचायें। मैं समझता हूं कि काफी सतर्कता की जरूरत है और जो कोई भी कानून यह सदन पेश करता है, मैं आप लोगों का ध्यान इस ओर आकर्षित करता हूं कि वह ६ करोड़ जनता की जिन्दगी पर प्रभाव डालता है और जब कि उस कानून की पाबन्दी अदालतें कराती हैं तो बहुत से व्यक्ति जो अदालत में जाते हैं उनकी जिन्दगी के ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ता है।

इसलिये मैं निहायत अदब के साथ यह दरख्वास्त करूंगा कि कानून का प्रश्न जब इस सदन में उपस्थित हो बनाया जाने के लिये तो किसी भी पार्टी का हित उस कानून के बनाने में नहीं आना चाहिये और सदन का ... ...।

श्री शिवकुमार शर्मा (जिला बिजनौर)---मैं उपाध्यक्ष महोदय, पूछना चाहता हूं कि माननीय सदस्य अमेंडमेंट पर बोल रहे हैं या हम लोगों को उपदेश दे रहे हैं।

श्री चन्द्र सिंह रावत---उपाध्यक्ष महोदय, मैं अमेंडमेंट पर बोल रहा हूं और मैं सदन को यह बताना चाहता हूं कि जिस नियत से, जिस भावना से और जिस सद्भावना से दोनों अमेंडमेंट सदन के सामने पेश किये गये हैं मैं उन भावनाओं की तारीफ करता हूं। अब मैं स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि कानून के दृष्टिकोण से मैंने इन दोनों अमेंडमेंटों को पढ़ा है और देखा है और उनको साइंटिफिकली एनालाइज किया है। जहां तक श्री परिपूर्णानन्द जी का अमेंडमेंट है मैं यह कह सकता हूं कि वह जो दफा है, वह जिस भाषा में है वह आज की नहीं है, वह पुरानी है, और जिन साहबान ने आजतक एलेक्शंस लड़े हैं वे जानते हैं कि हर वक्त नामिनेशन फाइल करते हुये आब्जेक्शन रेज किये जाते थे और उन में यह प्वाइंट अक्सर लिया जाता था कि कोई आफेंस जो कि नामनी ने जो दरख्वास्त दे रहा है ऐसा नहीं किया जो कि मारल टरपीच्यूड इन्वाल्व करता है। इसलिये जहां तक उसकी लैंग्वेज का प्रश्न है वह परफ़ेक्ट लैंग्वेज है उसके ऊपर बहुत ही साफ दिमागों की ताकत खर्च की गई है। इसलिये अगर इतनी ऊंची बुद्धि को लेकर

उसका प्रयोग न करें और इस सदन का समय बर्बाद करें तो मैं समझता हूं कि यह हिमाकत होगी क्योंकि मैं समझता हूं कि कई बड़े-बड़े दिमागों ने असेम्बली में बैठकर उसको गढ़ा है, मढ़ा है, उसको मांजा है और उसको इस तरह कम्प्रिहेंसिव बनाया है कि कोई भी अफेंस उस दफा के बाहर नहीं छूट सकता। इसलिये मैं इस सदन से यह दरख्वास्त करूंगा कि इसमें कोई शक नहीं कि माननीय सदस्य जिन्होंने कि अमेंडमेंट पेश किया है वह धन्यवाद के पात्र हैं क्योंकि ब्लैकमारकेटिंग हमारे देश के अन्दर जिस उग्र-रूप में आज उपस्थित है उसका हमें महान् दुख है और जो लोग उस ब्लैकमार्केटिंग को नजरअन्दाज कर सकते हैं, मैं समझता हूं कि यह बहुत आसान चीज नहीं है क्योंकि अगर कोई चोर चोरी करता है, कोई डाकू डाका डालता है तो वह इतना बड़ा भारी जुर्म नहीं है। मामूली दृष्टि से देखने से मालूम होता है कि ब्लैकमारकेटिंग एक छोटी सी चीज है। लेकिन वह छोटी चीज नहीं है। वह रोजाना हजारों और लाखों की जिन्दगी के ऊपर असर डालता है। इसलिये यह जो जुर्म है ब्लैक मार्केटिंग का वह ऐंटी सोशल ऐक्टिविटी है और वह व्यक्ति जो इस जुर्म को करता है मैं आपको बताना चाहता हूं कि न्याय की दृष्टि से अगर आप देखें और छान बीन करें और अगर जूरिस्प्रूडेंस के फंडामेंटल प्रिंसिपल को एनालाइज करें और निष्पक्ष भाव से अपने दिमाग से फैसला करने की कोशिश करें तो मैं समझता हूं कि आपको बता सकता हूं कि यह जुर्म जो है वह राष्ट्र के प्रति इतना बड़ा जुर्म है जिसको कि राष्ट्र के खिलाफ हाई ट्रेचरी कहा जा सकता है और जिसके लिये फांसी की ही केवल एक सजा हो सकती है जो कि कानून की निगाह में ऐसे व्यक्ति के लिये प्रिस्क्राइब की जा सकती है। मुझे दुख है कि आज भी इस देश के अन्दर एक बड़ा भारी जुर्म हो रहा है जो इस प्रकार का है। मैं स्पष्ट कह सकता हूं, मेरे पास दलील है, तर्क है और मैं सदन के दिमागों के अन्दर विश्वास पैदा करा सकता हूं कि यह जुर्म काबिले माफ़ी करने के नहीं है। यह कैपिटल पनिशमेंट का जुर्म है और जो लोग इस प्रकार का जुर्म करते हैं वे भारत वर्ष के दुश्मन हैं वे पंचमांगी हैं। इस राष्ट्र को सदा के लिये खत्म कर देना चाहते हैं। वे अन्दर इस प्रकार की बुराई पैदा करके इस की शक्ति को छिन्न-भिन्न करना चाहते हैं।

इसलिये उपाध्यक्ष महोदय मैं आप का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जो माननीय सदस्य समझते हैं कि यह छोटी बात है उनको वह उत्तरादायित्व जो कि छै करोड़ जनता ने उनके कंधों पर रखा है कतई नहीं भूलना चाहिये। मैं यह बताना चाहता हूं कि मैं यह नहीं कह सकता कि जिस रूप में ब्लैकमारकेटिंग के केसेज अदालतों के सामने उपस्थित होते हैं उस रूप में वे मारल टर्पिच्यूड के अन्दर आ सकेंगे या नहीं। मोटी दृष्टि से तो यही दिखाई देता है लेकिन यह मुमकिन हो सकता है कि बाज़ ऐसे इंस्टांसेज़ हों जो कि मारल टर्पिच्यूड में न आते हों। मैं इसको अभी अपने दिमाग़ में तय नहीं कर पा रहा हूं लेकिन अगर यह सदन इस नतीजे पर पहुंचता है कि हर कोई केस उसके अन्दर कवर हो जाता है तो जो अमेंडमेंट माननीय परिपूर्णानन्द जी ने मूव किया है मैं उसका पूरा पूरा समर्थन करता हूं। अगर कोई इस प्रकार के केसेज हो सकते हों जो कवर न होते हों तो मैं यह दरख्वास्त करूंगा कि अगर ब्लैकमरकेटिंग का नाम आजाय तो वह बहुत उचित होगा।

श्री सुलतान आलम खां—माननीय डिप्टी स्पीकर साहब, मैं श्री परिपूर्णानन्द जी ने जो अमेंडमेंट इस भवन के सामने पेश किया है उसकी ताईद करने के लिये खड़ा हुआ हूं लेकिन इसके यह मानी नहीं कि इससे पहले जो अमेंडमेंट त्रिपाठी जी ने पेश किया था मैं उसे गलत समझता हूं या उस अमेंडमेंट को सही नहीं समझता हूं। ऐसी बात नहीं है। मैं यह समझता हूं कि त्रिपाठी जी ने जो अमेंडमेंट दिया है वह अमेंडमेंट भी अपनी जगह पर सही है। जो आज कल दशा हमारे मुल्क के अन्दर और हमारे सूबे के अन्दर हो रही है उसे कौन नहीं जानता? बिलखुसूस उस तकरीर के बाद जो अभी मुझसे पहले

[श्री सुल्तान आलम खां]
मेरे दोस्त ने की है, मैं समझता हूं कि इस बात के न समझने की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहती कि ब्लैक मार्केटिंग और करप्शन की वबा हमारे सूबे और मुल्क में काफी तौर पर चल रही है और उसे रोकना हमारा सब का फर्ज है लेकिन सवाल तो यह पैदा होता है कि जिस वक्त हम कोई अमेंडमेंट रखें, या कोई दफा बनायें और वह मुस्तकिलन स्टेट्यूट बुक पर आये तो वह ऐसी दफा होनी चाहिये जो एक मुस्तकिल माने रखती हो जिससे हर वक्त हर तरीके पर इंटरप्रिटेशन किया जा सके और काम लिया जा सके। जो अमेंडमेंट त्रिपाठी जी ने पेश किया उसमें उन्होंने ब्लैकमारकेटियर्स और उन लोगों के खिलाफ डिस्क्वालिफिकेशन रखने के लिये सोचा कि जिन को सिविल सप्लाइज या कन्ट्रोल ऐक्ट के मातहत सजा हो गयी है लेकिन यह भी बात सोचने की है कि बेशक वह लोग जो ब्लैक मार्केट करते हैं या सिविल सप्लाइज ऐक्ट को वायलेट करते हैं वह बड़ी से बड़ी सजा के मुस्तहक हैं, इसके मुताल्लिक इस भवन के अन्दर या बाहर कोई दो रायें नहीं हो सकतीं लेकिन सवाल यह है कि क्या हमारे सूबे और हमारे मुल्क के अन्दर ऐसे जरायम नहीं होते कि जिनको हम इतना ही कंडेम कर सकें और जिनको हम इतना ही बुरा समझें? बहुत से जरायम हैं, कत्ल है, डकैती है, रेप है, किडनैपिंग है, और वह जरायम भी हैं जो स्टेट के खिलाफ होते हैं और वह भी बड़े कंडेमनेबिल जरायम हैं। स्टेट की डिसलायलटी की सजा और मुल्कों में देखिये तो वह गोली मार देने की सजा होती है। जब हम जरायम के सिलसिले में ऐसी डिसक्वालिफिकेशन रखना चाहते हैं तो हम ऐसा एक काम्प्रीहेंसिव अमेंडमेंट क्यों न रखें कि जिसके मातहत ब्लैकमारकेटियर्स को भी डिसक्वालिफाई किया जाय और इसी किस्म के जो जरायम करने वाले दूसरे लोग हैं उनको भी डिसक्वालिफाई कर दिया जाय। अगर इस कसौटी पर इन अमेंडमेंट्स को रखा जाय तो मैं ऐसा महसूस करता हूं कि जो अमेंडमेंट श्री परिपूर्णानन्द जी ने दिया है वह ज्यादा अच्छा है और काम्प्रीहेन्सिव है। एक अमेंडमेंट जैसा मैंने पहले भी अर्ज किया कि आगे चलकर इसी दफा के अन्दर और भी दिया गया है जिसके जरिये से यह कहा गया है कि इस किसम के लोगों को डिसक्वालीफाई किया जाय। मैं आपकी इजाजत से उसे पढ़ना चाहता हूं और वह यह है कि—

"has been challaned for contravening any of the provisions of Civil Supplies or Control Acts of the State of Central Government."

इसके अलावा एक अमेंडमेंट इसके अन्दर ऐसा भी है जिसमें इंडियन पेनल कोड की दाफाओं के मातहत क्राइम करने वाले जो मारल टरपीच्यूड में आते हैं, डिसक्वालीफाई किये गये हैं लेकिन जो अमेंडमेंट श्री परिपूर्णानन्द जी ने पेश किया है उसमें वह तमाम जरायम आ जाते हैं जो इंडियन पेनल कोड के मातहत आते हैं और इसके अलावा जो ऐक्ट वक्तन फ़वक्तन इस लेजिस्लेचर से पास होते रहे हैं उनके मातहत भी आ जाते हैं। अगर वह दूसरा अमेंडमेंट मंजूर कर दिया जाय और इस अमेडमेंट को रहने दिया जाय तो फिर त्रिपाठी जी ने जो ख्वाहिश जाहिर की है वह पूरी नहीं हो सकती। इसलिये जितने सिविल-सप्लाईज के ऐक्ट हैं वह इंडियन पेनल कोड के मातहत नहीं आते हैं, वह सेपरेट ऐक्ट हैं जो अमेंडमेंट इन सब पर अप्लाई कर सके वह वही हो सकता है जो श्री परिपूर्णानन्द जी ने पेश किया है। अभी जो मेरे दोस्त श्री गेंदा सिंह तकरीर कर रहे थे, वे बड़ी माकूल तकरीर करते हैं और मैं उनकी तकरीर से बड़ा नफा उठाता हूं, उन्होंने एक बात अपनी तकरीर में यह कही और उन के कहने का मकसद यह था कि वे अमेंडमेंट के एक हिस्से से मुत्तफ़िक़ हैं लेकिन उनका यह ख्याल था कि यह अख्तियार गवर्नमेंट ने अपने हाथ में ले लिया है और अगर गवर्नमेंट चाहे तो इस डिसक्वालिफकेशन को दूर कर सकती है। श्री गेंदा सिंह जी को शायद इस बात का खतरा था कि अगर इस किस्म का अख्तियार गवर्नमेंट के पास रहा तो हो सकता है कि उसका बेजा इस्तेमाल हो। मगर मैं गेंदा सिंह जी को एक चीज याद दिलाऊंगा कि यह बिल जो इस वक्त हम पास कर रहे हैं, यह एक

आरजी बिल है और यह सब को मालूम है और गवर्नमेंट इस बात पर कमिटेड है कि एक कारपोरेशन बिल या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का पूरा बिल आने वाला है जिसमें लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की तमाम पिक्चर जो है उसका सेटअप बदल जायगा। जितने अख्तियारात आज गवर्नमेंट एक्सरसाइज करती है शायद यह तमाम अख्तियारात लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोर्ड के पास पहुंच जायंगे और जिस वक्त लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोर्ड आपके सूबे में कायम हो जायगा तो करीब-करीब वह सारे अख्तियारात जो गवर्नमेंट इस वक्त एक्सरसाइज करती है वह सब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोर्ड के पास पहुंच जायंगे और मैं समझता हूं कि उस वक्त श्री गेंदा सिंह जी की यह दिक्कत भी रफ़ा हो जायगी। ऐसी सूरत में इस बिल को जो इस वक्त आरजी तौर पर हमारे सामने आया है, इस अमेंडमेंट में वह तमाम चीजें आ जाती हैं। जो त्रिपाठी जी चाहते हैं और इसके अलावा इंडियन पेनल कोड के जो अफेन्सेज हैं और इसके अलावा वह भी ऐक्ट जो इस लेजिस्लेचर से पास हों, चाहे वह अब तक पास हो चुके हों या आयन्दा पास हों, इन सब में जो अफेन्सेज में मारल टरपीच्यूड होता है वह सब इस के मातहत आजायेंगे और इस तरह यह अप्लाई होने लगेगा। तो मैं समझता हूं कि ऐसी सूरत में कोई दिक्कत बाकी नहीं रह जाती कि हम इस अमेंडमेंट को नामंजूर कर लें जो हर सूरत से काम्प्रीहेन्सिव है। ख्याल यह है कि इस में डिसक्वालिफिकेशन को दूर करने का अख्तियार गवर्नमेंट के पास हो। लोगों को इस बात का शक है कि गवर्नमेंट अपना पावर्स सही एकसरसाइज नहीं करेगी। मैं समझता हूं, अव्वल यह मैंने बार बार कहा है कि डेमोक्रेसी की बुनियाद इसी पर चलती है कि हम एक दूसरे पर भरोसा करें और कोई वजह नहीं है कि एक पापुलर गवर्नमेंट जो पापुलर वोट से आई है वह सही तौर पर उनको एकसरसाइज न करे। लेकिन अगर यह चीज अपनी जगह पर सच हो तो मैंने जैसा अर्ज किया है कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोर्ड जब बन जायगा तो वह गवर्नमेंट की तमाम पावर्स को एकसरसाइज करेगा और उसके बाद यह दिक्कतें भी रफा हो जायंगी। तो मैं समझता हूं, कि ऐसी सूरत में मुनासिब यही मालूम होता है श्री परिपूर्णानन्द जी ने जो अमेंडमेंट पेश किया है उसे यह हाउस बिलइत्तफाक मंजूर कर ले और त्रिपाठी जी अपने अमेंडमेंट को वापिस ले लें। इसलिये अगर इस अमेंडमेंट में तमाम अफेन्सेज को डिस्क्राइब करने की कोशिश की गई तो वह इतनी बड़ी लिस्ट हो जायगी कि जो किसी सूरत से पूरी नहीं हो सकती और तरह-तरह से लोगों के दिमाग में अफेन्सेज के नाम आयेंगे और जिन को अगर इनकारपोरेट करना चाहेंगे तो इस तरह वह बहुत बड़ी एगजास्टिव लिस्ट हो जायगी और फिर हम वह एगजास्टिव लिस्ट नहीं बना सकेंगे। क्योंकि हम ५० जुर्मों के नाम लिख दें, लेकिन फिर भी ऐसे जुर्म रह जायेंगे जिन के नाम हम नहीं रख सकेंगे। तो इसलिये इस अमेंडमेंट के जरिये से जितने जरायम इंडियन पेनल कोड के मातहत होंगे या किसी ऐक्ट के मातहत होंगे जो अब तक इस सूबे में नाफिज हैं या जो आइन्दा इस सूबे में बनाये जायं और नाफिज किये जायं वे सब आ जायेंगे। इस सिलसिले में मुझे सिर्फ एक ही बात कहनी है कि अगर इस तरह का अमेंडमेंट मंजूर हो जायगा तो इससे बड़ी कमी पूरी हो जायगी। इस ऐतबार से मैं यह समझता हूं कि जिस दिक्कत को दूर करने के लिये और जिस कमी को इस बिल के अन्दर त्रिपाठी जी ने महसूस किया और प्वाइंट आउट किया वह अपनी जगह पर सही चीज थी और उसके बाद ये तमाम चीजें हुईं कि इस बिल को देखना पड़ा और दुरुस्त करना पड़ा। मैं त्रिपाठी जी को उनकी इस दूरअन्देशी के ऊपर और बिल को गौर से पढ़ने के ऊपर मुबारकबाद देता हूं और मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि जो अमेंडमेंट परिपूर्णानन्द जी ने पेश किया है उसे बिलइत्तफाक़ राय से मंजूर करें

श्री भगवतीप्रसाद शुक्ल (जिला बाराबंकी)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्री परिपूर्णानन्द जी द्वारा प्रस्तुत जो संशोधन है उसमें शब्द "moral turpitude" के बाद शब्द "and" निकाल दिया जाय और उसके स्थान पर शब्द "which offence has been"

[श्री भगवती प्रसाद शुक्ल (बाराबंकी)]

जोड़ दिये जायं और शब्द "declared" के बाद शब्द "as such" निकाल दिये जायं और शब्द "by the state Government" के बाद शब्द "such moral turpitude as to unfit him to be a member" जोड़ दिये जायं ।

पहला जो संशोधन था वह इस प्रकार था—

"Has been sentenced to imprisonment for an offence involving moral turpitude and declared as such by the State Government."

"डिक्लेयर्ड ऐज़ सच बाई दि स्टेट गवर्नमेंट" से एक भ्रांति पैदा होती थी कि अगर ऊपर शब्द "परसन" लगा दिया जाय, यानी इस प्रकार हो—

"the person has been sentenced to imprisonment for offence involving moral turpitude and declared as such by the State Government"

तब "declared" से यह अर्थ आभासित होता है कि वह व्यक्ति विशेष जिसको सज़ा हुई हो डिक्लेयर कर दिया जाय जैसा कि मकसद नहीं है मैं समझता हूं कि परिपूर्णानन्द जी स्वयं यह विचार नहीं रखते थे। उनका विचार यह था कि वह आफेंस जो है उसको राज्य ने ऐसा घोषित कर दिया हो कि वह मारल टरपीचयूड का एक आफेंस है और जो उनका अर्थ था वह इन शब्दों से नहीं निकल रहा था जैसा कि संशोधन उन्होंने पेश किया था। जैसा कि मैं समझ सका हूं और जो संशोधन मैं पेश कर रहा हूं वह कांस्टीट्यूशन के शब्दों से ही बिल्कुल मिलता-जुलता है। उसका संशोधित रूप इस प्रकार हो जायगा—

"has been sentenced to imprisonment for offence involving moral turpitude which offence has been declared by the State Government such moral turpitude as to unfit him to be a member."

जो कांस्टीट्यूशन के शब्द हैं उनमें "ऐज टु अनफिट हिम टु बीऐन एलेक्टर" ये शब्द हैं। तो बिलकुल उसी को अक्षरशः उठा कर रख दिया गया है।

जहां तक ब्लैकमारकेटिंग और दूसरी बातों के बारे में जो लम्बी लम्बी बातें इस सदन में कही गयीं मैं समझता हूं कि इधर और उधर, दोनों तरफ बैठे हुये सभी व्यक्ति इस बात से सहमत हैं कि ऐसे व्यक्ति जो कि समाज के लिये अवांछनीय हैं, जो ब्लैकमारकेटिंग और दूसरे मामलात में पड़े हैं वे तो दरअस्ल मारल टरपीच्यूड के दोषी हैं और उनको कोई ऐसा अधिकार नहीं मिलना चाहिये जो उनको ऊंचे स्थान पर लेजाने वाला हो। इसी दृष्टिकोण को अन्तर्हित रखते हुये मेरे विचार से परिपूर्णानन्द जी ने यह संशोधन पेश किया था। और इस संशोधन के शब्दों में इतनी सौजन्यता और सुन्दरता नहीं थी जिससे सभी बातें जो वह चाहते थे स्पष्टतया आ सकें। इसलिये मैंने उनके शब्दों में यह जोड़ने की धृष्टता की है और मेरा विश्वास है कि माननीय परिपूर्णानन्द जी मेरे इस संशोधन को स्वीकार करेंगे। अब वह संशोधन इस तरह से हो जाता है कि—

"has been sentenced to imprisonment for an offence involving moral turpitude which offence has been declared by the State Government such moral turpitude as to unfit him to be a member."

श्री नारायण दत्त तिवारी—श्रीमन्, मैं आप की आज्ञा से माननीय परिपूर्णानन्द जी के संशोधन में निम्न संशोधन करना चाहता हूं। इस संशोधन की अन्तिम पंक्ति में

"declared as such by the State Government" के स्थान पर शब्द "black-marketing" रख दिये जायं। मेरा संशोधन स्वीकार हो जाने के बाद संशोधन इस तरह से हो जायगा--

"has been sentenced to imprisonment for an offence involving moral turpitude and black-marketing."

श्रीमन्, जैसा कि उन्होंने पुराना संशोधन रखा था वह पूरी तौर से अब पढ़ा जाय तो इस तरह से हो जाता है--

"A person notwithstanding that he is otherwise qualified, shall be disqualified for being chosen as, and for being, a member of a board if he has been sentenced to imprisonment for an offence involving moral terpitude and black—marketing."

जैसा कि माननीय परिपूर्णानन्द जी ने संशोधन रखा है उसके अनुसार डिस्क्वालीफाई को डिफाइन करना पड़ेगा। इसके साथ शुक्ला जी ने जो संशोधन रखा है वह उसको और काम्पलेक्स बना देता है। उसमें लिखा है कि "involving moral turpitude which offence has been declared by the State Government such moral turpitude as to unfit him to be a member."

इसमें "moral terpitude" दो जगह आ गया है।

(इस समय ३ बजकर ५८ मिनट पर अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

श्री ऐजाज़ रसूल— On a point of Order, Sir, (श्रीमान् जी मैं विधान का प्रश्न उपस्थित करता हूं।) जनाब स्पीकर साहब, क्या मैं यह दरियाफ्त कर सकता हूं कि हमारे तिवारी जी ने त्रिपाठी जी के संशोधन में अमेंडमेंट चाहा था और अब वह श्री परिपूर्णानन्द जी के संशोधन में इस तरह से अमेंडमेंट करके दुबारा तक़रीर करने का उनको मौका है।

श्री अध्यक्ष—जी हां।

श्री नारायण दत्त तिवारी—श्रीमन्, जैसा कि मैंने पहले बतलाया कि मौरेल टरपीच्यूड की कहीं भी इस म्युनिसिपैलिटी ऐक्ट में परिभाषा नहीं है। इंडियन पेनल कोड में जो परिभाषा है वह केवल नैतिक अपराधों के लिये और क्रिमिनल अपराधों के लिये है, जैसे कि इसकी धारायें, ३७९,३६६ और ३७६ हैं ये केवल नैतिक और क्रिमिनल अपराधों के लिये हैं और आर्थिक अपराधों के लिये नहीं हैं। ब्लैकमारकेट आर्थिक अपराधों में आता है। मैंने डिक्शनरी भी देखने की चेष्टा की तो मोरल टरपीच्यूड में ब्लेकमारकेट नहीं आता है। मैं यह चाहता हूं कि जैसा माननीय त्रिपाठी जी का संशोधन था कि इसमें ब्लैकमारकेट आ जाना चाहिये। इसलिये इसमें मेरे संशोधन को स्वीकार करने से ब्लैकमारकेट स्पष्ट हो जायगा

"has been sentenced to imprisonment for an offence involving moral turpitude and black—marketing...."

इसमें स्टेट गवर्नमेंट को डिक्लेअर करने की आवश्यकता नहीं रहेगी और यह डिक्लेयर करने की आवश्यकता नहीं होगी कि मारेल टर्पीच्यूड में ब्लेक मार्केट भी आता है। मेरे अमेंडमेंट से साफ़ स्पष्ट हो जायगा कि मारेल टर्पीच्यूड और ब्लैकमारकेट दोनों आफेन्स हैं। मुझे आशा है कि माननीय परिपूर्णानन्द जी मेरे सुझाव को मानेंगे और शुक्ल जी का जो संशोधन है वह तो काम्प्लेक्स हो जाता है। उसमें मारेल टर्पीच्यूड शब्द को दो बार दोहराया गया है और यह स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर करेगी कि मारेल टर्पीच्यूड में ब्लैकमारकेट आता है या नहीं। इस मार्केट को मारेल टर्पीच्यूड में लेना मैं समझता हूं ग़लत है। इस लिये ब्लैकमारकेट और मारेल टर्पीच्यूड दोनों आने चाहिये।

यह आज हमारा सौभाग्य है कि इस सदन में ४ संशोधनों पर एक साथ बहस हो रही है। हमें इस बात पर विचार करना चाहिये कि कितनी असाधारण

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

परिस्थितियों में ऐसा हुआ है। जब ऐसी असाधारण परिस्थितियों में विचार कर रहे हैं तो हम चाहेंगे कि असाधारण क़दम भी हमें उठाना चाहिये। चीन के अन्दर ब्लैक मार्केट खत्म करने के लिये आत्मसुधार आन्दोलन जिसे यांग्चू मूवमेंट कहते हैं शुरू किया गया था जिसके अन्दर ब्लैक मार्केट करने वाले को चाहे वह किसी भी पार्टी का सदस्य क्यों न हो, उसको सजा दी जाती थी। मैं तो माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि ब्लैक मार्केटिंग शब्द को छोड़ कर वह इस प्रदेश में एक ऐसा आन्दोलन शुरू करें कि जनता के जिन वर्गों में इस प्रकार का ब्लैक मार्केट आ गया है, उनमें से उस अपराध की भावना वह खत्म कर दें। मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता और मुझे आशा है कि माननीय मंत्री जी मेरे इस संशोधन को स्वीकार करेंगे।

श्री मोहनलाल गौतम—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि अब इतनी भाषायें आ गई हैं कि उन पर इस समय कुछ ठीक ठीक विचार नहीं किया जा सकता कि कोई अल्फाज ऐसे न हो जायं जिससे कोई क़ानूनी दिक्क़त बाद में नज़र आये। तो अगर आप मुनासिब समझें तो इसको कल ले लिया जाय ताकि जो बहस हो रही है वह इसके विषय पर कम है क्योंकि इसमें तो क़रीब-क़रीब सब एक मत के हैं कि मारेल टर्पीच्यूड होना चाहिये, ज्यादा बहस ड्राफ्टिंग पर है, उस पर विचार करने के लिये कल इसे ले लिया जाय तो बेहतर होगा।

श्री अध्यक्ष—माननीय राम नारायण त्रिपाठी, आप को कोई आपत्ति तो नहीं है?

श्री रामनारायण त्रिपाठी—जी नहीं मुझे कोई आपत्ति नहीं है, कल ले लिया जाय।

(संशोधन पर विचार स्थगित किया गया)

श्री नारायण दत्त तिवारी—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन पेश करना चाहता हूं कि खंड ६ द्वारा प्रस्तुत नयी धारा 13-E की उपधारा (1) के स्थान पर निम्न लिखा जाय—

"13-E (1) No person, whose name has not been for the time being entered in the electoral roll of any ward, shall be entitled to vote in that ward, except as expressly provided by this Act."

श्रीमान् यह मैंने इस धारा में नये रूप से रखा है ताकि अर्थ स्पष्ट हो जाय। १३-ई जो है वह इस प्रकार है—

"No person who is not, and except as expressly provided by this Act, every person who is for the time being entered in the electoral roll of any ward shall be entitled to vote in that ward".

यह शब्दावली जो प्रयोग की गयी है वह अस्पष्ट है। इसके दो मानी हो सकते हैं और उनमें परस्पर विरोध सा आ जाता है जो अप्रासंगिक है। वह इस प्रकार है—

"No person who is not, and except as expressly provided by this Act, every person who is, for the time being entered in the electoral roll of any ward"......

इसका यह अर्थ है कि शायद कोई खास एलेक्टोरोल में कोई पर्सन एंटर किया जाता है, पर्सन का नाम एंटर नहीं किया जाता, जब कि नाम एंटर होना चाहिये, न कि पर्सन। मेरे कहने का मतलब यही है कि पर्सन एंटर नहीं किया जाता, पर्सन का नाम एंटर किया जाता है। इसलिये मैंने यह रक्खा है—

"No person, whose name has been for the time being entered in the electoral roll of any ward".

मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी "name" के महत्व को समझेंगे और मेरे संशोधन को स्वीकार करेंगे ।

श्री मोहनलाल गौतम—माननीय अध्यक्ष महोदय, रिप्रिजन्टेशन आफ दि प्युपिल्स ऐक्ट सन् १९५१ ई० की धारा ६२ में पेज २५ पर इस प्रकार से दिया हुआ है कि—

"62. No person, who is not, and except, as expressly provided by this Act every person who is for the time being entered in the electoral roll of any constituency shall be entitled to vote in the constituency."

यह भाषा यहां पर रखी गयी है । इसलिये इसमें कोई आपत्ति नहीं है । मैं यह समझता हूं कि इसको यहां पर रहना चाहिये और मैं उनके संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकता ।

श्री नारायण दत्त तिवारी—अध्यक्ष महोदय, रिप्रजन्टेशन आफ दि प्युपिल्स ऐक्ट को माननीय मंत्री जी पढ़ रहे हैं । हो सकता है कि कोई वाक्य रह गया हो । माननीय मंत्री जी ३,४ मर्तबा इसको पढ़ चुके हैं ।

मेरा जो दृष्टिकोण है उस पर मंत्री जी ने प्रकाश नहीं डाला है । इसमें जो यह लिखा हुआ है कि—

"No person, whose name has not been for the time being entered in the electoral roll of any ward."

इसका मतलब यह है कि एलेक्टोरल रोल में किसी भी आदमी का नाम लिखा जायगा न कि उस आदमी को उसमें एंटर किया जायगा । मेरा मतलब यह है कि यह—

"No person, whose name has not been for the time being entered in the electoral roll of any ward."

उसमें जोड़ दिया जाय । अगर यह उसमें जोड़ दिया जाता है तो यह स्पष्ट हो जाता है । हूज़ नेम (Whose name) उसमें होना चाहिये और आदमी उसके अन्दर एन्टर नहीं होता है । अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि आप ही इसमें कुछ मदद करें जिससे यह चीज़ स्पष्ट हो जाय।

श्री अध्यक्ष—जब माननीय मंत्री जी इसको स्वीकार नहीं करते हैं तो मैं इसमें क्या कर सकता हूं।

श्री मोहनलाल गौतम—जिन दिक्क़तों का जिकर किया गया है वह दिक्क़तें पेशतर नहीं पेश आई हैं और इस ऐक्ट के अनुसार बड़ा भारी एलेक्शन हो चुका है । इसमें कोई आवश्यकता बदलने की नहीं मालूम होती है । मुझको रिप्रजन्टेशन आफ दि प्युपिल्स ऐक्ट का हवाला बार बार इसलिये देना पड़ता है कि उस ऐक्ट की एलेक्शन वाली धाराओं को समझते हुये इस बात की कोशिश की गयी है कि जहां तक हो सके इसमें से वह शब्द निकाल दिये जायं । इसलिये मुझे बदलने की कोई आवश्यकता नहीं मालूम होती है । अगर कोई शब्द इधर-उधर हो गया है तो वह मजबूरी से किया गया है क्योंकि यह चुनाव दूसरा है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ९ द्वारा प्रस्तुत नयी धारा 13-E की उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित लिखा जाय—

"13-E. (1) No person, whose name has not been for the time being entered in the electoral roll of any ward, shall be entitled to vote in that ward, except as expressly provided by this Act."

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री नारायण दत्त तिवारी—मैं आप की आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि खंड ९ द्वारा प्रस्तावित नयी धारा 13-E की उपधारा (3) तथा (4) के अन्त में निम्नलिखित शब्द जोड़ दिये जायं—

"except the one vote to which he is entitled."

श्रीमन्, धारा 13-E की उपधारा (3) में यह लिखा हुआ है कि—

"No person shall vote at a general election in more than one ward and if a person votes in more than one such ward his votes in all such wards shall be void."

इसमें प्रत्यक्षरूप से यह प्रकट हो जाता है कि कोई आदमी एक दफा से ज्यादा वोट नहीं दे सकता लेकिन अप्रत्यक्षरूप से यह अवश्य है कि एक वोट तक इनवैलिड नहीं होगा और आगे होगा। इसमें यह स्पष्ट होना चाहिये क्योंकि इस धारा का अर्थ यह है कि—

"if a person votes in more than one such ward, his votes in all such wards shall be void."

इसका मतलब यह है कि जो वार्ड है अगर वहां पर वह वोट देता है तो वहां का उसका वोट वैलिड होगा तो इस लिये उपधारा (३) में इसको जोड़ देने की आवश्यकता है कि—
"except the one vote to which he is eititled." 13—E (1) में लिखा है कि

"No person who is not, and except as expressly provided by this Act, every person who is, for the time being entered in the electoral roll of any ward shall be entitled."

और इसके आगे १३–एफ की उपधारा (२) में यह सहूलियत दी है कि जहां प्लुरल मेम्बर कांस्टीटुएन्सी हो वहां पर अगर एक मतदाता एक जगह से ज्यादा वोट देता है तो उसका केवल एक ही वोट पहली जगह माना जायेगा और बाक़ी जगह वायड माना जायगा। तो जो सहूलियत वहां दी गयी है वही सहूलियत यहां भी मिलना चाहिये। यह धारा १३ एफ़ (२) इस प्रकार है कि—

"If an elector gives more than one vote to any one candidate in contravention of the provisions of sub-section (1), then, at the time of counting of votes, not more than one of the votes given by him to such candidat shall be taken into account and all other votes given by him to such candidat shall be rejected as void."

इस में स्पष्ट है कि जहां प्लुरल मेम्बर वार्ड हो वहां पर एक वोट जरूर गिना जायगा और बाक़ी वायड हो जायंगे। अगर यही सहूलियत सिंगुलर मेम्बर वार्ड में भी दी जाय तो ठीक होगा, एक वोट तो जायज़ मानना ही चाहिये। मुझे आशा है कि इस चौथे केस में भी उस को वंचित न करना चाहिये। इसलिये तीसरी और चौथी उपधारा में इन शब्दों को बढ़ाया जाना बहुत जरूरी है।

श्री मोहनलाल गौतम—अध्यक्ष महोदय, इस को मानने से बेईमानी बहुत ज्यादा बढ़ जायगी और जो लोग बोगस वोट डालना चाहते हैं उन पर चेक नहीं रहेगा। इस तरह से जो लोग कई वार्ड में नाम दर्ज करा लेंगे और जा कर हर जगह वोट डालेंगे उनको कोई डर न रहेगा क्योंकि वह समझेंगे कि हमारा एक जगह तो वोट सुरक्षित ही है। लेकिन अगर यह

डर होगा कि ऐसा करने से वोट ही बेकार हो जायगा तो वोट डलवाने वाले भी ऐसी हिम्मत न करेंगे और बेईमानी की कोई गुंजायश न रहेगी। ऐसा करने से धोखा देने वालों को प्रोत्साहन होगा। लेकिन जहां तक प्लुरल मेम्बर कांस्टीटुएन्सी का सवाल है वहां पर इस तरह की धोखे की बात आती ही नहीं। इसलिये मैं इसको स्वीकार नहीं कर सकता।

श्री नारायण दत्त तिवारी—जहां तक उपधारा (३) का प्रश्न है जैसा कि बिल में लिखा है उसका एक वोट माना जायगा या नहीं। जो इस की भाषा मैंने पढ़ी उसका अर्थ है कि एक वोट भी नहीं माना जायगा। इस में तो आप मान ही लेंगे और अगर आप इसको मान लें तो चौथे में आप न करें। मैं उसे वापिस ले लूंगा।

श्री मोहनलाल गौतम—मुझे यह स्वीकार नहीं है, और न कुछ कहना है।

श्री नारायण दत्त तिवरी—मैं अपने संशोधन को वापस लेना चाहता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री रामनारायण त्रिपाठी—अध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से यह संशोधन पेश करना चाहता हूं —

खंड ६ में प्रस्तावित धारा 13-E की उपधारा (5) को बदल कर इस प्रकार पढ़ा जाय —

"No person shall vote at any election if he is convicted of a section which comes under the category of moral turpitude."

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस संशोधन से मोरल टर्पीच्यूड वाले मनुष्य को वोट देने का भी अधिकार नहीं देना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि ऐसे लोगों को फ्रैंचाइज का भी अधिकार न हो। चुनाव में खड़े होने का सवाल तो दूर है। मेरे पहले संशोधन के ऊपर एक मत हो कर सदन ने इस बात की राय जाहिर की कि कम से कम मोरेल टर्पीचयूड वाले लोगों को उम्मीदवार होने का हक़ नहीं दिया जाना चाहिये। यदि हम ऐसे आफ़ेंस के लिये वोट देने का भी हक़ छीन लेंगे तो यह एक प्रोग्रैसिव स्टेप होगा। इसमें प्रमुख भावना यह है कि जनता के सामने मिसाल क़ायम हो। इससे जुर्म कम होंगे। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी इसे अवश्य स्वीकार करेंगे।

श्री मोहनलाल गौतम—माननीय अध्यक्ष महोदय, इस संशोधन का मतलब बहुत ही अच्छा है और जो पहला म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट है उसमें यह चीज है, सैक्शन १६–ई में लेकिन इसे निकाल दिया गया है। हमने असेम्बली के रोल्स को ही अपना रोल माना है और हम इसकी बिलकुल उसी तरह से नक़ल कर रहे हैं। इसलिये इसमें कोई और घटाव बढ़ाव करने में हमारे सामने दिक्क़त पैदा हो जायगी और हमें अपना आधार बदलना होगा। यदि कैंडिडेट्स के लिये यह बात हो तो उस पर बहस हो सकती है, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं इस संशोधन को नहीं मान सकता।

श्री चन्द्र सिंह रावत—अध्यक्ष महोदय, मैं इस संशोधन का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। इसमें तो यह है कि–"No person shall vote at any election if he is confined in a prison whether under a sentence of imprisonment or transportation or otherwise, or is in the lawful custody of the police."

[श्री चन्द्र सिंह रावत]

यह इसलिये रखा गया है कि जब कोई व्यक्ति जेलखाने में होता है तो उसका दिमाग़ का संतुलन खराब हो जाता है और वह सही दिमाग़ से काम करने के अयोग्य हो जाता है। जब कोई मुसीमबत से घिरा हो तो वह सही दिमाग़ से काम नहीं कर सकता हैं। इसीलिये रखा गया है कि पुलिस की कस्टडी में हो, जेलखाने में हो··

श्री अध्यक्ष--आप संशोधन पर नहीं बोल रहे हैं, उससे बाहर जा रहे हैं।

श्री चन्द्र सिंह रावत--जो संशोधन पेश किया जा रहा है उससे वे चाहते हैं कि उसको बदल कर वह रख दिया जाय जो कि उन्होंने पेश किया है इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि उसके लिये यह कोई सब्स्टीच्यूट नहीं है। जो आदमी जेलखाने में हैं, जिसके दिमाग़ का संतुलन ठीक नहीं है, उसके लिये यहां पर व्यवस्था की गयी है। लेकिन उसके बजाय वे दूसरी ही बात सब्स्टीच्यूट करना चाहते हैं। मेरा कहना यह है कि वह इस प्रकार के केस को कवर नहीं करता है, न तो उसको यह अमेंड करता है, न उसमें कुछ "ऐड" करता है और न उसका कोई सब्स्टीच्यूट ही है, न किसी किस्म का कोई परिवर्तन ही करता है। इसलिये मैं समझता हूं कि यह जो सब्स्टीच्यूट रखा गया है वह नाकाबिल है। इसलिये मैं उसका विरोध करता हूं।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--अध्यक्ष महोदय, मैंने जो संशोधन पेश किया था उसका माननीय मंत्री जी ने स्वागत किया लेकिन उनका कहना यह है कि उनके सामने मजबूरी रहती है क्योंकि वे हर्फ बहर्फ पीपिल्स रिप्रेजेन्टेशन ऐक्ट की नक़ल करना चाहते हैं। लेकिन उनकी यह दलील मेरे मस्तिष्क में तो नहीं आयी और न मैं इसको स्वीकार करने के लिये तैयार हूं। मैं नहीं समझ सका कि उनको इससे क्या दिक़्क़त हो जायगी और अगर इस संशोधन को मंजूर कर लिया जायगा। जो दिक़्क़त उनको इस संशोधन से होने वाली है वह यह हो सकती है जैसा कि वे कहते हैं कि इलेक्टोरल रोल्स उनको फिर से तैयार करनी होंगीं लेकिन जहां तक मेरी समझ है, ऐसा कोई ग्राउन्ड नहीं है। जहां तक मैंने इस अमेंडिंग बिल को अध्ययन किया मैं तो समझा हूं कि दोनों भवनों से इसके पास हो जाने के पश्चात् भी डायरेक्टर आफ इलेक्शन्स को उन तमाम प्रोसेज में से जाना होगा क्यों कि जो असेम्बली की लिस्ट है वह भी आब्जेक्शन्स के लिये खुली होगी और लास्ट डे तक उसमें आब्जेक्शन्स हो सकेंगे। जो असेम्बली की लिस्ट है उसमें वार्ड्स भी नहीं हैं उसमें वार्ड्स तैयार करने होंगे तो यह निर्विवाद है कि इलेक्टोरल रोल्स की लिस्ट बनेगी। तो मेरा कहना यह है कि लिस्ट बनते वक्त यह बात ध्यान में रख ली जाय। अतः मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे फिर इस बात पर विचार करके मेरे संशोधन को स्वीकार कर लें।

श्री मोहन लाल गौतम--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जो निवेदन किया, मुझे आफसोस है कि मैं उनको अच्छी तरह से समझा नहीं सका। मैं चाहता यह हूं कि वही असेम्बली की इलेक्टोरल रोल्स ले ली जांय क्योंकि दूसरी इलेक्टोरल रोल्स बनाने से परेशानी बढ जायगी। एक दूसरी बात भी है जिसकी वजह से यह चीज नहीं ली जा सकती क्योंकि नये वातावरण में जब कि एडल्ट फ्रेंचाईज़ आ रहा है उसमें इलेक्टर के ऊपर कोई पाबन्दी नहीं लगायी जा रही है बल्कि इस पर पाबन्दी लगाई जा रही है कि मेंबर कौन-कौन हो सकेगा और उस पर कल विचार किया जायगा। इसलिये इलेक्टर्स पर कोई पाबन्दी लगाना ठीक नहीं है। इसलिये मैं इसको मंजूर करने में असमर्थ हूं।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ९ में प्रस्तावित धारा 13-E की उपधारा (5) को बदल कर इस प्रकार पढ़ा जाय--

"No person shall vote at any election if he is convicted of a section which comes under the category of moral turpitude."

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री वीरेन्द्रपति यादव—अध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत करना चाहता हूं—

खंड ९ में प्रस्तावित नयी धारा 13-E की उपधारा (5) की पंक्ति १ में शब्द "shall" और "at" के बीच शब्द "vote" के स्थान पर शब्द "claim his right of vote" रख दिये जायं।

अध्यक्ष महोदय, सरकार की तरफ से यह सशोधन प्रस्तुत किया गया है और शब्द 'वोट' का प्रयोग किया गया है। "No person shall vote at any election" इन शब्दों से ऐसा प्रतीत होता है कि उसको वोट देने का अधिकार इसलिये नहीं दिया गया कि उसके लिये यह संभव नहीं था कि जब कि वह जेल में हो या पुलिस हवालात में हो तो वहां से चल करके पोलिंग स्टेशन पर आ कर वोट दे सके और न इसका प्रबंध ही सरकार कर सकती थी। यह ठीक है "No person shall vote at any election"

इससे कुछ ऐसा प्रतीत होता है कि हालांकि उसे वोट देने का अधिकार है लेकिन उससे इस अधिकार को छीना जा रहा है। तो इस शब्द के बजाय अगर यह रखा जाय "No person shall claim his right of vote" तो इससे यह भाषा भी कुछ अच्छी लगने लगेगी और उससे इस प्रकार का माने होता है कि जो कैदी या हवालाती है उसे वोट देने का अधिकार तो है लेकिन वह अपने मत देने के अधिकार की मांग नहीं कर सकता क्योंकि वह जेल में है या हवालात में है। इस तरह से उसके राइट को हम मानते हैं। सिर्फ वोट शब्द रहने से पता चलता है कि हम उसके अधिकार को छीन रहे हैं और उसे अधिकार देने नहीं जा रहे हैं। हालांकि दोनों में अधिक अन्तर नहीं मालूम पड़ता है। लेकिन फिर भी अगर ये शब्द "No person shall claims his right of vote" रख दिये जायं तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री मोहनलाल गौतम—माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे अफसोस है कि बार बार रेप्रेजेंटेशन आफ पिपुल ऐक्ट को दोहराना पड़ता है। सन् १९५१ का जो ऐक्ट है उसके धारा ६२ की उपधारा (५) में दिया हुआ है "No person shall vote at an election" दोनों के अल्फाज एक ही रख दिये गये हैं क्योंकि इससे सहूलियत होगी। मुक़दमेबाजी भी कम होगी और एलेक्शन पेटिशन वग़ैरह जो दायर होंगे उनकी रूलिंग वगैरह जो होंगी वे भी दोनों के लिये एक समान ही लागू होंगी। इसके अलावा वकीलों के लिये भी कम गुंजायश होगी कि वे "shall vote" और "shall claims his right of vote" की बात लेकर ज्यादा परेशान करें। इन सब बातों को सोचते हुये दोनों के अल्फाज ज्यों के त्यों एक से ही रखे गये हैं। इसलिये मैं प्रार्थना करूंगा कि माननीय सदस्य इसको प्रेस न करें।

श्री वीरेन्द्रपति यादव—चूंकि सरकार की तरफ से रेप्रेजेंटेशन आफ पिपुल ऐक्ट की भाषा को अथारिटी मान लिया गया है इसलिये मैं अपने संशोधन को वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री नारायण दत्त तिवारी—अध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से यह संशोधन प्रस्तुत करता हूं कि खंड ९ द्वारा प्रस्तावित नयी धारा 13-E की उपधारा (5) में निम्नलिखित प्रतिबन्ध जोड़ दिया जाय—

"Provided that this disqualification shalll not apply to political prisoners or detenues."

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

श्रीमान्, जैसा कि मूल धारा 13-E को उपधारा (5) है वह इस प्रकार है—

" No person shall vote at any election if he is confined in a prison whether under a sentence of imprisonment or transportation or otherwise, or is in the lawful custidy of the Police. "

माननीय मंत्री जी ने कई बार इस बात को स्पष्ट किया कि वह इस संबंध में रिप्रेजेंटेशन आफ दि पिपुल्स ऐक्ट के अनुसार चल रहे हैं । जहां तक मुझे मालूम है मेरी यह सूचना है कि रिप्रेजेंटेशन आफ दि पिपुल्स ऐक्ट के अनुसार पोलिटिकल प्रिजनर्स वोट दे सकते हैं । और डेटेन्यूज के बारे में तो बिल्कुल स्पष्ट है कि वह वोट दे सकते थे और हमें तो यह भी सूचना है कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो जेलखाने के अन्दर थे लेकिन एलेक्शन जीत गये । मद्रास के अन्दर ऐसे लोग थे जो जेलखाने के अन्दर थे और बाहर उनका नाम होने की वजह से वे खड़े हुये और एलेक्शन जीत गये । पंजाब में तो एक साहब ऐसे चुने गये जो जेल में थे और वह वोटर थे और इसलिये वह मेम्बरी के लिये खड़े हुये थे और चुन लिये गये । माननीय मन्त्री जी ने रिप्रेजेंटेशन आफ दि पिपुल्स ऐक्ट को मान लिया है और दसियों बार उन्होंने कहा है कि वे इसको मानते हैं तो मैं माननीय मंत्री जी की आलोचना नहीं करना चाहता । मैं तो उनसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि जो उन्हों ने सिद्धान्त बनाया है उसी को हम डिपिक्ट करना चाहते हैं और उसके अनुसार वे मेरा संशोधन मान लें । मैं इसमें ज्यादा बहस भी नहीं करना चाहता इसलिये कि मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्री जी खुद ही ज्यादा बहस में न पड़ कर उसी आदर्श को सामने रखते हुये डेटेन्यूज और प्रिजनर्स के लिये वोटिंग का अधिकार कर देंगे और डेटेन्यू के लिये तो अवश्य ही मान लेंगे।

श्री मोहन लाल गौतम—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो अल्फाज इस समय हैं वे वही हैं जो पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन ऐक्ट में हैं और जो बात माननीय नारायण दत्त जी ने कही कि लोग जेल में थे और खड़े हुये; खड़े होने को यह धारा रोकती नहीं है और उसके वोटर होने को भी नहीं रोकती । इससे वोटर्स की लिस्ट में से नाम भी नहीं कटता । उसमें नाम रहेगा और इसलिये खड़े होने का अधिकार होगा जब तक कि कोई डिस्क्वालिफिकेशन उसके खड़े होने में न आ जाय । वोट देने का अधिकारी न होते हुये भी वह कैंडीडेट हो कर चुना जा सकता है । तो जो उन्होंने कहा वही हूबहू इसमें है और मैं आशा करता हूं कि वह इसको प्रेस नहीं करेंगे ।

श्री नारायण दत्त तिवारी—श्रीमन्, मैं आप की आज्ञा से माननीय मंत्री जी को पहले सूचना देना अपना कर्तव्य समझता हूं कि पोलिटिकल डेटेन्यूज ने पिछले चुनाव में एलेक्शंस में वोट दिये हैं। जहां तक मुझे ख्याल है ऐसा कहीं भी नहीं है कि वह वोटर नहीं है लकिन खड़ा होगा । यानी वोटर तो नहीं होगा लेकिन मेम्बरी के लिये खड़ा हो जाय । माननीय मंत्री ने कहा कि वोटर तो नहीं हो सकता लेकिन मेम्बरी के लिय खड़ा हो सकता है।

श्री अध्यक्ष—नहीं, उन्होंने कहा है कि वोटर तो रहेगा और खड़ा भी हो सकेगा लेकिन जेल में रहने के कारण वोट नहीं देगा ।

श्री नारायण दत्त तिवारी—श्रीमन् यह तो और भी आश्चर्यजनक बात है कि वोटर है लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं है । मैं 13-g का पार्ट (n और (q) उनके सामने रखता हूं—

" (n) manner in which votes are given by the presiding officer, polling agents or any other person who being an elector for a ward is authorized or appointed for duty at a polling station at which he is not entitled to vote. "

और (q) इस प्रकार है:—

" (q) Generally on all matters relating to conduct of elections . "

तो सरकार नियम बना सकती है और मैं समझता हूं कि ऐसे लोगों के लिये जो वहां वोटर हैं और ड्यूटीज़ दूसरी जगह कर रहे हैं उनके लिये पोस्टल बैलट सरकार बनायेगी । जो लोग वोटर्स हैं लेकिन जेल के अन्दर डेटेन्यू हैं क्या वे पोस्टल बैलट के जरिये से वोट नहीं दे सकते ? क्या माननीय मंत्री जी ऐसा तरीका नहीं निकाल सकते जिसके अनुसार कोई भी डेटेन्यू पोस्टल बैलट के द्वारा अपना वोट दे सके ? पोस्टल बैलट की प्रणाली तो स्वीकृत है । पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन ऐक्ट के अनुसार जो नियम बने हैं उनमें भी पोस्टल बैलट को स्वीकार किया गया है और जैसा मैंने पहले कहा कि पोलिटिकल डेटेन्यूज़ को, नजरबन्दों को भी वोट देने का अधिकार है और अगर माननीय मंत्री जी को यह सूचना मिली है कि पोलिटिकल राजनीतिक बन्दियों ने वोट नहीं दिये हैं तो मैं समझता हूं कि उनकी यह सूचना जहां तक मुझे मालूम है, ग़लत है । तो श्रीमन्, मैं तो माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि अगर उन्होंने यह सिद्धान्त स्वीकार कर लिया कि अपने राजनीतिक विचारों के कारण जो लोग नज़रबन्द हैं मतदाता होते हुये भी पोस्टल बैलट के जरिये मतदान न कर सकें यह बहुत बड़ा अन्याय होगा और जो माननीय मंत्री कहते हैं कि हमने बालिग मताधिकार रखा है उसके बिलकुल विपरीत है। तो इसलिये मेरा उनसे निवेदन है कि वह इसके खिलाफ न जायं और मैं उनका ध्यान आप की आज्ञा से धारा १३ (सी) की ओर आकर्षित करना चाहता हूं ।

"A person shall not be qualified to be chosen to fill a seat on a board unless—

(*a*) in the case of a seat reserved for the Scheduled Castes he is a member of any of these castes and is an elector for any ward in the municipality;

(*b*) in the case of any other seat, he is an elctor for any ward in the municipality."

तो इसके अनुसार भी जब कि उसका नाम एलेक्टोरल रोल में है और वह कैंडीडेट भी हो सके और वोट न दे सके, मैं यह समझता हूं कि यह सिद्धांत चुनावों के इतिहास में पहली बार होगा । यह सिद्धांत बिलकुल एक नया सिद्धांत होगा । मैं समझता हूं कि अच्छा होगा कि माननीय मंत्री इस सिद्धांत को हमसे स्वीकार न करायें ।

श्री मोहनलाल गौतम—माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी बहुत सी बातें होंगी जो हम को सीखनी पड़ेंगी । यह भी हो सकता है कि एक व्यक्ति किसी कांस्टीटुएंसी से खड़ा हो सके लेकिन वह वोटर न हो । इसके लिये कुछ ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है । यूं अगर आप टीचर्स कांस्टीटुएंसी से खड़ा होना चाहें तो खड़े हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आप वोटर हों । तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती जायगी हम बहुत सी बातें सीखते चले जायंगे । इसलिये सारी दुनिया को चैलेंज कर देना तो ठीक नहीं है । लेकिन अगर माननीय नारायणदत्त जी अपने संशोधन को इस तरह से रखना चाहें तो मैं उसको मंजूर कर सकता हूं ।

"Provided that nothing in this subsection shall apply to a person subjected to preventive detention under any law for the time being in force."

अगर इस तरह से रखें तो मैं मंजूर कर सकता ।

श्री नारायण दत्त तिवारी—मुझे कोई आपत्ति नहीं है, श्रीमन् ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ९ द्वारा प्रस्तावित नयी धारा 13-E की उपधारा (5) में निम्नलिखित प्रतिबन्ध जोड़ दिया जाय—

"Provided that nothing in this sub-section shall apply to a person subjected to preventive detention under any law for the time being in force."

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उम्मद सिंह—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ९ में प्रस्तावित नयी धारा 13—G के अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्ध जोड़ दिया जाय—

"Provided that such orders of the State Government shall provide for the counting of votes including recount of votes immediately after the polling of votes, in the presence of polling agents, if any, of the candidates, or in the presence of candidates themselves if present and that the ballot boxes shall not be removed from the polling station until the presiding officer has finished the counting of votes and announced the result of the poll to the polling agents or to the candidates"

श्री अध्यक्ष—यह आपका संशोधन कहां पर रखा जायगा, किस जगह होगा ?

श्री उम्मेद सिंह—वह 13-G की सब क्लाज (q) के आखिर में जुड़ेगा, यह प्रोवाइजो।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस संशोधन का मंशा सिर्फ यह है कि जैसा अभी असेम्बली के एलेक्शन में हुआ था कि लोगों को यह शुबहा हो गया था कि उस दरमियान में जब कि बाक्सेज पुलिस कस्टडी में थे या पुलिस स्टेशन से पुलिस कस्टडी में जाने के दरमियान में थे बहुत गड़बड़ी हुई और अखबारों में भी यह बात आई थी। तो इसको रोकने के लिये और एलेक्शन के खर्चे को बचाने के लिये भी, क्योंकि कार्टेज में पोलिंग बूथ्स और पुलिस कस्टडी में ले जाने के लिये और फिर वहां से रिटर्निंग आफिसर तक ले जाने में खर्चा होता है। तो यदि वह प्रेजाइडिंग आफिसर हो, जैसे ही पोलिंग खत्म हो, एलेक्शन एजेंट्स के सामने या कैंडीडेट्स के सामने फौरन काउंटिंग करा दे और हर एक पोलिंग बूथ पर उसी तरीके से काउंटिंग हो जाय तो यह अच्छा होगा और किसी को शुबहा करने की गुंजाइश नहीं होगी। यह बहुत सीधा साधा संशोधन है जिसका मतलब स्पष्ट है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इसको मान लेने में कोई हर्ज नहीं है।

श्री अध्यक्ष—लेकिन बात यह है कि इसकी तुक कुछ मिलती नहीं दिखाई देती। रलेवेंट तो होना चाहिये। इसकी रेलेवेंसी आप कैसे बताते हैं ?

श्री उम्मेद सिंह—13—G में है कि सरकार नियम बनायेगी कंडक्ट आफ एलेक्शंस के लिये, तो हमारी मंशा यह है संशोधन की, कि उस नियम में यह लाजमी होगा यह बढ़ाना, जैसा कि हमारे संशोधन में है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—आपकी दिक्कत मैं समझ रहा हूं कि वह सही लैंग्वेज में नहीं रखा गया है और फ्रेजियालाजी की गलती है, लेकिन अगर इसके उसूल को माननीय स्वशासन मंत्री मान लें तो वह ठीक हो सकती है। इसमें कोई खराबी नहीं है संशोधन में, लेकिन वह फिट नहीं बैठ रहा है।

श्री अध्यक्ष—मैं तो इसको मानकर चलूंगा कि अगर यह स्वीकार हुआ तो इसकी तुक मिलती है या नहीं, इर्रेलेवेंट तो नहीं होता। लेकिन यह निरर्थक सा है। मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं। बिलकुल निरर्थक है। किसी और जगह आप चाहते तो मैं मूव करने देता, लेकिन यहां बिलकुल निरर्थक मालूम होता है। इसका कोई अर्थ निकलता ही नहीं है। इसलिये आप कृपा करके बैठ जायं।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—मुझे इजाजत है श्री मलखान सिंह जी का संशोधन पेश करने की। उसमें कुछ चेंज कर दिया गया है। अब वह इस प्रकार है—

खंड ९ द्वारा प्रस्तावित नई धारा 13-G के अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्ध जोड़ा जाय —

"Provided that the following measures will be incorporated in making rules regarding the conduct of elections :—

(1) Election agents will be allowed to place check marks against the serial number of votes, exercising their right to vote, in their lists which will be allied with the presiding officer's list at the close of the polling and the differences, if any, recorded.

(2) During lunch interval all ballot boxes will be locked in their respective rooms and police guards will be posted at the entrance of such rooms.

(3) Election agents will be allowed to take down the number of the last voting slip issued just before the close for and recommencement of the polls after the lunch interval as well as just before the close of polls in the evening.

(4) After the ballot boxes are sealed, they will be wrapped up in a cloth-cover and resealed.

(5) Counting of votes, so far as possible, will be done at each booth after the polling on same day.

(6) Wherever counting of votes at booths may not take place on the same day, it will be done the next day. During the night the ballot boxes shall be kept in a room which will be locked up and sealed and the candidates or their agents shall have a right to put their own locks if they so desire and to keep their own seals. The candidates will be alowed to appoint their own guards to keep watch over the place where the boxes are deposited.

(7) A deposit of Rupees three only will be required to challenge a bogus voter."

इसका ८ और ९ नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, यह कई प्रकार के सुझाव इस संशोधन के द्वारा सदन के सामने कांडक्ट आफ एलेक्शंस के संबंध में जो रूल्स बने हैं उनके संबंध में रखे गये हैं। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय उम्मेद सिंह जी ने कहा था पिछले एलेक्शंस में इस बात का शक लोगों को हुआ और अध्यक्ष महोदय आप भी अवगत हैं कि काफी अखबारों में भी इसकी चर्चा हुई कि बाद में सील्स तोड़ डाले गये, लोगों के बाक्सेज के चिन्ह बदल दिये गये और इसकी शंका आम तौर पर एलेक्शंस में हो जाया करती है। अध्यक्ष महोदय, आप भी बहुत से एलेक्शंस में उम्मेदवार रहे होंगे और हमारे विधान सभा के सदस्य भी। लोगों को एक अजीब घबड़ाहट रहती है, पता नहीं ३ दिन के बाद क्या हो। हमारे बैलेट बाक्सेज वहीं पहुंच जायेंगे। सरकारी तरफ के लोग किसी न किसी तरह से ऐसी गड़बड़ी कर दिया करते हैं जिससे कि इन बैलेट बाक्सेज में गड़बड़ी हो जाती है। इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुये एक सुझाव मेरा यह है कि जहां तक मुमकिन हो यह काउंटिंग आफ वोट्स फौरन पोलिंग के बाद ही हो जाय और अध्यक्ष महोदय यह सुझाव अव्यावहारिक इस लिये नहीं है कि म्युनिसिपैलिटीज

[श्री रामनारायण त्रिपाठी]

का एरिया कम्पैक्ट होता है और उसके बूथ पर अगर प्रिसाइडिंग आफिसर को यह अख्तियार दे दिया जाय कि रूल्स के अन्दर जहां पर कि कोई खास दिक्कत न पड़ जाय वहां वहीं काउंटिंग कर दी जाय, तो उसमें जनता की एक बड़ी भारी आशंका निर्मूल हो जाती है। उसके बाद जो भी एलेक्शंस का रिजल्ट होता है कम से कम एलेक्शन की प्रणाली पर किसी को शक करने का अधिकार नहीं रहता।

अध्यक्ष महोदय, जैसा कि इस सदन में बार बार यह कहा गया है कि डिमोक्रेसी में सिस्टम आफ वोटिंग और एलेक्शन के जो तरीके अपनाये जायं उन पर जनता का विश्वास होना बहुत ही जरूरी है। अध्यक्ष महोदय, चूंकि हमारे दल की तरफ से संशोधन उपस्थित किया गया है, इसलिये हम क्रांतिकारी या रेवोल्यूशनरी होने का दावा नहीं करते है परन्तु माननीय स्वशासन मंत्री जी भी जानते हैं और इस सदन के माननीय सदस्य भी जानते हैं कि जो मौजूदा टाउन एरियाज ऐक्ट है, और जो संशोधन के लिये सदन के सामने आने वाला है, उसमें भी यह प्राविज़न है कि आवश्यकतानुसार उसी जगह पोलिंग के बाद काउंटिंग आफ वोट्स हो सकती है। उसमें एक तो जो शंका लोगों को होती है वह निर्मूल हो जाती है, दूसरे सरकार का बहुत सा खर्चा बच जाता है और जो पुलिस गार्ड्स का इंतजाम करना पड़ता है और जो तमाम दिक्कतें बैलेट बाक्सेज को ले जाने में उठानी पड़ती हैं; उनसे बचत हो जाती है। तो पहला सुझाव तो अध्यक्ष महोदय यह है।

दूसरा सुझाव, अध्यक्ष महोदय, यह है कि उस दिन शाम को यदि काउंटिंग न हो सके और देर हो जाय तो फिर एक प्रासेस इसमें और बताया गया है और वह प्रासेस यह है कि हर पार्टी के उम्मीदवार को या उसके एलेक्शन एजेंट को बतला दिया जाय कि किस रूम में बैलेट बाक्सेज रखे जायेंगे और जब बैलेट बाक्सेज उस रूम में रख दिये जायं, तो फिर कोई भी उम्मीदवार, चाहे वह किसी पार्टी का हो, अगर वह चाहे तो उस रूम में अपना भी डबल लाकिंग कर सके। अगर एक ही लाक की गुंजाइश हो तो वह उसमें अपनी सील लगा सके ताकि दूसरे दिन उसको इस बात का पूरा विश्वास रहे कि रात में कोई गड़बड़ी नहीं की गयी। इन बातों की तरफ जब मैं इशारा करता हूं तो मेरी यह कतई मंशा नहीं है कि सरकार स्वशासन मंत्री या उनके दल के लोग टेम्परिंग करेंगे। अध्यक्ष महोदय, जहां तक नीचे तब्के के सरकारी कर्मचारियों का हाल है, आम तौर पर यह बात मानी जाती है कि हमारी सोसाइटी पर्फेक्ट नहीं है, उसमें करप्शन है और यह संभावना है कि कांग्रेस के दल के नहीं, सोशलिस्ट पार्टी के दल के नहीं, ऐसे लोग जो रुपया वाले है, पैसा वाले हैं वे उनको इल्लीगल ग्रैटिफिकेशन देकर इस बात की कोशिश कर सकते है कि टेम्परिंग हो जाय। अध्यक्ष महोदय, ऐसी भी मिसालें हमारे सामने पिछले दिनों में आयी हैं कि प्रेसाइडिंग आफिसर या जो पुलिस गार्ड थी उसकी कनाईवेंस से बैलेट बाक्सेज चोरी चले गये और लोग उठा कर भाग गये क्योंकि उम्मीदवार को शक था कि वह नहीं जीतेगा और जब बैलेट बाक्सेज नहीं मिलेंगे चोरी चले जायेंगे तो उसका नतीजा यह होगा कि फिर से चुनाव होगा और फिर हम अपनी किस्मत आजमायेंगे।

उसके बाद इसमें यह फिर प्रार्थना की गई है कि अगर इतने से संतोष न हो तो अधिकार होना चाहिये तमाम पार्टीज के लोगों को कि यदि वे चाहें तो अपने भी आदमी वहां पर रात में रख सकें। जहां तक मेरा ख्याल है, सरकार को इसमें कोई आपत्ति नहीं है लेकिन जहां तक मैंने रेप्रेजेन्टेशन आफ पीपुल्स ऐक्ट को अध्ययन किया है उसमें कोई इसकी गुंजाइश तो नहीं है लेकिन ऐसी मिसालें हमारे सामने आयी हैं कि रात में पोलिटिकल पार्टीज के लोगों ने इस बात की कोशिश की कि वे बैलेट बाक्सेज की निगरानी करें और उसमें उनको कोई रुकावट नहीं डाली गयी और इस बात की उनको इजाजत थी कि वे यदि चाहें तो रात में अपना पहरा दें। लेकिन चूंकि ऐसी व्यवस्था किसी एलेक्शन नियम में नहीं थी इसलिये यह तो केवल उसी की गुड विल पर था जो आफिसर ऐट दी स्पाट था कि यदि वह चाहे तो इसकी इजाजत दे और यदि न चाहे तो न दे।

माननीय स्वशासन मंत्री ने यह कहा कि उन्होंने रेप्रेजेन्टेशन आफ पीपुल्स ऐक्ट के अनुसार ही तमाम दिक्कतें दूर करने के लिये इस विधेयक को उपस्थित किया है। उसमें हम अवश्य मानते हैं कि बोगस वोटर्स को चैलेंज करने के लिये दस रुपये की बात है। लेकिन दस रुपया सचमुच किसी गरीब उम्मीदवार के लिये बहुत अधिक है। यदि उसके लिये दस बोगस वोटर्स को चैलेंज करने की बात आयेगी, तो सौ रुपया हो जायेगा और यह बहुत अधिक है। दूसरी तरफ यह भी दलील है कि अगर इसके लिये एक रुपया या फ़्री कर दिया जाय तो, उसमें भी दिक्कतें हो सकती है, क्योंकि अगर ऐसा कर दिया जायगा तो लोग अनावश्यक तरीके से इस बात की कोशिश करने लगेंगे कि हर वोटर के लिये नहीं तो बहुत से वोटरों पर इस बात का एतराज़ कर दिया जाय कि वे बोगस वोटर्स हैं। इन खराबियों को ध्यान में रख कर और इसकी व्यवहारिता को ध्यान में रख कर तीन रुपये की इस संशोधन में व्यवस्था की है कि तीन रुपया ही जरूरी समझा जाय जब कि बोगस वोटर्स के चैलेंज का सवाल हो। हम यह भी समझते हैं कि यह एक मेरा मुनासिब सुझाव है।

अध्यक्ष महोदय, नम्बर ४ पर अगर आप गौर करें तो पिछली मर्तबा बैलेट बाक्सेज़ की सीलिंग का जो सवाल है, सीलिंग करने की व्यवस्था थी, लेकिन आमतौर पर एतराज़ उठाये गये और अध्यक्ष महोदय, आप को मालूम है कि ऐसे भी एतराज़ उठाये गये कि बैलेट बाक्सेज़ इस किस्म के बनाये गये थे जो कि बिना सील ब्रेक किये हुये तोड़े गये और बहुत से लोगो ने इस बात पर दावा किया कि अगर ऐसा न होता तो फलां उम्मीदवार नहीं जीतता। अध्यक्ष महोदय, मैं इसकी मेरिट्स पर नहीं जाना चाहता, कोई केस हमारे सामने नहीं है लेकिन कम से कम यह जो मेरा सुझाव नम्बर ४ है, इसमें अगर क्लाथ कवर की व्यवस्था की जाय तो अध्यक्ष महोदय, जहां तक मेरी जानकारी है कि जब एलेक्शन हो रहे थे तो हमारे सूबे में दो तीन दिन पहले एलेक्शन कमीशन के शुरू एलेक्शन आफिसर के पास इस बात की खबर भेजी गई, तमाम रिटर्निंग आफिसर्स और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स को कि अगर कोई कैन्डीडेट या उसका एजेन्ट अगर चाहे तो कपड़े के थैलों में अपने डिब्बे को बन्द कर लें और सील करना चाहें तो उसमें कोई रुकावट नहीं डाली जायगी। तो यह मेरा सुझाव कोई नया नहीं है बल्कि उसी लाइन पर है जैसा सरकुलर हुआ था। हो सकता है कि इसकी व्यवस्था रिप्रेजेन्टेशन आफ पीपुल्स ऐक्ट में न हो लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि कमसे कम माननीय स्वशासन मंत्री जी को जिनका कि अधिकांश समय चुनाव में बीता है, इस बात की जानकारी जरूर होगी कि यह कपड़े के थैलों से सील करने की व्यवस्था एलेक्शन कमीशन ने मान ली है। अध्यक्ष महोदय, एक बात पिछली मर्तबा एलेक्शन के ज़माने में हमारे नोटिस में आई थी कि कोई ऐसी व्यवस्था रूल्स में नहीं थी कि अगर हम किसी वक्त जानना चाहें कि किस नम्बर से किस नम्बर तक की वोटिंग हो गई है। तो यह किसी तरह से नहीं मालूम हो सकता था क्योंकि इसकी कोई व्यवस्था नहीं थी।

श्री अध्यक्ष—माननीय सदस्य समय काफ़ी लेंगे ?

श्री रामनारायण त्रिपाठी—अभी कुछ समय लगेगा।

श्री अध्यक्ष—आप कल अपना भाषण जारी रखेंगे।

उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (संशोधन) विधेयक, १९५२ पर विवादार्थ समय निर्धारित करने के सम्बन्ध में संकल्प की सूचना

श्री अध्यक्ष—मैं सदन को एक सूचना दे देना चाहता हूं। माननीय स्वशासन मंत्री जी ने एक संकल्प हमारे पास भेजा है जोकि इस सदन में पेश करना चाहते है, उसकी सूचना मैं आपको आज दे देता हूं।

[श्री अध्यक्ष]

यह सदन संकल्प करता है—

प्रथम यह कि उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (संशोधन) विधेयक १९५२ के संबंध में चाहे जिस प्रकार का भी प्रस्ताव हो, उस पर कोई भी भाषण १० मिनट से अधिक न हो सकेगा।

दूसरे यह कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया नियमावली के नियम ११४, ११५ और ११६ के साथ पढ़े जाकर नियम १११ के अधीन शेष खंडों पर खंडानुसार बहस १९ दिसम्बर, १९५२ की बैठक के अन्त में समाप्त हो जायगी।

और उस दिन की समाप्ति पर ऐसे सब खंड जो उस दिन न लिये जा सके हों और उनसे सम्बद्ध वे संशोधन जिनके प्रस्तुत किये जाने की इच्छा कोई सदस्य प्रकट करें, बिना किसी बहस के मतदान के लिये उपस्थित किये जायंगे।

अन्ततः उपर्युक्त नियमावली के नियम ११८ के अन्तर्गत आने वाले विषय की बहस के लिये सदन की बैठक शनिवार, २० दिसम्बर, १९५२ को होगी जिसके अन्त में विधेयक मतदान के लिये उपस्थित कर दिया जायगा।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि—

(क) किसी खंड में शाब्दिक अथवा आनुषंगिक संशोधन उस प्रकार लिया जा सकता है जैसा कि अध्यक्ष निर्दिष्ट करें,

(ख) अध्यक्ष को अधिकार होगा कि प्रत्येक खंड या कई खंडों से संबंध रखने वाले संशोधनों को चुनकर एकत्रित कर दें।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—आन ए प्वाइंट आफ आर्डर (विधान का प्रश्न है।) रूल ७३ में नोटिस का रेजोल्यूशन······

श्री अध्यक्ष—इसके लिये तो मैंने कहा कि कल अगर कोई आपको आपत्ति हो तो उठा सकते हैं।

श्री राजनारायण—जी, हां लेकिन·······

श्री अध्यक्ष—मैंने आपसे कहा कि यह संकल्प तो मैंने इसलिये आज पढ़ कर सुना दिया कि आप इसके लिये तैयार रहें।

श्री राजनारायण—इसकी प्रतिलिप हम लोगों को नहीं मिली है वह मिल जानी चाहिये।

श्री अध्यक्ष—हां, प्रतिलिप आप को मिल जायगी।

(इसके बाद सदन ५ बज कर २ मिनट पर अगले दिन ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

कैलास चन्द्र भटनागर
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
१८ दिसम्बर, १९५२।

पी० एस० यू० पी० ए० पी०—१४४ एल० ए०—१९५२—८५०

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, १९ दिसम्बर, १९५२

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३६३)

अक्षयवर सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतहर हुसैन ख्वाजा, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अब्दुल रऊफ़ खां, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अली ज़हीर, श्री सैयद
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतज़ा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उमाशंकर , श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेद सिंह, श्री
उल्फत सिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
करन सिंह, श्री
कल्याण राय, श्री
कामता प्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
किन्वर लाल, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केवल सिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशप्रकाश , श्री
खयालाराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरुप्रसाद पांडेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गेंदा सिंह, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गोबिन्दवल्लभ पन्त, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्याम दास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री

चन्द्रपाल वाजपेयी, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रभानु शरण सिंह, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्र सिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चरण सिंह, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ बख्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगपति सिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री
जुगलकिशोर, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
झारखंडे राय, श्री
टीकाराम, श्री
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तुलसीराम, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दीनदयालु शर्मा श्री,
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवराम, श्री
द्वारकाप्रसाद मौर्य, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्म सिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थू सिंह, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाज़िम अली, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नारायणदीन, श्री
निरंजन सिंह, श्री
निहालुद्दीन, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरी राम, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री

पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनविहारी बनरजी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभुदयाल, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फतेह सिंह राणा, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बलदेव सिंह, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बलवीर सिंह, श्री
बलवन्त सिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बाबूलाल मील, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बिशम्भर सिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनी सिंह, श्री
बैजनाथ प्रसाद सिंह, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवान सहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भूपाल सिंह खाती, श्री
भोला सिंह यादव, श्री
मक़सूद आलम खां, श्री
मंगला प्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महादेव प्रसाद, श्री
महाराज सिंह, श्री
महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिजाजी लाल, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुज़फ़्फ़र हसन, श्री
मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक़ अली खां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ़, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद शाहिद फाखरी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहन सिंह शाक्य, श्री
यमुना सिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथ प्रसाद, श्री
रघुराज सिंह, श्री
रघुवीर सिंह, श्री
रणञ्जय सिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री

रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राघवेन्द्रप्रताप सिंह, राजा
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
रामग्रधार तिवारी, श्री
रामग्रधीन सिंह यादव, श्री
रामग्रनन्त पांडेय, श्री
रामग्रवध सिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास ग्रार्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनाथ तिवारी, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसाद सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीरमण ग्राचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लताफत हुसैन, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लीलाधर ग्रष्ठाना, श्री
लुत्फ ग्रली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वशिष्टनारायण शर्मा, श्री
वसी नक़वी, श्री
वासुदेव मिश्र, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती

विश्वनाथ सिंह गौतम, श्री
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रनाथ मिश्र, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेंद्रविक्रम सिंह, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासीलाल, श्री
व्रजविहारी मिश्र, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदान सिंह, श्री
शिवनारायण , श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराजवली सिंह, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवरामराय, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुकदेवप्रसाद, श्री
शुगनचन्द्र, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द , श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथ राम, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सईद जहां मख़फी शेरवानी, श्रीमती
संग्राम सिंह, श्री
सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायण दत्त, श्री
सत्य सिंह राणा, श्री
सत्यानन्द, श्री
सफिया अब्दुल वाजिद, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुन्दरलाल, श्री
सुरजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्य्यवली पांडेय, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आज़मी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरखयाल सिंह, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरगोबिन्द सिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिश्चन्द्र वाजपेयी, श्री
हरिसिंह, श्री
हुकुम सिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुना , श्री

प्रश्नोत्तर

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

*१--श्री द्वारिका प्रसाद पांडेय (जिला गोरखपुर) (अनुपस्थित)--[देखिये आगे पृष्ठ २८३ पर]

चीनी की मिलों के चलने में विलम्ब

*२--श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)--क्या सरकार कृपा कर बतलायेगी कि प्रदेश की कौन चीनी मिल किस-किस तारीख से इस वर्ष चल रही है ?

उद्योग मंत्री (श्री हुकुम सिंह)--इस वर्ष दिसम्बर ११, १९५२ तक कुल ४० मिलें चली हैं। इनके चलने की तिथि नत्थी तालिका में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ३५६ पर)

*३--श्री गेंदा सिंह--कितनी चीनी मिल ऐसी है जो अभी तक नहीं चल रही है ? वे कब से चलेंगी और क्या ऐसी मिलें भी हैं जो इस वर्ष चलेंगी ही नहीं ?

श्री हुकुम सिंह--२६ चीनी मिल ११ दिसम्बर, १९५२ तक नहीं चली हैं। इनके चलने की तारीख की सूचना सरकार के पास नहीं है। जो ६६ मिलें पिछले वर्ष चली थीं उन सबके इस वर्ष भी चलने की पूर्ण संभावना है।

श्री भगवान सहाय (जिला शाहजहांपुर)--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि कितनी ऐसी मिलें हैं जो इस साल नहीं चलेंगी ?

श्री हुकुम सिंह--मैंने जवाब दिया कि जो ६६ चली थीं उन सबकी चलने की संभावना है।

श्री गेंदा सिंह--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि इस वर्ष नार्मल सीजन कितने दिन का रक्खा गया है ?

श्री हुकुम सिंह--इसके लिये नोटिस की जरूरत है।

श्री गेंदा सिंह--क्या माननीय मंत्री को मालूम है कि पिछले साल से आज की तारीख से पहले कई मिलें चल रही हैं ?

श्री हुकुम सिंह--जी हां, खबर है।

श्री गेंदा सिंह--क्या सरकार को इस बात की खबर है कि इस वर्ष मिलों के पेरने से कुछ गन्ना बाकी रह जायगा ?

श्री हुकुम सिंह--इसकी कोई खबर हमें नहीं है।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)--क्या उद्योग मंत्री बतलायेंगे कि गत वर्ष देवरिया शुगर मिल वक्त से पहले बन्द हो गई जिससे बहुत सी ईख खेतों में सूख गई ?

श्री हुकुम सिंह--ऐसी कोई सूचना मुझे नहीं है।

श्री श्रीचन्द (जिला मुजफ्फरनगर)--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस वर्ष मिलें चलाने में देर क्यों हुई ?

श्री हुकुम सिंह--बहुत सी दिक्कतें हैं। पारसाल की माली दिक्कतें अब भी हैं।

श्री शिवकुमार शर्मा (जिला बिजनौर)--क्या सरकार बतलायेगी कि मिलों की दवाव नीति के कारण सरकार के ऊपर यह दबाव पड़ रहा है कि काश्तकारों के पेमेंट करने के लिये सरकार मिलों को बाध्य न करें ?

श्री हुकुम सिंह--ऐसी तो कोई बात मालूम नहीं होती।

श्री भगवान सहाय--क्या माननीय मंत्री जी को इस बात का पता है कि पारसाल तीन चीनी मिलें नहीं चली थीं ?

श्री हुकुम सिंह--मैं इसका पता इस समय नहीं दे सकता हूं।

श्री भगवान सहाय--क्या सरकार इसके लिये आखिरी तारीख निश्चित करेगी कि इस वक्त तक चीनी मिलें चालू कर दी जाया करें ?

श्री हुकुम सिंह--जब नहीं चलायेंगे तो जरूर तहकीक करूंगा।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)--क्या माननीय मंत्री जी को यह सूचना मिली है कि सरकार की आज्ञा के विरुद्ध जिला मैजिस्ट्रेटों ने गुड़ के आयात और निर्यात पर रोक लगा दी है ?

श्री हुकुम सिंह--नहीं।

हेल्थ आफिसर जौनपुर के तबादले की सिफारिश

*४--श्री बाबूनन्दन (जिला जौनपुर)--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जौनपुर डि० बो० ने अपनी गत बैठक में डि० हेल्थ आफिसर के चेचक संबंधी गलत रिपोर्ट देने के कारण असंतोष का प्रस्ताव करके तबादिले के लिये सिफारिश की है ?

अन्न मंत्री के सभा सचिव (श्री बनारसी दास)--जिला बोर्ड जौनपुर ने एक प्रस्ताव स्वीकार किया कि वर्तमान जिला स्वास्थ्य अधिकारी को उनका कार्य ठीक न होने, लापरवाह तथा सुस्त होने के कारण स्थानान्तर कर दिया जाय।

*५--श्री बाबूनन्दन--यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बनारसी दास--जिला बोर्ड ने प्रस्ताव को संचालक, चिकित्सा तथा स्वास्थ्य विभाग के पास नहीं भेजा। इस लिये कोई कार्यवाही नहीं हुई।

श्री बाबूनन्दन--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि हेल्थ आफिसर की सुस्ती और लापरवाही के संबंध में ऊंचे पदाधिकारियों के पास सूचना क्यों नहीं भेजी गई ?

श्री बनारसीदास--जैसा कि पहले कहा गया है कि इस प्रस्ताव की सूचना देने का फर्ज प्रेसीडेंट डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का था कि वह इसकी सूचना संचालक के पास भेजते। लेकिन ऐसी कोई सूचना उनके पास नहीं भेजी गई ।

श्री बाबूनन्दन--क्या हेल्थ आफिसर जौनपुर का कार्यकाल समाप्त हो गया है और उनको तौसीअ दी गई थी ?

श्री अध्यक्ष--यह तो आप व्याख्यान सा दे रहे हैं। आप सवाल अलग-अलग कर के पूछिये।

श्री बाबूनन्दन--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर के हेल्थ आफिसर का कार्यकाल समाप्त हो गया है?

श्री बनारसीदास--जी हां, इस वक्त वह रिइम्प्लायड है।

श्री बाबूनन्दन--यदि हां, तो उनका कार्यकाल कब समाप्त होता है?

श्री बनारसीदास--यह तो उत्तर दिया गया है कि उनको रिइम्प्लायड किया गया है। अभी ऐसा प्रश्न नहीं है कि उनको आगे वृद्धि दी जायगी या नहीं।

जौनपुर जिले में प्लेग का प्रकोप

*६--श्री बाबूनन्दन--क्या सरकार को मालूम है कि जौनपुर जिले में प्लेग का प्रकोप बढ़ रहा है? यदि हां, तो उसके लिये क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्री बनारसीदास--ताऊन के शुरू होने की सूचना जौनपुर जिले से संचालक, चिकित्सा तथा स्वास्थ्य विभाग को नहीं मिली। इसकी जांच की जा रही है।

श्री गेंदा सिंह--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार के पास सीधी कोई ऐसी व्यवस्था है कि महामारी के संबंध में रिपोर्ट मिल जाया करे।

श्री बनारसीदास--जी नहीं।

तारांकित प्रश्न

सिकन्दराराऊ (अलीगढ़) में दूकानदारों की हड़ताल

*१--श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि २१ सितम्बर, १९५२ को सिकन्दराराऊ (अलीगढ़) में दूकानदारों ने हड़ताल की थी? यदि हां, तो इसका क्या कारण था?

गृह मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)--सिकन्दराराऊ (अलीगढ़) में २१ सितम्बर, १९५२ को कुछ दूकानदारों ने थोड़े समय के लिये अपनी दूकानें बन्द रक्खीं। कारण यह था कि दूकानदार भगवती प्रसाद हजारी लाल जिनकी दूकान में चोरी हुई थी सिकन्दराराऊ अस्पताल के एक चौकीदार को जिस पर वे शक करते थे, पुलिस द्वारा पकड़वाना चाहते थे, पर प्रमाण न मिलने के कारण पुलिस ने उसे नहीं पकड़ा। इस पर उक्त दूकानदारों ने हड़ताल कराने का प्रयत्न किया जो असफल रहा। ११ बजे दिन के पश्चात् सभी दूकानें खुल गईं।

सिकन्दराराऊ (अलीगढ़) की पुलिस व छात्रों के बीच तनातनी

*२--श्री नेकराम शर्मा--क्या सरकार को मालूम है कि सिकन्दराराऊ की पुलिस ने सिकन्दराराऊ के एक छात्र को बुरी तरह पीटा था? यदि हां, तो सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--हेड कान्सटेबुल टीकाराम ने एक छात्र को पीटा था। उसको मुअत्तल कर दिया गया है और उसके विरुद्ध वैभागिक कार्यवाही की जा रही है।

श्री नेकराम शर्मा--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि पुलिस और छात्रों के बीच जो यह मनमुटाव पाया जाता है उसको दूर करने के लिये सरकार ने क्या हिदायत जारी की है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—यह तो वैभागिक प्रश्न है और इसके संबंध में इस समय कोई उत्तर देना संभव नहीं है।

श्री गेंदा सिंह—क्या माननीय पुलिस मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि पुलिस और छात्रों के बीच में रिश्ता खराब है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—आमतौर पर तो यह नहीं है परन्तु कुछ जगहों में ऐसी दुर्घटनायें हो गई जिससे मालूम होता है कि उन जगहों में कम से कम कुछ समय के लिये संबंध बहुत अच्छे नहीं रहे।

श्री गेंदा सिंह—क्या माननीय पुलिस मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि वह कौन-कौन से जिले हैं?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—पिछले २-४ महीनों के अन्दर ऐसी घटनायें फर्रुखाबाद में हो गयीं जिसका जिक्र अखबारों में आप लोगों ने देखा होगा। रायबरेली में कुछ थोड़ी सी हुई और कुछ बनारस में हुई। अब तो इन तीन जगहों की ही याद पड़ती है।

श्री नेकराम शर्मा—क्या यह सच है कि उस छात्र को पुलिस गिरफ्तार कर के थाने में ले गयी और वहां उसको ४-५ घंटे के बाद छोड़ा था?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—एक दिन नहीं दो दिन तक उसको थाने में ले जाया गया और वहां पर उससे कुछ सवाल किये गये।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य (जिला मथुरा)—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जिस कांस्टेबिल की ज्यादती पाई जाती है उसके ऊपर कोर्ट में मुक़दमा चलाने का सरकार विचार करती है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मैंने जवाब में बतला दिया कि उसको मुअत्तिल कर दिया गया है और इसके बाद जो वैभागिक कार्यवाही की जायगी वह काफी है।

सिकन्दराराऊ (अलीगढ़) में चोरी तथा गिरहकटी

*३—श्री नेकराम शर्मा—क्या सरकार बतलायेगी कि सिकन्दराराऊ में १७ व १८ सितम्बर, १९५२ को चोरी और जेबकटी की कितनी घटनाएं पुलिस द्वारा चालान की गयीं?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—एक भी नहीं।

*४—श्री गेंदा सिंह—[२५ दिसम्बर, १९५२ के लिये संख्या ११ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

प्रदेश की जेलों में कैदियों से लिये जाने वाले

*५—श्री बाबूनन्दन—क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश की जेलों में क़ैदियों से पायखाना फेंकवाया (कमवाया) जाता है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां, परन्तु यह काम केवल भंगियों और डोमों से लिया जाता है और जहां ऐसे कैदी नहीं होते वहां बाहर के मेहतर नौकर रक्खे जाते हैं।

*६—श्री बाबूनन्दन—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जौनपुर ज़िले में क़ैदियों से क़ौन-क़ौन सा कार्य दस्तकारी सम्बन्धी कराया जाता है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जौनपुर जिला जेल में कैदियों से मूंज के बान और फ़र्श, सूत की दरियां और निवाड़ बनवाई जाती हैं।

श्री बाबूनन्दन—क्या मंत्री जी कृपा करके बतलावेंगे कि जौनपुर जेल में कुल कितने कैदी हैं और कुल कितने दस्तकारी का काम करते हैं?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जौनपुर जेल में सन् ४९ में ११३.१६ क़ैदी थे और उनमें से १५.८६ कारख़ानों में काम करते थे, सन् ५० में १२१.६ क़ैदी थे और १२.९४ कारखानों में काम करते थे, सन् ५१ में १२३.०८ कुल क़ैदी थे और १५.५६ कारख़ानों में काम करते थे।

श्री बाबूनन्दन—क्या मंत्री जी कृपा करके बतलावेंगे कि ऐसे क़ैदी जो जेल में दस्तकारी सीख लेते हैं उनको वहां से निकलने पर उद्योग-धंधों में श्रीमान् जी सहायता दिलावायेंगे?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इस काम के लिये जो एक सोसाइटी उत्तर प्रदेश में कायम है वह इस तरह के दस्तकारी सीखे हुए कैदियों की मदद करती है और उनके लिये कोशिश करती है।

श्री मुहम्मद शाहिद फ़ाखरी (जिला गोंडा)—क्या मंत्री जी मेहरबानी करके बतलावेंगे कि जेल के जो क़ैदी अच्छा काम करते हैं, उनके अच्छा काम करने के सिलसिले में उनकी क़ैद में कुछ कमी की जाती है या की जायगी?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां, और क़ैदियों की अपेक्षा उनको रेमिशन ज्यादा मिल जाता है।

*७-८—श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)—[२६ दिसम्बर, १९५२ के लिये स्थगित किये गये।]

जिला बोर्डों के अध्यापकों का वेतन

*९—श्री रमेश वर्मा (जिला आगरा)—क्या शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि किन-किन जिला बोर्डों ने कब से अध्यापकों को नये स्केल के अनुसार वेतन दिया और क्या ऐसे जिला बोर्ड हैं जिन पर अध्यापकों का वेतन बक़ाया (arrears) है?

शिक्षा मंत्री के सभा सचिव (डाक्टर सीताराम)—सूचना एकत्रित की जा रही है।

श्री रमेश वर्मा—क्या शिक्षा मंत्री जी को अध्यापकों की ओर से शिकायतें मिली हैं कि उन्हें नए स्केल के अनुसार वेतन नहीं दिया जा रहा है?

शिक्षा मंत्री (श्री हरगोविन्द सिंह)—हां, बहुत से जिलों में नहीं दिया गया है।

श्री रमेश वर्मा—क्या सरकार की ओर से कोई ऐसा जी० ओ० भेजा गया है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड जब से चाहें तब से नए स्केल के अनुसार वेतन अध्यापकों को दें?

श्री हरगोविन्द सिंह—सरकार की ओर से एक सर्कुलर भेजा गया है कि अगर उनकी आर्थिक दशा ठीक हो तो वह दे सकते हैं और अगर ठीक नहीं है तो न दें, सरकार उनको बाध्य नहीं करती।

श्री रमेश वर्मा—क्या यह सही है कि कुछ जिलों के बोर्डों ने अप्रैल, सन् १९४९ से अध्यापकों को नए स्केल के अनुसार वेतन दिया है और कुछ अब तक नहीं दे रहे हैं?

श्री हरगोविन्द सिंह—हां, यह हो सकता है।

श्री शिवकुमार शर्मा—क्या सरकार कृपा करके बतावेगी कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के प्रति सरकार ने यह नीति कब से अख्तियार की है?

डाक्टर सीताराम—१-४-४६ को पहला सर्कुलर भेजा गया था।

*१०-११—श्री रमेश वर्मा—[६ जनवरी, १६५३ के लिये स्थगित किये गये।]

इटावा में राजनीतिक पीड़ित परिवारों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां

*१२—श्री गजेन्द्र सिंह (जिला इटावा)—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि इटावा जिले में गत वर्ष व इस वर्ष कितने राजनीतिक पीड़ित परिवारों के विद्यार्थियों को वजीफ़े दिये गये? उनके नाम और पते क्या हैं?

डाक्टर सीताराम—इटावा जिले के जिन छात्रों को गत वर्ष तथा इस वर्ष राजनीतिक पीड़ितों की छात्रवृत्तियां आदि दी गई हैं उनकी एक सूची माननीय सदस्य की मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ. ३५८ पर)

श्री गजेन्द्र सिंह—क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतावेंगे कि इस साल इटावा जिले से कितनी दरख्वास्तें राजनीतिक पीड़ितों की छात्रवृत्तियां प्राप्त करने के लिये आई हैं?

श्री हरगोविन्द सिंह—बहुत सी आई हैं, उनका अनुमान देना तो कठिन है।

श्री गजेन्द्र सिंह—जिनको इस साल वजीफ़े दिये गये थे वे किस मैरिट पर दिये गये?

डाक्टर सीताराम—वहां के प्रिंसिपल महोदय की सिफ़ारिश पर कि वे लोग पढ़ने-लिखने में अच्छे हैं, उस आधार पर दिया गया है।

श्री गजेन्द्र सिंह—क्या अधिकतर छात्रवृत्तियां कांग्रेस वालों को ही दी जाती हैं?

श्री हरगोविन्द सिंह—नहीं, यह आरोप ग़लत है।

उच्च माध्यमिक शिक्षा संस्थाओं के सुप्रबन्ध के लिये समिति

*१३—श्री राजनारायण (जिला बनारस)—क्या यह सही है कि सन् १६४७ में सरकारी सहायता प्राप्त उच्च माध्यमिक शिक्षा संस्थाओं के सुप्रबन्ध के सम्बन्ध में सुझाव देने के लिये एक समिति श्री रघुकुल तिलक की अध्यक्षता में नियुक्त की गयी थी?

डाक्टर सिताराम—जी हां।

*१४—श्री राजनारायण—क्या सरकार को पता है कि उक्त समिति की रिपोर्ट अभी तक सदन के सामने नहीं रखी गयी है?

डाक्टर सीताराम—जी हां, इसकी आवश्यकता नहीं समझी गयी।

श्री राजनारायण—क्या माननीय मंत्री जी आगे सदन के सामने रखने की आवश्यकता समझते हैं?

श्री हरगोविन्द सिंह— जी नहीं।

स्वीकृत धनराशि न पाने वाले स्कूल तथा कालेज

*१५—श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी—क्या सरकार एक सूची सूबे भर के उन स्कूलों व कालेजों की मेज पर रखेगी जिनको नवम्बर के अन्त तक मंजूरशुदा ग्रांट-इन-एड (grant-in-aid) नहीं दी गयी है ?

डाक्टर सीताराम—सूचना एकत्रित की जा रही है।

श्री मुहम्मद शाहिद फ़ाखरी—क्या आनरेबिल मिनिस्टर मेहरबानी करके बतावेंगे कि यह सूचना वह कब तक इकट्ठा कर लेंगे और इस सेशन में उसे मेज पर रख सकेंगे या नहीं ?

श्री हरगोविन्द सिंह—यह बताना कठिन सा है, बहुत से स्कूल हैं और उनका सब जगह का टोटल लगाना है।

श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी—सूचना इकट्ठा करने में जो देर लगेगी क्या उससे यह डर है कि किन्हीं स्कूलों या कालेजों की ग्राण्ट-इन-एड बन्द हो जाय ?

श्री हरगोविन्द सिंह—नहीं।

श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी—क्या माननीय मंत्री जी फरमायेंगे कि अब भी कुछ ऐसे स्कूल हैं जिन्हें ग्राण्ट-इन-ऐड नहीं मिल रही है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—हो सकता है।

*१६—श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी—क्या गवर्नमेंट बतलायेगी कि ग्रांट-इन-एड उन स्कूलों और कालिजों को अब तक न देने का क्या कारण है ?

डाक्टर सीताराम—उपर्युक्त प्रश्न का जब पूर्ण उत्तर दिया जायगा तो प्रत्येक स्कूल को अनुदान न मिलने के कारण भी बताए जायंगे।

*१७—श्री रामलखन मिश्र (जिला बस्ती)— [९ जनवरी, १९५३ के लिये स्थगित किया गया।]

नैपाल सरहद-स्थित थानों के अन्तर्गत हत्याओं में बढ़ती

*१८—श्री रामलखन मिश्र—क्या सरकार को ज्ञात है कि नैपाल सरहद-स्थित थानों में हत्या की संख्या बढ़ाने में नैपाल सरहद-स्थित अपराधी फरारों, हिरासत राजनीतिज्ञों का भी हाथ है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—गोरखपुर जिले में स्थित सरहदी थानों में इस प्रकार की कुछ घटनायें अवश्य हुईं। शेष सरहदी थानों में ऐसे लोगों का कोई हाथ नहीं था।

श्री रामलखन मिश्र—क्या आदरणीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि सुरक्षा योजना क्या बनाई गई ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—पुलिस की चौकियां वहां कायम की गई हैं। वे बराबर देखरेख रखती हैं ? मैं समझता हूं कि वह इसके लिये काफी हैं ?

[अनुपस्थित सदस्य का अल्प सूचित तारांकित प्रश्न]

कोयले के एजटों की सूची

*१—श्री द्वारिकाप्रसाद पांडेय (अनुपस्थित)—क्या अन्न मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि २७ नवम्बर, १९५२ को उनके विभाग से कोई विज्ञप्ति प्रकाशित कर सभी सरकारी विभागों को सूचना दी गयी है कि वे केवल १५ फ़ार्मों से कोयला खरीदें? यदि हां, तो इन फ़ार्मों को किस आधार पर चुना गया है? क्या इनसे कोई नक़दी या किसी अन्य रूप में जमानत ली गयी है?

श्री बनारसी दास—जी हां। दिनांक २७ नवम्बर, १९५२ को एक विभागीय गश्ती पत्र द्वारा सरकारी विभागों को सूचना दी गई है कि वे कोयले की परमिट कुछ निर्दिष्ट कोयले के एजेंटों को ही दे सकते हैं। इन निर्दिष्ट कोयले के एजेंटों की सूची का आधार पूर्व वर्षों में उत्तर प्रदेश को कोयले लाने के आंकड़े रहे हैं। उनसे कोई जमानत नहीं ली गई है।

अतारांकित प्रश्न

जिला मुरादाबाद में कत्ल तथा डकैतियां

१—श्री जगदीशप्रसाद (जिला मुरादाबाद)—क्या सरकार बतायेगी कि पिछले दो वर्षों में जिला मुरादाबाद में प्रतिवर्ष कितने क़त्ल, तथा डकैतियां हुईं? उनमें कितनों की जांच तथा मुक़दमों में पुलिस सफल हुई तथा कितने मुक़दमे चल रहे हैं?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मांगी हुई सूचना साथ में नत्थी नक्शे में देखी जा सकती है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ३५९ पर)

राज्य में बालक अधिनियम का लागू होना

२—श्री देवकीनन्दन विभव—क्या शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इस प्रदेश में Children's Act (बालक अधिनियम) कब से लागू किया जायगा?

श्री हरगोविन्द सिंह—अभी बालक अधिनियम के अधीन नियम बनाये जा रहे हैं जिसमें कुछ समय लगेगा। नियम बन जाने पर अधिनियम को लागू करने के दिनांक का निश्चय किया जायगा।

शरणार्थी स्थायी समिति के लिये नाम निर्देशित सदस्यों के नामों की घोषणा

श्री अध्यक्ष· ार्थी स्थायी समिति के लिये जो नामांकन प्राप्त हुये हैं वे निम्न प्रकार हैं–

१—श्री शिवमंगल सिंह कपूर
२— सरदार तेजा सिंह
३—श्री विश्वम्भर नाथ पांडेय
४—श्रीमती लक्ष्मी देवी
५—श्री वीरेन्द्र विक्रम सिंह
६—श्री नारायण दत्त तिवारी
७—श्री सैयद मुहम्मद सादत अली खां
८—श्री केशव प्रसाद पांडेय
९—श्री राम चन्द्र विकल
१०—श्री उमा शंकर
११—श्री शिवराम पांडेय
१२—श्री गंगाधर शर्मा
१३—श्री मन्नोलाल गुरुदेव
१४—श्री राम सुमेर

यदि कोई नाम वापस नहीं लिया गया तो इन्हीं १४ नामों को निर्वाचित घोषित कर दिया जायगा।

नोट—अल्प सूचित तारांकित प्रश्न १ श्री सीताराम शुक्ल ने पूछा।

इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कोर्ट के एक रिक्त स्थान पर निर्वाचित सदस्य के नाम की घोषणा

श्री अध्यक्ष---इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कोर्ट के एक रिक्त स्थान के निर्वाचन के लिये एक नाम श्री मुहम्मद फारूख चिश्ती का आया है, मैं उनको निर्वाचित घोषित करता हूं।

उत्तर प्रदेश बिक्रीकर (संशोधन) विधेयक, १६५२

श्री अध्यक्ष---मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश बिक्रीकर (संशोधन) विधेयक, १६५२, पर जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी १६ अक्तूबर, १६५२ की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद ने अपनी ३० अक्तूबर सन् १६५२ की बैठक में पारित किया था श्री राज्यपाल की अनुमति २१ नवम्बर, १६५२ को प्राप्त हो गयी और वह १६५२ का उत्तर प्रदेश का * ३२ वां अधिनियम बन गया।

श्री राजनारायण के ६ दिसम्बर, १६५२ के भाषण पर उठायी गयी आपत्ति के संबंध में १८ दिसम्बर, १६५२ को दी गई व्यवस्था का श्री अध्यक्ष द्वारा स्पष्टीकरण

श्री अध्यक्ष---मैं कुछ बातें सदन के सामने इस समय रखना उचित समझता हूं। मैंने कल जो निर्णय दिया और उस संबंध में अखबारों में जो प्रकाशन हुआ है उसको मैंने देखा। यद्यपि उस निर्णय की हिन्दी प्रतियां साइक्लोस्टाइल कराकर देने का प्रबन्ध किया गया था और वे प्रतियां शाम तक दे दी गई थीं इस पर भी अखबारों में कहीं हेडिंग में और कहीं समाचार के शब्दों में कुछ त्रुटियां रह गई हैं। यह मैं जानता हूं कि अंग्रेजी में अनुवाद करने में कुछ त्रुटियां हो जाया करती हैं और कुछ नासमझी की वजह से भी हो जाया करती हैं। अतः मैं यहां जो प्रेस कारस्पौंडेंट्स बैठे हुये हैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि वह ऐसे मामलों में, ऐसे बड़े फैसलों के वक्त, कुछ अधिक सावधानी बरतें तो अच्छा होगा। विशेषकर जब कि उस समय उठते समय श्री राज नारायण जी यह कह गये थे कि मेरे निर्णय में उनको अपने व्याख्या करने के अधिकारों के ऊपर कुछ आक्षेप सा दिखाई दिया और मालूम पड़ा कि उनका यह अधिकार छिन रहा है इसलिये वह प्रोटेस्ट में उठकर चले गये उसके निर्णय के विषय में जो एक दो शब्द अखबारों में लिखे गये हैं उनको अगर स्पष्ट न किया जाय तो उसका सही अर्थ समझने में गलती हो सकती है, हालांकि अखबार वालों ने उसको काफी अच्छी तरह से समझाने की चेष्टा की है।

मिसाल के तौर पर नेशनल हैरेल्ड के हैडिंग में दिया हुआ है कि ---

"Expunction of Remarks" इसमें "रिमार्क्स" शब्द पर ज्यादा जोर दिया गया है जब कि "मिसलीडिंग कोटेशन" के ऊपर ज्यादा जोर देने की आवश्यकता थी। उसके नीचे भी जो टैक्स्ट छपा है उसमें भी कुछ आपत्तिजनक बातें हैं, यद्यपि वे पूर्ण हैं परन्तु उनसे कुछ भ्रमात्मक बातें अवश्य पैदा होती हैं।

इसी प्रकार से "पायोनियर" में शब्द "ट्विस्टेड दि टैक्स्ट" इस्तेमाल किया गया है जब कि उसका संबंध केवल टैक्स्ट के बजाय केवल उद्धरण यानी "एक्स्ट्रेट" से था। कंटेक्स से निकाल कर थोड़ा सा एक्सट्रैक्ट ही राजनारायण जी ने दिया था। दूसरी चीज में

* २६ दिसम्बर, १६५२ की असाधारण गजट के अनुसार ४०वां पढ़ा जायगा।

समझता हूं कि पायोनियर की रिपोर्ट में बहुत मिसलिडिंग है। रिपोर्ट में शब्द "दि स्पीकर हैल्ड दैट दि स्पीच वाज डेरोगेटरी" तो लिखे गये हैं परन्तु "स्पीच वाज डेरोगेटरी" ये शब्द मैंने नहीं कहे थे। मैंने कहा था "उद्धरण" डेरोगेटरी मेरे निर्णय में यह हिन्दी में बहुत अच्छी तरह दिया हुआ है कि "यह इस सदन की प्रतिष्ठा के विरुद्ध है कि सदन के सदस्य इस तरह उद्धरणों का प्रयोग करें" यह शब्द अखबार 'नवजीवन' में है और स्वतंत्र भारत में भी हैं। "अध्यक्ष ने अपने फैसले में कहा कि श्री राज नारायण सिंह के उस दिन के भाषण से यही प्रकट होता है कि जज की राय वैसी थी इसलिये उनके भाषण का वह हिस्सा हटा दिया जाय।" उक्त वाक्य में भी जो मेरे निर्णय के शब्द हैं वे स्पष्ट हैं। उन्हें स्पष्ट करने के लिये मैं फिर पढ़ देता हूं ताकि स्पष्टीकरण हो जाय। "इस आदरणीय सदन की प्रथा के अनुसार माननीय श्रीराज नारायण जी का उद्देश्य स्वीकार करके यह प्रश्न उठता है" यह वाक्य मेरे निर्णय में थे और वाक्या यही है कि माननीय सदस्य ने जो उद्देश्य बतलाया है उसे मैंने स्वीकार किया कि माननीय सदस्य का यह मोटिव रहा है। लेकिन उसके बाद भी मैंने यह कहा कि "प्रश्न यह उठता है कि आया जो भाषण माननीय राज नारायण जी का लिखा गया अथवा जो सुधार माननीय श्री राज नारायण जी कुछ वाक्यों में करके उसमें शब्द बढ़ाना चाहते हैं उनसे जिस उद्देश्य को उन्होंने स्वयं बताया वह स्पष्ट व्यक्त होता है या नहीं" अब प्रश्न यह है कि वे व्याख्या कर सकते हैं लेकिन उस व्याख्या करने के हेतु जो शब्द उन्होंने रक्खे हैं उनकी व्याख्या यानी उनका सही अर्थ मैं कर सकता हूं, यह सदन भी कर सकता है कि उन शब्दों का क्या अर्थ होता है। मैं समझता हूं कि जो उनका उद्देश्य उन्होंने बताया वह उनके शब्दों से व्यक्त नहीं होता। निर्णय में यही मैंने कहा था। शब्द इस प्रकार हैं "मैंने बहुत गौर से मूल रिपोर्टरों द्वारा लिखित भाषण की प्रति तथा जिस प्रकार माननीय राज नारायण जी भाषण के रूप में हेरफेर चाहते हैं दोनों आवृत्तियां गौर से पढ़ीं और मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि दोनों रूपों में यह भ्रम कायम रहेगा कि वक्ता का उद्देश्य यही है कि माननीय हाईकोर्ट ने यह फैसला दिया है कि सरकार उक्त प्रकार की है। " सरकार इस तरह की है, यह हाईकोर्ट के जज का फैसला है, यह उनके भाषण से व्यक्त होता है। "मूल आवृत्ति से यह बात बिलकुल ही स्पष्ट है और माननीय श्री राज नारायण द्वारा सुधारी प्रति से फैसले के संबंध में "संकेत" तथा "रिमार्क" शब्द के प्रयोग से भी यही भ्रम उत्पन्न होता है क्योंकि "संकेत" शब्द उन्होंने जज का संकेत कहा है कि यह रिमार्क जज का है। तो श्री राज नारायण जी के इस वाक्य से यह स्पष्ट नहीं होता कि जज का यह फैसला नहीं है, और वे स्वयं व्याख्या करते हैं, इससे भ्रम होता है। "क्योंकि जिस स्थान पर प्रमाण रूप में यह उद्धरण दिया गया और जिस जज के फैसले या रिमार्क से माननीय श्री राज नारायण जी ने इस सरकार को हटाने तक का नतीजा निकाला उनसे उक्त भ्रम कायम रहना स्वाभाविक है। इस प्रकार के भ्रमात्मक आंशिक उद्धरण को जो अर्थ विपर्यास करते हों प्रमाण रूप में इस सदन के सामने लाना किसी माननीय सदस्य की प्रतिष्ठा के लिये हानिकर है यानी वह एक्सट्रैक्ट कंटेक्स से निकाल कर और इनकम्पलीट स्वरूप में ऐसा सदन के सामने लाना जिससे भ्रम उत्पन्न हो जाय, और उसका अर्थ विपर्यास हो जाय तो उस एक्सट्रैक्ट को कोट करना यह उनकी प्रतिष्ठा के लिये हानिकर है क्योंकि भाषण तथा इनकम्पलीट एक्सट्रैक्ट जो कोई पढ़ेगा वह यही अर्थ निकालेगा कि माननीय राज नारायण जी कहते हैं कि जज का वह फैसला है। मैंने स्वयं यही अर्थ लगाया। वे अपने शब्दों का स्वयं कोई भी अर्थ लगा सकते हैं और कह सकते हैं "कि उन्होंने केवल व्याख्या की है कि सरकार बेईमान है और उनके भाषण से यह अर्थ नहीं निकलता कि वह जज का फैसला है" परन्तु मेरी समझ में जिस शक्ल में उन्होंने वाक्य के शब्द रक्खे हैं उनके पढ़ने से अर्थ वही भ्रमात्मक निकलेगा कि वह जज की राय थी। तो मेरे सामने यह प्रश्न था कि क्या ऐसा भ्रमात्मक एक्स्ट्रैक्ट उस रोज की कार्यवाही में कायम रहे। यह बात मैंने उस दिन नहीं कही थी कि उनको व्याख्या करने का अधिकार नहीं था। मैं उनको स्पष्ट कह देता हूं कि वह गलत व्याख्या किसी चीज की करना चाहें तो भी कर सकते हैं उनको पूर्ण अधिकार है। लेकिन

[श्री अध्यक्ष]

इस सदन को यह अधिकार है कि वह जो भाषा उपयोग में लावें उसका क्या सही अर्थ होता है उसकी व्याख्या करने का इस सदन के सदस्यों को पूर्ण अधिकार है और अध्यक्ष को विशेषकर के अधिकार है। उन्होंने ऐसी भाषा का उपयोग किया है जिसका कि अर्थ उनका उद्देश्य कुछ भी रहते हुये उद्देश्य से उल्टा निकलता है। तो इस सदन को और अध्यक्ष को पूर्ण अधिकार है कि ऐसे शब्द उसमें से हटा दिये जायं जो भ्रम पैदा करते हैं। मैं उदाहरणार्थ और भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मान लीजिये कि कोई एक सदस्य यहां पर ऐसा है जो किसी धर्म को नहीं मानता और वह कहता है कि मैं नास्तिक हूं। उर्दू में बहुत दफा यह कहा जाता है कि जो रेलीजन को नहीं मानता उसका ईमान नहीं है। अगर कोई माननीय सदस्य यह कहें कि यह शख्स बेईमान है और उसके ऊपर उसने आपत्ति की कि मुझे बेईमान कहा और वक्ता इस बात को कहे कि साहब मैं तो व्याख्या यह करता हूं कि जिसका "ईमान" नहीं है वह "बेईमान" है और "ईमान" उसका नहीं है। जिसका कोई रेलीजन नहीं है और इसमें मैंने कोई अपमानजनक बात उसके लिये नहीं कही है। यह व्याख्या वह कर सकता है हालांकि उसकी व्याख्या कितनी भी गलत हो या, कितनी भी सही हो, वह कर सकता है लेकिन वह शब्द जिस अर्थ में लिया जाता है उसको यह सदन तय करेगा कि यह "बेईमान" शब्द जो है उससे क्या अर्थ लिया जाना चाहिये और अगर "बेईमान" का अर्थ लोग "डिसआनेस्ट" समझते हैं तो लोग समझेंगे कि "डिसआनेस्ट" ही उसका अर्थ है। उनके उद्देश्य को मान लेने पर भी कि उनका उद्देश्य उनको "डिसआनेस्ट" कहने का नहीं था लेकिन अगर "बेईमान" शब्द इस्तेमाल हुआ और उस शब्द का प्रयोग जिस कंटेक्स्ट में आता है और प्रोसीडिंग्ज में लिखा गया उसका अर्थ यहां पर "डिसआनेस्ट" ही लगता है तो वह कार्यवाही से एक्स्पंज कर दिया जावेगा। इसी प्रकार से भाषण के जिस संदर्भ में वह एक्स्ट्रैक्ट उद्धत किया गया है उस से तो अर्थ यही हो सकता है और सदन यही समझेगा कि हाईकोर्ट के जज का कहना है कि यह सरकार बेईमान है। जब ऐसी बात है तो उस बात को उस तारीख की कार्यवाही में रखना उचित नहीं है। यह सही है कि राजनारायण जी का उद्देश्य व्याख्या करने का था उस उद्देश्य को मैं मानता हूं लेकिन उनके शब्दों को अगर मैं कार्यवाही में वहां कायम रक्खूं तो इस सदन के लिये मैं समझता हूं यह अन्याय की बात होगी। उन शब्दों का साधारण जो अर्थ होगा वह अर्थ मैंने देखा कि जैसे शब्द वे चाहते थे उनके वहां रखने पर भी वे शब्द उससे विपरीत अर्थ पैदा करते हैं इसलिये जो अधिकार इस सदन को है और मुझे है कि जिन शब्दों से इस प्रकार भ्रम पैदा होता है वह निकाल दे। अगर वह पूरा एक्स्ट्रैक्ट जैसा माननीय स्वशासन मंत्री ने कहा सदन में रखा जाता तो उसका अर्थ बिलकुल उसके विपरीत होता है, जो अर्थ उतने ही एक्स्ट्रैक्ट के देने से जो श्री राजनारायण जी ने 'कोट' किया था और ऐसा भ्रमात्मक एक्स्ट्रैक्ट, जैसा मैंने कहा था, प्रोसीडिंग्ज में रहना श्री राजनारायण की प्रतिष्ठा के लिये और इस सदन की प्रतिष्ठा के लिये हानिकर है। वह व्याख्या कर सकते हैं, वह गलत भी व्याख्या कर सकते हैं लेकिन सदन यदि उनके शब्दों का तात्पर्य, जो उनसे निकलता है लगाकर यह समझे कि उससे भ्रमात्मक अर्थ उत्पन्न होता है तो उद्धरण के साथ उन्हें हटा देने का अधिकार मुझे या सदन को है। उनके व्याख्या करने पर कोई आपत्ति नहीं है। मैं अखबार वालों से भी कह देना चाहता हूं कि अगर कोई इस तरह की बात छापने में आवे तो उसके पहले मुझे बता सकते हैं।

श्री [redacted] (जिला बनारस)—मैं एक निवेदन यह करना चाहता हूं कि यह अधिकार जैसा आपने मेरी व्याख्या के बारे में कहा वह अधिकार हमारा है और जिस १६ तारीख के बारे में आपने कहा है उसी १६ तारीख को माननीय स्वशासन मंत्री जी के एक्स्ट्रैक्ट है···

श्री अध्यक्ष—जब वह बात आप मेरे सामने लावेंगे तब उस पर विचार कर लिया जावेगा।

उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज़ (संशोधन) विधेयक, १९५२ पर विवादार्थ समय निर्धारित करने के सम्बन्ध में संकल्प

स्वशासन मंत्री (श्री मोहन लाल गौतम)—माननीय अध्यक्ष महोदय, ...

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—श्रीमन्, इस पर एक वैधानिक आपत्ति है।

श्री अध्यक्ष—पहले पेश करने दीजिये।

श्री राजनारायण—पेश ही करने के संबंध में है।

श्रीमन्, आपसे यह निवेदन है कि रूल नम्बर ७६ में यह स्पष्ट लिखा हुआ है कि सरकार की ओर से रेजोल्यूशन पेश होने के लिये—

"If the Government desire to move a resolution they shall give seven day's notice and shall along with it supply a copy of the resolution to the Secretary, who shall have its copies sent to members within forty-eight hours of its receipt:"

[यदि सरकार कोई संकल्प उपस्थित करना चाहे तो वह सात दिन की सूचना देगी और सूचना के साथ संकल्प की एक प्रति सचिव को भेजेगी जो उसकी प्राप्ति के अड़तालीस घंटों के भीतर उसकी प्रतिलिपियां सदस्यों को भिजवायेगा ;]

श्रीमन्, इस नियम के अनुसार मै अब आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस नियम की पूर्ति सरकार की ओर से नहीं हो रही है। यह जो मुंह बन्द करने का प्रस्ताव सरकार प्रस्तुत करना चाहती है उसके भी कुछ उद्देश्य होते हैं। यह श्रीमन्, बिलकुल स्पष्ट बात है, निर्विवाद बात है कि आपका जो आदेश होगा उसका यह सदन पालन करता है। इसलिये हम जरूर आपसे यह अधिकार लेना चाहते हैं कि आप हम को अपनें भाव को व्यक्त करने की आज्ञा दें और उदारता के साथ आप हमारे भावों को देखें। यह जो मुंह बन्द करने का प्रस्ताव यहां प्रस्तुत हो रहा है यह इसीलिये प्रस्तुत हो रहा है कि शायद विरोधी पार्टी या और दूसरे लोग इसमें विलम्ब करना चाहते हैं और इसमें जल्दी होनी चाहिये। तो इस संबंध में, श्रीमन्, मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, मगर आपसे विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि जो कुछ भी देर हुई हो उसकी जिम्मेदारी जो कुछ भी है वह सरकार की है।

श्री अध्यक्ष—आप वैधानिक आपत्ति ही पर

श्री राजनारायण—मैं यही कहूंगा कि आप इस समय इसकी इजाजत हरगिज-हरगिज न दें, क्योंकि अगर आप इसकी इजाजत देते हैं, इस प्रस्ताव को इस सदन में आने के लिये, तो निर्विवाद है, कि सरकारी पक्ष का बहुमत है और सरकारी पक्ष अपने प्रस्ताव को पास करा लेगा। और जैसा कि आपने हम को यह आश्वसन दिया है कि आप अल्पमत की रक्षा के लिये सदैव तत्पर रहेंगे और तत्पर रहे हैं उसका मैं, श्रीमन्, पुनः स्मरण दिलाता हूं और आपसे सविनय साग्रह निवेदन करता हूं कि आप इन नियम का पालन करायें और आप को जो रेजीडुअरी पावर है उस का इस्तेमाल अल्पमत की सुरक्षा करने के लिये इस्तेमाल करने की कृपा करें। यही हमारा निवेदन है और मैं चाहता हूं कि स्ट्रिक्ट मजबूत तरीके से इस ७६ रूल का पालन किया जाय ताकि सरकार इस सदन को अपनी इच्छानुसार जिस तरह से जब चाहे मोड़ा न करे।

श्री अध्यक्ष—मैं यह जानना चाहूंगा कि इसकी अर्जेंसी क्या है और किस कारण आप यह चाहते हैं क्योंकि मुझे तय करना पड़ेगा कि शार्टर नोटिस के ऊपर इजाजत दूं या न दूं। उसकी आवश्यकता आप उसमें बता दें।

मुख्य मंत्री (श्री गोविन्दवल्लभ पन्त)—यह जो आपके सामने प्रस्ताव है यह "प्रस्ताव" लफ्ज इसमें काम में लाया गया है लेकिन वास्तव में यह २२१ वां जो नियम है उसके अनुसार आप से यह निवेदन किया गया है—

"Any member may, with the consent of the Speaker, move that any rule may be suspended in its application to a particular motion before the House and if the motion is carried, the rule in question shall be suspended for the time being."

[कोई सदस्य अध्यक्ष की सम्मति से प्रस्ताव कर सकता है कि किसी नियम का सदन के समक्ष किसी विशेष प्रस्ताव पर लागू होना निलम्बित कर दिया जाय और यदि प्रस्ताव स्वीकृत हो जाय तो वह नियम उस समय के लिये निलम्बित कर दिया जायगा।]

यह तो यह है कि कुछ नियम हमारी नियमावली में रखे हुये हैं कि किस तरीके पर कार्य-वाही यहां की जायगी। उन नियमों को सस्पेंड करना और उनके बदले में एक दूसरे तरीके पर काम करने की यह विधि आपके सामने उपस्थित की गयी है ताकि आप इसे मंजूर करें। एक दूसरी बात यह है कि अगर इसे रेजोल्यूशन माना जाय, अगर इसके लिये यह कहा जाय कि १५ दिन की, १० दिन की या ५ दिन की पहले से इत्तला की जरूरत है तब तो इस रेजोल्यूशन को लाने के माने ही नहीं हो सकते। यह तो इसीलिये लाया जा रहा है कि इस बिल के विचार करने में अब अधिक समय इससे न लगे जितना कि इस मोशन में जो कि आपके सामने रखा गया है, मंत्री जी ने निर्धारित किया है। और आप से और सदन से निवेदन है कि वह साधारण नियमों के बदले में इस तरह के कार्यक्रम को स्वीकार करे। इससे ज्यादा अर्जेंसी किसी चीज की नहीं हो सकती। अगर सदन इसको स्वीकार करे तब इसकी अर्जेंसी स्वयं सिद्ध होती है।

मैं इसकी मेरिट्स के बारे में कहना नहीं चाहता, वह तो स्वायत्त शासन मंत्री कहेंगे। जहां तक इस किस्म के मोशन की अर्जेंसी की बात है उसके बारे में तो कोई दो मत हो नहीं सकते जो रूल मैंने आपको पढ़ कर सुनाया उसमें सस्पेंशन के लिये कोई नोटिस देने की पहले से जरूरत नहीं है। किसी समय भी आदमी कर सकता है कि ऐसा कायदा सस्पेंड किया जाय। और ऐसा पहले भी हुआ है, उसके लिये एक रूल बना हुआ है, आज यह पहली बार नहीं आ रहा है। पहले जब जमींदारी अबालीशन कमेटी की रिपोर्ट थी उस के बिल पर वाद-विवाद हुआ था उस समय भी आया था और इसी तरह से वह सामने रखा गया था। कोई नोटिस पहले से हो नहीं सकता था। परन्तु जो भी किसी को कहना हो वह तो मोशन करने के बाद ही हो सकता है जो आगे आने वाला है। बोलने से पहले ही कुछ कहें वह तो नियमानुकूल नहीं है इसलिये इसकी अर्जेंसी स्वयं सिद्ध है, इसे हाउस माने या न माने वह दूसरी बात है, मगर अर्जेंसी होने की वजह से ही यह चीज रखी गयी। अगर इस चीज को अर्जेंट न समझा जाय तो उसके लिये मुझे कुछ नहीं कहना। १५ दिन का समय यदि इस किस्म के मोशन के लिये मांगा जाय तो ऐसे मोशन का कोई मतलब नहीं हो सकता।

श्री अध्यक्ष—माननीय स्वशासन मंत्री, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आप समझते हैं कि यदि संकल्प नहीं लाया जायगा तो अधिक समय लगेगा और अब जो समय लग रहा है वह अधिक लग रहा है?

श्री मोहनलाल गौतम—जी हां, मैं यही समझता हूं।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, मुझे इस संबंध में यह कहना है कि इस बिल के पास करने में कोई विलम्ब नहीं हो रहा है और जबकि कांग्रेस पार्टी के चीफ़ ह्विप, हमारी पार्टी के चीफ ह्विप से मिले और रामनारायण जी से जो हमारे डिप्टी लीडर हैं उन से सारी बातें हो गयीं थीं, उसके मुताबिक सारी कार्यवाही चल रही थी और अगर श्रीमन्, संशोधनों को देखें तो २४ खंड के बाद से लेकर आगे तक के खंड का कोई संशोधन भी हमारी तरफ से

प्रस्तुत नहीं है। तो ऐसी हालत में जो बहुत ही मौलिक संशोधन थे और जिन का संबंध जनता के जीवन से था ऐसे ही संशोधनों को हमारी ओर रखा गया था। इसके अतिरिक्त आप के पास माननीय स्वायत्त मंत्री ने इसके ऊपर कोई शार्टर नोटिस भी नहीं दी, आपकी आज्ञा भी नहीं मानी। माननीय मंत्री जी ने यह भी शिकायत नहीं की कि बड़ा विलम्ब हो रहा है। तो एकाएक श्रीमन्, जब कि यहां पर सारी बात चल रही थी, उसके मुताबिक कार्य हो रहा था, खास-खास हमारे जो अमेंडमेंट्स (संशोधन) थे उन पर भी हम लोग ज्यादा जोर नहीं दे पाये इसी बात को लेकर कि जल्दी इसको पास हो जाना चाहिये तो यह मुंह बन्द करने का प्रस्ताव जब आया तो हमें बड़ा आश्चर्य हुआ...

श्री अध्यक्ष—क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्या यह सम्भव है कि आप और चीफ ह्विप साहब मिल कर ऐसा संकल्प यहां पर ले आयें कि इतने रोज में दो या तीन रोज के अन्दर इसका निर्णय हो जाना चाहिए। ऐसा अगर आप आश्वासन देते हैं तो इस वक्त थोड़ा मैं इस प्रस्ताव को स्थगित करने के लिए कहूंगा और इस बारे में आप बातचीत एक घंटे, दो घंटे या दोपहर तक कर लें तो मैं स्थगित कर दूं।

श्री राजनारायण—श्रीमन् मैंने तो पहले ही निवेदन किया कि जो चीफ ह्विप और माननीय स्वशासन मंत्री जी का तथा हमारे डिप्टी लीडर रामनारायण जी का दो बार सम्मेलन हुआ उसके अनुसार कार्यवाही चल रही थी और सारा बिल इस सदन से जल्दी करने की कोशिश की जा रही थी तो फिर यह जो प्रस्ताव आया मुंह बन्द करने का, उससे बहुत बड़ा आश्चर्य हमें हुआ कि यह अधिकार हमारा क्यों छीना जा रहा है। यह नहीं छीना जाना चाहिये। इसलिये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हम अनावश्यक ढंग पर कोई विलम्ब नहीं करना चाहते हैं जैसे कि अब तक हमने कोई ऐसा विलम्ब नहीं किया और श्रीमन् अगर आप इजाजत दें तो इस बिल की जो इतनी कम धारायें अभी तक इतनी देर में हो पाई उसका क्या कारण था, उसको मैं बतला दूं। मगर मैं उस कारण पर नहीं जाना चाहता। थोड़े में ही बताना चाहता हूं कि उसका दोष स्वशासन मंत्री महोदय पर ही जाता है।

श्री अध्यक्ष—कारण बतलाने की आवश्यकता नहीं है।

श्री राजनारायण—मगर मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारी ओर से कतई विलम्ब नहीं हुआ।

सहकारिता उपमंत्री (श्री मंगलाप्रसाद)—माननीय अध्यक्ष महोदय, यह चीज सही है कि मैंने कई दफा श्री राजनारायण जी से स्वयं बात की और इसमें बहुत समय लग रहा है। काफी पैसा पब्लिक का व्यय हो रहा है और वक्त बहुत काफी जाया हो रहा है। इसलिये इसको जल्दी खत्म कर देना चाहिये। उनसे बातचीत करने में कोई समय की बात तो नहीं आई लेकिन यह था कि १९ तारीख तक यह जरूर खत्म हो जायगा। लेकिन जब १९ तक खत्म होने की गुंजाइश नहीं देखी तो यह सवाल पैदा हुआ और यह नोटिस दी गई कि १९ न सही २० तक खत्म हो जाय। यह भी सही है कि रामनारायण जी एक दफा और एक और साहब श्री तिवारी जी भी गये थे। इन लोगों से बात हुई माननीय मंत्री जी से भी हुई कि किस तरह से खत्म किया जाय लेकिन वहां बात होने के बाद यहां आये तो कुछ उसमें वाद विवाद में जो यहां हुआ उसमें और बढ़ा ही कुछ घटा नहीं बल्कि यहां तो यह हुआ कि अक्सर रोकने पर भी लोग बोलते ही रहे। ऐसी अवस्था में यह चीज लाई गई, नहीं तो लाने की कोई आवश्यकता नहीं थी।

श्री अध्यक्ष--म स्वशासन मंत्री से पूछना चाहता हूं कि यह संकल्प आपका आया है, बहुत से संशोधन ह तो संकल्प के ऊपर बहस होगी, क्या इसमें जो १९ दिसम्बर है उसके बजाय आप २० दिसम्बर और २० दिसम्बर के बजाय २२ दिसम्बर कर सकते हे क्योंकि आज शाम तक तो यही बहस चलेगी।

श्री गोविन्दवल्लभ पन्त--एक तो मुझे यह निवेदन करना है कि इसके बारे मे लम्बी बहस नहीं होनी चाहिये। क्योंकि हमे बिल के डिस्कशन को करना है। इस बारे मे लम्बी बहस से कोई बड़ा फायदा नहीं है। इसको राजनारायण जी पसन्द नहीं करते, यह मालूम है, लेकिन हम यह चाहते हे कि यह जरूर हो। अगर आखिर तक होगा भी तब भी नतीजा यही रहेगा कि यह कठिन है कि उनका चाहे जितना भी युक्तिपूर्ण भाषण हो, फिर भी हमारे ऊपर ऐसा असर हो जायगा कि हम अपने मत को इस बारे मे बदल सके। इसलिये बहुत लम्बी बहस से इस मामले मे फायदा नहीं। उस समय को अगर हम बिल मे देंगे तो बेहतर हे। जहां तक सिद्धान्त की बाते हे, इस सदन मे पहले हो चुका है, कोई नई बात नहीं है, जहां तक इस खास बिल का ताल्लुक़ है मे यह दरख्वास्त करूंगा कि राजनारायण जी के लिये और हम सब के लिये इस बात की आवश्यकता है कि हम जितनी ज दी हो सके इस सदन के काम को कर सके। मै यह नहीं कहता कि वे अनावश्यक कोई बात कहते हे। वे जो कुछ आवश्यक समझते होंगे उसे ही कहते होंगे, परन्तु जैसी आवश्यक बाते समझ कर वे अब तक करते रहे ह, अगर आइन्दा भी करते रहेंगे तो उसके माने यह होंगे कि उनकी आवश्यकता हमको इस बिल के सम्बन्ध मे एक दो महीने तक खींच ले जायगी। तो वह उसको अनावश्यक नहीं समझते परन्तु मेरा तो कहना सिर्फ यह है कि अगर इस ढंग से हम कार्य करे तो हमारा कोई काम चलेगा नहीं।

श्री राजनारायण--सिलेक्ट कमेटी मे क्यो नहीं भेज दिया?

श्री गोविन्दवल्लभ पन्त--सिलेक्ट कमेटी मे बिल पहले गये मगर जब वापस आये तो फिर उतने ही दिन लगे जितने कि न भेजने पर लगते। इस कारण मजबूरी है .. ..

एक सदस्य--ग़लत है।

श्री गोविन्दवल्लभ पन्त--यह खयाल है। इसमे ग़लती की क्या बात है। जो लोग सिलेक्ट कमेटी मे गये उन्होंने हमको यह मशिवरा दिया और उनका यह कहना रहा कि उससे कोई समय बचा नहीं, जितना समय इस बारे मे इस सारे बिल पर अपर हाउस मे लगा उससे बहुत ज्यादा समय यहां लग चुका है। अपर हाउस मे समझदार लोग हे और उन्होंने अपना काम जल्दी कर लिया और हमारे यहां की परिपाटी जिस तरह की होनी चाहिये वैसी नहीं चल रही है। वास्तव में जहां आर्गेनाइज्ड पार्टीज डिमोक्रेटिक बाडीज मे हुआ करती है वहां काम चल नहीं सकता है अगर इस तरह के नियम लोग खुद ही न मान ले कि एक पार्टी की तरफ से जो कोई सदस्य अपने विचारों को प्रकट कर दे, वे पार्टी के विचार समझे जायं, परन्तु यहां तो हर मसले पर हम इस तरह से बाते करते हे मानो कोई सुसंगठित पार्टी ही नहीं है और हर एक सदस्य अपने विचारों को भिन्न-भिन्न तरीके से रखने का यत्न करता है। कोई नयी चीज मे ऐसा करना बुरी बात नहीं है लेकिन जो समय बहुत लग जाता है उसका बचाना भी जरूरी है।

जहां तक यह सुझाव है कि १९ के बदले २० हो जाय और २० के बदले २२ हो जाय, मै तो इससे आगे जाने को तैयार हूं कि सारी रात बैठा जाय। बजाय इसके कि हम आज ५ बजे तक बैठे, १० बजे तक बैठे और बोलने मे कोई रुकावट डालने की हमारी इच्छा नहीं है। इच्छा हमारी सिर्फ यह है कि समय के अन्दर काम हो जाय

ताकि हम दूसरा काम करें। आपको और हमको बहुत से काम करने हैं। मैं आप से कहता हूं कि जिस वक्त हमने इस सेशन को बुलाया, तो उस वक्त में यह समझ रहा था २० तारीख़ तक सारा काम ख़त्म हो जायगा और फिर हम क्या करेंगे। उस वक्त जो हमने अपना टाइम टेबिल बनाया था, उसमें मैं यह समझता था कि २० तारीख से आगे काम चलेगा नहीं और सारे बिल पास हो जायेंगे मगर आज १९ तारीख़ तक दस में दस क्लाजेज एक बिल के हो पाये हैं। अभी कारपोरेशन बिल लाना है, टाउन एरियाज बिल लाना है, जिनमें तीन तीन चार-चार सौ क्लाजेज होंगे, तो किस तरह से हमारे सदन और प्रदेश का काम चल सकेगा। इसको आपको भी विचारना है और हमको भी विचारना है। हम नहीं चाहते हैं कि कोई रोके काम, परन्तु काम हो, यह आप भी चाहते हैं और हम भी चाहते हैं। इसी ख़्याल से ऐसा करना पड़ता है। आज मैं कई दिन से कह रहा था कि इसकी कोशिश की जाय कि बिल जल्दी से ख़त्म हो। मैंने राजनारायण जी से कहा कि इसको ख़त्म कर दें।

एक सदस्य—माननीय मंत्री जी हमने मांगते हैं।

श्री गोविन्दवल्लभ पन्त—मैं समझता हूं कि आप उदाहरण दे ही नहीं। वे मांगें भी, तब भी आपको अधिकार है न देने का। लिहाज़ा मैं यह कहता हूं कि आप आज समय बढ़ा दें। बजाय ५ के देर तक बैठें, कल भी देर तक बैठें और कल ख़त्म हो सके तो अच्छा है ताकि और काम २२ से चले। या आप २२ तक करना चाहें तो जैसी आप की आज्ञा हो उसके अनुसार काम होगा।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फ़ैज़ाबाद)—अध्यक्ष महोदय, मैंने निवेदन किया कि चूंकि श्री मंगला प्रसाद जी के वक्तव्य से कुछ भ्रम हो गया है, इसलिये मुझे भी मौक़ा मिलना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—कैसा भ्रम ?

श्री रामनारायण त्रिपाठी—उन्होंने मेरा नाम लिया इसलिये मैं समझता हूं कि मुझे भी थोड़ा सा मौक़ा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—अच्छा कहिये।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—अध्यक्ष महोदय, सरकारी दल की तरफ़ से कई भाषण हुये, उन लोगों को इस बात की ग़लत फ़हमी हुई कि हम लोग सिर्फ़ अड़ंगा लगाते हैं इस विधेयक पर। अध्यक्ष महोदय, अगर आप ग़ौर करें एजेण्डे पर तो पांच गुने से ज्यादा संशोधन सरकारी दल के सदस्यों के हैं। माननीय मंगला प्रसाद जी ने एक ह्विप की हैसियत से सर्कुलर निकाला कि उनकी पार्टी में यह तय हुआ है कि फलां-फलां संशोधन पेश किये जा सकेंगे। अध्यक्ष महोदय, अगर मुझे मौक़ा दें तो मैं साबित कर सकता हूं कि ह्विप के खिलाफ़ भी कई सरकारी दल के सदस्यों ने देर करने के लिये यहां वह संशोधन पेश किये जो कि उनकी पार्टी में नहीं तय हुये थे। अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात यह है कि हमने इस बात को तय किया था कि हमारी तरफ़ से एक-दो आदमी बोलें मगर सरकारी दल के जब १० आदमी बोलते हैं तो विवश होकर हमें उनका जवाब देना पड़ता है। सरकारी दल में जो अनुशासनहीनता फैली है उसको न देख करके हमारे ऊपर ही लांछन लगाया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, उनके ऐसे रुख के बावजूद भी हमने यह कोशिश की और अगर आप मौक़ा दें तो हम साबित कर सकते हैं कि करीब १०, १५ संशोधनों पर हमने ज़ोर नहीं डाला और वह पेश नहीं किये गये। इस तरह से सरकार की तरफ़ से जो यह भाषण किये जा रहे हैं

[श्री रामनारायण त्रिपाठी]

श्रौर ग़लत पिक्चर रखी जा रही है, वह हमारे साथ ज्यादती है, हम तो अपने उसूल को समझते हैं लेकिन सरकारी दल यह चाहे कि जो वह डिक्टेट करें उसी पर हम बोलें और हमारा कोआपरेशन सीक करना भी आवश्यक न समझा जाय तो अध्यक्ष महोदय, यह परस्पर समझौते की बात हो नहीं सकती। दरवाज़े तो दोनों तरफ से खुले हुये हैं और मैं तो चाहता हूं, जैसा श्री राजनारायण जी ने कहा कि हम लोगों के मुंह बन्द करने वाले प्रस्ताव की इजाज़त न देकर आप यह देखें कि किसकी तरफ से ज्यादती की जा रही है, और जैसी आप सलाह दें वह हम मानने के लिये तैयार हैं।

राजा वीरेन्द्रशाह (जिला जालौन)—अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—अब उसका समय नहीं है।

प्रश्न मेरे सामने उपस्थित किया गया कि थोड़ी सी नोटिस के ऊपर इस संकल्प को उपस्थित करने के लिये इजाज़त दूं। क्योंकि साधारण नियम संकल्प के विषय में सात रोज का है। माननीय मंत्री जी ने कहा कि इसको साधारण संकल्प की तरह नहीं रखना चाहिये बल्कि २२१ नियम के अनुसार सस्पेंशन आफ रूल्स का सवाल है लेकिन उसमें वह अंशतः सवाल है। इस संकल्प में और भी बातें हैं, सस्पेंशन ही केवल नहीं बल्कि यह भी संकल्प तय करता है कि किस विधि से यह विधेयक पारित किया जाय, यह भी विधि इसमें निश्चित करना है। इसलिये मैं इसको उचित समझता हूं कि संकल्प की हैसियत से उसको समझूं लेकिन प्रश्न यह है कि समय इस संकल्प के लिये कम देना उचित है या पूरा समय मांग लेना उचित है। जहां तक मेरे सामने उदाहरण है यह बिल्कुल सही बात है जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि और भी इस तरह के संकल्प हो चुके हैं और ऐसे संकल्पों के मातहत जब कभी यह प्रतीत हो कि सदन का जरूरत से ज्यादा समय किसी काम के लिये लिया जा रहा है, तो वह समय निर्धारित कर दें, भाषण भी निर्धारित होते हैं, १० मिनट बोलें या पन्द्रह मिनट बोलें। इस तरह की चीजें आवश्यकता पड़ने पर होती हैं और यह इस पर निर्भर होता है कि क्या सदन का समय अधिक लिया जा रहा है, जरूरत से ज्यादा । जहां तक मेरे ऊपर असर हुआ इतने रोज के वादविवाद का, इस विधेयक के सम्बन्ध में , वह यही है कि अधिक समय लिया जा रहा है। मैं इस झगड़े में नहीं पड़ना चाहता कि मैं यह कहूं कि यह केवल विरोधी दल के कारण है और जो बहुमत दल है उसके लोग इसमें समय नहीं लगाते हैं, ऐसी बात ,नहीं है। परन्तु देर होती है यह स्पष्ट है और मैं केवल इस नतीजे पर पहुंचता हूं जैसा विधेयक है, उसके अनुसार अधिक समय जरूर लग रहा है। इसलिये इस क़िस्म क संकल्प आना मैं कोई अनुचित नहीं समझता और इस दृष्टि से मैं नोटिस के समय को कम करने को भी अनुचित नहीं समझता । पहले भी इस किस्म के संकल्प दो दफा आ चुके हैं, एक पंचायत राज बिल के पास करने में और दूसरा ज़मींदारी अबालिशन के सिलसिले में। उसमें भी माननीय अध्यक्ष ने उस समय कोई अधिक समय नोटिस के लिये सात रोज का नहीं निश्चित किया था क्योंकि उसका अर्थ ही यह है कि जब शीघ्रता करनी है तो उसके लिये उतना समय जो कि नियम में है मांगना ठीक नहीं है। कम नोटिस में भी वह पेश किया जा सकता है। अब कम नोटिस कितनी हो उसके लिये उदाहरण यह है कि जिस रोज संकल्प पहले पेश हुआ उस रोज समझौते से यह तय हो गया था कि उस दिन संकल्प न लिया जाय बल्कि दूसरे दिन लिया जाय। और कभी यह भी हुआ है कि प्रस्ताव में यदि दो रोज दिये गये हों तो आपस में यह तय हो गया कि तीन दिन दिये जायं। अब प्रस्तुत संकल्प में एक ही रोज दिया गया है। इसलिये मैंने माननीय स्वशासन मंत्री से यह कहा कि अगर १९ तारीख़ के बजाय वह २० कर दें तो क्या उनको कोई आपत्ति होगी। उन्होंने कहा कि

इसमें कोई आपत्ति नहीं है। अब मेरे सामने ऐसे आश्वासन आ रहे हैं विरोधी दल के नेता की ओर से, और लोगों के भी, कि वह शीघ्रता करना चाहते हैं। मैं ऐसी अवस्था में उचित समझता हूं कि संकल्प को आज न लूं और यदि इस सदन की प्रगति आज से ठीक रहे तो अगर सरकार समझे तो इस संकल्प को न लाये, नहीं तो इस संकल्प को २२ तारीख को, यानी सोमवार को पेश करने की मैं इजाजत दूंगा और मैं इस प्रकार इतने समय का आपको नोटिस दिये देता हूं, जो काफी नोटिस है, अगर इस बीच में सरकार कोई संकल्प लाना चाहे कि कल के रोज़ बैठा जाय तो उसके लिये दूसरा संकल्प या मोशन ले आये कि कल के रोज़ भी इस सदन का कार्य चले और वह यदि इस पर भी प्रगति से सैटिस्फ़ाई न हो कि प्रगति ठीक नहीं हो रही तो सोमवार को प्रस्तुत संकल्प पेश होगा और फिर मैं समझता हूं कि उस वक्त यह कोई आपत्ति नहीं रहेगी कि उसी रोज़ विधेयक ख़त्म करने के लिये संकल्प क्यों न लिया गया, यह मैं आपको बता देना चाहता हूं।

श्री गोविन्दवल्लभ पन्त—आपने जो आज्ञा दी वह तो ठीक ही है मगर इतना कहना चाहता हूं कि इन नियमों के अनुसार सस्पेंशन आफ़ रूल के लिये कोई टाइम की ज़रूरत नहीं है। वह मोशन सस्पेंशन आफ़ रूल के बग़ैर......

श्री रामनारायण त्रिपाठी—आन ए प्वाइंट आफ़ आर्डर, मुझे निवेदन करना है

श्री गोविन्दवल्लभ पन्त—मैं नहीं बैठना चाहता।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—मेरा तो प्वाइंट आफ़ आर्डर है।

श्री अध्यक्ष—किस बात पर प्वाइंट आफ़ आर्डर है...

श्री गोविन्दवल्लभ पंत—मैं तो एक एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—आप मुझे बोलने की आज्ञा तो दें।

श्री अध्यक्ष—आप किस बारे में प्वाइंट आफ़ आर्डर उठाना चाहते हैं?

श्री रामनारायण त्रिपाठी—इस प्वाइंट पर कि माननीय मुख्य मंत्री ने जो रेज़ोल्युशन लाने की बातें...

श्री अध्यक्ष—उसका जिक्र नहीं है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—मैं प्वाइंट आफ आर्डर उठाना चाहता हूं, उसको सुनना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—पहले उनको कहने तो दीजिये फिर प्वाइंट आफ आर्डर उठाइये।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—मुझको इजाजत दीजिये प्वाइंट आफ आर्डर रेज़ करने की।

श्री अध्यक्ष—आप कृपा करके बैठ जायं। जब प्वाइंट आफ़ आर्डर हो तब कहें।

श्री राजनारायण—मैं प्वाइंट आफ़ आर्डर उठाना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—आप बैठें कृपा करके।

श्री राजनारायण--प्वाइंट आफ़ आर्डर के लिये आज्ञा मिलनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष--किस चीज़ के ऊपर है आपका प्वाइंट आफ़ आर्डर ?

श्री राजनारायण--माननीय मुख्य मंत्री जी कुछ रूलिंग....

श्री अध्यक्ष--वह रूलिंग के ऊपर नहीं कह रहे थे, वह दूसरी चीज है। आप कृपा कर के बैठ जायं।

श्री गोविन्दवल्लभ पन्त--मैं कोई प्वाइंट आफ़ डिसआर्डर भी पसन्द नहीं करता और प्वाइंट आफ़ आर्डर के रास्ते में कोई रुकावट लाना नहीं चाहता। परन्तु जो मुझे कहना है...

श्री रामनारायण त्रिपाठी--यह भी कोई पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस है?

श्री गोविन्दवल्लभ पन्त--पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस बहुत मुश्किल हो गयी है। हम लोगों की जितनी समझ है उसके मुताबिक़ काम करते हैं। उसकी इजाज़त आपको देना चाहिये, उसे ज़रा बर्दाश्त करना चाहिये जैसा कि पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस में करना पड़ता है।

इसलिये मुझे तो सिर्फ यह कहना था कि जहां तक सस्पेंशन की बात है उसके लिये नोटिस की जरूरत नहीं। वह तो एक तरह से स्पीकर से प्रार्थना है कि वह इस तरीक़े पर अरेंज कर दें। रूल को सस्पेंड हाउस करता है। बाक़ी भाग जो रेज़ोल्यूशन का होता है वह एक तरीक़े से, प्रार्थना होती है स्पीकर से क्योंकि उसकी अथारिटी है। फिर रूल सस्पेंड करने की बात कि किस ढंग से काम हो वह तय करें। इसको एनेलाइज़ किया जाय तो यह फार्म होता है। जहां तक २२ तारीख़ को लाने की बात है मैं सिर्फ इतना कह देना चाहता था कि २२ तारीख को इसको लायेंगे कि आज ही बहस ख़त्म होकर इस बिल को पास कर दिया जाय तो इस तरह का प्रस्ताव हम लायेंगे। मगर इसलिये कि लोगों को काफी समय मिल सके मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि कल भी सदन बैठे और आज भी अगर सदस्यों को कोई खास असुविधा न हो तो ५ बजे के बाद ६ बजे से ९ बजे तक या ८ बजे तक बैठ जायं और कल भी इतना ही बैठें ताकि अधिक समय मिल सके और जिनको कुछ कहना हो उनको समय मिल सके, इसलिये मैं यह प्रस्ताव कर रहा हूं।

श्री राजनारायण--श्रीमन्, अभी जो संकल्प उपस्थित था उसके अन्दर जो मुख्य मंत्री जी ने मांग की है वह उसमें निहित है। उसके सम्बन्ध में आपने कह दिया कि अब यह संकल्प सोमवार को उपस्थित होगा और इसको भी आपने साफ कर दिया था कि अगर प्रगति नहीं बढ़ेगी तो उस दिन यह प्रस्ताव हो सकता है आज इसे यहीं ख़त्म कर दिया जाय। यह भी आपने स्पष्ट किया था कि जितनी बातें संकल्प में आ गई हैं वह नहीं उठाई जायंगी।

श्री अध्यक्ष--आप ग़लत बात कह रहे हैं। आप कृपा करके बैठ जाइये।

मैंने यह कहा था कि इस संकल्प को, जहां तक यह है कि यह विधेयक कब खत्म हो, अगर प्रगति से सरकार संतुष्ट न हो तो २२ तारीख़ को ला सकती है। लेकिन अगर प्रगति ठीक हुई तो कोई लाने की आवश्यकता नहीं है और मैंने यह भी कहा था इसके साथ-साथ तभी माननीय मुख्य मंत्री जी उठे थे कि अगर सरकार दूसरा संकल्प लाना चाहे तो ला सकती है कि सदन कल भी सदन बैठे, गो कल की छुट्टी है। लेकिन इसके लिये अलग प्रस्ताव लायें तभी सदन बैठ सकता है। जब मैंने स्वयं आवाहन किया, उनको निमंत्रण दिया कि वह खुद पेश करें और इस आपत्ति की जरूरत नहीं। इसके लिये मैं हाउस को समय देना चाहता था जिसमें यह बात स्पष्ट हो जाय कि उसी

रोज २२ तारीख़ को सब चीजों पर निर्णय हो जाना चाहिये और इसमें यदि किसी रूल वग़ैरह को सस्पेंड करने की ज़रूरत पड़े तो सब चीजें २२ तारीख़ को ही होंगी। लेकिन एक रोज और बैठने का मोशन विदआउट नोटिस आ सकता है। इसलिये आप भ्रम में हैं। इस तरह का संकल्प मेरे सामने आया है। मैं समझता हूं कि वह संकल्प कृपा करके मेरे पास लिखित भेज दिया जाय तो उस मोशन को मैं उसी वक्त ले लूंगा। तब तक म्युनिसिपैलिटी (संशोधन) विधेयक की कार्यवाही जारी रहेगी।

*उत्तर प्रदेश म्यूनिसिपैलिटीज़ (संशोधन) विधेयक, १९५२ †खंड ९ (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष—अब उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज़ (संशोधन) विधेयक, १९५२ जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद द्वारा पारित हुआ है, पर विचार जारी रहेगा।

मुख्य मंत्री (श्री गोविन्दवल्लभ पंत)—मैं इतनी इजाजत चाहता हूं कि मैंने यह कहा था कि कल के दिन भी बैठें तो मैं शायद यहां न रहूंगा तो कल बदले में स्वशासन मंत्री इस प्रस्ताव को रख देंगे।

श्री अध्यक्ष—लिखित संकल्प वह भेज देंगे तो मैं उनके नाम से ही ले लूंगा।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—अध्यक्ष महोदय, खंड ९ द्वारा प्रस्तावित नई धारा १३-स के अंत में जो प्रतिबन्ध बढ़ाने के लिये कहा था उसमें काफी बातों पर प्रकाश डाला जा चुका है और करीब-करीब मेरी तमाम बातों पर जिन पर मैं रोशनी डालना चाहता था वह आ चुका है। दूसरे यह प्रस्ताव बहुत लम्बा चौड़ा है। इसलिये मैं माननीय सदस्यों की राय जानने के बाद जो कुछ कहना चाहूंगा कह दूंगा।

स्वशासन मंत्री (श्री मोहनलाल गौतम)—अध्यक्ष महोदय, ठाकुर मलखान सिंह का यह जो संशोधन है १०४ क इसके संबंध में सरकार नियम बनायेगी। इस संशोधन के जरिये यह कोशिश की गई है कि कुछ हिदायतें दे दी जायं और यह तय कर दिया जाय कि वे नियम क्या क्या होंगे। इस वक्त इस बहस में मैं नहीं पड़ना चाहता कि इसमें कौन से अच्छे हैं और किनके अमल में लाने से कार्यवाही में मुश्किल पड़ेगी। कई चीजें इसमें अच्छी हैं जो अगर वह कार्यरूप में परिणित हो सकें। इसलिये इस समय इस बहस में न जा कर कि कौन सी चीज अच्छी है और कौन सी गलत मैं यह मुनासिब समझता हूं कि जब रूल्स बनेंगे तो उस समय ही उन पर विचार किया जा सकता है और जो मुनासिब चीजें होंगी वह उस समय शामिल हो सकती हैं। इस कारण से मैं इसको इस समय मंजूर नहीं कर सकता।

श्री मलखान सिंह (जिला अलीगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक मुझे अपने साथी रामनारायण त्रिपाठी जी द्वारा मालूम हुआ मुझे यह बतलाया गया था कि मैं अपने इस संशोधन में से यह यह चीजें निकाल लूं तो सरकार इसको मान लेगी लेकिन यहां मैं यह देखता हूं कि उन बात चीतों के बाद भी वह इसी बात पर तुले हुये हैं कि कोई सही चीज यहां पर न आने पाये। मैं आपके जरिये सरकार को यह बता देना चाहता हूं कि ये जितनी बातें लिखी गई हैं ये सब की सब अभी इसी अलीगढ़ के बाई इलेक्शन में काम में आईं, सरकार की तरफ से भी लिख कर आईं और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से भी डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन आफिसर के पास आईं। ये चीजें सब को राइटिंग में आईं और काम में लाई गईं।

---

*सम्पूर्ण विधेयक २ दिसम्बर, १९५२ की कार्यावही में छपा है।

†खंड ९, १५ दिसम्बर, १९५२ की कार्यवाही में छपा है। चर्चा १८ दिसम्बर, १९५२ से क्रमागत।

[श्री मलखान सिंह]

इसलिये यह कहना कि यह कोई चीज कानून में नहीं आ सकती यह श्रीमन्, मैं मानने के लिये तैयार नहीं हूं। इसलिये कि जो चीज यहां पर आ सकती है वह कानून में भी आ सकती है, उसको रूल्स के वक्त के लिये टालना मुनासिब नहीं है। या तो सरकार को सही तौर से इंकार कर देना चाहिये और अगर करने के लिये तैयार है तो स्वीकार कर लेना चाहिये। मैं सदन का वक्त ज्यादा नहीं लूंगा और मैं इस पर इसरार करूंगा कि ये जो बातें हैं वे मुनासिब हैं, अमल में आ सकती हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से लिख कर दी जा चुकी हैं। फिर क्या वजह है कि वे यहां पर कानून के अन्दर न मान ली जायं।

श्री मोहनलाल गौतम—माननीय अध्यक्ष महोदय, यह संशोधन ठाकुर मलखान सिंह जी की तरफ से त्रिपाठी जी ने पेश किया था। बहस मुबाहिसे के बाद अब ठाकुर मलखान सिंह बोल चुके हैं और मैं समझता हूं कि बहस खत्म हो गई।

श्री अध्यक्ष—चूंकि रामनारायण जी ने इसको पेश किया था इसलिये उनको राइट है इस पर बोलने का।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—श्रीमान् जी, मुझे यह सुनकर प्रसन्नता हुई कि यह विषय रूल के संबंध में है और मेरा संशोधन बिलकुल स्पष्ट है कि उसमें रूल के संबंध में सुझाव दिये गये हैं। माननीय मंत्री जी ने कुछ महत्वपूर्ण बातें बतलाई लेकिन उन्होंने इसके संबंध में कुछ आश्वासन नहीं दिया। अगर आश्वासन दिया जाता तो मैं इसको वापस लेने की सोच सकता था कि कौन-कौन से उनको स्वीकार हैं। इस पर काफी विवाद हो चुका है इसलिये मुझे इसके विषय में ज्यादा नहीं कहना है।

श्री मोहनलाल गौतम—मैं इस समय इस बहस में नहीं पड़ा और मैंने कोई ऐसी बात नहीं कही कि इसको मंजूर करता हूं या नामंजूर करता हूं। मैंने यह कहा कि इन सब बातों पर विचार होगा और जो भी मुनासिब होंगे वह सब स्वीकार कर लिये जायंगे।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ९ द्वारा प्रस्तावित नई धारा 13-G के अन्त में निम्न-लिखित प्रतिबन्ध जोड़ा जाय—

"Provided that the following measures will be incorporated in making rules regarding the conduct of elections —

(1) Election agents will be allowed to place check marks against the serial number of votes, exercising their right to vote, in their lists which will be allied with the presiding officer's list at the close of the polling and the differences, of any, recorded.

(2) During lunch interval all ballot boxes will be locked in their respective rooms and police guards will be posted at the entrance of such rooms.

(3) Election agents will be allowed to take down the number of the last voting slip issued just before the close for and recommencement of the polls after the lunch interval as well as just before the close of polls in the the evening.

(4) After the ballot boxes are sealed, they will be wrapped up in a cloth-cover and resealed.

(5) Counting of votes, so far as possible, will be done at each booth after the polling on same day.

(6) Wherever counting of votes at booths may not take place on the same day, it will be done the next day. During the night

the ballot-boxes shall be kept in a room which will be locked up and sealed and the candidates or their agents shall have a right to put their own locks if they so desire and to keep their own seals. The candidates will be allowed to appoint their own guards to keep watch over the place where the boxes are deposited.

(7) A deposit of Rupees three only will be required to challenge a bogus voter.

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

[१८ दिसम्बर, १९५२ को श्री रामनारायण त्रिपाठी द्वारा प्रस्तावित संशोधन तथा उस संशोधन पर प्रस्तावित अन्य संशोधनों पर विवाद।]

श्री मोहनलाल गौतम—कल इस पर यहां बहस हो रही थी और कई अमेंडमेंट और अमेंडमेंट पर अमेंडमेंट आये थे इसलिये वह बहस मुल्तवी हो गई थी। मैं आपकी आज्ञा से यह पेश करना चाहता हूं कि अगर इसको इस शक्ल में रख दिया जाय तो ठीक होगा—

"has been sentenced to imprisonment for a term exceeding one year or to transportation for an offence which is declared by the State Government to imply such moral turpitude as to unfit him to be a member or has been ordered to find security for good behaviour in consequnce of proceedings taken under sections 109 or 110 of Cr. P. C. 1898 such sentence or order not having subsequently been reversed or remitted or the offender pardoned.

मैंने जो यह शब्द इसमें रखे हैं वह म्युनिसिपैलिटी ऐक्ट से लेकर रखे हैं। यह क्लाज १४ की सबक्लाज "ई" है वहां से यह लब्ज लिये गये हैं ताकि ज्यादा बहस यहां पर न हो सके। इसके अन्दर मोरेल टरपिच्यूड और ब्लैक मार्केटिंग भी शामिल कर लिये गये हैं। इसलिये मैं यह समझता हूं कि इस पर ज्यादा बहस-मुबाहिसे की जरूरत नहीं है। इससे जो दिक्कतें इस सदन के सामने थीं वह सब हल हो जायंगी।

श्री अध्यक्ष—यह संशोधन आप विधेयक में किस जगह करना चाहते हैं ?

श्री मोहनलाल गौतम—यह तो नया जोड़ा जायगा। इस में आप देखेंगे कि जी० तो डिलीट हो गया है और उसकी वजह से जो जे० था वह आई० हो गया है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—आन ए प्वाइण्ट आफ आर्डर, अध्यक्ष महोदय, यह मेरे संशोधन में संशोधन नहीं है, यह तो बिलकुल नया संशोधन है और वह मेरे संशोधन के साथ नहीं लाया जा सकता, वह तो नई क्लाज जोड़ रहे हैं। मेरा संशोधन बिलकुल अलग है। यह मान लिया जायगा तो नम्बर दूसरी तरह से हो जायगा।

श्री मोहनलाल गौतम—नम्बर से मुझे कोई एतराज नहीं है।

श्री अध्यक्ष—आप इसे संशोधन के रूप में स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं ?

श्री रामनारायण त्रिपाठी—जी नहीं।

श्री अध्यक्ष—तो आप का जो संशोधन पेश था वही जारी रहेगा।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—मेरे संशोधन पर कल इस संबंध में काफी वाद-विवाद हुआ और....

श्री मोहनलाल गौतम—-ग्रान ए प्वाइण्ट ग्राफ इनफ़ारमेशन। क्या मेरा संशोधन अब सदन के सामने है?

श्री अध्यक्ष—जी नहीं ग्राप ने कल कहा था कि कोई तसफिया करके कल इस प्रश्न को लिया जायगा।

श्री मोहनलाल गौतम—मैंने शायद तसफिया तो नहीं कहा था जहां तक मुझे याद है, मेरा मतलब यह था कि कल कोई ज्यादा क्लियर चीज़ ले ग्राई जायगी, मेरा इरादा कोई एग्रीड सालुशन लाने का नहीं था बल्कि चूंकि उस समय बहुत से ग्रमेंडमेंट ग्रा गये थे इसलिये कुछ सोच समझकर सदन के सामने कोई नई चीज़ ठीक से ग्रा जाय ऐसा मेरा मतलब था।

श्री अध्यक्ष—परन्तु श्री रामनारायण जी स्वयं मंजूर करने को तैयार नहीं हैं, इसलिये उन्हीं का संशोधन जारी रहेगा ग्रौर जब उनका रिजेक्ट हो जायगा तभी ग्रापका ग्रा सकता है।

श्री मोहनलाल गौतम—श्री परिपूर्णानन्द जी का जो संशोधन है उस पर मेरा संशोधन ले लिया जाय।

श्री अध्यक्ष——ग्रभी तो यही चलेगा।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—ग्रध्यक्ष महोदय, मेरे संशोधन पर कल काफी वाद विवाद इस सदन में हुग्रा ग्रौर जो चीज़ मैं जोड़ना चाहता था उस में जो बातें थीं कि सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के सिविल सप्लाई ग्रौर कंट्रोल्स ऐक्ट के खिलाफ कार्रवाई करने में किसी को सजा हुई हो वह डिवार कर दिया जाय परन्तु कल यहां बड़ी सद्भावना के साथ उस तरफ से कहा गया था कि इसमें मारल टरपिट्यूड की बात रख कर इसको ग्रौर व्यापक बना लिया जाय जिससे हर चीज़ इस में ग्रा जाय। जितने भी संशोधन कल ग्राये थे ग्रौर ग्राज जो संशोधन ग्राया उनमें से किसी से भी मेरा मन्शा पूरा नहीं होता है।

ग्रध्यक्ष महोदय, जहां तक मोरल टरपिट्यूड का सवाल है, मैं कानूनी विद्वान होने का दावा तो नहीं करता, संभव है माननीय सदस्यों की दूसरी जानकारी हो, लेकिन यह एक कानूनी शब्द है ग्रौर इंडियन पैनल कोड की दफायें ३७९, ३७६, ग्रौर ३९२ से लेकर ३९७ तक इसमें ग्राती हैं। चूंकि कंट्रोल हमारे देश में नयी चीज है इसलिये उसके उल्लंघन की बात पैनल कोड में नहीं है। उसका समावेश कानूनी हैसियत से किसी भी दफा में नहीं ग्राता। मैं माननीय सदस्यों की भावनाग्रों की कद्र करते हुये, मजबूर हूं कि मैं ग्रपना संशोधन वापस नहीं ले सकता। खास कर माननीय परिपूर्णानन्द वर्मा तथा माननीय सुल्तान ग्रालम खां को निराश करने में मुझे दुख हो रहा है क्योंकि वे लोग मुझसे बड़े हैं। मेरी समझ में यह बात नहीं ग्राई कि सरकार ब्लैक मार्केटिंग में सजा पाने वाले को चुनाग्रों से ग्रलग रखने से घबराती क्यों है? सप्लाइज़ ऐक्ट में ग्रगर किसी को सजा हुई है उसे चुनाव में कोई मौका दिया जाय, यह मेरी समझ में नहीं ग्राता। बोर्डों के सदस्यों की संख्या सरकार ने कम से कम १५ ग्रौर ग्रधिक से ग्रधिक ५० रखी है। इतने ही ग्रादमी चुनवाने में काफी कशमकश होगी। मेरा मतलब है कि यदि मौरल टर्पीट्यूड वालों को या चोर बाजारी वालों को सरकार निकाल देगी तो भी ग्रादमी काफी संख्या में मिल जावेंगे। मैं सरकार की दिक्कत नहीं समझ पाया। मेरी मजबूरी है कि मैं उनके संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकता हूं ग्रौर ग्रपने संशोधन पर जोर देना चाहता हूं।

श्री मोहनलाल गौतम—माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने पहले भी कहा हम यह किसी तरह से भी नहीं चाहते कि ब्लैक मार्केटिंग किसी तरह से भी रहे। ब्लैक मार्केटिंग कोई कानूनी लफ्ज नहीं है। कहीं उसकी परिभाषा नहीं है। ये जो व्यापक शब्द इसमें रख दिये गये हैं मेरी राय से इनसे काम चल जायगा। जो बातें मौरल टरपीट्यूड में

आती है उन सब को हमने रखा है कि वे न खड़े हों। मैं मजबूर हूं कि इस संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकता और अपना संशोधन प्रेस करना चाहता हूं।

श्री अतहर हुसैन ख्वाजा (जिला सहारनपुर)—जनाबवाला, इस पर मेरा एक संशोधन है और मैं चाहता हूं कि उनका भी मुलाहिजा फरमा लिया जाय जो मैं समझता हूं अच्छा होगा पेश्तर इसके कि जनाबवाला किसी एक संशोधन पर राय लें। वह मैंने अभी पेश नहीं किया है।

वह मैंने कल जनाब को लिख कर दिया था, उसमें मैंने कुछ तरमीमात की है, वह भी मैंने जनाब की खिदमद में पेश कर दी है और उसकी एक कापी आनरेबिल मिनिस्टर को भी भेज दी है। इसके मुताल्लिक कई संशोधन आ चुके हैं आप उन सब के मुताल्लिक ख्याल फरमा लें। इसलिये मुझे उस संशोधन को एक्सप्लेन करने का मौका दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—ठीक है आप उसको एक्सप्लेन कर लीजिये।

श्री अतहर हुसैन ख्वाजा—जनाबवाला, कल मैंने जो संशोधन जनाब की खिदमत में पेश किया था उसमें मैं आपकी इजाजत से कुछ तरमीमात करना चाहता हूं उनको मैंने जनाब की खिदमत में पेश कर दिया है और उसकी एक कापी आनरेबिल मिनिस्टर की दि खिदमत में भी भेज दी है। उसको (के) क्लाज के तौर पर 'एड' किया जाना है। वह इस तरह से है :—

"(K) Has been convinced for an offence which is declared by the State Government to be an offence which renders him unfit to become a member or for charging for a commodity a price higher than the one fixed by the central or State Government in exercise of the powers conferred by or under an ordinance or act for control or Regulation of supplies of commodities or any rule made thereunder."

जनाबवाला मुलाहिजा फरमायें कि इस संशोधन को मैंने दो हिस्सों में तकसीम किया है। मैंने हाउस के सेंस को पूरी तरह ख्याल रखते हुये इस संशोधन को पेश करने की जुरअत की है। पहला हिस्सा इस संशोधन का वह है जिसके जरिये से यह हाउस गवर्नमेंट को अख्तियार दे रहा है कि वह चाहे तो कुछ आफेन्सेज को डिक्लेअर कर दे जो किसी शख्स को मेम्बर के लिये अनफिट कर सकें। दूसरा हाउस का मंशा यह था कि कुछ ऐसे हीनियस (Heinous) आफेन्सेज हैं जो खुद बखुद ही मेम्बर को अनफिट करने के लिये काफी है इसलिये मैंने जानबूझ कर इस संशोधन को दो हिस्सों में रखा है। हाउस इस बात को समझता है कि ब्लैक मार्केटिंग एक हीनियस आफेन्स (Heinous offence) है और वह सोसाइटी (Society) के खिलाफ एक आफेंस है। एक दूसरा आफेंस भी होता है जो इन्डिविजुअल के खिलाफ होता है। इससे पहले आफेन्स की ग्रेवटी ज्यादा है, उसको सब क्राइम्स और आफेंसेज में सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया है।

जनाबवाला मुलाहिजा फरमायेंगे कि आई० पी० सी० की किसी दफा में नीज किसी दूसरे ऐक्ट में मोरल टरपीट्यूड (moral turpitude) को डिफाइन (Define) नहीं किया गया है। बाज दफायें ऐसी समझी जाती हैं कि मोरल टरपीट्यूड (moral turpitude) के तहत आती हैं और ब्लैक मार्केटिंग (black marketing) लफ्ज को भी कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है। ब्लैक मार्केटिंग क्या चीज है उसका आम लोगों के दिमाग में एक खास कन्सेप्शन (Conception) है। जहां तक इस ताल्लुक कानून से है आप मुलाहिजा फरमायेंगे कि सन् ४६ में एक सेन्ट्रल ऐक्ट पास हुआ और उसमें कुछ चीजों को असेंशियल कमोडिटीज (essential commodities) करार दिया गया और उसके मुताल्लिक कुछ किस्म की पाबन्दियां

[श्री अतहर हुसैन ख्वाजा]

लगाई गयीं। कुछ आफेन्सेज करार दिये गये और पनिशमेंट (punishment) मुकर्रर की गयीं। इसके बाद स्टेट (state) में सन् १९४६ में और उसके बाद कुछ आर्डिनेन्स (ordinance) जारी हुए इसके बाद सन् १९४७ में यू० पी० में कंट्रोल आफ सप्लाइज ऐक्ट (controls of supplies Act) बना और उसमें जो धारा ३ है उसको अगर जनाब देखेंगे तो उसमें यह लिखा हुआ है कि कुछ चीजों पर कंट्रोल किया जायगा और कुछ बातों की मुमानियत की गयी। तो जहां तक असल (amendment) का ताल्लुक है, जनाब देखेंगे कि उसकी लैंग्वेज (language) यह है —

(k) has been convicted for contravening any of the provisions of Civil Supplies or Control Acts of the State or Central Government.

(l) has been convicted for black-marketing.

तो जाहिर है कि जहां तक ब्लैक मार्केटिंग का ताल्लुक है वह दूसरे नम्बर एल० क्लाज में है। उसमें कोई डेफिनिशन नहीं दिया हुआ है कि ब्लैक मार्केटिंग से क्या मंशा है। इसलिये जरूरी है कि कम से कम उस सेंस के अन्दर , उस दायरे के अन्दर जो कुछ हाउस का मंशा है उसे डिफाइन कर दें कि ब्लैक मार्केटिंग क्या चीज है। इसके बाद जो दूसरा हिस्सा के० (K) है उसमें जनाब देखेंगे कि उसका स्कोप (scope) बहुत वाइड (wide) है।

यू० पी० कंट्रोल ऐक्ट की दफा ३ जो है उसमें दिया हुआ है —

"The Provincial Government, so far as it appears to it to be necessary or expedient to control any essential commodity, may, by notified order, provide— for controlling the prices at which any essential commodity may be bought or sold" etc.

यानी इसमें बहुत सी चीजें आ जाती हैं। उसके बाद जो क्लाज ६ है उसमें उन्होंने सब पेनलटीज (penalties) प्रोवाइड (provide) कर दी हैं। आखिर उसका मकसद क्या है ? आज कल जो ब्लैक मार्केटिंग करते हैं उसका मतलब जनाब यह समझा जाता है कि कंट्रोल की प्राइस कुछ है और.....

राजा बीरेन्द्रशाह (जिला जालौन)--आन ए प्वायंट आफ़ आर्डर, सर। मैं आपकी आज्ञा से यह पूछना चाहता हूं कि जो संशोधन माननीय सदस्य पढ़ रहे हैं उसके बारे में उन्होंने माननीय मंत्री जी से पहले बात कर ली है ?

श्री अध्यक्ष--यह कोई प्वायंट आफ आर्डर नहीं है।

श्री अतहर हुसैन ख्वाजा--यह चीज तो मेरे और माननीय मंत्री जी के बीच की है। हो सकता है कि मेरा संशोधन ही माननीय मंत्री जी मंजूर कर लें। तो जनाबवाला मैं यह अर्ज कर रहा था कि क्लाज ६ जो इस कानून का है उसको जनाब मुलाहिजा फरमावें, उसमें पेनल्टीज का प्रोविजन (provision) है। उसमें लिखा हुआ है —

"If any person contravenes any order made or deemed to be made under section 3, he shall bepunishable with imprisonment for a term which may extend to three years or with fine or with both, and if the order so provides, any Court trying such contravention may direct that any property

in respect of which the Court is satisfied that the Order has been contravened shall be forfeited to His Majesty."

तो जनाब देखेंगे कि बहुत से ग्राफेसेज ऐसे हैं "सो फार ऐज ग्रेविटी इन कंसर्न" हर ग्राफेंस ग्रेव नहीं माना जायगा और न माना जा सकता है। मसलन कंट्रोल ग्रार्डर में यह है कि कोई ग्रादमी ५ मन से ज्यादा गल्ला स्टोर नहीं कर सकता है लेकिन यदि बजाय ५ मन के कोई मनुष्य ६ मन स्टोर कर ले तो Technical offence commit हो जायगा और वह convict भी हो सकेगा।

श्री ग्रध्यक्ष—इसके जिक्र करने की जरूरत नहीं है

श्री ग्रतहर हुसैन ख्वाजा—जनाबवाला, मैं ग्रदब के साथ ग्रर्ज कर रहा हूं कि मै इस चीज को एक्सप्लेन कर रहा था कि मैंने क्यों ये ग्रल्फाज रखे हैं। तो जैसा कि मैंने ग्रर्ज किया कुछ ऐसे भी ग्राफेसेज हो सकते हैं जो महज टेकनिकल हों। तो जो टेकनिकल नेचर के ग्राफेंस हों तो उसके लिये उतना बड़ा पनिशमेंट नहीं देना चाहिये जितना कि ऐसे ग्राफेंस के लिये जिससे कि सोसाइटी का मारेल डिग्रेड (moral degrade) हो। इसलिये मैं चाहता हूं कि ब्लैक मार्केटिंग को डिफाइन कर दिया जाना चाहिये इसका मतलब क्या है। इसीलिये मैंने नम्बर के० और एल० की जगह पर दूसरा क्लाज सब्स्टीच्यूट करने के लिये ग्रमेंडमेंट रखा है। जनाब देखेंगे कि यह म्युनिसिपल ऐक्ट १९१६ जो है...

मुख्य मंत्री (श्री गोविन्दवल्लभ पन्त)—ग्रध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि मैं एक तरमीम पेश करूं तो शायद ग्रापका और रामनारायण जी का, सब का मंशा पूरी हो जाय, इसलिये मैंने यह मदाखलत की। गौतम जी ने जो ग्रमेंडमेंट ग्रापके सामने रखा वह इस तरह है—

"has been sentenced to imprisonment for a term exceeding one year or to transportation or for an offence which is declared by the State Govt. to imply such moral turpitude as to unfit him to be a member......"

मैं इसमें इतना संशोधन करना चाहता हूं कि "one year" के बदले "six months" कर दिया जाय और इसको इस तरह से रख दिया जाय —

"has been sentenced to imprisonment for a term eceeding six months or to transportation for contraveration of any order made under Essential Supplies (Temporary Powers) Act, 1946, or the U. P. Control of supplies (Temporary Powers) Act, 1947, or for an offence which is declared by the State Govt. to imply such moral turpitude as to render him unfit to be a member.........." and so on ...

यह बतलाया गया था कि मारल टरपीट्यूड में 'ब्रीच ग्राफ सिविल सप्लाईज' ग्राता है या नहीं। तो इसको दूर करने के लिये मैं समझता हूं कि इन ग्रल्फाज से कोई शंका नहीं रहेगी। चाहे मारल टरपीट्यूड हो या नहीं मगर इनका जो ग्राफेंस करे वह मेम्बर नहीं हो सकेगा।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—मैं मुख्य मंत्री जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने मेरी भावना की क़द्र की और उन्होंने ग्रपने संशोधन में इसका समावेश किया। मैं ग्रपने संशोधन के बजाय उनके संशोधन को मान लेने के लिये तैयार हूं।

श्री ग्रतहर हुसैन ख्वाजा—जनाबवाला, मुझे भी यह तरमीम मंजूर है। मैं ग्रपनी तरमीम वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से श्री रामनारायण त्रिपाठी, श्री अतहर हुसैन ख्वाजा, श्री परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री नारायणदत्त तिवारी, श्री शिवस्वरूप सिंह तथा श्री रतनलाल जैन के संशोधन वापिस लिये गये।)

श्री अध्यक्ष--अब मै माननीय मुख्य मंत्री द्वारा संशोधित संशोधन उपस्थित कर देना चाहता हूं।

प्रश्न यह है कि खंड ९ में प्रस्तावित नयी धारा 13-D के अन्त में निम्नलिखित उपधारा (J) के रूप में जोड़ दिया जाय।

"(J) has been sentenced to imprisonment for a term exceeding six months or to transportation for contravention of any order made under Essential Supplies (Temporary Powers) Act, 1946, or the U. P. Control of Supplies (Temporary Powers) Act, 1947, or for an offence which is declared by the State Government to imply such moral turpitude as to render him unfit to be a member or has been ordered to find security for good behaviour in consequence of proceedings taken under section 109 or 110 of the Code of Criminal Procedure, 1898, such sentence or order not having been subsequently reversed or remitted or the offender pardoned: "

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ९ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड १०

यू० पी० ऐक्ट २, १९१६ की धारा २५ का संशोधन।

१०--मूल अधिनियम की धारा २५ में से उपधारा (३) निकाल दी जाय।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १० इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ११

यू० पी० ऐक्ट २, १९१६ की धारा २९ और २९-ए का निकाल दिया जाना।

११--मूल अधिनियम की धारा २९ और २९-ए निकाल दी जांय।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ११ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड १२

यू० पी० ऐक्ट २, १९१६ की धारा ३१ में संशोधन।

१२--मूल अधिनियम की धारा ३१ के स्थान पर निम्नलिखित रक्खा जाय--

"31 When a board is superseded under section 30, the following consequences shall follow—

Consequences of supersession of board

(*a*) all members of the board including the president shall, on a date to be specified in the order, vacate their offices as such but without prejudice to their eligibility for re-election or re-nomination;

(*b*) such person or persons as the State Government may appoint in that behalf shall, so long as the supersession of the board lasts, exercise and perform so far as may be, the powers and duties of the board and shall be deemed to be the board for all purposes, and

(*c*) a fresh board shall be constituted with effect from the date of expiry of the period of supersession as though the term fixed under section 10-A had expired."

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—मैं आपकी आज्ञा से खंड १२ द्वारा प्रस्तुत नयी धारा ३१ के स्थान पर निम्नलिखित रखने का प्रस्ताव करता हूं—

"31. When a board is superseded or dissolved under section 30, the following consequences shall follow:

(*a*) all members of the board—

(i) but not the President, or

(ii) when the State Government so directs the President also, shall on a date to be specified in the order vacate their respective offices but without prejudice to their eligibility for re-election, and

(*b*) the election of the members or the President, as may be necessary shall be held or made as the case may be—

(i) in a case referred to in sub-clause (1) of clause (*a*) above as though there had been casual vacancies, and

(ii) in a case referred to in sub-clause (ii) of—

(c) above as though the term of the board fixed under section 10-A had expired."

श्रीमन्, यह संशोधन, आज तक नगरपालिकाओं में सुपरसेशन के इतिहास को देखते हुए और नगरपालिकाओं के चुनाव के सम्बन्ध में जनतांत्रिक परम्पराओं की पद्धति को प्रचालित करने की दृष्टि से देखते हुए अत्यन्त ही आवश्यक है। मूल अधिनियम की धारा ३० के अनुसार सरकार को इस बात का अधिकार प्राप्त है कि आवश्यकता पड़ने पर किसी भी नगरपालिका को वह सुपरसीड कर सकती है या डिजाल्व कर सकती है। लेकिन भंग होने के मानी में और सुपरसेशन के मानी में फर्क है। जब किसी म्युनिसिपल बोर्ड को सुपरसीड कर दिया जाता है तो उसके बाद आवश्यक नहीं है कि उसके चुनाव हों। मैं यह समझता हूं कि यह बहुत ही असाधारण परिस्थिति है। मान लीजिये किसी म्युनिसिपल बोर्ड का इन्तजाम खराब भी है उसके चुने हुये प्रतिनिधि नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं और चेयरमैन तथा मेम्बरान इस काबिल नहीं कि रखे जायं। फिर भी अगर वह नगरपालिका सुपरसीड कर दी जाती है तो वहां के मतदाताओं को इस बात का अधिकार होना चाहिए था कि उन पुराने मेम्बरों और चेयरमैन को छोड़ कर किसी नये चेयरमैन या मेम्बरों को चुन सकें। जैसा कि इस विधेयक के जरिये से माननीय मंत्री जी ने डिज़ोल्यूशन के मौके पर अधिकार दिया है कि अगर कोई म्युनिसिपल बोर्ड भंग कर दिया जायगा तो उसमें चुनाव किया जायगा।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

लेकिन जहां पर सुपरसीड करने की सवाल है वहां पर चुनाव नहीं किया जायगा। जैसी धारा माननीय मंत्री जी चाहते हैं उसमें लिखा है धारा ३१ में कि—

"Such person or persons as the State Government may appoint in that behalf shall, so long as the supersession of the board lasts, exercise and perform so far as may be, the powers and duties of the board and shall be deemed to be the board for all purposes, and

(*c*) a fresh board shall be constituted with effect from the date of expiry of the period of supersession as though the term fixed under section 10-A had expired."

तो इस प्रकार जितने दिनों के-लिये सुपरसेशन होगा उसके बाद ही चुनाव किये जायंगे और यह अनिश्चित है कि कितने दिनों के लिये सुपरसेशन हो सकता है। कोई लिमिट नहीं है। कोई टाइम लिमिट मुकर्रर नहीं है कि कम से कम सुपरसेशन कितने दिनों के लिये होगा। ऐट ए टाइम की तो लिमिट दी गयी है लेकिन जितने दिनों के लिये सुपरसेशन चल सकता है इसकी कोई गुंजायश नहीं है जो कि धारा ३० में स्पष्ट कहा गया है—

"If at any time, upon representation made or otherwise, it appears to the Local Government that a board persists in making default in the performance of any duties imposed on it by or under this or any other enactment, or is exceeding or abusing its powers, the Local Government may, after taking into consideration the explanation of the board, by an order published with the reasons for making it in the Gazette, either dissolve the board or supersede it for a period to be specified in the order."

तो जहां पर सवाल आता है सुपरसेशन का वहां पर मैं यह समझता हूं कि कोई निश्चित व्यवस्था नहीं है और यह स्पष्ट तब होता है जब कि हम देखते हैं कि जहां पर बोर्ड हमेशा के लिये डिजाल्व हो जाता है। उसके लिये माननीय मंत्री जी ने नयी धारा ३१ (ए) रखी। तो मैं चाहता हूं कि चाहे सुपरसेशन हो या डिस्सोल्यूशन हो बोर्ड का, दोनों हालतों में चुनाव होना चाहिये। ऐसा न हो कि हम एक अनिश्चित-काल के लिये या उतने निश्चित काल के लिये जितने दिन कि बोर्ड सुपरसीड रहता है हम किसी प्राधिकारी की रक्षा में उस बोर्ड को अक्षुण्य छोड़ दें। मैं यह नहीं कहता कि इसमें बुराई होती है या ऐडमिनिस्ट्रेटर के हाथ में खराब इन्तजाम वहां होता है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि उस जमाने में जब तक कि सुपरसेशन रहे और ऐडमिनिस्ट्रेटर काम कर रहा हो कोई चुनाव न हो। इसलिये सुपरसीड हुए बोर्ड में चुनाव हो उसको स्पष्ट किया है धारा ३१ (ए) में जो कि बोर्ड के डिस्सोल्यूशन के लिये रखी गयी है। मैं खेर कमेटी की रिपोर्ट की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिये मजबूर हूं। उसमें इस बात को स्पष्ट कर दिया गया था कि हम किसी भी हालत में यह नहीं चाहते कि कोई म्युनिसिपल बोर्ड सुपरसीड किया जाय। रिपोर्ट के पेज १७, पैराग्राफ ४० में कहा गया था कि—

"We are strongly against supersession of a district or municipal board being allowed under any circumstances but we have no objection to Government dissolving a board when it persists in making default in the performance of its statutory duties, in exceeding or abusing its powers or in creating deadlocks provided warning has first been issued. In the interest of the board as also of the general public we strongly think that a board should not be dissolved more than once during its term."

तो श्रीमन् जहां तक सुपरसेशन का सवाल है मैं तो यह चाहता हूं कि मंत्री जी इस बात पर कोई प्रतिबन्ध लगाते जिससे कि बोर्ड सुपरसेशन के बाद खत्म हो जाता।

डिस्सोल्यूशन का अधिकार सरकार को है लेकिन सुपरसेशन का अधिकार नहीं रहता अगर रहता भी है तो उसकी हमें वही प्रोसीज्योर रखनी चाहिये जो कि बोर्ड के डिस्सोल्यूशन के लिए होता है। इसलिये सुपरसेशन और डिस्सोल्यूशन के लिए चुनाव के माने में एक ही धारायें लागू हों और चुनाव कराना हर बोर्ड के लिए आवश्यक हो चाहे वह सुपरसीड किया जाय या डिसाल्व किया जाय।

श्री मोहनलाल गौतम—इसमें फर्क क्या होगा?

श्री नारायणदत्त तिवारी—फर्क यह होगा कि जहां डिस्सोल्यूशन होगा वहां ऐडमिनिस्ट्रेटर इस तरह से नहीं रहेगा। डिस्सोल्यूशन के समय प्रेसीडेंट भी रहता है और जहां सुपरसेशन होगा वहां ऐडमिनिस्ट्रेटर तो रखना ही पड़ेगा। यही फर्क है और हम तो चाहते हैं कि सुपरसेशन और डिस्सोल्यूशन में फर्क न रहे क्योंकि हम खेर कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार चलना चाहते हैं। जिसमें लिखा हुआ है कि अंडर एनी सर्कमस्टैन्सेज, किसी भी हालत में बोर्ड सुपरसीड नहीं होगा, किसी भी हालत में बोर्ड का प्रवन्ध प्रबन्धक के हाथ में नहीं दिया जायगा। इसलिये मैं माननीय स्वशासन मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि वह इस प्रजातांत्रिक प्रणाली को अपनायें और सुपरसेशन के मामले में भी वही प्रवन्ध लागू करें और वही नियम बनायें जो कि डिसोल्यूशन के लिये हैं।

शनिवार, २० दिसम्बर, १९५२ को सदन की बैठक करने का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि द्वारिका प्रसाद मौर्य जी ने एक मोशन भेजा है कि कल के लिये भी बैठक हो तो क्या वह यहां हैं या माननीय स्वशासन मंत्री इसको पेश करना चाहते हैं।

स्वशासन मन्त्री (श्री मोहन लाल गौतम)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि नियम १७३(८) के अधीन नियम ११ निलम्ब कर दिया जाय और इस सदन की बैठक तारीख २० दिसम्बर, १९५२ को भी हो।

अध्यक्ष महोदय, मुझे इसमें कुछ और अधिक नहीं कहना है। जैसा कि अभी बातचीत में यह सदन विचार कर रहा था कि सोमवार तक तो हमें यह विधेयक समाप्त कर ही देना है और सोमवार को अगर समाप्त करना है और काफी समय हम इसके लिये वादविवाद के लिये देना चाहें तो यह अच्छा ही होगा कि कल भी हम बैठ जायं ताकि यह न कहा जा सके कि हमने बिना डिस्कशन किये ही जल्दी से इसे पास कर दिया।

श्री नारायणदत्त तिवारी (ज़िला नैनीताल)—श्रीमन्, कौन से नियम के अधीन माननीय मंत्री महोदय ने प्रस्ताव किया है?

श्री अध्यक्ष—१७३ (८)।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (ज़िला फ़ैज़ाबाद)—अध्यक्ष महोदय, मुझे माननीय मंत्री महोदय के प्रस्ताव पर आपत्ति है और वह आपत्ति इसलिये है कि जो बातें माननीय स्वशासन मंत्री जी ने एक बार कही थीं ····।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि यह स्पष्टीकरण हो चुका था कि इस तरह का प्रस्ताव वह लायेंगे। आप कोई प्वाइण्ट आफ आर्डर तो नहीं रेज कर रहे हैं?

श्री रामनारायण त्रिपाठी—ऐसी सूरत में यह एक ऐसी व्यवस्था चल पड़ी थी और आपने सलाह दी कि हम विचार करेंगे और देखेंगे कि देर तो नहीं हो रही है। हमें इसमें कोई शिकायत नहीं है। हम संडे के लिये भी बैठ सकते हैं और रात दिन भी बैठ सकते हैं। लेकिन इस तरह के आकस्मिक प्रस्तावों से यह दिक्कत हो जाती है कि यह सेशन १२ जनवरी और उसके बाद तक चलेगा और जब लखनऊ में हम लोग रहते हैं तो सैटरडे और संडे को अपनी कांस्टीच्युएंसी में, अपने जिले में कोई न कोई प्रोग्राम वगैरह हमारी ओर से रख दिया जाता है और सबके कमिटमेंट्स हो जाते हैं और यह निर्विवाद विषय है कि हमारी संख्या यहां कम है। अगर संडे और सैटरडे को कुछ लोग यहां से चले जायं तो दिक्कत यह हो जाती है कि हम अपना काम पूरा नहीं कर सकते। ऐसी हालत में हमको इस बात पर ऐतराज है। जहां तक कल सैटरडे का अधिक दिन लेने से इस विधेयक के पास होने में आसानी हो सकती है तो अगर मंडे ट्यूसडे को ही पास हो जाय तो उसमें कोई विपत्ति या कठिनाई गवर्नमेंट को नहीं पड़ जायगी और हमको इस बात की आशंका भी नहीं होगी कि हमारे पारस्परिक संबंधों में कोई खराबी आवे। मैं समझता हूं कि यह विरोधी दल और सरकारी दल के पारस्परिक संबंधों के लिये आवश्यक भी है। आपकी कृपा से हमारे अधिकारों को छीनने का जो प्रयत्न किया गया उसमें सरकार असफल हो गई और इस प्रकार का प्रयत्न दूसरे मौकों पर नहीं किया जायगा इसकी शंका भी विरोधी दल की दूर होनी चाहिये। चाहे सरकार का यह मंशा न हो, विरोधी दल को यह आशंका उठती है। तो यह हमारे फ्यूचर रिलेशंस के लिये मुनासिब नहीं है। अगर एक हफ्ते पहले मालूम होता कि इस किस्म की कोई बात होगी तो हमारे जो कमिटमेंट्स हैं उनको दूसरी तारीखों के लिये रख लेते। हमारा यह इरादा नहीं है कि सैटरडे या संडे को न बैठा जाय। अगर वह नोटिस दे दें कि २७, २८, २९, ३० को बैठक होगी तो हम बैठने के लिये तैयार हैं। लेकिन इस तरह से बहुमत के जोर से कोई प्रस्ताव पास करा लेना तो हमारे अधिकारों पर कुठाराघात होगा और हम समझेंगे कि हमारी बात का सरकारी दल ख्याल नहीं करता ऐसी हालत में मैं तो यह कहूंगा कि हमारे फ्यूचर पारस्परिक रिलेशंस के लिये यह आवश्यक है कि जिस तरह से उन्होंने उस रूलिंग पर आपकी सलाह मान ली उसी तरह से इस पर भी जोर न दें। यह बहुत मुनासिब होगा हमारी तरफ से हमेशा यह प्रयत्न होता है कि इस प्रकार आप के जरिये इमिजिएट नोटिस न देकर हम से पहले से प्राइवेटली कह दिया जाय, तो हम कतई कोई ऐतराज नहीं करेंगे। यदि माननीय मंत्री जी इस किस्म का मौका दें तो हमारी ओर से ऐतराज का कोई मौका आप के सामने नहीं आयेगा। इन अहम कारणों से हमें इस बात पर ऐतराज है और हम माननीय स्वशासन मंत्री जी से जोर देंगे कि वे इस प्रस्ताव को वापस ले लें।

श्री मोहनलाल गौतम—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि हम नहीं चाहते कि इस प्रकार के प्रस्ताव से आपस के संबंध में कोई कटुता आये। हम अपनी मैजारिटी के आधार पर कुछ कर रहे हैं, ऐसी भावना मैं नहीं चाहता कि किसी माननीय सदस्य के दिल में आये। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में मैं आप की सेवा में मेज पालियामेंटरी प्रैक्टिस कोट करना चाहता हूं [पेज ३०४] यह दूसरा हिस्सा है उसका—

"Exceptional methods adopted to particular occasions."

इसमें और चीजें नहीं पढ़ूंगा, केवल यह पढ़ूंगा "Abnormal sitting days".

"Saturday is occasionally utilised as a sitting day, very rarely, Sunday. A Saturday or Sunday sitting is secured by a resolution of the House moved on a previous day."

यह अगर पहले दिन हो जाय तो सेटरडे क्या संडे को भी, जो वहां पर एक पाक दिन समझा जाता है और जिस के पीछे एक रेलीजस भावना है, वहां पर काम होता है। यह कहना कि हमारे और काम हैं, इसके लिये मेरा ख्याल यह है कि जब तक हम यहां पर हैं हमारा सब

से मुख्य काम लेजिस्लेटिव वर्क है। उसको सब से पहले करने के लिये ही हम यहां पर आये है और बाकी सब काम सिकेंडरी हैं। अगर एक दो मेम्बर साहबान ने अपना इंगेजमेंट पहले से कर लिया हो तो हमारी यह भी इच्छा नहीं है कि वे इंगेजमेंटस को तोड़ें। वे तय कर लें कि क्या काम उनको ज्यादा पसन्द है और उसी को करें। इस बिल पर काफी दिन लग चुके हैं और मैं समझता हूं कि इसका जल्द पास होना जरूरी है। इसलिये मैं समझता हूं कि कल बैठना अच्छा ही होगा।

श्री नरायणदत्त तिवारी--श्रीमन्, चूंकि मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस का हवाला दिया गया है इसलिये मैं भी हवाला देना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--अब हवाला देने की बात नहीं है।अब प्रश्न उपस्थित किया जायगा।

प्रश्न यह है कि नियम ११ निलम्ब कर दिया जाय और इस सदन की बैठक तारीख २० दिसम्बर, १९५२ ई० को भी हो।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री राजनारायण (जिला बनारस)--श्रीमन्, यह जिस तरह से ट्रेजरी बेंचज़ के लोग अपने बहुमत के प्रभाव से हमारे अधिकार पर कुठाराघात कर रहे हैं उसके विरोध में अब हम इस सदन से बाहर जाना चाहते हैं।

(इसके उपरांत विरोधी दल के सभी सदस्य सदन के बाहर चले गये और जलपान के बाद सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ होने पर आ गये।)

उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज़ (संशोधन) विधेयक १९५२

श्री अध्यक्ष--माननीय स्वशासन मंत्री आप अपना भाषण करें।

(स्वशासन मन्त्री श्री मोहनलाल गौतम)--अब मुझे भाषण देने की आवश्यकता नहीं है। आप वोट ले लीजिये।

श्री अध्यक्ष--आप इसका विरोध करते है या नहीं करते हैं?

श्री मोहनलाल गौतम--विरोध करता हूं।

श्री अध्यक्ष--माननीय नारायण दत्त जी को बुलाता हूं। माननीय नारायण दत्त जी ...... (कुछ रुक कर) अच्छा नहीं हैं।

प्रश्न यह है कि खंड १२ द्वारा प्रस्तुत नयी धारा ३१ के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाय--

"When a board is superseded or dissolved under section 30, the following consequences shall follow:

(*a*) all members of the board—

(i) but not the President, or

(ii) when the State Government so directs the President also, shall on a date to be specified in the order vacate their respective offices but without prejudice to their eligibility for re-election and

(*b*) the election of the members or the President, as may be necessary shall be held or made as the case may be—

(i) in a case referred to in sub-clause (1) of clause (a) above as through there had been casual vacancies, and

[श्री अध्यक्ष]

(ii) in a case referred to in sub-clause (ii) of—

(*a*) above as through the term of the board fixed under section 10-A had expired."

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २० मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोविन्द पन्त, की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—आन ए प्वाइण्ट आफ आर्डर। मेरा निवेदन यह है कि ये विरोधी पक्ष के लोग जो यहां आ कर बैठ गये हैं ये वाक आउट कर गये थे बिला समय को निश्चित किये हुये। तो क्या बिला आपकी आज्ञा के ये यहां बैठ सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—यह कोई प्वाइण्ट आफ आर्डर नहीं है ।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा स निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत करना चाहता हूं ।

खंड १२ में प्रस्तावित धारा ३१ के अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्ध जोड़ दिया जाय—

"Provided that the maximum period of the supersession will not be more than six months."

उपाध्यक्ष महोदय, खंड १२ में सरकार द्वारा यह प्रयत्न किया गया है कि जो मूल ऐक्ट की धारा ३१ वीं धारा है उसके स्थान पर एक नयी धारा जोड़ दी जाय जो इस प्रकार है :

"(*a*) All members of the board including the President shall, on a date to be specified in the order, vacate their offices as such but without prejudice to their eligibility for re-election or re-nomination;

(*b*) suchp erson or persons as the State Government may appoint in that behalf shall, so long as the supersession of the board lasts, exercise and perform so far as may be, the powers and duties of the board and shall be deemed to be the board for all purposes, and

(*c*) a fresh board shall be constituted with effect from the date of expiry of the period of supersession as though the term fixed under section 10—A had expired."

उपाध्यक्ष महोदय, इसके पहले एक संशोधन पर हमारी तरफ से यह राय जाहिर की जा चुकी है कि मूलतः हम लोग न किसी प्रेसीडेंट या मेम्बर के रेमूवल के पक्ष में हैं न सस्पेंशन के पक्ष में हैं और बार-बार हम लोगों ने इस बात को कहा है कि यह अनाधिकार चेष्टा जो सरकार कर रही है वह प्रजातंत्रवादी प्रणाली पर कुठाराघात करता है। लेकिन हमारी तमाम दलीलों और प्रोटेस्ट्स के बावजूद भी प्रान्तीय सरकार इस बात पर तुली हुई है कि वह इस विशेषाधिकार को ले। उसको इस बात की चिन्ता नहीं है कि उसकी इस प्रणाली के बारे में दुनिया, इस देश और इस प्रदेश के लोग क्या राय कायम करेंगे। अब इस संबंध की धारा तो पास हो चुकी है। इस प्राविजन के जरिये मैं सिर्फ उसमें एक शर्त लगाना चाहता हूं कि सुपरसेशन के ६ महीने के अन्दर ही अन्दर दूसरा चुनाव हो जाना चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, यह मेरा संशोधन कहां तक उचित है और इसको अगर न रखा जाय तो कितनी गड़बड़ी पैदा हो सकती है इस पर मैं रोशनी डालना चाहता हूं। हमारे वर्तमान ऐक्ट के अनुसार अब भविष्य में चार साल के लिये किसी बोर्ड की जिन्दगी होगी और संभवतः एक या डेढ़ साल की वर्किंग में प्रान्तीय सरकार को इस बात का पता चल जाय कि बोर्ड का काम ठीक नहीं

है और मौजूदा धाराओं के अनुसार उसने बोर्ड को सुपरसीड कर लिया और कोई व्यवस्था इस बात की न की गयी कि कब तक एक मैक्सिमम पीरियड रिएलेक्शन के लिये कर दिया जाय तो इस बात की संभावना है, और जहां तक मैंने इसकी धाराओं को अध्ययन कर के समझा है इसके माने यह हैं कि सरकार अगर चाहे तो किसी भी सरकारी आदमी को वहां एडमिनिस्ट्रेटर रख कर अगले चुनाव तक इस महत्वपूर्ण प्रश्न को टाल सकती है। पहली बात तो यह कि हम नहीं चाहते थे किसी मेम्बर का रिमूवल या किसी बोर्ड का सुपर-सेशन हो। लेकिन इस बात को तो सरकार मानती नहीं है तो मैं यह समझता हूं कि यह उचित ही है कि जब आप ने किसी बोर्ड का सुपरसेशन कर लिया तो उसका जल्दी ही दूसरा चुनाव करना चाहिये। पहला काम तो सरकार का यही ग़लत हुआ कि किसी बोर्ड का सुपरसेशन करे और दूसरा ग़लत काम यह कि किसी बोर्ड को सुपरसीड करने के बाद उसकी आखिरी मियाद तक यानी दो तीन साल तक एडमिनिस्ट्रेटर का मनमाना काम करने की आज्ञा दे। यह उचित नहीं है।

मैं जानता हूं कि सरकार इस बात पर फ़ख्र करती है कि हमने कई बोर्डस का सुपरसेशन किया और वहां के एडमिनिस्ट्रेटर्स अच्छा काम कर रहे हैं। उसमें खासतौर से लखनऊ के एडमिनिस्ट्रेटर का जिक्र आया है। हम एक लफ्ज़ भी नहीं कहना चाहते हैं कि उन्होंने कोई ग़लत काम किया है। लेकिन अध्यक्ष महोदय यह प्रजातंत्र प्रणाली के खिलाफ़ है। इसलिये हमने इसका विरोध किया है। हम प्रजातंत्र प्रणाली के ज़रिये से प्रधान मंत्री, मुख्य मंत्री और तमाम लोगों को इलेक्ट करा कर लाने की कोशिश की गयी है। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी को इसके जोड़ देने में कोई आपत्ति नहीं होगी।

श्री मोहनलाल गौतम—अध्यक्ष महोदय, प्रजातंत्र प्रणाली पर कुठाराघात सुनते-सुनते तो अजीर्ण हो गया है और इसी लिये इस तरह की दलीलों का उत्तर बार-बार देने से सदन का वक्त खराब होगा। इस वक्त असल बात यह है कि जो लोग सुपरसेशन के खिलाफ हैं वही इस प्रकार का संशोधन पेश कर सकते हैं। लेकिन जब यह तय हो चुका है कि सुपरसेशन होगा तो उस वक्त या तो डिज़ाल्व हो और इलैक्शन हो जाय। सुपरसेशन हो और वह छः महीने के लिये हो तो वह बहुत ही खराब होगा क्योंकि या तो आप किसी बोर्ड को जब सुपरसीड करें तो साल दो साल तक अपने इंतजाम में लेकर उसका कुछ सुधार करें या इलेक्शन करा दिया जाय लेकिन बीच की कोई चीज नहीं हो सकती है।

जहां तक लखनऊ म्युनिसपैलिटी का सवाल है और उसमें जो सुधार हुआ है उसकी केवल कांग्रेस वालों ने ही तारीफ़ नहीं की है बल्कि लामुहाला विरोधियों को भी तारीफ करनी पड़ी है। इसलिये इस प्रथा के खिलाफ तारीफ करते हुये भी यह कहां तक हो सकता है यह देखने की बात है। इसलिये मुझे छः महीने वाला प्रस्ताव मंजूर नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—श्रीमन्, मैं आप की आज्ञा से श्री रामनारायण जी त्रिपाठी के संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मंत्री जी ने जो दलीलें दीं उसमें मुख्यतः यही कहा कि जब एक बोर्ड के सुपरसेशन की आवश्यकता मान ली गयी है तो फिर समय कोई महत्व नहीं रखता कि...........

श्री मोहनलाल गौतम—मैंने यह नहीं कहा। आप ग़लत समझे।

श्री नारायणदत्त तिवारी—आप ने यह नहीं कहा तो क्या कहा..........

श्री उपाध्यक्ष—मैं समझता हूं कि आप अपना भाषण जारी रखें।

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, सुपरसेशन का यह अर्थ नहीं है कि कोई बोर्ड सुपरसीड हो जाय तो अनिश्चित काल के लिये हो जाय। मैं ऐसा नहीं समझता हूं अगर मंत्री जी ऐसा समझते हों तो वह जानें। जहां तक सवाल है कि कितने समय तक किया जाय तो मैं समझता हूं कि ऐसी व्यवस्था का विधेयक में रखना आवश्यक है जिसके अन्दर बतलाया

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

जाय कि सुपरसेशन कितने समय के लिये होगा । अगर मान लिया जाय कि सुपरसेशन किसी बोर्ड के लिये आवश्यक है तो अगर हम कोई समय निर्धारित कर देंगे कि इससे अधिक के लिये सुपर-सेशन नहीं होगा तो उसके बाद वहां नगरपालिका के लिये नये चुनाव कराना आवश्यक हो जायगा। तो यहां पर जो मैं समझता हूं माननीय रामनारायण जी के संशोधन का अर्थ यही है कि ६ महीने से अधिक के लिये बोर्ड सुपरसीड न हो सके और इन ६ महीने तक बोर्ड का प्रबंध प्रबंधक के हाथ में रहेगा और ६ महीने तक बोर्ड नये चुनाव कराने की तैयारियां करेगा और इसके बाद नया बोर्ड जो बालिग मताधिकार के अनुसार चुना जाय वह बोर्ड अपने हाथ में प्रबन्ध ले ले । इसमें किसी प्रबन्धक के गुण व अवगुण का प्रश्न नहीं उठता । हमने कभी नहीं कहा कि जितने बोर्ड सुपरसीड हुये हैं उनमें बदइन्तजामी रही है । हो सकता है कुछ बोर्डस में इन्तजाम अच्छा रहा हो। और कुछ बोर्ड्स में बदइन्तजामी रही हो । लेकिन हमारा यह प्रश्न नहीं है, चाहे इन्तजाम अच्छा रहा हो या बुरा रह हो, हमारे कहने का मतलब तो सिर्फ यह है कि भविष्य में जितनी भी बोर्ड्स सुपरसीड हों उनके सुपरसेशन की अवधि ६ महीने से अधिक न रहे । मैं माननीय मंत्री जी से एक बात जानना चाहूंगा और वह है कि उन्होंने इंग्लैंड, फ्रान्स, जर्मनी, बैलजियम, स्वीटरजरलैंड, और यूनाइटेड स्टेट्स आफ अमेरिका के म्युनिसिपिल बोर्ड्स के विधानों को देखा होगा तो कृपया वह हमको यह बतलाने का कष्ट करेंगे कि संसार के दूसरे मुल्कों में किन म्युनिसिपल बोर्डस के विधान में ऐसी धारा रक्खी गयी है जिसके अनुसार कि सुपरसेशन का अधिकार स्टेट गवर्नमेंट को हो। जहां तक श्रीमन् मैंने देखा फ्रान्स के अन्दर मेयर को रिमूव करने की ताक़त तो है लेकिन म्युनिसिपल कौंसिल को हटाने की ताक़त स्टेट गवर्नमेंट को नहीं है । यूनाइटेड स्टेट्स आफ अमेरिका में जितनी स्टेट्स हैं उनको विशेष तौर से यह अधिकार मिला है कि उन्होंने म्युनिसिपल बोर्ड के अधिकार को सीमित कर दिया है विधान बनाने के बारे में लेकिन ऐसा कहीं नहीं है जिसके अनुसार स्टेट का गवर्नर या स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन म्युनिसिपल कौंसिल को सुपरसीड कर सके । बेलजियम, हालेंड, स्वीटजरलैंड और जर्मनी में हिटलर के पहले कहीं भी ऐसा विधान नहीं था । इंग्लैंड का विधान देखा जाय जिसके अनुसार मंत्री जी ने काफी नक़ल की है, मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि इंग्लैंड की स्वायत्त शासन संस्थाओं को कितनी अधिक स्वतंत्रता है, उनसे कहीं भी सुपरसेशन का अधिकार नहीं है, डिसोलूशन का अधिकार तो है, लेकिन सुपरसेशन का अधिकार कहीं नहीं है । तो संसार की किसी स्वायत्त शासन संस्था के विधान में यह कहीं उपलब्ध नहीं होता, तो यह विधान हमारे यहां कैसे उपयुक्त हो सकता है। तो हमारी यह कामना कैसे हो सकती है यह विधान हमारे यहां रक्खा जाय । हम चाहते हैं कि सुपरसेशन का जो अधिकार है उसे हम सीमित करें और धीरे-धीरे उसे खत्म करें। इसी ओर रामनारायण जी का यह संशोधन ले जाने के लिये पहला क़दम है कि हम सुपर-सेशन की टेंडेंसी को अपने हाथ में लेना धीरे-धीरे खत्म करें । इसमें अजीर्ण और हाज्मे का प्रश्न नहीं है । यह संशोधन इस लिये है कि जो अजीर्ण और हाज्मा अब तक म्युनिसि-पल बोर्ड्स के एडमिनिस्ट्रेशन में होता रहा है इसको खत्म करने का प्रयत्न करें । मुझे आशा है कि माननीय मंत्री जी की भी कामना होगी और वह भी नहीं चाहते होंगे कि म्युनिसिपल बोर्डस सुपरसीड किये जाय । और अगर किसी खास कारणों से ऐसा किया भी जाता है और पुराना बोर्ड अपनी नालायकी की वजह से सुपरसीड कर दिया गया था उसकी जगह जो नया बोर्ड चुन कर आये, उसमें ६ महीने से अधिक की अवधि न लगे, यही माननीय राम-नारायण जी के संशोधन का अर्थ है । मैं माननीय मंत्री जी से विनम्र निवेदन करूंगा कि इस संशोधन को स्वीकार कर के धारा को और सुन्दर बनायें ।

श्री शिवनारायण—उपाध्यक्ष महोदय, आप के द्वारा आज सदन को मैं यह बतला देना चाहता हूं कि ६ महीने का संशोधन जो सामने रखा गया है उसमें समय बहुत कम रखा गया है

और इस विधेयक के अन्दर जो रखा गया है वह ठीक मालूम होता है । इसकी वजह यह है कि वही बोर्ड सुपरसीड होता है जिसकी हालत खराब होती है । जब कोई बोर्ड बनता है तो हरएक चेयरमैन और मेम्बर इस बात की कोशिश करता है कि वह अच्छा काम करे जनता की भलाई को, जिससे हमारी मान-मर्यादा बढ़े, करे। ऐसा नहीं होता है कि इधर उधर कुछ काम किया जाय । यह सब काम करते हुये साल भर या छः महीने बीत जाते हैं और बोर्ड का समय ४ साल से ज्यादा नहीं होता है । जब सुपरसेशन होता है तो उसके बाद साल भर या ६ महीने चुनाव के लिये लग जाते हैं । तो जिस समय किसी बोर्ड का सुपरसेशन किया जाता है तो उसी समय किसी आफिसर को कह दिया जाता है कि वह वहां का इन्तजाम करे और फिर चुनाव किया जाता है । इस तरीके से यह होता रहता है । चुनाव के लिये भी तो कुछ समय मिलना चाहिये इतने कम समय में तो कुछ भी नहीं किया जा सकता है । जो प्रस्ताव त्रिपाठी जी ने पेश किया है वह बिलकुल बेकार मालूम होता है । मैं त्रिपाठी जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वह ऐसा संशोधन ले आयें जो किसी काम का हो और उपयोगी हो यह नहीं कि मामूली बात पर भी कोई संशोधन ले आये जो किसी की भी समझ में न आये ।

ऐसी हालत में मैं उस प्रस्ताव को जो त्रिपाठी जी ने पेश किया है उसको अनुचित समझता हूं और उसका विरोध करता हूं ।

श्री रतनलाल जैन (ज़िला बिजनौर)—यह संशोधन जो रखा गया है बिलकुल बेकार है और बेमौके है । जब ये दोनों चीजें मान ली गई कि डिज़ाल्व और सुपरसीड करना तो जिन हालतों में सुपरसीशन किया जाता है वह ऐसी होती हैं कि अगर बोर्ड की हालत दोबारा एलेक्शन कराने पर भी दुरुस्त नहीं हो सकती है तो ऐसी हालत में ही सुपरसेशन होता है । इसके लिये यह आवश्यक होता है कि किसी एडमिनिस्ट्रेटर को उसका इन्तज़ाम करने के लिये नियुक्त किया जाय । अगर परिस्थिति ऐसी है कि ६ महीने में दुरुस्ती नहीं हो सकती है तो उसका समय ज्यादा होना चाहिये । यह गवर्नमेंट को अधिकार होना चाहिये कि जिस प्रकार की परिस्थिति हो उसी के अनुसार सुपरसेशन करे । मैं यह समझता हूं कि किसी बोर्ड की भी हालत ६ महीने के अन्दर दुरुस्त नहीं हो सकती है और न परिस्थिति ठीक हो सकती है । इसलिये यह आवश्यक है कि सरकार को यह अधिकार रहना चाहिये कि जितना समय वह आवश्यक समझें उतने समय के लिये बोर्ड को सुपरसीड करे। अगर ६ महीने के अन्दर ही किसी बोर्ड की हालत दुरुस्त हो जाय तो फिर सुपरसेशन की भी जरूरत नहीं है तब तो डिज़ाल्व करने से ही काम चल जायगा। जब यह समझा जाता है कि दोबारा एलेक्शन होने पर हालत ठीक हो जायगी तो डिज़ाल्व किया जाता है । अगर किसी म्युनिसि-पल बोर्ड के अन्दर यह समझा जाता है कि वहां की परिस्थिति दोबारा एलेक्शन होने पर भी ठीक नहीं होगी तो वहां पर सुपरसीड करना आवश्यक है और वहां पर सुपरसीड किया जाता है । इसके लिये कोई समय निश्चत करना मुनासिब नहीं है । इसलिये मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं ।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (ज़िला अल्मोड़ा)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन माननीय रामनारायण जी ने सदन के सामने रखा है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । हमारे माननीय मंत्री जी ने कुछ हवाला ऐसी म्युनिसिपैलिटी का दिया जहां के एडमिनिस्ट्रेटरों के बारे में हम लोगों की इत्तफाक़ है । लेकिन उनका नाम नहीं लिया जहां की हालत ठीक नहीं है । मंसूरी के म्युनिसिपल बोर्ड को सुपरसीड किये हुये इतने दिन हुये और वह आज तक सुपरसीड है, बहुत जनता की मांग रही, वहां के लोगों ने प्रस्ताव पास किये और कहा लेकिन मंत्री जी का ध्यान उस ओर नहीं गया और उस पर मंत्री जी कहते हैं कि प्रजातंत्र की बातें सुनते-सुनते उनको अजीर्ण हो गया है , लेकिन उसकी भी दवा हमारे पास है और उसके लिये परगेटिव की आवश्यकता पड़ती है और हमें जरूरत होती है तो उस को देते भी हैं ।

एक आवाज़—अजीर्णता तो श्री राजनारायण जी को होती है ।

श्री मदनमोहन उपाध्याय--जो नहीं अजीर्णता राज नारायण जी को नहीं आयी है वह तो माननीय मंत्री जी को आयी है ।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)--उपाध्यक्ष महोदय, यह तरीक़ा बन्द किया जाय, इस तरह से भाषण के दौरान में आपस की बात-चीत नहीं होना चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष--मैं भी चाहता हूं कि यहां जो कुछ कहा जाय वह चेयर को एड्रेस कर के कहा जाय । इस तरह से आपस में बातचीत न होनी चाहिये ।

श्री मोहनलाल गौतम--श्रीमन्, इस तरह से मुझको संबोधन करके भाषण में न कहा जाय ।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--श्रीमन्, श्री राजनारायण और मंत्री जी में अजीर्ण के बारे में कुछ समझौता हो जाय तो अच्छा है ।

श्री उपाध्यक्ष--इस शब्द का इस तरह से अधिक प्रयोग अच्छा नहीं मालूम होता ।

श्री मदनमोहन उपाध्याय--मेरे ख़याल मे जो कोई भी म्युनिसपल बोर्ड सुपरसीड किया जाय उस की मियाद किसी हालत मे भी ६ माह से अधिक न होनी चाहिये क्योंकि यहां तो फिर वही प्रजातंत्र की बातें कही जाती है और कहा जाता है कि हम जनता के छंटे हुये हैं । तो म्युनिसिपल बोर्ड की जनता ने भी तो मेंबरों को छांटा था । अगर कुछ लोगों ने ग़लती की उनकी वजह से उन लोगों को भी सज़ा दी जाय कि जिन्होंने कुछ भी ग़लती नहीं की, और उनको भी सुपरसेशन भुगतना पड़े । इसलिये अगर बोर्ड को सुपरसीड किया जाय तो ६ महीने के अन्दर उसका इलाज हो जाना चाहिये । इसी वक्त के अन्दर या तो नया चुनाव बोर्ड का कराया जाय या वहां हमेशा के लिये डेमोक्रेसी की बात ही ख़त्म कर दी जाय क्योंकि अगर इस प्रकार की रोकथाम न होगी तो जो हालत मंसूरी की हुई वही सब जगह की होगी । हो सकता है कि थोड़े बहुत दिनों में हालत ठीक हो जाय लेकिन जहां प्रजातंत्र की बातें की जाती हैं वहां पर किसी भी म्युनिसिपैलिटी को ६ महीने से ज्यादा सुपरसीड रखना मैं समझता हूं कि यह प्रजातंत्र के उसूल के खिलाफ़ होगा । इसके अलावा जो कुछ बातें माननीय रामनारायण त्रिपाठी और श्री नारायणदत्त तिवारी ने कही हैं वह बहुत काफ़ी हैं और मुझे आशा है कि मंत्री जी इस संशोधन को स्वीकार करेंगे ।

श्री राजनारायण--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री रामनारायण जी का यह संशोधन कि "provided that the maximum period of the supersession will not be more then six months." रखा जाय, उसका समर्थन करता हूं । यहां पर सुपरसेशन और डिस्सालुशन के संबंध में जो चर्चा चली उससे मैं देखता हूं कि यहां काफ़ी भ्रम है, इसलिये आप की इजाजत से मैं कुछ बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं और आशा है कि मेरी सफ़ाई माननीय मंत्री जी के लिये इस संशोधन को स्वीकार कर लेने में सहायक होगी । मैं दो कहावतें आप के सामने कहता हूं और जो हमारे यहां बहुत प्रचलित हैं और उनको मैं इस सदन में बतला भी चुका हूं वह यह है (एक तो यह कि "रसरी आवत जात ते सिल पर होत निसान" और दूसरी है कि "पाहन पतित, बान नहीं भेदत रीतो करत निषंग ।" यह महाकवि सूरदास जी की दोहावली में से है, मतलब एक का यह है कि अगर हम प्रयत्न करें तो पत्थर जो इतना कठोर है उस पर भी निशान हो सकता है लेकिन माननीय मंत्री जी पर हमारा इतना कहने पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है । चेतनावस्था के लोग यहां पर विद्यमान हैं । हमें यह देखना चाहिये कि सुपरसेशन परिस्थिति की कब पैदा होती है । कोई भी व्यक्ति डिसोल्यूशन से सुपरसेशन को क्यों ज्यादा पसन्द करता है ? इसमें जनतांत्रिक प्रणाली की बुनियादी बातें समावेश हैं । मैं नहीं कहता कि कौन व्यक्ति जनतांत्रिक है और कौन नहीं है । मैं चाहता हूं कि हमारे सम्मानित सदस्यगण इस नतीजे

को निकाले कि जनतंत्र है क्या । जनतंत्र के मानी होते है जनता का अधिपत्य । इसक मानी यह नहीं है कि जनता जिन्हें चुन कर भेजे वे ऐसे कानून बनावें कि जनता के अधिकार उसके हा से छिन कर उसके हाथ में आ जावें। म एक प्रश्न माननीय मंत्री जी की खिदमत में रखना चाहता हूं और वह यह है कि यदि कोई म्युनिसिपल बोर्ड गलत काम करता है तो उसमें जनता का क्या दोष है । यह ठीक है कि जिन्हें जनता ने चुन कर भेजा वे अच्छे नहीं निकले और सुचारुरूप से बोर्ड का कार्य नहीं चला सके । तो उचित तो यह है कि जनता के हाथ में यह अधिकार जाना चाहिये कि वह उन्हें वापस ले ले । मगर जब सरकार ससपैंशन का अधिकार लेलेगी तो जनता का अधिकार छिन जाता है । वह सरकार के हाथ में आ जाता है । इसके बाद यदि सरकार कहे कि वह जनतंत्र के क़दम पर चल रही है तो मेरी बुद्धि इसे समझ सकने में असमर्थ है । अभी मेरे एक मित्र ने कहा कि यदि ६ महीने की अवधि निर्धारित कर दी तो सुपरसेशन और डिसोल्यूशन में भेद ही क्या रह जायगा । यह श्री रामनारायण त्रिपाठी ने पहले ही साफ कर दिया था कि वह नही चाहते कि एक मिनट के लिये भी कोई बोर्ड सुपरसीड किया जाय। मगर जब वह चीज़ सदन को अमान्य है तो यह ज़रूरत आयी कि हम अधिक से अधिक अधिकार किस को दें और कहां तक दे। उसके लिये एक बीच का रास्ता निकाला गया कि अगर कहीं सुपरसीड करना पड़े और सरकार करे तो मगर उसके साथ साथ वहां चुनाव कराने के लिये भी क़दम उठावे। क्या माननीय सदस्य यह बतलायेंगे कि टांडा की म्युनिसिपैलिटी जो ४ साल से सुपरसीड है वहा चुनाव अब तक क्यों नहीं कराये गये । क्या वहां कोई अकाल या बीमारी है ? वहां पर सन् ५० में एक बड़ी ज़बरदस्त मीटिंग हुई थी। मै भी वहां गया था और करीब १२ बजे रात तक जम कर के जनता इस प्रस्ताव को पास कर चुकी है कि हम लोग चुनाव पर आने के लिये तैयार हैं। वहां अब तक चुनाव क्यों नहीं हुये ? यहां पर इसी तरह से एक चर्चा हुई। ख़ैर, मै उस वादविवाद में नहीं जाना चाहता । मैं सिद्धांततः इसका विरोधी हूं कि म्युनिसिपल बोर्ड की जितनी कमेटियां हैं वे सुपरसीड की जावें। क्या सम्मानित सदस्य इसे जनता के अधिकार का छीना जाना नहीं मानते ? यह सवाल गहराई के साथ सोचना चाहिये एक दूसरे के ऊपर आरोप और प्रत्यारोप करना किसी के लिये लाभकारी नहीं होगा । यह भी बात सही नहीं है कि सरकारी पक्ष अगर किसी बात को मान ले तो वह सही ही हो । कुछ मान्यतायें भी होती ह इसलिये कोई भी व्यक्ति अपने को सब बातों का ठेकेदार नहीं समझ सकता. अगर वह तमाम बातों का अपने को ठेकेदार समझता है तो वह ग़लती करता है, यह उसकी खामी है । अगर वह कहता है कि उसे हर विषय की पूरी जानकारी है तो यह उसकी संकुचित मनोवृत्ति का द्योतक है । जब यह बात निर्विवाद है तो एक व्यक्ति किसी भी प्रकार से तमाम बातों का ठेकेदार नही हो सकता । इसी प्रकार सरकार तमाम वस्तुओं की ठेकेदार नही हो सकती। इसके लिये कुछ उसूल बने हुये है, कुछ मान्यताएं हैं, कुछ परम्परायें हैं। हमें यह देखना होता है कि दूसरे मुल्कों में क्या परम्परायें है और उन्हीं परम्पराओं को संशोधित रूप में लागू करने की कोशिश की जाती है । हमारे मित्र नारायण दत्त जी ने दुनियां के मुल्कों का हवाला देते हुये कहा कि जब डिक्टेटरशिप की भावना नहीं आयी थी और जब आज की भांति जनतंत्रवाद के बारे में भी स्वस्थ, स्पष्ट और स्वच्छ भावना नही हुई थी उस समय भी सस्पेंशन का अधिकार सरकार के हाथ में नही था लेकिन अब जब कि जनतंत्र के बारे में स्वस्थ, स्पष्ट और स्वच्छ भावना का निर्माण हो चुका है तब उस जनतंत्र के बारे मे मतभेद नहीं हो सकता । आज जब कि जनतांत्रिक प्रणाली लागू है उस समय से जब कि जनता के अधिकार समाप्त किये जा रहे है उस समय से जनतांत्रिक बातें सुनते-सुनते सरकार को अजीर्ण हो गया है । जिस तरीके से यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है, और जिस प्रकार से हम यहां चुन कर आये हैं, म समझता हूं वह इस सदन के लिये अपमानजनक बात है । इससे हमारी भावनाओं को ठेस लगती है । जिस तरीके से हम यहां चुन कर आये हैं, जिस पर हम गर्व करते है, जिसके लिये हम गौरव के साथ कहते ह कि हमने इतनी बड़ी जनतांत्रिक प्रणाली का प्रयोग किया है, प्रयोग किया है जैसा प्रयोग दुनियां के किसी भी भाग में नहीं हुआ है, फिर क्यों यह सदन जनता के अधिकार एक बैकडोर से छीनने जा रहा है ? यह बहुत ही चिन्ता की बात है । इसे 'सेन्ट्रलाइज़्ड डैमोक्रेसी' कहते है।

[श्री रामनारायण]

मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी खुल कर इस पर बात करें । उनकी क्या मान्यतायें हैं उनके बारे में विचार काफी से काफी समय में खुल कर हमारे सामने रखें । यह कोई छिटपुट वाला संशोधन नहीं हैं । यह संशोधन मौलिक तत्वों को ले कर रखा गया है । एक तरफ तो हम यह कहते हैं कि हम जनतांत्रिक प्रणाली में विश्वास करते हैं और दूसरी तरफ हम सुपरसीड करने का प्रावीजन रखते हैं। ये दोनों प्ररस्पर विरोधी बातें हैं। कौन्ट्राडिक्टरी टर्म्स हैं। मैं सरकार और माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि वे इस रास्ते को अख्तियार न करें । यह सही है कि बहुमत उनके साथ है लेकिन जिस बात को बहुमत मान लेगा वही सत्य तो नहीं हो सकती । माननीय मंत्री जी ने कहा कि केवल ६ महीने के समय से काम नहीं चलेगा । सुपरसीड करने के बाद एक दो बरस उनको देखें, आजमायें और जब परिस्थिति परिपक्व हो तब चुनाव करायें । उनका यह तरीका मेरी समझ में नहीं आया । दुनिया में समय का बड़ा महत्व होता है । अगर आज हम समय का महत्व नहीं समझेंगे तो मैं कहता हूं कि हम अपने कर्तव्य से च्युत होंगे। श्रीमन् टाइम और स्पेस का आज बड़ा महत्व हैं । वह तो इस युग की देन है, इस युग की चेतनता है । यहां तक देखेंगे श्रीमन् कि एटम में जो एलेक्ट्रोन्स प्रोट्रन्स होता है वह भी टाइम और स्पेस पर ही होता है । यहां पर सम्मानित मंत्री महोदय नहीं हैं नहीं तो मैं उन्हीं की कही हुई बातों को यहां पर बतलाता । श्री सम्पूर्णानन्द जी इनर्जी की भी परिभाषा करते हैं और बतलाते हैं कि वह भी समय पर अपना काम करता है । मैं उन शब्दों को दोहराना नहीं चाहता । तो यह कहना कि ६ महीने, साल भर और डेढ़ वर्ष में कोई भी फ़र्क नहीं है, यह बात मेरी समझ में नहीं आती । इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से आप के जरिये यह पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि ६ महीने और साल भर में बड़ा फ़र्क होता है और अंग्रेजी की कहावत तो यहां तक है कि "देयर इज मेनी ए स्लिप बिट्वीन दी कप ऐंड दी लिप"। यानी प्याले को मुंह तक लाने में बहुत स्लीप्स हो जाते हैं । तो यह कहना कि एक साल दो साल समय लगेगा तो कोई हर्ज नहीं होगा । मैं समझता हूं कि यह बहुत बड़ा हर्ज है और इतना बड़ा हर्ज है कि जनतंत्र की जो मान्यतायें हैं और जिन कारणों के वशीभूत हो कर सरकार उन मान्यताओं को ठुकराना चाहती है वे ही कारण आज आकर के उपस्थित हो जाते हैं।

श्रीमन्, मैं श्री रामनारायण त्रिपाठी के , सुपरसेशन का समय लिमिट करने के संशोधन के समर्थन में खड़ा हुआ हूं और आप के द्वारा मैं पुनः माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं और उनसे अपील करना चाहता हूं कि आखिर हमारी वे आशंकायें क्या निर्मूल हैं कि सरकार किसी काम को करती है तो वह अपनी सत्ताधारी पार्टी को मजबूत करने के लिये बहुत सी जो सत्य मान्यतायें हैं उनको ठोकर मार कर के उनको छोड़ती है । और श्रीमन्, इसके पहले भी मैंने आप की इजाजत से श्री त्रिलोकी सिंह के केस में सम्मानित जज ने जो फैसला दिया है उसकी कुछ लाइनें पढ़ने की कोशिश की थी और उसमें मैंने बतलाया कि सम्मानित जज ने तो यहां तक कहा है इस फैसले में, कि जो काम किया गया है वह पोलिटिकल आबजेक्टिव को सामने रख कर किया गया हैं । इस तरह से श्रीमन्, सुपरसेशन के बारे में इस संशोधन के जरिये कहा गया है। मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं कि जब कि हमारे पास इतने प्रमाण हैं कि सरकार पोलिटिकल आब्जेक्टिव को सामने रख कर क़दम उठाना चाहती है तो फिर सुपरसीड करके अधिकार को अपने हाथ में अगर सरकार लेगी तो क्या उस समय पोलिटिकल आब्जेक्टिव को सामने रख कर संकुचित मनोवृत्ति से काम करने की आशंका नहीं की जा सकती है ? जिस तरीके से सरकार पिछले दिनों से काम कर रही है क्या वह उन तमाम तरीकों को छोड़ देगी ? और अनियन्त्रित और निरंकुश गति से तमाम बोर्ड्स को सुपरसीड नहीं करेगी ?

श्रीमन्, अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बार-बार इस सदन में इस मौलिक तत्व का विवेचन करते हो गया मगर पता नहीं क्यों माननीय मंत्री जी की बुद्धि को हम सुधार नहीं पाते

और माननीय मंत्री जी की बुद्धि इन बातों को ग्रहण नहीं कर पाती ? मुझे अफसोस तो होता ही है और फिर सोचता हूं कि क्या बार-बार इन तर्कों को जो मैं प्रस्तुत करता हूं क्या वे निराधार हैं? फिर यहां से जाने के बाद श्रीमन्, जनतंत्र पर अब तक जितनी प्रमाणित पुस्तिकायें निकली है उन सब को छान डालता हूं तो इसी नतीजे पर आता हूं कि जो कुछ मैंने कहा था वह ठीक कहा था।

श्रीमन्, मैं फिर आप के जरिये स्पष्ट करना चाहता हूं कि क्या इस सरकार के लिये हमने पिछले कुछ दिनों में जितने विशेषणों का प्रयोग किया है क्या वे सारे विशेषण मूर्तिमान हो कर इस सदन में प्रस्तुत नहीं हैं ? श्रीमन्, मैं आप के जरिये माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वे सुपरसेशन करने के लिये क्यों लालायित हैं? क्या सुपरसीड करने की सारी ताकतें उनके हाथ में नहीं आतीं ? एक तरफ हम जेर कमेटी की रिपोर्ट की चर्चा करते हैं और जब चर्चा करते हैं और उसकी बात कहते हैं तो माननीय मंत्री जी कहते हैं कि वह समय दूसरा था, यह समय दूसरा है, वह अंग्रेजी राज्य था और अब कांग्रेसी राज्य है। इसलिये कांग्रेसी राज्य में हम उन बातों को न कहें जो अंग्रेजी राज्य में हमारी मान्यतायें थीं।

श्रीमन्, अफसोस है कि यह बातें हम इस कान से इस सदन में बैठकर सुनते हैं।

श्री शिवनारायण—मैं यह जानना चाहता हूं कि माननीय सदस्य अंग्रेजी राज्य के पोषक हैं या इस राज्य के पोषक हैं।

श्री राजनारायण--श्रीमन्, माननीय मित्र ने बड़ा अच्छा प्रश्न किया और इसकी सफाई कर देना हमारा कर्त्तव्य है। बहुत सही बात हमारे भाई शिवनारायण जी ने कही। मैं यह बताना चाहता हूं कि मैं किसी राज्य का पोषक नहीं हूं और मैं समझता हूं कि वह व्यक्ति और वह पार्टी जो अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिये फांसी की रस्सी का चुम्बन करती है वह व्यक्ति या वह पार्टी किसी सरकार से बंधकर नहीं रह सकती। जहां हमारे उद्देश्यों की पूर्ति होगी और जहां हमारे लक्ष्य की पूर्ति होगी और जिस सौम्य तरीके से होगी हम उसे करेंगे हम किसी सरकार के पोषक नहीं करेंगे। हम अंग्रेजी राज्य के भक्त नहीं थे और न कांग्रेसी राज्य के भक्त हैं। अगर कांग्रेसी राज्य अंग्रेजी राज्य की प्रणालियों को अख्तियार करती है तो वह हमारे लिये उतनी ही गुनहगार है जितना अंग्रेजी राज्य गुनहगार था। और इसीलिये हम स्पष्ट शब्दों में उसको गुनहगार कहना चाहते हैं। हम आदर्शवादी हैं। अपने उद्देश्य की पूर्ति में, अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिये आये हैं और उन उद्देश्यों की पूर्ति करना हमारा परम कर्त्तव्य है। जब कांग्रेस गलत रास्ते से चली तो हमने उसका त्याग किया और आज उसी उद्देश्य की पूर्ति यहां पर भी कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि श्री शिवनारायण जी ने जो सवाल उठाया है वह बड़ा मौलिक सवाल है। श्रीमन् यह निवेदन करना चाहता हूं कि श्रीमान शिवनारायण जी भ्रांति के अन्दर हैं। मैं यह चाहता हूं कि उनकी बुद्धि विभ्रम जन्य भ्रांति हटे, उनका बुद्धि विभ्रम टूटे। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि किसी राज्य के प्रति वफादार मत हो, बल्कि स्टेट के प्रति वफादार हो। श्रीमन्, जनतंत्र के ये पांच तत्व होते हैं, इंडिविजुअल, स्टेट, गवर्नमेंट पार्टी के और सोसाइटी। हमें इन पांचों तत्वों की बारीकियों को समझना है और एक दूसरे से परस्पर क्या सम्बन्ध है इसको समझना है।

श्री उपाध्यक्ष—मैं समझता हूं कि आप श्रीमान् शिवनारायण जी ने जो कुछ पूछा था उसका काफी उत्तर दे चुके।

श्री शिवनारायण—उपाध्यक्ष महोदय, मैंने तो एक प्रश्न जानकारी के लिये पूछा था लेकिन श्रीमन्, वे तो डाइरेक्ट अटैक करते हैं। हम भी उसी तरह से इस सदन के माननीय मेम्बर हैं जैसे माननीय राजनारायण जी आनरेबिल मेम्बर हैं।

उपाध्यक्ष--मैं समझता हूं कि माननीय राजनारायण जी अपना भाषण जारी रखें। यह अटैक नहीं है।

श्री राजनारायण--श्रीमन्, जब मैं यहां पर यह बात कह रहा था तो श्रीमन् मुझे श्रद्धेय डाक्टर भगवानदास जी की एक कहानी याद आ गई। डाक्टर भगवानदास जी, मैं उनके लिये कहता हूं, हमारे देश के आज सबसे बड़े दार्शनिक हैं और उनकी विद्वत्ता की, उनकी प्रतिभा की हमारे देश में आज कौन है जो पूजा नहीं करता ? श्रीमन्, काशी विद्यापीठ के सालाना जलसे में वह गये थे और वहां महात्मा गांधी से विचार विनमय का उन्होंने जिक्र किया। उसमें उन्होंने कहा था कि गांधी जी से हमारा यह मतभेद था। गांधी जी कहते थे कि हम रामराज्य चाहते हैं।

उपाध्यक्ष--माननीय सदस्य से मैं जानना चाहता हूं कि संशोधन से इसका क्या संबंध है ?

श्री राजनारायण--श्रीमन्, मैं उसी सस्पेंशन वाले क्लाज पर आ रहा हूं। डाक्टर भगवानदास जी ने कहा था कि रामराज्य की जो बातें करते हैं उनसे पूछना चाहिये कि क्या राम पैदा हो गये ? तो श्रीमन् मैं इस ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि डाक्टर भगवानदास जी ने कहा था कि पहले राम पैदा होगा और रामराज्य तब अपने आप हो जायगा और अगर राम पैदा नहीं होंगे तो रामराज्य नहीं हो सकता और उन्होंने कहा था कि राम का राज्य तो नहीं लेकिन राम की सेना का राज्य कायम है। तो यह बात मैं डाक्टर भगवानदास जी की सुना देना चाहता था।

श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)--अगर राम की सेना का राज्य है तो रावण कौन है ?

श्री राजनारायण--श्रीमन्, अगर राम पैदा होंगे तो रावण भी हो जायेगा। श्रीमन्, मैं तो चाहता हूं कि सदन में शांति से लोग सुनें लेकिन सम्मानित सदस्य शांति नहीं रखना चाहते ।

तो श्रीमन्, मैं कह रहा था कि आज जिस तरह की परिस्थिति है, आज जिस तरह का वातावरण है उसमें मैं पुनः आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें हम को उदारता के साथ सौहार्द्र के साथ विरोधियों की बातों को सुन कर मनन करके, ग्रहण करने उनका उत्तर देने के लिये हम तैयार हों और अगर सही बातें हों तो ग्रहण करने के लिये तैयार हों। इसलिये सस्पेंशन के सवाल को जो छः महीने में बांधने का संशोधन माननीय रामनारायण त्रिपाठी जी ने रखा है मैं जोरदार शब्दों में उस संशोधन का समर्थन करता हूं। और आपसे पुनः अपील करता हूं कि माननीय मंत्री जी जितनी शंकायें प्रस्तुत हैं उन शंकाओं का समाधान करेंगे। और मैं आपसे, श्रीमन्, यह भी अपील करना चाहता हूं कि इस सदन की मर्यादा यह है कि शांति के साथ हम एक दूसरे की बात सुनें और अगर किसी एक वक्ता के बोलते समय बीच में वितंडावाद पैदा करते हैं तो वह जनतान्त्रिक मर्यादा के विरुद्ध है। इस सदन की मर्यादा के विरुद्ध है। यह सही है कि ट्रेजरी बेंच का बहुत बड़ा बहुमत है । लेकिन अगर शोर गुल मचायेंगे तो शोर गुल मचाने के लिये तो दो आदमी भी काफ़ी होते हैं। इसलिये अगर ऐसी परिपाटी खड़ी की गयी तो मैं आपके जरिये सदन को सचेत कर देना चाहता हूं कि आगे इस सदन में शांति के साथ कोई कार्यवाही न चल सकेगी जिसका मुझे घोर क्षोभ होगा। इसलिये मैं आपके जरिये पुनः अपील करना चाहता हूं कि हम माननीय मंत्री जी से सफाई चाहते हैं कि सरकार की क्या नीति है? सरकार किस तरह की जनतन्त्र प्रणाली को अख्तियार करती है ? अगर सरकार सस्पेंशन को नियंत्रित करने का जो संशोधन है इसको न मानेगी तो क्या इस का कदम जनतान्त्रिक होगा या गैरजनतान्त्रिक होगा। इन तमाम बातों की सफाई

हम माननीय मंत्री जी से चाहते हैं। हम चाहते हैं कि माननीय मंत्री जी जो सफाई करें वह हम ध्यान से सुनें और अगर उनकी बात विवाद करने के पश्चात् सनक्ष में आ जाय तो हम अपने संशोधन को वापस भी लेने को तैयार हैं। हमारी कोई हठवादिता नहीं है। एक बात और मैं आपके जरिये अपील करना चाहता हूं। हठवादिता और जनतन्त्र में परस्पर विरोध है। जहां हठवादिता होगी वहां जनतन्त्र कोसों दूर भाग जाता है। जनतंत्र में लोग उदार हों, व्यापक हों और वसुधा का कौटुम्बिक रूप हो। अगर यह बात उनके दिमाग में बैठ जायगी तो जो भी काम आज बहुमत के गर्व में आ कर करना चाहते हैं वह नहीं करेंगे।

श्रीमन्, आपसे एक बात की और अपील करना चाहता हूं। जब महात्मा गांधी ने जनतान्त्रिक पद्धति का विवेचन किया है तो सुपरसेशन के बारे में उन के कुछ मंतव्य जो हैं वे मैं आपकी खिदमत में रखना चाहता हूं। गांधी जी ने कहा था की वह ऐसी व्यवस्था चाहते हैं कि जिसमें सरकार विहीन समाज हो और उस के पूर्व समय जो मार्क्स ने कहा था, वह यह था कि स्टेटलेस सोसाइटी हो: स्टेटलेस सोसाइटी के मानी तो विदरिंग आफ दि स्टेट होगा और विदरिंग आफ दि स्टेट के मानी विदरिंग आफ दि डेमोक्रेसी। ये भी तार्किक विवेचन किये गये हैं। इसलिये इन विवेचनों को सामने रखना चाहता हूं।

श्री अतहर हुसैन ख्वाजा (जिला सहारनपुर)––मैं आपके जरिये आनरेबिल मेम्बर को बता देना चाहता हूं कि म्युनिसिपल गवर्नमेंट और स्टेट में कुछ फर्क है।

श्री राजनारायण––श्रीमन्, मैं आपकी इजाजत से जो संकेत हमारे मित्र ने उपस्थित किया है उसका समाधान करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष––प्रस्तुत वि के लिये संकेत का समाधान करना आवश्यक नहीं है।

श्री राजनारायण––तब मैं आपके जरिये निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी से कि वह क्यों यह छः महीने की कैद न रखने के पक्ष में हैं इसकी सफाई वह हम को दें। अगर माननीय मंत्री जी छ. महीने की कैद न रखेंगे तो उन का वह कदम जनतंत्र पर खरा उतरेगा या सेंट्रलाइज्ड मनोवृत्ति पर खरा उतरेगा इसकी भी सफाई माननीय मंत्री जी से चाहता हूं। हमारी पुरानी शंकायें हैं जिन शंकाओं के समर्थन में हमने कई बातों के फैसले दिये; हमने पब्लिक सरविस कमीशन की रिपोर्ट दी और कुछ बोर्डों की हमने चर्चा की। एक बोर्ड का श्रीमन् हमने चर्चा किया टांडा जो ४ वर्ष से सुपरसीड है मैं वहां की परिस्थिति के बारे में जानकार हूं और हमारे माननीय सदस्य भी वहां पास से आते हैं, एन०एल०ए० हैं, और वहां जाया भी करते हैं। वहां के बहुत से लोग विरोधी पार्टी के मेम्बर ने बैठे भी हुये हैं। ऐसी बातें जो हमारे सामने प्रत्यक्षदर्शी के रूप में आकर खड़ी हो जाती हैं तो हमारी शंकायें बढ़ जाती हैं। माननीय मंत्री जी ठंडे चित्त से गौर करें, आवेश में न करें।। अगर वह आवेश में होंगे तो गौर नहीं कर पायेंगे। यदि हठवादिता पर सरकार चली जायगी तो जनतंत्र का रास्ता छोड़ेगी और वह बिल्कुल डिक्टेटोरियल पावर अख्तियार करने की बात करेगी। माननीय मंत्री जी ने जो बोर्ड के ऐक्ट में व्यापक संशोधन लाने की बात कही है मैं उसकी ओर संकेत करना चाहता हूं कि बोर्ड एक कैरीकेचर आफ ए स्टेट है। ऐसे रिकमेंडेशन हमारे पास मौजूद हैं। पुराने समय में सरकार का यह कहना था कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड म्युनिसिपल बोर्ड, टाउन एरियाज और नोटीफाइड एरियाज इन सब पर सरकार बड़ी

[श्री राजनारायण]

कृपा करती है और सरकार की उदारता और अनुकम्पा विशेष से ही उनका संगठन होता है। वह मनोवृत्ति सरकार इस समय छोड़े। यह उदारता की बात नहीं है, यह कृपा की बात नहीं है, अनुकम्पा विशेष की बात नहीं है, यह मौलिक अधिकारों की बात है कि आम जनता के हाथ में शक्ति जानी चाहिये। जहां तक आम जनता के हाथ में शक्ति ले जाने की ओर यह कदम है या आम जनता के हाथ से शक्ति को सेंट्रलाइज करने का कदम है, या नहीं इन अपनी पुरानी शंकाओं की ओर संकेत करते हुये श्रीमन्, मैं मंत्री महोदय से पुनः अपील करूंगा कि अगर हमारी बात में हठवादिता हो तो वह भी हमें स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे और अगर तर्क है तो अपोजीशन केवल अपोजीशन के लिये नहीं होना चाहिये। मैं ज्यादा वाद-विवाद करना पसन्द नहीं करता। मैं चाहता हूं कि वस्तुस्थिति को देखते हुये तार्किक को वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखना चाहिये। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से चाहे जितने भी वजन से हम अपनी बात रखें मगर सरकार फिजूल की बातें इधर उधर की रख कर यह कहे कि केवल अपोजीशन के ख्याल से यह संशोधन रख दिया गया है ऐसी बात कह देना अशोभनीय है इससे काम नहीं बनेगा। माननीय मंत्री जी गौर करेंगे यही अंतिम निवेदन है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—उपाध्यक्ष महोदय, मेरे संशोधन पर जो मौलिक उसूलों से संबंधित था इस सदन में काफी वाद विवाद हुआ और मैं उन माननीय सदस्यों का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने इस संशोधन को समझने और अपनी राय जाहिर करने की कोशिश की। इसमें काफी लम्बी बहसें भी हो चुकी हैं। मैं माननीय सदस्यों से सिर्फ दो सवाल करना हूं और उनके हल मैं चाहता हूं कि मंत्री जी स्पष्ट करेंगे। पहला सवाल, एक माननीय सदस्य ने यह कहा कि सुपरसेशन के मानी ही क्या हुये अगर ६ ही महीने के लिये किया जाय? मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य के मुंह से यह जल्दी में निकल गया। इसके मानी यह हुये कि सरकार सुपरसेशन इसलिये करती है कि लम्बे अरसे तक सरकारी कर्मचारियों के हाथ में बोर्ड दे दिया जाय। इसलिये नहीं होता बल्कि इसलिये होता है कि व्यवस्था में कुछ गड़बड़ी पाकर सरकार मौजूदा कानूनों के अनुसार यह उचित समझती है कि मौजूदा लोग जो कुर्सी पर हैं उनके रहते हुये गड़बड़ी पैदा हो सकती है। अब सवाल यह है कि एक मर्तबा सुपरसेशन हो गया तो क्या चार छः साल तक चलना चाहिये? यह मैं समझता हूं कि सरकार का मंशा नहीं है। ६ महीने का वक्त मैंने इसलिये रखा कि फौरन ही व्यवस्था हो और ६ महीने में दुबारा चुनाव हो सकता है और जो वैकुअम क्रियेट होता है नये चुनाव के पहले और सुपरसेशन के बाद, उसके लिये ६ महीने का वक्त काफी है।

उपाध्यक्ष महोदय, अगर हम यह मान लेते हैं कि सुपरसेशन करने के बाद एक आदमी जिसको कि सरकारी तरीके पर हमने ऐडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर कर दिया वही उचित है तो इसके मानी हैं कि हम अप्रत्यक्ष रूप से म्युनिसिपल बोर्ड की तमाम जनता के ऊपर अनुदारता और अविश्वास का भाव प्रगट करते हैं। हम यह कहते हैं कि साढ़े तीन साल का वक्त बाकी है। अगर उसको ज्यादा रिलाई करेंगे तो इसके मानी यह हैं कि १०,१२,१५, या २० आदमी जो कि चेयरमैन और मेम्बरों की शक्ल में मौजूद हैं उनके अलावा जनता में कोई इस काबिल है ही नहीं जो कि इस मसले को हल कर सके और बोर्ड को सुव्यवस्थित कर सके रीएलेक्शंस के बाद आकर। हमको इसका विरोध नहीं है लेकिन यह एक मौलिक प्रश्न है। हम सब विधान सभा के मेम्बर हैं और कानून बनाने के लिये बैठे हुये हैं। यह दो प्रश्न ऐसे मौलिक हैं कि ऐसे मेम्बर्स को इंवाल्व करते हैं। इन प्रश्नों पर आशा है स्वायत्त शासन मंत्री प्रकाश डालेंगे और मैं समझता हूं कि इतना ही इस समय काफी है।

श्री मोहनलाल गौतम—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक बात बड़े जोरों से मुझसे पूछी गई कि क्या यूरप में भी कहीं सुपरसेशन का अधिकार है? तो जल्दी में जो कुछ मुझे

याद था थोड़ा बहुत देख पाया। वह यह है कि इंग्लैंड में भी सुपरसेशन का अधिकार है और फ्रांस में भी अधिकार है। फ्रांस में जो अधिकार है सुपरसेशन का वह प्रिफ़ेक्ट को है जो कि मिनिस्ट्री आफ इंटीरियर का एक आफिसर होता है। यह नहीं कि स्टेट गवर्नमेंट का या गवर्नमेंट सेट अप का कोई अधिकारी हो बल्कि यह अधिकार प्रिफेक्ट को है जिसकी हैसियत करीब-करीब हमारे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की होती है। इसलिये इस तरह की मिसालें दूसरे मुल्क में हैं और यदि यह ठीक है तो वह अधिकार रहना चाहिये और रहेगा। तो ६ महीने काफी नहीं है। बाकी जो दलीलें थी उनका जवाब देकर मैं सदन का समय नष्ट नहीं करना चाहता।

श्री नारायण दत्त तिवारी—मैं एक सवाल करना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि फ्रांस में जो म्युनिसिपल बरो होता है और जो उनका एक ऐडमिनिस्ट्रेशन होता है वह गवर्नमेंट ऐडमिनिस्ट्रेशन का ही हिस्सा होता है और गवर्नमेंट की तरफ से वह मशीनरी उन्हीं के हाथ में होती है या डिप्टी कमिश्नर की सी हैसियत उनकी होती है।

श्री मोहन लाल गौतम—यह कहना कठिन है कि प्रिफ़ेक्ट के अन्दर लोकल बाडीज होती है या लोकल बाडीज के अन्दर प्रिफेक्ट होता है। इस बहस में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर माननीय मेम्बर जानना चाहते हैं तो वह घर पर आ सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १२ में प्रस्तावित धारा 13 के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय—

"Provided that the maximum period of the supersession will not be more than six months."

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १२ इस विधेयक का अंश माना जाय।

(प्रश्न उपस्थत किया गया तथा स्वीकृत हुआ।)

खंड १३

१३—मूल अधिनियम की वर्तमान धारा ३१—ए के स्थान पर निम्नलिखित रक्खा जाय— यू० पी० ऐक्ट २, १६१६ की धारा ३१—ए का संशोधन।

"31-A. When a board is dissolved under section 30, the following consequences shall follow— Consequences of dissolution of board.

(*a*) all members of the board—

(i) but not the President, or

(ii) where the State Government so directs, the President also shall on a date to be specified in the order-vacate their respective offices but without prejudice to their elegibility for re-election or renomination; and

(*b*) the election or nomination of the members or the President, as may be necessary, shall be held or made, as the case may be,

(i) in a case referred to in sub-clause (i) of clause (*a*) above as though there had been casual vacancies, and

(ii) in a case referred to in sub-clause (ii) of clause (*a*) above as though the term of the board fixed under section 10-A had expired."

श्री बाबू लाल मीतल (जिला आगरा)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन पेश करना चाहता हूं कि खंड १३ में प्रस्तावित नयी धारा 31-A की उपधारा (b) की पंक्ति २ में शब्द "president" और "as may be necessary" के बीच में शब्द "or both" बढ़ा दिये जायं।

महोदय, चुनाव किस-किस परिस्थिति में होंगे यह ३१—ए धारा मे बताया गया है। आपकी आज्ञा से मै इसे पढ़कर स्पष्ट कर देना चाहता हूं।

"31-A. When a board is dissolved under section 30 the following consequences shall follow—

(*a*) all members of the board—

(i) but not the President, or

(ii) where the State Government so directs, the President also, shall on a date to be specified in the order vacate their respective offices but without prejudice to their elegibility for re-election or renomination; and (*b*) the election or nominainon of the members or the President, as may be necessary, shall be held or made, as the case may be,............

इससे स्पष्ट है कि एक परिस्थिति ऐसी आ सकती है कि जब चुनाव प्रेसीडेंट और मेम्बर दोनों का हो। लेकिन जहां (बी) क्लाज शुरू हुआ है उसमें लिखा हुआ है—

"the election or nomination of the members or the President, as may be necessary, shall be held or made, as the case may be,"

जैसा कि इसमें स्पष्ट है कि चुनाव या नामजदगी मेम्बर्स की ही हो सकती है या प्रेसीडेंट की हो सकती है, लेकिन जिस वक्त मेम्बर्स और प्रेसीडेंट दोनों का चुनाव होना हो तो यह चीज इसमें स्पष्ट नहीं है। इसलिये मेरा निवेदन है कि जिस स्थान पर मैंने कहा है उस स्थान पर यदि शब्द "or both" रख दिये जायंगे तो इसकी भाषा बिल्कुल स्पष्ट हो जायगी और कोई इसमें घपले की बात नहीं रहेगी। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी को इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी। हर हालत में "or both" बढ़ा देने से भाषा बिगड़ती नहीं है, कुछ न कुछ सुधर जाती है। इन शब्दों के साथ मै इस प्रस्ताव को पेश करता हूं।

श्री मोहन लाल गौतम—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस पर मैंने काफ़ी विचार किया और मेरे ख्याल में जो भाषा इस समय है उससे वही मतलब निकलता है जो इस अमेंडमेंट का है, और मुझे आशा है कि इस अमेंडमेंट को प्रेस नहीं किया जायगा।

श्री बाबूलाल मीतल—आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं केवल यह बता देना चाहता हूं कि जो पहले ३१ (ए) थी ऐक्ट नं० ७ सन् १६४६ की २५ धारा के अनुसार उसमें साफ-साफ यह था कि प्रेसीडेंट और मेम्बर्स का चुनाव हो सकता है। उसमें तीन क्लाजेज थे और (सी) क्लाज में साफ लिखा है कि :

"All members shall be elected, nominated or co-opted.......... ....where the President has also Vacated his

co-option shall be held or made of the members and the President ....
उसमें यह चीज साफ थी कि जहां मेम्बर्स और प्रेसीडेंट दोनों के लिये था । ऐक्ट २ सन् १९१९ के अनुसार संशोधन किया गया था। यहां शब्द "and" है; "or" नहीं है। जहां तक शब्द "or both" का संबंध है, इससे पहले उसमें क्लाज ३१-A (b) में यह स्पष्ट किया हुआ था कि एलेक्शन्स शैल बी हेल्ड आर नामिनेशन्स मेड आर बोथ । उसमें भाषा इतनी साफ थी कि एलेक्शन्स और नामिनेशन के बाद भी "आर बोथ" शब्द रखे थे । केवल इतना मुझे निवेदन करना है। यदि माननीय मंत्री जी फिर भी समझते हैं कि इसकी भाषा स्पष्ट है तो कोई बात नहीं है ।

श्री मोहन लाल गौतम—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो मुझे निवेदन करना था वह मैंने निवेदन कर दिया । मुझे उम्मीद है कि माननीय सदस्य इसे शायद विदड़ा कर लेंगे ।

श्री बाबू लाल मीतल—मैं विदड़ा करता

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री रामनारायण त्रिपाठी—उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से यह संशोधन उपस्थित करना चाहता हूं कि खंड १३ में प्रस्तावित धारा 31-A के अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्ध बढ़ा दिया जाय—

"Provided that fresh elections will be held within six months."

श्री उपाध्यक्ष—मैं समझता हूं कि इसकी बाबत सदन फैसला कर चुका है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—यह वैसा नहीं है। मैं आप की भावनाओं की क़द्र करते हुये दो मिनट में खत्म करता हूं । उपाध्यक्ष महोदय, इस संशोधन की शब्दावली दूसरी है लेकिन करीब-करीब उसी क़िस्म की है । उसमें यह कहा गया था कि सुपरसेशन छः महीने से ज्यादा नहीं हो सकता । इसमें यह कहा गया है कि छः महीने के अन्दर दूसरा चुनाव हो जायगा । उपाध्यक्ष महोदय, इस संबंध में काफी विवाद हो चुका है । मैं कोई बात फिर से नहीं दोहराऊंगा लेकिन जो बात मैं इस संशोधन के संबंध में कहना चाहता हूं उससे सरकार को लाभ ही होगा । जब डिसोल्यूशन आफ बोर्ड्स का प्रश्न आता है तो माननीय स्वशासन मंत्री या सरकार को वहां के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या एस० डी० एम्स० की बातों पर भरोसा कर के बहुत जल्द कार्यवाही कर देना पड़ती है और उसका नतीजा यह होता है कि कभी-कभी ग़लत तरीक़े से बहुत जल्दी-जल्दी में सरकार को और माननीय स्वशासन मंत्री की इच्छा न होते हुये भी कुछ इस तरह के नीचे से फैक्ट्स पेश किये जाते हैं कि जिनकी वजह से डिसोल्यूशन या सुपरसेशन हो जाता है । मिसाल के लिये उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि माननीय स्वशासन मंत्री इसको ग़ौर से सुनें और इस पर कार्यवाही करें । जलालपुर टाउन एरिया फैजाबाद जिले में है, टांडा की बात तो आप सुन चुके हैं। जलालपुर में टाउन एरिया कमेटी काम कर रही है थी और उस कमेटी ने एक टैक्स की रिपोर्ट तैयार किया और टैक्स की फेहरिस्त टांगी। उसके बाद प्रोसेस यह होता है कि फिर वह लोगों की उज्रदारियां सुनती है । उज्रदारी सुनने का मौका नहीं आया , इसी बीच में वहां नायब तहसीलदार गये और उन्होंने लोगों की उज्रदारियां सुनना शुरू कर दीं। उपाध्यक्ष महोदय, प्रोसेस यह होता है कि कमेटी एक मर्तबा टैक्स असेस करे फिर उसके बाद खुद उज्रदारी सुने और उसकी फाइनल लिस्ट टंग जाय तब एस० डी० एम० या टाउन मैजिस्ट्रेट को अधिकार होना चाहिये कि वह जा कर उसमें हस्तक्षेप करे । उज्रदारियों के फलस्वरूप उस टैक्स को कम करे या ज्यादा करे। लेकिन इसमें ऐसा नहीं हुआ कि टाउन एरिया कमेटी उज्रदारी सुनकर अपनी फाइनल लिस्ट टांगती और टाउन मैजिस्ट्रेट के पास उज्रदारी होती, इसके

[श्री राम नारायण त्रिपाठी]

पहले नायब तहसीलदार वहां मौके पर पहुंच जाते हैं और वहां से एक इस बात का टेलीग्राम टाउन एरिया कमेटी द्वारा, प्रान्तीय सरकार के और वहां के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास भेजा जाता है कि यह अवैधानिक कार्यवाही हो रही है। जब तक हम उज्रदारी सुनकर फाइनल लिस्ट न टांगें तब तक नायब तहसीलदार को यह करने का अधिकार नहीं है। अध्यक्ष महोदय, प्रान्तीय सरकार की तरफ से या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की तरफ से कोई कार्यवाही नहीं होती है और वह अनियमित कार्यवाही जारी रहती है। उसके बाद १९ सितम्बर को "एन ब्लाक" तमाम मेम्बर्स इस्तीफा दे देते हैं। इस्तीफ़ा देने के बाद बोर्ड खाली हो गया। उसके बाद सरकार यहां से एक आदेश निकालती है कि २३ तारीख से बार बार हिदायतें देने पर भी और आपत्तियां करने पर भी वहां की टाउन एरिया कमेटी ने अपने टैक्स संबंधी मामलों में सरकार की बातों पर नहीं माना इसलिये वह टाउन एरिया २३ सितम्बर से सुपरसीड कर लिया जाता है।

प्रश्न यह उठता है, अध्यक्ष महोदय, १९ सितम्बर को जब मेम्बरों ने इस्तीफा दे दिया और उसके बाद बोर्ड खाली हो गया तो फिर सुपरसेशन का सवाल २३ सितम्बर से क्यों उठाया जाता है। मैं चेलेन्ज करता हूं कि माननीय स्वशासन मंत्री मौके पर चलें या किसी उच्च अधिकारी को यहां से भेजें तो उनको मालूम होगा कि मैंने जो कुछ कहा है वह लफ्ज़ बलफ्ज़ ठीक है और अवैधानिकता वहां के सरकारी कर्मचारियों की तरफ से हुई है। माननीय स्वाशन मंत्री की मोहर उस पर लग गयी और दस्तखत उनके हो गये तो इसमें माननीय मंत्री जी का दोष नहीं है क्योंकि सूबे में २६७ टाउन एरिया है, ३७ नोटीफाइड एरिया हैं और म्युनिसिपल बोर्ड की तादाद भी १०० के ऊपर ही है और हर एक के मामलों की तफसील में वह जा नहीं सकते। मेरा जो संशोधन है ६ महीने के अन्दर रीएलेक्शन का, तो उसके माने यह हैं कि रेड टैपिज्म की वजह से या ब्यूरियोक्रैसी की वजह से जो हमारी सरकार के रास्ते में रोड़े अटकाती हैं उसकी वजह से अगर सरकार से कोई ग़लती हो गयी तो सरकार को भी एक मौका मिल जाता है कि ६ महीने के अन्दर रिएलेक्शन कराये और उसके बाद वह चुनाव हो जाता है। फिर वहां की जनता जाने, उनके चुने हुये प्रतिनिधि जानें, सरकार की सारी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। उपाध्यक्ष महोदय, यह कहा जा सकता है और सरकार की तरफ से कभी कभी यह प्रस्ताव उठाया गया है कि पंचायतों के जो लोग हैं वह सब ठीक काम नहीं करते हैं, गड़बड़ी करते हैं और म्युनिसिपैलिटियों के चुने हुये लोग गड़बड़ी नहीं करते हैं। अध्यक्ष महोदय, इस तरह के लांछन जनता तो सरकार पर रोज लगाती है और विरोधी दल की तरफ से इस तरह के लांछन लगाना तो आये दिन का काम है। तो जब सरकार ग़लतियां कर सकती तो इसके माने नहीं है कि जनता के चुने हुये टाउन एरिया, नोटिफाइड एरिया तथा नगरपालिकाओं के चुने हुये प्रतिनिधियों के हाथ से यह अधिकार छीन लिया जाय। उपाध्यक्ष महोदय, हर आदमी जो तैरना सीखना चाहता है उसको पानी मे उतरना जरूरी है। अगर हम उम्मीद करें कि देहात की पंचायतों के लोग और टाउन एरिया के लोग और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के लोग इतने धुले धलाये और पाक साफ फरिश्ते हैं कि उनसे एक भी ग़लती नहीं होगी, यह ग़लत है। हमें उनको बराबर मौक़ा देना पड़ेगा और इस तरह से अन्त में जाकर वे सीखेंगे और तब माडेल म्यूनिसिपैलिटीज और टाउन एरियाज बनेंगे। मेरे संशोधन से सरकार को एक मौका मिल जाता है कि अगर जाने अनजाने कोई ग़ल्ती हो जाती है तो छः महीने के अन्दर वह खुद ही दुरुस्त हो जावेगी और सरकार तमाम जिम्मेदारियों बरा जिम्मा हो जाती है। इसलिये मैंने इस प्वाइंट को सरकार के सामने पेश किया ताकि सरकार को व्यर्थ के लांछन न उठाने पड़ें।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह बता दूं कि फ़ीरोजाबाद म्युनिसिपल बोर्ड के बारे में भी हम संतुष्ट नहीं हैं कि जो आर्डर पास किया गया वह उचित हो सकता है परन्तु बारे में हम कुछ अधिक हैं क्योंकि मुमकिन है कि हमको फैक्ट्स न मालूम हों। लेकिन टाउन एरिया जलालपुर की बात जब हम सुनते हैं तो ऐसा मालूम होता है कि बहुत सी जगहें ऐसी हो सकती हैं जहां ऐसा हुआ हो। इसलि

मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि इसको मान ले । इसमें कोई सिद्धांत का सवाल नहीं है । और जहां तक सत्ता के विकेन्द्रीकरण की घोषणा का सवाल है , घोषणा तो हमारी और सरकार की तरफ से एक सी ही होती है मगर सरकार उसको कार्यरूप में परिणत नहीं करती । हम तो सिर्फ प्रोफ़ैसी कर सकते है और घोषणा कर सकते है क्यों कि हमारे पास शक्ति नहीं है, हमारी सरकार नहीं है, लेकिन सरकार के पास दोनों साधन है, अधिकार भी उसके पास है और शक्ति भी है । फिर भी अगर वह अपनी घोषणाओं को कार्यान्वित नहीं करती तो यह उचित नहीं है । हमारे विरोधी दल के लोगों की कम तादाद है और हम जानते है कि पांच साल तक हम अल्पमत में ही रहेंगे, यह दूसरी बात है कि कुछ दो, चार आदमी इधर-उधर से आ कर और हममें मिल जायं मगर पांच साल तक..

श्री राजनारायण—पांच साल तक यह सरकार नहीं रहेगी ।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—हमारे विरोधी दल के नेता की राय है कि पांच साल के अन्दर कोई क्रांति होने वाली है, हो सकता है । लेकिन हम लोग सरकार बनाने के लिये लालायित नहीं है । तो सरकार को तमाम लांछनों से बचने के लिये यह संशोधन बहुत मुनासिब है और अपनी जाने या अनजाने में की गयी ग़लतियों को दुरुस्त करने के लिये भी यह मुनासिब है कि सरकार ६ महीने के अन्दर एलेक्शन करा दे ।

श्री मोहन लाल गौतम—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह संशोधन पूरे कानून को पूरे तौर से समझे बग़ैर रखा गया है । जो इस वक्त नियम है वह यह है कि जब दोनों डिसाल्व हो जायंगे , यानी प्रेसीडेंट और मेम्बर्स रिमूव हो जायंगे तो वह डेसोल्यूशन होगा और डेसोल्यूशन के लिये यह ज़रूरी है कि डेसोल्यूशन की तारीख़ के पहले जनरल एलेक्शन हो जाय पूरे बोर्ड का । इसलिये डेसोल्यूशन से पहले एलेक्शन कराना ज़रूरी होगा । उसमें ६ महीने का सवाल नहीं आता । दूसरी चीज़ यह है कि अगर सिर्फ मेम्बर्स ही हटाये जायें तो जिस तरह से बाई एलेक्शन होता है, फ़ौरन् डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट तारीख़ मुकर्रर कर देगा, यह ला है । इसलिये उसमें ६ महीने का सवाल ही नहीं आता । मेरा ख़याल है कि मेरे इतना कहने के बाद वह इसको वापस कर लेंगे ।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—उपाध्यक्ष महोदय, माननीय स्वशासन मंत्री की बात मैंने समझने की कोशिश की । मैंने समझा कि जो उन्होंने कहा वह सही है । लेकिन मैं तो एक रोक लगा देना चाहता हूं । जैसे प्रेसीडेंट को नहीं हटाया और मेम्बर्स को हटा दिया तो उस हालत में एलेक्शन ६ महीने के बाद रोका जा सकता है । उस दिक्कत को हल करने के लिये मैंने इस संशोधन को रखा है । यह हम नहीं कहते कि सरकार एलेक्शन करायेगी ही नहीं या करा नहीं सकती । लेकिन हम तो एक रोक लगाना चाहते है कि ६ महीने के अन्दर एलेक्शन हो जाय । यही हमारा संशोधन है और हमें आशा है कि माननीय मंत्री जी इस पर ग़ौर करेंगे।

श्री मोहन लाल गौतम—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १३ में प्रस्तावित धारा 13A के अन्त मे निम्नलिखित प्रतिबंध बढ़ा दिया जाय—

"Provided that fresh elections will be held within six months."

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खण्ड १३ इस विधेयक का अंश माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १४, १५ और १६

यू० पी० ऐक्ट २, १६१६ की धारा ३४ का संशोधन।

१४—मूल अधिनियम की धारा ३४ की उपधारा (४) में—

(१) शब्द और संख्या "Sub-section (1)" के स्थान पर शब्द और संख्या "sub-section (1), (1-A) or (1-B)" रख दिये जायं; और

(२) शब्द "said" और "to" के बीच में शब्द "sub-section" के स्थान पर शब्द "sub-sections" रक्खा जाय।

यू० पी० ऐक्ट २, १६१६ की धारा ३५ का संशोधन।

१५—मूल अधिनियम की धारा ३५ की—

(१) उपधारा (१) मे शब्द "enactment" और "the" के बीच मे शब्द "or in carrying out any order made or direction issued by the State Government in exercise of any power conferred by this Act or any other enactment" रख दिये जायं।

(२) उपधारा (२) में—

(क) शब्द "performed" और "within" के बीच में शब्द "or the order or direction is not carried out" रख दिये जायं; और

(ख) शब्द "duty" और "shall" के बीच में शब्द "or executing the order or direction" रख दिये जायं।

यू० पी० ऐक्ट २, १६१६ की धारा ३८ का संशोधन।

१६—मूल अधिनियम की वर्तमान धारा ३८ के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाय—

Terdm of office of members elected or nominated to fill casual vacancies.

"38. The term of office of a member elected or nominated to fill a casual vacancy shall be for the remainder of his predecessor's term of office."

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १४, १५ और १६ इस विधेयक के अंश माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १७

यू० पी० ऐक्ट २, १६१६ की धारा ४० का संशोधन।

१७—मूल अधिनियम की धारा ४० में—

(१) उपधारा (१) खंड (बी) में शब्द और संख्या "sub-section (3) of section 14" के स्थान पर शब्द और संख्या "section s 12-D and 13-D" रक्खे जायं; और

(२) उपधारा (४) के बाद नई उपधारा (५) के रूप में निम्नलिखित रक्खा जाय—

"(5) The State Government may place under suspension a member, against whom proceeding under sub-sections (3) and (4) has been commenced, until the conclusion of the enquiry and any member who has been so suspended shall not so long as the order of suspension continues to remain in force, be entitled to take part in any proceedings of the board or otherwise perform the duties of a member.'

श्री नारायण दत्त तिवारी—श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन प्रस्तुत करना चाहता हूं कि खंड १७ के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाय—

"१७—मूल अधिनियम की धारा ४० निकाल दी जाय"

श्रीमन्, मूल अधिनियम की धारा ४० जो बहुत ही महत्वपूर्ण है जिसका निकाला जाना मेरे विचार से आवश्यक है वह इस प्रकार है—

The State Goverment, in the case of a city or the prescribed authority in any other case may remove a member of the board on any of the following grounds—

(*a*) that he has absented himself from the meetings of the board for more than three consecutive months or three consecutive meetings whatever is the longer period, without obtaining any sanction from the board,

(*b*) that he has incurred any of the disqualifications mentioned in sub section (3) of Sec. 14.

(*c*) that he has within the meaning of section 82, knowingly acquired or continued to hold, directly or indirectly, or by a partner, any share or interest in any contract by or on behalf of the board,"

यह बहुत लम्बी धारा है इसलिये मैं इसको पूरा पढ़कर समय लेना नहीं चाहता हूं। मेरा जो एतराज है वह इसकी उपधारा ३ और ४ से है। अगर माननीय मंत्री जी इस हिस्से को मान लें कि इस अधिनियम की मूल धारा ४० की उपधारा ३ व ४ निकाल दी जायेंगी तो मैं अपने संशोधन को इस तरह से संशोधित कर लूंगा।

मुझे असल में एतराज उपधारा ३ से है और इसी की दृष्टि से अपना संशोधन रखा है। मैं मानता हूं कि यह धारा आवश्यक है और रहनी चाहिये लेकिन इस धारा का यह अंश इसके सारे मतलब को खत्म कर देता है। हमें इस महत्वपूर्ण अंश पर विचार करना होगा कि आखिर वह कौन से कारण हो सकते हैं जिनको ध्यान में रखते हुये किसी भी सदस्य को जो बालिगमताधिकार पर चुना जाय उसको ससपेंड कर सकते या निकाल सकते हैं। यही सिद्धांत मेरे संशोधन में आता है।

श्रीमन्, यह बात सही है कि अगर कोई सदस्य नियम के विपरीत अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिये कोई कार्य करता है या अपने म्युनिसिपल बोर्ड के पद का दुरुपयोग करे या अपने व्यक्तिगत स्वार्थ की कामना के लिये कोई कार्य करता है तो अवश्य निन्दनीय है और कोई न कोई प्रतिबन्ध होना चाहिये। लेकिन मैं आपके द्वारा यह जानना चाहता हूं कि जहां यह प्रश्न आता है तो वह इस प्रकार है—

"The State Government may remove form the board a member who in its opinion has so flagrantly abused in any manner his position as a member of the board as to render his continuance as a member detrimental to the public interest,"

यह इस प्रकार अस्पष्ट भाषा है जो कहीं भी इस्तेमाल की जा सकती है। पार्टी बंदी और दलबंदी में पड़कर किसी बहुमत दल के द्वारा इसका उपयोग हो सकता है। यह अव्यवाहारिक

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

हैं। पब्लिक इंट्रेस्ट क्या है। इसको कौन डिफ़ाइन करेगा। श्रीमन् मैंने तो यह देखा है कि जहां किसी आफिसर का ट्रांसफर होता है तो वह पब्लिक इंट्रेस्ट में होता है, किसी का प्रोमोशन होता है तो वह भी पब्लिक इंट्रेस्ट में ही होता है, किसी को निकाला जाता है तो वह भी पब्लिक इंट्रेस्ट में ही होता है, किसी को डी०एम० बनाया जाय तो वह भी पब्लिक इंट्रेस्ट में ही होता है। गवर्नमेंट के लिये यह एक ऐसी शब्दावली है जो पदासीन करने के लिये इस्तेमाल होती है, तरक्की के लिये इस्तेमाल होती है, हटाये जाने के लिये भी इस्तेमाल होती है। यहां पर जो रिमूवल करने के लिये जो आया है तो इसकी सफाई होने की जरूरत है। श्रीमन् यह सब बातें अंग्रेजों के ब्रिटिश साम्राज्यशाही के काल में इस विधेयक में रखी गई थी। यह धारा जो है यह म्युनिसिपल ऐक्ट, सन् १६ में अंग्रेजों द्वारा बनाई गई थी और उन्होंने जनता के चुने हुये नुमाइन्दों पर अपना अधिकार रखने के लिये, उनको साम्यवादी शक्तियों की कठपुतली बनाये रखने के लिये इस उपधारा को रक्खा था। इसीलिए उन्होंने इसको इस तरह से अस्पष्ट रक्खा था ताकि किसी मौके पर जरूरत हो तो वह उससे फ़ायदा उठा सकें। माननीय मंत्री जी कहेंगे कि अंग्रेजों का जमाना नहीं रहा, अब अपनी सरकार आ गई है और हम इसका दुरुपयोग नहीं करेंगे, ऐसा विश्वास दिलाने की वह चेष्टा करेंगे। लेकिन जैसा मेरे मित्र त्रिपाठी जी कह चुके हैं कि नौकरशाही जो है वह पहले की तरह ही है। बहुत मानी में सरकार कोई अच्छा काम करने की चेष्टा भी करे तो वह उसे समाप्त कर देती है और जब तक कि हमारे प्रदेश में कोई लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोर्ड नहीं बनता, जब तक प्रांतीय स्तर पर हमारे पास ऐसा माध्यम नहीं होता जिसके द्वारा हम जो जिले की नौकरशाही है उससे अलग हो सकें, तब तक मैं समझता हूं कि स्वायत्त शासन के सब मामले, सब शिकायतें जिले के एस० डी० ओ०, डिप्टी कमिश्नर आदि जो अधिकारी हैं, उनके हाथ में रहेंगे।

एक बात माननीय मंत्री जी मानेंगे जो भी म्युनिसिपल बोर्ड के बारे में शिकायतें आती हैं, किसी सदस्य पर आरोप आता है उसके जांच करने के लिये जिला अधिकारी ही जिम्मेदार होते हैं और उनके जरिये ही वह जांच कराई जाती है। उनको सरकार ने विधान द्वारा अधिकार दे दिया है कि वे स्वायत्त शासन संस्थाओं की अपने उन अधिकारों के जरिये जांच करें। मेरे कहने का अर्थ यह है कि जब शब्द इतने अस्पष्ट हैं तो हमें यह सोचना पड़ेगा कि हम इन अधिकारों को स्पष्ट करें और माननीय मंत्री जी इस बात का आश्वासन दिलायें या कोई ऐसा संशोधन आता जिसमें यह शब्दावली स्पष्ट की जाती तो हमें इस संशोधन के लाने की आवश्यकता न पड़ती। श्रीमन्, हमें मजबूर होकर बार-बार खेर कमेटी की रिपोर्ट को लाना पड़ता है। क्योंकि यह कोई हमारी निजी राय नहीं है, स्वयं उनके भी यही विचार थे और इस सदन के द्वारा नियुक्त कमेटी के यही विचार थे। खेर कमेटी में इस शब्दावली के बारे में पेज ५, पैराग्राफ १८ में जो कुछ कहा गया है उसे मैं आपकी आज्ञा से पढ़ देना चाहता हूं--

"The only other important change which we have suggested in the grounds of removal is with regard to the provision relating to flagrant abuse of his position by a memder. We have found from past experience that his rule is capable of being misused owing to its vauge and indefinite phraseology. We have, therefore, subsituted for it a new provision whose language is more precise and simple, namely that a member may be removed on the ground that he has been guilty of habitually contravening the provisions of the District Boards or Municipalties Act or rules, by-laws or regulations framed thereunder."

खेर कमेटी ने भी इसीलिये कि इतने व्यापक शब्दों से अनर्थ न हो सके, उसके लिये यह सुझाव दिया है। मैं माननीय मंत्री जी की सेवा में खेर कमेटी की सिफारिश पेश करना चाहता हूं और उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि वह इस पर गम्भीरता पूर्वक विचार करें कि आया इस प्रकार की जो ताकतें वह प्रस्क्राइब्ड अथारिटी को देने जा रहे हैं,

वह इस शब्दावली का दुरुपयोग तो नहीं करेंगे और साथ ही साथ प्रश्न यह उठता है कि जिन प्रजातंत्र की परम्पराओं को हम अपने लिये सुरक्षित रखना चाहते हैं उन्हीं को हमें दूसरों को भी देना चाहिये। जिन सिद्धांतों को हम यह समझते हैं कि वह इस सदन के लिये उपयुक्त हैं उन्हीं सिद्धान्तों को हमें दूसरे चुने हुये सदस्यों के लिये देना चाहिये। श्रीमन् माननीय मंत्री जी से मैं यह जानना चाहता हूं कि कल को अगर कोई ऐसा विधान बन जाय कि जिससे मंत्रिमंडल सुपरसीड हो सके या मंत्रिमंडल डिजाल्व हो सके तो क्या इस प्रकार वह मानने के लिये तैयार होंगे। क्या कल को हमारी पार्टी की तरफ से एक ऐसा संशोधन आवे या पार्लियामेंट में कोई ऐसा विधान बने जिसके अनुसार यह कहा जाय कि इस प्रकार का वाक्य हो—

"as a member of the board as to render his continuance as a member detrimental to the public interest."

तो इस प्रकार से वह मानने के लिये तैयार होंगे ? शायद माननीय मंत्री जी मुद्गल साहब का उदाहरण दें। लेकिन मैं तो आपके सामने खेर कमेटी का सुझाव रखना चाहता हूं कि जो अपनी सुविधा के लिये अपने पद का दुरुपयोग करता है उसको रिमूव करने का अधिकार होना चाहिये। ऐसा रखना कि जो पब्लिक इन्टरेस्ट में डिटरीमेंटल हो तो इससे कोई मामला हल नहीं होता है क्योंकि यह साफ नहीं है। मैं यह समझता हूं कि इस प्रकार का सिद्धांत चुने हुए मेम्बरों के लिये न किया जाय।

श्रीमन्, मैंने आपके सामने और मुल्कों के उदाहरण पेश किये। माननीय मंत्री जी ने फ्रांस और इंग्लैंड की मिसाल दी और उन्होंने यह कहा कि वहां पर मेम्बरों का सुपरसेशन होता है। अगर मैंने सही पढ़ा है तो मैं यह कह सकता हूं कि वहां पर किसी-किसी मौके पर रिमूवल होता है और वह इस प्रकार की धारा पर आधार नहीं रखता है जैसा कि माननीय मंत्री जी ने अपने यहां धारा ४० के अन्दर पेश किया है। वहां पर मेयर या मेम्बर तभी रिमूव किये जाते हैं जब कोई बहुत खास बात होती है। जैसा कि हमारे यहां डिप्टी कमिश्नर यहां का शासन चलाते हैं इसी तरह से वहां का वह लोग चलाते हैं। हमारे यहां के शासन की तरह से वहां नहीं होता है। उनको पावर होती है और गवर्नमेंट ने उनको बहुत सी ताकत दे रखी है। हमारे यहां की तरह से वहां नहीं है। यहां पर पंचायत डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, और सरकार के बीच कोई तारतम्य नहीं है, कोई मेल नहीं खाता है। इस तरह से जिले की मशीनरी बिखरी हुई है। जब हम यहां गांव की तरफ विचार करते हैं और उनका दूसरे देशों के साथ मिलान करते हैं तब अन्दाज़ा लगाया जाता है कि वहां का ढांचा किस प्रकार का है। फ्रांस के अन्दर वहां की सारी शासन की मशीनरी नीचे तक एक अविभाज्य अंग है। वहां के म्युनिसिपल बोर्ड को बहुत से अधिकार हैं और इस प्रकार से गवर्नमेंट के शासन में वह सहायता करते हैं। उनको रिमूव करने की ताकत है लेकिन जब अपने पद का गलत तरीके से प्रयोग करें तभी वह हटाये जाते हैं। माननीय मंत्री जी ने फ्रांस और इंगलैंड की मिसाल दी और दूसरे देश की किसी की नहीं दी। जहां तक इंगलेंड का सवाल है उसके बारे में मैं कह चुका कि वहां पर लोकल-सेल्फ गवर्नमेंट है उसको भी ऐसी ताकत दे दी है और उसको वहां पर ट्रेजरी और पुलिस शासन को चलाने का अधिकार है। इस तरह के अधिकार वहां पर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोर्ड को है।

जहां तक अमेरिका का सवाल है मैं समझता हूं वहां पर कुछ स्टेट हैं लेकिन कुछ स्टेट ने फ्रांस की पार्लियामेंट के अनुसार इस बात का अधिकार लिया है कि कुछ हालतों में वह मेयर को हटा सके। वह किस आधार पर ऐसा कर सकते हैं यह मैं माननीय मंत्री जी के सामने रखना चाहता हूं—

"Thus the Ohio Municipal Code stipulates that removal may be made only for misconduct in offence, bribery, gross neglect of duty, gross immorality or habitual drunkenness."

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

[इस प्रकार लोहियो म्युनिसिपैलिटी की नियमावली में यह शर्त है कि पृथक्करण केवल अपराधात्मक दुराचार, उत्कोचग्रहण, कर्त्तव्यविमुखता, अत्यन्त अनैतिकता अथवा अभ्यस्त रूप से, मद्य सेवन के कारण नशे में रहने के ही आधार पर किया जा सकता है।]

तो या तो कोई आदतन शराबी हो, अपनी ड्यूटी को नेगलेक्ट करता हो या घूस लेने वाला कोई हो तभी वह हटाया जा सकता है। लेकिन इनएफीशिएन्सी में नहीं निकाला जा सकता यह वहां अमरीका में लोकल बाडीज के एडमिनिस्ट्रेशन की हालत है और वहां पर स्पष्ट कर दिया गया है कि किन हालतों में मेयर को या मेम्बर्स को हटाया या रिमूव किया जा सकता है। मैं यह नहीं कहता कि जो अंग्रेजों की मनोवृत्ति थी वही माननीय मंत्री जी की भी है। लेकिन अगर हम उन सब संकेतों को और भाषा की प्रवीणता, प्रवीणता मैं नहीं कहता, उस भाषा की अश्लीलता को देखें कि जिस में अर्थ का विपर्यय और अपभ्रंश और अनर्थ हो जायगा कि उस से हटाया भी जा सके और पदारूढ़ भी हो सके। इसलिये मंत्री जी को सोचना पड़ेगा कि इसको कहां तक बदलने की आवश्यकता है। इसलिये जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि अगर वह उपधारा ३ को हटाना मंजूर करें या उसकी शब्दावली को ही बदलना मंजूर करें तो मैं संशोधन के अधिक भाग को वापिस ले लूंगा।

श्री मोहन लाल गौतम---उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह स्वीकार नहीं है।

श्री नारायण दत्त तिवारी---उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने कुछ कहा ही नहीं है। इसलिये मैं जवाब ही क्या दूं ?

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड १७के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाय--

"१७---मूल अधिनियम की धारा ४० निकाल दी जाय ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री नारायण दत्त तिवारी---श्रीमन्, मैं आप की आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन उपस्थित करना चाहता हूं कि खंड १७ द्वारा प्रस्तावित धारा 40 की नयी उपधारा (5) निकाल दी जाय ।

खंड १७ द्वारा प्रस्तावित धारा 40 की नयी उपधारा (5) इस प्रकार है--

"The State Government may place under suspension a memqer, against whom proceeding under subsections (3) and (4) has been commenced, until the conclusion of the enquiry and any member who has been so suspended shall not so long as the order of suspension continues to remain in force, be entitled to take part in any proceedings of the board or otherwise, perform the duties of a member."

मंत्री जी ने इस धारा को बिल में स्पष्ट न कर के अन्याय ही किया है।

लेकिन फिर भी मैं ऐसा समझता था कि भले ही सदन का समय कितना ही महत्वपूर्ण क्यों न हो लेकिन यह संशोधन भी बहुत महत्वपूर्ण है। आखिर माननीय मंत्री जी इतना तो जिक्र जरूर कर दें कि सरकार की मनोवृत्ति किन सिद्धांतों पर आधारित है। मैं समझता

हूं कि माननीय मंत्री जी अवश्य उठेंगे और हमें बतायेंगे कि यह सस्पेंशन की धारा इस विधेयक में क्यों जोड़ी गयी है और रिमूवल के संबंध में पुरानी धारा को ही अक्षुण्ण क्यों नहीं रखा गया। श्रीमन् जहां तक सस्पेंशन का सवाल है मुझे कोई एतराज न होता अगर सस्पेंशन के साथ साथ रिमूवल होता। माननीय मंत्री जी ने बिल को पेश करते समय यह बताया था कि सस्पेंशन रिमूवल में निहित होता है ? तो जब रिमूवल में सस्पेंशन निहित होता है तो माननीय मंत्री जी इस नयी धारा को क्यों जोड़ रहे हैं। कई बार माननीय मंत्री जी ने कहा कि यह चीज तो पहले से ही मौजूद है इसलिये इसको मंजूर नहीं किया जा सकता। मैं श्रीमन्, माननीय मंत्री से अब पूछना चाहता हूं कि जब यह चीज पहले से मौजूद थी तो फिर यह नयी उपधारा क्यों जोड़ी जा रही है ? हमारे संशोधनों को अस्वीकृत करते समय आप जो दलील देते थे उसी दलील को मैं इस समय आपकी सेवा में प्रस्तुत करना चाहता हूं।

माननीय मंत्री जी ने बताया कि मान लीजिये किसी मेम्बर या चेयरमैन के खिलाफ कोई इंक्वायरी कराई जा रही है, अगर वह रिमूव नहीं किया जायगा, अगर वह मेम्बर या चेयरमैन बना रहेगा तो वह अपने पद का दुरुपयोग करेगा और जो सबूत वहां है उसको किसी प्रकार से उलट पुलट करने की कोशिश करेगा। मैं समझता हूं इस प्रकार की बात कहीं नहीं है। अगर माननीय मंत्री जी इस चीज को म्युनिसिपैलिटी के लिये मान्य करते हैं तो पूरी शासन व्यवस्था के लिये उसको मान्य क्यों नहीं करते कि जिसके खिलाफ भी इन्क्वायरी चलेगी उसको हर हालत में सस्पेंड कर दिया जायगा तो मैं समझूंगा कि यह बात मानने के योग्य है। जब माननीय मंत्री जी इस बात को कुल शासन व्यवस्था के लिये नहीं मानते तो फिर केवल बोर्ड के मेम्बरों या चेयरमैन के ऊपर ही यह सस्पेंशन की तलवार क्यों लटकी रहे ? मैं यह नहीं कहता कि रिमूव न किया गया। ठीक है, अगर उसने ऐसा काम किया है तो उसको जरूर रिमूव किया जाय लेकिन उसके लिये खास खास बातें मुकर्रर कर देना चाहिये। आपको साफ कहना चाहिये कि घूसखोरी के लिये, बेईमानी के लिये, पद के दुरुपयोग के लिये रिमूव कर दिया जायगा। लेकिन आप तो सिर्फ यह कहते हैं कि 'डैट्रीमेंटल टू पब्लिक इन्टरेस्ट' अगर होगा तो रिमूव कर दिया जायगा। यह गोल मोल बात कहना मेरी समझ से अच्छा नहीं है। अगर आपकी कोई स्पष्ट भाषा होती तो हमें कोई ऐतराज नहीं होता लेकिन जब आप अस्पष्ट भाषा में किसी चीज को रखते हैं तो हमें दिक्कत होती है और हम समझते हैं कि यह शक्ति का दुरुपयोग है। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि वे इस बात को स्पष्ट करें कि जब उनकी यह भावना थी कि 'रिमूवल इन्क्लूड्स सस्पेंशन' तो फिर इसको क्यों यहां बढ़ाया जा रहा है तथा पहले जो इस प्रकार सस्पेंड हुये वे कितने थे। अगर ऐसा था तो फिर इस नयी उपधारा को बढ़ाने की आवश्यकता ही क्या थी ?

श्री मोहन लाल गौतम—माननीय उपाध्यक्ष महोदय मुझे यह स्वीकार नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १७ द्वारा प्रस्तावित धारा 40 की नयी उपधारा (5) निकाल दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १७ इस विधेयक का अंश माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १८

१८—मूल अधिनियम की धारा ४१ में से शब्द "Co-option" निकाल दिया जाय।

यू० पी० ऐक्ट २, १९१६ की धारा ४१ का संशोधन।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन पेश करना चाहता हूं कि खंड १८ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"१८—मूल अधिनियम की धारा ४१ निकाल दी जाय।"

उपाध्यक्ष महोदय, जिस धारा को निकालने का इस संशोधन में प्रस्ताव किया गया है वह इस प्रकार है—

Disabilities of members removed under section 40.

"41 (1). A member removed under clause (*a*) of sub-seticon (1) of the preceding section shall, if othrwise qualified, be eligible for further election or nomination.

(2) A member removed under clause (*b*) of sub-section (1) of the preceding section shall not be so eligible until he has obtained his discharge.

(3) A member removed under sub-section (3) of the preceding section shall not be so eligible for a period of three years from the date of his removal.

(4) A member removed under any other provision of the preceding section shall not be so eligible until he is declared to be no longer ineligible, and he may be so declared, by an order of the Local Government or the Commissioner, whichever of these authorities passed the order of removal."

उपाध्यक्ष महोदय, अगर आप ग़ौर करें तो उसकी धारा। (२) में इस बातका जिक्र है कि a member removed under clause (*b*) of aub section (1) of the preceding section. प्रीसीडिंग सेक्शन के मानी यहां दफा ४० हुये जिसमें यह है कि—

"That he has absented himself from the meetings of the board for more than 3 consecutive months or three consecutive meetings whichever is the longer period, without obtaining sanction from the board; provided that the period during which the member was in jail as an under-trial, detenue or as a political prisoner, shall not be taken into account, etc., etc."

मैं आपकी आज्ञा से वह सेक्शन भी पढ़ना चाहता हूं जिसमें क्वालीफ़िकेशन्स आफ इलेक्टर्स का जिक्र आया है। वह इस प्रकार है—

"14 (1). A person shall not be deemed an elector for any purpose of this Act or of any rule under this Act, unless he is enrolled as an elector."

साथ ही यह भी देखें कि" A person who has completed the age of 21 years and has ordinarily resided in the Municipality for a period of six months next before such date as may be prescribed, shall, if not subject to any disqualifications specified in subsection (3), be entitled to be enrolled as an elector. A person, nothwithstanding that he is otherwise qualified shall not be entitled to be enrolled as an elector ....if he has been adjudged by a competent court to be of unsound mind, etc., etc."

इसके आगे मैं ज्यादा नहीं पढ़ना चाहता हूं। इस सम्बन्ध में माननीय नारायणदत्त जी तिवारी ने जब सेक्शन ४० के रिमूवल का प्रस्ताव आया बहुत सी सैद्धांतिक बातें कहीं। जिन सैक्शन्स का मैंने हवाला दिया उनमें आप देखतें हैं कि कितनें वेराइटी आफ रीजन्स किसी के रिमूवल के लिये रखे गये हैं। धारा ४१ में धारा ४० के (३) का भी जिक्र किया गया है जो इस प्रकार है।

"The State Government may remove from the boaid a member who in its opinion has so flagrantly abused in any manner his position as a member of the board as to render his continuance as a member detrimental to the public interest."

इसके बारे में माननीय नारायण दत्त तिवारी ने सदन के समक्ष और आपके समक्ष काफी प्रकाश डाला। तो हम यह चाहते हैं कि दोनों संशोधनों से हमारा यह मकसद था कि स्टेट गवर्नमेंट को न रिमूवल का अधिकार हो न सस्पेंशन का अधिकार हो। उपाध्यक्ष महोदय, हमारी दलीलें सुन कर सदन के माननीय सदस्यों को एक शंका उत्पन्न हो सकती है कि जो वेराइटीज आफ रीजन्स मैंने पेश किया उन कारणों से तो सचमुच चेयरमैन का सदस्यों का सचमुच रिमूवल (जगह से हटाया जाना) होना चाहिये। तो आप स्टेट गवर्नमेंट को पावर नहीं देना चाहते हैं तो किसको पावर देना चाहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में कुछ अन्तर्राष्ट्रीय बातें भी कही गयीं और दूसरे देशों की मिसालें भी पेश की गयीं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं दोबारा कहना चाहता हूं कि यह कोई वाइड व्यू नहीं है कि हमेशा भूतकाल की मिसालें लेकर हम उनसे चिपके रहें बल्कि चाहिये यह कि हम भूतकाल से कुछ सीख कर भविष्य के सुन्दर जीवन का निर्माण करें, सुन्दर व्यवस्था का निर्माण करें। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय नारायण दत्त तिवारी ने कहा कि विधान के अनुसार मिनिस्टरों को भी ग़लत काम करने पर हटाया जा सकता है। यह ठीक है और उपाध्यक्ष महोदय, जिस समय पार्लियामेंट और असेम्बली का एलेक्शन हो रहा हो उस समय हमारी तरफ से यह मांग की गयी थी कि सरकार को चाहिये कि वह हिन्दुस्तान के विधान में इस बात की व्यवस्था करे कि अगर किसी असेम्बली के मेम्बर या पार्लियामेंट के मेम्बर के खिलाफ जनता हो जाती है तो वहां की जनता को इस बात का अख्तियार होना चाहिये कि वह उसको रिकाल कर सके। यह बहुत प्रोग्रेसिव किस्म का सिद्धान्त है। मैं समझता हूं कि इसको मान कर कोई भी सरकार इस बात का दावा कर सकती है कि वह सही माने में प्रजातन्त्र प्रणाली को मानती है। इसमें तमाम दिक्कतें हो सकती हैं। उपाध्यक्ष महोदय, कांग्रेस सरकार ने अपना विधान बनाते हुए हमारी बातों को नहीं सुना। जितने भी नियम बने, क़ानून बनाये गये उनमें हमारी बातों को ठुकराया गया लेकिन हमने अपने एलेक्शन मेनिफेस्टो में इस बात की स्पष्ट घोषणा की कि एक जबरदस्त राइट हम जनता को देना चाहते हैं। और वह राइट यह है कि अगर वह किसी एम० एल० ए० को, किसी पार्लियामेंट के मेम्बर को, किसी म्युनिसिपैलटी के मेम्बर को, किसी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के मेम्बर को, किसी टाउन एरिया के मेम्बर को, किसी नोटिफाइड एरिया के मेम्बर को रिमूव करना चाहे तो उसे रिमूव कर सकती है।

उपाध्यक्ष महोदय, सरकार को चाहिये कि वह एक ऐसी मशीनरी इस्टेबलिश करे जो इन इल्जामात के ग्राउन्ड पर फौरन् इनक्वायरी करावे और वह संबंधित व्यक्ति पर लीफ़लेट्स और पम्फलेट की शक्ल में जनता के सामने लानी चाहिये कि क्या क्या इलजामात हैं। इसके साथ ही साथ उस आदमी को मौका होना चाहिये कि वह अपनी कांस्टीटुएंसी में जा कर वहां की जनता को यह बतलावे कि उस आदमी के ऊपर सरकार ने जो दोषारोप लगाये हैं, या किसी व्यक्ति ने दोषारोप लगाये हैं वे आरोप ग़लत हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन के माननीय सदस्यों को यह बात नयी मालूम हो सकती है कि इस प्रकार का मौका हो सकता है कि लीफ़लेट बाजी, पम्फलेट बाजी या और भी जितने तरीक़े हो सकते हैं वे ग़लत तरीक़े से इस्तेमाल किये जायं। मैं कहता हूं कि जो भी हो जो ग़लती उसने की है वे सब बातें जनता के प्रकाश में आ जानी चाहियें और उस आदमी को हक़ होना चाहिये कि वह जनता के सामने अपनी सफाई पेश कर सके। उसके बाद उपाध्यक्ष महोदय, सब से बेहतर तरीका जो हमारी राय में और हमारी पार्टी की राय में हो सकता है वह यह है कि सरकार फौरन् ही रिएलेक्शन की व्यवस्था करे और रिकाल की व्यवस्था करे । उपाध्यक्ष महोदय, माननीय स्वशासन मंत्री जी को

[श्री राम[illegible] त्रिपाठी]

डिफ्कल्ट हो सकती है । तो फिर सीधा सादा तरीका यह है कि हर कंस्टीटुएंसी की जनता को मौका दिया जाय चार छः महीने या एक वर्ष बाद कि वह इस बात का फैसला करे कि उसकी कंस्टीटुएंसी का मेम्बर अपने एलेक्शन प्लेज पर कायम रहा या नहीं रहा । वहां "वोट फार दि मैन आर एगेन्स्ट दि मैन" की बिना पर चुनाव होना चाहिये । इसके लिये दो बक्से होने चाहिये और इस बात की पूरी व्यवस्था होनी चाहिये कि जो आदमी फार दि मैन वोट देना चाहे वह उस बैलट बाक्स में अपना बैलट पेपर ले जाकर डाल दे और जो आदमी खिलाफ वोट देना चाहे वह दूसरे "नो" वाले डब्बे में अपना वोट दे दे । उसके बाद अगर यह परिणाम मालूम हो कि बहुमत खिलाफ है तो उस आदमी को फौरन् रिमूव कर देना चाहिये और अगर बहुमत उसके पक्ष में हो तो उस आदमी को रहने देना चाहिये । उपाध्यक्ष महोदय, यह कितना सुन्दर आइने की तरह साफ तरीका है और जिस पर किसी भी प्रजातंत्रीय प्रणाली को फख्र हो सकता है और मैंने शुरू में निवेदन किया था कि प्रान्तीय सरकार और माननीय स्वायत्त मंत्री इन तमाम पावर्स को अपने हाथ में लेकर अपनी जान को आफत मोल ले रहे हैं जनता को सरकार को क्रिटिसिज्म का और मौका दिया जा रहा है जान बूझ कर और इस बात से तो वही पुराना किस्सा सही उतरता है कि "काजी जी क्यों दुबले" कहने लगे "शहर भर के अंदेशे से"। तो सरकार यह सारी ताकत अपने हाथ में लेती जा रही है टाउन एरिया का इंतजाम भी अपने हाथ में लिया, नोटिफाइड एरिया का भी इन्तजाम अपने हाथ में लिया, और असेम्बली का भी इंतजाम अपने हाथ में ले तो लेती है सब अधिकार चाहे संभाल कर किसी को भी अच्छी तरीके से कर न सके । श्रीमन्, इसका अर्थ यह नहीं है कि सरकार गति विधि भी न देखे । गतिविधि देखने का तो अधिकार सरकार को होना चाहिये कि कहीं ज्यादती हो तो वह फौरन् उस व्यक्ति को उपरोक्त ढंग से हटाने की व्यवस्था करे । लेकिन रिकालिंग का अधिकार जनता को होना चाहिये उसके लिये एक तरीका तो वह है जो ऊपर बताया और दूसरा तरीका और है । हमारी तरफ से जब कहा जाता है कि न रिमूवल हो और न सस्पेंशन हो तो हम यह कभी नहीं चाहते कि धांधलीबाजियां चलती रहें, लोग अपनी पावर्स का फ्लैगरेंटी यूज करते रहें और हम यहां चुपचाप बैठे देखते रहें । सदन के सदस्य अच्छी तरह जानते हैं कि जाब्ता फौजदारी और जाब्ता दीवानी में ऐसी धारायें हैं जिनके जरिये से किसी के खिलाफ कार्यवाही हो सकती है, अगर कहीं एम्बेजिलमेंट की कार्यवाही हो तो मैजिस्ट्रेट उसके लिये पेपर्स मांग सकता है और उसके खिलाफ आवश्यक कार्यवाही की जा सकती है । इस संबंध में सख्त से सख्त सजा हो सकती है और मान लीजिये एक शख्स रेप का मुजरिम करार दिया जाता है । तो उसके लिये इंडियन पिनल कोड की दफा है । इम्बेजिलमेंट के लिये दफायें हैं तो माननीय स्वाशन मंत्री जी और उनकी सरकार इतना फख्र करती है कि हमारे पास जुडीशियरी की इतनी परफैक्ट व्यवस्था है जिसके जरिये से आदर्श प्रजातंत्रीय प्रणाली की व्यवस्था हो सकती है । तो उससे कार्य क्यों न लिया जाय ? हमारा यह मत नहीं है कि धांधलीबाजियां होती रहें और हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें लेकिन ऐसी बात अगर हो रही है तो उसके लिये जनता को ताकत होनी चाहिये कि वह उस सदस्य को रिकाल करे और यही बुनियादी सिद्धांत है जिसको हम प्रेस करना चाहते हैं। यह कहा जा सकता है कि इसमें धांधलियां बढ़ेंगी । हां, हो सकता है इसमें थोड़ी बहुत धांधली की गुंजायश हो सकती है और जैसा मैंने पहले भी कहा था और आज भी कहता हूं कि प्रजातंत्र किस तरह से चलेगा यह आदमियों को सीखने दीजिये । मैं पूछता हूं कि गांव पंचायतों के सदस्यों और अदालती पंचायतों के मेम्बरों के खिलाफ शिकायतें हैं या म्युनिसिपल बोर्ड के मेम्बरों के खिलाफ शिकायतें हैं तो हमारी सरकार के खिलाफ भी शिकायतें हैं । मैं समझता हूं कि हमारी सरकार के प्रतिनिधि जो यहां बैठे हुये हैं जो जनता के प्रतिनिधि हैं वह भी किसी से कम मानों में गड़बड़ी नहीं करते । तो क्या उनको निकाल देना चाहिये । उनको सीखने का मौका देना पड़ेगा । इसी तरह से जनता और जनता के प्रतिनिधियों को प्रजातंत्र में गलतियां करके सीखने देने का मौका देना पड़ेगा । उपाध्यक्ष महोदय, सरकार

[illegible] है। [illegible] यह [illegible] इस [illegible] है [illegible] प्रजातन्त्र का [illegible] हम सरकार के [illegible] में [illegible] कहा था कि मूल रूप से कांग्रेस में और सोशलिस्ट पार्टी में इस प्रश्न पर कोई मतभेद नहीं है अगर्चे हमारे बहुत से मंत्री तो अपने को सोशलिस्ट कहने में ग्लानि का अनुभव करते हैं लेकिन उस रोज हमारे मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि अगर हम [illegible] को [illegible] और [illegible] के जरिये से राज्य लेने का प्रयत्न नहीं करते तो हमारे और [illegible] में कोई इस प्रजातन्त्र के मामले में बुनियादी मतभेद नहीं है। तो प्रजातन्त्र में जनता को पूरा अधिकार होना है और सत्ता का विकेन्द्रीकरण होना चाहिये। वह भी कहते हैं कि सत्ता का विकेन्द्रीकरण होना चाहिये लेकिन जब शक्ति विकेन्द्रित होने लगती है तो तकलीफ हो जाती है और उसके लिये कोई न कोई रोक रखने का प्रयत्न किया जाता है। हमारे यहां [illegible] हमारा [illegible] प्रदेश है और ३५ हजार ग्राम पंचायतें हैं और इन की स्थापना की [illegible] पार्टी ने [illegible] की थी लेकिन जब जागरण देख कर सरकार ने एक तरह [illegible] कि [illegible] नहीं जनता को अधिकार [illegible] जाय तो हमारे हाथ से निकल न जाय। इसलिये [illegible] राज्य इंस्पेक्टर्स नियुक्त कर के इन गांव पंचायतों को अपने हाथ में रखा गया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह तो ऐसी तरह से हुआ कि एक आदमी के हाथ में हमारी रस्सियां हों किसी की रोक यहां और किसी की रोक यहां और वह एक जगह खड़ा रहे। यही हाल इस सरकार का भी है। जैसे हम लोगों को बचपन में ये सिखलाये जाते थे कि [illegible] हैं और उनके रथ में [illegible] घोड़े बंधे हुये हैं और उन सब की रस्सियां उनके हाथ में रहती हैं। तो सरकार यह चाहती है कि यहां बैठी हुई सत्ता के विकेन्द्रीकरण की बात करे परन्तु व्यवहार में जहां तक हो सके उसे अपने हाथ में केन्द्रित करने का प्रयत्न करती है। क्यों नहीं जनता को [illegible] कर दिया जाता कि वह गिरे, उठे, और सीखे। उपाध्यक्ष महोदय, यह बुनियादी सिद्धान्त है। थोड़ी बहुत गलतियां हो सकती हैं। लेकिन अगर किसी को जनतंत्र में [illegible] चुने हुये मेम्बरों को निकालने का अधिकार है या चाहिये तो जनता को होना चाहिये। [illegible] ने अभी [illegible] ढंग से बताया। इस तरह से हमारी तरफ से स्टेट द्वारा रिकॉल और [illegible] चुने हुये [illegible] का किये जाने के विरोध में काफी स्पष्टरूप से [illegible] तरफ से माननीय [illegible] मंत्री के सामने विचारधारा रख दी गयी है। मैं समझता हूं कि माननीय स्वशासन मंत्री का यह रवैया कि एक चुप सौ को हराये, सरकार के लिये शोभा की बात नहीं है। यह बुनियादी सवाल है जिसका माननीय मंत्री जी को जवाब देना चाहिये। माननीय मंत्री जी को साफ और स्पष्ट शब्दों में हमारी शंकाओं का समाधान करना चाहिये नहीं तो अखबारों में जब निकलेगा कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि मुझको कुछ नहीं कहना है तो यह बहुमत के गर्व द्योतक होगा। विधेयक तो रोज आयेंगे। कभी लम्बी भी कार्यवाही होगी और कभी कम होगी। आज की कार्यवाही जो हो रही है उसमें मुझे दुःख है कि गिलोटिन का प्रस्ताव लाया गया। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह प्रजातंत्र प्रणाली के अनुकूल है जब कि हमको बोलने का अधिकार नहीं दिया जाय। हमारे संविधान में प्रत्येक नागरिक को भावों के एक्सप्रेशन और बोलने के अधिकार की गारंटी की गयी है और असेम्बली के मेम्बरों का तो खास प्रिविलेज है। अगर मैं भूलता नहीं तो बहुत से वारंट्स हम पर एक सत्र के हफ्ते पहले और एक हफ्ते बाद तक तामील नहीं किया जा सकते। तो असेम्बली के अन्दर हम बोल न सकें, हमारे एक्सप्रेशन पर बहुमत द्वारा ब्रेक लगाया जाय यह सच्चे मानी में प्रजातंत्र नहीं कहा जा सकता यह जो रवैया है यह जनता द्वारा या आलोचना का रवैया है। जनता यह समझेगी कि सरकार को बहुमत का गर्व है। अगर बहुमत के गर्व में अगर सरकार फूले तो यह उसकी बड़ी भारी गलती है क्योंकि यह बहुमत तो केवल ४४ फीसदी वोटों का बहुमत है जो मल्टीप्लिसिटी आफ पार्टीज की वजह से हो गया है। यह बहुमत सदैव स्थायी नहीं रहता। पहले अंग्रेजों की सरकार थी। अब कांग्रेस की सरकार है। यह उसकी परीक्षा का समय है। हमारी अपनी परीक्षा का समय भी आ सकता है। हमारे नेताओं ने कहा है और बार बार ऊंचे स्वर में कहा है, माननीय स्वशासन मंत्री ने उस दिन कहा था कि हमको सम्भलकर बोलना चाहिये कभी हम भी बहुमत में होंगे। मैंने यह उस समय उत्तर दिया था कि बहुमत में हो कर भी हम

[श्री रामनारायण त्रिपाठी]

क्यूमुलेटिव सिस्टम आफ वोटिंग की व्यवस्था करेंगे अगर स्वशासन मंत्री जी की तरफ से हमारी बातों का मुंहतोड़ जवाब नहीं दिया जाता तो हम समझेंगे कि सरकार को बहुमत पर गर्व है और हमारी शंकाओं का समाधान नहीं होगा। और जो हमारी शंकायें आज हैं वह कल भी रहेंगे। और यह प्रजातंत्र के लिये घातक सिद्ध होगा, स्टेट के लिये घातक सिद्ध होगा, और इस सरकार के लिये घातक सिद्ध होगा। यह कहने की बात नहीं है कि यहां आज असेम्बली भवन के अन्दर सरकारी दल अपने ऊपर फख्र कर लें लेकिन जनता के सामने हिम्मत नहीं है जवाब देने की। रोज-रोज जनता की परेशानियां और दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं मैं विरोधी दल में हूं। लेकिन सरकार का दुश्मन नहीं हूं। उसको हिन्सात्मक ढंग से हटाने की हमारी नियत नहीं है। मैं तो सुधारक हूं। और इस किस्म के सुधार हमने इंगलैण्ड अमेरिका और इससे और रूस नहीं सीखे हैं। हमारे यहां बड़े-बड़े सिद्धांत विरोध करने वालों के संबंध में रहे हैं किसी कवि ने कहा है --

निन्दक नियरे राखिये आगन कुटी छवाय,
बिन साबुन बिन तेल के निर्मल करे सुभाय।

हमारे देश में प्रजातंत्र की यहां तक व्यवस्था थी कि विरोधी आलोचक को अपने आगन में लाकर बसाओ इतनी उदारता हिन्दुस्तान की परम्परा में है। अगर माननीय मंत्री जी चुप रहकर हमारी उपेक्षा करें तो यह भारतीय परम्परा के विरुद्ध है। माननीय स्वशासन मंत्री हमारी हर बात का समुचित उत्तर दें तभी हमारी आशंकायें निमूल हो सकती हैं, देश की और प्रदेश की जनता की आशंकायें निरमूल हो सकती हैं। और किसी भी प्रणाली में यही जनता की आशंका हो तो उसका नतीजा दूसरा भी हो सकता है और वायलेंट ऐक्टिविटीज के लिये भी लोगों को प्रोत्साहन मिलता है कि तोड़ फोड़ और आग लगाकर जनता अपना विरोध प्रकट करे। इसलिये प्रजातंत्र में इस बात का हक है और हमको भी जवाब मांगने का हक है और आज हम जनता की तरफ से जवाब मांगते हैं कि इन मेथड्स में क्या डिफिकल्टी की बात है कि स्वशासन मंत्री उसका समुचित उत्तर नहीं देना चाहते। इन शब्दों के साथ मुझे आशा है कि मुझको मुंहतोड़ जवाब माननीय मंत्री दें।

श्री मोहनलाल गौतम---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसके बारे में अपनी राय जाहिर न कर चुका हूं। इसलिये कोई ज्यादा बात कह कर मैं सदन का समय नष्ट नहीं करना चाहता। मुझे यह संशोधन मंजूर नहीं है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी---उपाध्यक्ष महोदय, मैं क्या करूं, कोई रंग चढ़ता ही नहीं।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड १८ के स्थान पर निम्नलिखित रक्खा जाय --

"१८---मूल अधिनियम की धारा ४१ निकाल दी जाय"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड १८ इस विधेयक का अंश माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १९

यू० पी० ऐक्ट २, १९१६ की धारा ४२ का निकाल दिया जाना।

१९---मूल अधिनियम की धारा ४२ निकाल दी जाय।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १९ इस विधेयक का अंश माना जाय

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खंड २०

२०—इस अधिनियम और किसी और विधान में जो समय विशेष पर प्रचलित हो, शब्द "Municipal Commissioner के स्थान पर शब्द "Municipal Member" रखे जायं।

शब्द Municipal Commissioner स्थान पर शब्द Municipal Member का रखा जाना।

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, मैं संशोधन करना चाहता हूं कि खंड २० की पंक्ति १ में शब्द "इस" के स्थान पर शब्द "मूल" रख दिया जाय।

श्रीमन्, जो मूल खंड २० है वह इस प्रकार है, "इस अधिनियम और किसी और विधान में जो समय विशेष पर प्रचलित हो, शब्द " Municipal Commissioner के स्थान पर शब्द "Municipal Member" रखे जायं।

श्रीमन्, "इस अधिनियम" शब्द इस्तेमाल किया गया है तो इसमें तो कोई म्युनिसिपल कमिश्नर शब्द है ही नहीं। सारे संशोधन विधेयक में आप देख लीजिये। जहां कहीं भी अधिनियम का जिक्र आया है वहां "मूल अधिनियम "शब्द इस्तेमाल किया गया है। जैसे "मूल अधिनियम" की धारा ३५ "मूल अधिनियम की धारा ४०", "मूल अधिनियम की धारा ४२ निकाल दी जाय", सब जगह "मूल अधिनियम" इस्तेमाल हुआ है। तो "म्युनिसिपल कमिश्नर" शब्द का तात्पर्य तो मूल अधिनियम से है। यह शाब्दिक संशोधन है कि यह खण्ड २० मूल अधिनियम का हिस्सा भी नहीं है, इसलिये "इस" के स्थान पर "मूल अधिनियम" कर दिया जाय। यदि माननीय मंत्री जी इसका पहले ही जवाब दे चुके हों तब तो कोई बात नहीं है, वर्ना मेरा यह संशोधन स्वीकार किया जाय।

श्री मोहनलाल गौतम—मुझे मंजूर है।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २० की पंक्ति १ में शब्द "इस" के स्थान पर शब्द "मूल" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड २० विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २१

२१—मूल अधिनियम की धारा ४७-ए की उपधारा (४) में से (१) शब्द "Co-opted" और "Co-option" निकाल दिये जायं; और (२) शब्द "take place" के स्थान पर शब्द "be held or made, as the case may be, as though there had been casual vacancies रख दिये जायं।"

यू० पी० ऐक्ट २ १९१६ की धारा ४७-ए का संशोधन।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २१ इस विधेयक का अंश मान लिया जाय

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २२

यू० पी० ऐक्ट २, १६१६ की धारा ४८ का संशोधन

२२—मूल अधिनियम की धारा ४८ में—

(१) उपधारा (२) में—

(क) खंड (ए) के स्थान पर निम्नलिखित रक्खा जाय—

"(*a*) that there has been a failure on the part of the President in performing his duties, give him a warning or remove him from office as the State Government think fit, or"; और

(ख) खंड (बी) में—

(१) उपखंड (i) में शब्द और संख्या "sub-section (3) of section 14" शब्द और संख्या के स्थान पर "sections 12-D and 13-D" रखे जायं;

(२) उपखंड (v) के बाद निम्नलिखित नया उपखंड (vi) के रूप में रखा जाय—

"(vi) been guilty of gross misconduct in the discharge of his duties"; और

(२) उपधारा (२) के बाद निम्नलिखित नई उपधारा (३) के रूप में रक्खी जाय—

"(3) The State Government may place under suspension a President against whom action is proposed under sub-clause (vi) of clause (*b*) of sub-section (2) until the proceedings are over and where a President has been so suspended he shall not for so long as the order of suspension continues be entitled—

(*a*) to exercise the powers or perform the duties of a President imposed upon him by or under this Act or any other enactment for the time being in force; and

(*b*) to take part in any proceedings of the board."

श्री नारायण दत्त तिवारी—श्रीमन् इस आशा में कि माननीय मंत्री जी ने अभी तक कोई जवाब इसका नहीं दिया है मैं इस संशोधन को प्रस्तुत करना चाहता हूं।

खंड २२ के अनुसार नयी प्रस्तुत धारा 48 (1) (a) निकाल दी जाय।

श्रीमन् जिस प्रकार नयी धारा रखी गई वह इस तरह है—

"(a) that there has been a failure on the part of the President in performing his duties, give him a warning or remove him from office as the State Government think fit, or".........

इसके पहले जो मूल अधिनियम की धारा थी वह इस प्रकार है—

"(2) The Provincial Government may, at any time, if it is satisfied—

(*a*) that there has been a persistent failure on behalf of the President in performing his duties, give him a warning, and if it finds that the failure continues, remove him from office, or"

तो मेरे विचार में जो पहले लिखा हुआ था वह ज्यादा सही है क्योंकि इसमें यह विधान था कि पहले एक वार्निंग दे दी जाय और वार्निंग के बाद भी अगर फेल्योर करता है,

अपने कर्त्तव्यों का पालन ठीक तरह से नहीं करता तब उसको रिमूव किया जाय। यह जरूरी नहीं है कि जैसा कि अब इसमें लिख दिया गया है कि वार्निंग दी जा सकती है या रिमूव किया जा सकता है। पहले वाला विधेयक जो था वह ज्यादा अच्छा था और रिमूवल के पहले एक वार्निंग जरूर मिलनी चाहिये। मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्री जी इसकी व्यवस्था जरूर करेंगे कि वार्निंग रिमूवल से पहले एक बार दी जाय। इसमें तो ऐसा कर दिया गया है कि बिना वार्निंग दिये भी रिमूव हो सकता है। मैं यह नहीं चाहता और माननीय मंत्री जी से आशा करता हूं कि पुरानी धारा जैसे थी वैसे ही उसको रहने देंगे।

श्री मोहनलाल गौतम--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह स्वीकार नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड २२ के अनुसार नयी प्रस्तुत धारा 48 (1) (a) निकाल दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री हरिश्चन्द्र अष्ठाना (जिला सीतापुर)--श्रीमन्, आपकी आज्ञा से मैं यह संशोधन पेश करना चाहता हूं कि खंड २२ में निम्नलिखित उपखंड (३) जोड़ दिया जाय--

"(३) मूल अधिनियम की धारा ४८ में निम्नलिखित उपधारा (4) के रूप में रक्खी जाय :"

आपकी आज्ञा से मूल संशोधन में जरा सा अमेंडमेंट करना चाहता हूं। अब वह इस प्रकार होगी--

"(4) A President removed under clause (a) or sub-clause (vi) of clause (b) of sub section (2) shall not be eligible for election as President or member for a period of 4 years from the date of his removal."

मेरे प्रस्ताव का मंशा बहुत सीधा और साफ है और वह यह है कि जब स्टेट गवर्नमेंट किसी प्रेसीडेंट को क्लाज ए या क्लाज ६ के मातहत रिमूव करती है तो जाहिर है कि उसका मिसकांडक्ट इस तरह का है जैसा कि अभी माननीय सदस्य नारायण दत्त जी ने प्वाइण्ट आउट किया कि उसको या तो रिमूव किया जाय या उसको वार्न किया जाय। अगर्चे वार्निंग न देकर स्टेट गवर्नमेंट यह मुनासिब समझती है कि ऐसे प्रेसीडेंट को हटा दिया जाय तो फिर उसको इस योग्य नहीं रहना चाहिये कि वह दोबारा एलेक्शन में खड़ा हो सके। इसलिये कम से कम चार साल तक यह कैद रहनी चाहिये कि वह दोबारा एलेक्शन के लिये न प्रेसीडेंटी के लिये और न सदस्यता के लिये खड़ा हो सके। इसीलिये मैंने यह संशोधन उपस्थित किया है और मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी इस संशोधन को स्वीकार करेंगे।

श्री मोहनलाल गौतम--मुझे यह स्वीकार है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--श्रीमन्, मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान धारा ३१ ए की ओर दिलाना चाहता हूं जो इस प्रकार है--

"all members of the board—

(i) but not the President, or

(ii) where the State Government so directs, the President also, shall on a date to be specified in the order vacate their respective offices but without prejudice to their eligibility for re-election or renomination;"

क्या इस धारा में और इस संशोधन में परस्पर कोई विरोध तो नहीं होता है? धारा ३१ भी इसी प्रकार है--

"all members of the board including the President shall, on a date to be specified in the order, vacate their offices as such but without prejudice to their eligibility for re-election or re-nomination."

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

जब सुपरसेशन रिमूवल और डिजोल्यूशन सारे बोर्ड के मिसकांडक्ट पर होता है तब तो हम उनको रिएलेक्शन के लिये एलीजिबुल कर देते हैं तो दूसरे मिसकांडक्ट में हम उनको अधिकार न दें यह बड़ा अनुचित होगा। जब सारा बोर्ड मिसकांडक्ट करता है तब तो उनको रिएलेक्शन का अधिकार मिलता है लेकिन यहां पर हम उनके अधिकार को छीन लें, मैं समझता हूं कि यह परस्पर विरोधी बात होगी। यदि हम एक ही सिद्धांत मानें तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। माननीय हरिश्चन्द्र अष्ठाना की जो भावना है उससे मुझे कोई विरोध नहीं है लेकिन एक मर्तबा हम सब मेम्बरों को अधिकार दें कि वे खड़े हो सकें और फिर जब व्यक्तिगत रिमूवल का सवाल हो तो ४ साल के लिये रोक दें कि वे एलेक्ट नहीं हो सकते तो यह एक ही विधेयक में परस्पर दो विरोधी बातें हो जाती हैं। मान लिया जाय कोई प्रेसीडेंट रिमूव होता है और उसके रिमूवल के बाद बोर्ड भी सुपरसीड हो जाता है तो कौन सी धारा अप्लाई होगी, जो माननीय हरिश्चन्द्र जी का संशोधन है वह अप्लाई होगा या धारा ३१ ए या ३१ अप्लाई होगी। एक में लिखा है दे शैल बी एलीजिबुल दूसरे में लिखा है कि चार साल तक एलीजिबुल नहीं होगा। ऐसी दशा में या तो धारा ३१ और ३१ ए जिनको सदन स्वीकार कर चुका है खत्म कर दिया जाय या माननीय हरिश्चन्द्र अष्ठाना जी के संशोधन को अस्वीकार किया जाय। इसके अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है।

श्री हरिश्चन्द्र अष्ठाना––माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा खयाल यह है कि तिवारी जी ने जैसा फरमाया वैसी बात नहीं है। मेरा संशोधन परस्पर विरोधी नहीं है और इसलिये कि दफा ३१ ए में साफ दिया हुआ है––

"shall on a date to be specified in the order vacate their respective offices but without prejudice to their eligibility for re-election or renomination"

तो वहां पर वकेशन का सवाल है और यहां पर रिमूवल का सवाल है। अगर्चे बोर्ड सारे का सारा डिजाल्व किया जाय तो किसी एक व्यक्ति विशेष पर, ख्वाह वह प्रेसीडेंट हो या मेम्बर हो, उसके मिसकांडक्ट की वजह से, उसके गलत काम करने की वजह से वह बोर्ड सुपरसीड हुआ हो तो वह सारी जिम्मेदारी नहीं आ सकती। यह भी हो सकता है कि कुल बोर्ड इनएक्टिव हो, सही काम न कर रहा हो या जितना काम उससे एक्सपेक्टेड हो उतना वह न कर रहा हो इसलिये सरकार की दृष्टि में उसका सुपरसेशन जरूरी हो और जनता की मांग पर उसका सुपरसेशन कर दिया गया हो। लेकिन उससे किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ चार्ज नहीं लगाया जा सकता। अगर किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ चार्ज हो तो वह व्यक्ति किसी पब्लिक आफिस को होल्ड करने के काबिल नहीं रहता। अगर कोई प्रेसीडेंट है और प्रेसीडेंट होने के नाते उसने अपना व्यवहार उस तरह से किया है कि जिससे वह जाती फायदा उठा सकता है या कुछ इस तरह से करता है जो ग्रास मिसकांडक्ट है क्लाज ६ के अन्तर्गत और जिसके कारण उसको रिमूव किया गया है तब तो उसको अधिकार नहीं होना चाहिये कि वह उसी जगह पर फिर किसी वजह से आ सके, अपने जाती प्रभाव की वजह से या और जो दूसरे तरीके होते हैं जिनको हमारे विरोधी दल के माननीय सदस्य जानते हैं। इसलिये उसको अधिकार नहीं होना चाहिये कि वह फिर उसी स्थान पर आकर अपने आफिस को होल्ड करे और वही कार्य करे जिनके कारण वह हटाया गया। इसलिये मैं समझता हूं कि मेरा संशोधन परस्पर विरोधी नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी––श्रीमन्, मैं इसके स्पष्टीकरण में धारा ३० पढ़ना चाहता हूं, वह इस प्रकार है––

"If at any time the Provincial Government is after taking into consideration the explanation of the Board, satisfied that the Board persists in making default in the performance of any duty or duties imposed on it by or under the Act or any other enactment or is exceeding or abusing its powers, it may,

by order with the reasons therefore published in the official Gazette dissolve the board or supersede it for such period as may be specified :

Provided that before making an order superseding the Board, or an order that the Board including the President be dissolved the Provincial Government shall give an opportunity to the President to show cause, if any, and also to explain his conduct with respect to any charge made against him".

तो प्रेसीडेंट के पर्सनल मिसकांडक्ट......

श्री उपाध्यक्ष—माननीय सदस्य इस धारा को पढ़ चुके हैं और यह इस सदन के सामने आ चुकी है और अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है।

श्री मोहनलाल गौतम—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय अष्ठाना जी ने अपने भाषण में बिलकुल साफ कर दिया है। जब सारे बोर्ड को तोड़ा जाता है तो उसमें किसी अकेले व्यक्ति को अलग करके उसके खिलाफ चार्जशीट फ्रेम करके रिमूव नहीं किया जाता। इसलिये उनको दोबारा चुने जाने की इजाजत है। लेकिन जब किसी एक सदस्य के खिलाफ चार्जशीट फ्रेम हो और उसको निकाला जाय और उसके खिलाफ यह पाया जाय कि उसने ज्यादती की या बेईमानी की तो उसको दोबारा खड़े होने की इजाजत नहीं मिलनी चाहिये। माननीय अष्ठाना जी ने सब बातों को स्पष्ट कर दिया है और अब उस के बाद और कुछ कहने की गुंजाइश नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २२ में निम्नलिखित उपखंड (३) जोड़ दिया जाय—

"(३) मूल अधिनियम की धारा ४८ में निम्नलिखित उपधारा (४) के रूप में रक्खी जाय"—

"(4) A President removed under clause (a) or sub-clause (vi) of clause (b) of sub-section (2) shall not be eligible for election as president or member for a period of 4 years from the date of his removal."

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री मलखान सिंह (जिला अलीगढ़)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाजत से खंड २२ द्वारा प्रस्तावित धारा ४८ की नयी उपधारा (३) के अन्त में निम्नलिखित स्पष्टीकरण जोड़ देना चाहता हूं—

"Explanation---The proceedings at inquiry shall be finished within 3 months of the date of suspension and a fresh election, if necessary, be held within the next three months."

इसमें ज्यादा गुंजाइश बोलने की है नहीं। इतना साफ है कि किसी बोर्ड को सस्पेंड किया जाता है तो तीन महीने के अन्दर उसकी इन्क्वायरी खत्म हो जानी चाहिये और आगे तीन महीनों में उसका दोबारा चुनाव हो जाना चाहिये।

श्री मोहनलाल गौतम—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस संशोधन को मान कर एक बहुत ही गलत बात होगी क्योंकि अगर आप यह कानून बना देंगे कि तीन महीने में जांच जरूर खत्म हो जाय तो एक्यूज्ड के लिये सिर्फ एक ही रास्ता बहुत सरल है कि वह इन्क्वायरी को तीन महीने में खत्म न होने दे और ज्यों ही तीन महीने में इन्क्वायरी खत्म न हुई कि वह साफ बरी हो गया। इससे अच्छा उसके लिये और क्या हो सकता है। आज कल कोर्टस के ज़माने में बड़ा मुश्किल हो जाता है तीन महीने में इन्क्वायरी खत्म कर देना। इसलिये यह बहुत ग़लत होगा। मुझे अफसोस है कि मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय स्वशासन मंत्री जी की दलील को सुन कर आश्चर्य में रह गया। कानून फौजदारी के मातहत ४२ दिन के अन्दर मुक़दमे की छानबीन हो जानी चाहिये और उस पर फैसला हो जाना चाहिये। लेकिन माननीय मलखान सिंह जी के संशोधन के अनुसार तीन महीने का समय जो है वह माननीय स्वशासन मंत्री जी के लिये नाकाफी है। हम तो यह समझते हैं कि जिस मामले में जितनी देर होती है उतना ही उसमें इंसाफ होने का खतरा पैदा होता है और अन्त में तो यह होता है कि जितनी देर होगी निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि उसमें न्याय पाने की कोई आशा नहीं होती है, गवाह टूटते हैं, जो लोग जुर्म करने वाले होते हैं उनको अवसर मिलता है कि वह सबूत को तोड़ें और फिर सरकारी पक्ष को तरह तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है वैसे ही दूसरे पक्ष की भी हानि होती है। तो तीन महीने का कोई बड़ा समय नहीं है मैं यह मानता हूं कि इसमें माननीय स्वशासन मंत्री जी यह दलील दे सकते हैं कि साल-साल तक और डेढ़-डेढ़ साल तक फौजदारी के मुकदमों का फैसला नहीं होता है, मुल्जिमान वालातह में बन्द रहते हैं। लेकिन यह कोई आदर्श व्यवस्था तो नहीं है। उसकी नक़ल करने में म्युनिसिपैलिटी जिसकी आदर्श व्यवस्था के लिये माननीय स्वशासन मंत्री, जी चिन्तित हैं व्यवस्था आदर्श नहीं होगी। वह काम तो यहां पर नहीं होना चाहिये। यह तो सही है कि इस वक्त न्याय पाना कोई आसान काम नहीं है। न्याय पाने में आदमी को अपना पैसा खर्च करना पड़ता है अपना शरीर खपाना पड़ता है और यह सब करने के बाद भी न्याय मिलने में कठिनाई होती है। यह उम्मीद करना तो कोई अकलमन्दी की बात मैं नहीं समझता कि यह संशोधन स्वीकार कर लिया जायगा, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं कि तीन महीने का समय माननीय स्वशासन मंत्री के लिये पर्याप्त है। और ऐसे स्वशासन मंत्री हैं कि उनके नेतृत्व में अगर स्वायत्त शासन विभाग तीन महीने के अन्दर अपने मुल्जिमों के विरुद्ध सबूत इकट्ठा नहीं कर सका तो बड़े आश्चर्य की बात होगी। इसलिये मैं चाहूंगा कि माननीय मलखान सिंह जी के संशोधन पर मंत्री जी फिर से विचार करें। दूसरी बात यह है कि वहां पर जल्दी से जल्दी चुनाव हो जाना चाहिये। मैं बड़े गौर से इस बहस मुबाहिसे को सुनता रहा। रिमूवल और सस्पेंशन के सारे अधिकार मंत्री जी ने अपने हाथ में ले लिये हैं। अब देखना यह है कि इस बोझ को चलाने में वह कितने समर्थ होंगे। लेकिन उनकी सामर्थ्य का हाल मुझे मालूम है। वह काफी समर्थ हैं। आगे आने वाला जमाना बतलायेगा कि इन बोझों को लेकर वह काम नेकनामी के साथ चलाते हैं या बदनामी के साथ हैं।

मैं अपने को उनका छोटा भाई कह सकता हूं और उनका मित्र होने का दावा भी कर सकता हूं। इस वक्त हम दोनों राजनीतिक विरोधी भी हैं। यह कोई छिपाने की बात नहीं है। मैं उनको सलाह दूं तो वह हैसियत मैं नहीं रखता। लेकिन उनसे मैं निवेदन करता हूं कि जो बोझा वह उठाते चले जा रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि ४/५ साल तक वह इस विभाग के नेता बने रहेंगे। चाहे इस समय वह सारे के सारे इंतजाम ले रहे हैं और बड़े-बड़े अख्तियारात अपने हाथ में ले रहे हैं इसमें उनको मजा आ रहा हो। सारे सूबे के अधिकार उनके पास हैं। लेकिन मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह से अख्तियारात लेना खतरे से खाली नहीं है। हम तो उनके राजनीतिक विरोधी हैं लेकिन जो उनके राजनीतिक मित्र हैं, जो उनके हुकुम से और सलाह से चलते हैं। उन लोगों को इस बात की सख्त शिकायत है। अगर मंत्री जी की यह धारणा हो जाय कि रिमूवल या सुपरसेशन होने पर जल्दी से जल्दी चुनाव हो जायं या जल्दी से जल्दी निर्णय हो जाय तो उन्हीं के हाथ मजबूत होंगे और उनके हाथ की सफाई होगी इस तरह के जो वह अख्तियारात ले रहे हैं मैं समझता हूं कि वह खतरे से खाली नहीं हैं। अगर वह इस पर विचार करेंगे तो फैसला दूसरे किस्म का होगा। नहीं तो उन्हें अधिकार है जो चाहे वह फैसला कर सकते हैं।

श्री रामनरेश शुक्ल--उपाध्यक्ष महोदय, यों तो माननीय मंत्री जी ने इस संशोधन पर काफी प्रकाश डाल दिया है और इसको स्पष्ट कर दिया है। जहां तक मेरा संबंध है

मैं आपके द्वारा एक उदाहरण रखना चाहता हूं। अभी हाल ही में एक फैसला सुप्रीम कोर्ट से हुआ है। लेबर ट्रिब्युनल ने एक तारीख मुकर्रर की थी कि अमुक तिथि तक इस मामले का फैसला हो जाना चाहिये। लेकिन निश्चित तिथि तक फैसला नहीं हो पाया और अपीलैट कोर्ट ने मंजूर किया कि गो फैसला मुकर्रर तिथि के बाद में हुआ लेकिन फैसला ठीक है, कोई हर्ज नहीं है। अभी दो तीन हफ्ते की बात है कि सुप्रीम कोर्ट से फैसला हुआ है और वह रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि मुकर्रर तारीख के बाद फैसला किया था। इसलिये उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय ठाकुर मलखान सिंह जी से जो एक चतुर वकील भी हैं, यह प्रार्थना करूंगा कि ऐसे उदाहरण पिछले दिनों में थे, आज भी हैं और आइन्दा भी हो सकते हैं। अगर कोई निश्चित तारीख कर दी जायगी तो जो सज्जन फंसे रहेंगे वह उसको इवेड करने की कोशिश करेंगे और इसके बाद उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जा सकेगी। जहां तक इस संशोधन का संबंध है मुझे अधिक कुछ नहीं कहना है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन उपस्थित किया गया है उसमे दो अंग हैं पहले अंग में यह कहा गया है कि—

"The proceedings at inquiry shall be finished within three months of the date of suspension"

इसका दूसरा अंग यह है कि—

"and a fresh election, if necessary, be held within the next three months."

उपाध्यक्ष महोदय, अब तक तो ऐसे संशोधन उपस्थित किये गये थे जिनमें हमने कोशिश की कि हम माननीय स्वशासन मंत्री और सरकार के हाथ बांध दें। लेकिन हम नाकामयाब रहे क्योंकि बहुमत उनका है। लेकिन हम जरा स्वशासन मंत्री को अग्नि परीक्षा में रखना चाहते हैं।

अब तक स्टेट गवर्नमेंट को पावर्स देने के लिये हम विरोध कर रहे थे लेकिन इसमें तो हमने एम्बीगुअस टर्म्स में इलेक्शन का प्राविजन रखा दिया है। इसमें हमने यह कह दिया "इफ नेसेसरी विदइन सिक्स मंथ्स"। उपाध्यक्ष महोदय यह लाजिमी भी नहीं है कि वह तीन महीने के अन्दर इलेक्शन करा लें और देखते हैं कि दिक्कतें हैं तो मियाद बढ़ा भी सकते हैं। बस सरकारी दल के पास एक ही जवाब है कि हमारे पास ३९१ वोट हैं। हम चाहे उचित या अनुचित जो भी संशोधन पेश करेंगे वे उसे नामंजूर कर देंगे। इस संशोधन में तो सरकार का हाथ भी नहीं बंधता, कोई लिमिटेशन नहीं है। "मे" "may" शब्द इसमें प्रयोग किया गया है। इसमें सरकार को काफी उछल कूद मचाने का मौका मिलता है। माननीय मलखान सिंह जी ने जो संशोधन रक्खा है यह उन्होंने अपने पुराने मित्र गौतम जी का इम्तिहान लेने के लिये रक्खा है कि आया अब भी वह पुरानी मित्रता से प्रभावित होते हैं या नहीं। इसमें कोई पाबन्दी भी नहीं है। हमें खुशी है कि माननीय स्वशासन मंत्री अब तो कुछ बोलने भी लगे हैं, इस पर मुबारकबाद तो देना नहीं चाहता, लेकिन खुशी है कि उन्होंने बोलना तो शुरू किया। हमने इसमें जो प्राविजन रक्खा है "इलेक्शन, इफ नेसैसरी," यह तो उन्हीं के हाथ में है, इलेक्शन देर में हो सकता है। वक्त की कोई पाबन्दी नहीं है। हमें भी देखना है कि माननीय मंत्री मेरे मित्र मलखान सिंह से अपनी पुरानी मित्रता को कायम रखते हुये यह संशोधन स्वीकार करते हैं या नहीं। मित्रता तो कायम रह ही सकती है चाहे भले ही वह दोनों अलग-अलग दल में हों। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री उस पर विचार करके अपने पुराने मित्र का खयाल करके इस संशोधन को स्वीकार करेंगे।

श्री मलखान सिंह—सस्पेंशन की इंक्वायरी तीन महीने में खत्म हो जानी चाहिये। अभी हमारे शुक्ल जी ने कहा कि अगर यह रख दिया गया कि तीन महीने के अन्दर इंक्वायरी

[श्री मलखान सिंह]

खत्म करनी है, कोई आदमी उसे इवेड करे, गैर हाजिर रहे तब तो यह बहुत बड़ा सबूत है उसके खिलाफ चार्जेज इस्टेब्लिश करने का। इसलिये मैं यह समझता हूं कि हर हालत में सस्पेंशन तीन महीने के अन्दर हो सकता है। इसके बाद जैसा कि माननीय राम नारायण त्रिपाठी ने कहा इसमें यह रक्खा है "इलेक्शन, इफ नेसेसरी" अगर आवश्यक समझा गया तो अगले तीन महीने के लिये उसकी मियाद बढ़ाई जा सकती है। इसमें तो काफी लम्बी छूट है। इसलिये मैं यह समझता हूं कि जो यह संशोधन पेश किया गया है यह बहुत ही मुनासिब है और इसको माननीय मंत्री जी मंजूर कर लेंगे।

श्री मोहनलाल गौतम---मुझे कुछ नहीं कहना है।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड २२ द्वारा प्रस्तावित धारा ४८ की नयी उपधारा (३) के अन्त में निम्नलिखित स्पष्टीकरण जोड़ दिया जाय---

"Explanation:—The proceedings at inquiry shall be finished within 3 months of the date of suspension and a fresh election, if necessary, be held within the next three months."

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि संशोधित धारा २२ इस विधेयक का अंग मानी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

१६ तथा २० दिसम्बर, १६५२ को रात के ६ बजे से ६ बजे तक पुनः सदन के बैठक करने के संबंध में प्रस्ताव

श्री उपाध्यक्ष---मैं समझता हूं कि जो नोटिस मेरे पास आया है उसको इस समय ले लिया जाय।

स्वशासन मंत्री (श्री मोहनलाल गौतम)---आपकी आज्ञा से एक शाब्दिक अमेंडमेंट रह गया है जिसकी ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं वह १०८ वाले संशोधन में "अण्डर" रख देने का है। क्योंकि वह अपर हाउस से पास हो चुका है इसलिये यहां पर आना उसको जरूरी समझता हूं।

श्री उपाध्यक्ष---जो बात तय हो चुकी है वही ठीक है। अब उसके लिये कोई संशोधन करना आवश्यक नहीं है। जो प्रस्ताव आपने भेजा है अगर इस समय वह लिया जाय तो अच्छा है।

श्री मोहनलाल गौतम---मेरा प्रस्ताव यह है कि १६ और २० तारीख को जितना समय भवन का निश्चत है उसके अलावा ६ बजे से ६ बजे तक आज और कल यह सदन बैठे। मैं इतनी बात साफ कर देना चाहता हूं जैसा कि सुबह बातचीत के दौरान में जो बात हाउस के सामने थी वह यह थी जिसको हाउस के सभी दलों ने माना है कि सोमवार के दिन हम इसको समाप्त कर दें। मेरा भी टारगेट यही था कि सोमवार को यह समाप्त कर दिया जाय। अगर इसमें कोई भी दूसरा और रास्ता निकल सकता है कि जिससे सोमवार के दिन यह म्युनिसिपैलिटी का बिल हम समाप्त कर दें तो मुझे कोई आपत्ति किसी प्रकार की एडजस्ट करने में नहीं होगी। लेकिन यह न कहा जाय कि चूंकि समय नहीं मिला ज्यादती हो रही है और विचार करने का मौका नहीं मिला। मैं इस तरह की बात नहीं चाहता कि कोई इस तरह से कहे। जो सुबह फैसला हुआ मैं उसके लिये

तैयार हूं चाहे संडे को भी बैठना पड़े लेकिन सोमवार को यह समाप्त होना चाहिये । मेरी जो राय है यह मैंने आपके सामने रख दी। इसमें इतना जरूर है कि जो नियम इस प्रकार हो उसकी जांच कर ली जाय। यदि कोई नियम ऐसा हो जिस दिन कोई संशोधन लिया गया हो उस दिन तृतीय वाचन लिया जा सकता है तो इस पर विचार कर लिया जाय । अगर कुछ अमेंडमेंट रह जाते हैं और अगर यह सदन की राय है कि वह संशोधन सोमवार को ले लिये जायं और थर्ड रीडिंग भी उसी दिन के लिये हो जाय तो उसको भी साफ तौर पर सोच लेना चाहिये और फैसला कर लेना चाहिये ताकि उस रोज यह बात न उठाई जा सके क्योंकि इस बिल पर अमेंडमेंट हुये हैं इसलिये इसको कल लिया जाय । मेरा निवेदन केवल इतना है कि जो भी उस तरह से कर लिया जाय लेकिन सोमवार के दिन इसको खत्म करने का कार्यक्रम बनाया जाय और मैं फिर उसी तरह से एडजस्ट करने के लिये तैयार हूं।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—उपाध्यक्ष महोदय, जो बात माननीय मंत्री जी ने कही वह तो हम लोगों ने सुबह ही स्पष्ट कर दी थी कि विरोधी दल का यह मंशा नहीं है कि इसमें ज्यादा देर की जाय। आपने देखा होगा कि जो मुनासिब संशोधन हैं उन पर ही विचार करने के लिये उपस्थित करते हैं। हम भी यह चाहते हैं और कोशिश करते हैं कि इसको जल्द समाप्त किया जाय । लेकिन सरकार खुद गलती करती है और उसने एक बड़ी गलती यह की कि वह ग्लोटीन का प्रस्ताव ले आई और फिर कहा कि सैटर डे को भी मीटिंग होगी । ऐसी सूरत में हमारे ऊपर यह चार्ज न लगाया जाय। जो मंशा माननीय मंत्री जी का है वही मंशा अपोजीशन का भी है उनको इस तरह का आबस्ट्रक्शन पेश नहीं करना चाहिये। हम इस वक्त यह कह सकते हैं कि हम खुद इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि यह समाप्त हो जाय कि जिससे माननीय मंत्री जी को नाराज न होना पड़े।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव माननीय स्वशासन मंत्री ने रखा है कि आज और कल ६ से ६ बजे तक बैठा जाय मैं उसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। सवाल यह है जैसा कि हमारे माननीय मित्र श्री रामनारायण जी ने कहा कि हम हर तरह से कोशिश इस बात की करेंगे कि सोमवार को यह बिल पास हो जाय। तो उपाध्यक्ष महोदय, चूंकि सदन में सभी मेम्बर हाजिर नहीं रहते हैं इसलिये ऐसा कर दिया जाय कि जितने भी मेम्बर लखनऊ में हाजिर हैं वह सब यहां उस वक्त तक रहें तो इस पर विचार हो सकता है लेकिन होता यह है कि इधर वालों को तो आखिर तक रहना पड़ेगा और फिर हमें दोष दिया जायगा कि बार-बार घंटी बजवायी जाती है और समय नष्ट किया जाता है। इसलिये जैसी कि आशा प्रकट की गई है सोमवार को काम खत्म हो जायगा। इसलिये इस वक्त ही काम खत्म कर दिया जाय और कल भी बैठने की जरूरत नहीं है हमें विश्वास है कि सोमवार को यह पूरा हो जायगा अगर यह कबूल कर लें तो बड़ा अच्छा है कि अब हम सोमवार को ही बैठें और उस दिन इस को पूरा कर दें।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)—उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि मंत्री जी ने कहा कि सोमवार को अगर यह खत्म हो जाय तो आज इस वक्त या कल को बैठने की जरूरत नहीं है। मैं आप को यह भी बतला दूं कि हमारी तरफ के केवल दो तीन खास संशोधन रह गये हैं और बाकी तो कांग्रेस पार्टी के ही संशोधन हैं जो आसानी से हो सकते हैं। इसलिये मैं समझता हूं कि सोमवार को यह काम जरूर ही खत्म हो जायगा। इसलिये मैं समझता हूं कि कल या आज इस वक्त बैठने की जरूरत नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—कल के लिये तो तय हो चुका है।

श्री मोहनलाल गौतम—यदि आप इस प्रकार के कार्यक्रम को बना लें कि जितने बाकी संशोधन हैं वह सब सोमवार को लिये जायं और उस के बाद उसी दिन फौरन ही थर्ड

[श्री मोहनलाल गौतम]
रीडिंग भी हो जाय और इस संबंध मे जो नियम है वह भी सस्पेंड हो जाय और इस तरह से सोमवार को सब काम इस संबंध में खत्म हो जाय तो मुझे कोई एतराज नहीं है और ऐसी हालत मे कोई जरूरी न होगा कि हम आज और बैठे या कल सैटरडे को बैठें और सोमवार ही के लिये हम अब एडजर्न कर सकते है लेकिन स्पष्ट रूप से यह सदन फैसला कर ले कि सोमवार को इस को खत्म करना है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी——जो वादविवाद सदन मे इस समय हो रहा है मैने उस पर गौर किया। हम पूरी कोशिश करेंगे कि सोमवार को यह बिल खत्म हो जाय. इस में मंत्री जी को शंका हो सकती है लेकिन मै समझता हूं कि हम कोशिश में कामयाब भी हो सकते है इसलिये ऐसी शंका प्रकट करना और बाल की खाल निकालना कोई अच्छी बात नहीं है जब कि पारस्परिक भावना को पैदा करने और रिलेशन्स को बढ़ाने की बात है तो निराशा की कोई बात न होनी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष——थर्ड रीडिग के बारे मे कोई वैधानिक आपत्ति न होनी चाहिये, यह तो सदन के आपस के सहयोग का नतीजा हो सकता है कि सोमवार को यह बिल समाप्त हो जाय और उसी दिन थर्ड रीडिग हो जाय। अगर सब को इस बात पर विश्वास है तो इस पर विचार कर लिया जाय कि हम इस वक्त और कल न बैठें और सोमवार को बैठकर ही इस को खत्म कर दें।

श्री मोहनलाल गौतम——उपाध्यक्ष महोदय, मै यह समझा कि आप फरमा रहे है कि हाउस सोमवार को बैठेगा और उसी दिन सब अमेंडमेंट्स होने के बाद तीसरी रीडिंग होगी और सब काम इस तरह से खत्म हो जायगा और अगर कोई रूल ऐसा करने में हायल होगा तो वह सस्पेंड हो जायगा, यही इन्डिकेशन मै समझा हूं।

श्री उपाध्यक्ष——मै सदन पर ही छोड़ रहा हूं जैसी आप लोगों की राय हो।
मै समझता हूं कि सदन की यह राय है कि ... ...

श्री रामनारायण त्रिपाठी——एक निवेदन मै करूं कि सदन की राय का प्रश्न उठ नहीं सकता, इसलिये कि एक प्रस्ताव सरकारी दल की ओर से भी सैटरडे की सिटिंग का है। दूसरा प्रस्ताव यह आया। तो ऐसी परिस्थिति के अनुसार उनकी भावना की कदर करते हुये जो हमको कहना था वह हमने कह दिया। हम समझते है कि हमको मौका दिया जाय। इससे अधिक हम कुछ नहीं कर सकते। माननीय स्वशासन मंत्री पहले अपना कल वाला प्रस्ताव वापस लेलें और कोई वजह नहीं है कि माननीय मंत्री जी को निराश होना पड़े।

श्री मोहनलाल गौतम——मैने पहले ही निवेदन किया कि मुझे वापस लेने में कोई आपत्ति नहीं है। यह जो फैसला है जिसको कि मैंने दोहराया था कि सोमवार को पहले बाकी अमेंडमेंट्स ले लिये जायं और उनके खत्म होने के बाद थर्ड रीडिंग फौरन शुरू हो जाय। अगर उसके शुरू होने में कोई रूल्स रुकावट डालें तो वे सस्पैंडड समझे जावेंगे और सोमवार को हाउस उस समय तक बैठेगा जब तक कि थर्ड रीडिंग खत्म न हो जाय। चाहे हमें समय बढ़ाना पड़े। उसमें पहले और पीछे करने की कोई जरूरत नहीं है। मै कहता हूं कि फिर कल हम नहीं बैठेंगे।

श्री उपाध्यक्ष——मै समझता हूं कि जो आश्वासन दोनों ओर से दिये गये हैं उनके अनुसार सोमवार को बैठना ही ठीक होगा। यह सही है कि दोनों पक्षों की ओर से इस बात का प्रयत्न होगा कि थर्ड रीडिंग भी उसी दिन खत्म हो जायगी और कोई नियम को

आपत्ति उसके अन्दर नहीं रहेगी। ऐसा दोनों ओर से आश्वासन प्राप्त करते हुये मैं समझता हूं कि वह ठीक है।

(इसके बाद सदन ५ बजकर ७ मिनट पर सोमवार, २२ दिसम्बर, १९५२ के ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया।)

कैलाशचन्द्र भटनागर,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश

लखनऊ,
१९ दिसम्बर, १९५२।

नत्थी 'क'

(देखिये अल्प सूचित तारांकित प्रश्न २ का उत्तर पीछे पृष्ठ २८६ पर)

मिलों के नाम और उनके चालू होने की तारीख

क्रम संख्या	मिल का नाम			चालू होने की तारीख
१	हरगांव	..	..	२३–११–५२
२	कप्तानगंज	..	..	२३–११–५२
३	गोला	..	..	२३–११–५२
४	मन्सूरपुर	..	..	२४–११–५२
५	बिलारी	..	..	२४–११–५२
६	सिवराही	..	..	२४–११–५२
७	अमरोहा	..	..	२६–११–५२
८	बिजनौर	..	..	२६–११–५२
९	शिवहारा	..	..	२८–११–५२
१०	हरदोई	..	..	२८–११–५२
११	बेगमाबाद	..	..	२९–११–५२
१२	देवबन्द	..	..	१–१२–५२
१३	रोहाना	..	..	१–१२–५२
१४	सखौती	..	..	१–१२–५२
१५	सिभोली	..	..	१–१२–५२
१६	महोली	..	..	१–१२–५२
१७	रामकोला (पंजाबी)	..	..	१–१२–५२
१८	फरेंदा	..	..	१–१२–५२
१९	जरवल	..	..	१–१२–५२
२०	नेवली	..	..	२–१२–५२
२१	किच्छा	..	..	३–१२–५२
२२	घुघली	..	..	३–१२–५२
२३	मवाना	..	..	३–१२–५२
२४	रौजा	..	..	५–१२–५२
२५	लकसर	..	..	
२६	दौराला	..	..	
२७	धामपुर	..	..	
२८	शामली	..	..	६–१२–५२
२९	बरेली	..	..	
३०	पिपराइच	..	..	
३१	बाराबंकी	..		

क्रम संख्या	मिल का नाम			चालू होन की तारीख
३२	शाहगंज	..	..	
३३	बुलन्द	..	..	८-१२-५२
३४	रजा	..	..	
३५	परताबपुर	..	..	
३६	काशीपुर	..	..	९-१२-५२
३७	बलरामपुर	.	..	
३८	बस्ती	..	..	१०-१२-५२
३९	खतौली	.	..	११-१२-५२
४०	जरबलरोड		..	११-१२-५२

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न १२ का उत्तर पीछे पृष्ठ २६१ पर)

सन् १९५१–५२

विद्यार्थी का नाम, कक्षा तथा संस्था	पूरा पता	द्रव्य जो मिला था
१—स्वदेश चन्द्र दुबे, कक्षा ११ एस० डी० इंटर कालेज, इटावा	पं० अम्बिका चरन दुबे, राजनैतिक पीड़ित गांव नवगांव, पो० कंचौसी इटावा	२० रु० प्रतिमास
२—श्रीमती कमला देवी कुलश्रेष्ठ कक्षा ९, तिवारी जे० पी० आर्य कन्या पाठशाला इंटर कालेज, इटावा।	श्री अवधि नारायण कुलश्रेष्ठ, क्लर्क, जिला बोर्ड, इटावा	१२ रु० ,,
३—ब्रह्मस्वरूप कुलश्रेष्ठ, कक्षा ८ डी एस० डी० इंटर कालेज, इटावा	.. ..	८ रु० .. ..
४—नरेशचन्द्र दुबे, कक्षा ११ एस० डी० इन्टर कालेज, इटावा	श्री लल्लू राम दुबे इटावा	४० रु० पुस्तको का मूल्य

सन् १९५२–५३

१—स्वदेशचन्द्र दुबे, कक्षा १२ एस० डी० इन्टर कालेज, इटावा	पं० अम्बिकाचरन दुबे, राजनैतिक पीड़ित, गांव नवगांव, पो० कचौसी, इटावा	२० रु० प्रतिमास
२—श्रीमती कमला देवी कुलश्रेष्ट, कक्षा १०, तिवारी जे० पि० आर्य कन्या पाठशाला इंटर कालेज, इटावा	श्री अवधि नारायण कुलश्रेष्ट, क्लर्क, जिला परिषद, इटावा	१२ रु० प्रतिमास

नत्थी 'ग'

(देखिये अतारांकित प्रश्न १ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३९३ पर)

	कत्ल				डकैती			
वर्ष	कत्ल की संख्या जिनकी रिपोर्ट थाने में की गई	जांच में सफलता की संख्या	मुकदमों में सफलता की संख्या	मुकदमें जो अभी चल रहे हैं	डकैतियों की संख्या जिनकी रिपोर्ट थाने में की गई	जांच में सफलता की संख्या	मुकदमों में सफलता की संख्या	मुकदमें जो अभी चल रहे हैं।
१९५०	६८	३७	१८	,,	२४	१७	१०	,,
१९५१	६७	३२	९	२	२५	१८	५	२

पी० एस० यू० पी० ए० १४५ एल० ए० ९५३-८५

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

की

अनुक्रमणिका

खण्ड ११५

स

स्थानिक प्रश्न

पी० एस० यू० पी० ६ एल० ए०--१९५३--८३।